



# राजस्थान असैनिक सेवाएं

( वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं श्रमोत्तम )

नियम, १९५८ पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

( नियमों का विश्लेषण, विवेचन एवं विस्तृत अध्ययन )

( राजस्थान सी सी ए रूलस )

संस्करण

साबत राज भट्टाली

एल एल एम साहित्य रत्न

व्याख्याता, विश्वविद्यालय विधि पीठ, जयपुर

अनुवाद सहायक

गोविंद नारायण माथुर

बी ए, एल एन बी

एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय

प्राक्कथन कर्ता

माननीय न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद बेरी  
न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

प्रकाशक

बाफना बुक डिपो

कानूनी पुस्तकों के विप्रेता एवं प्रकाशक

चौडा रास्ता, जयपुर-3

प्रकाशक  
बापना बुक डिपो  
चौडा रास्ता जयपुर-३

**With Supplement  
1975**

( अप्राविष्ट अनुवाद )

सवाधिकार प्रकाशक एवं लेखक द्वारा मुद्रित

# विषय-सूची

प्राकरण		पृष्ठ
सूचिका	— " —	1
विषय सूची		111
निरूपण तात्पर्य		1
		11

## राजस्थान थर्मनिक सेवाए (सर्गोकरण नियंत्रण एव अधीन) नियम १९५८

### भाग १ सामान्य

#### नियम

१	नक्षिप्त शीपक एव प्रारम्भ	१
२	ध्यास्या	५
३	प्रभाव	१७
४	इतरार द्वारा विशेष प्रावधान	२१
५	किसी विधि या इतरार द्वारा प्रदत्त अधिकारो एव विशेषाधिकारो, वा मर्यादा	२२

### भाग २ सर्गोकरण

६	अमनिक सेवाओ का सर्गोकरण	२६
७	राज्य सेवा के मद्दय	२७
८	अधीनस्थ सेवा के मद्दय	२७
९	लेखक सर्गीय सेवा के मद्दय	२७
१०	चतुर्थ श्रेणी सेवा के मद्दय	२८
११	अनुसूचितो मे सरकार द्वारा वृद्धि या परिवर्तन	२८

### भाग ३

#### नियुक्ति प्राधिकारीगण

१२	नियुक्ति प्राधिकारीगण	२९
----	-----------------------	----

भाग ४  
निलम्बन

१२	निलम्बन	३१
----	---------	----

भाग ५  
अनुशासन

१४	शास्त्रियों के प्रकार	४४
१५	अनुशासन प्राधिकारों का	७६
१६	कठार शास्त्रियों लागू करने की काय प्रणाली	८०
१७	लघु शास्त्रियाँ न के तर्कों का	११६
१८	मनुष्य के जाति	१२०
१९	कुछ मामलों में विशेष प्रणाली	१२१
२०	शास्त्रों के प्रकार का सूचित करना	१२८

भाग ६  
अपीलें

२१	सरकार द्वारा दी जाने वाली शास्त्रों की अपील नहीं	१२५
२२	निलम्बन की शास्त्रों के विरुद्ध अपीलें	१२८
२३	शास्त्रियों के शास्त्रों के विरुद्ध अपीलें	१३०
२४	अपील का करने वाली शास्त्रों की प्रमाणित प्रतिनिधि देना	१३८
२५	अपील का लिए मयाद	१३५
२६	अपील का प्राप्त तथा विषय वस्तु	१३६
२७	अपीलें प्रेषित करना	१३७
२८	अपील का लेना	१३८
२९	अपीलें भेजना	१३८
३०	अपील पर विचार	१३८
३१	अपील में दी गई शास्त्रों का अनुपालन	१४०

भाग ७  
पुनरावलोकन

३२	अपील प्राधिकारों की पुनरावलोकन की शक्ति	१४१
३३	राज्य सेवानुष्ठा के मद्दमा के विरुद्ध अनुशासन के मामलों में शास्त्रों का पुनरावलोकन	१४२
३४	राज्यपाल की पुनरावलोकन की शक्ति	१४३

भाग ८

विविध एव ग्रन्थायो

३५ निरसन एव न्यावृत्ति	१५१
३६ सदेहो का समाधान	१५३
३७ कुछ अधिकारिया के लिए विशेष प्रावधान	१५३

अनुसूचियां

अनुसूची (क)—विभागाध्यक्षो की सूची (प्रथम श्रेणी)	१५४
विभागाध्यक्षो की सूची (प्रथम श्रेणी के प्रतिरिक्त)	१५६
अनुसूची (ख)—लेखक वर्गीय सेवाया एव चतुथ श्रेणी सेवाया से सवद्ध कायालयाध्यक्ष' जो नियमो के भाग ३ तथा नियम १२ (१) मे निर्दिष्ट शक्तिया का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं	१५६
अनुसूची प्रथम—राज्य सेवाए	१८८
अनुसूची द्वितीय—अधीनस्थ सेवाए	२०४
अनुसूची तृतीय—लेखक वर्गीय सेवाए	२२८
अनुसूची चतुथ—चतुथ श्रेणी सेवाए	२३३

परिशिष्ट

परिशिष्ट क—अनुशासनात्मक कायवाहा के लिए आदर्श प्रपत्र	२३६
परिशिष्ट ख—राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहो का आह्वान तथा प्रलेखो का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, १९५६	२४६
परिशिष्ट ग—राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहो का आह्वान तथा प्रलेखो का प्रस्तुतीकरण) नियम १९६०	२४८
परिशिष्ट घ—राजस्थान लोक सेवा आयोग (वृत्तियो की सीमा) विनियम, १९५१ क कुछ अंश	२५०

भाग ४  
निलम्बन

१२	निलम्बन	--	३१
----	---------	----	----

भाग ५  
अनुशासन

१४	शास्त्रियों के प्रकार	--	४४
१५	अनुशासन प्राध्यापकगण		७६
१६	बटार शास्त्रियों लाभ करने की वाय प्रणाली		८०
१७	लघु शास्त्रियों के वर्गीकरण		११६
१८	मयूकन जात		१२०
१९	कुट्ट मामला में विधि प्रक्रिया	--	१२१
२०	प्राचार्य सरकार का सूचन करना		१२४

भाग ६  
अपीलें

२१	सरकार द्वारा दी जाने वाली अपील की अपील नहीं		१२५
२२	निलम्बन की अपील के विरुद्ध अपीलें	--	१२८
२३	शास्त्रियों के दान की अपील के विरुद्ध अपीलें	--	१२९
२४	अपील का करने वाला अपील की प्रमाणित प्रतिनिधि देना		१३०
२५	अपील के लिए मयाद	--	१३१
२६	अपील का प्राप्त तथा विषय वस्तु	--- ---	१३२
२७	अपीलें प्रेषित करना	-----	१३३
२८	अपील का लेना	--	१३४
२९	अपील नजदीक		१३५
३०	अपील पर विचार		१३६
३१	अपील में दी गई अपील का अनुपालन	--	१३७

भाग ७  
पुनरावलोकन

३२	अपील प्राध्यापकों की पुनरावलोकन की शक्ति		१४४
३३	राज्य सरकार के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामला में अपील का पुनरावलोकन		१४६
३४	राज्यपाल की पुनरावलोकन की शक्ति	--	१४७

## भाग ८

## द्विविध एव अस्थायी

३५ निरसन एव व्यावृत्ति	१५१
३६ सदेहो का समाधान	१५३
३७ कुट्ट अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान	१५३

## अनुसूचियाँ

अनुसूची (क)—विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रेणी) विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त)	१५४ १५६
अनुसूची (ख)—लेखक वर्गीय सेवाएँ एव चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ से संबद्ध कायान्याय्यक्ष' जो नियमों के भाग ३ तथा नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं	१५६
अनुसूची प्रथम—राज्य सेवाएँ	१८८
अनुसूची द्वितीय—अधीनस्थ सेवाएँ	२०४
अनुसूची तृतीय—लेखक वर्गीय सेवाएँ	२२८
अनुसूची चतुर्थ—चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ	२३३

## परिशिष्ट

परिशिष्ट क—अनुशासनात्मक कायवाहा के लिए आदर्श प्रपत्र	२३६
परिशिष्ट द—राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहों का आह्वान तथा पलेखों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, १९५६	२४६
परिशिष्ट घ—राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहों का आह्वान तथा पलेखों का प्रस्तुतीकरण) नियम, १९६०	२४८
परिशिष्ट ङ—राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम, १९५१ क कुट्ट अंश	२५०



	पृष्ठ
परिशिष्ट अ—राजस्थान प्रांतिक मेराए (राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचालन) नियम, १९५६	२५२
परिशिष्ट ब—भागीय मंत्रिघान के मन्त्रों के अनुसूची	२५६
परिशिष्ट छ—राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिमूचनाओं की सूची	२५६
परिशिष्ट ज—राजस्थान राज्य-पत्रकारों पर सजा विवरण व सजा-कारों प्रावण नियम १९५६	२६१
परिशिष्ट झ—पञ्जाबत मन्त्रिण परिषद मेराए (गाम्ति एवं अधिनियम) नियम, १९६१	२६१
निधना की तुलनात्मक तात्रिका	२६२
अनुक्रमणिका	२६३

# निर्णय—तालिका

अ

पृष्ठ

अजीत कुमार मुकर्जी बनाम मुख्य ओपरेटिंग प्रमोशन, इस्ट इण्डिया रेलवे, ए आई आर १९५३ पन्ना ८८	२१
अनीन्द्र नाथ मुखर्जी बनाम जो एफ गल्लट, ए आई आर १९५५ कनकता ५४३	१५
अन्तर सिंह बापूमिह बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २५४	११
अन्धानपम मोदी सिंह बनाम ओ एस डी मनोपुर राज्य परिवहन १९६० मनोपुर ४५	१७, ७४
अशोकम भागी सिंह बनाम विशप सेवाधिकारी, ए आई आर १९५० मनापुर ६०	२३
अनन्त राम बनाम ए एन दीक्षित ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ५२७	७३ ७४
अब्दुल कादर बनाम सरकार, ए आई आर. १९५७ हैदराबाद १२	७१
अब्दुल मोहम्मद खा बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ मध्यप्रदेश ४४	४०
अब्दुल रहीम बनाम मुख्य अधिशापी अधिकारी, ए, आई आर १९६४ आंध्र प्रदेश ४०७	६४, ६६
अब्दुल हमन बनाम वक्स मनजर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३८	१०५
अमर सिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय १२८	२३
अमरेंद्र चन् देव वर्मा बनाम सपीय क्षेत्र, ए आई आर १९६१ त्रिपुरा २६	१२६
अमरेंद्र बनाम क्लास ( १९५२ ) ५६ सी डबल्यू एन ८४८	५८
अमृत्य रतन बनाम डीप्टी चीफ एम ई ए आई आर १९६१ कनकता ४०	७५, ८८
अमृत्य रतन नाथक बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार ए आई आर १९६१ कनकता १६४	४८, ११८
अमर मरकार बनाम पन्डिराम बोराह ए आई आर. १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ८७३	४१
अनताफुर रहमान बनाम कलक्टर सेटुल एनसाईज, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५५१	१२६
अमर मरकार बनाम हरनाथ बरुआ ए आई आर १९५७ असम ७७	३ ३५ ८७ ६६
असम सरकार बनाम विमल कुमार, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १६१२	१०६, १०७
अहमद गान बनाम द्विविजयल एफ ओ. ए आई आर १९५७ जम्मू कश्मीर ११	७१
अहमद हसन बनाम डिप्टी कमिश्नर मण्डिपुर, ए आई आर. १९६३ मण्डिपुर ५१	१०

आ

आई ए दाक्षित बनाम आफिसियल रिक्रिडेटर, ए आई आर १९६३ इलाहाबाद २८४	१२७
आनन्द नारायण बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश ३१८	६६
आनन्द स्वरुप भटनागर बनाम राज्य सरकार १९६५ आर. एल डबल्यू २७२	१२८
आन प्रान्त सरकार बनाम एस सी रामाराव, ए आई आर १९६३	
सर्वोच्च न्यायालय १७२३	१२६
आन प्रान्त सरकार बनाम कामेश्वर राव ए आई आर १९५७ आंध्र प्रदेश ७६४	८५

शांभू प्रदेग राज्य बनाम माहम्मद मुनमुद्दीन खां, ए आई कार	---	
१८६४ शांभू प्रदेग ४६१	---	४७
शांभू प्रदेग सरकार बनाम माहम्मद महिनउद्दीन, ए आई कार १९६४ शांभू प्रदेग २०६		६२
शांभू प्रदेग सरकार बनाम एम थी रामाराव ए आई कार १९६३		
मर्चोक्च न्यायालय १७२३	---	८८ ११५
घार घार. राय, बनाम मध्य प्रदेग सरकार ए आई कार १९६४ मध्य प्रदेग १०७		५० १२०
घार घार. ह्दर बनाम आई जा पा पचिम बंगाल ए आई कार		
१९५९ बनारस १७०३		११
घार एव गुला बनाम हिमाचल प्रदेग सरकार, ए आई कार १९५४ हिमाचल प्रदेग १		७०
घार पा बपू बनाम भारतीय सघ ए आई कार १९६० पंजाब ८७		२६
घार मनसबाहू बनाम अनुगागत कायबाहिदा बा यामापिनरण		
ए आई कार १९६० शांभू प्रदेग ३०३		८०
घार थी निवासन बनाम त्रिना बाड, ए आई कार १९५८ मगम २११		१५
घागुलोपगत बनाम पचिम बंगाल सरकार, ए आई कार १९५६ बसकता २७८		९४

इ

इन रो एम एम बी गानमानो, ए आई कार १९५७ मगम ६१२		५८
इन्दिया इन्किक्व सप्लाई एण्ड टकान क बनाम ए सी स्त गुन्ता		
५८ सी बडरू एन १९२		९४

ई

ईन्दर दास मन्ना बनाम पपमू सरकार ए आई कार १८७२ पपमू १४८		७२ ७५
ईन्दर नारायण सिंह बनाम भारतीय सघ ए आई कार १८५७ इलाहाबाद ४३८		७७, ३०
ईन्दरी प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार १९६५ घार एन डबल्यू ७		७१

उ

उनीसा सरकार बनाम कृष्णास्वामी भूनि, ए आई कार १८६४ उनीसा २९		१०८
उनीसा राज्य बनाम रामनारायण दाम, ए आई कार. १९६१ मर्चोक्च न्यायालय १८७		७६
उनीसा सरकार बनाम सेल्हारी चर्जी ए आई कार १९६२ उनीसा ७०		१०९
उत्तर पश्चिमी सामान प्रान्त बनाम मूरज नारायण ए आई कार		
१९४९ फडरल कोड ११२	---	७४, १२६
उत्तर प्रदेग सरकार बनाम अजवर खा, ए आई कार १८६३ इलाहाबाद ७७		५९
उत्तर प्रदेग सरकार बनाम अजय नारायण सिंह ए आई कार १९६५ मुम्रीम का ३९०		१४
उत्तर प्रदेग सरकार बनाम अजवर हुमेन, ए आई कार १९६४ इलाहाबाद २४६		५६
उत्तर प्रदेग सरकार बनाम मनबोधन लाल ए आई कार मर्चोक्च न्यायालय ९१२		१११
उत्तर प्रदेग सरकार बनाम गालिग राम गर्मा ए आई कार १९६० इलाहाबाद ५४८		१०५

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सी एस शर्मा, ए आई आर १९६३ इलाहाबाद ६४	८६
उत्तर प्रदेश सरकार बनाम, सी एम गर्मा ए आई आर १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५८	८६

ए

ए आर एम चौधरी बनाम भारतीय सघ ए आई आर. १९५६ कलकत्ता ६६१	६४, १३६
ए एन डी सित्तवा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ११३०	७६ ११०
ए एन रना बनाम जम्मू एव कश्मीर सरकार ए आई आर १९६२ जम्मू कश्मीर ६८	४२
एम खान बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत २५६	१०
ए एम अनन्त मुद्रामयम बनाम केरल सरकार आई एल आर १९६३ केरल १५१	१०६
ए एस राजवी बनाम डिवीजनल अभियंता ए आई आर १९६४ गुजरात १३६	६४
ए एस सन्ही बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६८ दिल्ली २६	६५
ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६० राजस्थान १४१६	८५
ए नाथ बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६२ हिमाचल प्रदेश ४१	५६
ए सम्बन्धन बनाम रीजनल टी एस ए आई आर १९५६ मद्रास ६८	५८
एच एन नजु दा स्वामी बनाम मसूर सरकार, ए आई आर १९६३ मसूर २०३	२६
एच के भट्टा चाय बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५८ कलकत्ता २३६	३४ ४३
ए बी एल श्री वास्तव बनाम पुलिस महा निरीक्षक ए आई आर १९५७ नागपुर ८८	१३६
एन एन सिंह बनाम तोम्बा सिंह, ए आई आर १९५७ मणिपुर ३७	१०
एन नीलमणि सिंह बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६४ मणिपुर ८	११३
एम इब्राहिम पिलाई बनाम प्रिन्सिपल, यू आई कालेज, ए आई आर १९५८ केरल ७२	३५
एम एन एस सेठी बनाम मसूर राज्य ए आई आर १९६८ मसूर ११६	६६, ६७
एम एन केशवन नायर बनाम ट्रावन कोर बोर्ड ए आई आर १९५६ केरल २१	१८८
एम एम सिद्दिकी बनाम सघ सरकार, ए आई आर १९५५ इलाहाबाद ५६८	११
एम एल काधारी बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६४ पंजाब १४३	६८
एम ए वहीद बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५४ नागपुर २२६	५२, १४६
एम देव बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई आर १९५६ त्रिपुरा ५१	१०८
एम नर सिंह चार बनाम मसूर राज्य, ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय २४७	५६
एम बी विचोरी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर ३८८	५३
एम गूगाधरा राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ आंध्र प्रदेश ५०६	१५
एम रमैया बनाम मसूर सरकार, ए आई आर १९५५ मसूर १६४	५७
एम वर्षीस बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर, १९६३ कलकत्ता ४२१	१६
एम पी जोगाराव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ आंध्र प्रदेश १८७	१२०
एम पी विचा राय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५२ नागपुर २२८	१०५
एम सज्जानम बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९६८ मद्रास ४६	५६

एन बाल कृष्ण बनाम उमहा निरागत सरकार ए आई धार १९५८ मद्रास २७०	१८
एम आई रत्नबे बनाम सरकार ए आई धार १९५७ मद्रास २५६	८१
एम ए बटलर बनाम भारतीय मण ए आई धार १९५४ सर्वोच्च न्यायालय २७१	८५
एम एम पांडे बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई धार १९६१ मध्य प्रदेश २६२	८०
एम के मुगर्जी बनाम कमिश्नर ए एनाइट प्रोटेक्शन निर्यात विकास परिषद ए आई धार १९६२ बनारस १०	१०
एम ठानरजी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई धार १९५५ मध्य प्रदेश १६	१११
एम दलमर सिंह बनाम पन्डू सरकार ए आई धार १९५५ पन्डू ६७	७६ ८८
एम नरुनवर बनाम मन्डूर राज्य ए आई धार १९६० मन्डूर ११६	८८
एम पतह सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई धार १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४६३	८१
एम साभा मुद्दरम बनाम मद्रास सरकार, ए आई धार १९५६ मद्रास ४१६	१०
एस मुय बस सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई धार १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११	१
एस सी मण्डन बनाम कमानर आयकर पंचिम बंगाल ए आई धार १९६२ बनारस २	११
एस बी सेगावठराम बनाम हैराबाद सरकार, ए आई धार १९५८ मध्य प्रदेश २५१	११
एस मनिकम बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई धार १९६४ मद्रास २७४	८८
एस महेंद्र सिंह बनाम पन्डू राज्य, ए आई धार १९५५ पन्डू १०६	३६ १-८१ ८
एस मोहन सिंह बनाम पन्डू ए आई धार १९५४ पन्डू १३६	१५
एसमद गल बनाम गुनाम हुसन, ए आई धार १९५७ जम्मू सरकार ११ -	६१

ए

ए बैकेटा बनाम हैराबाद सरकार, ए आई धार १९५६ हैराबाद १७२

ओ

ओम प्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई धार १९५६ सर्वोच्च न्यायालय ६००	८
ओम बालू टैग बनाम हैराबाद राज्य ए आई धार १९५१ हैराबाद ५८	७०
ओमनाम बिहारी सिंह बनाम रिजानया के निरीक्षक, ए आई धार १९५८ मनापुर १	४६

ऊ

उत्तार सिंह बनाम पन्डू सरकार ए आई धार १९५५ पन्डू २५	१
उत्तम चन्द्र बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई धार १९५५ उत्तम २४०	१४८
उन्नीयालाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई धार १९५८ राजस्थान १	८४ ८७ ८६ ८०
उन्पूर चण्ड बनाम आई जा पी ए आई धार १९६२ हिमाचल प्रदेश ३५	३८
उन्पूर चण्ड बनाम राजस्थान सरकार आई एन धार १९६२ राजस्थान ६६	६१
उन्पूर गिण्डा भारतीय ए आई धार १९५६ पंजाब ५८	८८
उन्पूर ६७ धार १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४८१	१-३
उन्पूर १९६० मध्य प्रदेश १६६	१५
ए आई धार ५६ मध्य प्रदेश ४१ ११३ १-३	

	पृष्ठ
कमर सिंह बनाम ट्रांसपोर्ट कमांडर, ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५३	६०
कमला वाई बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य भारत १२८	७५
करणसिंह बनाम आयुक्त यातायात ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५३	१०८ १२३
करम देव सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५८ पटना २२१	१०६
करम देव सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५८ पटना २२८	६ ८० १११ ११५
कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमन कुमार रोय ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४	५० ११६
कार्तिक चन्द्र बनाम डिस्ट्रिक्ट, सुरिन्टेंडेंट, ए आई आर १९५७ पटना ६७६	१११
कॉन्स्टेबल सल्लू बक बनाम तिम्वक नारायण ए आई आर १९५५ नागपुर १८३	३२
कार्य उदायर बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५६ मद्रास ४६०	११५
काली प्रसन्न बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार, ए आई आर १९५२ कलकत्ता ७६८	२३ ३५
काशी नाथ बनाम पी के कपोला, ए आई आर १९५२ उड़ीसा २८५	६३
किशन गोपाल मुखर्जी बनाम सरकार, ए आई आर १९६० उड़ीसा ३७	११०
किशन प्रसाद बनाम भारतीय सभ, ए आई आर १९६० कलकत्ता २६४	६८
किशन लाल लक्ष्मी लाल बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत १००	५३,७२
किशन सिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६६ राजस्थान ५५	११२ ११७
किशोरी लाल कपूर बनाम उप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ए. आई आर १९६३ हिमाचल प्रदेश ५४	५६
किशोरी लाल बत्रा बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५८ पंजाब ४०२	१५
कृष्णा बनाम चथण्णल १३ मद्रास २६६	१३५
कृष्णा स्वामी बनाम केरल सरकार, ए आई आर १९६० केरल २२४	१३८
कुमारल बनाम द्रावणकार सरकार ए आई आर १९५२ टावन कोर २६३	१५
के आई एटानी बनाम लाक सेवा आयोग, ए आई आर १९५८ केरल ३५०	११५
के आर जोशी बनाम बम्बई सरकार, ए आई आर १९५८ बम्बई ६०	६०
के एन थान्बम बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल २३३	५८
के एम रामा अय्यर बनाम सरकार, ए आई आर १९५२ पेपलू ई६	६४
के एन श्री निवासन् बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ४१६ ५६,७१	७१
के एम मुगथा प्रसाद बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल १८	७१
के एल नन्दा बनाम पंजाब राज्य ए आई आर १९६४ पंजाब ३०२	४६
के जा पिलाई बनाम कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया ए। आई आर १९६० पंजाब ३६०	१०५
के बी माथुर बनाम एन सी चटर्जी ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५८५	४६
के बी नारायण राव बनाम आंध्रप्रदेश ए आई आर १९५८ आंध्रप्रदेश ६३६	६४
के घामा राव बनाम मसूर सरकार ए आई आर १९६३ मसूर २०८	६४

एन बान कृष्ण बनाम उपमहा निरायक कारणा, ए आई कार १९५६ मद्रास २७०	६८
एम आई रसवे बनाम घटनपन, ए आई कार १९५७ मद्रास ३५६	८१
एस ए वेंटरमन बनाम भारतीय सघ ए आई कार १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७१	८५
एम एस पति बनाम मध्य प्रदेश सरकार एव अन्य ए आई कार १९६१ मध्य प्रदेश २९३	८०
एम व मुण्डी बनाम कमिश्नर एण एनाइड प्रोक्चम निर्वात विकास परिषद ए आई कार. १९६२ कन्नडा १०	१६
एम ठानरजा बनाम ए प्र प्र प्र सरकार, ए आई कार. १९५५ मद्रास प्र प्र १६	१०१
एम दत्तमर सिंह बनाम पपमू सरकार ए आई कार. १९५५ पपमू ६७	७९ ८८
एम नजुनवर बनाम मगूर राज्य ए आई कार १९६० मगूर १५९	९८
एम पतह सिंह बनाम पत्राव सरकार, ए आई कार. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६९३	८१
एम साभा मुन्म बनाम मद्रास सरकार, ए आई कार १९५६ मद्रास ४१९	१०
एस मुन बस सिंह बनाम पत्राव सरकार ए आई कार १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११	५३
एस सी मण्डन बनाम कामानर प्रायकर पचिम बंगाल ए आई कार १९६२ कन्नडा ३	११
एम वा सदावतराम बनाम हैरावा सरकार, ए आई कार. १८५९ मद्रास प्र प्र २५१	८६
एस मनिक्म बनाम पुलिग अधिपति ए आई कार १८६४ मद्रास ७७८	८९
एस मट्टर सिंह बनाम पपमू राज्य, ए आई कार १९५५ पपमू १०६	५६, १२८ १२८
एम माहन सिंह बनाम पपमू, ए आई कार. १९५४ पपमू १३६	१५
एमम गव बनाम गुनाम हुमेन, ए आई कार. १९५७ जम्मू कश्मीर ११	९३

ए

ए बैकेटा बनाम हैरावा सरकार, ए आई कार १९५६ हैरावा १७३	१४२
--	-----

ओ

ओम प्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्र प्र सरकार ए आई कार. १९५६ सर्वोच्च न्यायालय ६००	३९
ओस बालू ह्यूग बनाम हैरावा राज्य ए आई कार १९५३ हैरावा ५८	५६
ओयनाम बिहास सिंह बनाम विद्यायया क निरायक, ए आई कार १९५८ मनापूर १	४९

क

कनार सिंह बनाम पपमू सरकार ए आई कार. १९५५ पपमू २५	१६
कनक चन्द्र बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई कार. १९५५ असम ७४०	१४८
कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई कार. १९५८ राजस्थान १	८६ ८७, ८९, ९०
कपूर च बनाम आई जा पी ए आई कार. १९६२ हिमाचल प्र प्र ३५	५८
कपूर च बनाम राजस्थान सरकार आई एन कार. १९६२ राजस्थान ६९	६१ ६३
कपूर सिंह बनाम भारतीय सघ ए आई कार. १९५६ पत्राव ५८	८८
कपूर सिंह बनाम भारतीय सघ ए आई कार १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४८	१२३
कपूर सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई कार. १९६० मध्य प्रदेश १९८	१५
कमर बनाम कला बनाम मध्य प्र प्र सरकार, ए आई कार. १८५९ मध्य प्र प्र ४६	११५ १०७

	पृष्ठ
कमर सिंह बनाम ट्रान्स्पोर्ट कमिश्नर, ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५३	६०
कमला वाई बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य भारत १२८	७५
करणसिंह बनाम आयुक्त यातायात, ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर १३	१०८ १२३
करम देव सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५८ पटना २२१	१०६
करम देव सिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५८ पटना २२८	६ ८० १११ ११५
कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमन कुमार रोय ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४	५० ११६
कार्तिक चन्द्र बनाम डिस्ट्रिक्ट, सुपरिन्टेन्डेन्ट, ए आई आर १९५७ पटना ६७६	१११
काँपरेटिव सेन्सल बक बनाम लिम्बक नारायण ए आई आर. १९४५ नागपुर १८३	३२
कारण उदायर बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५६ मद्रास ४६०	११५
काशी प्रमन्न बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार, ए आई आर १९५२ कलकत्ता ७६८	२३ ३५
कागा नाथ बनाम पी के कपीला, ए आई आर १९५२ उडासा २८५	६३
विद्या गोपाल मुखर्जी बनाम सरकार ए आई आर १९६० उडासा ३७	११०
विजय प्रसाद बनाम भारतीय सशस्त्र बल, ए आई आर १९६० कलकत्ता २६४	६८
विद्यालाल लक्ष्मी लाल बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत १००	५३, ७२
विद्यालाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६६ राजस्थान ५५	११२ ११७
विद्यालाल बनाम जय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ए आई आर १९६३ हिमाचल प्रदेश ५४	५६
विद्यालाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर. १९५८ पंजाब ४०२	१५
वृष्णा बनाम चण्डीयान १३ मद्रास २६६	१३५
वृष्णा स्वामी बनाम केरल सरकार, ए आई आर १९६० केरल २२४	१३४
कुमारल बनाम ट्रावणकोर सरकार ए आई आर १९५२ ट्रावणकोर २६३	१५
के आई एटानी बनाम लोक सेवा आयोग, ए आई आर १९५८ केरल ३५०	१११
के आई जोशी बनाम बम्बई सरकार ए आई आर १९५८ बम्बई ६०	६०
के एन चान्दम बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल २३३	५६
के एम रामा अम्बर बनाम सरकार, ए आई आर १९५२ पेंपसू ६६	६४
के एन श्री विवासान बनाम भारतीय सशस्त्र बल ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ४१६ ५४, ७१	७१
के एम मुगथा प्रसाद बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल १६	७१
के एल नन्दा बनाम पंजाब राज्य ए आई आर. १९६४ पंजाब ३०२	४८
के जी पिलाई बनाम कपोलर एण्ड आर्किटेक्ट जनरल आफ इण्डिया ए आई आर १९६३ पंजाब ३६०	१०५
के बी माधुर बनाम एन सी चटर्जी ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५८५	४८
के बी नारायण राव बनाम आंध्रप्रदेश ए आई आर १९५८ आंध्रप्रदेश ६३६	६४
के रामा राव बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९६३ मद्रास २०८	६४



के राजा गान्धर्व गव बनाव उदामा सरकार, ए घाई धार १६५८ उदामा ७८	१०८
क रामावनरम बनाम उदोसा सरकार ए घाई धार १६५६ उदामा ११८	१०
ख सी गमा बनाम कट्टानर टिपिन एकाठम ए घाई धार. १६५६ उदामा १६०	१७
खवल मन बनाम इनगम ए घाई धार १६५७ राजस्थान १७	६३ ६५ ७१
बनाम नाम मठ बनाम टिपिनन मुगर्हिंट, ए घाई धार. १६६१ इनाहवा २७८	११८
कनार नाथ अग्रवान बनाम अग्रमर राज्य ए घाई धार १६५६ अग्रमर २० ४० ६७, ५३ १६	

ख

खम बन बनाम भारताय सप ए घाई धार. १६५८ सर्वोच्च वायानय २००	२७ १११
खेम बन बनाम भारताय सप ए घाई धार १६६० सर्वोच्च वायानय ६८७	७

ग

गज राज सिंह बनाम मध्य भारत सरकार ए घाई धार. १६६० मध्य प्रान्त २८६	१०८
गजपत कि मुनार बनाम विठ्ठल भाका० ४४ बम्बई एन धार. ६७६	७
गजराज बाब कृष्ण लामुन बनाम मध्य प्रान्त सरकार ए घाई धार. १६५९	
मध्य भारत १७२	२ १६
गुजरात सरकार बनाम अमर सिंह गवत, ए घाई धार. १६६ गुजरात ८१	८५
गुजरात सरकार बनाम राजा भाई भांजा भां पत्न ए घाई धार १६६१ गुजरात १३०	१०
गुजरात सिंह बनाम राजा सरकार, ए घाई धार १६६० पंजाब १२८	५८
गुजरात सिंह बनाम सप सरकार, ए घाई धार. १६६० पंजाब ८	५६ १२८
गुरु देव नारायण बनाम बिहार सरकार ए घाई धार. १६५७ पटना १ १	४ ५ ८६
गुरु देव सिंह बनाम पंजाब सरकार ए घाई धार १६५६ सर्वोच्च वायानय १५८७	८६
गुरुमुख सिंह बनाम सप सरकार ए घाई धार १६६ पंजाब ७०	१०
गुनाम एहम बनाम घाई जी पा ए घाई धार. १६५६ जम्मू काश्मीर १२५	७१
गुनाम कृष्ण नाथ बनाम मध्य प्रान्त सरकार ए घाई धार १६५७ नागपुर १७०	२० १२
गुनाम बट्ट बनाम त्रिपुरा धर ए घाई धार. १६६० त्रिपुरा १	७
गुनाम नारायण मिश्र बनाम राजन एवाण्ट कमरा, ए घाई धार १६५५ उदामा २५०	७१
गुनाम मन बनाम सरकार १६६१ धार एन जम्मू ४४	८२
गुनाम विहार बनाम बिहार सरकार ए घाई धार १६५५ पटना ७०	६८
गुनामनाथ नाथ्यर बनाम सरकार, ए घाई धार १६६० करम ६	८१
गुनाम गकर बनाम मध्य प्रान्त सरकार ए घाई धार. १६६ मध्य प्रान्त ११५	६७ ८६, १०८
गुनामर गुनामिणा बनाम कर्नाट सरकार, ए घाई धार. १६६८ बम्बई १६	७
गुनामर पाठ बनाम भारतीय सप ए घाई धार १६६८ पटना १०८	८
गुना नाथ बनाम बनारस विनाम ए घाई धार १६५८ जम्मू काश्मीर ६१	११
गुना राम बनाम राजस्थान सरकार ए घाई धार (१६६१) ११ राजस्थान २७१	
गुनाराम नाथिना बनाम सप सरकार, ए घाई धार १६५८ पंजाब ६६	४ ६१ ८० ८
	१०८ १२६

## च

पृष्ठ

चतुस्रुज सहाय बनाम सभापति, राज्य सहकारी बंक ए आई आर १९६५ पटना २२३	१५, १७
चम्पत लाल बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय १८५४	८६
चिहोड वाराद राजा बनाम टावन कोर कोचीन सरकार ए आई आर १९५३	
टावन कोर कोचीन १४०	८१
चिरजी लाल बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १९५७ राजस्थान ५	५६

## छ

छना राम बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५४ राजस्थान १०	७६
--	----

## ज

जगदीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३७	४३
जगदीश दाजोबा बनाम एकाउंटन्ट जनरल ए आई आर १९५८ बम्बई २८३	७६ १२४
जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १०७०	८१
जगदीश मोत्तर बनाम भा तीय सघ ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ४४६	७२
जगन्नाथ मिह बनाम अतिरुटन्ट एक्साइज कमिश्नर ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ७७१	१२८
जग राम बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५५ नागपुर १६०	१२ १६ ८४
जतीन्द्र बनाम आर गुप्ता (१९५३) ५८ सी डबल्यू एन १२८	५१
जतीन्द्र नाथ विश्वास बनाम अधीक्षक ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३८३	५२, १०८
जतीन्द्र मोहन बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६२ असम ३४	१०५
जतीन्द्र मोहन शाह बनाम सचालक स्वास्थ्य सेवार्थ ए आई आर १९६३ कलकत्ता ६३८	७३
जनरल मैनेजर बनाम रगाचारी ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ३६	५१, ११६
जमना बुशी बनाम गजम जिलाधीश ए आई आर १९५६ उड़ीसा १५०	६१
जयन्ति प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५१ इलाहाबाद ७६३	७४
जयराज बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ५८५	६३
जयवन्त राव बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९६३ राजस्थान २०३	३६
जामिनी बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५	२२
जा धण्याराव बनाम उपमहा निरीक्षक पुलिस, ए आई आर १९५८ मा द्र प्रदेश २६६	१०८
जी एम कादरी बनाम राज्य सचिव, ए आई आर १९५६ जम्मू श्रीर कश्मीर २६	१८ १८
जीतेन्द्र बनाम आर. गुप्ता ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३८३	५३
जा पी श्रोत्र बनाम बम्बई सरकार ए आई आर १९५७ बम्बई १७०	७८
जुगल किशोर गुप्ता बनाम प जाध सरकार, ए आई आर १९६४ पंजाब ५२८	५०
ज एल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६२ इलाहाबाद ४७१	७०
जम्म एडविन थादसाह बनाम आसाम सरकार, ए आई आर १९६१ असम ७४	५०
ज बी पुष्पोनेम बनाम जनरल मनजर ए आई आर १९६३ मद्रास ३५	४०

जमशुर्की बन्नाम कानून ए आई धार १९५६ उपागा १७०	१४
जमिनी बान्ना दास बन्नाम भारतीय सघ ए आई धार १९५५ कानूनता ४३	११८
जमुदीन बन्नाम ट्रावन कार बाचीन राज्य ए आई धार १९५६ ट्रावन कार बाचीन २०	६०
जाति बन्नाम उर प्रायुक्त ए आई धार १९६० धर्म २८	१८१
जानक जान बन्नाम ट्रावन कार बोचीन सरकार ए आई धार १८५५	
सर्वोच्च पाठानय १६०	६३१ ६
जातक जान बन्नाम ट्रावन कार बोचीन सरकार ए आई धार १९६३	
ट्रावन कार बोचीन १०	६८
जानक जान बन्नाम ट्रावन कार बाचीन राज्य ए आई धार १९६५ ट्रावन कार १३०	८
जायक मुहास बन म व्यवस्थापक सेन्ट दामम कवित्र ए आई धार १९५४	
ट्रावन कार बोचीन १६८	१
जोती प्रमाण बन्नाम पालिस अधिगत ए आई धार १८५८ पत्राव ३०७	८५ ८६
जानी प्रमाण बन्नाम पुलिस अधिगत ए आई धार १९१० पत्राव १०२	३६ ५५७
यातिमयो गमा बन्नाम भारतीय सघ, ए आई धार १८६० कानूनता ३६८	७०

४

ग एम कुर्मीनाथ बन्नाम मयूर सरकार, ए आई धार १६ मयूर १०६	५१
ग एम रामचन्द्र राव बन्नाम भारतीय सरकार ए आई धार १८५३ इन्हावा २०१ ८५ १०८	८५ १०८
ग मुनी स्वामी बन म मयूर सरकार, ए आई धार १९६४ मयूर २५०	२५

६

ग ईश्वर नारायण मिहल बन्नाम भारतीय सघ, ए आई धार १९५७ इन्हावा ४ ६	१७
डा काशीराम धानन् बन्नाम उत्तर प्रन्थ सरकार, ए आई धार १९५६ इन्हावा ३०	७०
ग जो ईहा बन्नाम आंध्र सरकार ए आई धार १८५८ आंध्र प्रन्थ ५	२६
ग परमानन् बन्नाम त्रिना बो ए आई धार १८६० पत्राव ४५०	७३
डा मुक्ता लाल बन्नाम गिमला नगर पालिसा, ए आई धार १८५० पत्राव ८८	१
डा भवन बन्नाम मचाक हर्जिन मुघार, ए आई धार १८५७ इन्हावा ६०८	७६
डा रामचरण प्रमाण बन्नाम विध्य प्रन्थ सरकार ए आई धार १८५२ विध्य प्रन्थ २१	११८
निबिजल अधीगत बन्नाम राम सरन रास ए आई धार १९६१ इन्हावा ३३६	७५
निबिजल मुपरिन्डट बन्नाम ताल ए आई धार १९५८ पत्राव १०	३०
निबिजल मुपरिन्डट बन्नाम मुक्ता लाल ए आई धार १८५७ पत्राव १०	८०
निबिजल बीमिल अमरावती बन्नाम विट्टन विनायक वाप ए आई धार १८६१ नागपुर १२५	२०
ग ए गोरगावकर बन्नाम बम्बई राज्य ए आई धार १८५८ बम्बई १६६	७८
डा एन धर बन्नाम जम्मु कदमार राज्य, ए आई धार १९६६ जम्मु एव कदमार ८०	६०

		१८४
डी एन गंगा वनाम जम्मू कश्मीर सरकार, ए आई आर १९५४ जम्मू कश्मीर १४		३३
डी पी रघुनाथ वनाम कुग सरकार ए आई आर १८५७ मसूर ८		१०८
डी पी रघुनाथ वनाम कुग राज्य ए आई आर १९५७ मसूर ८		७६
हूगर सिंह वनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५५ नागपुर १०७		७०

त

तबीबुद्दीन एहमद वनाम असम सरकार, ए आई आर १९५८ असम १८१		७५
तारा सिंह वनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६० बम्बई १०१		११

थ

थिम्मा रेडी वनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ आन्ध्र प्रदेश ३५		३१
थागम सिंह वनाम भारतीय गणतन्त्र नई दिल्ली, ए आई आर १८६२ मनी ५२ १७ २१, १२९, ७३		

द

दंडापानी गोडा वनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५३ उड़ीसा ३२६		३३, ३४, ३५
दम्बरधर दास वनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९६० उड़ीसा ६२		७८
दनोपसिंह वनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय १३०५		६१ ६८
दनन सिंह वनाम सचिव कोषापरिचय मूनिशन लि ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४३		१५
दान सिंह वनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६४ पंजाब ३५४		७२
दयानिधि रथ वनाम बी एस महान्त ए आई आर १९५५ उड़ीसा ३३		१०८
दामोदर मोहनती उड़ीसा सरकार ए आई आर १८५७ उड़ीसा ७४		१०८
दास मल वनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६५, पंजाब ४२		१५
दास वनाम डिबिजनल सुप्रेटेंडेंट, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५३८		१२२
द्वारका चन्द वनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८		

राजस्थान ३८

११३ ११४, ११५ १४३, १४५

दामोदर सिन्हा वनाम भूमि सुधार प्रायुधन, ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ४३७		२५
दामोदर वती वारपाण्डेण ए आई आर १९५३ कलकत्ता ५८१		१६
दियाल सिंह वनाम गुरुद्वारा श्री अकाली तल्ल, १९२८ लाहौर ३२५		७
दिल बाग वनाम डिबिजनल सुप्रेटेंडेंट, ए आई आर १९५६ पंजाब ४०१		१००
दीन बन्धु वनाम जदुमनी ए आई आर (१९५४) सर्वोच्च न्यायालय ४११		१३१
दीन बन्धु राठ वनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९६० उड़ीसा २७		८२
दुगाचरण दास वनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९६४ उड़ीसा ६५		५९
दुर्गासिंह वनाम पंजाब सरकार ए आई आर १८५८ मनिपुर ३५		८०
दुर्गासिंह वनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५७ पंजाब ८७		७८ १२२
देव दामन वनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर १९५४ राजस्थान ४९१		१०१
देवान्त देव वनाम सन्तल आई ई सप्टारि व ए आई आर १९४१ नागपुर २४४		३२

शेखर प्रसाद तारायण बनाम नार प्रसाद सरकार ए आई धार १९६२ सर्वोच्च न्यायालय	११३
१३३४	७४
नारायण बनाम भारत हासिलियन ए आई धार १९५२ पञ्जाब २०५	१६२
श्रीरत सिंह बनाम राजस्थान सरकार आई ए धार १९५८ राजस्थान ९५३	

घ

धनं धारी ए बनाम भारतीय सभ ए आई धार १८५८ कन्नडा ५६	५७
धनजीवन बनाम भारतम सभ, ए ए आई धार १८६५ पञ्जाब १५३	११३
भारती मोहन बनाम भारत सरकार, ए आई धार १८६३ मद्रास १८३	१४३

न

नगमोहन दास जगजीवन नाम मोनी बनाम गुजरात सरकार	
ए आई धार १९६१ गुजरात १९७	७९ १३४ १७७
नगेन्द्र कुमार रोय बनाम वमानर सरकार, ए आई धार १९५५ कन्नडा ५६	१५ ८९
नवाई राम बनाम भारतीय सभ ए आई धार १९५२ पञ्जाब १७७	८९
नरेश बनाम पश्चिमा बंगाल सरकार ए आई धार १८६२ कन्नडा ४८१	१२३
नवल सिंगार ए बनाम राजस्थान सरकार, ए आई धार १९६७ राजस्थान ८०	९०
नरेश नाथ बागचो बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार या मुख्य सचिव, ए आई धार १९६१	
कन्नडा १	१५,४१ ११०
नाथूनाथ बनाम सरकार ए आई धार १९५८ राजस्थान १५३	११०
ना आई राय बनाम भारतीय सभ ए आई धार पञ्जाब ३७	६८
नारायण प्रसाद रेवाना बनाम उत्तरा राय, ए आई धार १८५७ उत्तरा राज्य ५१	४० ५३
नारायण सिंह बनाम आई पी वृत्त, ए आई धार १९५८ बिम्ब प्रसा ५०	९२
नित्तमविन्दर सिंह बनाम पपु राज्य, ए आई धार १९५६ पपु ६५	६२
नित्या रजन बोहोर बनाम सरकार ए आई धार १९६४ उत्तरा ७८	९३
निम्मा गड्डा लक्ष्मी नारायण बनाम पी डब्ल्यू डी सचिव माध प्रसा ए आई धार १९६१	
आंध्र प्रसा २८९	९२
निरजन प्रसाद बनाम सरकार ए आई धार १९५६ सीराट्ट १४	८८
नित्तमनि सिंह बनाम भारतीय सभ ए आई धार १९६४ मनापुर १८	३४
नगर बनाम राजस्थान सरकार, ए आई धार १८५७ राजस्थान १४६	१२,३०
नाथम लोन्वी सिंह बनाम मणिपुर राज्य, ए आई धार १८५८ मणिपुर ३५	५२ ७८, ११९

प

पनिन पावन बाम बनाम कन्नडा सरकार या आयुक्त	
ए आई धार १८५७ कन्नडा ७२०	१५,२२,७३

दम वान मोती लान बनाम अहमदाबाद म्युनिसिपल बोरा ए आई आर.		
१९४३ बम्बई ९		३२
दमनाभाचाय बनाम मसूर राज्य, ए आई आर १९६२ मसूर ५१०	---	६२
रमात्मा धररा बनाम मुख्य 'यायाधोश राजस्थान उच्च न्यायालय		
१९६३ आर एल डब्ल्यू २४६		५०, ११९
परमेश्वर दयान बनाम सरकार, ए आई आर १९६३ राजस्थान १२६		१०
पदिचम बगाल बनाम रजतनाति सारोधिबारी, ए आई आर १९६५ कलकत्ता १६९		९४
प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२		
		३३ ४१ १३४ १३७
प्रधान कुमार बनाम चीफ जस्टिस, ए आई आर १९५६ सुप्रीम कोर्ट २८५		१९
प्रफुल्ल कुमार सैन बनाम कमाण्डर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर		
१९६३ कलकत्ता ११६	-	१४, १५
प्रफुल्ल कुमार बनाम मुख्य 'यायाधोश कलकत्ता, ए आई आर		
१९५४ सर्वोच्च न्यायालय २ ५		९५
प्रबोध चन्द्र बनाम अधिशापी अनियन्ता, ए आई आर १९५६ कलकत्ता ४४७		३९
प्रसन्नी बनाम वकम मैनजर, ए आई आर. १९५७ कलकत्ता ४		९२
पृथ्वी नाथ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५९ इलाहाबाद १६८	---	६४
प्रिया गुप्ता बनाम जनरल मनेजर, ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ६४३		२१, ७८
पी ए अहमद भा बनाम टाउन कोर कोचीन राज्य ए आई आर १९५८ टी सी ३५ ७५, १२९		
पी एन सरकार बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९६० पटना ३६६		१४
पी केशव राव बनाम निर्देशक डक एव तार, ए आई आर १९५८ आ ३ प्रदेश ६९७		६२
पी बाला कौंग बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२		२१, ७१
प्रीतम सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६८ पंजाब १८८		६५
पी सा कन्हार कृष्णन नम्बियर बनाम केरल सरकार, ए आई आर १९५६ केरल ८४		५७
पी सी भाषवन बन म टाउन कोर कोचीन राज्य १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २३६		५०, ५९ ११८
पी सी बाघवा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ४२३		५३
पुनितलाल गार्ह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५७ पटना ३५७		९१, १०८
पुरुषोत्तम साल धागरा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५८		
सर्वोच्च न्यायालय ३६		२०८, १३, ५४ ५५ ५७, ६१, ६९, १४९
पुनित बिहारी बनाम अधीक्षक ए आई आर १९५३ कलकत्ता १३		३५
पुनमराज बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९५९ राजस्थान ६५४		१२८, १४२
प्रीम बिहारी बनाम सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ८६		३५
पंडित गांधी नाथ बनाम जम्मू कश्मीर सरकार ए आई आर १९५८ जम्मू कश्मीर ११		१३६
पंजाब सरकार बनाम आकार नाथ जोशी ए आई आर १९६० पंजाब ८		११०
पंजाब सरकार बनाम करम चन्, ए आई आर १९५९ पंजाब ८०२		८४
पंजाब सरकार बनाम जुनीलान, ए आई आर १९६३ पंजाब ५०२		८८
पंजाब प्रान्त बनाम तारा चन्द, ए आई आर १९५७ केरल का २		६, १२२

	८७
पञ्जाब सरकार बनाम प्रेम प्रसाद, ए आर् आर. १९१७ पन्ना २१९	१३
पञ्जाब सरकार बनाम राम प्रसाद, ए आर् आर. १९६३ पन्ना २७५	६६
पञ्जाब राज्य बनाम मुन्वज सिंह, ए आर् आर. १९१७ पन्ना १९१	१०
पञ्जाब सरकार बनाम साधी मुख देव सिंह, ए आर् आर. १९६१ सर्वोच्च न्यायालय ४८१	८१
प्याग सिंह बनाम पञ्जाब सरकार ए आर् आर. १९१५ पन्ना ५	८१/८१

फ

फकीर चन्द्र बनाम एस चन्द्रवर्ती ए आर् आर. १९५८ कसकता ५६६	१७, २१, २२ ७
--	--------------

ब

बच्चर सिंह बनाम पञ्जाब सरकार, ए आर् आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय २६५	१८७
बदा प्रताप गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार, आर् एन आर. १९१८ राजस्थान १२४	१८
बन्नी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आर् आर. १९५७ न्यायालय १०६	६०
बनमानी बनाम जिना बाण, ए आर् आर. १९५६ इनाहा बाण ८१०	१७
बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आर् आर. १९१४ इनाहा बाण ८१०	७८
बम्बई प्रान्त बनाम मुन्वज सिंह आर् आर. १९१० सर्वोच्च न्यायालय २२२	६४
बम्बई राज्य बनाम डा एम टी अन्वानी, ए आर् आर. १९६३ बम्बई १३	१७ ७६ १०७
बम्बई सरकार बनाम अमर सिंह ए आर् आर. १९६३ गुजरात ८८	८०
बम्बई सरकार बनाम एम ए अन्वानी, ए आर् आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ७८४	५८
बम्बई सरकार बनाम गजानन ५६ बम्बई एन आर. १७०	१०९
बम्बई सरकार बनाम डा गिरधारी लाल ६० बम्बई एन आर. ११ ७	७६
बम्बई सरकार बनाम सोनाम चन्द्र दासा ए आर् आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८६०	६१, ६४, ६९
बख्त राम बनाम महा निरिक्षक आरक्षी ए आर् आर. १९५५ त्रिच्य प्रान्त ६७	६७
बख्त सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आर् आर. १९५६ नागपुर ८८	७१
बख्त प्रसाद बनाम अन्वानी, ए आर् आर. १९५८ इनाहा बाण ७३८	१६
बख्त पौण्ड्र बनाम सरकार, ६१ बम्बई, एन आर. ४८६	१०६
बख्त रघुनाथ गान्धर्व बनाम मंगराज सरकार, ए आर् आर. १९५७ बम्बई १३०	८१
बख्त सिंह सरकार बनाम बम्बई सरकार, ए आर् आर. १९१९ बम्बई ८६३	१०८
बम्बई बनाम विवाहन अन्वानी उत्तर प्रदेश, ए आर् आर. १९१३ पन्ना १०६	८७
बाबू राम बनाम विधायक राजक व अन्वानी ए आर् आर. १९६० मध्य प्रदेश २१६	५७ ११८
बाबू राम बनाम मध्य भारत सरकार ए आर् आर. १९५७ मध्य भारत १३०	६९
बाबा कर्मा बनाम भारत के मध्य (१९५८) एम सा आर. १०१७	१०७
बाबू राम प्रसाद बनाम एन एन बन्नी इन्डिया ए आर् आर. १९५८ पन्ना ११८	१४
बाबू राम उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आर् आर. १९१८ इनाहा बाण ५८६	१०८

	०४
विभूति भूपरदास बनाम डिविजनल सूप्रीट-डेण्ट, ए आई आर १८६४ उदीमा २७८	६८
बिहार राज्य बनाम अट्टन मजीद ए आई आर १९५० पटना १७	२४, २
बिहार सरकार बनाम अट्टन मजीद ए आई आर. १८५४ सर्वोच्च न्यायालय २४५	२५, १२७
बिहार सरकार बनाम अट्टन मजीद, (१८५४) एस सी आर ७=६	४, १२६
बिहार सरकार बनाम गोपी विगोर प्रसाद, ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६८३	२४ ७०
वा एन सुरेन्द्र बनाम जी ए अजबानो, ए आई आर १९५६ मद्रास ६५	४२
बी एम श्री वास्तव बनाम कनेक्टर ए आई आर १८६१ इलाहाबाद २६४	११
बी एस बेदी बनाम पपमू सरकार, ए आई आर १९५३ पपमू १९६	१२८
बी ओन बनयान बनाम आर्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६३ इलाहाबाद ५५४	१२५
बी सां तियारी बनाम मध्य प्रन्ग सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २१६	५०, ११६
बुधदास बनाम पञ्जाब सरकार, ए आई आर १९५५ पञ्जाब ३५२	६०
बुधमिह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ६०७	८५
बुनाल रज्जुन आन्वित्य बनाम, आर के बोस ए आई आर १८५८ कावत्ता ३५६	१०
बृज गणपाल बनाम पुलिस आयुक्ता, ए आई आर १८५५ कलकत्ता ५५६	१४, २०
बृज नन्दन बनाम बिहार सरकार ए आई आर. १९५५ पटना ३५३	७१ ७६
बेदी बनाम पपमू सरकार, ए आई आर. १९६३ पपमू १९६	१६
बोस्ली मूषा बनाम सरकार, ए आई आर. १९६० करल २८४	११३

म

भगत मिह बनाम पञ्जाब सरकार, ए आई आर १८६० सर्वोच्च न्यायालय १२१०	११५
भगवत स्वरूप बनाम रामगोपाल ए आई आर. (१८६१) इलाहाबाद ३७६	१३१
भगवान दास बनाम सीनियर सुप्रीटे-डेण्ट, ए आई आर १९५६ पटना २३	१२६
भगवान सहाय बनाम सय्यद नाबनी, ए आई आर १८५६ पटना २५७	१५
भगवान सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६२ पञ्जाब ५०३	१८
भवानी के सहकारी बक लि बनाम वेंगटापथी नामडू (१९५५) १ एम एल जे २६३	३२
भारतीय सघ बनाम पाडूग हाजीनाथ मोर, ए आई आर १९६२	
सर्वोच्च न्यायालय ६३०	०१, ४०
भारत बप वा उच्च आयुक्त बनाम आई एम सात, ए आई आर १९४८ प्रीवी कांसिड १२१ ०१	१२१ ०१
भारतीय सघ बनाम अक्बर, ए आई आर. १९६१ मद्रास ४८६	१२०
भारतीय सघ बनाम बुनानन्द मिह, ए आई आर १८६० त्रिपुरा २०	८०, ८८ ८९
भारतीय सघ बनाम बन्गी भमरीक सिंह ए आई आर १९६३ पञ्जाब १०४	६४
भारतीय सघ बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १८६८ सर्वोच्च न्यायालय ३९६	८५
भारतीय सघ बनाम मनिव मोहम्मद इल्मवास, ए आई आर १९६४ पटना १६८	८०
भानु प्रसाद बनाम सरकार, ए आई आर १८५६ सोराण्ड १४	७८ ८०, ८८, १११
भारत नय बनाम धायरर आयुक्त, ए आई आर १९५८ कलकत्ता ५७६	५३
भूमदेवर प्रसाद बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५० पटना ३२६	३२६



	पृष्ठ
भूगोराम वनाम पुनिस प्रधाक्षक ए आइ धार. १९१८ अक्षम १८	१२२,१८६
भू प्रमाइ वनाम राजस्थान सरकार आ एल धार १९६० राजस्थान ६५०	४० ६६
भाम्बर प्रमाइ वनाम बिहार सरकार ए आइ धार १८५७ पटना ३२६	२१

म

मकरना सम्माया वनाम मकरना निरूपनया ए आइ धार १९५२ मद्रास ८६५	१०८
मज्जर हवन वनाम उत्तर प्रन्थ सरकार, ए आइ धार १९६१ कनाहावा ०१६	१०
मन् गौपाव वनाम पञ्जाब सरकार ए आइ धार १८६० सर्वोच्च वायालय ५२१	२५,७२
मन् ताल बावना वनाम प्रिमापन गणराज्य सरकार क्वाना जिन् इन्स्ट्रुट ए आइ धार १८६० कनाहावा १०६९	३० ८०
मन् मिह वनाम भारतीय सरकार आ एल धार १८६१ राजस्थान ६३	८१
मद्रास सरकार वनाम गोपाव अय्यर ए आइ धार १८६० मद्रास १६	६५ ११६
मध्य प्रन्थ सरकार वनाम अमृत लान ए आइ धार १८५३ उनीसा ०२६	६६
मध्य प्रन्थ सरकार वनाम चिन्तामन वगम्पायन, ए आइ धार. १८६१ सर्वोच्च वायालय १६	८०
मध्य प्रन्थ सरकार वनाम कारन मिह ए आइ धार १८१८ मध्य प्रन्थ ३०५	१११
मन् प्रन्थ सरकार वनाम लाटना सरल मिहा, ए आइ धार १८१८ मन् प्रन्थ ०२८	६८
मन् पुर राय वनाम मारग थम एल विह ए आइ धार १८१७ मनिपुर ७	८०,८१९
मन् मन् वनाम मसूर सरकार, ए आइ धार १८६० मसूर ११६	५१
मन् प्रमाइ वनाम उत्तर प्रन्थ सरकार, ए आइ धार १८५१ सर्वोच्च वाय लय ७०	१०
मन् बरो प्रमाइ वनाम राजनव ए ओ ए आइ धार १८१७ पटना १५५	७०
मन् प्रन्थ विवारा वनाम बिष्ट पुनिस प्रयोगर, ए आइ धार १८६१ कनाहावा १२०	१०८
मन् द्र राय चक्रवर्ती वनाम भारत मयाय क्षेत्र त्रिपुरा, ए आइ धार १८१८ त्रिपुरा ०१	१९
मन् वर नाथ वनाम बिहार सरकार ए आइ धार १८६० पटना ०७६	१८२
माधव नगम वनाम मसूर राय ए आइ धार १८६० सर्वोच्च वायालय ८	५१
मार मुग्गा एनी वनाम आ जा पुनिस ए आइ धार १८६० मन् प्रन्थ ११७	६०
मार चक्रवर्ती वनाम तारु मवा वायालय ए आइ धार. १८१८ वनकला ६१	१११
मुग्गा वनाम म्को ए आइ धार १८५५ वनकला ६११	७८
मुग्गा चक्रवर्ती वनाम जिना मारमन् द्र शेर वनकर ए आइ धार १८९१ वनकला २२५	७८
मुग्गा वनाम मद्रास राय ए आइ धार १९६८ मद्रास ५१८	६
मुग्गा राय वनाम मन् प्राग सरकार, ए आइ धार १८५४ मध्य मारग १६	६५ ६९
मपगाज वनाम राजस्थान सरकार आ एल धार १८११ राजस्थान ८८३ ए आइ धार १८५६ राजस्थान २६	७६ ८१
मन् राम वनाम उत्तर प्रन्थ सरकार ए आइ धार १८५१ कनाहावा १८३	११०
मसूर राय वनाम एल एव बनारो, ए आइ धार. १८६५ सर्वोच्च वायालय ८६८	५० ११८

	पृष्ठ
ममूर राज्य बनाम के मये गौडा, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय १०६	१०३
मैनन बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ११६०	१०३ १२४
मोतीराम बनाम उत्तर पूर्वीम सीमान्त रेलवे, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ६००	२३ २४, ६७
मोहन बनाम पपसू ए आई आर १९५४, पेपसू १३६	१४, २३
मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार १९६५ आर एल डब्ल्यू ३८८	४९ ५०
मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर (१९६१) ११ राजस्थान ७८३	१४२, १५२
मोहन लाल गर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार १९५७ मध्य प्रदेश १३३	७३
मोहन सिंह बनाम डिविजनल पर सानेल आफिमर ए आई आर १८५९ पंजाब ३७	६८
मोहम्मद आजम बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर १९५८ आंध्र प्रदेश ६१९	३३ ४०
माइनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ४८४	४८ ११, ६२
मोहम्मद एहमद विदवई बनाम सभापति, इम्प्रुव गेट टस्ट, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद २५३	१५
मोहम्मद गाऊस बनाम आंध्रप्रदेश सरकार, ए आर आर १९५५ आंध्रप्रदेश ६५	१३, ६३, ११०
माहम्म गऊस बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५९ आंध्रप्रदेश ४९७	६३
मोहम्मद घोस बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६	३४ ३५
मोहम्मद मतीन विदवई बनाम गवर्नर जनरल इन कौंसिल ए आई आर १९५३ इलाहाबाद १७	११
मोहम्मद शरीफ खा बनाम भोतार सिंह, ए आई आर १९५७ इलाहाबाद २१७	८९
मोहम्मद हैजर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० आंध्र प्रदेश ४७९	६८
मोहि उछीन बनाम डिविजनल एम ई ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ७९५	६८
माहिनी मोहन बनाम त्रिपुरा सरकार, ए आई आर. १८५८ त्रिपुरा २	५७
माहिंद्र सिंह बनाम सरकार, ए आई आर १८५५ पेपसू १०६	५३, १३६
मगल खन बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५२, पंजाब ५८	१५
मगल सिंह बनाम सरकार, ए आई आर. १८५६ मध्य भारत २५७	११

य

यू आर भट्ट बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १३४४	७९
--	----

र

रणवीर सिंह बनाम अधीक्षक स्माल ग्रामस फक्ट्री, ए आई आर १८५७ इलाहाबाद २७४	८७
रणजीत कुमार चक्रवर्ती बनाम बंगाल सरकार ए आई आर १८५८ कलकत्ता ५५१	१७
रणजीत घोष बनाम दामादर घाटी निगम, ए आई आर. १९६० बनकत्ता १८८	७३
रघुवंश अहोेर बनाम बिहार सरकार ए आई आर १८५७ पटना १००	६२
रघुनाथ सिंह बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १८५९ मध्य प्रदेश ४३	८
रविन्द्र मोहन बनाम त्रिपुरा क्षत्र, ए आई आर. १८६१ त्रिपुरा १	८८, १४३

	१८४
स्वाध्याय माहान वनाम भाग्यनीय सध शैत्र, ए आई आर १८६१ त्रिपुरा १	६०
रविन्द्र वनाम व्यवसायक ई रलवे (१८५५) ५८ ना टप्लू एन ८५६	५४
राधा कान पटनायक वनाम उनामा सरकार ए आई आर १९६२ उनामा १०५	११५
राजकिशोर प्रनाम उमर प्रत्या सरकार ए आई आर १८५८ उनामा २४३	६२,६०
राजस्थान सरकार प्रनाम मन्त्र स्वल्प, ए आई आर १८६० राजस्थान १३८	१६
राजाराम वनाम मन्त्र, ए आई आर १९१६ मध्य प्रत्या १८	७८,६६
राजाराम वनाम मन्त्र ए आई आर १९५८ इनाहावाद १८१	७०
राजद्र शत्रु वनजी प्रनाम भारतीय मन्त्र ए आई आर १८६३ सर्वोच्च यामानय १५५२	२०,३०
राम आचार मित्र वनाम विहार सरकार ए आई आर १९५४ पटना १८७	६१,९५
रामचन्द्र वनाम आर आ वमा, ए आई आर १८५८ उनामा ५००	१११
रामचन्द्र गायन राव प्रनाम उर आई जो पुत्रिम, ए आई आर १८५७ मध्य प्रत्या १८	१०,८१
रामचन्द्र माण्डवरा प्रनाम मोपान राय ए आई आर १८५४ भाषान १०५	१०६
रामानन्द वनाम विविजनल मन्त्रे निरन इजिनियर, आट एन आई १८९० राजस्थान ३००	८३
राम बराज मिह प्रनाम मित्र मन्त्र, ए आई आर १८५८ पटना २०६	१०८
राम बालू राठौ वनाम विविजनल मन्त्र जीवन बोमा निराम ए आई आर १८६१ उनामा १००	१६
रामनाथ गमा प्रनाम मध्य प्रत्या सरकार ए आई आर १८५८ मध्य प्रत्या २१८	११
रामरतन वनाम मन्त्र प्रत्या मन्त्र ए आई आर १८९८ मध्य प्रत्या ११४	१०
रामराव वनाम एकाउण्ट जनरल ए आई आर १८९० बम्ब १२१	८०
रामरान वनाम भारतीय मन्त्र, ए आई आर १८९० राजस्थान ५७	६८,९१,१०८
रामवन्तार पात्रे वनाम मन्त्र प्रत्या मन्त्र ए आई आर १८६० इनाहावाद ३०८	९५
राम स्वल्प गमा वनाम विविजनल कर्मणियल सुप्रान्ट, ए आई आर १८६८ मध्य प्रत्या ११५	१११
रामचर राव वनाम उनामा सरकार ए आई आर १८५७ उनामा ६८	१७
रामचर मिह वनाम भाग्यनीय सध ए आई आर १८९० मन्त्र प्रत्या ३७	८१
रामाराम वनाम विविजनल सुपरान्टण्ड एन डेप्यु मन्त्र ए आई आर १८५५ पजाव २८८	८
राम नारायण मित्र वनाम उनामा सरकार ए आई आर १८१८ उनामा १६७	१८
राम मिह रावनि प्रनाम मन्त्राव पत्रायत एव समात्र मन्त्र ए आई आर १८६० मन्त्र प्रत्या १५,१०३ १८	१८
राम नाथ मित्रा वनाम मन्त्रावति जिना बा ए आई आर १८१३ पटना ३०३	११
राचार्य वनाम जनरल मन्त्र, ए आई आर १८९१ मन्त्र ३१	५१,११८
रामचारी वनाम मन्त्र टया आरु मन्त्र ए आई आर १८९३ प्रिया वीमिन २७	६१९

ल

लटोराम वनाम जम्मू व काशी सरकार, ए आई आर १८१३ जम्मू व काशी, १	१०३
लामण वनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १८१८ मन्त्र प्रत्या १३५	८८

लक्ष्मण सिंह बनाम भाई जो ती ए भाई भार १९५६ पपनू १६	
लक्ष्मी एव अन्य बनाम राज्यपाल का सनिय सचिव ए भाई भार	
१९५६ पटना ३९८	१४,१६,२०
लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनाम ए पुरो ए भाई भार १९५८ कनकता ५	१०८
लक्ष्मी नारायण सांगी बनाम उड़ीसा सरकार, ए भाई भार १९६३ उड़ीसा ८	९
लेख राम गर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए भाई भार १९५६ मध्य प्रदेश ४०८	४०
लसाराम ताम्बी सिंह बनाम लसाराम गोपाल सिंह ए भाई भार १९६३ मनोपुर २८	६११२
लौमल बनाम पुनिस प्रयोदाक, ए भाई भार १९६७ राजस्थान ४१४	२०,४७,५१ १५०

च

बामन बनाम सरकार ए भाई भार १९५३ नागपुर ६६	८० १११
बामन बरपे बनाम सरकार, ए भाई भार १९५६ मध्य प्रदेश ३००	१०५
बाल बक बनाम फिलिडिंग (१९०२) २ के बी ६६	३०
बाला काटिहा बनाम भारतीय सघ ए भाई भार १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२	१२३
बिचौराम बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए भाई भार. १९५२ नागपुर २८८	५६
बिजाय चन्द्र चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए भाई भार १९५९ एन ६८८	८४
बिनी चन्द्र बनाम भारतीय सघ ए भाई भार १९६० पंजाब १४७	८८
बिपत प्रसाद सोनेकर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए भाई भार १९५६ इलाहाबाद ५३६	५५
बिमल कुमार बनाम असम सरकार ए भाई भार १९६२ असम ८८	१०७
बिरद सिंह वर्मा बनाम अतिरिक्त कृषि सचालक ए भाई भार १९६० इलाहाबाद ६६७	२०
बिगम्बर नाथ नेहरू बनाम एव एव जम्मू धीर कश्मीर ए भाई भार १९५८	
जम्मू कश्मीर ६	१५
बिद्व नारायण चौस बनाम सचिव राम कृष्ण मिशन ए भाई भार १९५८ पटना ६४	१६
बिन्नाय सिंह बनाम टैफि प्रयोदाक, ए भाई भार १९५६ पटना २०१	७५
बिन्नाबर बनाम चयर मैन एस टी ए भाई भार १९५५ नागपुर १६३	७०
बी एकाम्बरम पोनु राघम बनाम जनरल मैनजर ए भाई भार १९६२ मैसूर ८४	११५
बी एम डालीकर बनाम मुख्य अधिवापो अधिकारी ए भाई भार १९६० बम्बई २७४	४०
बी एस मैनन बनाम भारतीय सघ ए भाई भार १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ११६०	६८
बी रानाई बनाम स्ट बक ऑफ इण्डिया, ए भाई भार १९६५ मद्रास ३३५	१४
बैट राव बनाम मद्रास स्टेट ए भाई भार १९३७ प्रिवी काउंसिल ३१	८१२६
बैकटराम बनाम मद्रास प्रान्त ए भाई भार १९६६ मद्रास ३७४	१२०
बैकटरवर राव बनाम मद्रास राज्य ए भाई भार १९५४ मद्रास १०८१	१४६
बैकटरवरलू बनाम मद्रास सरकार ए भाई भार १९५४ मद्रास ५८७	५०

श

श्रीगणेश गुप्ता बनाम प बंगाल सरकार, ए भाई भार १९६० कल २७८	६
शफीक एहमद बनाम राजस्थान का बरिष्ठ अधीक्षक ए भाई भार १९५६ इलाहाबाद ४७४	८,२८



# राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)

## नियम, १९५८

[ प्रथम बार प्रकाशित हुआ राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग ४-सी दिनांक ७ मई १९५९ ]

### नियुक्ति 'डी' विभाग

#### अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर ११, १९५८

अन्नाक एफ १८ (२) नियुक्ति (ए) ५६—भारतीय सचिवालय के अनुच्छेद ३०९ के प्रति-घात्मक वाक्य खड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के असैनिक सेवाओं के सदस्यों के वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं उनके द्वारा की जानेवाली अपीलों के नियमों के लिये निम्न लिखित नियम बनाते हैं

## भाग १

### सामान्य

१ सक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ — (क) ये नियम राजस्थान असैनिक सेवाएं ( वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील ) नियम, १९५८ कहलायेंगे ।

(ख) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे ।

### टिप्पणी

#### प्रस्तावना तथा शीर्षक

साधारणतया राज्यपाल द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है जिसमें उसके उद्देश्य को व्यक्त करते हुए परिचय कराने वाले शब्द एवं संबंधित अधिनियम के उन प्रावधानों का उल्लेख होता है जो राज्यपाल को ऐसे नियम बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं । इन नियमों की प्रस्तावना के अन्तर्भवस्था करते हैं कि राज्यपाल ने ये नियम सचिवालय के अनुच्छेद ३०९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये हैं । सचिवालय के अनुच्छेद ३०९ के अनुसार लोक सेवाओं के पदा पर भर्ती और राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवा की शर्तों विधान मंडल के अधिनियमों द्वारा नियमित की जा सकती हैं । परन्तु जब तक समुचित विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम द्वारा, प्रावधान नहीं हो जावे तब तक राज्य का राज्यपाल

नियुक्तियों एवं कमचारियों का सेवा का शर्तों नियमित करण व नियम नियम बनान व नियम मद्यम शाने । अभी तत्र राज्य विधानसभा न एसा काय अधिनियम नहा बनाया है अत जब तत्र इस प्रयाजन व विवे विमा अधिनियम द्वारा प्रावधान नहा हो जात तत्र तत्र ये वतमान नियम प्रभावकारी रहेंगे । एमका अधय एन ह्युआ रि अनुच्छेद ३०६ व अन्तगत बनाये गये म नियम जो कायचारिता का विधिवत प्रभावकारी नियम बनान का अधिवार प्रदान करते हैं कवन उम मन्त्रण का त तत्र व नियम है जत्र तत्र विधान सभा म विधय म कानून नया बनात ।

एन नियम का मक्षित शीघ्र प्रथम नियम म लिखा हुआ है यथा- 'एन अध्यापन अधिनियम सभा ( बर्गोसरण नियंत्रण एवं अध्यापन ) नियम । अधिनियम सभा उत कमचारियों व समूह द्वारा गठित हुन ह जा राज्य सरकार की सेवा म हैं । अधिनियम सभा व मन्त्र्य अधिनियम पारण करत ह, और व त नो नो मना स्पव मना तथा वायु मना व मन्त्र्य हान हैं और न ही गजननियम पत्र भा धारण करत है जम मन्त्रामन्त्र की मन्त्र्यता । मन्त्रिघान व अनुच्छेद ३१० व अनुसार प्रथम उक्त जा विमा राज्य नो अधिनियम सभा का मन्त्र्य है या राज्य व अन्तगत वाई अधिनियम पत्रकार है अत एन राज्यपाल का प्रमनता पयन धारण करत । अत्र राज्य प्रशासनिक सेवा ( अत्र ए एम ) या विमी अधय अधिनियम सभा का काय मन्त्र्य राज्यपाल का प्रमनता पयन पत्र धारण करत । परन्तु मन्त्रिघान म एम भी कुट पत्र हैं जिनका जाग रहना राज्य के सुविधा पर निर्भर नया गया है । अत मन्त्रिघान व अन्तगत 'रकर'-वासातया व 'यायायाया' एवं 'नान' मका अध्यापन व अध्यापन मन्त्र्य का मवातान राज्यपाल का प्रमनता पत्र निभर नया है । अधिनियम सभाका व सभ म भा कुट म्पल अध्यापन के विमा प्रमनता का सिद्धांत माननाय नया जाता । विषय मन्त्रिघान व अन्तगत नियुक्त विषय मक्ष व्यक्तियों के मामल मामाय प्रमनता नियम व अध्यापन हैं और एनरायणुता अधिनियम पत्र मवा-भामानि का म्पाम, मवयित व्यक्ति हजान का दावा कर मदनता है तत्र एसा पत्र्यमालि व धारण या विमी भा एन अत्र कारण म हा जा उमके दुराचरण म मरधित नया न । एन अधिनियम अनुच्छेद ३१० का पठन अनुच्छेद ३११ व अधीन नया 'वायि' जा निरागत करता है कि वाई अधिनियम कमचारि विमा एन प्राधिकाश द्वारा पत्रचुन नया लिया जा मदनता जा उमके नियुक्ति अधिवारी व अध्यापन न और वाय वह नियुक्ति प्राधिकाश व अध्यापन विमा अधिवारा द्वारा उपासत लिया जाता है ना एमी पत्रचुनि अधव है । अनुच्छेद ११ का म्प (२) व्यरम्या करत है कि वाई भा व्यक्ति पत्रचुन मवा म प्रथम अधवा पत्रिचुन नहा लिया जा मरतता है जत्र तत्र रि उमके विरुद्ध प्रस्तावित उपासत व विषय म उम उपासत उमान व नियम मधुक्ति अधिनियम नया द लिखा गया है । अनुच्छेद ११ व प्रावधान स्याया एवं अध्यापन एमी प्रकार व कमचारिया पर लागू नया है ।

**नियम से पूर्व का कानून (इतिहास)**

मुननया एन प्रकार म्प म म नियम विधान विमाला म काय कर रहे विभिन्न मरतारी कमचारियों का सेवा का शर्तों का व्यरस्थित करण के अधिनियम स बनाये गये हैं । कानून व एन

१ मोराराम बनाम एन ई प्रथियम रत्र ए भाई धार १८६८ गवर्नर 'यायायय ६००  
 २ उमके परिमि मामान प्रम्य बनाम मुदर नारायण ए भाई धार १९४६ त्रिची कौसित ११२ बिहार सरकार बनाम अध्यापक १९५० पन्ना १०  
 ३ पुष्पानम भाव धागरा बनाम भारतीय सभ ए भाई धार १९५८ गवर्नर 'यायायय ३६

विषय का इतिहास राज्य कमचारियों के विषय में "प्रमनता पयल कायकाल के सिद्धान्त का लागू करने पर केन्द्रित है और इसका धीरे धीरे मबंधानिक अधिनियमों द्वारा विनियम चतुय के काल से प्रारम्भ होकर १९५० तक जब कि भारत का संविधान अपनाया गया समाप्त होता रहा।<sup>१</sup> घाप देखें कि भारत में प्रसन्नता का सिद्धान्त विनियम चतुय के कानून को देय है। सन् १८५८ में जब कि कंपनी का राज्य ब्रिटिश सरकार ने ममाना तब १८५८ के अधिनियम के पदचानिनाक १ नवम्बर १८५८ की महारानी की घोषणा हुई जिस में ये शब्द सम्मिलित थे -

और हम उन सब व्यक्तियों का स्थायी करते हैं जो अभी माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में विभिन्न असनिक और सनिक पदा पर कार्य करते हैं किन्तु वे हमारी भविष्य का प्रसन्नता एवं तेस कानूना एवं नियमों के अधीनस्थ रहेंगे जा इसके बाद जाये जावे।<sup>२</sup> सन् १९१९ तक यहा कानून रहा। भारत सरकार अधिनियम १९१८ की धारा ८६वीं ने अंग्रेजी सामान्य कानून के उस नियम का कानूनी बखता एवं भायता दी कि सरकार के यमचारी सरकार की प्रसन्नता पयल अपने पद ग्रहण करते हैं। धारा ९६ की उपधारा (१) निर्धारित करती है कि उन सेवा में कोई भी व्यक्ति किसी ऐम प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायगा जो उसका नियुक्त करने वाल प्राधिकारी के अधीनस्थ है। उप-धारा (२) ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया इन कौन्सिल का असनिक कमचारियों को सेवाओं के नियमन एवं वर्गीकरण तथा उनकी भर्तियों की रीति और सेवा की शर्तों आदि के नियम बनाने का अधिकार दिया। ये नियम, मौखिक नियम कहनाये और निनाक १ जनवरी १९२२ में प्रभाव में आये।

असनिक सेवाएं ( वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील ) नियम जो सन १९१९ न्मिम्बर १८२० में बन और भारत सरकार के राजपत्र निनाक २१ जून १८३० में पुन प्रकाशित हुए वे सभी प्रकार भारत सरकार अधिनियम १९१९ का धारा ८६ वां के अन्तर्गत बनाये गये थे।<sup>३</sup> इन नियमों के नियम ५५ ने प्रावधान किया कि लाक सेवाएं जाच अधिनियम १८५० के प्रावधानों पर प्रतिबल प्रभाव डाल बिना, सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध पदच्युति पृथकीकरण अथवा पदच्युति का वाइ आना जारी नहा का जायगी ( किसी दंड यायालय या सना-यायालय द्वारा दोषनिद्धि करने वाले तथ्या के आधार पर दो गई आश के अतिरिक्त ) जब तक जिन आधारों पर उसके विरुद्ध कार्यवाहा करना प्रस्तावित है उनकी सूचना उसके लिखित में नहीं दी गई है और उसके अपने प्रतिरक्षा करने के लिये पर्याप्त अवसर नहीं दे दिया गया है। किन्तु प्रिवी कौंसिल ने नियम दिया कि यद्यपि ये नियम विधिवत कानून के प्राधिकार के अन्तर्गत बनाये गये फिर भी किसी कमचारी को अपनी दुःखानुसार पदच्युत करने के सरकार ( फाउन ) के स्वविवेक

१ मोतीराम बनाम उत्तर-पूर्वीय सीमांत रेलवे ए आर् १९६४ एच ६०० में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय में सेवा नियमों के इस इतिहास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट १८३३ की धारा ७४ से माना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट १८५८ का धारा और धारा ३० का अवलोकन किया। न्यायाधीश दास गुप्ता ने भी अपने पथक निर्णय में चार्टर एक्ट १७६३ को उद्गम बताया है और इसी अधिनियम की धाराएं ५ और ६ का निर्दिष्ट किया है।

२ २१ वा एच २२ वा विक्टोरियन प्रकरण १०६।

३ हीरेन्द्र बनाम पार्श्विम बंगाल सरकार ( १९५४ ) ५९ सी टायू एन ४५० द्यामलान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ( १९५५ ) एम सी आर २६



पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा और इन नियमों के अन्तर्गत से पदच्युत कमचारों को किसी विधि-न्यायालय में विनाशपूर्वक पैदा नहीं होता। ऐसे नियमों एवं विनियमों का मामला यह प्रस्तुत हुआ कि नियमों के अन्तर्गत से पदच्युत कमचारों को कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगा और इनके अतिरिक्त म को गई किसी कमचारी को पदच्युति या शिक्काज उम किसी दोषानी अन्तर्गत में अन्तर्गत करने का अधिकार नहीं देना किन्तु प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष वह अपील कर सकेगा।<sup>१</sup> भारत सरकार अधिनियम १९३३ का अन्तर्गत से समय में विषय पर विचार किया गया था। इस अधिनियम की धारा २४० न अन्तर्गत से कमचारियों के विषय में बनाया। उपधारा (१) ने प्रमन्नता के निदान का लोहपत्रा उपधारा (२) ने १९१९ के अधिनियम की धारा ६६ को द्वारा निष्पत्ति परिशोभा का उद्धारण किया और उपधारा ( ) न अन्तर्गत से मवाए ( वर्गोन्नरण नियन्त्रण एव अपील ) नियमों के नियम ५३ द्वारा प्रस्तुत अधिकार का कानूना सरदाए प्रदान किया। कानूनमार् मध 'वायानय ( पन्चन कोट ) का निष्पत्ति हुआ कि यदि इन परिशोभाओं में से किसी का अन्तर्गत से हुआ है तो पीछे अन्तर्गत से कमचारी का सरकार के विरुद्ध उचित समाधान प्राप्त करने के नियम अन्तर्गत से पदच्युति के अन्तर्गत से म चडा हुआ बतन भी सम्मिलित है दावा लाल का अधिकार था।<sup>२</sup> किन्तु प्रिवी काउंसिल ने<sup>३</sup> मध 'वायानय के निष्पत्ति का उन्मत्त हुए फन्ना किया कि धारा २४० की अन्तर्गत से उपधारा के अन्तर्गत से म का ग पदच्युति की दशा में उपचार करी था, अर्थात् यह घोषणा कि पदच्युति की अन्तर्गत से मवाए एव प्रभावहीन थी और वापस दावा दायर करने का कारण का मवा का मन्थ बन्नाए था और सरकार की सेवा के नियम बतन सरकार के अनुग्रह का मामला था म अन्तर्गत से पर न म चडा हुआ बतन न हुआना ही कानून कर अन्तर्गत से था और अतिरिक्त क वा म सरकार हुआन की जिम्मेदार नहीं बनाई जा सकती थी। हमारा मविधान प्रारम्भ हुआ क पन्चन सर्वोच्च न्यायालय ने<sup>४</sup> प्रिवी काउंसिल के फन्ना का उन्मत्त कर लिया और मध 'वायानय ( पन्चन कोट ) के फन्ने का पुन स्थापित कर लिया एव निष्पत्ति किया कि धारा २४० की उपधारा (२) अथवा (३) में से किसी का भी अन्तर्गत से हुआ का दशा में पान्ति अन्तर्गत से कमचारों सरकार के विरुद्ध उचित कानूना सहायता, जिस में पदच्युति के अन्तर्गत से म चडा हुआ बतन की अन्तर्गत से मवाए का सम्मिलित है, पाने का अधिकारी है और यह उपचार केवल घोषणा तक सीमित नहीं है। मन् १९५७ में केन्द्रीय अन्तर्गत से सेवाएं ( वर्गोन्नरण, नियन्त्रण एव अपील ) नियम बनाये गये किन्तु पुरान १९३० के नियम निरस्त कर लिये। पुन सन् १९६५ में नये केन्द्रीय धमनिक् सेवाएं ( वर्गोन्नरण, नियन्त्रण एव अपील ) नियम बनाये गये किन्तु पहले के १९५७ के नियमों का निरस्त कर लिया।

मन् १९५० में राजस्थान बतने के अन्तर्गत से केन्द्रीय अन्तर्गत से सेवाएं ( वर्गोन्नरण, नियन्त्रण एव अपील ) नियमों के अन्तर्गत से राजस्थान अन्तर्गत से सेवाएं ( वर्गोन्नरण, नियन्त्रण

१ रघुचारा बनाम मन्ट टय ऑफ स्टेट ए. आई आर. १९३७ प्रावी काउंसिल २७ बैकट राव बनाम मन्ट टय ऑफ स्टेट ए. आई आर. १९५७ प्रावी काउंसिल ३१

२ पञ्जाब प्रान्त बनाम नारायण ए. आई आर. १९४७ फररन काट २३ उत्तर पश्चिमी सामान प्रान्त बनाम मून्ड नारायण ए. आई आर. १९४८ फररन काट ११२  
हार्डिंग बनाम नारायण ए. आई आर. १९४८ प्रावी काउंसिल १२१

४ बिहार सरकार बनाम अन्तर्गत से ( १९५४ ) एल सी आर. ७८६

एव अपील) नियम, १९५० बनाये जो राजस्थान राज-यन्त्र में दिनांक ७ मई १९५० को प्रकाशित हुए। सन् १९५७ में जब कि भारत सरकार ने नये नियम बनाये तो राज्य सरकार ने भी उसी प्रकार पर, राजस्थान अस्तित्व सेवाए ( वर्गीकरण नियमण एव अपील ) नियम १९५८ का गठन किया और पहले के नियम निरस्त कर दिए। इन नियमों में श्यामलाल के वाद<sup>१</sup> में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को प्रभावशाली किया गया कि नियत सेवा अवधी या सेवा तिथुति अवधी प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य कर्मचारों की प्रतिन्यायित सेवा निवृत्ति दंड स्वरूप नहीं मानी जायेगी।<sup>२</sup>

**सेवा नियम एव मौलिक अधिकार—**अनुच्छेद ३०९ द्वारा प्रदत्त अधिकार सविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। अतः यदि कोई नियम सविधान के भाग तत्तीय में दिये प्रावधानों का उल्लंघन करता है उदाहरणार्थ अनुच्छेद १५ या १६ तो वह नियम गून्थ होगा। अनुच्छेद १९ (१) द्वारा गारंटी किये गये अधिकार समस्त नागरिकों के पास में हैं जिनमें स्पष्टतया सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। अतः प्राथमिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के प्रतिन्यायों में कटौती केवल अनुच्छेद १९ के खंड २ से ६ में निर्दिष्ट आधारों पर ही की जा सकती है और उस सीमा तक ही जहां तक प्रतिपक्ष उचित हो। इसके विपरीत, राज्य के हितों में, नौकरी का लक्ष्य है कि सावजनिक कर्मचारी में काय दक्षता, सत्यशीलता, निष्पक्षता, अनुशासन एव इसी प्रकार के गुण हों। अतः मद्रास उच्च न्यायालय<sup>३</sup> ने निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की कायदक्षता एव ईमानदारी कायम रखने की गज से यह अत्यावश्यक है कि उनको उनके सरकारी पद से असंबंधित किसी प्रयोजन के लिये किसी संघ से मागन अथवा प्राप्त करने से रोका जावे। राज्य कर्मचारों के लिये भी सदन के लिये अथवा राज्य के विधान मंडल के लिये चुने जाने के अयोग्य है (अनुच्छेद १०२ (१) (क) या १९१ (१) (क) )

२ व्याख्या—इन नियमों में जब तक कि सदन से किसी अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से किसी राज्य कर्मचारी के संबंध में अभिप्राय है—

(i) वह प्राधिकारी जो उस सेवा के लिये, जिसका वह राज्य कर्मचारी तत्समय सदस्य हो अथवा सेवा के उस अंश के लिये जिसमें वह राज्य कर्मचारी तत्समय सम्मिलित हो नियुक्तिया करने के लिये सशक्त हो, अथवा

(ii) वह प्राधिकारी जो उस राज्य कर्मचारी द्वारा तत्समय धारण किये हुये पद पर नियुक्तिया करने में सशक्त हो, अथवा

<sup>१</sup> श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आर आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९

<sup>२</sup> गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर (१९६१) ११ राजस्थान ३६९

<sup>३</sup> मधुमाधव बनाम कलेक्टर, ए आई आर १९५५ मद्रास ४६८

- (iii) वह प्राधिकारी जिनमें उम राज्य कमचारी को लमी सेवा, ग्रेड या पद पर, जमी भी दता है, नियत किया था अथवा
- (iv) जब कि वह राज्य कमचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रह चुका है, या किसी अन्य स्थायी पद का भागिक रूप में धारण कर चुके हैं, या राज्य सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है, तो वह प्राधिकारी जिनमें उमका उम सेवा पर, या सेवा के किसी ग्रेड पर या उम पद पर नियत किया था ।

जो भी प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी है

परन्तु जब कि विभागाध्यक्ष न अपनी शक्तियाँ किसी अधीनस्थ प्राधिकारी का प्रत्यायुक्त कर दीं हैं तो सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष नियम २० (२) (क) (ख) के प्रयोजनार्थ "नियुक्ति प्राधिकारी" होगा ।<sup>१</sup>

(ख) "आयाग" में अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयाग में है ।

(ग) "अन्योक्त प्राधिकारी" में अभिप्राय किसी राज्य कमचारी को शास्त्रिक नियम के सम्बन्ध में, उम प्राधिकारी में है जो उन नियमों के अन्तर्गत वेनी शास्त्रिक नियमों के नियमों में है ।

(घ) "राजपत्र" में अभिप्राय राजस्थान राजपत्र में है ।

(ङ) "सरकार" में अभिप्राय राजस्थान सरकार में है ।

(च) "राज्य कमचारी" में अभिप्राय उम व्यक्ति में है जो किसी सेवा का सदस्य है और जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई अधिनियम पद धारण किया हुआ है और उसमें सम्मिलित हागा-वैदिक सेवा में कोई ऐसा व्यक्ति, अथवा जिसकी सेवाएँ अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन सुपुत्र कर दी गई हैं या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी की सेवा का वह व्यक्ति भी जिसकी सेवाएँ अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के अधीन सुपुत्र कर दी गई हैं, अथवा किसी व्यक्ति पर सेवा में कार्य करने वाला व्यक्ति, अथवा वह व्यक्ति जो किसी अन्य सरकार की सेवा में नियुक्त हुआ हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किया गया है परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो भारतीय मंच की अधिनियम सेवा में है या किसी अन्य राज्य सरकार की अधिनियम सेवा में है और जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति ( डेप्यूटेशन ) पर नौकरी कर रहा है, जो कि उम व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों से शामिल होता रहेगा ।

\* (छ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसूचि 'क' में विभाग का अध्यक्ष निर्दिष्ट है और इसमें विभागीय जाच आयुक्त भी उन मामलों के सम्बन्ध में सम्मिलित है जिसमें उसको विभिन्न विभागों के १० ५०) या इससे अधिक के गवर्न के मामलों की जाच सरकार द्वारा मौपी गई है।

† (ज) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसूचि 'ख' में प्रत्येक कार्यालय के लिये कार्यालय का अध्यक्ष निर्दिष्ट है और इस में विभिन्न विभागों के उन गवर्न के मामलों के लिये गवर्न को जाच के विशेष कार्याधिकारी एवं सहायक आयुक्त विभागीय जाच भी सम्मिलित होंगे जिनकी मालियत १० ५०) या इससे अधिक है और जो आयुक्त विभागीय जाच को सौंप गये हों।

(झ) "अनुसूचि" से अभिप्राय इन नियमों से सलग्न अनुसूचि से है।

(ञ) 'सेवा' से अभिप्राय राजस्थान राज्य की किसी असेनिक सेवा से है।

### टिप्पणी

इन नियमों के प्रयोजनाय परिभाषित शब्दों का अर्थ विनालन के लिये इन नियमों के प्रारम्भिक भाग- 'जब तक कि सदस्य स किसी अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो' का ध्यान रखना चाहिये। परन्तु इन शब्दों का अर्थ महत्वपूर्ण है। वास्तविक चन्द्र वनाम हसा मुखि दास<sup>१</sup> का नाम यह अर्थ दिया गया कि 'जब तक कि विषय अथवा सदस्य में कोई प्रतिभूत बात न हो' निम्नी अधिनियम में नहीं भी लिखे हैं। तो भी उनका हाना सदस्य मान लेना चाहिये। जब कि किसी 'जब अथवा वाक्य' शब्द की परिभाषा नियमों में विरल अर्थ की दी हुई है तो उसका कवल वही अर्थ लगाया चाहिये, चाहे सामान्य कानूनी सभापण में उसका कोई भिन्न तात्पर्य निकलता है।<sup>२</sup> एक मौलिक नियम यह भी है कि एक नियम या अधिनियम में एक शब्द जहाँ वही भी पावे उतना वही अर्थ समझना चाहिये जब तक कि सदस्य उसका विपिद्ध न करदे।<sup>३</sup>

\* इन शब्दों के स्थान पर बदल गये - (विभागाध्यक्ष) से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो अनुसूचि 'क' में सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी विभाग का अध्यक्ष निर्दिष्ट है।

देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक २७ अप्रैल १९६४ को गिना ६ जुलाई १९५६ से प्रभावशील हुआ।

† इन शब्दों के स्थान पर बदले गये - 'कार्यालयाध्यक्ष' से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो अनुसूचि 'ख' में सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रत्येक पद के लिये कार्यालय का अध्यक्ष निर्दिष्ट है।

देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक २७ अप्रैल १९६४ को दिनांक ६ जुलाई १९५६ से प्रभावशील हुआ।

१ ए आई आर १९४३ क्लकत्ता ३४५ पूणयायपीठ

२ दिवालसिंह वनाम मुबदारा श्री अनाला लखन, १९२८ लाहौर ३२५

३ गनपत कि० सुनार वनाम विठ्ठल भोका० ४५ बम्बई एल आर ९७६

(क) नियुक्ति प्राधिकारी

(१) इस प्रभिनिक उक्त प्राधिकारी म है जिसन नियुक्ति का या प्रयवा को निम्न की नियुक्ति करन क विन सक्त है-

(अ) उक्त सेवा के विन जिसका राज्य कर्मचारी एक मन्स्य है या

(आ) उक्त पद पर जा राज्य कर्मचारा धारण करता है, या

(इ) सेवा क उक्त श्रेड में जिसमें वह राज्य कर्मचारी सम्मिलित है।

दूसरा बात यह है कि जब कि किसी म्वाया कर्मचारा की नियुक्ति विसा श्रेड सेवा का पद पर विसा प्राधिकार द्वारा का जाता है ता बट प्राधिकारी भी नियुक्ति प्राधिकारी होना समझा जावगा। जब कि कोई व्यक्ति नियंत्रण पद म उच्चतर पद में पदोन्नत किया जाता है ता वह प्राधिकार जिसन उसका पदानत किया उस पद क नियुक्ति प्राधिकार हगा।

जब बाद राज्य कर्मचारा विसा विन पद क नियुक्ति विन विन पद पर जडा उसका प्रारम्भिक नियुक्ति हुई था प्राधिकार उक्त प्रभिनिक रूप म नियुक्ति कर दिया जाता है, ता उक्त मामले में नियुक्ति प्राधिकार वह व्यक्ति हगा जिसका नियुक्ति पद पर नियुक्ति करन का प्राधिकार है।<sup>१</sup>

(२) राज्यों का एकीकरण नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा?—सविधान के अनुच्छेद

३११ (१) म यह सावा गया है कि नियुक्ति करन वाला प्राधिकार एव पदोन्नत करन वाला प्राधिकार एर हा राज्य का प्राधिकार जता चाहिये। किन्तु राजस्थान जमी दसा में जिसमें जनक नूतनूव रियासत का विलानाकरण हुआ प्रवस्था मिल रूप म है। एना परिस्थितिया में यह नहीं दखना चाहिये कि प्रार्थी का नूतनूव रियासत में विसा राजस्थान राज्य में विलोनीकरण हा हुआ है, धारम में नियुक्ति करने वाला प्राधिकार कौन था। दखना यह है कि राजस्थान राज्य के विलान के पदवान् राजस्थान राज्य म प्रार्थी का नियुक्ति करन वाला प्राधिकारी कौन था। परत इस प्रवस्था म अनुच्छेद ३११ (१) का महा प्रभिनिक यह है कि विसा प्रभिनिक कर्मचारा का राजस्थान राज्य में एकाकरण के समय विसा प्राधिकार न नियुक्ति विसा उक्त अधीनस्थ कोई का प्राधिकार उक्त का पदोन्नति प्रयवा प्रयवाकरण नहा कर सकता। नूतनूव रियासत के शीतल नियुक्ति प्राधिकारी का नया करन राजस्थान राज्य क नियुक्ति प्राधिकारी का देखना है, धार राजस्थान के उक्त प्राधिकार के अधिनस्थ स्तर का कोई प्राधिकारी पदोन्नति नहीं कर सकता।<sup>२</sup> परन्तु जब कि का कर्मचारा एकाकरण शक म विसा नियुक्ति हा नहीं हुआ विसा एकीकरण पूरा होन से पदव स हा वह नियुक्ति हा चुना था ता इसका यही लक्षके स प्रयवाजन यह दखन स होगा कि विसा वह एकीकरण दाप में स्पष्टिन किया जाता ता उसका नियुक्ति कौन करता।<sup>३</sup> इसा प्रकार जब का नियुक्ति प्राधिकार का प्रव प्रयवा हो नहीं रहा जब विसा नूतनूव राज्य का महाविलानक वुनिस ता इसका मह तात्पर्य नहीं हुआ कि ऐस प्राधिकार द्वारा नियुक्ति किया गया राज्य कर्मचारा विलान नहीं हगा जा सकता।<sup>४</sup>

१ एना प्रभिनिक विसा मन्स्य मुनिर एव पद प्राधिकार ए धार धार १९५८  
 २ एना प्रभिनिक विसा राजस्थान सरकार, ए० धार धार १९५४ राजस्थान २००  
 ३ एना प्रभिनिक २  
 ४ एना प्रभिनिक विसा मन्स्य भारत सरकार, ए० धार धार १९५८ मन्स्य ४१

(३) नियुक्ति प्राधिकारी एवं उच्चतर प्राधिकारी कायवाही की वधता — यदि किसी व्यक्ति को नियुक्ति एक प्राधिकारी ने की है और उसके विरुद्ध कायवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी से भी उच्चतर प्राधिकारी है तो कायवाही वध समझी जायगी । जब कि प्रार्थी को नियुक्ति उप आयुक्त के कार्यालय में लिपिक की हैसियत में हुई और नियुक्ति-पत्र राज्य के सहायक शासन सचिव के हस्ताक्षरों से जारी हुआ और उप-आयुक्त ने उसकी पदच्युति की आना जारी कर दी तो नियुक्ति हुआ कि बर्खास्तगी यथोचित थी क्योंकि उप आयुक्त कोई अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं था ।<sup>१</sup> जब कि वन विभाग के सरक्षक ने प्रार्थी को नियुक्ति की और पदच्युति की आना वन विभाग के मुख्य सरक्षक द्वारा जारी की गई तो नियुक्ति हुआ कि नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त हुए व्यक्ति का पदच्युत अथवा मवा से पृथक् करने में अनुच्छेद ३११ रोक नहीं लगाता ।<sup>२</sup> जब कि एक रेलवे के ट्रिप्लिक मैनजर न डिस्ट्रिक्ट ट्रिप्लिक सुपेरिन्टेंडेंट को पत्र भेजकर चुन गये अभ्यर्थी को नियुक्त करने को कहा और डिस्ट्रिक्ट ट्रिप्लिक सुपेरिन्टेंडेंट ने नियुक्ति अंशित किया, तो यह नियुक्ति हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ट्रिप्लिक सुपेरिन्टेंडेंट प्रार्थी को हटा सकता था क्योंकि वही नियुक्ति प्राधिकारी था ।<sup>३</sup> जब कि एक चंपरासी की नियुक्ति अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा हुई और पुष्टिकरण मुख्य अभियंता द्वारा हुआ और बाद में मुख्य अभियंता द्वारा उस सेवा से हटा दिया गया तो नियुक्ति हुआ कि अस्थायी तौर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त नियुक्ति आदेश अनुच्छेद ३११(१) के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था ।<sup>४</sup> जब कि राज्य के सहायक शासन सचिव ने प्रार्थी को नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष के पत्र पर की और राज्य के उपसचिव सचिव द्वारा बर्खास्त कर लिया गया तो यह नियुक्ति हुआ कि बर्खास्तगी अनुचित नहीं थी और यह तय नहीं किया जा सकता कि बर्खास्तगी किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई ।<sup>५</sup> पुनः राज्य का राज्यपाल को कि उच्चतम अधिशासी प्राधिकारी है निःसंदेह अनुच्छेद ३११ (१) के अंतर्गत कायवाही कर सकता है, परन्तु उसको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसके अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी जिसमें नीचे तक नियुक्ति करने वाला प्राधिकार भी सम्मिलित है, ऐसा कर सकता है ।<sup>६</sup>

(४) नियुक्ति प्राधिकारी एवं अधीनस्थ प्राधिकारी — कायवाही की वधता — जब कि राज्य में एक व्यक्ति को नियुक्ति एक प्राधिकारी ने की है तो इन नियमों के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई पदच्युति अथवा पृथक्करण की कायवाही अवध होगी । अधीनस्थ प्राधिकारी की सवधानिक अभिव्यक्ति उसकी वक्तव्य अधीनता को और संकेत करती है । परन्तु इस उपयुक्त सवधानिक नियम को ऐसे मूल्यपूर्ण अथवा विद्वानों में नहीं बदलना चाहिये

- १ लक्ष्मी नारायण सारंगी बनाम उड़ीसा सरकार ए० आई० आर० १९६३ उड़ीसा ८
- २ करमदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए० आई० आर० १९५६ पटना २२८
- ३ गंगाधर पाठे बनाम भारतीय मद्य, ए० आई० आर० १९६४ पटना १०२
- ४ साधुराम बनाम इजिनियर टेलीफ्राफ ब्रह्मपुर ए० आई० आर० १९५७ मध्य प्रदेश ०२
- ५ शतीशचन्द्र गुप्ता बनाम प० बंगाल सरकार ए० आई० आर० १९६० कल० २७८
- ६ जोसफ जान बनाम ट्रावन कोर कोचीन राज्य ए० आई० आर० १९६५ ट्रावन कोर १३०

विषयम इन्के प्रभाग वा प्रथम एसा दणा म निया जा रहा हो जिसम असनिब कमचारी वा पदच्युत करन बादा प्राधिकारी पञ्च्युत करन समय अध्यानम्य नहा रहा हो क्या नि भूतपूर्व नियुक्ति प्राधिकारी वा पद अर समाप्त हा चुका है ।<sup>१</sup> यह पूरगतया निश्चित कानून है कि बंध नियमों के अन्तगत नियुक्ति आना जारी करन म सगल प्राधिकारी म उच्चतर प्राधिकारी न जन कि किसा की बंध नियुक्ति वा है ता उस नियुक्ति वा वास्तविक तथ्य ही मविधान के अनुच्छेद २११ (१) द्वारा गारटा का गह मोमा का नियन्त्रण करता है अर यदि उमकी वकास्तगा या मदा म पथकी करण तिसा एम प्राधिकारी द्वारा पिया जाता है जा उम कमचारी वा नियुक्ति करन तथा बन्धान करन म सगल ता था किन्तु व उम प्राधिकारी स निम्न स्तर वा प्राधिकारी वा जिमन उसका नियुक्ति आना वास्तविक म जारी वा थी ता एसा पञ्च्युति आदेश सविधान के अनुच्छेद ३११ (१) के प्रावधाना का उल्लंघन होगा ।<sup>२</sup> जेज किमी पतिम थानदार वा नियुक्ति आइ जो पुनित न वा था और पञ्च्युति लिटा आइ जो द्वारा हुई ता निणय हुआ कि एसा पदच्युति असवधानिक था ।<sup>३</sup> जेव कि पतिम थानदार वा नियुक्ति रननाम सरकार द्वारा हुई और पदच्युति डिपी आइ जा पुनित मध्य भारत द्वारा हुई तो निणय हुआ कि डिपी आइ जो द्वारा जा थानदार वा नियुक्ति करन म सगल था वा गई पञ्च्युति अवध थी क्या कि वह नियुक्ति प्राधिकारी स अध्यानम्य स्तर वा था ।<sup>४</sup>

जेव कि प्राथी का नियुक्ति वारागारा के महानिरीक्षक द्वारा हुई थी और नातिम जारी करन के पदवान जेव अधीनस्थ न उम बन्धान कर लिया ता निणय हुआ कि पञ्च्युति की आना अनुच्छेद ३११ (१) के प्रावधाना का उल्लंघन थी । यह तथ्य कि अपील म वारागारा के महानिरीक्षक न आना के सगलन कर लिया आरम्भिक क्षैत्राधिकार के अभाव का उपचार करन के निय पद्यान नहा होगा ।<sup>५</sup> जेव कि प्राथी का नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य आयुक्त था और उपआयुक्त न पृथक्करण का आना जागे वा ता निणय हुआ कि यह मावधान के आदेशात्मक प्रावधाना का स्पष्ट उल्लंघन था और पृथक्करण अर था ।<sup>६</sup> पुन जेव कि प्राथी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई था और पञ्च्युति अ युक्त द्वारा हुई ता निणय हुआ कि वकास्तगा सावधान के अनुच्छेद ३११ (१) के अतिक्रमण म हुई ।<sup>७</sup> जेव कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति गवर्नर जनरल इन कौमन के साथ

- १ कुनान रजत अन्वित बनाम आर के रोम, ए आई आर १९५८ कावता ३५६
- २ परमेश्वर श्याम बनाम सरकार ए आई आर १९६३ राजस्थान १०६
- ३ रामरतन बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश ११४
- ४ गुम्बुड सिंह बनाम सच सरकार, ए आर आर १९६३ पत्राव ३७० मज्जनसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५९ आर एन इन्जु २८७
- ५ रामचन्द्र गोपालराव बनाम उप आई जी पातम ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश १०६
- ६ एन मोम मुदरम बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५६ मद्रास ४९८ सारगयम मालिवाकड बनाम माणपुर सरकार ए आई आर १९५६ मणिपुर ३४
- ७ अरमन हमन बनाम डिप्टी कमिन्तर मणिपुर ए आई आर १९६० मणिपुर ५१ एन एन सिंह बनाम नाम्बा सिंह ए आई आर १९५७ मणिपुर ७७ ए आई आर १९५५ कावता ८१
- ८ ए एम शान बनाम मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य भारत २५९

निये गये एक इक्कार के अन्तगत हुई थी और उसे डिबोजनल सुप्रिन्टेंडेंट ने हटा दिया, तो निराय हुमा कि पयकीकरण अवध था ।<sup>१</sup> जब कि प्रार्थी को राजप्रमुख ने उप आयुक्त के पद के तिय नियुक्त किया था और बाद में राजप्रमुख के सलाहकार ने उस अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया तो निराय हुमा कि आना वध नहीं थी और इसकी राजप्रमुख ने असम्मति नहीं दन के आधार से ही एसी आशा का अनुमान होना नहीं माना जासकता जो नियमा के अन्तगत राज प्रमुख को दनी चाहिये थी ।<sup>२</sup> परन्तु जब कि कमचारी की सेवा दंड स्वरूप समाप्त नहीं की गई ता यह निराय हुमा कि यह पयकीकरण की सीमा में नहीं आता, और यद्यपि सेवा का समाप्ति का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी ने जारी किया था फिर भी अनुच्छेद ३११ लागू नहीं हुआ ।<sup>३</sup>

(५) नियुक्ति प्राधिकारी एवं उसी स्तर का प्राधिकारी-कायवाही को बरना — यदि किसी व्यक्ति को नियुक्ति राज्य के एक प्राधिकारी न की है तो उसी स्तर के प्राधिकारी द्वारा इन नियमा के अन्तगत की गई कायवाही बध होगी । जब कि अगलाट को नियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई थी परन्तु उसको बन्दास्तगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई तो यह निराय हुमा कि कायवाही बध थी क्योंकि शब्द पुलिस अधीक्षक में शब्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल है ।<sup>४</sup> परन्तु जब कि प्रार्थी को नियुक्ति भूतपूर्व इन्ग्लैण्ड राज्य के डिप्टी आई जी द्वारा हुई थी, और उसका सेवा में पयकीकरण मध्य भारत के पुलिस अधीक्षक द्वारा हुआ तो निराय हुमा कि आपसां राष्ट्रीय अधीनस्थता के कानूनी नियमा के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि मध्यभारत राज्य का पुलिस अधीक्षक गतकालीन इंदौर रियासत के डिप्टी आई जी का वास्तव में अधीनस्थ प्राधिकारी था ।<sup>५</sup> इसी प्रकार जब कि विनोदोकरण से पूर्व प्रार्थी की नियुक्ति हेड कन्स्टेबल के पद पर ग्वािनियर के आई जी पी ने की थी और मध्यभारत के डिप्टी आई जी की आनानुसार उसकी पदच्युति हुई तो यह निराय हुमा कि किसी भी आधार पर मध्य भारत के डिप्टी आई जी का नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् आई जी पी ग्वािनियर से अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता ।<sup>६</sup> पुन जब कि प्रार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति पश्चिम बंगाल के आयकर कमिश्नर ने की था परन्तु बाद में उसका स्थानान्तरण कलकत्ता हो गया । उस पद के लिये कावलिवाध्यय और विभागाध्यक्ष कलकत्ता का आयकर कमिश्नर था । अत यह निराय हुमा कि वां का प्राधिकारी प्रार्थी को बर्खास्त करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति था ।<sup>७</sup> अत यह नहीं कहा

१ एम एम सिद्दिकी बनाम सच सरकार, ए आई आर १९५५ इलाहबाद ५६५ यह भी देखें—नाहम्मद म्दान किदवई बनाम गवर्नर जनरल इन कौन्सिल, ए आई आर १९५३ इलाहबाद १७

२ सरदार बलदेवसिंह बनाम पटियाला सरकार, ए आई आर १९५४ एफ्फु ६८

३ डी एम श्रीवास्तव बनाम कलेक्टर ए आई आर १९६१ इलाहबाद २६४

४ आर आर हल्दर बनाम आई जी पी पश्चिम बंगाल, ए आई आर १९५६ कलकत्ता १०३

५ अ सर सिंह वापूसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २५४

६ मंगल सिंह बनाम सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत २५७

७ ए सी मडल बनाम कमिश्नर आयकर पश्चिम बंगाल ए आई आर १९६२ कलकत्ता ३





अनुशासन प्राधिकारी होगा। कठोर शास्तियां से सबधित मामला में जाच उच्च न्यायालय द्वारा वा जा सकती है। अतः सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान का अभिप्राय अनुच्छेद २३५ द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय के नियंत्रण संबंधी अधिकार का लाप करना नहीं है परन्तु उसका तात्पर्य कवन इन शर्तों का नियमन एवं निर्धारण करना है जिसके अन्तर्गत दो दशांश (१) पदच्युति और (२) पृथकीकरण में उक्त नियंत्रण का संचालन करना है। अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जाच करन और उसके निष्कर्षों का प्रतिबदन प्रेषित करने के पश्चात् पदच्युति अथवा पृथकीकरण के मामल में उच्च न्यायालय राज्यपाल का प्रेषित करेगा और यदि पदच्युति पृथकीकरण अथवा पवित्रच्युति का शास्ति का दंड दिया जाना है तो अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत कायवाही की जानी चाहिये।<sup>१</sup>

(च) राज्य कर्मचारी—(१) राज्य कर्मचारी में अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो (१) किसी राज्य सेवा का सदस्य है या (२) जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई असैनिक पद पर कामीन है। निम्नलिखित भी इसमें सम्मिलित होंगे—

(१) वह व्यक्ति जो किसी पारदेशिक (विदेशी) सेवा में है या

(२) वह व्यक्ति जिसको सैन्य अथवा सैन्यीय रूप में किसी स्थानीय सस्था अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन सुपद करदी गई हो या

(३) किसी स्थानीय सस्था अथवा किसी अन्य प्राधिकारी का कर्मचारी जिसकी सेवा अथवा सस्था स राजस्थान सरकार के सुपद करदी गई हो या

(४) वह व्यक्ति जो किसी सविदा के आधार पर सरकारी सेवा में हो और

(५) वह व्यक्ति जो किसी अन्य स्थान से सरकारी सेवा में निवृत्त हो चुका हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किया गया हो।

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति शब्द 'राज्य कर्मचारी' में सम्मिलित नहों होंगे—

(१) जो भारतीय सभ की असैनिक सवांग्राम में हो या

(२) वह व्यक्ति जो की अन्य राज्य सरकार की असैनिक सवांग्रामों में हो और जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति के रूप में (डेप्युटेशन) सेवा कर रहा हो।

इस सन्दर्भ में दी गई परिभाषा उदाहरणार्थ मात्र है—यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है। शब्द असैनिक पद की परिभाषा कहीं भी दी हुई नहीं है और ऐसी परिभाषा जो नियमों में उल्लिखित कानून के अन्तर्गत सही बढती हो ज्ञात करने के लिये हमें न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णयों में शोध करन होगा।

१ नूपेद्र नाथ बागची बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिव ए० आई० आर० १९६१ कलकत्ता १ यह भी देखिये मोहम्मद गऊन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए० आई० आर० १९५५ आंध्र प्रदेश ६५ ए० आई० आर० १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २६६ ए० आई० आर० १९५९ आंध्र प्रदेश ४९७।

(२) "असैनिक पद का तात्पर्य —राज्य के अमतिर पद में तात्पर्य उस पद से है जो

राज्य सरकार के नियंत्रण में हो और यदि राज्य सरकार चाहे तो वह पद समाप्त कर सकती है अथवा उस पद को गनों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें आधार पर उक्त पद की पूर्ण हानि या पूर्ति की जावेगी। अतः वास्तविक पराधीन यह है कि उक्त पद के अर्थ में राज्य सरकार का नियंत्रण सीधा एवं अन्तिम है।<sup>१</sup> दूसरी बात यह है कि इस पद का अभिप्राय शायद या उम निवृत्ति एव पद में है जो असैनिक क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा जो सैनिक क्षेत्र में विभिन्न मान ज्ञाने है।<sup>२</sup> अतः गण में ममस्त पद जो राज्य कमबारिया द्वारा धारण किये हुए हैं असैनिक पद ममस्त जावेंगे यदि वह सैनिक विभाग या मुरायात्ता के अंतर्गत नहों हों।<sup>३</sup> तृतीय यदि कोई राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पद पर आशोधित है परंतु उस पद वतन नहों मिलना है तो भी उसका स्थिति राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य असैनिक सरकारी कर्मचारी के स्तर से कम नहीं हातो।<sup>४</sup> चौथे राज्य विधि में से वतन प्राप्ति मात्र अथवा किन्हीं मस्याध्या पर सरकार नियंत्रण हानि में ही स्वतः किसी व्यक्ति का राज्य सरकार के अधीन असैनिक पद पर आरुह्य हानि का स्तवा प्राप्त नहीं होता।<sup>५</sup> जिनका कम्पना कमाउंट व अधान हाम गाह प्रतिपालक अधिकरण विभाग ( महकमा नाय विभाग ) का मुख्य व्यवस्थापक सरकारी खजाने का तहवाल दार और अधिनिक कर्मचारी राज्य के अधीन असैनिक पद धारण करन वान मान जावेंगे और उनका अधिकार है कि उनका विरुद्ध पदच्युत करत वा, नौकरी से हटाने को या पदच्युति का आता प्रदान करत में पूव उनका गवार कारण वतन व नोटिस यथावत् लिय जावें।

(३) जो 'असैनिक पद' को परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं —राज्य के अधीन

कोई व्यक्ति असैनिक पदधारी है अथवा नहों इस तथ्य का निणय करन अनु वास्तविक पराधीन यह नहों है कि वह किस सरकारी विधि से वतन प्राप्ति करता है परंतु आवश्यक बात यह है कि उनका पद एव उस पद पर निवृत्ति राज्य की इच्छा पर आधारित हो और राज्य के नियंत्रण में हो और वास्तव में जा कार्य वह करता है वह सरकारी कार्य है। अतः स्पष्ट वक आफ लिख्या

- १ सखमी इत्यादि बनाम राज्यपाल के सैनिक सचिव ए०आई०आर० १९५६ पटना ३६८ प्रमुख नुमाहर सन बनाम कनकता राज्य परिषद निगम ए आई आर. १९६३ कलकता ११६
- २ शरमिह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए०आई०आर० १९५५ नागपुर १७५
- ३ माहन सिंह बनाम पेशवा राज्य ए०आई०आर० १९५४ पन्ना १३६
- ४ बृजगोपाल बनाम पुलिस आयुक्त ए०आई०आर० १९५५ कलकता ५५६
- ५ जी०एम० नादरी बनाम राज्य सचिव ए०आई०आर० १९५६ जम्शु और कदमीर २६
- ६ शरमिह बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए०आई०आर० १९५५ नागपुर १७५
- ७ पी०एन० सरकार बनाम बिहार सरकार, ए०आई०आर० १९६० पटना २६६
- ८ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अथप नारायण सिंह, पी ए०आई०आर० १९६५ मुद्राम का ३६० एव बनमद्र प्रसाद बनाम कलेक्टर, ए०आई०आर० १९५६ दनाहाबाद ७३६
- ९ उपरोक्त नाम/कमाव ५

का सजान्वी,<sup>१</sup> राज्य सहकारी बक का कमचारी,<sup>२</sup> सहकारी समिति का कमचारी,<sup>३</sup> सुरक्षा मवाझा म असनिक पदाधिकारी । मना से सम्बन्धित जातु एव लोह कारखाने का कमचारी,<sup>४</sup> सनिक अभियन्ता सेवाभा का आवरमोयर,<sup>५</sup> राज्य परिवहन निगम का कमचारी<sup>६</sup> कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त<sup>७</sup> सरकार द्वारा नियुक्त नगर पानिका समिति का कमचारी<sup>८</sup> जिला बोड का कमचारी<sup>९</sup> कप्ताने वी अविभागीय क्षान्ता वा पोस्टमास्टर<sup>१०</sup> पचायत का मचिव एव अधिशासी अधिकारी<sup>११</sup> नगल नवीस<sup>१३</sup> सुधार प्रयास (इन्प्रुवमेड ट्रस्ट) का कमचारी<sup>१४</sup> सरकारी होजरी मिल का

- १ वी रानाई बनाम स्टेट बक आफ इण्डिया ए आई आर १९६५ मद्रास ३३५ यह भी देखिये सुप्रसाद मुखर्जी बनाम स्टेट बक आफ इण्डिया ए आई आर १९६२ कलकत्ता ७२ बालेश्वर प्रसाद बनाम एजेंट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए आई आर १९५८ पटना ४१८ एस मोहन सिंह बनाम पेपर्स ए आई आर १९५४ पेपर्स १३६
- २ चतुर्मुख सहाय बनाम सभापति राज्य सहकारी बक ए आई आर १९६५ पटना २२३ राम नाथ शर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ मध्यप्रदेश २१८ यह भी देखिये—कुमारन बनाम टाबनकार सरकार ए आई आर १९५२ टूबेनकोर २६३ दलेल सिंह बनाम सचिव कोआपरेटिव यूनियन लि० ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४३
- ४ कपूर सिंह बनाम भारत ए रूथ ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश १९९ तारासिंह बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६० बम्बई १०१ दासमल बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६५ पंजाब ४२ मुजोय राजन बनाम मजर एन ए ओ सी केलाधन ए आई आर १९५६ कलकत्ता ५३२
- ५ अतींद्र नाथ मुखर्जी बनाम जो एफ गल्लट ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५४३
- ६ सुबोध राजन बनाम मेजर एन ए आ केलाधन ए आई आर १९५३ कलकत्ता ३१९
- ७ प्रफुल्ल कुमार सन बनाम कमाण्डर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर १९६३ कलकत्ता ११६
- ८ पतित पावन बोस बनाम कमाण्डर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर १९५७ कलकत्ता ७९०, यह भी देखिये नगेंद्र कुमार रोय बनाम कमाण्डर, कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५६
- ९ विशम्भर नाथ नेहरू बनाम एच एच सरकार जम्मू श्रीरकश्मीर, ए आई आर १९५८ जम्मू कश्मीर ६, यह भी देखिये—किशारी नाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५८ पंजाब ४०२ मंगल सन बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५२ पंजाब ५८ पंजाब सरकार बनाम प्रेम प्रकाश ए आई आर १९५७ पंजाब २१९
१०. रण नाथ मिथा बनाम सभापति जिला बोड ए आई आर, १९५७ पटना ३३३। यह भी देखिये—आर श्री निवासन् बनाम सभापति जिलाबोड ए आई आर १९५८ मद्रास २११
- ११ सी एच कटास्वामी बनाम अधीक्षक, डाकखाना ए आई आर १९५७ खडीसा ११२, यह भी देखिये—मुन्नायल बनाम अधीक्षक डाकखाना ए आई आर १९६१ मद्रास १६६
१२. रण सिंह बनाम पचायत एव समाज सेवा इंदौर ए आई आर १९६२ मध्य प्रदेश ५० ओर एम यूगाण्णा राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ आंध्र प्रदेश ५३६
१३. भगवान सहाय बनाम मध्यद नावनो ए आई आर १९५६ पटना २५७
१४. मोहम्मद एहमद किदवई बनाम सभापति, इन्प्रुवमेड ट्रस्ट, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ३५३

मजदूर,<sup>१</sup> किमी कम्पनी या निगम का कमचारी<sup>२</sup> सरकारा अधिवक्ता (गवर्नमेंट एडवाइटर)<sup>३</sup> निजी (प्राइवेट) पाठगाना और उच्च विद्यालय का कमचारी<sup>४</sup> राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मन्दिर-अधिवक्ता<sup>५</sup> गाव चौकरा<sup>६</sup> राज भवन के मातागण<sup>७</sup> एव सरकार का आर्कमिण या प्राथमिक कमचारी बग (कन्सिजेंट स्टाफ)<sup>८</sup> राज्य का मिनि (अमनिक) मवाण के सदस्य नहीं है और न ब राज्य सरकार का अधीन सरकार द्वारा नियुक्त ही धारण करत है और इस कारण से ब अनुच्छेद २११ द्वारा प्रप्त मवाणिक सुरक्षा पान के हकदार नहीं है ।

(४) जो-यचित्त सविदा ( कॉंट्रैक्ट ) पर सरकारी सेवा मे है—माषागणनया

सरकारा नियुक्तिया नियुक्त पत्रा क द्वारा जाता है जिम राज्य सरकार जारा करता है और नीकरा पानवाना उम स्वाकार करता है । उन मममन अमनिक कर्मचारिया क निय जितना नियुक्त मवियान के अनुच्छेद २०९ के अतगत बनाए हुए नियमा क अनुसार जाता है एमी नियुक्त हनु सरकार एव कमचारी के मध्य कोई मविण करन का आवश्यक्ता नहीं हानी ।<sup>६</sup> मविधान का अनुच्छेद २९९ ऐम मामनों म सम्बन्धित है जिनम उभयपक्ष लिखित रूपम गभीरता पूवक मविण करते है । सविधान क अनुच्छेद २९९ म गण मविण क अध की परिधि म प्रकार मामिन सममना चाहिये कि एम सरकारा कमचारिया क मामन बाहर रख जावें जिनना नियुक्त मविण म प्रारम्भ हाना है परन्तु जा नियुक्त क पान मविण क अनुसार नही बरन् बानूना नियमा क

१ जा एम कान्सा बनाम गामन मन्चिव उग्रान एव वाणिज्य विभाग ए आई आर १९५६ जम्मु कश्मीर २६

२ एम वर्षीस बनाम पद्विम बगाम सरकार ए आई आर १९६३ कनक्ता ८०१  
 एम के मुत्तर्जी बनाम कमिशन एण्ड एनाइड प्राइकम नियान विकास परिषद ए आई आर १९६२ कनक्ता १० ममान राजनपाय बनाम मिन्ट्रा फ्लिदाइजस एण्ड केमि कनम नि० ए आई आर. १९५७ पन्ना १० दामान् बली कम्पारएण ए आई आर १९५३ कनक्ता ५०१ राम बाबू राठा बनाम डिवाजन मनत्र जीवन बीमा निगम ए आई आर. १९६१ इनाहाबा ५०२

३ राजस्थान सरकार बनाम मन् स्वग्य ए आई आर १९६० राजस्थान १०८

४ श्रीमता ऐना धाय बनाम पद्विमा बगाल सरकार ए आई आर १९६२ कनक्ता ५२०  
 यह भी देखिये—विश्वनारायण बोम बनाम सचिव राम कृष्ण मिण ए आई आर. १९५८ पन्ना ६५३, जोमेक मुठाले बनाम व्यवस्थापक मन्ट घामग कानज ए आई आर. १९५४ ट्रावन वार कोचीन १९९

५ महेन्द्र लान चक्रवर्ती बनाम भारत मधीय क्षेत्र त्रिपुरा ए आई आर १९५८ त्रिपुरा २१

६ धरसिंह बनाम राजस्थान राज्य आई एन आर. १९५६ राजस्थान ३३५

७ लक्ष्मी एव अन्य बनाम राज्यपान का मन्चिव सचिव ए आई आर १९५६ पन्ना ३९८

८ कर्तारसिंह बनाम पेपमू सरकार, ए आई आर १९५५ पेपमू २५

९ बेदी बनाम पेपमू सरकार, ए आई आर. १९५३ पेपमू १८६

द्वारा नियमित हान हैं ।<sup>१</sup> अस्थायी कमचारियों के निये नौकरी की विशेष सविदा बनाने में सरकार स्वतन्त्र है वसतों कि नौकरी की शर्तों सविधान के विपरीत नहीं हों ।<sup>२</sup> पुन राज्य सरकार एवं कमचारी दोनों ही सविदा में उल्लिखित इतर और शर्तों का पालन करने के लिये गम्भ है ।<sup>३</sup> जबकि कोई अस्थायी कमचारी निश्चित अवधि तक के लिये नियुक्त हुआ हो ता उक्त अवधि का समाप्ति पर उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है और उसके लिये कोई एक महिने का नोटिस देना आवश्यक नहीं है ।<sup>४</sup>

कबन इस आधार पर कि किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस दिया गया था जिसका दना कानूनन आवश्यक नहीं था अदातत के लिये यह नियम दना कि प्राथी के अधिकारों का गर कानूनन म अतिक्रमण हुआ है, उचित नहीं है ।<sup>५</sup> सविधान के अनुच्छेद १६ (१) (घ) का तात्पर्य यह नहीं है कि जा व्यक्ति किसी सविदा की शर्तों पर सेवा में लिया गया हा वह उन शर्तों के अनुसार हटाया नहा जा सकता ।<sup>६</sup> परन्तु सविदा में दज की गई यह शर्त कि कमचारी का पदच्युत करन अथवा हटान स पहले उसका सुनने का कोई अवसर नहीं दिया जावगा स्पष्टतया सविधान के अनुच्छेद ३११ का अतिक्रमण है ।<sup>७</sup> यदि कोई व्यक्ति निश्चित अवधि के लिय सविदा पर नियुक्त किया गया हो तो वह उस सपूर्ण अवधि तक के लिये सेवा में रहन का अधिकारी होगा ।<sup>८</sup> यदि एक राज्य दूसरे राज्य में सविलीन हो जावे—चाहे, स्वैच्छा स या पराजय के कारण विलीनीकरण में अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) होने के कारण, तो सवासा का समस्त सविदाए जो पहले का सरकार एवं कमचारियों के मध्य हुई होंगी स्वत समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौकरा करना चाहेंगे उहे नय राय द्वारा लागू की गई शर्तें माननी होंगी ।<sup>९</sup>

३ प्रभाव — (१) ये नियम समस्त राज्य कर्मचारियों पर प्रभावशील होंगे सिवाय,—

(क) उन व्यक्तियों पर जो भारत सरकार या अय राज्य या केंद्र प्रशासित क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर आए हुए हो,

(ख) उन व्यक्तियों पर जो सरकार के ऐसे औद्योगिक सगठनों में नियुक्त हा जिन्हे समय समय पर अधिसूचित किया जाय और जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत मजदूर (कारीगर या वर्कमेन) हो,

१ रणजीत कुमार चक्रवर्ती बनाम बंगाल सरकार, ए आई आर. १९५८ कलकत्ता ५५१

२ शारदा प्रसाद थावास्तव बनाम ए<sup>१</sup>श्री उत्तर प्रदेश ए आई आर. १९५५ इलाहाबाद - ५९६

३ सतीशचंद्र भानुद बनाम भारतीय सभ ए आई आर. १९५३ सुप्रीम कोर्ट २५०

४ धामि, गौरीसिंह बनाम भारतीय गणतन्त्र, आई दिल्ली ए आई आर. १९६२ मनी ५२

५ सरदार अर्जुनसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर. १९५० पंजाब ५५४

६ चतुर्मुख सहाय बनाम सभापति राजकीय सहकारी बक ए आई आर. १९५५ पटना २२३

७ फकीरचन्द्र बनाम चक्रवर्ती, ए आई आर. १९५४ कलकत्ता ५५६

८ बम्बई राज्य बनाम डा० एम टी अडवानी, ए आई आर. १९६३ बम्बई १२३

९ भन्वावपम मार्वीसिंह बनाम ए एच डी मनोपुर राज्य-परिवहन १९६० मनोपुर ४५

- (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के यायाधीशो पर,
- (घ) उन पर जा उपरोक्त न्यायालय के अधिकारी एव कमचारी हैं, जो कि सविधान के अनुच्छेद २२६ के खड (२) के अतगत बनाए गये नियमो से शासित होंगे
- (ङ) उन पर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, जा कि सविधान के अनुच्छेद ३१८ के अतगत बनाए गये विनियमो से शासित होंगे
- (च) उन व्यक्तियो पर जिनकी नियुक्ति तथा अय मामला के लिय जो इन नियमो के अतगत आते हो, तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अतगत कोई विशेष प्रावधान रखा गया हो,
- (छ) आकस्मिक (केजुअल) नौकरी मे रले गए व्यक्तिया पर,
- (ज) उन व्यक्तिया पर जिह एक मास से कम अवधि के नोटिस द्वारा नौकरी से मुक्त किया जा सकता है और
- (झ) अखिल भारतीय सेवाया के सदस्यों पर ।

(२) उपरोक्त-उपनियम (१) मे कोई बात होत हुए भी और सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान के अधीन सरकार यदि चाहे तो आज्ञा जारी करके किसी राज्य कमचारी को या राज्य कमचारिया के किसी वर्ग को इन समस्त नियमो या इनमें से कुछ नियम लागू होने स अपवजन (पृथक्) कर सकती है ।

(३) यदि कोई शका उत्पन्न हो कि—

(क) ये नियम या इनमे से कुछ अमुक व्यक्ति पर लागू हैं या नहीं या

(ख) कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हैं, किसी विशेष सेवा का सदस्य है

तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्देश हेतु भेजा जावेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा ।

### टिप्पणी

य नियम सिवाय उन व्यक्तियों के जिनका बखण उपनियम (१) के खण्ड (क) से (झ) में किया गया है समस्त सरकारी कमचारियों पर लागू किये गये हैं । इसका अतिरिक्त राज्य सरकार किसी सरकारी कमचारी या उनके बग विषय का इन नियमों के अभाव से उपनियम (२) के अतगत अपवजित (मुक्त या पृथक्) कर सकता है ।

(१) प्रतिनियुक्ति ( डेपूटेशन ) पर आए व्यक्तिक—य समस्त व्यक्ति जा भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य स प्रतिनियुक्ति पर आए हों के अपन निजी नियमो स शासित होते रहेंगे । एक मामला मे जबकि मध्यप्रदेश पुलिस का अग्नेदार हैदराबाद स प्रतिनियुक्ति पर था और

उसके विरुद्ध कोई आरोपों पर उप-अवोकाश भारतीय ने हैदराबाद के कानून के अन्तर्गत क्रमशः करने की शक्त का प्रयोग किया तो यह पाया गया कि पाच सवया अनाधिकार माध्यम द्वारा की गई ।<sup>१</sup>

अधिति

(२) राजकोष उद्योग संगठन का कारीगर ( वर्कमेन )—वे समस्त व्यक्ति जो राजकीय उद्योग संगठन में काम करते हैं और जो कि कारीगर (वर्कमेन) हैं वे इन नियमों में शामिल नहीं होंगे । औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में शब्द 'कारीगर (वर्कमेन)' की परिभाषा यह दी गई है कि इसमें तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो किसी कारखाने में दिव्यमाण (एप्रेंटिस) महित प्रवीण अथवा अध्रवीण (स्विल्ड या अनस्विल्ड) या हाथ का काम करने के लिये या पयवक्षण के लिये विनाय विषयक (टकिवकल) या सिखा पढा का (क्वैरोकल) काम करने के लिये नियुक्त किया गया हो, चाहे किराये पर हो या पारितोषिक ( रिवाड ) के आधार पर हो और उनमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि किसी विवाद के सबब में नौकरी से बचास्त या मुक्त कर दिया गया हो या जो छेड़नी में आ गया हो परन्तु इस परिभाषा में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो कि सैनिक अधिनियम के अधीनस्थ हो या जो पुलिस सेवा में कार्य करता हो या जो किसी कारागार का अधिकाारी या कर्मचारी हो या किसी व्यवस्थापनोय अथवा शासकोय पद पर कार्य करता हो अथवा जो निगरानी रखने वाले की हैसियत से कार्य करता हुआ ६० ५००) माहवार से अधिक बतन प्राप्त करता हो । ऐसे कारीगर ( वर्कमेन ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत शामिल होंगे ।

(३) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकारी तथा एव कर्मचारी—राजस्वान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने निजी हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा सविधान के अनुच्छेद २१७ के अन्तर्गत करते हैं और उनका पुनर्नियुक्ति राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद २१८ और अनुच्छेद १२४ (४) (५) के अनुसार निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा कर सकते हैं । आगे व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ( सेवा की शर्तों ) अधिनियम, १९५४ (हाई कोर्ट जजेज् कन्डिशनस् आफ सविस एक्ट १९५४) एव उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, १९५६ (हाई कोर्ट जजेज् रूल्स १९५६) द्वारा शासित होते हैं । सविधान के अनुच्छेद २२६ (२) के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारी एव कर्मचारी उन नियमों से शासित होते हैं जो इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनावें या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी गठन करें । इस राज्य में उच्च न्यायालय ने ऐसे नियम १९५६ में बनाए जो कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों एव कर्मचारियों पर लागू हैं । एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियंत्रण में हैं और सविधान के अन्तर्गत उनको नियुक्त करने, हटाने एव उनके मामलों में अन्य प्रकार का व्यवहार करने में मुख्य न्यायाधीश सक्षम हैं ।<sup>२</sup>

(४) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्य—सविधान के अनुच्छेद ३१८ के अधीन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्यों की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल

१ जगराम बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई भार. १९५५ नागपुर १६०

२ प्रद्योत कुमार बनाम चीफ जस्टिस ए आई भार. १९५६ सुप्रीम कोर्ट २८५



(ग) रा... य नियम (राजस्थान घरात मरग नियम) घरात व घरात  
 1. घरात के मरिज तथा घरात व घरात व। इन नियमों द्वारा  
 १८ (ग) व घरात वरि  
 हा है।

रधानो के अन्तगत रहे गए व्यक्ति — तिया जिया पर मर (घ)

यागु हात म मुत तथा घरात है जम नि तियो घरात वानुत द्वारा या  
 उमक घरात व... (घ) प्रावधान पर तिया गया है। ये नियम प्रातम अधिनियम व घरात  
 राजस्थान पुति व अधिनियम स्तर (गयातोर... ) व घरात पर या यागु हात है। व तमाम  
 मामत जा नि तियात एव म पुति अधिनियम व घरात तथा घरात घोर वा मरा व गतो म  
 मरिज है। एव मरिज तिनत पुति घरातम २००१ (भाग ७) म वरि प्रयगत नग १ घोर  
 वा अधिनियम व तिनत मा नग है। पुति व अधिनियम हात व अधिनियम व पुति अधिनियम  
 वा घरात २ द्वारा प्रत ग त म घोर नियम (१) ( २ ) एव भाषा वा दृष्टि म वरत हुए यागु  
 हात है। घोर म नियम वरत उगी दशा म त गु नहा हात जम नि तियो वानुत म या वानुत द्वारा  
 वरि विगध प्रावधान तिया हुआ है। घन ये नियम पुति अधिनियम व पूरत है।<sup>१</sup>

(६) आरम्भिक नौकरी के कर्मचारी — ता जिया घरातम एव म तियुक्त हा है

व इन नियमों व घरात वरि अधिनियम ( तियन ) व घरात तयो वरत। मरमन् अति अधिनियम  
 उपाहरणाय डा डा टा त्रिजन व तिय एव अधिनियम माता २ म वा २ टया म पाना देन  
 बाल मरदूर इत्यादि आरम्भिक कर्मचारी ही घोर उनत परिधिनियम राजराय तिय म म तियन  
 व वाकदूर भा व इन नियमों द्वारा घरात नहा हगे। घरात एव ०००० तिय तियवन् वरत म स्वेष्टता  
 मरत वर पर बाय वरत है ता व आरम्भिक नौकरा वा परिभाषा म नग घरात है।

(७) ये व्यक्ति जो एव मास से कम अधि के नाटिस द्वारा सेवा विहीन

( डिस्चार्ज ) किये जा सकते हैं — अधिनियम व घरात २११ व घरातम घरातयो राजराय  
 कर्मचारी वा भा सरतणु तिया गया है जम नि उनयो नौकरी मरद स्वरूप ममात वरत जाया है।  
 गत सेवा विहीन ( डिस्चार्ज ) वा अधि यही है वा कि हात ( तियुक्त ) वा है घोर घरात  
 घरातमयो ( डिस्चार्ज ) मे सम्मनित मरमन् जाना घरातिय।<sup>२</sup> परन्तु जहा तिया एव माम वर  
 नाटिस तिय सेवा विहीन तिया जा मरतना है वहा ये नियम यागु नहा हगे। जबकि परतणु पर  
 तियुक्त घरातयो कर्मचारी वा मरवा ममात वरतगी गई ना यह तियुक्त हुआ नि उमको नाटिस दता  
 घरातम नही वा घोर बहु घरात मरत नही घो।<sup>३</sup> जबकि एव तिय वर मरवा तिया नाटिस तिये

१ सौगमन वनाम अधिलक्ष घरातयो ए घराई घरात १९६७ राजस्थान ४१८, ए घरात घरात  
 १९६१ इनाहावा ५१० घोर ए घराई घरात १९६० राजस्थान ४६ अन्तुदेव घ  
 घराई घरात १९५४ इनाहावा ४८७ घोर ए घराई घरात १९५६ इनाहावा ४६६  
 २ मरमन् वनाम अधिनियम अधिनियम ए घरात घोर १९५६ पन्ना २६८  
 ३ अज गोपान वनाम पुति अधिनियम ए घराई घरात १९५५ वरतता ५३०  
 ४ विरेन्द्रसिंह वरवा वनाम अधिनियम वृषी मरवालन ए घराई घरात १९६० इनाहावा ६४७  
 यह भा दक्षिण—तियवनासणु वनाम मरगर विवविद्यालय ए घराई घरात १९६० मधुप्रत  
 २०८ घोर राजस्थान वनाम भारतीय संघ ए घराई घरात १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १९५२

इकरारनामे के अनुसार समाप्त करदी गई तो यह निगम हुआ कि सेवा समाप्त करने की शत का समावेश उसकी नियोजन सविधा में होने के कारण सविधान के अनुच्छेद ३११ के अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठना।<sup>१</sup> पुन जबकि बोर्ड अस्थायी कमचारी की नियुक्ति एक निश्चित सेवा अवधि तक की गई है तो उस अवधि के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है और उसको एक महीने का नोटिस देना आवश्यक नहीं है। अस्थायी नौजरी में एक महीने का नोटिस देने का प्रश्न तभी आता है जब कि वह नौजरी अनिश्चित काल तक के लिये होती है।<sup>२</sup> इस प्रकार का नोटिस देना आवश्यक नहीं होता जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा विध्या के अन्तगत सेवा समाप्त की जाती है।<sup>३</sup> आवश्यक स्तर की शारीरिक स्वस्थता का अभाव होने के कारण नौजरी समाप्त करने के लिये कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी सेवा मुक्ति को नौजरी से निकालना या वर्ध्मान्तिगी नहीं समझा जाता है।<sup>४</sup>

४ इकरार द्वारा विशेष प्रावधान —जहां किसी राज्य कमचारी के संबंध में यह आवश्यक समझा जावे कि उसके लिये विशेष प्रावधान बनें जो कि इन नियमों में से किसी नियम से असंगत हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे राज्य कमचारी से इकरार द्वारा ऐसे विशेष प्रावधान बना सकता है, और तत्पश्चान ये नियम उस सीमा तक उस राज्य कमचारी पर लागू नहीं होंगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाये गये प्रावधान इन नियमों से असंगत हो

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी राजकीय नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त कोई है तो ऐसे प्राधिकारी को नियुक्ति विभाग<sup>५</sup> की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

### टिप्पणी

साधारणतया समस्त असन्निव कमचारी इन नियमों के प्रावधानों से शासित होंगे परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़े जिसे इन नियमों के प्रावधानों से मुक्त रखना ही तो नियुक्ति प्राधिकारी उक्त राज्य कमचारी के साथ किये गये इकरार में विरोध प्रावधान कर सकता है और तदुपरान्त ये नियम ऐसे सरकारी कमचारी पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाये गये विशेष प्रावधान इनसे असंगत है। ऐसे इकरार के लिये दो चीजें आवश्यक होती हैं, अर्थात् (१) इन नियमों से असंगत विरोध प्रावधान करना और (२) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राजकीय नियुक्ति विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना।

१ भारतीय सच बंनारस पाहूरग काशीनाथ मोर, ए आई आर १९५२ सर्वोच्च न्यायालय ६३०  
प्रिय गुप्ता बनाम जनरल मनेजर उत्तर-पूर्वीय रेलवे ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ६४३,  
मोमेश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५७ पटना ३२६

० चागरा गौरीसिंह बनाम भारतीय गणतन्त्र ए आई आर १९६२ मनीपुर ५२

२ श्री धालाकोटाइस बनाम भारतीय सच ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय-२३२,  
यह भी देखिये—अजीतकुमार मुक्जी बनाम मुख्य प्रोपरेटिंग अधिकारी इस्ट इंडिया रेलवे  
ए आई आर १९५२ पटना ५८

४ फकीरचंद्र बनाम चक्रवर्ती ए आई आर १९५४ कलकत्ता ५६६

५ अधिमूर्चना सख्या १६ (६) नियुक्ति/ए/५६/प्र III दिनांक २३-२-६२ द्वारा जोड़ा गया



हों।<sup>१</sup> किन्तु यदि सविदा की भ्रवधि समाप्त होने पर कोई ताजा सबध नहीं होता और बिना भ्रवधि निश्चय किये वह अधिकारी कार्य करता रहे तो ऐसी दशा में वह अस्थायी राजकीय सेवा में होना माना जावेगा और उसकी अस्थायी सेवा समाप्ति पर सविधान का अनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित होगा।<sup>२</sup>

जबकि एव राज्य दूसरे में सविलीन हो जावे चाहे स्वेच्छा से, पराजय के कारण, विलीनीकरण से अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) के कारण तो सेवाप्रा की समस्त सविधाएँ जो पहले की सरकार एव सेवकों के मध्य हुई थी स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौदरी करना चाहेगे उन्हें नये राज्य द्वारा लागू की गई बातें माननी होंगी।<sup>३</sup> किन्तु इन नियमों के नियम ३७ में यह प्रावधान है कि जब कि कोई अधिकारी एकीकरण की किसी भी योजना के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो वह राजस्थान में मन्मथिन हार्ने वाली उसी इकाई के नियमों से शासित होता रहेगा जो उसकी पिछली अन्तिम नियुक्ति पर लागू होते थे।

सविधान के अनुच्छेद ३१० (२) के अनुसार इच्छानुसार बर्खास्तगी के नियमों के प्रभाव को कम एव सीमित करने हुए सरकार को नये भर्ती होने वाला के साथ विशेष सविदा में प्रवेश करने का अधिकार है। यह बानून बनाता है कि विराप योग्यता रखन वाले व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये यदि राज्यपाल चाहे तो सेवा-सविदा में भ्रवधि से पूर्व पद की समाप्ति अथवा बिना दुराचरण के सेवा निवृत्त हो जाने की दशा में क्षति पूर्ति (मुआवजा) का विशेष प्रावधान रख सकेंगे। ध्यान रहे कि ऐसी सविदा केवल नये प्रवेश पाने वाले के साथ ही की जा सकती है अर्थात् उसके साथ जो पहले से राज्य की असेनिव सेवा का सदस्य नहीं है। किन्तु इसका अन्तिम अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति के साथ कोई सविदा है तो उसमें क्षति पूर्ति की बातें अनिवार्य रूप से हाँ या ऐसी शर्त के अभाव में वह सविदा अनुच्छेद ३१० (२) के अन्वय में प्रवेश समझ ली जावे।<sup>४</sup> अतः अनुच्छेद ३१० (२) का परिधि अत्यन्त सकोण है और केवल उन मामलों तक सीमित है जिनका पद किन्हीं नियमित सेवाप्रा में नहीं है एव किसी विशेष योग्यताधारी की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सरकार को सविदा विनाश में प्रवेश होने के लिये बाध्य होना पड़े। परन्तु इस प्रकार के मामलों में भी यदि किसी की सेवा निवृत्ति सविदा की भ्रवधि में दुराचरण के कारण कर दी जावे तो इस अनुच्छेद ३१० (२) के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

५ किसी विधि या इतरार द्वारा प्रदत्त अधिकारो एव विशेषाधिकारों का सरक्षण—इन नियमों की कोई बात किसी राज्य कमचारी को उसके किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्न आधार पर हकदार है—

(क) तत्समय प्रभावित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत, अथवा

१ उपरोक्त नोट ५ पृष्ठ २२  
 २ उपरोक्त नोट २ पृष्ठ २२  
 ३ अन्वीकृत मोदीसिंह बनाम विशेष सेवाधिकारी ए आई आर १९५० मनीपुर ६० यह भी दक्षिण अमरासिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २२८  
 ४ मोहन बनाम पेपसू ए आई आर १९५४ पेपसू १३६

१ एवं सरकारी नौकरी या इच्छुत नागरिक धारणी इतरार द्वारा इन प्रारर का बना सतते है कि नौकरी को सविना पर मविधान मागू नहा होगा ।<sup>१</sup>

सविना म यह प्रावधान वि कमतारी को बिना गुवाई का अवरर दिने नौकरी मे अरसिन का अलग विमा जा सवता है स्पष्टतमा मविधान क अनुच्छेद ३११ का अतिप्रमाण है ।<sup>२</sup> इमम यह स्पष्ट है कि अस्थायी ममचारिया के माथ राज्य सरकार विाय मवा मविना कर सतती है परन्तु ऐसी नौकरी को धर्ने मविधान म असागत नही होनी चाहिए ।<sup>३</sup> निवाजन को सवा सविना की धर्ती के अनुसार एव महान का नाटिम देर या नाटिम के एवजाने म एर महीने का वेतन देरर सेवक को सेवा मे पुनर करन का अधिरार हा मकता है । उगतो यह भी अधिरार हो सवता है कि दुराचरण के कारण लब्ध स्वरूप सवक का मवाग ममाप्त करन । सविधान का अनुच्छेद ३११ इन तमाम मामला म लागू होता है जिनम रिगी रात्रणीय अरगिन मरमचारी को मवा दण्ड स्वरूप मवाप्त की जाती है और अरगिनगी अथवा अयरावरण की अरणा जारी की जाती है चाहे नियुक्ति करने वाला सवक के साथ की गई सविना का गती एर इतरार के अनुसार उगा मवा ममाप्त कर सवता हो अथवा नहा ।<sup>४</sup> मूअम म सरकार का रिगी ब्यक्ति या नौकर रगने हेतु किसी सेवा— सविना म भाग लन की स्वात्रता है अने कि एमो सविना से सविधान क रिगी प्रावधान का अलनधन नहा होना हो और यदि एगा मकव उगव माथ दिने गये सविना के प्रावधाना के अनुसार हा लिया गया है ता सविधान का अनुच्छेद ३११ (२) अररपित नहा होना ।<sup>५</sup> अररि प्राधी की मारत सरकार न एव पाच अरपीय सविना पर नियान लिया या और सविना की ममाप्ती मे पूर प्राधी एव सरकार के मध्य दीगर इतरार हुपा कि सविना की ममाप्ती पर उन अस्थायी रूप स अये रहन लिया जाणगा और वह अस्थानि मवाए अधिनियम से गसित हागा । इन नियमा म यह प्रावधान का कि सेवाए एव महीने का नाटिम देन पर ममाप्त की जा सवती थी । मीरिन पाच वर्ष की अवधि की ममाप्ती के पचात एर महीने का नौटिम देरर प्राधी का सवा से दिसचाज (पूयक) कर लिया गया ता यह निगय हूभा कि सवा से दिसचाज (पूयक) सविदा की धर्ती के अनुसर हो या इसनिये अथ था ।<sup>६</sup> अर कि एव ब्यक्ति की नियुक्ति इन अनुबध पर हुई कि वह मुद्ध काल म और उसके पचात् यदि अवावयवता हुई तो नौकरी म रसा जाणगा, यदि मुद्ध अर हो अरन के पचात् किसी समय उस सवा मुक्त कर दिया जाव तो उस गिवायत का कोई कारण नही मिलता ।<sup>६</sup>

अररि निरिधत अरन तव के दिने की गई सविना ममाप्त हो जावे तो नवोन अाधार पर उस अधिकाारी को सरकार पुन नियुक्त कर सवती है और यदि पुन नियुक्ति मिल्न धर्ती पर की जावे तो वह अधिकाारी पुन नियुक्ति को गती पर अाधारित रहगा चाहे नई धर्ते निम्न श्रेणी की

- १ पतित पावन बोध बनाम कलरता अन्तरगाह का आयुक्त ए आई आर. १९५७ कलरता ७२०
- २ अकीरचन्द्र बनाम अरररती ए आई आर १९५५ कलरता ५९६
- ३ अररदा प्रसाद बनाम ए जी उरनर प्रण ए आई आर. १९५५ इनाहावाद ५९६
- ४ ईरवरनाराथण सिन्हा बनाम भारतीय सध ए आई आर १९५७ इनाहावाद ५९६
- ५ मतीचन्द्र अरनन्द बनाम भारतीय सध ए आई आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०
- ६ अरमिनी बनाम भारतीय सध ए आई आर १९५५ कलरता ५५

हों।<sup>१</sup> किन्तु यदि सविदा की अवधि समाप्त होने पर कोई ताजा सबब नहीं होता और बिना अवधि निश्चय किये वह अधिकारी काम करता रहे तो ऐसी दशा में वह अस्थायी राजकीय सेवा में होना माना जावेगा और उसकी अस्थायी सेवा समाप्ति पर सविधान या अनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित होगा।<sup>२</sup>

जबकि एक राज्य दूसरे में सविलीन हो जावे, चाहे स्वेच्छा से, पराजय के कारण, विलीनीकरण से अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) के कारण तो सेवाप्राप्तों के समस्त सविधान जो पहले का सरकार एवं सेवकों के मध्य हुई थी स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौजरी परमावाहने उन्हे नये राज्य द्वारा लागू की गई शर्तें माननी होंगी।<sup>३</sup> किन्तु इन नियमों के नियम ३७ में यह प्रावधान है कि जब कि कोई अधिकारी एकीकरण की किसी भी योजना के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो वह राजस्थान में सम्मिलित होने वालों उक्त इनामों के नियमों से दासित होता रहेगा जो उसकी पिछली अन्तिम नियुक्ति पर लागू होने से।

सविधान के अनुच्छेद ३१० (२) के अनुसार इच्छानुसार वर्तमानों के नियमों के प्रभाव को कम एवं सीमित करने हुए सरकार को नये शर्तों होने वाला के साथ विशेष सविदा में प्रवेश करने का अधिकार है। यह कानून बताता है कि विराय योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये यदि राज्यपाल चाहे तो सेवा-सविदा में अवधि से पूर्व पद की समाप्ति अथवा बिना दुराचरण के सेवा निवृत्त हो जाने की दशा में क्षति पूर्ण (मुआवजा) का विशेष प्रावधान रख सकेंगे। ध्यान रहे कि ऐसी सविदा केवल नये प्रवेश पाने वाले के साथ ही की जा सकती है अर्थात् उसके साथ जो पहले से राज्य की असन्तुष्ट सेवा का सदस्य नहीं है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि किसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति के साथ कोई सविदा है तो उसमें क्षति पूर्ण की शर्तें अनिवार्य रूप से हों या ऐसी शर्तों के अभाव में वह सविदा अनुच्छेद ३१० (२) के अंतर्गत मन्तव्य समझ ली जावे।<sup>४</sup> अतः अनुच्छेद ३१० (२) की परिधि अत्यन्त सकोण है और केवल उन मामलों तक सीमित है जिनका पद निम्नो नियमित सेवाप्राप्त में नहीं है एवं किसी विशेष योग्यताधारी की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सरकार को सविदा विराय में प्रवेश होने के लिये बाध्य होना पड़े। परन्तु इस प्रकार के मामलों में भी यदि किसी की सेवा निवृत्ति सविदा की अवधि में दुराचरण के कारण कर दी जावे तो इस अनुच्छेद ३१० (२) के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

**५. किसी विधि या इकरार द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का सुरक्षण**—इन नियमों की कोई बात किसी राज्य कर्मचारी को उसके किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्न आधार पर हकदार है—

(क) तत्समय प्रभावित किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत, अथवा

१ उपरोक्त नोट ५ पृष्ठ ०२

२ उपरोक्त नोट २ पृष्ठ २२

३ अन्वयम माबासिंह बनाम विशेष सेवाधिकारी ए आई आर १९५० मनीपुर ६० यह भी दमिये अमरसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २२८

४ मोहन बनाम पेपसू ए आई आर १९५४ पेपसू १३६

(ग) इन नियमों के आरम्भ होने से पूर्व ऐसे व्यक्ति एवं सरकार के मध्य विद्यमान किसी प्रकार की शर्तों के अन्तर्गत ।

### टिप्पणी

यह नियम राज्य कर्मचारियों के अधिनियम एवं विधायिकाओं का संरक्षण करता है जो इसमें—

(१) नियम कानून के प्रावधानों में मिलते हैं, अथवा

(२) किसी एक सरकार का शर्तों में प्राप्त हुए हैं जो इन नियमों के आरम्भ होने तक विद्यमान थे ।

(१) सरकारी कर्मचारियों के अधिनियम एवं विशेषाधिकार—यदि अन्तर्गत कर्मचारियों को कि राजस्थान का प्रसन्नित पदों पर धारण करता है—किन्तु एक प्राधिकारों द्वारा पदभूत (बर्लान्त) या अन्यथा नहीं जा सकता जो उसका नियुक्त करने वाले अधिनियमों के अधीनस्थ है, और अन्तर्गत बर्लान्त (परत) करने का अधिकार कि किन्तु अन्तर्गत कर्मचारियों का बर्लान्तगो, परान्तरण एवं परान्तर्गत का शर्त नहीं दिया जा सकता । यह संरक्षण एक व्यक्ति का तब उत्तर है जब कि उन व्यक्ति का यह परान्तरण करने का अधिकार कि किन्तु यह शर्तों का है । किन्तु शर्तों पर मूत्र नियुक्ति तब पर का धारण करने का अधिकार तब तक प्रदान करता है जब तक कि वह परान्तरण नियमों में अन्तर्गत का नहीं हो जाता या अन्तर्गत अधिनियमों में मन्त्रालयों का अधिकार प्रदान करती है । किन्तु स्थानापन्न हेतुवत (आधिकारिक वेपसिटी) में या परान्तरण करने में या मूत्र नियुक्ति तब पर का धारण करने का अधिकार प्रदान नहीं करता । अन्तर्गत पर मूत्र नियुक्ति तब तक इस शर्तों में मुफ्त नहीं करती जब तक कि नियमों के अन्तर्गत यह शर्तों परान्तरण द्वारा शर्तों अधिनियमों में अन्तर्गत नहीं बन जाती ।<sup>१</sup> यदि किन्तु अधिनियमों अधिनियमों परान्तरण पर नियुक्त शर्तों का अधिनियमों शर्तों एवं शर्तों-नियमों के अन्तर्गत नाटिक दफ्तर या नाटिकों की एवज में वेतन देकर सेवा मुक्त (डिचार्ज) कर दिया जावे ता उनका संरक्षण नहीं मिलता । केवल उन्हीं शर्तों में जब कि किन्तु अधिनियमों शर्तों की शर्तों नियुक्ति दण्ड स्वयं का जावे ता अन्तर्गत ३११ (२) का परिधि के अन्तर्गत ऐसा शर्तों नियुक्ति (डिचार्ज) बर्लान्तगो शर्तों में मानी जावे ता और इससे प्रभावित व्यक्ति संरक्षण का अधिकारी है ।<sup>२</sup> यह संरक्षण उन मामलों में उत्तर नहीं है जो कि शर्तों शर्तों के या मूत्र पर स्थानापन्न पद में अधिनियमों अधिनियमों पर

- १ अन्तर्गत ३११ (१) विहार राज्य बनाम अन्तर्गत मन्त्रालय, ए. आई. आर. १९५०, पृष्ठ १७
- २ पृष्ठांतमन्त्रालय बनाम मन्त्रालय मन्त्रालय ए. आई. आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
- ३ मोगाराम बनाम उत्तर पूर्वीय सामान्य शर्तों ए. आई. आर. १९६४, सर्वोच्च न्यायालय ६०० सुबन्ध सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय १७११ मन्त्रालय बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ५३१ उद्दीष्टा राज्य बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १७५ विहार राज्य बनाम मन्त्रालय प्रमाण ए. आई. आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६०६ ।

से अथवा अवकाश पर गए कर्मचारी के लौटने से मनुभावपूर्ण प्रत्यावतन (रिवरान) के एवं परीक्षण अवधि से पूर्व परीक्षणार्थी (प्रोविशनर) को हटा देने के संबंध में हो।

संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा निर्मित अधिकार में विधान मंडल द्वारा गठित कानून अथवा राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत कमी नहीं की जा सकती।<sup>१</sup> सरकारी कर्मचारी 'यायालय में इस घोषणा की मांग कर सकता है कि वखास्तगी अथवा नौकरी से हटाये जाने का आना 'न्यून एवं अप्रभावशील है और वह वाद प्रस्तुत करने की तारीख के दिन राज्य-सेवा का सदस्य कायम है।<sup>२</sup> वह बकाया वतन पाने का भी हकदार है। अंग्ल देश का यह विधान कि कोई असैनिक कर्मचारी बकाया वेतन का वाद सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकता, भारत में लागू नहीं होता। उक्त विधान भारत के 'वधानिक कानून (स्टैट्यूटरी ला) के प्रावधान द्वारा अभाव्य कर दिया गया है।<sup>३</sup>

(२) क्या संरक्षण का परिहारा किया जा सकता है — एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या सरकार और राज्य कर्मचारी ऐसा इतरार कर सकते हैं जिसका प्रभाव संविधान द्वारा प्रत्याभूत (गारन्टीड) अधिकारों में सशोधन करने का हो। एक वाद में<sup>४</sup> मुख्य 'यायाधीश छागला ने बताया है कि अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत्त संरक्षण ऐसा अनिवार्य कानूनी देय है जो कर्मचारी द्वारा मागे जाने पर अघारित नहीं है। एक अन्य वाद<sup>५</sup> में 'यायाधीश मनन ने बताया है कि मौखिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध जो राजकाय सेवा संबंधी सबिदा द्वारा लगाये गये हो अधिकारवाह्य (अन्ट्रा वाईरिंग) नहीं हैं तथा कि कर्मचारी द्वारा नौकरी स्वीकार करने के साथ यह मान लिया जायगा कि उक्त कर्मचारी ने अपने उन अधिकारों का परिहारा करना चुन लिया है जो उससे अलगत हा।

- 
- १ टा मुनीस्वामी बनाम मैसूर सरकार ए आई और १९६४, मैसूर २५०
  - २ भारतवर्ष का उच्च आयुक्त (हाईकमीशनर फॉर इंडिया) बनाम आई एम लाल, ए आई और १९४७ प्रीवी कोर्टिल २३
  - ३ बिहार सरकार बनाम अशुल मजौन ए आई और १९५४ सर्वोच्च 'यायालय २४५
  - ४ सरकार बनाम गजानन महादेव, ए. आई और १९५४ बम्बई ३५ १.
  - ५ सी एन धनापन पिनाई बनाम ट्रेडनकोर कोकोन राज्य, ए आई और १९५७ करल ४३



## भाग २

### वर्गीकरण

६. क्रमिक सेवाया का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा—

- (१) राज्य सेवाए
- (२) अधीनस्थ सेवाए (मंत्रोद्देशित सर्विसेज),
- (३) लेखक वर्गीय सेवाए (मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज),
- (४) चतुर्थ श्रेणी की सेवाए ।

यदि एक सेवा क पद<sup>१</sup> में एक से अधिक ग्रेड हों तो विभिन्न ग्रेडों के पद विभिन्न श्रेणियों (क्याम्प) में सम्मिलित किये जा सकेंगे ।

### टिप्पणी

एक नियम क्रमिक सेवाओं का चार श्रेणियों में वर्गीकरण करता है, उदाहरणम् (१) राज्य सेवाए (२) अधीनस्थ सेवाए (३) लेखक वर्गीय सेवाए एवं (४) चतुर्थ श्रेणी की सेवाए । विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पदों का विवरण इन नियमों से मिलने वाले चार अनुसूचियों में उपलब्ध है । यह वर्गीकरण अनुशासन का दृष्टा से महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कम-उच्चतर पदों के अन्तर्गत उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा नियमित हुए हैं । प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से उच्चतर है, द्वितीय तृतीय से उच्चतर है और तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी से उच्चतर है । नियुक्ति प्राधिकार के लिए भी यह वर्गीकरण महत्व का है । जयपुर एवं हाद्वर का चतुर्थ श्रेणी में समान नियमों का कारण ६० वर्ष की आयु तक नौकरों में रहने दिया गया जब कि यह अधीनस्थ सेवा का सम्बन्ध था तो ऐसी बुद्धि पर परिवर्धन उमान के लिए राज्य के नियमित विभाग का परिष्कार (सरकूलर) जारी करना पडा ।<sup>२</sup>

क्रमिक कम-उच्चतरों के पदों में विद्यमान अतिक्रमण की मान्यता का आधार पर नियमित वर्गीकरण अनुचित अथवा स्वच्छन्द (आर बिट्टरी) कहा जा सकता है ।<sup>३</sup> तथा उचित वर्गीकरण अधिमान द्वारा प्रत्याभूत (गारंटी दिया हुआ) समान संरक्षण के अधिनार का अधिकार नहीं है ।<sup>४</sup>

एक नियम (२) विभिन्न श्रेणियों में पदों के ग्रेडों के विभाजन कावत है । एक सेवा में अनेक ग्रेड हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रेड का सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किया जा सकता है । उदाहरणम् यदि सचिवालय सेवा में (क) उच्चतर ग्रेड, (ख) प्रथम ग्रेड (ग) द्वितीय ग्रेड (घ) तृतीय ग्रेड और (ङ) चतुर्थ ग्रेड है तो उच्चतर ग्रेड एवं प्रथम ग्रेड को राज्य सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, द्वितीय ग्रेड अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है,

१ अधिमूर्चना कानून एक १६ (६) नियुक्ति (ए) ५६ दृप २ तिवार २० २ ६० द्वारा जाना गया

२ सरकूलर क्रमांक एक ८ (३५) नियुक्ति (ए) १५ दि० २६ म० १८५६

३ एक एन नजुदा स्वामी बनाम मैजूर सरकार, ए आई आर. १८६३ मयूर, २०३

४ एम बी सेटावत राम बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर. १६५६ आर प्र० २५१

तृतीय ग्रह को लेखन वर्गीय सेवाओं में और चतुर्थ ग्रह को चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होंगे जिनका उल्लेख इन नियमों के नियम १२ में किया गया है।

ये नियम विभिन्न सेवाओं का कुछ श्रेणियाँ में वर्गीकरण करते हैं परन्तु असैनिक पदा का वर्गीकरण नहीं किया है। नियम २ में शब्द 'राजकीय कर्मचारी की परिभाषा दी गई है जिसका अर्थ है किसी सेवा का सदस्य, अथवा किसी असैनिक पद को धारण करने वाला। कोई व्यक्ति जो असैनिक पद धारण करता है राजकीय कर्मचारी है चाहे उसे सेवाओं में से किसी में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। केंद्रीय असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियमों एवं अधीन) नियम १६६ के नियम ६ में असैनिक पदा का वर्गीकरण किया गया है और नियम ७ में यह प्रावधान किया गया है किसी भी श्रेणी के असैनिक पद का किसी अन्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है उद्देश्य जनरल केंद्रीय सेवाओं की समवर्ती श्रेणी में समझा जावेगा तथा यदि किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति किसी ऐसे पद पर होती है तो उसे उस सेवा का सदस्य समझा जावेगा यदि वह उसी श्रेणी के किसी अन्य असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है।

### ७ राज्य सेवा में ये सम्मिलित होंगे—

- (क) अनुसूची १ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।
- (ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूची १ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।
- (ग) वे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव (सलेक्शन) विचाराधीन होने की दशा में तदर्थ आधार पर ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये हों जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों की मूल रचना (केडर) पर स्थित हैं।

### ८ अधीनस्थ सेवाओं में ये सम्मिलित होंगे—

- (क) अनुसूची २ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।
- (ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूचि २ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।
- (ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव (सलेक्शन) विचाराधीन होने की दशा में तदर्थ आधार पर ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये हों जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों की मूल-रचना में (केडर पर) स्थित हैं।

### ९ लेखक वर्गीय सेवाओं में ये सम्मिलित होंगे—

- (क) अनुसूची ३ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।
- (ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूचि ३ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।

(ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव विचार राधीन होने की दशा में तदथ आधार पर ऐसे पदा पर नियुक्त किये गये हा जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।

१० चतुथ ध्रेणी मेवा मे ये सम्मिलित हांगे—

(क) अनुसूची ८ में सम्मिलित मेवा के सदस्य।

(ख) वे व्यक्ति जो मौजिक रूप मे अनुसूची ४ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य मेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।

(ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव विचार घोन होने की दशा में तदथ आधार पर ऐसे पदा पर नियुक्त किये गये हा जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित मेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं है।

११ (क) समय समय पर सरकार अनुसूचिया के इद्राजा मे वृद्धि अथवा परिवर्तन कर सकती है।

(ख) जब कि कोई विद्यमान पद किसी भी अनुसूचि में सम्मिलित नहीं है ता मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे निरुण्य हेतु भेजा जाकर निश्चय किया जावगा।



यदि नियुक्ति प्राप्तिमात्र राज्य सरकार है या उस विद्या गान कमवाप का नियुक्त एवं बखान्त करन स पहन व्यवहार नियमा में नियमित काय प्रजागो का अनुमत्या करना चाहिये। जबकि एत पुनिस सवन इन्वेष्टर का नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई या और उसनी प्रतिवाय रूप स संवा निवति का प्राप्ता नी राज्य सरकार ने जाय की तो यह बाद एत हुआ कि उक्त प्राप्ता मुच्यमत्रा स प्राप्ता राज्यभान तन पत्रुष हा नहीं। व्यवहार नियमों के नियम ३१ (vii) म प्रावधान है कि विना एत अधिनियम के संवत म विज्ञाना नियुक्ति अधिनियम राज्य सरकार है, प्राप्ता जाये करन म पूव बखान्त करन हूयत या अधिनियम एत म संवा निवति करन के प्रस्ताव राज्यभान एवं मुच्यमत्रा क समय प्रस्तुत किय जायें। उक्त प्राप्ता कवन मुच्यमत्रा क समय रखे गय और राज्यभान के समय पत्र नहीं किन गये ता यह नियम हुआ कि उक्त प्राप्ता कानून क अनुसूच्य नहीं पा।<sup>१</sup>

सविधान का अनुच्छेद ३११ बखान्तगा प्राप्तिमात्र के विषय में कृद नहीं कहता परन्तु वह कवन यह कहता है कि विज्ञो कमचारी का बखान्त करन जाना या हूयत जाना प्राधिकार उक्तो नियुक्त करले जान अधिनियम का अधिनियम नहीं जाना चाहिये इसका अधिनियम यह हुआ कि इस अनुच्छेद द्वारा नियुक्ति प्राप्तिमात्र का बखान्तगा क अधिकार प्राप्त हुए हैं।<sup>२</sup>

कमचारी का पुष्टीकरण (कनफर्मिंग) प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है— काइ प्राधिकार पठेणु के आधार पर संवा का विज्ञा विज्ञाप थेंगा में नियुक्ति कर संवता है परन्तु परामर्शाधी का पठेणु अधि की समान्ति पर मोचिक पद पर पुष्टिवरण जान पक्का करन वाला अधिकाये ही उक्तो नियुक्ति प्राधिकार माना जावगा।<sup>३</sup>

विवरण युक्त टिप्पणा नियुक्ति प्राधिकारी को परिभाषा के अन्तगत देखिय।

१ आराज' जैन बनाम पुनिस महानिरीक्षक राजस्थान घाई एन घार. (१९६१) ११ राजस्थान ५३६

२ मदनलाल बनाम एच बी टी इन्स्टीट्यूट ए, घाई घार. १९६२, दवाहावाद १६६  
ईन्वर नारायण सिन्हा बनाम भारतवाय संघ ए घाई घार. १९५७ इलाहाबाद ४३९,  
सातुराम बनाम अधिनियम तार, ए, घाई घार. १९५७ मध्य प्रदेस ५०, नन्दराकर बनाम  
राजस्थान सरकार, ए घाई घार. १९५७, राजस्थान १४८।

## भाग ४

### निलम्बन

१३ निलम्बन—(१) नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी है अथवा इस विषय में सरकार द्वारा अधिवृत्त कोई अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है—

(क) जबकि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कायवाही सोची जा रही हो अथवा चालू हो, या

(ख) जबकि उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध के विषय में तफतीश या मुकद्दमा जारी हो

परन्तु जबकि निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी ने दी हो, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरन्त देगा जिनमें वह आज्ञा दी गई थी।

राजस्थान सरकार का निर्णय\*—राजस्थान असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील ) नियम, १९५८ के नियम १३ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमों के नियम १४ में बतलाई गई छोटी शास्तियाँ में से कोई एक को लगा सकने वाले सक्षम अधिकारी को सरकारी कर्मचारी को निलम्बन करने का अधिकार प्रदान करती है।

(२) यदि कोई राज्य कर्मचारी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्य कारण से ४८ घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में अवरुद्ध रखा गया हो तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निलम्बित किया जाना सम्भव जायगा और अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(३) जबकि निलम्बित राज्य कर्मचारी को दिया गया पदच्युति (वर्खास्तगी), हटाये जाने या अनिवायत सेवा निवृत्ति का दण्ड इन नियमों के अन्तर्गत की गई अपील या पुनर्विलोकन (निगरानी) में स्वारिज कर दिया गया हो और मामला और अधिक (दोहर) जांच या कायवाही के लिये या अन्य किसी निर्देश के साथ वापिस लौटा दिया जाता है तो उसके पदच्युत, हटाने या अनिवायत सेवा निवृत्ति की मूल आज्ञा की तारीख से उस कर्मचारी का निलम्बन आगामी आज्ञा तक जारी रहना सम्भव जावेगा।

(४) जबकि किसी राज्य कर्मचारी को दिया गया, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवायत सेवा निवृत्ति का दण्ड किसी विधि न्यायालय के फसले द्वारा या उसके फल

\*प्रसिखचना सं० एक ३ (१) नियुक्ति (घ) ६२, दिनांक १०-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

स्वरूप स्वारिज अधिका शू य घापित कर दिया गया हो और अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थिति पर विचार करने से उन आरापों के विषय में जिनके आचार पर उसे पदच्युति, हटाया जाने या अनिवायत सेवा निवृत्ति का दण्ड दिया गया था और अधिक जांच करने का निश्चय कर ता उस राज्य कमचारी का पदच्युत करने, हटाने अधिका अनिवायत सेवा निवृत्ति करने की मूत्र आज्ञा की तारीख में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निश्चित किया जाना सम्भवा जात्रगा और वह आगामा आज्ञा तत्र निलम्बित रहगा ।

(५) इन नियम के अंतगत दो गई या समझी गई निलम्बन की आज्ञा किसी भी मन्दा वह प्राधिकारी निरस्त कर सकता है जिनमें एसी आज्ञा दी है या जिनके द्वारा एसी आज्ञा दी हुई समझी गई या अधिका उन प्राधिकारी द्वारा भी निरस्त क जा सकते हैं जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है ।

### टिप्पणी

धारण्य मन्दा यह बात ज्ञात कि स्वामी और मन्दा के सामान्य कानून व अंतगत नियमों का काल उचिततम औरतार मन्दा का निरम्बन के रूप में दण्ड देन क नहा है <sup>१</sup> और एस मामला में यदि मन्दा काय करने का नया है ना वह काय नहीं करने देन क निय हजान का दावा कर सकता है । किन्तु यदि वाद अधिकार निरम्बन क है ता निरम्बन का प्रभाव मन्दा का सविश्व का समस्त रूप में स्थगित करने का हागा जिसका फल यह हागा कि सबक काय करने क निय धारण्य नहा कर मन्दा या निरम्बन का अधिका क लिए पूर बनने ना दावा नहीं कर सकता ।<sup>२</sup> निरम्बन तवा-ममाजि म कुछ फल है अत मानिक और मन्दा का सम्बन्ध दुबन हान हुए भी जात्र रहगा । अपन मानिक का सामान्य सेवा नहा करने हुए भी सबक किना अधिका स्थान पर नौरगा करने का प्रयत्न नहा कर सकता । एसा प्रकार मानिक भा निवाह भत्ता देन क निय वाधक है ।<sup>३</sup>

(१) निलम्बन का अभिप्राय — नून गन्त निरम्ब और उनके समस्त मानिक गन्त का आचारभूत मुख्य प्रभवाय यह है कि राज्य का मन्दा म वाद पर धारण्य करने हुए जा राज्य काय सम्पादन कर रहा है या वाद विवाधाधिकार का पर धारण्य किय हुए है उम्दा एसा करने में राका जाना चाहिये और क बनमाने राज के निय उस पर पर अधिका राज्य करने क निय अधिका

१ हनन बनाम पात्र एण्ड पार्सन लि० (१९१५)१ के वा ६८८ एव भवाना के महाराज वर नि० बनाम वैक्यापयी नाथद्व (१९५५)१ एम एन ज २८२

२ बानवक बनाम फार्मिग (१८२२) २ के बी ६६ मन्दाटग फारम्ये बनाम मुग्दनाय (१९८८) कनकला ७१८ पदमकात मानिकार बनाम अहमदाबाद मुनिमियन गान ए आई धार १९४४ बम्बड ८ काररिबि मन्दा वन बनाम तिम्बक नारायण ए आई धार १९८१ नागपुर, १८८८ दवान्त म्द बनाम मन्दा आद २ मन्दा क० ए आई धार १९४५, नागपुर २८८८ नाराय बनाम विविजनन मुपति-उट एन दवन्त रन्व ए आई धार १९५८ पञाब १८८८ मिन्दा कौमिल अमरावना बनाम विद्वल विनायक बापट, ए आई धार १९४१ नागपुर १२१

विद्वक मुपति-उट बनाम मन्दावना ए आई धार १८५८ पञाब १८०

विशेषाधिकार का पद धारण करने से वंचित किया जाता है।<sup>१</sup> उसको काय मम्पादन से या अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है और वह एक प्रकार से अपने काय एव विशेषाधिकार से कुछ समय के लिये पृथक् कर दिया जाता है।<sup>२</sup> जाच विचाराधीन रहते निलम्बन की शान्त अस्थाई बाल के लिये सेवा के विमो सदस्य को केवल कतब्या के पालन से वंचित रखने के समान है और वह इस शब्द के विमो अथ म बर्खास्तगी या डिस्चाज नहीं हाता जिसस नि मविधान के प्रावधान आर्कापित हो सके।<sup>३</sup> यहा यह बतावे कि निलम्बन दो प्रकार के होते हैं उपाहृरगाथ (१) दड-स्वरूप एव (२) आरोपा की जाच के दरमियान। प्रथम प्रकार म कमचारी का कारण बताने के लिये उचित नोटिस दिये बिना मूल दड स्वरूप निलम्बन की सजा देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।<sup>४</sup> दूसरे प्रकार म अथान् किनी विभागीय जाच या फौजदारी अभियोग के विचाराधीन रहते कमचारी को प्रत्यक्षत नौकरी के काय से सक्रिय सम्बन्ध रखने से मना किया जाता है क्यकि अपने पद के कायों से सीधा सक्रिय सम्बन्ध रहने से समस्त सम्बन्धित पक्षा को कठिनाई रहगी। ऐसे मामला म उसक निर्वाह भत्ते के लिये कोई अन्तरिम व्यवस्था की जाती है और यदि कायवाहो का नियुग उसके हक म हाता है तो यह उपलक्षित है कि उस उसका पूरा वेतन मिल जायेगा।<sup>५</sup>

(२) उप-नियम (१)—निलम्बन को आज्ञा कौन जारी कर सकता है—यह उप नियम प्रावधान करता है कि किसी राज्य कमचारी को निलम्बन आदेश देने के लिये निम्नलिखित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी माने जावेंगे —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,<sup>६</sup> अथवा

(11) वह प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ ह, अथवा

(111) इस काय हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिवृत्त कोई अथ प्राधिकारी। राज्य कमचारी को निलम्बन करने के अधिकार, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकारी को दिय है जो इन नियमों के अधीन नियम १४ में निर्दिष्ट कोई सा भी लघु शक्ति प्रदान करने म सक्षम है।<sup>७</sup>

- १ मोहम्मद आजम बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर १९५८ आंध्र प्रदेश ६१९
- २ हेमन्तकुमार मट्टाचाय बनाम एस बी भुखर्जी ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३४० यह भी दखिये दडपानी गौडा बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५३ उड़ीसा ३२९ एव प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२
- ३ डी एन गंगा बनाम जम्मू कश्मीर सरकार, ए आई आर १९५४ जम्मू कश्मीर १५, आसाम सरकार बनाम हरनाथ बट्टहा, ए आई आर १९५७ आसाम ७७
- ४ गोपाल कृष्ण बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर १७०, वाली प्रसन्न बनाम पश्चिमो बंगाल सरकार (१९५२) ५६ सी डब्ल्यू एन ४९२
- ५ मुरारी चन्द्रवर्ती बनाम जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ए आई आर १९६१ कलकत्ता २२५
- ६ काय विवरण के लिये नियम (२) (क) के अन्तगत पढ़िये
- ७ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (९) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक ११ ९ ६२



उपनिषत् (१) का परन्तु यह प्रावधान करता है कि यदि निम्न - छात्रा निरुक्ति प्राविशारी म निम्न स्तर क प्राविशारा द्वारा दा गर्द है ता क प्राविशारा गुण निम्न करत का परिस्थितिया का विधा निरुक्ति अ धारा के दा दगा । एत विधा म जय कि जिता पत्रा न तार का समय सदथा मिष्या फाया और उरारण का प्रथमावतान (प्राइमरिया) मामता यनन के कारण सरकारी अनुमान का ध्या म तुरत जिता पत्रा न उरजिता पत्राव क विद् जाय क रमियात निम्न का ध्या जाय कर दा ता यह निरुत हूमा नि उरत ध्या नियमा क प्रावधाना के प्रतिरुत नहा था ।<sup>१</sup>

(३) निम्न के कारण — राय कमचारी निम्न विद्यया कारण म सम्बन्धित प्राविशारा द्वारा निम्न विद्या जा मयता है —

- (i) जब कि कोई अनुमाननात्मक वापराहा गयता जा रही हा या
- (ii) जब कि कोई अनुमाननात्मक वापराहा चानू हो या
- (iii) जब कि किना फौजदारी अधिभाग का जान जाय हा या
- (iv) जब कि काद फौजदारी मुक्तमा विचाराधान हा ।

किमी सरकारी कमचारा क विद् जाय विचाराधान हात के समय उररा निम्न एत केया विषय है जा अनुमान प्राविशारा क म्ब विवर का है<sup>२</sup> और उय मावियात के अनुच्छेद २११ का उरयत होना नहा बहा ता मयता ।<sup>३</sup>

अगर काइ राय कमचारी निम्नार हागया है तथा निरामन म क हागया है<sup>४</sup> अथवा उरत विद् फौजदारी मुक्तमा चानू है<sup>५</sup> अथवा ऋण की बमूता क पाण्य या नजययला निरायत अधिनियम<sup>६</sup> क अतगत निम्नार कर विद्या गया है<sup>७</sup> ता निम्न की ध्या उररा का जा मयता है एव एमी ध्या क्य हागी । विद्या जान मयत (पब्लिक सर्वेण्ट) का निम्न जाय म्ब क विदे काद फौजदारी दापारापण (चाज) क्हा न क्हा विचाराधान (पब्लिक) लेता चाहिये । यदि काइ चाज न तो साधारण और न विद्या विधाप जाय तय म ही विचाराधान है ना क विचाराधान होना नहा क्हा जा सक्ता और चाज का क्हा न क्हा विचाराधान हाता ममायत हात हा उय तारीय क पदचात निम्न ध्या जाये नहा रह सक्ती ।<sup>८</sup>

१ दंडापाना गोडा बनाम उदामा सरकार, ए आई आर १९५० उदामा ३२९  
 २ निरोमनिमिह रनाम भारतीय सभ ए आई आर. १९६४ मनापर १८  
 ३ जांतीप्रसाद रामदुपाल बनाम प्रिंसि ध्यागा ए आई आर. १९६५ पत्राव १०० गुल्द्व नारायण श्रीकास्तव बनाम विहार सरकार ए आई आर. १९५४ पत्रा १३१ डा० जो विम्मा रेडी बनाम आर्र सरकार ए आई आर १९४८ आर्र प्रत्या ५५  
 ४ सरोजकुमार रना बनाम पब्लिक बगाव सरगा ए आई आर १९६८ कलकता २९४  
 ५ अर पा कपूर बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९६३ पत्राव ८०  
 ६ राजस्थान सरकार की अधिमूचना क्रमांक एक डा २६४७ । ५९ एफ ७ ए (१) एफ डी ए ब्लूम । ५८ १ दिनांक १८ ८ ५९  
 ७ माहूमन चौध बनाम आर्र प्रत्या सरकार, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६  
 ८ एच के भट्टाचायजी बनाम भारतीय सभ ए आई आर. १९५८ कलकता २३९

(४) निलम्बन पक्किन्चुति नहीं है -- विभागीय जाच के दौरान निलम्बन अस्थायी चीज है और वह सजा में सम्मिलित नहीं है। उमरा अभिप्राय अधिकारी को वाय करने से अथवा अपना कन्त्र करने के हक का अस्थायी तौर पर वंचित रखने में है और यह उसकी पन् पक्किन्चुति अथवा क्तिबे की अवन्ति करता नहीं माना जाता। अत इस प्रकार की निलम्बन आना जारी करल स पूव अनुच्छेद ३११ (२) के अतगत उसका कारण बताने या अवसर देना आवश्यक नहीं है। इससे विपरीत नय नागपुर उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश बनाम शम्सु हुसन में वायम की है <sup>१</sup> जिसमें जस्टिस बोम ने कहा है कि जबकि एक व्यक्ति निलम्बित किया जाता है तो हमारी राय में यह उसका पक्किन्चुति करना है। यह साबित है कि निलम्बन बरास्तगो के समतुल्य नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो मौजूदा तक असफ्त हा जाता। परन्तु यदि वह व्यक्ति सेवा में वायम रहता तो वह कौन सा पद धारण करता ? स्पष्टतया वह पद नहीं जो कि वह निलम्बन की तारीख को धारण किये हुआ था। निलम्बन की दशा में उस कोई भी नौकरी करल का हक नहीं है। तब यह साबित है कि वह अपने मौलिक पद का धारण नहा कर रहा है क्योंकि पद के दो भूतभूत अग, विवाय उम दशा में कि वह अर्थनिक हो अथवा नौकरी प्रदा करने का हक और नौकरी का वेतन पाने का हक होने ह। तब यदि वह व्यक्ति सेवा में तो जारी है परन्तु जो पन् वह धारण करता था वह अब नहीं करता तब वह पक्किन्चुति अवश्य हुआ और हमारी राय में निलम्बित अधिकारी जिस दशा से वह अधिकार पूवक पुकारा जाता है उसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसकी पद पक्किन्चुति अवन्त करदी गई है। दूसरी और कलकत्ता <sup>२</sup> उड़ीसा, <sup>३</sup> मद्रास <sup>४</sup> मध्यभारत <sup>५</sup> पटना, <sup>६</sup> पजाब <sup>७</sup> आसाम <sup>८</sup> आंध्र प्रदेश <sup>९</sup> एवं केरल <sup>१०</sup> उच्च न्यायालय ने यह सम्मति प्रकट का है कि निलम्बन की आना अनुच्छेद ३११ की परिभाषा में पक्किन्चुति नहीं है। इन समस्त न्यायालयों ने अब नागपुर की राय से असहमति प्रकट की है। सर्वोच्च न्यायालय <sup>११</sup> ने अब यह निर्णय दिया है कि एक अधीनस्थ 'वायिव' अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने स्वयं ने जाच करके और उम अधिकारी के विरुद्ध सरकारी वायवाही विचाराधीन रहते निलम्बन को आना दी उससे अनुच्छेद ३११ आर्कापित नहीं हाता।

१ ए आई आर १९४९ नागपुर ११८

२ काली प्रसन्न बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर १९५२ कलकत्ता ७६९ पुलिन विहारी बनाम प्रादेशिक अधीक्षक, ए आई आर १९५३ कलकत्ता ४५, शिवनन्दन बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ६० हेमन्ती कुमार भट्टाचारजी बनाम एस एन मुखर्जी, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३४०

३ दडपानी गोडा बनाम सरकार, ए आई आर १९५३ उड़ीसा ३२९

४ वेंकटरवूलू बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५४ मद्रास ५८७

५ प्रेम विहारी बनाम सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ४६

६ गुरुतेव नारायण बनाम विहार सरकार, ए आई आर १९५५ पटना १३१

७ जाताप्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५५ पजाब १०२

८ आसाम सरकार बनाम हरनाथ बरत्रा ए आई आर १९५७ आसाम ७७

९ पिम्भा रडा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ आंध्र प्रदेश ३५

१० एम इब्राहिम पिलाई बनाम प्रिन्सीपल यू आई कालेज, ए आई आर १९५८ केरल ७२

११ मोहम्मद पौस बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६

(५) क्या निलम्बन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक है?—निलम्बन एव एव प्रियाया धिसर म प्रभुत्वो वचन है । निलम्बन का प्रारम्भ प्रान्त नहा है <sup>१</sup> प्रन यह तर नि एव वमचारा का निलम्बन म पूर्व नागिन दना आवश्यक है माननाय नहा है <sup>२</sup> प्रन निलम्बन को प्रान्त म पहल नागिन दना आवश्यक नहा है ।

(६) उप नियम (२) से (४)—स्वत निलम्बन—नियम १३ क उप नियम (२) (२) और (८) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियां म सरकार वमचारा म्वन निवन्धित किया जाना माना जाता है—

(i) जव नि यह रिमा वीरुवारा दापाराण क वनम्बरूप प्रथवा प्रन्य वारण म ६८ घण्टा स अधिक समय क निय हिरामत म प्रवृद्ध रवा गया है प्रथवा

(ii) जव नि बर्गमिनो नौवरी म हटान या अनिवायन मेवा निवृत्ति का प्रान्त प्रयोग या पुनवाचसन (निगराना) म निरम्न (रह) कर दा गई है और मामन का दागर जाच या वाय वाही के निय या रिमी प्रय निरोग क माय वागिन वीगया जाता है, प्रथवा

(iii) जव नि बग्यास्तगी हटाये जान या अनिवायन मवा निवृत्ति का प्रवृत्ति रिमी वायायय द्वारा निरम्न कर लिया गया है और प्रवृत्तमन प्राप्तिवारी उन प्राराणा के विषय म गीगर जाच करना निदचय करना है जिनका आधार पर दण मुक्त म तालू किया था ।

उपरोक्त समस्त प्रभुत्वो म राज्य वमचारी का निवन्धित किया जाना समझा जाएगा और कोई यथा नियम निलम्बन प्रान्त आवश्यक नहा है । जबकि कोई व्यक्ति ६८ घण्टा म अधिक हिरामत म हा ता प्रवृद्ध हान का आरोप म वह निवन्धित हाना समझा जावगा और जव नि प्रयोग प्रथवा निगराना म प्रवृत्ति निरस्त किया जाकर मामन दागर जाच रवाणि क निय वागिन मेवा जाता है ता व दण्ड का प्राथमिक प्रान्त की आरोप म निवन्धित किया जाना समझा जावगा और तामरा दण म जव नि नागिनी की प्रान्त वायायय द्वारा निरम्न कर ना गइ ह और प्रवृत्तमन अधिकार दोगर जाच करना तय करे ता वह दण की प्राथमिक प्रान्त का आरोप म निवन्धित किया जाना समझा जावगा । जबकि तीन वमचारीया पर जिनम प्राथीगण भा मम्मिनिय या दोषारोपण विषय गये थे और पुनिय द्वारा गिरफ्तार कर निय गये थ ता उनका निवन्धन कर लिया गया । यह नियम हुआ कि राज्य वमचारी हिरामत प्रथवा जेन का सजा पान की प्रवधि म स्वत निवन्धित किया जाना समझा जावगा । जबकि हिरामत प्रथवा जेन म प्रवृद्ध रहने का प्रवधि के लिये निवन्धन की विधि प्रान्त की आवश्यकता नहा या किन्तु जिस अवधि म वह वास्तविक रूप स हिरामत प्रथवा जेन म नहा या उन रिना क निये निलम्बन का विधि प्रान्त आवश्यक था ।<sup>३</sup>

(७) निलम्बन का अतीतकालीन प्रभाव (रिटोसपेविटव इफक्ट) कय वीध होता है—जव किसी राज्य वमचारी को दो गई बग्यास्तगी हटाने प्रथवा अनिवायन मवा निवृत्ति

१ कमाराम लाम्बासिंह बनाम नसराम गोपालसिंह, ए आई प्रार १८६० मनापुर २८

२ मुन्गास बनाम मद्रास राज्य ए आई प्रार १६५४ मद्रास ५१८

३ मूयकृमार अटजी बनाम एन एन बनजी ए आई प्रार १६५५ कलकत्ता ३६५

की शास्ति विभागीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई है तो वह दीगर जाच की आज्ञा जारी करे या नही भी करे ठीक वैसे ही जैसे कि इसी प्रकार की शास्ति न्यायानय के निणय द्वारा निरस्त कर दी जाने की अवस्था में अनुशासन अधिकारी दीगर जाच करने का निर्देशन देवे अथवा नही भी देवे। जय कि बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवायत सवा निवृत्ति की शास्ति रद्द करने के पश्चात् दीगर जाच के लिये नियम ३० (२) (ii) के अन्तगत अपील प्राधिकारी मामला वापस दब देने वाले प्राधिकारी को भजन की आज्ञा प्रदान करता है तो ऐसी दशा में नियम १३ (३) कार्यान्वित हुआ जायेगा और इसलिये निलम्बन की आज्ञा जो कि अनुशासनीय कायवाही सोची जाने या चालू हान की दशा में अनुमानत सब मामला में दी जाती है वही आज्ञा बर्खास्तगी की प्रथम आज्ञा की तारीख से जारी रहनी समझ ली जाएगी और आगामी आज्ञा होने तक प्रभावशाली रहेगी। अतः नियम १३ (४) जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्तगी हटाने या अनिवायत सवा निवृत्ति की शास्ति विधिवत न्यायालय द्वारा निरस्त की जाकर और दीगर जाच करना तय होता है और नियम १३ (३) के प्रभाव में जिसमें किसी अन्य राज्य कर्मचारी पर इस प्रकार की शास्ति विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी की जाकर दीगर जाच करना तय होता है दोनों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। दोनों प्रकरणों में राज्य कर्मचारी को बर्खास्तगी हटाये जाने अथवा अनिवायत सवा निवृत्ति की मूल आज्ञा की तारीख से निलम्बित किया जाना समझा जायेगा, परन्तु उस दशा में जब कि किसी विभागीय जाच में शास्ति लागू करने की आज्ञा से पूर्व वह निलम्बित नहीं था इस परिणाम का अनुगमन नहीं होगा क्योंकि तब नियम १३ (३) की कोई क्रिया नहीं होगी। किन्तु यह सध्या अनहानी बात है कि साधारणतया बर्खास्तगी की तारीख से पूर्व किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बन में नही रखा जावे।<sup>१</sup> यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खेमचन्द्र बनाम भारतीय सघ<sup>२</sup> में उठा जिसमें तथ्य इस प्रकार के थे। अपीलाट केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी था और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक १७ दिसम्बर १९५१ से पदच्युत (बर्खास्त) हुआ था। पदच्युति की यह आज्ञा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निणय दिनांक १३ दिसम्बर १९५७ में प्रभावहीन घोषित कर दी गई।<sup>३</sup> सर्वोच्च न्यायालय के निणय के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी ने वास्तव में यह निश्चय किया कि जिन आरोपों पर पदच्युति की शास्ति प्रारम्भ में स्थापित की थी उन पर अपीलाट के विरुद्ध दीगर जाच की जावे और उसके फलस्वरूप पदच्युति की प्रथम आज्ञा की तारीख १७ दिसम्बर १९५१ से अपीलाट निलम्बित किया जाना समझा गया। इसके विरुद्ध अपीलाट न केन्द्रीय अमनिक सवाए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम १९७ के नियम १२ (४) की वधता को चुनौती दी (जो कि इन नियमों के नियम १३ (४) का समवर्ती है)। सर्वोच्च न्यायालय ने निणय दिया कि नियम १२ (४) वध है और अपीलाट को दिनांक १७ दिसम्बर १९५१ से निलम्बित किया जाना समझा जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने मत प्रकट किया कि 'इन नियमों का प्रावधान कि पदच्युति की प्रथम आज्ञा की तारीख से राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया जाना समझा जाना चाहिये, इन स्थिति पर अस्तर नहीं करता कि पहले जारी की हुई पदच्युति की आज्ञा प्रभावहीन थी और यह कि अपीलाट दिनांक २५ मई १९५३ का सवा का

१ खेमचन्द्र बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ६८७

२ खेमचन्द्र बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३००

सम्बन्ध था जब कि असीनाट द्वारा पहला वाद प्रस्तुत किया गया। एव राज्य कमचारा का नियमन प्राप्ता राज्य के अंतर्गत उनका सेवा का समाप्त नहीं करना। नियमन का अघाना के बावजूद वह राज्य सेवा का सम्बन्ध जारी रहता है। तिनान १७ डिसेम्बर १९५१ का जय कि पदचुति की अघाना हुई अघानाट का सेवा समाप्त हो गई। जय कि पदचुति का अघाना नियमन का गइ असीनाट का सेवा पुनर्जीवित हो गई और जय तक कि पदचुति का अघाना नही का जाई अघाना निम्नी और प्रणाली में असीनाट का सेवा समाप्त नही की जाता तय तय अघानाट राज्य सेवा का महत्त्व पारा रखा और निलम्बन का अघाना एव स्थिति पर काइ प्रभाव निम्नी भा प्रकार नही डालती। नियमन का अघाना का वास्तविक प्रभाव यह है कि यद्यपि वह राज्य सेवा का सम्बन्ध जारी रहा, उस काय करन का अनुमति नही मिली और इन्हीं अन्तर्गत नियमन का अघाना में उम बचन कुछ भला किया गया तिम सामान्यतया निराह भला बहूत हैं—जा साधारणतया उससे बचन में कम है—दजाम उस बचन और भत के जिनका यकि वह नियमित नही किया जाता ता पान का अधिकार होता। इसमें वाद यह नही कि नियमन का अघाना राज्य कमचारी पर अघानातपूर्ण प्रभाव डालती है। किन्तु यह साचन के तिम वाद साधारण नही है कि नियमन का अघाना के कारण वह राज्य सेवा का सम्बन्ध नही रखा। नियम १२ (८) का प्रावधान कि कुछ परिस्थितिया में पदचुति का प्रारम्भिक अघाना की कारण से राज्य कमचारा नियमित किया जाना सम्भव जावगा एव अघाना अघाना नव निलम्बित रहगा इस प्राधान्य की धारणा के विषयत तिम प्रकार में भी नहीं जाता। अत यह विचार कि अघानित नियम अनुच्छेद १८२ या १४४ का उल्लंघन है तिमन वाला नहीं है। अघानाट का दूसरा विचार कि अघानित नियम सचिवायन के अनुच्छेद (१६) (१) (ब) का उल्लंघन है जतना हा निराधार है। तय यह है कि इस प्राधान्य का डिगरी के अन्तर्गत अघानाट का अघाना बहूत बचन धार नने पान का अधिकार है। यह अधिकार उनका सम्पत्ति में जारी है और तू कि इस विचार अघाना नियम का प्रभाव यह है कि कम से कम कुछ समय तक उसको जत अधिकार (चुदा हुआ) भाग नही मिलगा अत यह उसका अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। यह स्वाकार कर सचन है कि अघानाट बचन और भला का अधिकार सचिवायन के अनुच्छेद १६ (१) (ब) का परिभाषा में सम्पत्ति जतना है और अनुच्छेद १६ (१) (ब) के अन्तर्गत जत सम्पत्ति पर उसका अधिकार पर सारभूति प्रतिबंध नियम १२ (४) द्वारा प्रभावित होता है। अत यय रह जाता है कि क्या जतहित में यह प्रतिबंध उचित है। अघाना बहूताना एव अघाना उचित कारणों से राज्य कमचारियों के विरुद्ध उचित अनुपातनामक कायवाही करन के महत्त्व एव अघाना पर काई गन्ना सन्त नही कर मचना। नियम एसी कायवाही सम्बन्धित राज्य कमचारी के हित के विरुद्ध है परन्तु जतना के द्वारा तिम अघाना कायवाही है एव जत तिम हा सरकारी यय स्थित एव कायवाही है। जाच के दौरान राज्य कमचारी का नियमित करना उसका विरुद्ध अनुपातनीय कायवाही करन का एव प्रावधान कायवाही प्रणाली है।

अत इसका अभिप्राय यह निम्ना कि सेवाचुति का दण्ड निरस्त कर दिया जाता है परन्तु उन्हीं तयों पर अनुपातन प्राधिकारी तयके विरुद्ध और अधिक जाच करना निश्चय कर ता जाच की समाप्ता तक, बाबून के अनुवार नियमन का ताजा हुम कायवाहीना में एव उचित बन्ध है। अत यह निगाय दन में हमका काई सन्त नहीं कि तिम सामान्य तय सचिवायन के अनुच्छेद (१८) (१) (ब) द्वारा अघानाट के अधिकार पर नियम (१०) (४) प्रतिबंध लगाता है वह अघाना जतना

के हिता में उचित प्रतिबंध है। इसलिये नियम (१२) (४) अनुच्छेद (१६) (६) के अपवादालम्बन प्रावधाना में है जिसमें सबधानिक प्रावधाना का कोई उल्लंघन नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त स्पष्ट निर्णय को देखते हुए इसके साथ अन्य सर्वोच्च न्यायालय के <sup>१</sup> कलकत्ता उच्च न्यायालय के <sup>२</sup> राजस्थान उच्च न्यायालय के <sup>३</sup> और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के <sup>४</sup> फसला का सामंजस्य करना बठिन है।

(८) निलम्बन का अतीत कालीन प्रभाव कब अवैध होता है—नियम १३ के उप नियम (२) (३) और (४) पर मनन करने के पश्चात् यह निम्न निम्नना है कि निम्न परिस्थितियां में राज्य कमचारी का अतीत कालीन (पिछली तारीख से प्रभावशील) निलम्बन अवैध होगा—

(i) जब कि राज्य कमचारी को ४८ घण्टों में अधिवक्त समय तक हिरासत में बंद नहीं रखा गया है।

(ii) जब कि राज्य कमचारी निलम्बन में नहीं था और सेवाच्युति हटाने या अनिवायन सेवा मुक्ति की शास्ति अपील अथवा नजरमानी में निरस्त की जाकर मामला दीगर जाच काय बाहिया या अन्य निर्देशन सहित वापिस भेज दिया जाता है।

१ श्रीमप्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ सर्वोच्च न्यायालय ६००। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठाया गया कि क्या सेवाच्युति की आणा के पश्चात् जो बाद में दीवानी न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दी गई थी निलम्बन की आणा जारी रही। माननीय न्यायाधीश ने सम्मति दी कि सेवाच्युति की आणा के साथ निलम्बन की आणा का अन्त होगया। दीवानी न्यायालय द्वारा बाद में दी गई घोषणा की सेवाच्युति की आणा अवैध थी निलम्बन की आणा को पुन जीवित नहीं कर सकते जा मौजूद ही नहीं थी। और इसलिये पदधारि का निलम्बन अवधि के बड़े बतन का हकदार करार दिया गया।

२ प्रबोध चंद्र बनाम अधिसापी अभियंता ए आई आर १९५६ कलकत्ता ४४७। इस बाद में यह निर्णय हुआ कि निलम्बन का आणा का डिसचाज की आणा में विलीनकरण हो गया और जब उच्च न्यायालय द्वारा डिसचाज की आणा निरस्त करदी गई, वह पुन जीवित नहीं हो सकता। यह भी देखिये सत्कारी बनाम पुलिस आयुक्त ए आई आर १९६५ कलकत्ता १३।

३ जयवंत राव बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६३ राजस्थान २०३। इस बाद में जस्टिस मोदी ने सम्मति दी है कि जब विभागीय जाच के दौरान निलम्बन की आणा के पश्चात् डिसचाज की आणा होती है और इन प्रकार से उसी में सम्मिलित हो जाती है एव तत्पश्चात् डिसचाज की आणा किसी न्यायालय अथवा सक्षम विभागीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त करदी जाती है तो ऐसी दशा में निलम्बन की आणा पुन जीवित नहीं हो सकता क्योंकि उमका कतई अस्तित्व नहीं है। ऐसे मामले में निलम्बन की नवीन आणा बान्नी प्रावधान के अभाव में गत कालिक प्रभाव रखने वाली नहीं हो सकती।

४ सी ए डी सोजा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर. १९६१ मध्यप्रदेश २६१

(iii) जब कि राज्य कर्मचारी मवा म पुन म्यापिन हो जाता है उसी दिन उमका पिछनी बारीक स प्रभावगत निरम्बन नहा हा सवता ।<sup>१</sup>

(iv) जब कि हुकम होता है कि निरम्बन किमी पिछनी ताराक म या किमी प्रागामा निना म प्रभावगत हागा, एमी प्राता प्रभावगत एव तास्य हात है ।<sup>२</sup>

(v) जब कि राज्य कर्मचारी न वाम्ब म अपन पण पर काय लिया है तो वह पिछनी ताराक म निरम्बित नही लिया जा सवता ।<sup>३</sup>

(vi) जब कि एक राज्य कर्मचारी का अतीत कानीन निरम्बन दिनाक ६ ६ १९५१ म २१ ८ १९५५ तक हुआ तो यह निरणय हुआ कि ये नियम प्राधिपार का पिछनी तारीख स निरम्बित करने का अधिकार नहा दन न इस प्रकार का अधिकार निलम्बन को स्वाभाविकता के अनुकूल हा है ।<sup>४</sup>

(vii) जब कि राज्य कर्मचारी निलम्बित किया जाता है और उन फिर काय करने का अनुमति दा जाती है ता निलम्बन सवदा के लिय समाप्त हा जाता है । तत्पश्चात् वह पिछनी निरम्बन का तारीख स पुन निरम्बित नही किया जा सवता । निलम्बन का निलम्बन नहा हा सवता ।<sup>५</sup>

(६) निलम्बन की आज्ञा कब अवधि है — निलम्बन की आज्ञा जब नियमों एक सविधान के अनुच्छेद ३११ का पालन नहा करत हुए दण्ड स्वरूप की जाती है ता वह कानूनम् अवधि हाता है ।<sup>६</sup> जसा कि सब विहित है निरम्बन दा प्रकार के होने है दण्ड स्वरूप निलम्बन एव कर्मचारी के विरुद्ध आराप की जाच के विचारयोग्य रहन निलम्बन । यदि निलम्बन दंड स्वरूप है और सजा है तो उमकी सेवाच्छुति पर लागू होन काला वारों एस विषय म भी विचारणीय हागी और जब तब नियोजना तुराचरण का मामला सावित नही करता तब तब अस्थाई सवा भग का उचित नाटिस अवय दना होगा क्यकि यह नही हा सवता कि नियाकता, जो कि बिना उचित नाटिस दिये सवा का सविना समाप्त नहा कर सवता वह अपना खुगी स एतर्फ कायवाहा स किता की नौकरी अस्थाई रूप स भग कर द और उमका बतन रोक ले । जब कि निरम्बन का अवधि म एक राज्य कर्मचारी का उमका पन्थकिन मे नीचे उतार लिया जाता है<sup>७</sup> प्रथवा उसका बतन कम कर लिया जाता है<sup>८</sup> प्रथवा एक लम्ब समय तक उस अधिपोग पन नहा लिया जाता है<sup>९</sup> प्रथवा उसका निलम्बन

- १ अनुत्त माहम्म का बनाम मध्यप्रन्थ सरकार, ए आई आर १९५८ मध्य प्रदेश ४४ हमन्तकुमार भट्टाचार्य बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ कलकत्ता २०६
- २ लक्षराम शर्मा बनाम मध्य प्रन्थ राज्य ए आई आर १९५६ मध्यप्रन्थ ४०४
- ३ नारायणप्रसाद रेवे बनाम उदासा सरकार ए आई आर १९५७ उदासा ५१ बी एम डालीवर बनाम मुख्य अधिपोग अधिकारी ए आई आर १८६० बवई २७४
- ४ मोहम्मद आजम बनाम हैरावात सरकार ए आई आर १९५८ आध्रप्रन्थ ६१६
- ५ हुकमचन्द जन बनाम एम बी फिरोजाबाद ए आई आर १९५६ इनाहाबाद ६८६
- ६ भारतीय सरकार बनाम मलिक मोहम्मद इलियास, ए आई आर १९६४ पटना १६८
- ७ कदारनाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२
- ८ कन्दनाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२ जे वा पुष्पोत्तम बनाम जनरल मनबर, ए आई आर १९६३ मद्रास २४
- ९ भारनाथ सघ बनाम मलिक माहम्मद इल्हास, ए आई आर १९६४ पटना १६८

की अवधि सञ्चित एवं नियमानुसृत अवकाश एवं तत्पश्चात् अवतनित अवकाश के रूप में मानली जाती है<sup>१</sup> एवं उसके सब निवृत्ति (रिटायर) होने के समय उसकी सेवा का काय काल बढ़ाया जाकर साथ ही वह निलम्बन में रख दिया जाता है<sup>२</sup> तो निलम्बन की श्राप्ता अवधि है।

(१०) सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश के समय निलम्बन — राज्य कर्मचारी को रिटायर होने से पूर्व ग जाने वाली छुट्टी में निलम्बन करना वैध है। एक मामले में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय<sup>३</sup> ने यह निर्णय दिया कि निवृत्ति पूर्व अवकाश काल में राज्य कर्मचारी को निलम्बन की श्राप्ता नहीं दी जा सकती। परन्तु उसके बाद एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय<sup>४</sup> ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य<sup>५</sup> में दिसम्बर १९६० के लगभग अपीलान्ट मया निवृत्ति से पूर्व अवकाश पर गया। उसका अवकाश १८ दिसम्बर, १९६० का स्वीकार किया गया। ३ जून १९६१ को पंजाब के राज्यपाल ने श्राप्ता दी कि चूँकि सरकार ने उसके विरुद्ध विभागाय जाच करना निश्चय किया है इसलिए उसे तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। यह निर्णय हुआ कि जिस दिनांक से राज्य कर्मचारी निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर था वह उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख नहीं मानी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवृत्त किया “इस बात पर भी बल दिया गया है कि निवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि में किसी राज्य कर्मचारी का निलम्बित नहीं किया जा सकता बशर्त निलम्बन से तात्पर्य उसके धारण किए हुए पद का काय करना बंद कर देना है और ऐसी छुट्टी में गया हुआ सावजनिक सेवक बाई नौकरी या पद धारण नहीं करता इसलिए वह प्रभावशालिता से निलम्बित नहीं किया जा सकता। नौकरी की अवधि में किसी राज्य कर्मचारी का निलम्बन कबन इतना सा अभिप्राय रखता है कि निलम्बन की अवधि में उससे कोई काम नहीं लिया जावे। राज्य कर्मचारी निलम्बन की अवधि में किसी पद पर काय नहीं करना। यदि वह निलम्बन से पूर्व वास्तव में किसी पद का काय कर रहा है तो निलम्बन का अर्थ होगा कि वह उस पद पर काय करना एवं अपनी नौकरी करना बंद कर देगा। यदि उस समय वह किसी पद पर काय नहीं करता और अवकाश पर है तो कोई प्रश्न उसके वास्तविक रूप से काय बन्द करने का या नौकरी करना बन्द करने का नहीं उठता, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निलम्बन की श्राप्ता प्रभावहीन होगी। निलम्बन में अथवा अवकाश पर राज्य कर्मचारी अपने स्थाई पद पर पदाधिकार (लियन) रखता है और जब तक उसका पदाधिकार उचित नियमानुसार निलम्बित या स्थानान्तरण नहीं किया जाता निलम्बन काल अथवा अवकाश काल में उसे वह पद धारण करने का स्वताधिकार (टाइटल) होता है।”

(११) क्या पुनर्नियुक्ति (री इन्स्टेटमेंट) के बाद वेतन पाने का अधिकारी है — प्रारम्भ में ही बता दें कि पुनर्नियुक्ति के पश्चात् राज्य कर्मचारी पूरे वेतन का स्वताधिकार अधिकृत रूप से नहीं रखता। यदि किसी फौजदारी दोषारोपण में वह सम्मानपूर्वक बरी नहीं हुआ तो वह

- १ बसन्त रघुनाथ गोखले बनाम महाराष्ट्र सरकार, ए आई आर. १९५७ बम्बई १३०
- २ आसाम राज्य बनाम राम बोराह, ए आई आर. १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ४७३ नुन्दनाथ बागची बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर. १९६१ कलकत्ता १
- ३ गगनाय बनाम धर्मप विभाग, ए आई आर. १९५८ जम्मू कश्मीर ४१
- ४ प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२



पूर बतन का अधिकार नहीं होता<sup>१</sup> यदि 'सायानस' द्वारा वसाहतवा या प्राणा निरस्त करण गई ह तो राज्यकर्मचारी नियमन क विनाक म बतन पान का अधिपारा है ।<sup>२</sup> यदि राज्य सरकार उन कारणों का जिनसे श्रमिक पर कर्मचारी का नियंत्रित किया था बाधक न रहा है ता बतन नियन का बाधक न है ।<sup>३</sup> नियमन अधि के बतन पर 'सायानस' व्याज विनाक का प्राण द सतता है यद्यपि एसा समाधान मागा भी नहा गया हा ।<sup>४</sup>

(१२) निलम्बन की श्रवधि में अधिकार—जसा नि पहन बनाया जा चुका है निलम्बन का श्रवधि म राज्य कर्मचारी सरकारों मवा म यथावत् रहता है । निलम्बन का श्रवधि म राज्य कर्मचारी पूर बतन पान का अधिपारा नहा भा हा<sup>५</sup> ता भा निम्नलिखित अधिपारा का भाग कर सतता है —

- (i) निलम्बन की श्रवधि म निवार बना<sup>६</sup>
- (ii) यदि उगकी मवा सरकार द्वारा आवश्यक मवा के अनगत विन्त (नामीपान) हो चुकी है ता निनाम स्थान (एवामाडगा) क सम्बन्ध म मुक्ति<sup>७</sup>
- (iii) नियमित राज्य कर्मचारियों का उपनय विविधता मुविधाए,<sup>८</sup>
- (iv) यदि कार्य पौत्रपारा मुक्ताम विचारधीन नहा हा और निलम्बन हुए म बाधक व्यनात हा शक है ता पुन स्थापन
- (v) निलम्बन श्रवधि म श्रवकाग (परिवार म बाई गनीर बीमारी की दगा म) एक मुख्य स्थान (इडकवाटम) छाहन का अनुमति ।<sup>९</sup>

राज्य सरकार न समय समय पर श्रादण जारी किय हैं कि निलम्बन राज्य कर्मचारियों के मामल यथासभव गात्र निपटाश जायें और जे नक कि बहा गामि की सम्भानना नहा हा राज्य कर्मचारी नियमित नहीं किया जाता बाणिय ।<sup>११</sup>

(१३) उप नियम (५)—निलम्बन श्राज्ञा का निरस्तोकरण—जे कि बा निलम्बन प्राण उपनियम (१) के अनगत लिया गया है अथवा उपनियम (२) ( ) व (८) क अनगत जाय किया हुआ समयमा गया है ता निम्नलिखित प्राधिपारी द्वारा प्राण निरस्त किया जा सतता है—

- १ ए एन रना बनाम जम्पू एव कमार सरकार, ए श्राई शार १९६० जम्पू कदमार ६८
- २ भन्प्रमा बनाम सरकार श्राई एन शार १८६० राजस्थान ९५२
- ३ श्यामनाथ बनाम भारतीय सष ए श्राई शार १८६५ काउन्सिल २८१
- ४ श्राध्र प्राण राय बनाम माम्मन मुनवुपान भा ए श्राई शार १९६८ श्राध्र प्रेषण ४८१
- ५ विविजनन मुन टट बनाम मुक्ताम ए श्राई शार १९५७ पत्राव १३०
- ६ भारतीय सष बनाम पादुरग बागासाथ मार ए श्राई शार १९६२ सर्वोच्च सायानस ६३०
- ७ बी एन मुल्द बनाम जी ए श्रवकाग ए श्राई शार १९५६ मद्रास ९५
- ८ राजस्थान राज्यन भाग iv (डी) विनाक १० १२-५९ पृष्ठ ९९० म प्रवणित अधिमूचना
- ९ नियुक्ति विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ (६१) नियुक्ति (ए) ५२ ग्रूप III विनाक २१-११ ६२
- १० विन विभाग प्राण क्रमांक ९ (१) बा ५५१ विनाक ८ फरवरी १९५५
- ११ परिपत्र क्रमांक ग १ ६६१३।५९। एफ १९ (२७) नियुक्ति ए ६० विनाक १७-३ ६०

(i) प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया अथवा जिम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश जारी किया जाना सम्भवा गया, अथवा

(ii) वह प्राधिकारी जिसका उपरोक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

अन इतना अभिप्राय यह हुआ कि निलम्बन अवधि में भी जाच के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा गम्भ वमवारी पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति करने का तात्पर्य व्यक्ति को उसके वाय पर फिर से लगाना है। यदि किसी काल में कोई व्यक्ति वास्तव में निलम्बित किया गया था अथवा नौकरी करने की अनुमति नहीं दी गई थी तो बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि वह काम पर था। जब कि कोई व्यक्ति वास्तव में पद धारण करता है उस पद का कार्य करना है तभी उक्त पद उक्त व्यक्ति द्वारा धारण किया हुआ सम्भवा जाता है। केवल भावना अथवा कल्पना मात्र से वाद पद ग्रहण किया हुआ हो ऐसा प्रावधान नहीं है। निःसन्देह यह बात सम्भवे योग्य है कि प्राधिकारी गण उक्त पद धारण किया हुआ मान कर, यद्यपि उसने कोई काम नहीं किया था भी पूरा वेतन दे दें। परन्तु यह बात सवधा भिन्न है। पुनर्नियुक्ति तभी हो सकती है जब कि कोई व्यक्ति सन्तुष्ट किया गया हो नौकरी से हटाया गया हो या अन्य प्रकार से उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई हो और उक्त वेतन नौकरी पर लगा दिया गया हो। कोई व्यक्ति केवल निलम्बित होता है फिर भी वह सरकारी सेवा में सम्भवा जावेगा परन्तु वह स्थायित उत्साह की अवस्था में कहा जा सकता है। जबकि अवधि समाप्त हो जाये तो उसे केवल कोई वाय सुपुद करना होता है। इस सम्भवे व यदि वाद पुनर्नियुक्ति का उपयोग किया गया है तो उसका उपयोग सिधिलता में हुआ है और उक्त कोई वास्तुनी महत्त्व नहीं है।<sup>1</sup>

यदि किसी कर्मचारी का निलम्बन फौजदारी दायाराण के कारण हुआ है और वाद में वह क्षोण्युक्त बरी हो जाता है तो निलम्बन स्वतः समाप्त नहीं होता। जब कि एक व्यक्ति के निरपत्तार हो जाने एवं दण्ड विधान की धारा १६१ के दायाराण में उस पर मुकदमा चलन के कारण उक्त निलम्बित किया गया था, तो मुकदमा का समाप्ति एवं उसके दाय मुक्त (बरी) हो जाने पर उसकी पुनर्नियुक्ति स्वतः होनी नहीं मानी जा सकती। पुनर्नियुक्ति के लिये निलम्बन कर सकने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आना जारी करना आवश्यक होगी।<sup>2</sup> इसके अतिरिक्त फौजदारी मुकदमा चालू रहने अष्टाचार के अर्थ धाराणा के सम्भवे व विभागीय जाच स्थायित की जाती है एवं फौजदारी मुकदमा के कारण विभागीय जाच में देर होती है और फौजदारी मुकदमा समाप्त होने ही कर्मचारी का तुरन्त सूचना दी जाती है कि उक्त निलम्बन जारी रहेगा तो ऐसी दशा में फौजदारी मुकदमा में सम्भविन तथा की जाच हार्कर कर्मचारी को बरी किये जाने के आधार पर अथ आरोपा के विषय में निलम्बन समाप्त नहीं होता।<sup>3</sup>

१ एच के भट्टाचार्य बनाम भारतवाय सच ए आई आर १९५६ कलकत्ता २३९

२ जगदीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४३७ परन्तु नारायण प्रसाद देवानी बनाम उड़ीसा राज्य ए आई आर १९५७ उड़ीसा ५१ में यह नियम हुआ कि फौजदारी मुकदमा के समाप्त होने के माय ही निलम्बन की आना का स्वतः अन्त होगया। यामालय ने गोपाल कृष्ण नायडू बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर १७० के मामले को इससे विभिन्न किया।

३ जगदीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४३७

## भाग ५

### अनुगामन

१४ शास्त्रियों के प्रकार—निम्नलिखित शास्त्रिया, मही एव पर्याप्त कारणों से, जा कि अभिलिखित होंगे, और आगे बताए हुए प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकती हैं—

- (१) निम्न,
- (२) वेतन वृद्धि या पदावधि रोक देना,
- (३) काय उपेक्षा या किसी काय, पद या आदेश के उत्तलघन के कारण उत्पन्न हुई सरकारी आर्थिक हानि का पूरातया या आंशिक रूप से वेतन में से बसूल करना,
- (४) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर या निम्नतर समयमान (टाइम स्केल) में या उसी समयमान में नीचे के स्तर पर अवनत कर देना या पदच्युति की दशा में नियमानुसार जितनी पेशान बनती हो उससे कम कर देना ।
- (५) अनुपातिक पेशान पर अनिवायत सेवा निवृत्ति (रिटायर) कर देना,
- (६) सेवा से हटाया जाना जो कि पुन नियोजन के लिये अयोग्यता नहीं होगी,
- (७) सेवा से पदच्युति (वर्खास्तगी) जो कि सामान्यतया पुन नियोजन के लिये अयोग्यता होगी ।

स्पष्टीकरण (१)—इस नियम के अभिप्राय के लिय निम्नलिखित बातें शास्त्रि रूप में नहीं मानी जावेंगी—

(i) राज्य कर्मचारी की सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमों या आदेशानुसार या उसकी नियुक्ति के साथ की हुई शर्तों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफल हो जाने के कारण वेतन वृद्धि पर रोक,

(ii) राज्य कर्मचारी को समयमान में दक्षतादरोध (कायकुशलता प्रवर, इ. की) पर, प्रवर को पार करने की अयोग्यता के कारण रोक,

(iii) राज्य कर्मचारी को उच्च सेवा, ग्रेड या पद के लिये जिसका वह पात्र है, चाहे मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से उसका मामला विचार करने के परचात उसे पदोन्नति नहीं देना,

(iv) उच्च सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी राज्य कमचारी का प्रत्यावृत्त न वापिस निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर इस आधार पर कर देना कि परीक्षण के पश्चात् अथवा प्रशासकीय आधार पर जो उसके आचरण से सम्बन्धित नहीं है वह उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अनुपयुक्त समझा गया है

(v) परीक्षण (प्रोवेशन) पर किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर कार्य कर रहे किसी राज्य कमचारी को परीक्षण अवधि में ही या अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति की शर्तों अथवा परीक्षण सम्बन्धी आदेश अथवा नियमों के अनुसार उसे वापिस उसके स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित कर देना,

(vi) राज्य कमचारी की नियत सेवा अवधि (सूपर एन्यूएशन) अथवा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) करने सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार उसे अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर देना,

(vii) सेवा समाप्ति—

(क) ऐसे राज्य कमचारी की जिसे परीक्षण (प्रोवेशन) पर नियुक्त किया गया था, परीक्षण अवधि में या परीक्षण अवधि के अन्त पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अथवा परीक्षण पर लागू होने वाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, या

(ख) किसी सविदा के अतिरिक्त अस्थायी रूप से नियुक्त राज्य कमचारी को उसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर; या

(ग) किसी राज्य कमचारी की जिसकी नियुक्ति किसी इकरार के आधार पर की गई थी, उक्त इकरार की शर्तों के अनुसार, या

(घ) ऐसे राज्य कमचारी को जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाले किसी इकाई की सेवा में था और जिसका चुनाव या सविलीनीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी सेवा में एकीकरण नियमों के अनुसार नहीं हुआ ।

स्पष्टीकरण (२) —राजस्थान सेवाओं के एकीकृत ढांचे में किसी पद पर तदर्थ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का एकीकरण नियमों के अनुसार किसी सेवाओं या पदों पर चुनाव या सविलीनीकरण नहीं होने के अतिरिक्त किसी आधार पर सेवा मुक्ति (डिसचार्ज) किये जाने को सेवा से हटाया जाना या पदच्युत किया जाना जैसी भी सूरत हो, समझा जायगा ।

नोट —नियम (१४) (७) के अन्तर्गत पदच्युत किये जाने से उत्पन्न पुनः सेवा के लिये प्रयोग्यता यदि किसी विशेष मामले की यथातता पर उचित समझी जावे तो केवल राज्य सरकार द्वारा हटाई जा सकती है ।



- (क) जुमाने की वाइ रकम जो एक महीने के वतन से अधि न हा  
 (ख) क्वार्टर म नजरबंदी की सजा जा १५ निना की अवधि से अधिक नहा हो डिल अति  
 रिक्त पेहरा थकान एव अन्य काय भार की सजा के साथ अथवा नही  
 (ग) सदाचरण के वेतन से वचित करता  
 (घ) किसी विशिष्ट पद अथवा विशेष उपलब्धियों के स्थान से हटा देना ।

ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं<sup>१</sup> और इसलिय अनुशासन प्राधिकारी इन नियमों  
 एव पुलिस अधिनियम में उल्लिखित कोई भी शक्ति लागू करने में स्वतंत्र है । जब कि अधीनस्थ  
 पदों के एक पुलिस अधिकारी न स्थानांतरण आना का पालन नहीं किया तो वह प्राधिकारी के  
 समक्ष प्रस्तुत होने के लिये बुनाया गया । जब कि वह अधीक्षण आरक्षी के सामन साक्षात्कार के लिये  
 गया तो स्थानांतरण पर नहीं जाने स उक्त आना के उल्लंघन के अतिरिक्त उसन वर्दी पहिनने में  
 इन्वार किया और मुफती में पेश हुआ एव घृष्टता का व्यवहार किया । इस पिछले दोष के फल-  
 स्वरूप पुलिस अधिनियम की धारा ७ के अंतगत उसे १४ दिना का क्वार्टर गाड और साथ में ड्यूटि,  
 थकान लाने वाला काय भार दिया गया । यह नियम हुआ कि यह सजा उस शास्ति से पृथक् थी  
 जो उसे स्थानांतरण पर अग्रसर नहीं होने के अपराध में दी गई एव यह नहीं कहा जा सकता कि  
 एक अपराध के लिये उस दोष सजा हुई ।<sup>२</sup>

शास्तियें किस प्रकार के कारणों पर लागू की जा सकती है यह नियमों में बताया हुआ नहीं  
 है । नियम १४ के प्रारम्भिक खण्ड में केवल यह लिखा है कि सही और पर्याप्त कारणों पर जो रजि-  
 पर रख जायें शास्ति दी जा सकती है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुशासन अधिकारी को  
 उपयुक्त शक्ति का चुनाव दुराचरण की गम्भीरता एव प्रकार का ध्यान रखत हुए स्व विवेक में  
 करन की पूरा छूट है ।<sup>३</sup> अथ शर्तों में जिस व्यक्ति की बख्तरगी अथवा पदावनति करने हो  
 उस यह विन्ति होना चाहिये कि प्रस्तावित शक्ति उसके कुछ कार्यों को भूत चूक के कारण दी जा  
 रही है और एसी कायवाही करने के आधार उस अवगत करा देने चाहिये ।<sup>४</sup>

(१) निन्दा — यह लघु शास्तिया का प्रथम प्रकार है । निन्दा का तात्पर्य है अनुशासन  
 प्राधिकारी द्वारा असहमति अथवा भनसना प्रकट करना । केवल निन्दा की शास्ति सेवाच्युति, नौकरी  
 से हटाना या पद पविन में नीचे गिराना नहीं होना ।<sup>५</sup> इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ३११ में निन्दा  
 का शास्ति का उल्लेख नहीं है ।<sup>६</sup> ऐसी शास्ति के लिये लोक सेवा आयोग की राय लेना आवश्यक  
 नहीं है । एक मामले में जब कि लोक सेवा आयोग न सिफारिस की कि मामले की परिस्थितियां में  
 निम्न पर्याप्त शास्ति होगी ता यह निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा नोटिस दिया जाकर राज्य  
 कर्मचारी को लोक सेवा आयोग की मन्त्रणा पर टिप्पणी करने का अवसर देना आवश्यक नहीं

१ लॉगमल बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६७ राजस्थान ४१४

२ उपरोक्त नोट १ देखिये

३ गोविन्द शर्कर बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६३ मध्य प्रदेश ११५

४ बरकत राम बनाम महा निरिक्षक आरक्षी ए आई आर १९५५ विध्य प्रदेश ४७

५ आशाम राज्य बनाम हरनाथ बहधा, ए आई आर १९५७ आसाम ७७

६ कटार नाथ भद्रकाल बनाम भजमर राज्य ए आई आर १९५४ भजमेर २२



न प्रशासन अधिकारिया के निगया के विरुद्ध दीवानो अदानत अपील ही सुन सकती है।<sup>१</sup> यदि किसी अधीनस्थ प्राधिकारी ने दक्षता अवरोध पार करने की आना दे दा है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आना रद्द कर सकता है और दक्षता अवरोध पार करने के लिये परीक्षा पाम करने की शन लगा सकता है।<sup>२</sup>

(३) पदोन्नति रोकना—यह भी लघु शास्तिया मे से ही एक है। नियम १४ के प्रारम्भिक अंश में कोई कारण नहीं गिनाये गये हैं जिनके आधार पर ग्रह शास्ति दी जा सके। केवल इतना कहा गया है कि ऐसी शास्ति सही एव पर्याप्त कारण पर दी जा सकती है जो रेकड मे रके जावें। राजकीय सेवाओं के सम्बंध में पदोन्नति राकने से पहल लोक सेवा आयोग की राय सेना आवश्यक होगा। सेवा एव नियुक्ति सम्बन्धी मामला मे पदांनति सम्मिलित है<sup>३</sup> और पदोन्नति का प्रश्न सदैव ज्येष्ठ प्राधिकारी की शक्ति एव स्व विरक्त का अंग होता है अब तक कि किन्हीं विविध नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं बताया जाता।<sup>४</sup>

नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (iii) प्रावधान करता है कि मामल पर विचार करने के पश्चात यदि किसी राज्य कर्मचारी की मौलिक या स्थानापन्न क्षमता में भ्रष्ट अथवा पद पर पदोन्नति नहीं होती जिसका बट पाम है तो ऐसा करना शास्ति की तारीफ में नहीं आता। इसका अन्विष्ट यह हुआ कि यदि किसी राज्य कर्मचारी की पदोन्नति उसके मामले पर बिना उचित विचार किये रोक दी जावे तो वह दण्ड (शास्ति) की तारीफ में आवेगी। जब कि प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति करने के नियम द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की एक सूची बनाई गई, इस सूची में एक अधिकारी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया और उसके आवेदन पर लोक सेवा आयोग ने उक्त सूची में उसका नाम सम्मिलित करने की सिफारिश की तो यह नियम हुआ कि उस अधिकारी का चुनाव नहीं करने की सरकारी कायदाही अवधि एवं दोषमय थी।<sup>५</sup> यदि प्रार्थी का नाम एक दफा पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया और बाद में उसे कहा गया कि वह पदोन्नति के लिये योग्य नहीं है तो यह तथ्य अपने आपमें कोई कार्यान्वित करने योग्य स्वत्व प्रार्थी को जिसका नाम अन्तिम सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है प्रदान नहीं करता।<sup>६</sup>

जब कि विरिष्ठ वन सेवा के सदस्य को उप वन सरक्षक (डफ्टि कन्जर्वटर ऑफ फॉरेस्ट्स) का पद पर स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया गया परन्तु शिवायत प्राप्त होने पर एक वर्ष के लिये पुन सहायक वन-सरक्षक का भूल पद पर लौटा लिया गया और अविष्य में उनकी पदोन्नति मुख्य वन सरक्षक की श्रेणी रिपोर्ट पर आधारित कर दी गई। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पदोन्नति के हक की उम्मेद स्वत्वस्वरूप में मान की। अदालत ने उसके विवाद को यह कह कर हल हुए सर्वोच्चर किया कि एक अन्तिम कर्मचारी को स्वत्व रूप में यह अधिकार नहीं है कि नाचे की

१ भरुप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान २५२

२ के बी माधुर बनाम एन सी चटर्जी ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५८५

३ मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार १९६५ आर. एल. डब्ल्यू ३८८

४ ओपनाम बिहारीसिंह बनाम विद्यालयों के निरीक्षक, ए आई आर. १९५६ मनीपुर १

५ के एल नन्दा बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर १९६४ पंजाब ३०२

६ एल बालकृष्णन बनाम उप महानिरीक्षक भारतीय ए आई आर. १९५८ मद्रास २७०



वर्षिक म उग उच्च वर्षिक म पनाप्रति किया जाय और जबकि एन बार विगा व्यक्ति को नीचे के पनाप्रति पर लोका किया जाता है तो उनका पनाप्रति उगाते मवा म सम्बन्धित पनाप्रति म नियमों द्वारा सामित हागा ।<sup>१</sup> जे कि यगिष्टता मूवा के अनुसार अधानम्य (मग डॉनट) जे के उच्च पनाप्रति पर बायी का पनाप्रति होना थी और जब कि गिगिन रिग्ट म बाया क नाम क नाव बहुत म अन्य मुगिषा क नाम से जा एव क बाए एव बायी का पाए गगत हुअ अधानम्य जेज (मगडॉनट जेज) नियमन हा गुन थ । यह निगुद हुआ कि गविधान क अनुच्छेद २३५ के अधगत डिग्रास्टिजज म नीचे क राज्य 'यापिष मवा धारिषा क सम्पथ म पनाप्रति क निवे गवधित प्राधिकारी उच्च 'यापानथ है । उच्च 'यापानथ न बाया क पनाप्रति के मामन पर पूग विचार करन क पनाप्रति अधना गक्ति का प्रयाग किया था धन बायी का' म विनाय दावा (दावे के कारण) बनाने में अधमथ रता ।<sup>२</sup> जबकि प्राधिया न माग की कि मनायन पनाप्रति अधवा मुख्य 'यापानथ के मविन के पना के निवे गवधित अधिपाना पर उचित विचार नया किया गया ता पनाप्रति हुआ कि अनुच्छेद १९ म विचारगाय किया नामरिष का समान अधमन म वक्ति नहा रता जना चाहिय परन्तु इसका तापय पना नहा<sup>३</sup> कि निवृत्तपरमज जम बा' निपागित मुविगाए प्रदान का जेवें । उरकारित मुख्य 'यापानथ का पनाप्रति के निवे विचार करन क परवान सर्वोनम व्यक्ति का धान कर चुनन का अधिनार था ।<sup>४</sup>

जबकि नियमों के अधगत गुण एव यापाना के अधार पर पनाप्रति का जाना चाहिय तो बरिष्ठता का ध्यान केवन उगा दया म रगता चाहिय जबकि गुण एव यापाना लगमग समान हा ।<sup>५</sup> जा व्यक्ति प्रतिनिधिक पर हा उनका मामना पर भा पनाप्रति क निवे विचार किया जाना चाहिये जेकि एम व्यक्ति का इस पना पर पनाप्रति है ।<sup>६</sup> मगदर के निवे मट धनिवाय है कि पनाप्रति की वच्चा मूची बनाने प्रवागिन कर ताकि जो व्यक्ति प्रभावित हा न हा उनका भरता अधिचार प्रन्तु बनने का प्रभावगोन अधमन मिन गन ।<sup>७</sup> परन्तु यकि काइ व्यवस्था बनमान पनाप्रति पर नहा करन भविष्य क पनाप्रति पर अधन बायी हा<sup>८</sup> या पनाप्रति का अधिमिनता जान बायी के बा' मुपाये गई हा<sup>९</sup> अधवा काइ उतर कावान पनाप्रति मूवा म नाम धन गया हा ।<sup>१०</sup>

- १ बी सी निवाये बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए धार धार. १८६० मध्यप्रदेश २१६
- २ बनवता उच्च 'यापानथ बनाम अधनगुमार रोय ए धार धार. १९६० सर्वोच्च 'यापानथ १७०४
- ३ परमात्मशरण बनाम बाप जर्जिस राजस्थान उच्च 'यापानथ १८६३ धार एन हवनू २४६
- ४ शवरनाथ गड बनाम जम्मू बडमार सरकार ए धार धार. १९५७ जम्मू बडमार २६
- ५ मोहनान बनाम सरकार १९६५ धार. एन हवनू ८८ मसूर राज बनाम एन एव बहाउ ए धार धार. १९६७ सर्वोच्च 'यापानथ ८०८
- ६ धार. धार. राज बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए धार धार. १८६४ मध्यप्रदेश ४०७
- ७ पी सी माधवन बनाम टुंवनकार बोचान सरकार, ए धार धार. १९५७ टुंवनकार बोचान २३६
- ८ के रामचरम बनाम उगाठा सरकार, ए धार धार. १९५६ उगाठा ११८
- ९ जेम्स एडविन वाग्हाह बनाम आनाम सरकार, ए धार धार. १८६१ अधम ७४

अथवा गन्ती से की गई पदोन्नति बाद में रद्द कर दी गई हो,<sup>१</sup> अथवा नाम किसी पद विनियम की सूची में दर्ज किया जाता है और चाही हुई पदा की सूची में नहीं हो,<sup>२</sup> तो पदोन्नति राज् बन क आधार पर कायवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती न ऐसी कायवाही सविधान के अनुच्छेद ३११ या १६ के प्रावधानों का आक्षेपित ही करती है।<sup>३</sup> जब कि प्रार्थी का मुख्य विवाद यह था कि पदोन्नति हेतु अनुमूचित जातियाँ एवं जन जातियाँ के पक्ष में स्थान संरक्षण रखता असवधानिक है तो यह नियम हुआ कि ऐसा संरक्षण असवधानिक नहीं है और अनुच्छेद १६ (२) द्वारा प्रयामृत भूत अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है और इसका बचाव अनुच्छेद १६ (४) द्वारा हुआ है।<sup>४</sup> मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि हमारी अभिरिचि इस सम्मति में है कि अनुच्छेद १६ (४) के अन्तर्गत राज्य को जो संरक्षण के अधिकार प्रदत्त हुए हैं उसका उपयोग उचित मामलों में न केवल नियुक्तियों हेतु प्रावधान करने में बल्कि चुनाव-पदा के नियम संरक्षण का प्रावधान करने के लिये भी हो सकता है। यह अर्थ हमारी राय में सविधान निर्माण करने वालों के इस ध्येय की पूर्ति करेगा की पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये यथेष्ट संरक्षण एवं सेवाओं में उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे। इसमें यह निष्कर्ष निरालना है कि नौकरी संबंधी मामलों में सेवा से संबंध रखने वाले सभी मामलों सम्मिलित हैं (पदाग्रति सहित) नियुक्ति सपहन के और नियुक्ति के पदवात के जो कि नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी नौकरी की शर्तों का ही एवं यह है और वह सविधान के अनुच्छेद १६ (१) व (२) के साथ अनुच्छेद १४ और (१५) (१) द्वारा प्रत्याभूत (गारंटी किये हुए) हैं।

(४) असावधानी आदि द्वारा हुई सरकार की आर्थिक हानि की क्षति पूर्ति वेतन से बसूल करना — यह नियम गतिस्थिति की अर्थ प्रकार है। यह प्रावधान करता है कि यदि राजकीय कर्मचारी द्वारा की गई असावधानी अथवा किसी कानून नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करने के कारण सरकार को कोई आर्थिक हानि पहुँची है तो अनुशासन प्राधिकारी उस राजकीय कर्मचारी के वेतन से बसुली द्वारा क्षति पूर्ति की आशा दे सकता है। ऐसी क्षति पूर्ति संपूर्णतया या आंशिक रूप में हो सकती है परन्तु वास्तविक हानि से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जुमान का रूप नहीं है। पुलिस अधिनियम १९६१ की धारा ७ के अन्तर्गत जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अपने कार्य में असावधानी रखते हैं या नौकरी के लिये अनुपयुक्त होत हैं तो सशम अधिकारी जनरल जुमाना आगेपित कर सकता है जो उनके एवं महीन के वेतन से अधिक नहीं हो। परन्तु असावधानी के कारण हुई क्षति की पूर्ति इस नियम के अनुसार बसूल की जावगी। ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं।<sup>५</sup> राजकीय सेवाओं के मामलों में यह शास्ति आरोपित करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को राजस्थान गीव सेवा आयोग से सलाह ले लेनी चाहिये।

१ टी. एस. मुस्लिमदाह बनाम मसूर सरकार, ए. आई. आर. १९६३ मसूर १०९

२ निव. मोहन पाठे बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९५७ नागपुर ६५

३ सम्पत्त बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. १९६२ मद्रास ४८५

४ जनरल मनजर बनाम रगाचारी, ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ३६, उलट गया रगाचारी बनाम जनरल मनजर, ए. आई. आर. १९६१ मद्रास ३५, अस्वीकृत मोडुनुदीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९६० इलाहाबाद ४८४

५ सौमन बनाम पुलिस अधीक्षक ए. आई. आर. १९६७ राजस्थान ४१४



यहां पर भ्रवनति एवं प्रत्यावर्तन में भेद का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्रत्यावर्तन का प्रत्येक आदेश पक्षि से भ्रवनति करने की तारीफ में नहीं आता।

एक स्थानापन्न नियुक्ति से प्रत्यावर्तन का माधारण आदेश जो शासन के सामान्य प्रक्रम (नोमल कोस) में हुआ है केवल प्रशासनिक कार्य होने के कारण वाद योग्य प्रतीत नहीं होता। अनुच्छेद ३११ के अंतर्गत पक्षि से भ्रवनति बतौर सजा या शास्ति के हानी चाहिये। यदि किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न स्वरूप कार्य करने वाले को, सामान्य प्रक्रम में उसके मौलिक पद पर वापिस भेज दिया जाता है तो सजा अथवा शास्ति आरोपित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यदि मौलिक पद स्तर पर प्रत्यावर्तन शिवायते, जाच एवं प्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट के पश्चात किया जाता है तो वह किसी अपराध या दुराचरण के कारण हुआ दंड समझा जायेगा। ऐसा प्रत्यावर्तन निःसन्देह आगामी पत्रोपनिमित्त भ्रवरोध का कार्य करेगा और पक्षि में भ्रवनति माना जायेगा।<sup>१</sup>

**स्थानापन्न पद से प्रत्यावर्तन (ऑफिशिएटिंग पोस्ट से रिवशन)** — जैसा की ऊपर बताया गया है कार्यवाही का दृष्ट रूप में होता पक्षि में भ्रवनति के लिये एक सारमूत बात है तथा कोई कार्यवाही अनुच्छेद ३११ (२) को आधारित नहीं करती जब तक पदावर्तन में कोई शास्ति सम्मिलित नहीं है। कोई पदावर्तन बतौर शास्ति है या नहीं इसका निर्णय करने के लिये वास्तविक परीक्षण इस बात की खोज करने से होगा कि क्या भ्रवनति का आदेश कमचारी पर कोई शास्तिभ्रम परिणाम लाता है। इस प्रकार यदि उस आजाय या उसके द्वारा उसके वेतन या भत्तों की जल्दी या उसकी मौलिक पद-पक्षि में परिवर्तन की हानि अथवा उसकी पत्रोपनिमित्त के भावी भ्रवसरा में स्वावट या विलम्बन होता हो तो परिस्थिति या यह संकेत कर सकती हैं कि यद्यपि आहुती में सर कार का अभिप्राय सेवा-सविदा की शर्तोंनुसार या नियमों के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग सेवा समाप्ति अथवा कमचारी को नीचे की पक्षि में पदावर्तन करने का था परन्तु सत्यता एवं वास्तविकता में सरकार ने उसकी सेवा का दृष्ट स्वरूप समाप्त कर दिया है।<sup>२</sup> अतः जब कि एक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक को जाच से पहले प्रत्यावर्तन (रिवट) कर दिया<sup>३</sup> या अतिरिक्त सहायक आयुक्त को जाच में दोष मुक्त करने के पश्चात तहसीलदार के पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया<sup>४</sup> या एक कमचारी को चाजशीट के पश्चात बिना जाच किये प्रत्यावर्तन कर दिया<sup>५</sup> या स्थानापन्न उप निरीक्षक को बिना जाच किये प्रत्यावर्तन कर दिया<sup>६</sup> या जाच के बाद स्थानापन्न डिप्टी-क्लेकटर

- १ गनस ब्राह्मण देश मुख बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर. १९५६ मध्य भारत १७२ कागोनाथ बनाम पी के कपिला ए आई आर १९५० उडासा २८५ एम की विचारी बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५२ नागपुर ३८८ जोतेन्द्र बनाम आर गुप्ता ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३८३, कदाग बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२ मोहिंद्रसिंह बनाम सरकार ए आई आर १९५५ पेपसू १०६ किशनलाल बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत १०० एवं हाटवल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८८६
- २ पुरुषोत्तमलाल धीगरा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
- ३ पी सी वायवा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ४२३
- ४ एस सुखवसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११
- ५ दुगलकिशोर गुप्त बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६४ पंजाब ५२८
- ६ एम ए बहीद बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२६

को मान्यताएर क ए पर प्रत्यावर्तित कर निया घोर इन प्रकार मे उगको वरिष्ठता म भी हानि हुई <sup>१</sup> या स्थानापन्न कर्मचारी का उसको मोतिर विभाग म वापिस भज निया घोर उसको उनको वरिष्ठता मोतिर विभाग द्वारा नही दा गई <sup>२</sup> या स्थानापन्न सहायक पुनित अध्यापक को बनीर निरीक्षण प्रत्यावर्तित कर दिया जिसका कुप्रभाव उगका कय कामता एव भविष्य कालिक पनीप्रति पर पडा <sup>३</sup> या स्थानापन्न तदुत्तलकार का जाष क पदकात नायक तहमीनकार के ए पर पुन मोन निया घोर प्र.गामी ताम कपो क लिए उनका पनीप्रति पर प्रवराष तगा निया <sup>४</sup> ता यह निर्णय हुआ कि यह कायकारी अध्यापक पूरा एव दुर्भावना पूरा को तथा प्रत्यावतन दण्ड क रूप म था । प्रगति क कर्मचारी पर किसी भी प्रकार का दण्ड आरोपित नही किया जा सयता जब तक कि उचित विभागाय जाव नही हा जाय घोर उगको प्रपन बकाय का उचित प्रवसर नही दिया जाय ।

इसके विपरीत ऐम प्रत्यावतन म दण्ड सम्मिलित नही होना जो इन आधार पर किया गया हो कि स्थायी पदाधिकारी प्रपवा उचित दाय्यता वाता व्यक्तित उपनय हा गया है <sup>५</sup> या कोई व्यक्ति उच्चतर ए क तिव अनुपयुक्त पाया गया हा, <sup>६</sup> या जिस निर्धारित प्रपमि के तिवे उगका स्थानापन्न नियुक्ति हुई थी उसक प्रत होने पर <sup>७</sup> या स्थानापन्न अधि म वह निर्धारित परीक्षा पास करत म सपन नही होता <sup>८</sup> या स्थानापन्न अधि म चुनाव समिति द्वारा उगका चुनाव नही किया जाता <sup>९</sup> या प्रगति क कारणों से <sup>१०</sup> या स्थानापन्न पद पर काय करत हुए उगके विरुद्ध रिमा न्य जाने के आधार पर । <sup>११</sup>

जब कि किसी स्थानापन्न पद स प्रत्यावतन का प्रमाण कोई कारण प्रवट नही करता घोर ऐसा प्रतीत हाता है कि पद की समाप्ति नही हुई है ता यह निश्चय करत क तिवे कि प्रत्यावतन दण्ड एम म हुआ प्रपवा नही सम्प्रपित परिस्थितिया का प्रवराषन काना पडेगा । प्रत जब कि राजकीय पत्र व्यवहार म उच्च अधिचारा द्वारा किया स्थानापन्न राजनाय कर्मचारी क विरुद्ध प्राराष लगाये गये एव तन्पु त दिना कारण बताए उम उमने स्थायी ए पर वापिस लौटा निया

- १ माधव लामण बनाम मेमूर राज्य ए आई प्रार १९६२ सर्वोच्च न्यायलय ८
- २ मल्लसण्या बनाम मेमूर सरकार ए आई प्रार १९६२ मेमूर १४६
- ३ एस माहिद्रसिंह बनाम पपमू सरकार ए आई प्रार. १९५५ पेपमू १०६
- ४ गगन बालकृष्ण देगमुल बनाम मध्यभारत सरकार, ए आई प्रार १९५६ मध्यभारत १७२
- ५ बम्बई सरकार बनाम एम ए इब्राहिम, ए आई प्रार. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ७९४
- ६ जताद्र बनाम प्रार गुप्ता (१९५३) ५८ सा डब्ल्यू एन १२८ विचौराय बनाम मध्य प्रान्त सरकार ए आई प्रार. १९५२ नागपुर २८८ ।
- ७ खिन्न बनाम व्यवस्थापक ई रेलव (१९५५) ५९ सी डब्ल्यू एन ८५९
- ८ गिबजी लाल बनाम मुख्य सरदार का विभाग ए आई प्रार १९५६ पटना २७३
- ९ के एन चान्दम बनाम वरन सरकार, ए आई प्रार. १९६५ वेरल २ २, के एस श्रीनिवासन बनाम भारतीय सघ ए आई प्रार १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ५१९
- १० कदार नाथ प्रप्रवाल बनाम अजमेर राज्य, ए आई प्रार १९५४ अजमेर २२ हर कम सिंह बनाम पजाब सरकार, ए आई प्रार. १९६० पजाब ६५ ।
- ११ पुष्पोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय सघ ए आई प्रार, १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

जब कि स्थानापन्न पद की स्थिति जारी रही, तो यह नियम हुआ कि यह प्रत्यावर्तन सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का उल्लंघन है।<sup>१</sup>

**परीक्षण अवधि के पश्चात् प्रत्यावर्तन**—दण्ड परीक्षण (प्रोव्हेन) का अर्थ व्यक्ति के प्राचरण एवं चरित्र की परीक्षा लेना है। अतः किसी सेवा सविधान में परीक्षण रखना उस व्यक्ति को नियोजन द्वारा सूचित कर देना है कि यदि परीक्षण अवधि में कमचारी अपने आपकी नियोजन की दृष्टि में सततपत्र साबित करता है तो परीक्षणार्थी न जिस सेवा के नियमों में अपना समर्पित किया या उसका कार्य करने के लिये वह उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति है और परीक्षणार्थी नीचे की परीक्षा किया जाना का अधिकारी है। कि परीक्षण का अभिप्राय केवल कमचारी के चरित्र एवं योग्यताओं की परीक्षा लेना है सेवा के इतर म साधारणतया परीक्षण को अवधि सामान्य रूप से छ महीने से एक वर्ष तक निर्धारित होती है<sup>२</sup> अथवा यह भी हो सकता है कि इतर म कोई अवधि बताई ही नहीं जावे। यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार का किसी स्थायी सेवा में कार्य कर रहा है और उच्चतर पद पर पदोन्नति पर भजा गया है और परीक्षण पर रखा गया है तो परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर उसको उसी स्थायी सेवा में वापिस भज दिया जाता है तो यह प्रत्यावर्तन दण्ड की शारीक नहीं आया। जब कि एक स्थायी नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया और दो वर्षों की अवधि के लिये परीक्षण पर रखा गया जो अवधि एक वर्ष के लिये आगे बढ़ाई गई, उक्त बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् महीने पश्चात् उसका इस आश्रय का नोटिस लिया गया कि परीक्षण अवधि में तहसीलदार रहते उसका सेवा-रेकड मताप प्रद नहीं था इसलिये उसका परीक्षण समाप्त क्या नहीं कर दिया जावे। इस पर आर्थी न ऐसी कायवाही का कारण पूछा ता उक्त आश्रय देने की वजाय उसका मौलिक पद पर प्रत्यावर्तन करना राज पत्र में प्रकाशित हो गया। यह नियम हुआ कि उक्त प्रत्यावर्तन कानून गलत था क्या कि नोटिस देने वाले प्राधिकार का कर्तव्य था कि प्रस्तावित कायवाही के आधारों से आर्थी का अवगत कराता।<sup>३</sup> एक अन्य मामले में स्कूला के एक मौलिक सप डिप्टी इन्स्पेक्टर का डिप्टी इन्स्पेक्टर के पद के लिये चुना गया और उसे दो वर्षों के लिये परीक्षण में रखा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने के सात साल बाद उसे सूचना दी गई कि उस की परीक्षण अवधि छ महीने के लिये आगे बढ़ाई गई है और इस अवधि के समाप्त होने पर परीक्षण अवधि दो बार और आगे बढ़ाई गई और उमने बाद उसे पूछा गया कि उसको उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित क्यों नहीं कर लिया जावे। उस नोटिस का आर्थी न विवाद किया। यह फमला हुआ कि जब कि उसकी परीक्षण अवधि दो वर्षों में समाप्त हो चुकी थी तो उसकी अब सेवा मुक्त या प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता था उक्त प्रत्यावर्तन सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों को अवहेलना करते हुए स्पष्टतया पद पत्र में पदावधि की शारीक में आता है। परीक्षण की अवधि को पिछली शारीक स बढान का स्पष्ट प्रभाव अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रत्यक्ष संरक्षण की क्षति है।<sup>४</sup> जब कि आर्थी का चुनाव उच्चतर पद के लिये हुआ था और परीक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् जिना जाव लिये उसका प्रत्या

१ सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५५ ट्रवन कोर कोचिन १२।

२ पी एन धावरा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५० सर्वोच्च न्यायालय ३६ (४२)

३ दामोदर सिंहा बनाम भूमि सुधार आयुक्त ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४३७

४ विपत प्रसाद साहय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर, १९५६ इलाहाबाद ५३६

बतल कर दिया गया। यह निगम द्वारा कि पराशरण का अधिपति ममाप्त कर देने पर उमकी पत्र पर स्थायी करन के विषय म विचार करना था और नू कि नियुक्तिया के सब प्रयोग परीक्षणार्थी पर भा समान रण स लागू हान है उमकी प्रत्यावतन अवध था।<sup>१</sup>

(फ) निम्नतर मेधा पर अधिनति — गवा मरिया का गनी व अनुगार जा स्पष्ट हा या गभिन अवध मेधा की गनी पर लागू नान धान नियमानुगार जबकि िनी राय कमचारी का पार्दे राज्य मेधा मे पत्र धारण करन का अधिनार हा ता अधिनस्य गवा म गनी अधिनति अधन धापम धोर प्रथमानुगतन न निम्नतर मेधा म उमकी अधिनति है। परन्तु धगर राय सेवा म किनी कमचारी का उम पत्र पर स्वय नना है और उमका नियुक्ति अध्यायी या म्यानापत्र या पराशरण व धाधार पर हुई है और जिसका मत्रा परिपत्रव होकर प्रभा तव अध म्यायी मेधा नहीं हुई है तो अधिनस्य मेधा म उमकी प्रयावतन निम्न मेधा पर अधिनति की ताराफ म नहीं आता। धन धनाज की हुवान पर अध्यायी धाय करन वान एन त्रिपि वी वनुय थ एण म पाइट मत्र (रन की साइन बन्तन वाला) प्रयावतित कर लिया ना निगम द्वारा कि यह मेधा म अधिनति नहीं था।<sup>२</sup> कम विपरत जबकि एन त्रिपि का जिना ध्रांटे अधिवारा व रूप म पदाप्रति हुई और वह उम स्थान पर पाच साल तन काय करता रहा और अध म्यायी ग्नुवा हासित कर लिया, ता उसका प्रयावतन त्रिपि मत्रा म उमके मौनिक पत्र पर कर नना मेधा म अधिनति घोषित था गयी।<sup>३</sup> परन्तु एक ही मेधा म एन पत्र म दूसर म म्यानान्तरण कर लेना नूट नहीं माना जा सकता।<sup>४</sup>

(ख) निम्नतर घेड पर अधिनति — उपरोक्त निम्नता के धाधार पर, यदि किनी राज्य कमचारा का अधन पद के िनी घेड त्रिपि पर स्वय न ता उगी पत्र पर नोच व घेड म प्रत्यावतन करना पक्ति म अधिनति हागी।

यदि किना द्वितीय घेड के आगुतिपि वी प्रथम घेड के आगुतिपि के घेड पर अधन लिया जाता है एव आगुतिपि घेड प्रथम म पकरा कर लिया जाता है, उसका पत्रान पुन द्वितीय घेड म प्रत्यावतन कर देना निम्नतर घेड म अधिनति हागी। जबकि एन आगुतिपि ततीय घेड म पुन हुआ परन्तु बाण म द्वितीय घेड म पनेधन कर लिया गया और पनेधन की धाणा में यह निता था कि वह अध्यायी रूप स नियुक्त लिया गया है। बाण मे अधन मौनिक ततीय घेड म वह प्रयावतित कर लिया गया ता निगम द्वारा कि यह पक्ति म अधिनति नहा था।<sup>५</sup>

१ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अनवर हुसैन ए आई आर १९६४ आन्ध्रवाण २५६। देखिये— ए नाथ बनाम भारतीय सध ए आई आर १९६२ हिमाचल प्रण ए आई आर १९६२ क्लाहावाण ३७७।

२ चिरजीलाल वर्मा म भारतनाय सध, ए आई आर. १९५७ राजस्थान ५

३ विशारीलाल कपूर बनाम उर रायपान िमाचल प्रण ए आई आर १९६३ हिमाचल प्रण ५४

४ पत्राव राय बनाम मुख बस सिंह, ए आई आर. १९५७ पत्राव १६१

५ मोसवाले ह्युंग पने बनाम हैदराबाद राय ए आई आर. १९५३ हैदराबाद ३६

(ग) निम्नतर पद पर अवनति - यदि किसी राज्य कर्मचारी का हक किसी विशेष पद पर है तो उस पद से नीचे गिरावट स्वयं मं दंड के समान प्रभावशाली होगी क्योंकि तब वह उस पद का पान्नापिया (वेतन इत्यादि) एवं विभागाधिकार लो दगा । परन्तु यदि उस पद विशेष पर उसे बाइ हक नहीं है तो स्थानापन्न पद से नीचे के मौजिक पद पर पदावनति सामान्यतया सजा नहीं होगी । परन्तु केवल इतनी सी बात कि कर्मचारी का उक्त पद पर कोई स्वत्व नहीं है और सरकार को मविदा द्वारा जा स्पष्ट है या गर्भित अथवा नियमों के अंतगत हो, उसकी पदावनति नीचे के पद पर करने का अधिकार है उसका यह अर्थ नहीं होता कि चाहे जसी परिस्थितियां म कर्मचारी को पदावनति नीचे के पद या स्तर पर कर देना सजा नहीं होगी । धोंगरा के मामले म <sup>१</sup> सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह निश्चय करने के लिये कि कोई पदावनति सजा को तारोफ म आती है या नहीं उसका वास्तविक परीक्षण इस प्रकार करना होगा कि क्या उस पदावनति म कर्मचारी को कोई दण्ड रूपी परिणाम भुगतन पड़े । अन जबकि एक पुनिष्ठ सब इन्स्पेक्टर को बिना अवसर लिये डैडवान्मन्टवल के पद पर प्रत्यावतन कर लिया गया <sup>२</sup> अथवा जब कि एक कर्मचारी का प्रत्यावतन करने से उसकी पदोन्नति एन बप क लिये स्पष्टित हो गई <sup>३</sup> अथवा किसी परिगणित जानि के सप्तस्य को स्थान देन के लिये उसका मौजिक पद पर प्रत्यावतन कर लिया <sup>४</sup> अथवा प्रत्यावनन का कारण गोपनीय रिपोर्ट म विपरीत रिमाक था <sup>५</sup> या अनुपयुक्तता <sup>६</sup> या वित्तीय तगो के कारण <sup>७</sup> अथवा प्रत्यावतन के आदेश म अग्र वेतन या भत्ते की जानी या मौजिक पद पर वरिष्ठता की हानि या भविष्य मे पदाप्रति के अवसरा म अवरोध का प्रावधान हो <sup>८</sup> तो यह निश्चय हुआ कि प्रत्यावनन पक्षि म पदावनति था । इसक विपरीत जब कि प्रत्यावतन पद की मूल रचना के भग होन के कारण <sup>९</sup> अथवा वर्गिष्ठ ध्यकिन द्वारा दावा प्रस्तुत करने के कारण <sup>१०</sup> अथवा अनक पदा की कमा के कारण <sup>११</sup> अथवा दृष्टि शक्ति दापयुक्त होने के कारण हुआ हो <sup>१२</sup> तो यह निश्चय हुआ कि ऐसी परिस्थितियां मे प्रत्यावतन पदावनति नहीं था । जबकि प्रार्थी को गन्त पहलू म ऐसा पद बाट दिया गया जिसका वह अधिकारी नहीं था (उदाहरण क लिये आवश्यक योग्यताका का प्रभाव)

- १ पुण्यात्तमलान धोंगरा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
- २ जातीप्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५६ पजाब १०२, शम्भूदयान दनाम पपसू सरकार ए आई आर १९५२ पपसू ११२ धज्जपारी दन बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ कलकत्ता ५४६
- ३ एम रमया बनाम मसूर सरकार ए आई आर १९६५ मसूर १६४
- ४ मुदामा प्रमाल बनाम डिवीजनल मुप्रिटेडेड १९६४ आर एल डल्लू ६३०
- ५ भारत दनाथ बनाम आयकर आयुक्त, ए आई आर १९५८ कलकत्ता ५५९
- ६ मोटिनी मोहन बनाम त्रिपुरा सरकार, ए आई आर १९५९ त्रिपुरा २
- ७ बनमाली बनाम जिला बोड ए आई आर १९५६ जनाहाबाद ४५०
- ८ पुण्यात्तम लाल धोंगरा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
- ९ पी सी कर्हाई कृष्णन नम्बियार बनाम केरल सरकार, ए आई आर १९५६ केरल ८४
- १० मज्जफर हुसन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३१६
- ११ के सी. शर्मा बनाम कन्ट्रोलर डिपेन्स एकाउन्ट्स ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४८०
- १२ हट्टप्रसाद बनाम भारतीय सघ, आई एल आर १९५४ राजस्थान ६३९



श्रीर मां मे जब यह गतनी परनी गई ता उमका प्रत्यावतन कर दिया ता यह फमना हुआ कि बाद पनावननि नहा हुई।<sup>१</sup>

(घ) निम्नतर समय मान (टाइम स्पेल) पर अवनति -यदि कोई राज्य कमचारी उनी पं पर नाच क बाल प्रम म अवनत कर दिया जाता ह (स्ट्र-स्वल्प अन्त ड्राग) ता उगनी पकिन म अवनति हा जानी है। यदि निमी व्यक्ति वा कोई विगय बाल-क्रम पारगु करने वा कोई अधिचार न्ता ह ता नीच के बाल प्रम म उसका प्रत्यावतन पकिन म अवाति की तारीफ म न्ता अ एगा। अत जेर कि एव राज्य कमचारी विभागाय परीक्षा प म न्हा करन म नीच क बाल प्रम म स्थित कर दिया गया ता निगय हुआ कि 'यू कि यह स्ट्र स्वल्प न्हा था, वह पकिन म अवनति न्ता था।'<sup>२</sup> इसक सिफरत जवनि एक राज्य कमचारी का प्रत्यावतन गतवातिन प्रभाव म (पिदनी तागाव म) निम्न बाल प्रम म कर दिया गया तो निगय हुआ कि इस आचा वा गतवातिन अण पवध था एव आचा वा उत्तर वातिन (आगामा) प्रभाव बाला भाग प्रभावगत र्था।<sup>३</sup>

(ङ) समय मान मे निम्नतर स्टेज पर अवनति -समय मान म निम्नतर स्टेज (नरज) पर स्ट्र स्वल्प अवनति की जाता गविधान क अनुच्छेद २१ म सोची गयी पकिन म अवनति की तागाव म आती है। एम विषय पर प्रथम निगय रघुनाथ सावाये बनाम सरकार<sup>४</sup> म हाना प्रतीत हाना है जिसम विविजत उच न यह फमना दिया कि समय मान म नाच के स्टेज पर अवनति म ता पकिन म अवनति अन्वयमय सम्मिनित है क्याकि अधिचारी अणता पकिन अथवा प्र एगत मूवा म गविष्टना सो दना है। इसा हास्को के एव अय वा म जवनि वन मरक्षण न जिना अवनत नि एव पारस्टर को तो बपों के निये वतन क्रम ५० २ ७० म सब म नाच के स्टेज र ५० पर स्थित कर दिया तो फमना हुआ कि यह पकिन म अवनति था क्याकि जा लाग उगम वनिष्ट ये व उन्व भा नाच रख दिया गया और इस प्रकार उमका वरिष्टना म शानि हुई।<sup>५</sup>

(च) उचित पेशन राशि मे कमी कर देने की अवनति -सही एव पयाप्त वाग्गा पर अनुगामन अधिचारी निमी राज्य कमचारी पर यह शास्ति प्रारोपित कर सकता है। पन्तल वा अनुगामन एव एगा वस्तु है जिस पर राज्य कमचारा वा स्वयं (हव) समभना चाहिय। एगा अधिचार अनुच्छेद ३१ की परिभाषा म सम्पति की तारीफ म आता है। यदि सबथा मनमान तराव म गविधान क अनुच्छेद २१ द्वारा प्रप्त भूत अधिचार म बाद राजराय कमचारा उचित रखा जाता है ता व अनुच्छेद २२ के अतगत सरक्षण पाव का अधिचारी हा जाता है।<sup>६</sup> परन्तु एव राज्य कमचारा की जिनता पान उचित म्य म म्य है उमम कमी करना सविधान क अनुच्छेद ११ क अन्वयन गविन्युनि न्हा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि पकिन्युनि तो केवल उत कमचारिया पर तापू ही सकनी

- १ अमलन्दु बनाम कलास (१९५२) ५६ मा डब्ल्यू एन ८८६
- २ ए सम्प्रधन बनाम राजनन टी एम ए आई आर १८५९ मद्रास ६८ कपूरचन् बनाम आई जी पा ए आर १८६२ हिमाचल प्रन्त ३।
- ४ आई एन आर (१९५४) कटक ६८८
- ५ रूपनारायणसिंह बनाम उदामा सरकार ए आई आर १९५८ उगया ५६३ यन् मी दानिये—बद्री प्रताप गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार, आई एन आर. १९५८ राजस्थान १३५
- ६ भगवान सिंह बनाम भारतीय मध, ए. आई आर. १९६२ पन्जाब ५०३

है जिनमें पदावनति के पदचात भी मवा करने का आशा हो। इससे पगन को कमी का कोई सम्बन्ध नहीं है।<sup>१</sup> आरोपों के मावित हो जाने पर पगन कम की जा सकती है<sup>२</sup> परन्तु अधिकारी का उससे कनिष्ठ अधिकारिया से कम हिता वाली स्थिति म नहीं रखा जा सकता जब तक कि आरोप निवृत्त नहीं हो जावे और कमचारी को ऐसी पक्तिच्युति प्रवर्तित की तागीफ में आवेगी।<sup>३</sup> जिनो राज्य मवा के मन्म्य की पगन म कमी साक मवा आयोग की सलाह लेन के पदचात ही की जा सकती है। यदि जिनो की जितनी पेनान उचित रूप म देय हो उससे कम राशि देने का आदेश हा जाय ता दीवानी अन्तत भी वाद की मुनवाई कर सकती है।<sup>४</sup>

(६) आनुपातिक पेंशन पर अनिवायत सेवा निवृत्ति — अनुपातिक पेनान पर अनिवायत रूप से रिटायर कर देना भी बड़ी सजाआ म म एक है। नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (vi) प्रावधान करता है कि किसी राज्य कमचारी की सेवा निवृत्ति अथवा रिटायर हान सम्बन्धी नियमों के अनुसार अनिवायत सेवा निवृत्ति (रिटायर) कर देना शास्ति की परिभाषा म नहीं आवेगी। राजस्थान सेवा नियम (आर एस आर) भा अनिवायत सेवा निवृत्ति के विषय में सम्बन्ध रखन हैं। आर एस आर एव इन नियमों का सम्मिलित प्रभाव निम्नांकित किसी तरीके स जिनो अमिक राज्य कमचारी का सेवा से रिटायर होने की आयु से पहले समाप्त करने का प्रावधान करते है —

(१) अन्तगती द्वारा जो भविष्य म नौकरी में अयोग्य करार देती है या सेवा से हटाने द्वारा जो आगामी सेवा हेतु अयोग्यता नहीं लाती। यह शास्तिया नियम १४ (६) एव (७) के अन्तगत आती हैं और इनके विषे नियम १६ के प्रावधानों म जाच करनी पडती है। इस प्रकार म बरवास्त किया गया या नौकरी से पयक किया गया राजकाय कमचारी किसी पेनान का अधिकारी नहीं होता परन्तु सक्षम अधिकारी के स्वविवेकानुसार उसे अनुग्रह भत्ता (कम्पेन्सेट एलाउन्स) मजूर किया जा सकता है जो आर एस आर के नियम १७२ के अनुसार सेवा निवृत्ति की पेनान में जो तिहाई स अधिक नहीं हो सकता।

(२) आनुपातिक पेंशन पर अनिवायत सेवा निवृत्ति द्वारा जो नियम १४ (५) के अन्तगत शास्ति स्वरूप लागू हाती है। यह नियम १६ में सब्रित है और इसके लिए नियमित जाच की जाती है। जिस अधिकारी का सेवा से अनिवायत शास्ति स्वरूप रिटायर कर दिया जाता है वह आर एस आर के नियम १७२ के अन्तगत अनिवायत सेवा निवृत्ति की तारीख से पेंशन पाने का अधिकारी है, जो कि उचित सेवा निवृत्ति की पेंशन की दर से अधिक नहीं हागी एव उससे दो तिहाई म कम भा नहीं होगी।

१ एम नरसिंह चार बनाम मसूर राज्य ए आई आर १६६० सर्वोच्च न्यायालय २७ पी सी माधवन बनाम ट्रावन कोर कोचीन राज्य १६५७ सर्वोच्च न्यायालय २३६

२ दुर्गा चरण दास बनाम उडासा सरकार ए आई आर. १६६४ उडीसा ६५

३ इनरी एम एम बी सालमानी, ए आई आर १६५७ मद्रास ६१२

४ गुल्दीप सिंह बनाम भारतीय सभ, ए आई आर १६६२ पजाब ८ इससे मिनन राय के विषे देविसे एम सज्जानम् बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १६६३ मद्रास ४६



१६ (२) के अनुसार जाच करली जाव (२) और चू कि ऐनी जाच नही की गड इमनिय उवन आगे गून्थ एव प्रभाव हीन था। यह तक दिया गया कि राजस्थान सेवा नियमा (आर एम आर) के नियम २८४ (२) के सम्बन्ध में जो कि बिना कारण बताये २५ वर्षों की अहकारी सेवा (क्वान्तिफाईंग सर्विस) पूरी होने के पश्चात् अग्रिम कमचारी को अनिवायत सेवा निवृत्ति का प्रावधान करता है इस नियम १४ के अन्तर्गत द्वारा रद्द किया गया समझा जाता चाहिये क्योंकि मौजूदा कानून के नियम २८४ (२) के बाद में १९५६ में नियम १४ प्रभावशाली हुआ। द्वितीय विवाद यह किया गया कि यदि इन नियमों का जसा कि वे वर्तमान में स्थित हैं यह अग्र गण लिया जाव कि इनके द्वारा बिना कारण बताये २५ साल की अहकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी अग्रिम कमचारी का रिटायर किया जा सकता है तो ऐसा प्रावधान गून्थ है क्योंकि ऐसी सेवा निवृत्ति सर्विधान के अनुच्छेद ३११ (२) की परिभाषा में सेवा में हटाया जाता है और नौकरी में हटाने का वाइ आदेश उसके विरुद्ध कारण बनाने का उचित अवसर दिये बिना जारी नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने उक्त तक अस्वीकार कर दिए और यह नियम दिया कि २५ साल की क्वॉलिफाइंग सेवा पूरी करने के पश्चात् बिना कारण बताए किसी का अनिवायत रिटायर कर देना इन नियमों के नियम १४ के अन्तर्गत ग्रास्ति रूप में नहीं होता और नियम १६ के अनुसार जाच करना आवश्यक नहीं है। इस पक्षों का दखते हुए इस तक में वाइ बन नहीं है कि एम मामला में सर्विधान का अनुच्छेद ३११ (२) लागू होता है।<sup>१</sup> जबकि एक स्वजाचा का कनेक्शन में २५ सालों की अहकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् अनिवायत रूप से रिटायर कर दिया यह तक किया गया कि राज्यपाल ने ऐनी गैरि प्रयोग में जान का अधिकार क्लेक्टर का नहीं दिया था। यह फैसला हुआ कि जब तक राज्यपाल नियम २८४ (२) के अन्तर्गत विधि तौर में इस विषय में अग्रिम गैरि किसी अधीनस्थ कमचारी का प्रस्त नहीं करते तब तक कोई भी वय रूप में एम गैरि का प्रयोग नहीं कर सकता और चू कि ऐसी सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) अवय है अत उक्त गैरि के अन्तर्गत कानून प्रदान (रिजिस्ट्रिड व डीगैरिड) द्वारा वह वय नहीं की जा सकती।<sup>२</sup>

२५ वर्षों की अहकारी सेवा (क्वान्तिफाईंग सर्विस) पूरी करने के पश्चात् अनिवायत सेवा निवृत्ति में चाइ अवय आगे लगान का तब नहीं है। जब कि एक पुनिस सक्न इ सपक्टर का आई जी पी न अनिवायत रिटायर कर लिया तो यह फमला हुआ कि इसमें सर्विधान का अनुच्छेद ३११ (२) अर्थात् नही होता और इसमें विभागीय जाच की भी आवश्यकता नहीं है।<sup>३</sup> जब कोई जाच का जाती है तो वह कवल सरकार के अंतर्गत वेतना सबधी सतार के हिये जाती है कि क्या उसका पुलिस सेना के सम्बन्ध में नौकरी में आगे स्थित रखना अनहित में नहीं होगा।

१ गगाराम बनाम राजस्थान सरकार, आई एन आर (१९६१) ११ राजस्थान ३७१ आश्रय दिया गया — इयामलाल बनाम उत्तरप्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६ बम्बई सरकार बनाम सौभाग्य डाली ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२ पी एल धीगरा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २६, एव डनीपर्सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १८६० सर्वोच्च न्यायालय १३०५

२ कपूरचन्द बनाम राजस्थान सरकार आई एन आर १९६२ राजस्थान ६८

३ गवरदत्त बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ नागपुर १६२ गम आचार्य सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५४ पटना १८७

एक मामला में अधिवापत गवा निवृत्ति का प्रथम नोटिस म हस्ताक्षर जाता या अस्वीकृत नहीं होता ।<sup>१</sup>

पच्चोस धर्मों की सेवा से पूरे सेवा निर्वाह — जमा रि ऊपर बगल दिया जा चुका है राजस्थान गवा नियम ५८ में धलगत आरक्षण एवं मानविक धर्मापना के आधार पर २५ गांवा का धरकार गवा हा धुवन म पहल अधिवापत गवा निवृत्ति (कमलगरी रिटायरमेंट) काई नद नहीं है । जमा अधिवापत के धभाव म का गई गवा निवृत्ति मानधान के धनुच्छ ३११ का धावित करता है । जवति प्राणी न वर्गीया धरकार गवा ग या उमका अधिवापत गवा निवृत्त कर स्थित गवा ना निगत हया नि य धांग कानूनतु धवध या थपाय ५ गांवा का धरकार (कानिना ग) गवा जिनन पूरा नया का या उमका अधिवापत रिटायर नया दिया जा सकता ।<sup>२</sup>

नियत सेवा धवधि धायु प्राप्त करने पर अधिवापत सेवानिवृत्ति — राज्य कमचारा की गवाधवधि धायु (पूरण गुणन एत्र) उमके काई स्थून प्रमाणगत के धनुमार तय का जा सकता है ।<sup>३</sup> धायु का निवृत्त करना गवा का एत्र गत है जरा एत्र चन पर राज्य कमचारा रिटायर हा जाता है धोर उम धवधि ना उम नोकरा म गन का हा है सिवाय उम दगा म नि गन रि धवापत के आधार पर या गाव हिन ७ कागल हा उमका गवा निवृत्ति का धांग न हा जाय ।<sup>४</sup> नियत गवाधवधि का धायु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति करना मविधान के धनुच्छ ३११ के धलगत नोकरा म हयाय जान धवका पविन म धवतति का परिभाषा म नहा धाला ।<sup>५</sup> जवति राजस्थान सरकार न एत्र धाला जाय विधा रि गमस्त राज्य कमचारा गग जिनत निना १ मर् १८६६ का ५५ वष का धायु धववा ० वर्षों का धकारा गवा पूरा करना हा वह रिटायर विद्य जायेंगे धोर प्राणी जिनन ० गांवा का नोकरा पूरा करता या रिटायर विधा गया । यह विधा दिया गया कि नांगम के धभाव म ५५ वष तय की धायु तव उम नोकरा पर स्थित रहन का धरकार है । यायाय न यह विधा धारिज विधा धोर पमना विधा कि ५५ मास की उम तव नोकरा पर स्थित रहन का काई धायु धरकार नया । रिप नाराय का २० मास की गवा ममाजि पर चवितया का सेवानिवृत्त कर नन का नियम काई विभन नहीं करता । सेवानिवृत्ति का धाना निवापन म पुव मविधान के धनुच्छ ११ (४) के धलगत प्राणी का काई नांगम दना

- १ के धार. जाना वनाम वमई सरकार ए धाई धार १९५८ वमर् ६० धटू भा दसिये— राजविभाग वनाम उत्तर प्रन्ध सरकार ए धाल धार १८५४ इनाहावा २५३ धोर मानुहान वनाम उत्तर प्रन्ध सरकार, ए धाई धार. १९६६ इनाहावा ६८६
- २ गगार म वनाम राजस्थान सरकार धाई एत्र धार १९६१ राजस्थान २७१ विपरीत राय के लिये लिये—ध ध प्रन्ध सरकार वनाम माहम्मद मालि उदान ए धाई धार. १९६४ धाध प्रन्ध २०६
- ३ वनाप्रमा वनाम उत्तर प्रन्ध सरकार ए धाई धार. १९५७ इनाहावा १२४ धनुहान वनाम ट्रावनकार कावान राय ए धाई धार. १९५४ ट्रावन कोर कावान २२
- ४ पदमनाभाषाय वनाम मैसूर राज्य ए धाई धार १९६२ मैसूर ५१० निगवाचिन्सिह वनाम पयसू राज्य ए धाई धार १९५६ पयसू ६५
- ५ यामनात वनाम उत्तर प्रन्ध सरकार, ए धाई धार १९५४ इनाहावा २२५, पा केचन राव वनाम निगम डाल एव नार ए धाई धार. १९५८ धाध प्रन्ध ६६७, हरदनाय वनाम पानचम बगाल सरकार, ए धाई धार १९५८ वनकना ४११

अवश्यक नहीं था।<sup>१</sup> प्रतिवायन सेवानिवृत्ति का राजस्थान मन्त्रालय का नियम २४४ (२) संविधान के अनुच्छेद ३११ १४ अथवा १६ में नहीं टकराता।<sup>२</sup> सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) का आदेश बर्खास्तगी अथवा नौकरी में हटाये जान की आना से भिन्न है क्योंकि यह नियम द्वारा निर्धारित कोई दंड के स्वरूप में नहीं होता और सजा के रूप में कोई नतीजा इसमें शामिल नहीं होता एवं सेवानिवृत्ति पान वाना व्यक्ति उसके द्वारा की गई सेवा काल के अनुपात में पेन्शन पान का अधिकारी होता है। अनुच्छेद ३११ (२) में निहित सिद्धान्त यह है कि जब किसी कर्मचारी को विरुद्ध कोई दंड रूप कायवाही हो और जिसमें उसके द्वारा अब तक प्रेषित किये गये काम की जाँच हो ता ऐसी दशा में उसकी मुनवाई होनी चाहिये और आदेश के विरुद्ध कारण बतात का अवसर मिलना चाहिये। परन्तु जब कि कोई आदेश गणित का नहीं है और उसमें अब तक एकत्रित हुए कामों की जाँच भी नहीं होती तो ऐसे मामले में सजा की जाती या सजा नियमों का कार्यान्वयन नहीं करने का कोई कारण नहीं होता।<sup>३</sup>

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रायशः करे कि उस ५५ वर्ष की आयु समाप्ति में ही पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाव तो बाद में वह गिरफ्तार नहीं कर सकता। वानी ने ३३ वर्ष का नौकरी कर देने के पश्चात् और रिटायर होने की आयु में बहुत पहले सेवानिवृत्ति का अवकाश लपट रिटायर होने का आग्रह किया जो सरकार ने अतः स्वीकार किया और उसे ११ महीने और ०५ दिना का अवकाश भी दे दिया। उक्त अवकाश का समाप्ति में ठीक दस दिन पहन उमम अपना विचार बदल दिया और फिर से नौकरी पर आने की इच्छा की। तत्पश्चात् सरकार ने उसे ५५ वर्ष की आयु तक की अनुमति नहीं दी। इस मामले में वानी का विवाद सुनाने हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अन्त में यह फैसला किया कि स्थिति सबका वादी के पुत्र के द्वारा मागी गई तथा सुन की बनाई हुई थी। उक्त फैसला कि न रिटायर होने के लिए नहीं कहा था। अब वह न्यायालय की महायत्ना नहीं भाग सकता।<sup>४</sup>

**सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले प्रतिवायन सेवानिवृत्ति**—यदि किसी राज्य कर्मचारी की नियमों में निर्धारित अवकाश की आयु पूरी करने के आधार पर नहीं परन्तु किसी अन्य कारण पर, यद्यपि उक्त सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नही की है प्रतिवायन सेवानिवृत्ति का अधिकार है तो ऐसी सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) गणित (सजा) के रूप में है।<sup>५</sup> अनुपातिक पेंशन का अधिकारी होने के लिये निर्धारित वर्षों की अवकाश की सेवा पूरी करने से पहले यदि कार्य में अनुकूलता के आधार पर प्रतिवायन सेवानिवृत्ति की कायवाही की जाती है तो वह सजा रूप में होती है।<sup>६</sup> एसी

- १ केवलमल निधवी बनाम हताराम झाई एल आर १९५१ राजस्थान ४०५ यह भी देखिये—गणाराम पुरोहित बनाम राजस्थान सरकार झाई एल आर १९६१ राजस्थान ३७१
- २ गोपालमल बनाम सरकार १९६५ आर एल इबल्लू ४४, कपूर चन्द बनाम राजस्थान सरकार झाई एल आर १९६२ राजस्थान ६९, गणाराम पुरोहित बनाम राजस्थान सरकार झाई एल आर १९६१ राजस्थान ३७१
- ३ श्यामराज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए झाई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९, यह भी देखिये—राजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए झाई आर. १९५४ इलाहाबाद ३६३
- ४ जयराम बनाम भारतीय सघ ए झाई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ५५५
- ५ बी एन धर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए झाई आर १९६४ जम्मू एल कश्मीर ६२
- ६ मोर धुरशीद प्रलो बनाम झाई जी पुलित ए झाई आर १९६० मध्य प्रदेश ११७



मामला द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत ऐसे मामला में लागू हुआ है जिसमें सरकार अपने कमचारी को लोच हित को दृष्टि में रिटायर करना चाहती थी। इस वाद में प्रशासनिक कारणों से राज प्रमुख न आई जो पुनिस को अधिवापिक आयु में पहले सेवानिवृत्त कर दिया। प्रार्थी का मुख्य बय यह था कि इस विस्म की सेवानिवृत्ति सविधान के अनुच्छेद ३११ की परिभाषा में नौजरी में रूपाया जाना हो गया और इस कारण अवध थी। श्यामलाल के मामला में नियत किये हुए परीक्षण को लागू करत हुए अध्याय बना अब तक अज्ञित किये गये लाभ की अधिकारी को क्षति हुई है 'यायालय न' बयन किया कि आई जी पी को पूरी पेंशन दी गई है। उससे द्वारा अब तक अज्ञित किये हुए लाभ की हानि का कोई प्रश्न नहीं है। नियमानुसार बिना पेंशन दिये यदि रिटायर करन का प्रावधान होता तो यह मायता देन का कुछ कारण हो सकता था कि सेवानिवृत्ति बतौर सजा थी। किन्तु चूंकि सेवानिवृत्ति नियमानुसार पेंशन पर ही हो सकती है—मौजूदा बाट में पूरी पेंशन अधिकारी को स्वीकृत की गई है ऐसी दशा में सेवानिवृत्त स्पन्दतया गाम्नि स्वरूप नहीं है। जबकि सामन्तीय नापन के प्रावधानों के अन्तगत सरकार ने एक आदेश निकाला कि प्रार्थी को पेसा में ११ महाने और २० पिन की बढोत्तरी दी जावे। परन्तु लगभग एक पखवाड़े के भीतर सरकार ने एक दूसरी अधिसूचना जारी करके गत अधिसूचना का नकारात्मक प्रभाव से वापिस ले लिया। उसके फलस्वरूप प्रार्थी का पत्र से मुक्त कर दिया। यह नियम हुआ कि सरकार ने वाद को अधिसूचना द्वारा अपने पहल आदेश को वापिस ले लिया और उस असनिक कमचारी को सविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा गारंटी किये गये मुनवाई का कोई भी अवसर नहीं दिये गए अतः वह कार्य प्रत्यक्ष रूप में गलत था।<sup>१</sup>

सरकार की नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति सविधान के विपरीत नहीं—जबकि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु ५८ में घटा कर ५५ कर दी। इस घटोत्तरी का कारण सावजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता उत्पन्न करने एवं ग्राम भलाई में अग्रसर होना था। यह नियम हुआ कि इस मामले में अनुच्छेद ३११ आकर्षित नहीं होता।<sup>२</sup> यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि राज्यपाल को सेवा नियमा का बदलन की इतनी स्वतंत्रता है और इससे निये कमचारी की राय पहले लेना आवश्यक नहीं है। यह भी नियम हुआ कि सविधान के अनुच्छेद ३०६ के अन्तगत वाय करत हुए राज्यपाल के अधिकार इतन विस्तृत हैं कि वह गतकालिक प्रभाव वाल नियम भी बना सकता है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद ३२० (३) (ग) भी लागू नहीं होता। यह अनुच्छेद अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में लोक सेवा आयोग की सलाह लेन से संबंधित है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला नहीं है जिस पर सविधान का अनुच्छेद ३२० (३) (ग) लागू होता हो।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त सरकारी नीति पर अग्रसर होते हुए अधिवापिकी आयु तक पहुँचने से पहले अनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्त करन का आदेश, सामान्य क्रम में सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) है और वह पासि रू नही है।<sup>४</sup> इसी प्रकार ५५ साल की आयु

१ के. घामा राव बनाम मयूर सरकार, ए. आई. आर. १९६३ मयूर २०८

२ राम अवतार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९६२ इलाहाबाद ३२८

३ चित्तौड़ वाराणसी बनाम ट्रावन कोर कोचीन सरकार, ए. आई. आर. १९५३ ट्रावन कोर कोचीन १४०, रामभाधारसिंह बनाम बिहार सरकार ए. आई. आर. १९५४ पटना १८७

४ मुशीराम बनाम मध्यभारत सरकार ए. आई. आर. १९५४ मध्यभारत ५४, केवलमल बनाम हतराम ए. आई. आर. १९५२ राजस्थान १७, प्रीतमसिंह बनाम पंजाब सरकार ए. आई. आर. १९६८ पंजाब १८६



शक्ति के नियम नियम १६ में बतलाई गईं जाच पूरा की जाना आवश्यक है। यदि मामला राजकाय सेवा के किसी राज्य कर्मचारी का है तो यह सेवा प्रायोग की राय भी लनी होगी। जबकि एक राज्य कर्मचारी उसकी जन्मतिथि के अनुसार रिटायर नहीं किया गया, अथवा वह साम्यवादी तंत्र की राजनतिक कार्यवाहियां में अभिगृहीत रहता था<sup>१</sup> अथवा उसने ६० वर्ष की आयु पूरा कर ली थी परन्तु (मरण के बरतों हान में) मरिणा द्वारा निश्चित अवधि समाप्त नहीं हुई थी<sup>२</sup> अथवा वह प्रमदयोगील या अनुगत था<sup>३</sup> अथवा यह सेवा प्रायोग का राय था कि कारण सिद्ध हो गया है<sup>४</sup> अथवा विध्वंस कार्यवाहियां में लगे व्यक्तियों के महा उमरा आवागमन था<sup>५</sup> अथवा उमर कम मान का नौकरी पूरी करना थी<sup>६</sup> अथवा ७ मान की नौकरी करने के बाद उम जबरनता में छुट्टी दी गई और अतः में रिटायर किया गया<sup>८</sup> तो यह निम्न हूमा कि एसी मवानिवृत्ति नौकरी में स्थायि जाने के समान है और उस कारण मविधान में अनुच्छेद ११ ( ) लागू होता है। श्याम लाल<sup>९</sup> के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान्यता दी कि अनिवायन मवानिवृत्ति तंत्र के प्रभाव रहता है क्योंकि यह अनिवायन की नौकरी करने के अवसर में व अधिवायिक आयु (पचपन सात) पहुंचने तक के बतन प्राप्ति में बतन रहता है और नत्पदचान व बनी हू पा तन में भा वचित रहता है। परन्तु यह व्यक्त किया गया कि मविध्य में बुद्धि का आगानात क्षति कातून का हृष्टि में रहता अनिश्चित है कि उम मजा नहा मान मकत। अतः यह निम्न हूमा कि मिविध मविधान में अनुच्छेद ४६५ ए का सिपिंगा (नाट) ८ के अतगत अनिवायन मवानिवृत्ति मविधान के अनुच्छेद ११ (२) द्वारा नौकरी में हटाया जाना नया नाना। डाशी<sup>१०</sup> के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने श्यामलाल के मामल पर पुन विचार किया और यह बकतज जाया कि उपरान्त प्रार के प्रान्त नभी पैना हा सकत है जबकि नियमा द्वारा मवानिवृत्ति का आयु और अनिवायन मवानिवृत्ति की आयु नाना निर्धारित हा और किमा अरनिक कर्मचारी की सेवाएं न दाना अवधिया के बीच में समाप्त कर ना जावें। परन्तु जना अनिवायन मवानिवृत्ति किमा नियम द्वारा निर्धारित नहा ना गईं या जरति का एसा नियम हा और उमक द्वारा निर्धारित आयु में पूर्व कर्मचारी का रिटायर कर लिया गया ना ना उमका मविधान के अनुच्छेद ११ (२) के अतगत वधान्तगा या नौकरी में हटाया जाता हा माना जावगा। आगे दलीपसिंह<sup>११</sup> के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने श्यामलाल एव डाशी नाना के मामला पर विचार किया और व्यक्त किया कि तन

- १ भारताय सध वनाम वन्सा अमराक सि ११ आर १८६ पज व १०८
- २ वा एम मनन वनाम भारतीय सध ११ आर १९० सर्वोच्च न्यायालय १९६०
- ३ पञ्चीनाथ वनाम उत्तर प्रान्त सरकार ११ आर १८१८ न्यायावाद १६८
- ४ मीभागचन्द हांगा वन म मीगण्ट राय ११ आर १८११ मीराण्ड १८६, यह मा त्विमे—११ आर १८१७ सर्वोच्च न्यायालय ८८०
- ५ मद्राम राय उनाम टा के गापाय अय्यर ११ आर १८० मद्राम १८
- ६ लक्ष्मनसिंह वनाम आर जो पा ११ आर १८५६ पसू १६
- ७ गुरतेवसिंह वन म पञ्जाव सरकार ११ आर १८१८ सर्वोच्च न्यायालय १५८७
- ८ हरीचन्द रना वनाम जम्मू कश्मीर सरकार ११ आर १८११ जम्मू कश्मीर ६०
- ९ श्यामलाल वनाम उत्तर प्रान्त सरकार, ११ आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २६८
- १० बन्धु सरकार वनाम मीभागचन्द हांगा ए आर १८५५ सर्वोच्च न्यायालय ८९२
- ११ न्यायसिंह वनाम पञ्जाव सरकार, ११ आर १८०० सर्वोच्च न्यायालय १३०४



के पञ्चान अथवा मन्त्र मन्त्रालय की जाती है तथा राज्य मन्त्रालय स्वयं नहीं है। हानि के कारण प्रशासनिक कार्य ठीक ठीक चलाया जाता है तो मन्त्रालय के अनुच्छेद २१ का उल्लंघन नहीं होता। प्रो. न. उच्च. वा. वा. मन्त्रालय का एक नियम का बन्धन प्रकृत है।<sup>१</sup>

**आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति** — साधारणतया जब निम्न राज्य कर्मचारियों का आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति होता है तो वह बड़ा गारंटी है। परन्तु कुछ मामलों में भी है जिनमें वह स्वल्प नहीं होता। इनमें जबकि वास्तव में कर्मचारियों को नियोक्तृ से आनुपातिक पेंशन पर रिटायर होना था या मांग की जाती थी यह नियम द्वारा निश्चित करवाया जाता था। उनमें पेंशन पर रिटायर होने का प्राथमिकता का अधिकार करने में उनमें प्रशस्तता, दावा हानि में से नुकसान का चुना। उनमें यह कार्य आगे आकर और उनमें नतीजा तो पूरा तरह से ही होता है।<sup>२</sup> एक अन्य बात में जबकि प्रायः ही निरीक्षण का प्रयास किया जाता है कि प्रो. उनमें उनमें दावा प्रस्तावित कर दिया तो वह सरकार की छूट का नतीजा के रूप में आता है। यह नियम द्वारा ही छूट का नतीजा लागू करने में आनुपातिक पेंशन पर अधिवारित आधुनिक पद्धत सेवानिवृत्ति (रिटायर) करने का आदेश मन्त्रालय द्वारा जाना जाता है।<sup>३</sup> जबकि एक सरकार के कर्मचारियों का पेंशन में दावा हानि नियोक्तृ से अनिवारित सेवानिवृत्ति कर दिया तो यह नियम द्वारा ही अधिवारित आधुनिक पद्धत सेवानिवृत्ति व्यवस्था या नौकरों में हानि प्रकृत नहीं कहा जा सकता किन्तु उनके द्वारा पेंशन नौकरों पर उचित आनुपातिक पेंशन का जन्म होता है।<sup>४</sup> इस प्रकार यह पद्धत द्वारा ही सरकार का एकाधिकार प्रकृत और किन्हीं नाब के अन्तर्गत आनुपातिक पेंशन पर अधिवारित आधुनिक पद्धत सेवानिवृत्ति कराने में मन्त्रालय क्रम में सेवानिवृत्ति माना जावेगा स्वल्प ही नहीं है।<sup>५</sup>

(७) सेवा से हटाया जाना — यह गारंटी देने में मन्त्रालय में एक है। एसी गारंटी आनुपातिक प्राधिकार अधिनियम करने में मन्त्रालय है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों का एसी मन्त्रालय से पूर्व आनुपातिक प्राधिकारों का अधिकार मन्त्रालय का राज्य नहीं होगा। स्पष्टीकरण (१) (vii) में चार गारंटी है जिनमें राज्य कर्मचारियों का सेवा समाप्ति गारंटी स्वल्प नहीं होगा। वे निम्नलिखित हैं —

- (१) किन्हीं परिदृश्यों का सेवा परामर्श की अवधि में या उस अवधि के अन्तर्गत पर समाप्त करना
- (२) किन्हीं सवित्तों के आधारों के अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों का सेवा उनमें नियुक्ति के समान ही पर समाप्त करना,

१ एन. एन. एम. मन्त्रालय मन्त्रालय राज्य ए. आर्. आर. १९६० मैचूर ११६

२ अन्तर्गत मन्त्रालय मन्त्रालय हरनाथ बग्गा ए. आर्. आर. १९५७ अन्तर्गत ७७

३ गिन्कार्गिह मन्त्रालय मन्त्रालय, ए. आर्. आर. १९५६ मध्यभारत ४०

४ बम्बई मन्त्रालय मन्त्रालय सीमांतकालीन ए. आर्. आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८७७  
पञ्जाब मन्त्रालय मन्त्रालय रामप्रसाद ए. आर्. आर. १९५७ पञ्जाब ३४५

५ मुंबई मन्त्रालय मन्त्रालय मध्यभारत मन्त्रालय, ए. आर्. आर. १९५६ मध्यभारत ५४

(३) किसी इक्तर के अतगत किसी कर्मचारी की सेवा ऐस इक्तर की शर्तों क अनुसार समाप्त करना, या

(४) किसी ऐमे राज्य कर्मचारी की सेवा जो एकीकृत राजस्थान राज्य म चुना या सविलीन नही किया जा सका समाप्त करना ।

नियम १४ का स्पष्टीकरण (२) यह प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति का एकीकृत राजस्थान राज्य मे किसी पद पर चुनाव अथवा नियुक्ति नहीं हो सकन क अनिश्चित किसी आधार पर सामयिक अस्थायी नियुक्ति हुई है और उसके पदचान उमे नौकरा से टुट्टी (डिमिशन) दे दा जाता है ता ऐमा डिमिशन नौकरा से हटाया जाना माना जानगा ।

शून्य हटाया जाना या बर्खास्तगी कहां पर परिभाषित नही हुए ह । सामान्य सम्भाषण म उक्त शून्य का तात्पर्य प्राय किसी व्यक्ति क पद समाप्ति स ह । किसी को उसके पद म हटान या बर्खास्त करन का प्रभाव उमे उसके पद से डिमिशन (टुट्टी) देना होता है उस अर्थ म उक्त शून्य मे राज्य कर्मचारी की प्रत्येक प्रकार से सेवा समाप्ति आ जाती है । अनुच्छेद ३११ (२) प्रभावित रूप म निर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य कर्मचारी की सेवा इस प्रकार समाप्त करन म पहल उमे ऐसी सेवा समाप्ति के विरुद्ध कारण वतान का उचित अवसर दिया जाना चाहिये । नौकरा स हटान म निश्चिन्त सेवा समाप्त हो जाती है, परन्तु हर प्रकार की सेवा समाप्ति बर्खास्तगी या हटाया जाना नही होता । ऊपर उल्लेख किया गया स्पष्टीकरण १ (vii) देखन मे विदित होगा कि सेवा समाप्ति का कई निम्ना को नौकरा स हटाना नही माना जाता । अनुच्छेद ३११ सेवा समाप्ति के समस्त मामला म लागू नही होता ।<sup>१</sup> हटान की कायवाही म यह अर्थ आ जाता है कि अधिकारी किसी प्रकार मे लाक्षणिक अथवा अपूर्ण है जिसका तात्पर्य यह ह कि वह किसी दुराचरण का दाया है या उसम सेवा काम करन की वाञ्छित योग्यता समर्थता या लगन का अभाव है । ऐसी परिस्थितिया म नौकरा स हटाने की कायवाही का कारण एवम् औचित्य उस अधिकारी के व्यक्तिगत आधार पर स्थित है ।<sup>२</sup> नौकरा स हटाया जाना अविष्य म राज्य म नौकरा मिलन के लिए अयोग्यता नही है जब कि बर्खास्तगी सामान्यतया राज्य म अविष्य म नौकरा के लिये अयोग्यता हाना है । इसलिये बाह्य काप म दिखे गये प्राकृतिक गल बर्खास्तगी और हटाया जान क अर्थ अर्थात् जावे अथवा नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) म लिखित इन शर्तों के सीमित अर्थों को मान्यता दे जावे, जहा तब स्थायी या अस्थायी (निश्चित अवधि के लिए नियुक्त हुये) कर्मचारिया से मरण है नतीजा एक ही होगा अर्थात् स्पष्टीकरण १ (vii) म दिए गए चार वर्गों के अनिश्चित किसी कारणवश राज्य कर्मचारी को सेवा म प्रलन करना नियम १४ (६) एव अनुच्छेद ३११ के अतगत हटाया जाना माना जावगा ।<sup>३</sup> जब कि एक राज्य कर्मचारी इस आधार पर नौकरा स हटा दिया गया कि उसन एक ऐसे व्यक्ति को डाक्टरी प्रमाण पत्र दे दिया जिसकी दृष्टि दोष पूर्ण नही थी,<sup>४</sup>

१ सतीशचन्द्र बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १८५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०, एम एन एस सेठा बनाम मैसूर राज्य, ए आई आर १९६८ मैसूर ११६ भी देखें

२ दयामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६।

३ भोजोराम बनाम उत्तर-पूर्वीय सीमांत रेजव, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ६००

४ डा० ईश्वरनारायण सिन्हा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३९



श्यामलाल<sup>१</sup> के मामले में दी गई अभिव्यक्ति के पश्चात् इस प्रश्न का तयगुदा मान १ कि घनुच्छेद ३११ (२) तभी लागू होता है जब किसी अधिकाारी की सेवाएँ उमरे व्यक्ति के आधार पर समाप्त की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी अधिकाारी के विरुद्ध कोई आरोप प्रथवा आज जिनको अनुमानत वह अधिकाारी गलत साजित कर सकता है या जिनका स्पष्टाकरण कर सकता हो, लगाना घनुच्छेद ३११ (२) की आवर्षित करना है चाहे उसका कारण दुराचरण प्रथवा कायपालन की योग्यता, क्षमता या इच्छा का अभाव हो प्रथवा दूसरे शब्दों में शारीरिक या मानसिक अक्षमता या अनमयता हो। अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई अधिकाारी स्थायी रूप से शारीरिक कारणों से असमय हो जाता है— डाक्टरों प्रमाण-पत्र या कोई अन्य आधार पर—तो उसकी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही आदेश जारी हो सकता है।<sup>२</sup>

**परीक्षणार्थी की सेवा समाप्ति**—नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) (क) के अनुसार परीक्षण पर नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का उमरा नियुक्ति का शर्त या नियमों या परीक्षण पर लागू आदेशों के अनुसार परीक्षण के मध्य में प्रथवा अन्त में का गड़ हो उसकी सेवा में पथक करना नही माना जायगा। चूँकि परीक्षण का ध्येय कर्मचारी के आचरण एवं योग्यताओं को परीक्षा लेना मात्र होता है सेवा के इकरार में मामा-यतया<sup>३</sup> महाना से एवं वय तक की अवधि परीक्षण काल की निर्धारित की जाती है प्रथवा यह भी हो सकता है कि इतरागताने में कोई अवधि बिलकुल नही दर्शाई गई हो। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या किसी परीक्षणार्थी को जो परीक्षण का समाप्त हो जाने के पश्चात् भी बिना पूरा पत्र पर लौटाये जान के उसी पत्र पर जारी रहता है नौकरी में पक्का किया जान प्रथवा पक्का हो जान को तरह हो गुमार किया जान का हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में<sup>४</sup> इस प्रश्न पर विस्तृत विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परीक्षणार्थी को पक्का किये जान का काइ हक नही है न उसका पक्का किया जाना गुमार ही किया जा सकता है। किसी स्थायी पद के लिये पात्र मात्र होने से परीक्षणार्थी कोई श्रेष्ठतर स्थिति में नही होता। इतना होने के बावजूद भी जमा कि सर्वोच्च न्यायालय ने धोंगरा के वाद में<sup>५</sup> निर्देशित किया है परीक्षणार्थी का सविधान के घनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकताओं का पालन किये बिना दुराचरण के लिये दंडित नही किया जा सकता। परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर परीक्षण काल बढ़ाने का अधिकार सवथा राज्य सरकार को है।<sup>६</sup> परन्तु यदि किसी परीक्षणार्थी को किसी विशेष अपराध या दुराचरण के कारण डिस्चार्ज (पृथक) किया जा रहा है तो वह सेवा में पृथक करना माना जावेगा और इसलिए सरकार के लिए आवश्यक होगा कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करें।<sup>६</sup>

१ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९

२ बसू भारत का सविधान (अ प्रेजी) तृतीय संस्करण जिल्द II ४८२

३ सुलबसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११ यह भी देखिये—हाट बल प्रस्कोटसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८८६, जिसमें प्रेशन सूची में एक इंग्रज की शक्ति से कि वह अधीनस्थ सेवा में परीक्षणार्थी के रूप में गुमार किया जा रहा है न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि उमरा अधीनस्थ सेवा में लगभग ८ वर्षों तक काय किया है एवं अन्य १० वर्षों तक वह राज्य सेवा में था तौ भी वह अधीनस्थ सेवा में परीक्षणार्थी ही समझा जायगा।

४ पुष्पोत्तमलाल धोंगरा बनाम भारतीय सप ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

५ मध्य प्रदेश सरकार बनाम अमृतलाल ए आई आर १९५५ उडीसा २२९ यह भी देखिये गोपी विशोर बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना ३७२

जब कि किसी परिभाषार्थी का मकान अज्ञात एव अग्रजन्तुजनक वायु व आघार पर अथवा प्रागेरिष अवाप्तता व कारण अथवा अग्रम आचरण व कारण अथवा विभागाय परीक्षा पाम नही कर मरन व वाग्ग ममाप्त का गइ ता यह निगय हृष्टा कि उमका हृष्टाया जाना स्पष्टनया गाम्नि स्वरूप या और इमतिण उम मविधान व अनुच्छेद ११ (२) का सरक्षण प्राप्त करन का अधरार वा ।

यह भी भन्ती भानि तिरिचन है कि परीक्षण पर गय गय राज्य कमचारी को त्रिचान (पुथव) दिया जा सकता है और ज व उमका मकाण गाम्नि रूप म हो उचित निमानुसार ममाप्त का जाती है ता एसा डिमचाज अनुच्छेद ११ (२) का परिभाषा म उभास्तया या नोनग म हृष्टाया जाना नही होगा न उम अनुच्छेद व पावधान का तापु हाने । परीक्षणार्थी का अग्रन पत्र स्थित रहन का काइ स्वव नही है और उमका नियुक्ति का गती व अग्रनगन एम मामता पर तापु नान वान नियमा के अधीन रहन हुए वर पराभग वान म त्रिमा भा समय त्रिमाज त्रिमा जा मवना है ।\*

**अस्थाई सरकारी कमचारिया की सेवा समाप्ति - नियम १८ व स्पष्टाकरण (१) (111) के अनुसार** जिस मंत्रिा द्वारा नियुक्त हण कमचारिया व अतिरिक्त नियुक्ति वान ममाप्त होन पर अस्थाई कमचारिया का मवा-ममाप्ति का नोनरी म हृष्टाया जाना नही माता जाना । सतीशचन्द्र क वाट म सर्वोच्च न्यायालय न व्यसन त्रिमा कि नोनग म्थाइ हाता है तो वृद्ध बधानिक गारटिये हाता ए परतु एम प्रवधा व अभाव म अस्था नरीन म काय पर तगाय हुए अस्थाई कमचारिया के माय अय नियावना का भानि सरकार विाप मविना (एन एड) करन म स्वतत्र है । सूत्रमनया दम मिद्वान्त का वा गय मकन है कि जे कि किसी कमचारी का त्रिमा सवा मंत्रिा का स्पष्ट या गभिन गनों व अग्रनगत अथवा मवा गनों पर तापु होन वान नियमा क अग्रनगत त्रिमा पत्र या पत्र पत्रिण पर स्वव है ता एम कमचारी का त्रिमा ममाप्ति या पत्रावर्तति अग्रन आप म एव प्रथम अवतानन म गाम्नि हाता है, क्यार्कि त्रिमा प्रभाव त्रिमा उवन पत्र पर अथवा पत्रिण पर स्थित रहन और उमन मस्विचन वनन एव अग्र उवतत्रिया प्राप्त करन व अधि वार का जति करना ताता है । परन्तु यति कमचारा को अग्रन पत्र पर काइ स्वव नही है जसा कि अस्थाया तीर पर या पराभग पर की गई नियुक्ति म हाता ए आग त्रिमा अस्थाई मवा पर त्रिमा अय म्थाइ नोनरी नही बना है एम कमचारिया का मवा-ममाप्ति उमना त्रिमा स्वव म वक्ति नही करना और त्रिमा अग्रन आपम मत्रा नही है । त्रिमा गत्र कमचारी का मवा ममाप्ति गाम्नि के रूप म है या न्ता त्रिमा तय करन व त्रिमा एव परीक्षण यह तात करना है कि यति मवा त्रिमा

- १ बिहार सरकार बनाम गानेकिंगार प्रमाण ए आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६८२
- २ गोकुलाम आनन्द बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आर १९५८ त्रिमावाद् ३३०
- ३ डूबरमिह वनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आर १९५५ त्रिमापुत्र १०७
- ४ राजागम बनाम सरकार, ए आर १९५८ त्रिमावाद् १४१ त्रिमापुत्र गय व त्रिमा त्रिमा-ए आर १९६० त्रिमापुत्र १८ एव-ए आर १९६० त्रिमापुत्र २५
- ५ राजेन्द्र चन्द्र वनर्वा बनाम भारतीय मध ए आर १९८५ सर्वोच्च न्यायालय १५१०
- ६ मनीषचन्द्र आनन्द बनाम भारतीय मध, ए आर १९८५ सर्वोच्च न्यायालय २५०

प्रकार समाप्त नहान की जाता तो वना उस कमचारा को उक्त पन धारण करने का स्वत्व प्रप्त था । स्थाई रूप से मौलिक पद, अथवा नियत अवधि के अस्थायी पन पयवा अस्थायी तीर पर पद धारण करने वाना को अपने पदा पर स्वत्व हाता है । अत धीगरा के बाद म<sup>१</sup> सर्वोच्च न्यायालय न व्यक्त किया कि यदि उने पद पर स्वत्व था तो उसकी मना समाप्ति अपन आप म सजा होगी और वह अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रप्त सरक्षण पाने का अधिकारा है । अ प प्रकार स इसी तन्त्र को या प्रस्तुत कर मनन ह कि यदि सरकार को किसी स्पष्ट या गर्भित मविदा द्वारा अथवा नियमा के अन्तगत किनी भी समय मवा ममानि का अधिकार है ता मविदा या नियमा द्वारा निपारित तरीके म एनी मवा ममानि प्रथम अवलादन म एव म्वय म सजा नही है और सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान इस पर लागू नहा रीन ।

इ प प्रकार जब कि किनी अस्थायी राजनीय कमचारी की सेवा छठी के धारण समाप्त की गई<sup>२</sup> अथवा पन उमूलन के कारण<sup>३</sup> अथवा सप्तारी व्यक्त्वा की समाप्ति हान के कारण<sup>४</sup> अथवा कमचारा वग की समाप्ति के कारण<sup>५</sup> अथवा वानज म किसी विषय का हटा दिमे जान कारण<sup>६</sup> अथवा विध्वंसक कायवाहिया म भाग लन के कारण,<sup>७</sup> अथवा उने अतिरिक्त (सरप्लम) धामित किये जान स<sup>८</sup> अथवा उसके पूव वरिष्ठ स असन्तुष्ट होन के कारण अथवा भूतपूव कदी हान के कारण और नियुक्ति के पश्चात इस गलती स अवगत हानि से,<sup>९</sup> तो निगत हुया कि मवा समाप्ति वतीर मजा नही था और इस वजह स राज्य कमचारा को मविधान के अनुच्छेद ३११ (२) म दिमे मये सरक्षण का अधिकार नही था । मामाय नाय के सिद्धान्त भी लागू नही हा मवन ।

इसके विपरीत अस्थायी पन पर काय कर रह कमचारी की सेवा किसी भी समय नाटिम देकर कि अब उमये नौकरी की आवश्यकता नही है समाप्त की जा सकती है ।<sup>११</sup> नियुक्ति अधिकारी व लिए कई कारण प्रस्त करना आवश्यक नही है । अत जबकि एक महिन का नाटिस देकर इस आधार पर सेवा समाप्त की गई कि वह पन के लिए उपयुक्त नही है<sup>१२</sup> अथवा जोक सवा आयोग

- १ पुष्पात्तम लाल धीगरा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
- २ के एन श्री निवामन् बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ४१९
- ३ वृजनदन बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५५ पटना ३५३
- ४ महेश्वरा प्रसाद बनाम रीजनल ई ओ ए आई आर १९५७ पटना ५५५
- ५ अबुल कान्दर बनाम सरकार ए आई आर १९५७ हैदराबाद १२
- ६ गोपाल नारायण मिश्र बनाम रीजनल ऐपेलेट कमटी ए आई आर १९६५ इलाहाबाद २५२
- ७ पी वाला कौश बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२
- ८ बलवीरसिंह बनाम मय प्रदेश सरकार ए आई आर १९५५ नागपुर २०९
- ९ के एम मुगथा प्रसाद बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल १९
- १० ईश्वरी प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार, १९६५ आर एन डब्ल्यू ७
- ११ अहमद शेख बनाम डिविजनल एफ आर ए आई आर १९५७ जम्मू कश्मीर ११
- १२ गुलाम एहमद बनाम आई जो पी ए आई आर १९५९ जम्मू कश्मीर १३६



जो उस चुना नहा है, १ अथवा ग्राम इत्यादि का नवारी म जगत मन्त्रिण भाग विधा २ ता निम्न दृष्टा कि नास्मि पर सवा ममाप्ति करना नोक्त म हुनाया जाता नहा माता जा मरता एव अनुच्छेद ३११ के प्रावधान लागू नहा हान । परन्तु जबकि एक अस्थायी राज्य कमचारा का सवा ममाप्ति कर ता गइ यद्यपि उनम कतिपय व्यक्ति सवा म रज निण मय ३ अथवा जब कि एक चत्वारन द्वा गद और माय म नास्मि क वन्द म एक मन्त्रिण क वन्द पर सवा ममाप्ति कर दीगई ४ अथवा सवा मन्त्रिण ममाप्ति की गई कि वह राज्य स्वयं सवक मय ५ (एक राजनटिब ६) का मन्त्र्य है अथवा वह पट्टन वन्ता (मन्त्रायापता) या ६ अथवा उनक विरुद्ध एक रिमाक (साक्षर) या कि वह सवा म रजन क निण अनुचित व्यक्ति या ७ अथवा ग्राम म उमता मन्त्रावता एव क्षमता पर कतक गवाया या ८ अथवा अन्तरण (मिनिफिजम) का आरापिन वायवाहिया के आधार पर अथवा इत्यादि एव खराब काम ९ अथवा रिजव ११ क आधार पर ता यद निम्न दृष्टा कि म प्रकार का सवा ममाप्ति व्यक्तया वनोर मन्त्रा ह और एमी वायवाही क निण अनुच्छेद ११ लागू हागा । जबकि का अधिकाय किमी अस्थायी कमचारा का सवा ममाप्ति करना चाहता ह ना किमा प्रकार का गछन अथवा उनक आचरण पर अवा डात बिना क मन्त्रिचारा का साधारण आदेश जारी कर सकता है ।

अधिसूचना हान म पूर्व सवा-ममाप्ति नास्मि का प्रभाव रक्ता ह । १२ एक मामल म जब कि आरम्भ म प्रार्थी की नियुक्ति छ मन्त्रिण क निण अस्थायी कीग या वा म नियुक्ति कान ममन ममय पर बनाया गया । फिर प्रार्थी का सवा तत्कालिक प्रभाव म ममाप्ति करन का आदेश म आधार पर किया गया कि ताक सवा आयाग न उस नियुक्ति हेतु चुना नहा । ता यद फसता दृष्टा कि नियुक्ति कान का अर्थात् पटना अधिसूचना पूरा हा जान क वा म बनाद ग और आगे का अर्थात् निश्चित नहा का म ना यह नहा कहा जा सकता कि नियुक्ति निश्चित कान तक क निण या और एना अस्थायी नियुक्ति म अनुच्छेद ११ लागू हागा । १३

- १ विन्दावर वनाम चन्तर मन एम टा ए आर आर १८५४ नागपुर १०
- २ श्री मीन अन्ना मुग्ग वनाम अन्तर्नियर ए आई आर. १९५८ कन्नडा ५६१
- ३ मुषनन्दन ठाकुर वनाम अन्तर सरकार ए आई आर १९५७ पटना ८१७
- ४ ज एम बसा वनाम अन्तर प्रवेश सरकार ए आई आर. १९६२ अहावाल ८७१
- ५ विानतान वन्मानान वनाम मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य भारत १००
- ६ गोपाल चन्द्र वनाम त्रिपुरा क्षत्र ए आर आर १९६० त्रिपुरा १ त्रिपुरा क्षत्र वनाम गानान बन् ए आर आर १९६ सर्वोच्च न्यायालय ६०१
- ७ जगन्नाथ बिलर वनाम भारतवाय मय ए आई आर. १९६८ सर्वोच्च न्यायालय ४६८
- ८ दशरथिंह वनाम पन्जाब सरकार, ए आर आर. १९६४ पन्जाब २५४
- ९ जगन्निमदा चमा वनाम भारतवाय मय ए आई आर १८६० कन्नडा २६६
- १० अरिचन्द्र वनाम अन्तरिक्षक विद्या विनाग १९६४ आ एव डब्ल्यू ६२५
- ११ मन्त गानान वनाम पन्जाब सरकार, ए आई आर. १९६६ सर्वोच्च न्यायालय ५ १
- १२ अनाम विहाण विवाग वनाम भारतवाय मय ए आई आर. १९६२ अमम ६८
- १३ अन्नादास महता वनाम पन्जाब सरकार, ए आर आर १९५७ पन्जाब १५८

जब कि एक राज्य कमचारी का स्थानांतरण अन्य स्थान पर किया गया, उसने डाक्टरा प्राधार पर रियायती भवकाश मागा। उसे एमे भवेकाश म वृद्धिमें स्वीकृत हुई। तत्पश्चात भवकाश और अधिक बढ़ाने का उसका प्राथना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। उसे पुन आदेश हुआ कि काय-ग्रहण करने बर्ना उसकी नौकरी समाप्त की जाना समझली जायेगी। यह निराय हुआ कि उसकी सेवा समाप्त बतौर सजा नहीं था और उमम सामाय 'याय के सिद्धान्त लागू करना आवश्यक नहीं था।<sup>१</sup> परन्तु जब कि ए राज्य कमचारी को सूचित किया गया कि चूकि वह अपने तमाम अर्जित भवकाश खत्म करने के बाद भी नौकरी मे गर हाजिर रहता रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति समाप्त की जाना माननी जावगी किन्तु नौकरी समाप्त करने की धाना वास्तव में जारी नहीं हुई। यह निराय हुआ कि सरकार उसकी सेवा समाप्त कर सकती है परन्तु जब तक वह ऐसा नहीं करे तब तक उसे सरकारी कमचारी ही मानना पड़ेगा और जो वेतन एव उप संधिया उसे देय हैं वह चुकानी चाहिये।<sup>२</sup>

**इकरार के अन्तगत सेवा समाप्ति**—नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) (ग) प्रावधान करता है कि किसी सविदा के अन्तगत नियुक्त किये गये राज्य कमचारी की सेवा, उक्त सविदा की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी जावे तो वह दण्ड नहीं समझा जावगा। अस्थायी कमचारियों के साथ भी नौकरी की विशेष सविदा निर्माण करने म सरकार स्वतंत्र है।<sup>३</sup> परन्तु सेवा की ऐसा शर्त सविधान से असंगत नहा होनी चाहिये।<sup>४</sup> ऐसे मामला मे सविदा की शर्तें राज्य सरकार पर भी लागू होनी ह।<sup>५</sup> परन्तु यदि कोई मनुष्य राज्य सरकार के सामाय काय\* काननो में अपने आपकी दाध लेता है तो जो शर्तें वध हो वे उस पर लागू होना मानली ज वेगी। जब कि किसी अस्थायी कमचारी की नियुक्ति एक निश्चित काल के लिए हुई तो उस अवाध क समाप्त होन पर उसकी नियुक्ति का अंत हो जायगा और उसे एक महिने का नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। केवल उन मामलो मे जिनम अस्थायी नौकरी अनिश्चित काल के लिए है एक महिने का नोटिस देने का प्रश्न आयेगा।<sup>६</sup> इकरार नामे के अनुसार सेवा समाप्ति बतौर सजा नहा होती उसके लिये कोई विनाय काय प्रणाली की आवश्यकता नहीं है<sup>७</sup> परन्तु जब कि दुराचरण के लिए कायवाही की जाती है और एक व्यक्ति को जाव के बाद सेवा से पृथक किया जाता है यद्यपि सविदा की शर्तों के अनुसार किसी भी और से एक महिने का नोटिस देकर

१ डा० परमानंद बनाम जिला बोर्ड ए आई आर १९६२ पटना ४५२

२ जतोड माहन साह बनाम सवालक स्वास्थ्य सेवाए ए आई आर. १९६३ कलकत्ता ६०८

३ धारदा प्रसाद बनाम एदाउन्ट जनरल, ए आई आर १९५५ इलाहाबाद ४९६

४ पतित पावन बोस बनाम कमोशनर ए आई आर १९५७ कलकत्ता ७२०

५ सतीशचंद्र बनाम भारतीय सघ ए आई आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०

६ फकीरचन्द बनाम एम चक्रवर्ती, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ५६६

७ योगम गौरासिंह बनाम भारतीय गणतंत्र, ए आई आर १९६२ मनीपुर ५२

८ रणजीत घोष बनाम दामोदर घाटी निगम, ए आई आर. १९६० कलकत्ता ५४९, मोहनलाले धर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार, १९५७ मध्य प्रदेश १३३, गंगाधर गुहसिंहप्पा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६३ मसूर १९३ यामन बालकृष्ण बनाम कलेक्टर केन्द्रीय आवकारी, ए आई आर १९५९ बम्बई १४२, धार एल गुप्ता बनाम हिम चन्द्र प्रेक्ष सरकार, ए आई आर. १९५४ हिमाचल प्रदेश १, धनन्तराम बनाम ए एन दोधिय



के तथा (मिरोटस) को देखने हुए उचित समझे तो राज्य सरकार इस प्रयोग्यता का परित्याग करने में समर्थ है ।

एक 'बर्खास्तगी', 'नौकरी से हटाना' एवं पब्लिक सचिवनति सब विंगप पारिभाषिक (टर्म्स) शब्द है, और इनका अभिप्राय साकप्रिय अथ स निराशने का अनुमति नहीं है । यद्यपि पदच्युति (बर्खास्तगी) दुराचरण के मामला के लिये सीमित नहीं है फिर भी सामान्यतया बर्खास्तगी गुण व्यक्तियों को क्लवन्तीय समझते हैं । इसके विपरीत किसी अदमी को सेवा से पृथक् करने (हटाने) में उसका अपराधी होना आवश्यक नहीं है ।<sup>१</sup> मन्विकान में भविष्य में निवृत्ति के मामलों के प्रतिरिक्त 'हटाना' एवं बर्खास्तगी समान रूप से व्यवहृत हुए हैं । जबकि पदच्युति सामान्यतया अधिकारी का आगामी निवृत्त में प्रयोग्यता लाती है तथा स पृथक्करण यह प्रयोग्यता गहो लाता ।

**अवैध पदच्युति** — किन आधारा पर राज्य कर्मचारी को पदच्युति की जा सकती है यह सर्विवाल का अनुच्छेद ३११ निर्धारित नहीं करता । अनुच्छेद ३१० के अन्तगत "राज्यपाल का प्रसन्नता पयन्त का प्रयोग करने की एक मात्र शक्त यह है अनुच्छेद ३११ (१) एवं (२) में दी गई शर्तों का पालन किया जावे । यदि अनुच्छेद ३११ की पालना हुई है तो किसी अथ कारण से यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते और बर्खास्तगी का भौचित्य केवल फौजदारी शेषारोपण अदक्षता अथवा अर्थ अचरण अथवा शासन नीति के कारण के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ।<sup>२</sup> जबकि लम्ब अवकाश के कारण एउ चेतावनी दी गई और उम चेतावनी को बर्खास्तगी के लिये नोटिस मान लिया गया<sup>३</sup> अथवा बर्खास्तगी को आना जारी करने के लिये पिछले रखाड को ध्यान में रखा गया<sup>४</sup> अथवा जबकि जाच एक दिन में को जाकर पदच्युति कर दी गई,<sup>५</sup> अथवा पक्षपात पूरा राय के आधार पर पदच्युति का आदेश जारी किया गया<sup>६</sup> अथवा जबकि उमके विच्छेद अपराध का कोई चाज नहीं था किन्तु बर्खास्तगी कर दी गई<sup>७</sup> अथवा जबकि पदच्युति जाच करने वाली प्रदात के फल के आधार पर की गई और दण्ड अपील में खारिज हो गया<sup>८</sup> तो यह नियम हुआ कि ऐसी बर्खास्तगी का आदेश अवैध था । निवृत्त अधिकारियों के लिए यह प्रतिवाय है कि स्पष्ट

- १ अमूल्य मुलर्जी बनाम ईस्ट इण्डिया रेलवे ए आई आर १९६१ क्लवत्ता ४० विद्वनायति० बनाम ट्रेडिग अवीक्षक ए आई आर १९५६ पटना २२१ तबीबुद्दीन एहमद बनाम असम सरकार, ए आई आर १९५८ असम १८१, शारदा प्रसाद बनाम ऐनाउन्ट जनरल ए आई आर १९५५ इलाहाबाद ४९६
- २ ईरदास मेहता बनाम पेशू सरकार, ए आई आर १९५२ पेशू १४८
- ३ केवलमल बनाम हेतराम ए आई आर १९५२ राजस्थान १७
- ४ कमलाबाई बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य भारत १२८
- ५ रामचन्द्र बनाम डिप्टी आई जी ए आई आर. १९५७ मध्य प्रदेश १२६
- ६ कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर - १९५८ राजस्थान ४३२
- ७ राजाराम बनाम सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य प्रदेश १४
- ८ पी ए. एहमदला बनाम ट्रेडिग कोचीन राज्य ए आई आर. १९५६ ट्रेडिग कोचीन ३३
- ९ डिबीजल अवीक्षक बनाम रामसरन दास, ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३६



(२) जिन राज्य सेनामा के सम्बन्ध में नियुक्ति का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित (डेलीगेट) नहीं किया गया है उन पर निन्दा और वेतन-वृद्धि रोकने की शास्तियों का अतिरिक्त अन्य शास्तियों लागू करने के पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा ।

### टिप्पणी

यह नियम वास्तव में अनुशासन प्राधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य से सम्बन्ध रखता है । अन्तः अनुशासन प्राधिकारी से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो किसी राज्य कर्मचारी पर शास्ति आरोपित करने की शक्ति रखता है । उपनियम (१) के अनुसार अनुशासन प्राधिकारी को, नियम (१४) में निर्दिष्ट समस्त शास्तियों लागू करने का अधिकार है । दूसरी तरफ सविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत कोई राज्य कर्मचारी उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता । इन नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्त प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी एक ही व्यक्ति हों । नियम १२ नियुक्त प्राधिकारियों के विषय में है । नियम १५ का उपनियम (१) निम्नलिखित अनुशासन प्राधिकारियों के नाम घोषित करता है जो नियम १४ में निर्दिष्ट समस्त शास्तियों आरोपित कर सकते हैं —

वर्ग	नियुक्त प्राधिकारीगण	अनुशासन प्राधिकारीगण
राज्य सेवा	सरकार अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी	सरकार अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
अधीनस्थ सेवा	विभागाध्यक्ष अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी	विभागाध्यक्ष अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
नेलक वर्गीय सेवा	कार्यालयाध्यक्ष परन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदेशों के अनुसार ।	कार्यालयाध्यक्ष
चतुर्थ श्रेणी सेवा		

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या अनुशासन प्राधिकारी उस दशा में समस्त शास्तियों लागू कर सकता है जब कि नियुक्त प्राधिकारी कोई अन्य व्यक्ति हैं उदाहरण के लिये, यदि एक राज्य सेवा के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई तो क्या उसके विरुद्ध कोई शास्ति सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अनुशासन प्राधिकारी लागू कर सकता है ? निःसन्देह ऐसा अनुशासन प्राधिकारी बर्खास्तगी एवं पृथक्करण के अतिरिक्त तमाम शास्तियों लगा सकता है । बर्खास्तगी या सेवा से पृथक्करण का दण्ड नियुक्त प्राधिकारी होने से, केवल सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है । इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति विभागाध्यक्ष ने की है एवं कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी सरकार की अनुमति से विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशासन प्राधिकारी होना घोषित किया गया है, तो ऐसा प्राधिकारी बर्खास्तगी और सेवा से पृथक्करण के अतिरिक्त और सब दण्ड लागू कर सकता है ।<sup>१</sup>

१ 'नियुक्त प्राधिकारी एवं अनुशासन प्राधिकारी की परिभाषाओं के अन्तर्गत टिप्पणी देखिये

गवियान के अनुच्छेद ३११ के साथ पठित अनुच्छेद ३१०, २३३ एवं २५ के अन्तर्गत स्थापित (उद्दिष्टित) सेवा के सम्बन्ध के लिये नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल होगा। इसलिये वर्तमान में भी राज. ग. प. परन बना प्राधिकारी भी राज्यपाल होगा। परन्तु गवियान के अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी उच्च न्यायालय बना रहेगा। इन अनुच्छेदों का सर्वोत्तम सामन्त यह होगा कि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी बना रहेगा, परन्तु गवियान के अनुच्छेद २११ में उल्लिखित गाम्निषा के अन्तर्गत गाम्निषा के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय अनुमान प्राधिकारी होगा। एन. ए. ए. द्वारा राज्यपाल न. प्रशासनिक न्यायाधीश का अथवा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनायीत न्यायाधीश का यह प्राधिकार सम्पन्न है कि राज्यपाल 'वायिव' सेवा सम्बन्ध का इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जा गाम्निषा - गिवाय वागाम्निषा और गया में पृथकीकरण के अन्तर्गत कर मने।

**उपनियम (२) लाइसेंस प्रायोग से परामर्श**—उपनियम (२) प्रावधान करता है कि राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्ति के अधिकार अन्तर्गत विद्यमान अधिनियम प्राधिकारी का सम्पन्न किया हुए नहीं है। ता गाम्निषा लागू करने में पढ़न निम्न एक बतल बद्धि में राज. ग. प. लाइसेंस प्रायोग से परामर्श लेना होगा।

राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार हा नियुक्ति प्राधिकारी है। नियम १२ के अन्तर्गत राज्य सेवाओं में नियुक्ति के अधिकार राज. ग. प. द्वारा अधिनियम प्राधिकारी को दे सक्ता है। इसका तादाय यह है कि जब राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है तो निम्नलिखित घास्तिये लागू करने से पहले लाइसेंस प्रायोग से परामर्श लेना होगा।

१. पदावधि समाप्त
२. असाध्यपानी या निगा बन्दूक नियम या प्रायोग का अथवा द्वारा उत्पन्न हुई सरकारों शक्ति का सम्पूर्ण अथवा प्रायोग पूर्ति करने में बन्दूक करना,
३. निम्न सेवा ग्रह या प. पर अथवा निम्न बतल के समय मान पर अथवा उन्नी समय मान में नाथ के अथवा पर अथवा पेंशन के मामल में नियमानुसार जा पेंशन बतल हा उसा राज. ग. प. करना,
४. प्रायोगिक पेंशन पर अथवायत सेवा निवृत्ति,
५. सेवा से अथवाकरण (नौकरी से हटाना), एवं
६. अनुच्छेद (वर्गीकरण)

एक प्रश्न यह उठ सक्ता है कि क्या इन नियमों में ग. प. होगा प्रायोगिक है जिससे बिना लाइसेंस प्रायोग का परामर्श लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही शून्य हो जायेगी। गवियान के अनुच्छेद ३१०(२) (ग) में प्रावधान करता है कि अधिनियम प. पर सरकार के

प्रयोग बाम करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले सम्मत अनुशासनीय मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करना होगा किन्तु राज्यपाल राज्य के बाध पालन से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदा के विषय में ऐसे विनियम बना सकेगा, जिनमें निदिष्ट मामलों में सामान्य तथा, अथवा किसी विशेष वर्ग के मामलों में अथवा किसी विशेष परिस्थितियों में लाज-सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा। हानि में अथवा तब इस मामलों में बहुत विवाद रहा कि उक्त सविधानीय प्रावधान आनामूचक है अथवा निर्देशात्मक। कुछ उच्च न्यायालय यथा उड़ीसा पेपसू मनीपुर, पटना, इलाहाबाद और गुजरात इस सम्मति के थे कि सविधान के अनुच्छेद ३२०(१) (ग) में निर्धारित लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना केवल निर्देशात्मक है और आयोग में परामर्श नहीं लेने की दशा में सरकारी आदेश अवध नहीं होंगे।<sup>१</sup> इसके विपरीत उम्बई राजस्थान कन्नड़ और सीराष्ट्र उच्च न्यायालयों ने यह सम्मति दी कि आयोग से परामर्श लेना आनामूचक है एवं आयोग से परामर्श नहीं लिए जाने से सरकारी आदेश अत्रैव हो जायगा।<sup>२</sup> उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मनबोधनलाल<sup>३</sup> के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यह विवाद शांत हो गया है। यह फसला हुआ कि अनुच्छेद ३२०(३) के प्रावधान आदेश सूचक प्रकृति के नहीं हैं और अनुच्छेद ३११ के परिशिष्ट (राइडर) की तरह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे व्यक्त किया कि सविधान का अनुच्छेद ३२०(३) (ग) लोक-सेवा पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता अतः परामर्श के अभाव में अथवा परामर्श करने में अनियमितता करने के कारण किसी वध न्यायालय में उसे कोई विनाय दावा पता नहीं होता न वह सविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से या अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से विरोधाधिकारी के अन्तर्गत कोई सहायता पाने का अधिकारी ही होता है।

यह कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे मान्यता दी जा सके और जो याचिका (रिट) द्वारा प्राप्त कराया जा सके। इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सरकार आयोग के अस्तित्व की सबथा उपेक्षा करने में स्वतन्त्र है या वह मनमाने ढंग से किसी मामले में परामर्श लेवे और किसी से नहीं, लेवे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब भी सरकार किसी लोक-सेवा के विरुद्ध अनुशासन, नात्मक वायबाही प्रस्तावित करे तो उसके लिए आयोग से यह परामर्श लेना अनिवार्य होगा कि

- १ इम्बरुधरदास बनाम उडासा सरकार ए आई आर १९६०, उड़ीसा ६२ - एन दलमेरसिंह बनाम पेपसू सरकार ए आई आर, १९५५ पेपसू ६७ नागम सोम्वी सिंह बनाम मनीपुर राज्य, ए आई आर १९५७ मनीपुर ३५ बृजनन्दन बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना ३५३, बनारसीदास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ इलाहाबाद ८१३ नगमोहनदास बनाम उम्बई सरकार ए आई आर १९६२ गुजरात १९७
- २ डी ए गोरेगावनर बनाम उम्बई राज्य ए आई आर १९५८ उम्बई १६९, छनाराम बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर, १९५४ राजस्थान १२ मुन्नालाल बनाम स्वीट ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५१ और भातु प्रसाद बनाम सरकार ए आई आर १९५६ सीराष्ट्र १४
- ३ ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ६१२, यह भी देखिये—यू आर भट्ट बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १३४४ ए एन डी मिलवा बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ११३०



क्या प्रस्तावित कार्यवाही उचित है और परिस्थिति की आवश्यकताओं के विचार से कोई ज्यादाता ता नहीं होगा।

एक प्रावधान का अर्थानिहित उद्देश्य यह है कि सामान्यतया धायाग में परामर्श लेना चाहे तो और यदि किसी विधि में मामला में उमम परामर्श नहीं लिया गया तो प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए अनुमानों के आदेशों का इस प्रावधान पर प्रभाव लेन मानने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारीगण इस संबंधानिक प्रावधान को ग्राह्य और भाव में परिभाषा के तौर पर व्यवहृतता नहीं कर सकते। बल्कि इस कारण से कि सविधान निर्माण करने का नाम इस प्रावधान का निर्माण मात्र बनाया, सविधान में लिये गये कानून के इस प्रावधान को उपरोक्त आदेशों प्राधिकारियों का नहीं करने चाहिए।<sup>१</sup>

उप नियम (२) प्रावधान करता है कि राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जबकि नियुक्ति प्राधिकारण राज्य सरकार है धायाग से परामर्श लेना होगा। अधीनस्थ, तन्मन्वर्गीय अधिका कानून अधिका के व्यक्तियों पर शास्त्र लागू करने में मामला में धायाग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।<sup>२</sup> इसी प्रकार जबकि राज्य सेवा में किसी व्यक्ति को नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशों द्वारा प्राधिकारी न की है तो धायाग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।<sup>३</sup>

१६ कठोर शास्त्रियों लागू करने की कार्य प्रणाली— (१) लाक मन्वर्क (जाच) अधिनियम १८५० के प्रावधानों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना किसी राज्य कर्मचारी पर नियम १४ के खण्ड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्त्र लागू करने की धायाग तब तक नहीं दी जायगी जब तक यथा संभव आग दी गई कार्य प्रणाली के अनुसार जाच नहीं कर ली गई है।

(२) जिन अभिकथनों की जाच की जानी है उनके आधार पर अनुशासन अधिकारी निश्चित आरोप (चाज) बनाएगा। इस आरोपों को अभिकथनों के विवरण सहित जिन पर आरोप आधारित है राज्य कर्मचारी को लिखित रूप में देगा और उस कहा जायगा कि वह निर्धारित अवधि में, जो अनुशासन अधिकारी निर्दिष्ट करें अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत कर जिसमें वह बताव कि क्या मन्व अधिका कुछ आरोपों की सत्यता को वह स्वीकार करता है उस क्या स्पष्टीकरण या प्रतिरक्षा यदि कोई हो ता दनी है, और क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है

परन्तु आरोपित व्यक्ति को प्रतिरक्षा (परियत) के सिलसिले में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी कथन अधिका अभिकथन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित हो ता कोई प्रतिरक्त आरोप स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा।

१ दुर्गासिंह बनाम पञ्जाब सरकार, ए आई धार. १८५७ पञ्जाब ८७ ए आई धार १९५८ मनिपुर ३५

२ अनुभवनाथ बनाम सरकार, ए आई धार १९५६ सौगाट १४ मनापुर राज्य बनाम मारण धम एन सिंह ए आई धार. १९५७ मनिपुर ७

३ करमदेवसिंह बनाम बिहार सरकार ए आई धार. १९५८ पटना २२८ बामन बनाम सरकार ए आई धार. १९५३ नागपुर ६६

**स्पष्टीकरण**—इस उपनियम एव उपनियम (३) में शब्द अनुशासन प्राधिकारी की व्याख्या में वह प्राधिकारी भी सम्मिलित है जो राज्य कमचारी को नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट सजायें देने के लिये सक्षम हो।

(३) राज्य कमचारी को अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के प्रयोजनाथ उसके द्वारा बताये गये सरकारी रेकॉर्ड का निरीक्षण करने एव उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जायगी परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी की सम्मति में ऐसा रेकॉर्ड इस प्रयाजन के लिये सुसंगत नहीं है अथवा उमकी दिखाने को अनुमति देना लोकहित में नहीं है तो वह लिखित रूप में कारण बताकर ऐसी अनुमति प्रदान करना अस्वीकार कर सकता है।

(४) प्रतिरक्षा का लिखित उत्तर प्राप्त होने पर या निर्दिष्ट अवधि में ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो तो, जो आरोप कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किये हैं उनकी जाच अनुशासन प्राधिकारी स्वयं कर सकता है, अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो इस काय के लिये कोई जाच मण्डल अथवा जाच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(५) जाच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे आगे जाच प्राधिकारी कहा जायगा) आरोपों की पुष्टि में पैरवी करने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्य कमचारी अनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा किसी राज्य कमचारी से सहायता लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इस प्रयोजन के लिये कमचारी कोई वकील नहीं रख सकता जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति वकील न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, अनुशासन प्राधिकारी ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करे।

**स्पष्टीकरण**—इस उपनियम के प्रयोजनाथ एक सरकारी अभियोगता, अभियोग निरीक्षक या एक अभियोग सहायक निरीक्षक को एक वकील मान लिया जाएगा।

(६) (क) जाच के दौरान, जाच प्राधिकारी दस्तावेजों शहादत पर विचार करेगा और ऐसी मौखिक गवाही लेगा जो आरोपों के सम्बन्ध में सुसंगत अथवा सारभूत हो। राज्य कर्मचारी को अधिकार होगा कि आरोपों की पुष्टि में बयान देने वाले गवाहों से जिरह कर सके, एव स्वयं भी शहादत में बयान दे सके। आरोपों के पुष्टि पक्ष का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह राज्य कमचारी एव प्रतिरक्षा में बयान देने वाले गवाहों से जिरह कर सके। यदि जाच प्राधिकारी किसी गवाह के बयान लिखने से इस आधार पर इन्कार कर दे कि वह सुसंगत अथवा सारभूत नहीं है तो लिखित रूप में इसका कारण दर्ज करेगा।

(ख) जाच प्राधिकारी, सही तथा पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलेखित किये जायेंगे, उसके द्वारा संचालित अधूरी सुनवाई की गई जाच में, गवाहों को बयान हेतु पुनः बुला सकता है।

१ अधिसूचना संख्या एक १ (६) नियुक्ति ए III/६३ दिनांक १६-७-६२ द्वारा जोड़ा गया।

२ अधिसूचना क्रमांक एक ३ (५) नियुक्ति (ए-III)/६५ दिनांक ११ मार्च १९६६ द्वारा जोड़ा गया।

१(ग) किसी राज्य कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध जाच के आदेश हुए हैं, सम्मन स्पष्टतया तामोल होने के बावजूद जाच में उपस्थित नहीं होने की दशा में, जाच प्राधिकारी, इन नियमों के नियम १६ (ii) का दृष्टिगोचर करत हुए, ऐसे राज्य कर्मचारी को अनुपस्थिति में जाच में अग्रसर हो सकता है।

१(घ) इन नियमों के नियम १८ के अंतर्गत मयूक्त विभागीय जाच की दशा में यदि किसी तारीख को कोई एक या अधिक राज्य कर्मचारी जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हों, परंतु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप में अनुमादन प्राप्त उनको महायता करत वाला/वाँने कर्मचारी उपस्थित हों, तो जाच प्राधिकारी जाच में अग्रसर हो सकता है।

(३) जाच की समाप्ति पर जाच प्राधिकारी जाच की एक रिपोर्ट तयार करेगा जिसमें प्रत्येक आरोप पर कारण सहित निष्णय लिखेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की सम्मति में जाच के फलस्वरूप मूल आरोपों से भिन्न आरोप प्रमाणित होते हों तो वह ऐसे आरोपों पर अपने निष्णय लिखेगा परन्तु अब तक राज्य कर्मचारी उन नये आरोपों के आधारित तथ्यों को स्वीकार नहीं करत अथवा उसका उनसे विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रयत्न नहीं मिल चुका हो तब तक वह अपना निष्णय नहीं लिखेगा।

(८) जाच के अभिलेख (रकड) में सम्मिलित होंगे —

- (i) उपनियम (२) के अंतर्गत राज्य कर्मचारी के विरुद्ध बनाये गये आरोप एवं उसको दिये गये अभिव्यक्तियों का विवरण,
- (ii) प्रतिरक्षा में दिया गया उसका लिखित उत्तर, यदि कोई हो
- (iii) जाच के दौरान ली गई मौखिक साक्ष्य
- (iv) जाच के दौरान विचार की गई दस्तावेजी साक्ष्य,
- (v) अनुशासन प्राधिकारी एवं जाच प्राधिकारी द्वारा जाच के दौरान जारी की गई आज्ञायें, यदि कोई हों
- (vi) रिपोर्ट, जिसमें प्रत्येक आरोप पर निष्णय कारणों सहित हों।

(९) यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जाच प्राधिकारी नहीं हों, तो वह जाच के रकड पर विचार करेगा एवं प्रत्येक आरोप पर अपना निष्णय लिखेगा।

१ जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय, यदि अनुशासन प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हों कि अभी तक की गई जाच में कोई न कोई कमी रहे गई है तो वह सही एवं पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलेखित किये जायेंगे मामले को दीगर/नवीन जाच हेतु वापिस भेज सकता है।

(१०) (1) यदि आरोपो पर लिखे गये निष्कर्षों के आधार पर अनुशासन अधिकारी इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि नियम १४ के खण्ड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति दी जानी चाहिये तो वह—

(क) राज्य कमचारी को जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासन अधिकारी स्वयं जाच अधिकारी नहीं हो तो अपने निष्कर्षों का विवरण जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों सहित, यदि कोई हो तो देगा

१(ख) उमको नोटिस दगा जिसमें उस पर प्रस्तावित शास्ति व्यक्त की जायगी, और आदेश दिया जायगा कि वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावित शास्ति पर अभिवेदन अपनी इच्छानुसार प्रेषित करे, किंतु ऐसा अभिवेदन केवल जाच के दरमियान प्रस्तुत की गई शहादत पर ही आधारित होगा ।

(11) (क) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग (कमिशन) से परामर्श लेना आवश्यक हो, जाच का अभिलेख खण्ड 1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की प्रतिलिपि सहित और ऐसे नोटिस के उत्तर में दिया गया प्रतिवेदन, यदि कोई हो, अनुशासन अधिकारी आयोग को सम्मति के लिये भेजेगा ।

(ख) आयोग की सम्मति प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी राज्य कमचारी द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रतिवेदन पर एक आयोग की सम्मति पर विचार करेगा और यदि शास्ति देनी हो तो यह तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू की जानी चाहिये और मामले में उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा ।

(111) जिस मामले में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं हो उसमें खण्ड (1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में कमचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर, यदि कोई हो तो अनुशासन प्राधिकारी विचार करेगा और यदि शास्ति देनी हो तो यह तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू की जानी चाहिये और मामले में उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा ।

(११) यदि अनुशासन प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह सम्मति करेगा कि नियम १४ के खण्ड (१) से (३) तक में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति दी जानी चाहिये, तो वह उस मामले में उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा

परंतु प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है, जाच का अभिलेख अनुशासन प्राधिकारी द्वारा आयोग की राय के लिये भेजा जावेगा और आज्ञा जारी करने से पहले आयोग की राय पर विचार कर लिया जायेगा ।

१ अधिमूचना क्रमांक एक ३ (८) नियुक्ति ए-III/६४ दिनांक २०-३-६५ द्वारा इन गण्य के स्थान पर लिखा गया— उसका नोटिस दगा जिसमें उसके विषय में प्रस्तावित कायवाही हो व्यक्त की जायगी और आदेश दिया जायगा कि वह प्रस्तावित कायवाही के विषय में अभिवेदन अपनी इच्छानुसार सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकानुसार प्रेषित करे ।

(१२) अनुपासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आग राज्य कमंतारी को पूरित की जायेगी जिसे कि ज्ञात प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिनिधि और जब अनुपासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो अथवा निष्कर्षों का निष्कर्ष प्राप्त यात्रा यात्रा प्राधिकारी व निष्कर्षों में अमूर्तमति है ता गणप में एम वाग्गणा महिन दगा, जब तत्र रि व पहन व ही उमे तहो द श गई हा और यदि आयाग ने काई गय दी हो ता उमरी मा प्रतिनिधि और जब रि अनुपासन प्राधिकारी न आयाग का गय स्वीकार नहीं की हा ता स त न म एसी अस्वीकृति व कारण महिन दी जायगी ।

१ परन्तु जांच अधिकाारी की रिपोर्ट की प्रतिनिधि दना उम दगा म आवश्यक नहो हागा जब कि राज्य कमंतारी पर नियम १४ कं चर (१) म (२) में विहित काई शास्त्रि लागू की गई हा ।

### टिप्पणी

यह स्पष्ट है कि किसी राज्य कमंतारी के नियम में वायव्यता करने में पूरा अनुपासन प्राधिकारी के पास कुछ मामला गयी गये जा उचित वायव्यता का मुनाब द । एउ प्राधिकारी गारा यह स मद्रा एउ नियम के अन्तगत का गद जाव स प्रप्त हो सकती है ।

एउ नियम के अन्तगत कमंतारी का यह अन्तगत है कि जिन कारणों के अन्तगत पर अन्त वित्त वायव्यता की जाना हो व उा सुचित निय वाय तथा उा अन्तगत प्रतिरक्षा व निये समुचित अन्तगत लिया जाय । यह नियम अन्तगत कमंतारी का यह अन्तगत प्रप्त करता है कि उमक विरुद्ध जाव इन नियम द्वारा निषारण प्रमाणानुसार का जाव और यह जाव जाव करन वात अधिनियम की स्ट्रिक्टा पर नहीं छाया गई है कि यह अन्तगत मनी मुनाबित तथा व जाव कर । एउ सा तराना अन्तगत के उ उद्देश्य म ही एउ नियम का प्रावधान किया गया है, और अन्तगत वाव करन व न अधिनियम की इतरा अन्तगत फालन करता चाहिये ।<sup>२</sup>

(१) उपनियम (१)-शास्त्रि ने पहले जांच आवश्यक —यह नियम प्रावधान करता है कि जब कना विमा मरकाची कमंतारी का इन शास्त्रिवा न अन्तगत करता हा मानी (क) पत्रितच्छुति (ख) आनुवातिक पेंशन पर अधिनियम मवा निवृत्ति (ग) मवा म पयना करण, एव (घ) मवा स पन्वृत्ति ता एम नियम द्वारा निषारण तरीके म नियमित जाव की जाना चाहिये, एव तत्राकत उम जाव क नताज क अनुसार एसी शास्त्रि द श गयती है । एसी जाच या ता (१) इन नियमों के अन्तगत अधिका (२) सावजनित सवतानु (जाव) अधिनियम १८५० क अन्तगत का जा सकती है ।

सात सबद (जाच) अधिनियम, १८५० (पब्लिक सर्वेस इन्वैस्टिगएज एक्ट) प्रावधान करता है कि एन सात सबदों (पब्लिक सर्वेस) के अधिनियम व विषय म जा विना

१ अधिनियम क्रमांक एक ३ (१३) विरुद्ध ए-III/६, दिनांक १६-६-६५ द्वारा घोषित गया ।

२ कन्वैन्शनल क्लेम सर्वेयर, ए आर आर १९५८ राजस्थान १, ए आई एल १९५४ राजस्थान २०७ का अनुकरण ।

राजकीय स्वीकृती के सेवा से पृथक् नहीं किये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोगों का सारांश आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में बनवा सकती है और उनकी सत्यता की औपचारिक एवं सांख्यिक जाच करने की आज्ञा दे सकती है। जाच उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त किये जायें। आयुक्तों के मन्तव्य दोषारोपण सरकार द्वारा स्वयं या विसा दोषारोपक (निर्वाचन करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बाद होने पर आयुक्त गण सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपनी राय एवं समस्त मामलों पर अपने विचार जो वे व्यक्त करना उचित समझें और जो ऐसे मामलों के विषय में सरकार के अधिकारों के अनुकूल हो भजें। एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत कायवाहियों का पूरा काय क्षेत्र विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमें न्यायालय ने व्यक्त किया कि लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अंतर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि विसा सावजनिक कर्मचारी के दुष्प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निश्चित निष्पत्ति पर पहुँचने में सरकार का सहायता मिले, और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद ११(२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कर्मचारी के लिये कौन सी सजा उपलब्ध होगी इसका सामयिक निष्पत्ति सरकार ले सके। अधिनियम के अंतर्गत जाच करना कतई अनिर्वाह नहीं है और अपना मन चाहा तरीका अपना देने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतंत्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमों के अंतर्गत अथवा लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अंतर्गत की जावे।<sup>२</sup>

**जाच संचालन की काय प्रणाली**—अधिनियम (१) बताता है कि जाच यथासंभव नियम १६ में निर्दिष्ट काय प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच संचालन की यह प्रणाली साक्ष्य अधिनियम अथवा आज्ञा दीवानी के प्रावधानों से शाब्दिक नहीं होगी। जाच सामान्य जाय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धान्तों के अनुसार की जानी चाहियें, और यदि इन नियमों का मुख्यतया संचालन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय पर कोई प्रातिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो, केवल एक नियम की पालना नहीं होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नहीं है।<sup>३</sup> विभागीय जाच एक प्रकार से अधिन्यायिक कायवाही है,<sup>४</sup> और सामान्य जाय के नियम इसमें अवश्यमेव इतनी ही शक्ति से प्रभावशील हैं जितने जायिक कायवाहियाँ में होते हैं और इसलिये ऐसी कायवाहियों को खारिज करने के लिये उतप्रोक्षण लेख का आदेश (रिट ऑफ सरप्रिमेरी) अवश्य जारी हो सकता है।<sup>५</sup>

१ एस ए बैचटरमन बनाम भारतीय सच, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी देखिये—प्यारा सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पंजाब ३, एस फतह सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

२ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६

३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाथ्यर बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३

४ भारतीय सच बनाम एच सी गोदल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३९६, ज्योति प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५८ पंजाब ३२७, सुरेशचंद्र बनाम हिमासू कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एस रामचंद्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१, बृजसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ६०७, आर्ध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आंध्र प्रदेश ८९४

५ सुरेश चंद्र बनाम हिमासू कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६

(१०) अनुमान प्राधिकारी द्वारा दो गई आता राज्य कमचारी को सूचित की जाती कि जिस प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिनिधि और जय अनुमान प्राधिकारी स्वयं जाच प्राधिकारी नग है ता अपन निष्कर्षों का विवरण आर यदि जाच प्राधिकारी निष्कर्षों में असहमति है ता तब में एने कारणों सहित दगा, जय तब कि व पहने में ही उन नहीं द दी गई है और यदि आया ने कोई राय दी है तो उसी की प्रतिनिधि और तब कि अनुमान प्राधिकारी न आया की राय स्वीकार नहीं की है ता तब में एमी अस्वीर्ति व कारण सहित ली जायगी।

१ पत्तु जाच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिनिधि दना उस दगा में आवश्यक नहा हागा जय कि राज्य कमचारी पर नियम १८ के गण्ड (१) से (२) में विहित कोई शक्ति लागू की गई है।

### टिप्पणी

य स्पष्ट है कि किमा राज्य कमचार व नियम म कायदा करन में पूर अनुमान प्राधिकारी व पान कुद मामला गता चाहिए जा किन कायदा का मुनाब द। एव प्राधिकारी द्वारा यह समझा हम नियम व अन्वयन की त जाच स प्रप्त है मता है।

एन नियम व अनुमान कमचार का य अन्वयन है कि किन कारणों के अन्वयन पर प्रान किन कायदा की जाती है व उन सूचित नियम कायदा उय अपना प्रतिरसा व निने समुचित अन्वयन किया जाय। य नियम अन्वयन कमचार का यह अन्वयन प्रदान करता है कि उनक विरुद्ध जाच एन नियम द्वारा नियमित प्रशासनिक न्याय का जय और यह बात जाच दन वन प्राधिकारी का स्वयं पर नहीं छान गद है कि व अन्वयन मर्जी मुताबिक तरान म जाच करे। एन सा तरान अन्वयन के उ उद एन म ही एन नियम का प्रावधान किया गया है, और अनिवे जाच करन वत प्राधिकारी को अन्वयन अन्वयन पानन करना चाहिए।<sup>२</sup>

(१) उपनियम (१)-शास्ति में पहने जाच आवश्यक —यह नियम प्रावधान करता है कि जब कमा किमा सरकारी कमचार का इन मामलों में शक्ति करना है यानी (क) पदोन्नति (ख) आनुगतिक योग पर अन्वयन मवा नियुक्ति (ग) मवा म पदना करण, एव (घ) मवा स पदोन्नति ता दन नियम द्वारा निर्धारित तरान म नियमित जाच की जाना चाहिए, एव तब तक उय जाच व मता व अनुसार एसा अन्वयन दी जा सकती है। एसा जाच का ठा (१) इन नियमों व अन्वयन अधिका (२) सायनित सवराण (जाच) अन्वयन १८५० व अन्वयन की जा सकती है।

सात सवन (जाच) अधिनियम, १८५० (पब्लिक सर्विस इन्वयन एक्ट) प्रावधान करता है कि एन सात सवनों (पब्लिक सर्वेंट्स) के आवश्यक व विषय म जा किना

१ अधिनियम नमाए एक्ट ३ (१२) नियुक्ति ए-III/६३ निमाए १६-६-६२ द्वारा दोग गया।  
 २ कर्नाटक नमाए सरकार, ए आर पार. १८५८ राजस्थान १, ए आई पार. १९५४ राजस्थान २०७ का अनुसरण।

राजकीय स्वीकृती के सेवा से दृश्य नहीं दिये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोग का सारास्य आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में बनवा सकती है और उनकी सत्यता की धीरचारिक एवं साक्षरितिक जाच करने की आना दे सकती है। जाच उक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रायुक्त नियुक्त किये जावें। व्यक्तियों के मरुत दोषारोपण सरकार द्वारा स्वयं या किसी दोषारोपक (शिनायन करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बन्द होने पर आयुक्त गण्य सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपना राय एवं समस्त मामले पर अपना विचार जाच व्यक्ति करना उचित नमन्य और जो ऐसे मामले के विषय में सरकार के अधिकारों के अनुकूल हो भजेंगे। एन वाद में सर्वोच्च न्यायालय के समय यह अधिनियम के अंतर्गत कायवाहियों का पूरा काय क्षत्र विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमें न्यायालय ने व्यक्त किया कि लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५५ के अंतर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि किसी सावजनिक कमचारी के दुस्वहवार के सम्बन्ध में निश्चित निष्पत्ति पर पहुँचने में सरकार को सहायता मिले, और इस प्रकार सविधान के अनुच्छेद ११(२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कमचारी के लिये कौन सी सजा उपलब्ध होगी इसका सामयिक निष्पत्ति सरकार ले सके। अधिनियम के अंतर्गत जाच करना कतई अनिवाद्य नहीं है और अपना मन चाहा तरीका अपना देने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतंत्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमों के अंतर्गत अथवा, लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अंतर्गत की जावे।<sup>२</sup>

**जाच सञ्चालन की काय प्रणाली—उपनियम (१)** बतता है कि जाच दयासम्भव नियम १६ में निर्दिष्ट काय प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच सञ्चालन की यह प्रणाली साक्ष्य अधिनियम अथवा जाच शैली के प्रचलाना से दाम्निवै नहीं होता। जाच सामान्य काय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिये, और यदि इन नियमों का मुख्यतया रालन किया गया है और सर्वोच्च अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो, केवल एक नियम की पालना नहीं होना जाच की सारिक करने के लिये पर्याप्त नहीं है।<sup>३</sup> विभागीय जाच एक प्रकार से पथ-न्यायिक कायवाही है,<sup>४</sup> और सामान्य काय के नियम इसमें अवश्यमेव इतनी ही दाम्निवै से प्रभावित हैं जितने न्यायिक कायवाहियाँ में होते हैं, और इसलिये ऐसी कायवाहियाँ की सारिक करने के लिये उपप्राप्त लेख का आदेश (रिट आफ सरचियोररी) अवश्य जारी हो सकता है।<sup>५</sup>

१ एम ए वेक्टरमन बनाम भारतवाय सच, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी दाम्निवै—प्यारा सिंह बनाम पजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पजाब ३, एस फतह सिंह बनाम पजाब सरकार ए आई आर १८६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

२ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६

३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाम्बर बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३

४ भारतवाय सच बनाम एच सी गोदल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय २९६, ज्योति प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५८ पजाब २७, सुरेश चंद्र बनाम हिमाम्बु कुमार रीय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एम रामचंद्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१, बुधसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ प्लाहाबाद ६०७, आर्ध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आंध्र प्रदेश ८९४

५ सुरेश चन्द्र बनाम हिमाम्बु कुमार रीय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६





राजकीय स्वीकृती के सेवा से पृथक् नहीं दिये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोगों का सारास आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में बनवा सकती है और उनकी सत्यता की औपचारिक एवं साधजनिक जाच करने की आज्ञा दे सकती है। जाच उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त किये जायें। आयुक्तों के मदद दोपारोपण सरकार द्वारा स्वयं या किसी दापारोपक (शिवायत करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बाद होने पर आयुक्त गण सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपनी राय एवं समस्त मामले पर अपने विचार जो वे व्यक्त करता उचित समझ और जो ऐसे मामलों के विषय में सरकार के अधिकारों के अनुकूल हों मजबूत। एवं बाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत कायवाहियों का पूरा काय खान विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमें न्यायालय ने व्यक्त किया कि 'लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५५ के अंतर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि किसी सार्वजनिक कर्मचारी के दुष्प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निश्चित निष्पत्ति पर पहुँचने में सरकार की सहायता मिले, और इस प्रकार सार्वजनिक के अनुच्छेद ११(२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कर्मचारी के लिये कौन सी सजा उपलब्ध होगी इसका सामयिक निष्पत्ति सरकार ले सके। अधिनियम के अंतर्गत जाच करना कतई अनिर्वाह्य नहीं है और अपना मत बाह्य तरीका अपनायने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतंत्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमों के अंतर्गत अथवा, 'लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अंतर्गत की जाये।<sup>३</sup>

**जाच संचालन की काय प्रणाली**—उपनियम (१) बताता है कि जाच यथासंभव नियम १६ में निर्दिष्ट काय प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच संचालन की यह प्रणाली साध्य अधिनियम अथवा जाब्ता दीवानी के प्रावधानों से शासित नहीं होती। जाच सामान्य 'याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहियें, और यदि इन नियमों का मुरततया पालन किया गया है और संबंधित अधिकारी पर कोई प्रातिफल प्रभाव नहीं पड़ता है तो, केवल एक नियम की पालना नहीं होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नहीं है।<sup>३</sup> विभागीय जाच एक प्रकार सधन्यायिक कायवाही है,<sup>४</sup> और सामान्य 'याय के नियम इसमें अवश्यमेव इतनी ही शक्ति से प्रभावशील हैं जितने सामान्य कायवाहिया में होते हैं, और इसलिये ऐसी कायवाहिया को खारिज करने के लिये उतप्रोक्षण लख का आदेश (रिट ऑफ सरक्षियोरेरी) अवश्य जारी हो सकता है।<sup>५</sup>

- १ एस ए बेंडटरमन बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी देखिये—प्यारा सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पंजाब ३, एस पतह सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३
- २ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६
- ३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाथ बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३
- ४ भारतीय सघ बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३९६, उद्योग प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५८ पंजाब ३२७, सुरेशचंद्र बनाम हिमांशु कुमार शर्मा, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एस रामचंद्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१, एसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ६०७, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आंध्र प्रदेश ८९४
- ५ सुरेशचंद्र बनाम हिमांशु कुमार शर्मा, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६

विभागीय जाच वा उद्देश्य सत्यता की जाच करना है और एम मममन कम्प के निय, अनुचित हस्तक्षेप म प्रतिवृत्त प्रभाव अवश्यमत्र पठ गा, जो उचित अवसर को अस्वाकार करना माना जाना चाहिये ।<sup>१</sup> इस नियम द्वारा निर्धारित वा गई जाच प्रजाती के अनुसार जाच करन दान अधिकार वा निम्न निम्नित जाच करन पहन है —

(१) जिन प्राधारा पर जाचवादी की जाना प्रस्तावित है उनका निदिक्त्त प्राधारा क एम म बनावें ।

(२) आरोपित व्यक्ति को आरोप स सूचित करना चाहिये ।

(३) आरोपित व्यक्ति वा अभियन्तना वा विवरण भा जिनके प्राधारा पर आरोप बने हैं निया जावे और यदि आरोप गव म अधिन है तो उन सब अभियन्तना वा विवरण पत्र निया जाव ।

(४) यदि मामल म कोई अन्य परिस्थितिया है जिन पर प्राप्ता दन क समय विचार निया जाना प्रस्तावित है ना आरोपित व्यक्ति वा उनन भा अवगत कराना चाहिये ।

(५) आरोप-पत्र न क पदवान प्रतिरक्षा म अथवा लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए गवम क्या वह व्यक्तिगत मुनवाई वा च्छूट है यह व्यक्त करन क निय उचित अवधि प्रदान की जानी चाहिये ।

(६) निम्नित उत्तर प्राप्त हा जान पर उन आरोपो पर जाच करना है अथवा वह एम प्रयाजन के नियो जाच अधिकारा नियुक्त कर सकता है । नानवान यह नियम जाचप्रण ना बताना है कि जाच किस प्रकार मवातन का जाच । यह नियम निम्नित करता है

(क) जिन अभियागा का कर्मकार ने स्वाकार नहीं किये हैं उन पर मौखिक गवाही लना चाहिये ।

(ख) आरोपित व्यक्ति वा गवाहा म जिरन करन का अवसर दना चाहिये ।

(ग) आरोपित व्यक्ति को अपना गवाह प्रस्तुत करन का एव एमक द्वारा चाह गये गवाहा की बुनवाम जान का अवसर मिलना चाहिये ।

इस विषय म जाच करन वाले अधिकारी को स्व विवक प्रयोग करने का अधिकार है कि वह विना एव पयाप्त कारण पर किमी गवाह वा बुनान म मना कर सकता है परन्तु वह एम कारण निम्नित रूप म खड पर रखगा ।

(घ) उक्त अधिकार द्वारा सञ्चालित जाचवाही म समावण हागा—

(i) गवाही का पयाप्त अभिनम (ii) निष्कर्षों का विवरण एव (iii) निष्कर्षों क प्राधारा ।

१ उत्तर प्रन्ध सरकार बनाम सी एम शमा ए आई आर, १९६ इनाहाबाद ९४, इसका पुष्टिकरण हुषा-उत्तर प्रन्ध सरकार बनाम सी एम शमा ए आई आर, १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५८ द्वारा ।

(७) निम्नलिखित के आधार पर यदि वह इस राय का है कि बड़ी शास्तियों में से कोई लागू की जावे तो वह कमचारी को जाच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देगा और प्रस्तावित शास्ति बताते हुए नोटिस देगा कि 'एसी प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(८) जिस मामले में आवश्यक हो उसमें लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करे और ऐसी परामर्श एवं प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् मामले में उचित क्रिया जारी करेगा जो राज्य कमचारी को सूचित की जायेगी।

जब की आरोपित व्यक्ति को उसी दिन अभिवेदन प्रेषित करने को कहा गया और मौखिक गवाही उसकी उपस्थिति में नहीं ली जाती तब तो यह नियम हुआ कि जांच करने वाले अधिकारी ने न केवल नियम १६ में निर्दिष्ट कार्य प्रणाली को बल्कि सामान्य प्रथा के विधान का भी उल्लंघन किया है।<sup>१</sup>

(२) उपनियम (२, - आरोपों तथा अभिवेदनों के विवरण का निर्धारण राज्य कमचारी को सूचित करना'—यह नियम निर्देश देता है कि जब अनुमान प्राधिकारी राज्य कमचारी के विरुद्ध आरोपों पर जांच करना चाहता है तो उसे (१) निश्चित आरोप और (ii) अभिवेदनों का विवरण बनाने चाहिये और एक निर्दिष्ट अवधि में उसका उत्तर मागना चाहिये। सविधान का अनुच्छेद ३११ प्रावधान करता है कि राज्य में असन्निह पद धारण करने वाले को प्रथम राजकीय असन्निह सेवा के सदस्य को बर्खास्त सेवा से हटाने या पकिनच्युत करने से पहले जांच करना आवश्यक होगा जिसमें उसकी उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में उसे सुनवाई का उचित अवसर मिल गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि विभागीय जांच प्रारम्भ होने से पहले उसे उन आरोपों की स्पष्ट सूचना मिल जानी चाहिये जिनका मुकाबला करने के लिए उसे कहा गया है और ऐसा नोटिस उसे मिल जाने के बाद और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इस प्रकार की जांच की जानी चाहिये जो इन नियमों एवं सामान्य प्रथा की आवश्यकताओं के अनुकूल है। शब्द 'आरोप का अर्थ राज्य कमचारी के विरुद्ध किसी दोषारोपण से है और इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ होना अनिवार्य नहीं है जो ज्ञाता फौजदारी में दिये हुए और विनाश (टक्कीकल) अर्थ रखने वाले शब्द 'आरोप का तात्पर्य है।<sup>२</sup> साधारणतया जांच की दो अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था में व्यक्ति के विरुद्ध आरोप बनाया जाता है। आरोप का उचित रूप में होने के लिए और प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देने हेतु आवश्यक है कि आरोप अनिश्चित एवं अस्पष्ट नहीं हो परन्तु स्पष्ट एवं निश्चित हो।<sup>३</sup> यदि आरोप अनिश्चित एवं असीमित होंगे तो समुचित अवसर नहीं दिया गया, ऐसा माना जावेगा।<sup>४</sup> जब की प्रार्थों के विरुद्ध आरोप यह था कि परीक्षण काल में उसका कार्य सतोपजनक नहीं पाया

१ कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १

२ बस्तीराम बनाम डिवीजनल अधीक्षक उत्तर रेलवे ए आई आर १९५६ पंजाब १६६ २

३ रामानन्द बनाम डिवीजनल मेकेनिकल इंजीनियर आई एल आर १९६२ राजस्थान

३०२, रसबीरसिंह बनाम अधीक्षक स्मॉल आर्मस फक्ट्री ए आई आर १९५७ इलाहाबाद

२७४, भारतीय सच बनाम श्री कुलाचंद्र सिंह ए आई आर १९६३ त्रिपुरा २०

४ भारतीय सच बनाम श्री कुलाचंद्र सिंह ए आई आर १९६३ त्रिपुरा २०



जब कि अभियोग ८० नजदीक नजदीक लिये गये पृष्ठा म प और भवधि बढाने की प्राथना भस्वीकृत कर दी गई, तो यह निम्न हूमा कि आरोप लम्बे बनाये गये और प्रार्थी को अपना स्पष्टकरण प्र पित करने के लिये लिया गया समय प्रपर्याप्त था । भवधि बढाने के लिये दिया गया प्रार्थी का आवेदन-पत्र बिना उचित कारण बत ये खारिज किया गया ।<sup>१</sup> परन्तु यदि भागा गया स्थगन स्वीकार हो जाता है तो समय समय पर पुन स्थगन याचना करने का कोई कारण नहीं होता । जब कि जाच प्रायुक्त का नोटिस प्राप्त हात पर प्रार्थी न भवधि बढाने की प्रथना की जा स्वीकृत हो गई परन्तु और आगे भवधि बढाने के लिये लिया गया प्रार्थी का आवेदन-पत्र भस्वीकृत ही गया, तो यह निम्न हूमा कि 'चू कि वह स्वयं भवमर का उपयोग करने में असफल रहा, इसलिये वह यह नहीं कह सकता कि सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का पालन नहीं हुआ ।<sup>२</sup> पुन जब कि प्रार्थी ने नोटिस प्राप्त होने पर उत्तर नहीं दिया परन्तु अनेक भवमरों पर समय भागता रहा—भिन्न भिन्न प्राधारा पर जैसे बीमारों का भवश्यक कागजान की उपरब्धि म नठिनाई आदि । अन्तत उसे सूचित किया गया कि और अधिक भवधि स्वीकार नहीं की जायगी तो यह निम्न हूमा कि सक्षम अधिकारी द्वारा और अधिक भवधि बढाने से इन्कार करना उचित था ।<sup>३</sup> बलकता उच्च न्यायालय ने एक वाद में तय किया कि यदि लिखित उत्तर प्र पित नहीं किया गया है तो शहादत पेश होने से पहले कभी भी पेश किया जा सकता है ।<sup>४</sup>

लिखित उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी जाच प्रारम्भ कर सकता है । यदि नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासन प्राधिकारी है तो वह जाच शुरू कर सकता है । परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी से अनुशासन प्राधिकारी भिन्न है तो वह अपना प्रतिवेदन-सेवा से पदच्युति प्रपवा पथकीकरण की प्रस्तावित शास्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी का दे सकता है । राजस्थान न्यायिक सहायता के सदस्या के सम्बन्ध में जाच करने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम है और पदच्युति या सेवा से पथकीकरण के प्रतिरिक्त और कोई भी शास्ति लागू कर सकता है ।<sup>५</sup> यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा हुई है और उसका अन्य विभाग में स्थानांतरण हो गया है तो जिस विभाग में उसका स्थानान्तरण हुआ है उस विभाग का अध्यक्ष कायवाही करने का अधिकारी होगा ।<sup>६</sup> इनके विपरीत यदि किसी राज्य कमचारी का प्रतिनियुक्ति (डेप्यूशन) पर भजा गया है तो उसके विरुद्ध जाच की कायवाही उस कार्यालय का कोई प्राधिकारी नहीं कर सकता जहां वह प्रतिनियुक्ति पर काय कर रहा है । ऐसे मामला में राज्य कमचारी को वापस उसके मौलिक कार्यालय में भेजना उचित होता है और उसके वाद उसने विरुद्ध जाच करवाई जानी

१ एहमद खेख बनाम गुलाम हुसैन ए आई आर १९५७ जम्मू वरमोर ११

२ जोसेफ जोन बनाम टुंवनकोर कोचीन सरकार ए आई आर १९५५ सर्वोच्च न्यायालय १६०

३ नित्या रजन बोहीदर बनाम सरकार ए आई आर १९६२ उड़ीसा ७८

४ सिधिर कुमारदास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर १९५५ कलकत्ता १८३

५ मोहम्मद गाउस बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५५ आंध्र प्रदेश ६५,

मोहम्मद गाउस बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ आंध्र प्रदेश ४९७

६ मदनलाल चाबला बनाम प्रिंसिपल, हारकोट बटलर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, ए आई आर १९६२ इलाहाबाद १०६६



उस व्यक्ति के स्तर तक जो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आक्षेप सिद्ध करना अपने कर्तव्य का भाग समझता है। उसे न्यायाधीश के समान लिखितता में व्यवहार करना चाहिये क्यों कि वह बसा प्रतिष्ठित कर्तव्य पालन करना प्रवृत्त कर रहा है।

राज्य सरकार एवं अनुशासन प्राधिकारी जिनको राज्य कर्मचारी को दंडित करने का अधिकार है उसके विरुद्ध अंतिम वायवाही करने में पूर्व साभाव्यता, जांच करने की शक्ति अथवा अधीनस्थ अधिकारियाँ का दे सकते हैं। जब कि मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के पजीयव के विरुद्ध किन्हीं गये अभियोगों की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया तो यह विवाद किया गया कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं का इस मामले में जांच करनी चाहिये था। यह निष्पत्ति हुआ कि अभियोगों में जांच करने का वाय अथवा न्यायाधीश को सुपुद करने में मुख्य न्यायाधीश सक्षम था।<sup>१</sup>

हाल ही के एक वाद में,<sup>२</sup> सरकार के शासन सचिव ने अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेप बनाये और डिप्टी हाई कमिश्नर को एक जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। दोषी कर्मचारी को आदेश दिया कि वह अपना लिखित उत्तर डिप्टी हाई कमिश्नर द्वारा चुने गये अधिकारी के समक्ष प्रेषित करे। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी और लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के पश्चात् कर्मचारी का सेवा से पदच्युत कर लिया गया। एक प्रश्न उठा कि क्या जांच अधिकारी की नियुक्ति अथवा चुनने का अधिकार किसी को प्रत्यायुक्त (डेलीगेट) किया जा सकता था। फसला हुआ कि वास्तव में कोई प्रत्यायुक्ति हुई ही नहीं। जिस प्राधिकारी का कर्तव्य निर्णय पर पहुँचने का था वह सामग्री एकत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था। यह तो केवल वाय प्रणाली का मामला हुआ। जब तक वह प्राधिकारी सुनवाई करने एवं एकत्रित सामग्री पर अपना दिमाग लगाने और स्वयं नतीज पर पहुँचने के अपने कर्तव्य का त्याग नहीं देता तब तक सामग्री एकत्रित करने के लिये की गई नियुक्ति में कोई अपत्ति नहीं हो सकती। यदि सरकार के शासन सचिव ने जांच अधिकारी स्वयं मनोनीत करने के बजाय किसी अन्य द्वारा चुने हुए व्यक्ति को सामग्री एकत्रित करने का वाय सुपुद करने के लिए कहा है तो इसका कोई अपवाद नहीं किया जा सकता। एक अन्य मामले में जब कि जांच समिति का गठन डिबोजनल अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता ने किया तो निष्पत्ति हुआ कि रिपोर्ट मूल्यहीन नहीं हुई और उस पर वायवाही की जा सकती थी।<sup>३</sup>

**प्रारम्भिक जांच में तफ्तीश करने वाले अधिकारी द्वारा जांच होना निषेध नहीं —**  
आरोप सफल करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी प्रारम्भिक जांच करवा सकता है और तथ्या का पता लगाने के पश्चात् आरोप बना सकता है। यदि उसने तथ्या का पता लगाने के लिये किसी अन्य क्रिया है तो वही व्यक्ति जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति को नियुक्त जब कि प्रार्थी ने आरक्षी महानिरीक्षक को आना पर इस आधार पर प्रहार किया कि चूँकि जांच अधिकारी उसके विरुद्ध में पक्षपात रखने वाला था वह जांच के लिये योग्य नहीं था तो यह फसला हुआ कि एक विशेष अधिकारी जितने प्रारम्भिक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय

१ प्रफुल्ल कुमार बनाम मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता, ए आई आर १६५४ सर्वोच्च न्यायालय २०५

२ ए एम सेल्ही बनाम भारतीय सश ए आई आर १६६८ दिल्ली २६

३ मदनसिंह बनाम भारतीय सरकार आई एल आर १६६१ राजस्थान ६३



तेन म पहन प्रारम्भित जाच था था विभागीय जाच करन स राजा नहा जा मरता, न मरता धारापित अधिकाारी के विरुद्ध विमा प्रसार पत्रागत सूचना हा मान सतन है।<sup>१</sup> इसी प्रकार जब यह तब किया गया कि एक विभाग अधिकाारी जाच समिति म बचन क याम्य नहा था क्या कि पत्र की नव्य गावन समिति (कच पार्लियम कमेटी) का सम्म्य हान क नान उमन मामन का निगन पुन निश्चिन कर रखा था और वह समम्य घटना का गवाह ना था। फमला दृषा कि गन बादान नव्य गावन समिति के सम्म्या म म एन सम्म्य नृ जन मात्र म विभागाय जान म जाच समिति म बचन क नियं वह कानूनन अयोग्य नहा हाता।<sup>२</sup>

अनुशासन प्राधिकारा केवन जाच सवानन करन का अधिकाारी मुकुन कर मरता है परन्तु जा अधिकाारी उसका अनुशासन प्राधिकारा का है मन्त न ह वह मुकुन नही किय जा मरत।<sup>३</sup> वर नम धाराय बनाकर उम पर अवन निष्पय नग न मरता न वह एन धाराय पर निष्पय ने मरता है जा कभा बनाया हा नहा गया।<sup>४</sup> जाच समिति की निमी अय व्यक्ति का जाच अधिकाारी नियुक्त नही कर सवता बराब एम प्रजापुक्ति एक अनिदमिनता है।<sup>५</sup>

(५) उच नियम (५) - पंरवी के लिये व्यक्तियों की सहायता - यह उच नियम प्रावधान करना है कि अनुशासन प्राधिकारा अवन या जाच अधिकाारी क मामन निम्न निश्चित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कर सवता है -

(क) मनानात व्यक्ति जा बसान न हा, अथवा

(ख) मनानात व्यक्ति जा बसान हा। यदि विमा सरकार अधिदाकता (पत्रिक प्रामा क्यूटर) या अभियाग निरासत या आभयाग मन् यत निरासत का निवृक्ति अनुशासन प्राधिकारी करता है तो वह कानूना बकात माना जावगा।

दूसरा तरफ राज्य कभचारा ना अरता प्रतिवात जाच अधिकाारी क सामन निम्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करवा सवता है -

(क) अनुशासन प्राधिकारा के अनुशासन म विमा अय राज्य कभचारी का महायता म अथवा

(ख) बसान द्वारा यदि अनुशासन प्राधिकारा द्वारा मनानात व्यक्ति मा बकोन है अथवा

(ग) बसान द्वारा यदि मामन का परिस्थिया का लेखत हुए, अनुशासन प्राधिकारी ने एक निवे अनुमति न दा हा।

राज्य कभचारा बकाल द्वारा अवन प्रतिनिधित्व करते का दावा अधिकाारी रूप म नही ना सवता। जारी अधिकाारी का बकाल द्वारा प्रतिनिधित्व करन का अनुमति एना अनुशासन प्राधिकारी के स्वविवक पर छाड दिया गया है। अत एमी कानूना महायता नन म अस्वाकार कर

१ गोविन्द गकर बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९६३ मध्य प्रया ११५

२ आकात उपाध्याय बनाम भारतवाय सरकार, ए आई आर १८६ पन्ना ८

अनुन रहीम बनाम मुख्य अधिकाारी अधिकाारी ए आई आर १९६४ आभ्र प्रया ४०३

४ मुन्वा राय बनाम मुख्य गामन सचिव ए आई आर १९६४ मैमूर २०१

५ मानन मारायण बनाम मध्य प्रया सरकार, ए आई आर, १९६८ मध्य प्रदेश ३१८

नियम पहले ही दे दिया है।<sup>१</sup> यद्यपि आरोप में प्रस्तावित दाम्नि सम्मिलित है तो भी असन्निक कर्मचारी पर दाम्नि लागू करने की प्रतिम धाना जारी होने से पूरे सब कायवाही का खारिज करन के लिये उल्लेख लेख (मरसियोरेरी) की लिखित धाना (रिट) नहीं दी जा सकेगी।<sup>२</sup>

**अभिकथना का विवरण** — अभिकथना का विवरण देन के सबध में विय गय प्रावधाना श्य नहीं हैं और सहज हा म उनकी उमेगा नहीं होनी चाहिये। आरोपित व्यक्तिक का जाच अधि-कारी द्वारा अभियोगा एव परिस्थितिया का विवरण देन में चूक हो जाना कुछ विशेष मामला में फन्ले को खारिज करन के लिये घन्टा धाधार माना जा सन्ता है। परन्तु जब की आरोप पूरा स व वस्तुत था और उत्तम समस्त आरोपों दिन पर वह धाधारित था दख थे। प्रार्थी को दोषों मिद करन में जाच अधिकारी ने उनके प्रतिरिक्त और किसी परिस्थितिया पर विचार नहीं विया था तो यह नियम हुआ कि प्रार्थी का अभिकथना का विवरण नहीं देना केवल एक ध्मी अभियमितता की विसका अभियाग की यथायथा पर कोई प्रभाव नहीं पडा।<sup>३</sup>

**प्रारम्भिक जाच** — प्रारम्भिक जाच यह तय करन के लिये की जाती है कि क्या विधि वन विभागीय जाच करने के लिये प्रथमावलीनन से राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई मामला बनता है।<sup>४</sup> ऐसी प्रारम्भिक जाच में प्रार्थी को बुलाया जाना विलुक्त आवदयक नहीं है। ऐसी जाच केवल अधिकारी के सताप के लिये हानी है। और राज्य कर्मचारी को कोई हक पना नहीं होता।<sup>५</sup> प्रारम्भिक जाच इकतर्फा का जावे ता भी उसस कोई प्रतिक्रमण नहीं होगी।<sup>६</sup> परन्तु प्रारम्भिक जाच के दौरान जा सामग्रा एक्किन की गई या बनाई है उसका उपयोग राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसका स्पष्टाकरण का अवसर दिये बिना नहीं हो सपता। जब की प्रारम्भिक जाच में लिये गये सात गवाहा के दयान राज्य कर्मचारी का उपलभ्य नहीं कराये गये यद्यपि उनका आश्रय विया गया, तो नियम हुआ कि ऐसा कदम अवध था।<sup>७</sup>

**लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिये नोटिस** — अनुशासन प्राधिकारी आरोप-पत्र और अभिकथनों का विवरण राज्य कर्मचारी को भङ्गे समय एक नोटिस भी भेजेगा। ऐसे नोटिस में अनुशासन प्राधिकारी निदिष्ट अवधि में अपना उत्तर पेश करन के लिये कर्मचारी को आदेश दगा। निदिष्ट अवधि बाजिब होनी चाहिये। वह पन्द्रह दिनों से एक महिन के बीच की हो सकती हैं। जबकि राज्य कर्मचारी का आदेश हुआ कि उनी दिन वारण बतावे तो 'यायालय ने नियम दिया

१ एन मनिक्म बनाम पुनिम अधिभव ए आई आर १९६८ मद्रास ३७८

२ श्री कान्त उपाध्याय बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६५ पटना ३८

३ कहेया लाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान १, यह भी देखिये — नन्दाई राय बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५३ पञ्जाब १३७

४ चम्पत लाल बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६५ मर्वाण्य 'यायानय १८५५

५ मोहम्मद शरीफ खा बनाम मौनार सिंह, ए आई आर १९५७ इलाहाबाद २१७

६ नगेन्द्र कुमार रीय बनाम कमीशनर बररगाह ए आई आर. १९६५ कलकत्ता ५६

७ भारतीय सघ बनाम श्री कुलाचन्द्र सिंह ए आई आर. त्रिपुरा २० एम दन्मेर सिंह बनाम पेपमू राज्य ए आई आर १९५५ पेपमू ९७

कि उभे उचित अवसर नहीं दिया गया था । <sup>१</sup> आरोप का उत्तर देने के लिये एक दिन की अवधि प्रपोजित मानी गयी । <sup>२</sup> परन्तु एक मामल की परिस्थितिया का दखन हुए छु लित का समय अनुचित नहीं माना गया । <sup>३</sup> नोटिस आरोप पत्र एवं अभियन्ता क विवरण सहित जवाबी रिजल्ट पत्र द्वारा भजना चाहिये । राज्य सरकार ने अनुशासन प्राधिकारिया के पत्र प्रत्यात के लिये नॉटिस आरोप पत्र एवं अभियन्ता के विवरण के आदेश प्रपत्र सभ्यार लिये हैं ।

**जाच किसी भी समय बद करन का अधिकार** — निरोध (रफरन्स) करने के अधिकार के साथ वापिस लन का अधिकार आवश्यक रूप म सम्म है । \* किन्तु ये नियम राज्य कनचारा का यह आग्रह करने का अधिकार प्रदान नहीं करन कि उसका विरुद्ध आरम्भ की हुई जाच नवन पर पहुँचन तक खानू रखी जावे या उभ एउ नतीज पर पहुँचने तक नौररी में रखा जाव । किन्तु राज्य कनचारा क विरुद्ध का जा रही जाच बद करन का अधिकार राज्य सरकार को हर समय है । \* जब कि प्रार्थी का अभियोग के साथ अभिन्थनों का विवरण लिया गया जिनका आधार पर विभागीय जाच नियम १६ क अनुगत प्रस्तावित यो और वाद म राजस्थान सेवा नियमा (आर एस आर.) के नियम २४४ (?) के अन्तगत उस सेवा म अनिवायत रिटायर कर लिया गया तो उसने यह विवादा किया कि पहन जाच समाप्त करनी जावे उसके बा उभे रिटायर किया जाव । न्यायालय न यत् तब प्रस्था क किया और निगाव लिया कि जब काद व्यक्ति रिटायर हो जाव है अथवा रिटायर कर लिया जाता है तो वह सेवा का सत्य नहीं रहता न वह काई अन्तिम पर पाया करता है । जब कि सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) की घाना एक बार प्रभावगीत हा जाती है तो उसको पनावनति सेवा म पदवीकरण अथवा पदच्युति नहीं हो जा सकती और इसा निय उसके विरुद्ध वाद जाच नहीं का जा सकती । \*

**आरोप स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना** — अनुशासन प्राधिकारा नॉटिस द्वारा राज्य कनचारी का पूछना कि क्या वह आरोप एव अभिन्थना का पूरा रूप म या आंशिक रूप म स्वीकार करता है और अपराध स्वीकार करता है अथवा वह अभियोग मरूर नहीं करता और अपराध स्वीकार नहा करता । यदि राज्य कनचारी अभियोगों का स्वीकार करल और जाच नहीं करवाना चाहे तो सविधान के अनुच्छेद २११ अथवा इन नियमा द्वारा आवश्यक नहीं है कि जाच का जावे । \* यदि काई एसी हकीकतगतित का सबूत नहीं है तो यत् स्पष्ट है कि अधिकारी का जाच अनिवायत करना

- १ कन्हैया लाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आर आर. १८५८ राजस्थान १
- २ सुधार रजय बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर. १९६१ कनकता ६० बुधा गस बनाम पन्नाब सरकार ए आई आर. १९६५ पन्नाब २५२
- ३ बम्बई सरकार बनाम अमर सिंह ए आर आर. १९६० गुजरात २४४
- ४ आर. मरकमाह बनाम अनुशासन कानिवाहियों का जायाविकरण ए आई आर. १९६२ भाद्र प्रपत्र २०२
- ५ एम एस पाठे बनाम मध्य प्रपत्र सरकार एव अन्य ए आई आर १९६१ मध्यप्रपत्र २९९
- ६ नवल किंगार दुब बनाम राजस्थान सरकार, ए आर आर. १९६७ राजस्थान ८०
- ७ रवाड माहन बनाम नारताय सप मेव, ए आई आर १९६१ त्रिपुरा १ गमरक बनाम एनाउ टेंट जनरल ए आई आर. १९६० बम्बई १२१, करमसिंह बनाम गानना कमानर ए आई आर १९६५ त्रम्भू कानार ५

होगी और जो सामग्री जाच के समय उसके सामने प्रस्तुत की जाव, उन पर निष्पक्ष तक पहुँचे।<sup>१</sup> यदि राज्य कमचारी अभियोगों को स्वीकार करले तो ऐसी दशा में जाच नहीं भी की जा सकती है परन्तु नियम १६ (१०) (1) (ख) के अंतर्गत प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध वह नोटिस पाने का अधिकारी है। जब कि जाच के समय कमचारी ने क्षमायाचना की तो नियम हुआ कि यह अपराध स्वीकार करना हो गया और जाच आगे जारी रखना आवश्यक नहीं था, परन्तु फिर भी शास्ति की मात्रा के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्राप्त करने का स्वत्व उसे अवश्य था।<sup>२</sup>

यह भी बताई कि अपराध की तथा कथित स्वीकृति पर जाच त्यागी नहीं जा सकती। जब कि बिना यथोचित जाच किये अपराध की तथाकथित स्वीकृति के बल पर राज्य कमचारी को सेवा से पृथक् कर दिया गया तो यह फौजदारी हुआ कि चूँकि राज्य कमचारी द्वारा दिये गये बयानों का स्पष्ट एवं निश्चित दृष्टि में अपराध स्वीकार करना नहीं समझ सकते, इसलिये अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई।<sup>३</sup>

( ) उपनियम (३)—रेकड का निरीक्षण एवं उद्धरण लेना—यह नियम निर्धारित करता है कि जिस राज्य कमचारी को आरोप-पत्र एवं अभिकथनों का विवरण नोटिस द्वारा लिये गये हैं उसको अपनी प्रतिरक्षा की तय्यारी करने हेतु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जायगी कि वह—

(१) इच्छित सरकारी रेकड का निरीक्षण करलें और

(२) उसके द्वारा निर्दिष्ट रेकड में से उद्धरण ले सकेगा।

किन्तु यह अधिकार कुछ सीमा तक प्रतिबंधित है। यदि अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा रेकड (क) कमचारी की प्रतिरक्षा की तय्यारी हेतु सुमंगल नहीं है, अथवा (ख) उस रेकड को बताना लोच हित में नहीं है, तो वह ऐसी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कमचारी को सरकारी अभिलेख की प्रतिलिपियाँ देने का प्रावधान नहीं है। सरकारी कमचारी केवल अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और अभिलेखों में से उद्धरण ले सकता है।

यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय में दस्तावेज विशेषाधिकार के (प्रिविलेज्ड) हैं तो अनुमति अस्वीकार की जा सकती है। इसी प्रकार अनुशासन प्राधिकारी इस प्रकार के अभिलेख (रेकड) के लिये ऐसी अनुमति नामजूर कर सकता है जैसे लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट,<sup>४</sup> विभागीय जाच से पूर्व गोपनीय अन्वेषण में लिये गये बयानात्<sup>५</sup> अथवा अष्टाचार विरोधी विभाग की रिपोर्ट।<sup>६</sup> इसके

१ एस ई रेनवे बनाम अहलाप्यन ए आई आर १९५७ मद्रास ३५६

२ मेघराज बनाम सरकार, ए आई आर १९५६ राजस्थान २८, रामलाल बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९६३ राजस्थान ५७

३ जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १०७०

४ पंजाब सरकार बनाम सोधी सुखदेव सिंह ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय ४६३

५ जमना बुगी बनाम गजम जिलाधीन, ए आई आर १९५६ उड़ीसा १५२

६ पुनीत लाल साहा बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५७ पटना ३५७



देना मात्र, आवश्यक रूप से, सामान्य 'याय' के नियमों का उल्लंघन नहीं होता। वकील द्वारा मामलों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रश्न तब करने के लिये ऐसी बातों पर भी विचार करना चाहिये — जहाँ उसके विरुद्ध आरोपित अभियोगों की विधि उसके खुद की शिक्षा एवं श्रेय निपुणता जिसमें वह बिना वकील के अपना नाम प्रस्तुत करने में समर्थ होने से संचालित हो।<sup>१</sup> जब की एक सत्र 'यायाधीश' ने जिसके विरुद्ध कुछ अभियोगों का आरोप लगाया गया था वकील से सहायता लेने की प्राथना की तो यह तक किया गया कि 'कू' कि वह स्वयं एक प्राशिक्षित व्यक्ति था उसको बिना सहायता की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु गवाहा और दस्तावेजों के समूह का देखने हुए 'यायालय' ने उक्त तब प्रस्वीकार किया और व्यक्त किया कि 'म' यह सोचना अनुचित नहीं समझता कि एक श्रेष्ठतर वकील भी बिना कानूनी सहायता के इतने गवाहा और दस्तावेजों के समूह से कभी मुतावना कर सकता है। इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिये कि वह एक ५५ वर्ष का वृद्ध अदमी था और जब वह समय स्वाभाविकतया घोर मानसिक क्लेश में था। यह कहा गया कि उस ऐसे व्यक्ति से सहायता लेने का अनुमति दे दी गई थी जो वकील न हो, परन्तु यह बात भ्रांतिपूर्ण थी क्योंकि एक अधिवक्ता (जो वकील न था,) डेर सारे बयानों, जिनकी प्रतिलिपियाँ भी नहीं दी गई थी और दस्तावेजों के बाहुल्य में संध्या निश्चित व्यविभूत हो जाता और वह यह नहीं बता सकता था कि क्या छोट क्या चुने और क्या नोट करे। यदि कोई डाक्टर अपने आप की चिकित्सा करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो यह आवश्यक नहीं कि एक वकील भी अपने कुछ का मामला परवी करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति हो कम से कम उस दशा में जबकि उसके पास कोई सहायक न हो। मुझे अभी तक यह बात करना है उन तमाम 'यायाधीश'ों की विवेकता ऐसे 'यायाधीश' जिनकी जीवनवृत्ति राज्य सेवाओं में रही और जिन्होंने मुद्रिका से ही कोई क्लेश नहीं की हो जो अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्रच्छेद वकील बने हो।<sup>२</sup> पुनः जबकि सब मिलाकर गवाहों की संख्या ११ थी, कुल प्रदक्षित दस्तावेजों की संख्या १६६ थी, केवल गवाहों के बयान ४३७ पृष्ठों में थे, केवल प्रार्थी का लिखित उत्तर २५ पृष्ठों में था 'यायाधिकरण' (ट्राइब्यूनल) की रिपोर्ट १३१ पृष्ठों में थी, तो यह फैसला हुआ कि प्रार्थी को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिये थी।<sup>३</sup> एक वाद में प्रांश प्रदेश उच्च 'यायालय' ने प्रकट किया कि सही हो या गलत जब प्रार्थी की समुचित प्रांशना थी कि जाब एक पहने से सोचे गये पदचरित्र के फल स्वरूप थी और चिकित्सा विभाग की मिलावट से की गई थी तो वकील के लिये की गई प्राथना निःसंदेह उचित थी।<sup>४</sup> एक वाद में मसूर उच्च 'यायालय' ने भी व्यक्त किया कि विभागीय जाब में वकील नियुक्त करने की प्रस्वीकृति जिसमें कि सर्वधानिक आदेश का उल्लंघन हुआ हो, आरोपित चास्ति को अवध बनाता है।<sup>५</sup> इसके विपरीत राजस्थान त्रिपुरा, पंजाब गुजरात, उड़ीसा और इलाहाबाद के उच्च 'यायालय' इस राय के हैं कि कोई राज्य नमचारी अधिकार स्वरूप यह दावा नहीं कर सकता कि उनको वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जावे। प्रवादात्मक कठिनाइयों के मामलों में

१ जेम्स बुसो बनाम कलेक्टर, ए आई आर. १९५६ उड़ीसा १५२ गुजरात सरकार बनाम धर्मरसिंह रावल ए आई आर. १९६३ गुजरात २४४

२ नूषेंद्र नाथ बागची बनाम मुख्य 'गामन' सचिव, ए आई आर. १९६१ कलकत्ता १

३ नित्यारजन बनाम सरकार, ए आई आर. १९६२ उड़ीसा ७८

४ डा के मुबारक बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर. १९५७ प्रांश प्रदेश ४१४

५ टी मुनीश्वरी बनाम मसूर राज्य ए आई आर. १९६४ मसूर २५०

जब कि बहुत स अधिकारी हों और वे एक ही जगह एक व्यक्ति उचित दण्ड स अधिकार देना कर सकता हो तो वहां की सहायता की अनुमति मिलनी चाहिए।<sup>१</sup> राज्य सरकार ने एक प्रश्न जानने किना है किगने अनुसार यह प्रावधान है कि जांच बोर्ड प्रथम जांच अधिकारी को नियुक्ति के त्तिना म १५ त्तिन क भीतर उक्त राज्य कमचारी का नाम प्रस्तुत कर लिया जाव जा मामल का प्रस्तुत करने में मत्तमना करगा।<sup>२</sup> यदि इस अधि में प्रथम बढे गये अधि में अनुमान प्राधिकार का समय उतने अनुमाननाय का नाम प्रविउ करने किना गया है ता जाव का कामकाज सम्पित करने का यह वष कारण नहीं होगा। यदि कोई एका राज्य कमचारी दोषा कमचारी का मत्तयता हुनु नियुक्त हुमा है ता वह नियमानुसार यात्रा भत्ता पान का अधिकार होगा।

(६) उपनियम (६)-साक्ष्य का अधिनियम एवं जिरह-यह उक्त नियम प्रावधान करता है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी (i) दस्तावेज सहाय पर विचार करगा और (ii) अधिनियम स मुसगत या तथ्यमय ज्ञानी साक्ष्य लगा। दोनों पक्ष का एक दूसरे स जिरह करने का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात अनुच्छेद ११ (२) के अन्तगत प्रसक्ति कमचारी की मरणाग मितन स संबंधित यह स्थिति बनता है अर्थात् (१) अधिनिक कमचारी का उसका विरुद्ध प्रारोपित अधिनियम या अधिनियम स अवगत कराया जाव और २) उसका अधिनियमों का विवरण (अधिनियम का पुष्टि म सहाय का अ्यार) लिया जाव। तथा अधिनियम का पुष्टि में साक्ष्य तथा कमचारी की उपस्थिति म जा जाव और उन उसका विरुद्ध साक्ष्य तन वान गवाहा स विरुद्ध करने का अवसर लिया जाव। तदनुवात दोषा कमचारी का अपनी प्रतिरक्षा म साक्ष्य पान करने का समुचित अवसर लिया जाना चाहिए। इस समय अधिनियम का तथा कमचारी के गवाहान से विरुद्ध करने का मौका लिया जाव।

यह प्रति आवश्यक है कि जांच प्राधिकारी जवानी सहायत दोषो कमचारी का उपस्थिति में लिये।<sup>३</sup> सामान्य त्थाय के सिद्धांत और इसी प्रकार कायप्रणाला क नियमानुसार प्रावधान है कि जिस साक्ष्य के आधार पर राज्य कमचारी को दण्डित किया जाना प्रस्तावित है वह उसका उक्त स्थिति में ला जाव।<sup>४</sup> जब कि अधिनियम की पुष्टि म जा यह सहायत दोषा कमचारी का उपस्थिति म नहीं लिसीं गई और उक्त गवाहान से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया तो यह नियम हुमा कि दोषा कमचारी क विरुद्ध का यह जाव दूषित ही गई।<sup>५</sup> जब कि प्राचीनो जांच अधिकारी

१ एके व्यास बनाम राजस्थान सरकार आईएन एन १८६० र जमान १८१८ भारतीय मंत्र बनाम कुना चन्द्र सिंह ए अ ई एन १९६८ नियम २० तम अन्वयानिर्णय बनाम ए अ पुष्टि म ए अ एन १९६२ पत्राव ६०, तम माहल तम जग जावन तम मांन बनाम मर कार ए अ ई एन १९६२ गुजरात १९७, डा जानद नाथ तम बनाम तम मरणा १९५५ नडाना २४१, एव राम चन्द्र बनाम एन डा वर्मा ए अ एन १९५८ दत्तावा ५२०

२ प्रश्न क्रमांक ए अ (२४) नियुक्ति (ए. 11) त्तिनाक १४ २ ५४

ए अ ३ (१६) ए अ डा (व्यव-नियम ६ त्ति १००-२ ६४

४ कहेयान बनाम राजस्थान सरकार, ए अ एन १८७७ राजस्थान ८२०

५ भाषी राम बनाम विविजन वन अधिकाय ए अ आई एन १८१५ त्तिमू १७० ए अ नाडु दत्त बनाम मसूर राज्य ए अ एन १८६० मैसूर १५८ गागातयन नरर बनाम कर्न राज्य ए अ आई एन १९६० कर्न ६ त्तिनाक राजनदाल बनाम पत्राव राज्य ए अ आई एन १९६२ पत्राव ४८६

कुणत प्रमा बनाम भारतीय सष, ए अ एन १९५६ राजस्थान ११

के कमरे से बाहर रहने का वहा गया और वहा प्रार्थी की अनुपस्थिति में बयान चलमवद किये गये तो नियम हुआ कि ऐसी जाच, जिनमे मुख्य-परीक्षा दोषी कमचारी की अनुपस्थिति में तिथी गई यद्यपि उसे गव हा से जिरह करने की अनुमति दी गई थी फिर भी वह सामान्य न्याय के नियमों के अनुकूल होनी नहीं मानी जा सकती।<sup>१</sup> सचिवान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तगत राज्य कर्म-चारी को मुनवाई का अधिकार है।<sup>२</sup> बिना मुख्य परीक्षा के दोषी कमचारी को केवल प्रारम्भिक जाच में लिए गये बयानों पर जिरह करने का आदेश देना बहुत असाध्यपूर्ण है।<sup>३</sup>

उप नियम ६ (ग) प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य कमचारी, सम्मन स्पष्टरूप से तामोल हो जान के बावजूद जाच की कायवाही में उपस्थित नहीं होता तो जाच प्राधिकारी इक्-तफा व गवाही कर सकता है परन्तु उसे अभिनेत्र म लिखना होगा कि नियम १६ (ii) को दृष्टिकोण में रखते हुये नियम १६ म निर्धारित कायप्रणाली के अनुसार चलना व्यवहाय नहीं है। इसी प्रकार जब कि राज्य कमचारियों के विरुद्ध सयुक्त जाच की जा रही है और बावजूद स्पष्ट तामोल सम्मन एक या अधिक राज्य कमचारी जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं है परन्तु ऐसे दोषी कमचारी का सहायता करने वाले राज्य कमचारी उपस्थित हो तो जाच प्राधिकारी नियम १६ के उप नियम ६ (घ) के अनुसार इक्तर्फा कायवाही कर सकता है।

जब कि दोषी कमचारी पेशी की सूचना मिलन के उपरांत भी जाच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो नियम हुआ कि जाच अधिकारी इक्तर्फा कायवाही कर सकता है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि बिना किसी प्रकार की जाच किये प्रमात बिना मौखिक या दस्तावेजी गवाहदत किये निष्पत्ति लिये जाय।<sup>४</sup> अतः जब कि जाच अधिकारी ने इक्तर्फा जाच की और प्रार्थी को अभि-योग का दोषी व्यक्त करत हुए प्रतिवदन किया तो फसला हुआ कि समस्त जाच अवयव भी क्योकि जो कायप्रणाली अपनाई गई वह मनमानी थी एव कानून के अनुकूल नहीं थी।<sup>५</sup>

**गवाहों का आग्रहान एव दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण**—जब कि दोषी कमचारी द्वारा इच्छित गवाहों कि जाच यायाधिकरण ने इस आधार पर अस्वीकार करदी कि दोषी कमचारी की सहायताय गवाहों को सम्मन भजना उसका कर्तव्य नहीं है तो नियम हुआ कि इस प्रकार की अस्वीकृति याय एव सद्भावना के प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिरूढ़ है जो यायालयों तथा यायाधिकरणों सब पर लागू है।<sup>६</sup> यदि प्रतिरक्षा के गवाह को सम्मन भेजने से इन्कार करने का अधिकार बिना

१ दयामलाल रोगनलाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ पंजाब ४६६ पंजाब सरकार बनाम दीवान चिनी माल, ए आई आर १९६३ पंजाब ३६६ विमलचरण मिश्रा बनाम उडासा सरकार ए आई आर १९५७ उडीसा १८४, के एस हेमराजसिंहजी बनाम पुनिस महानिरीक्षक ए आई आर १९६१ गुजरात ६ अलार्डचंद वासक बनाम एन रीय ए आई आर १९५४ कलकत्ता ४६५ दयाम सुन्दर मिश्रा बनाम उडीसा सरकार, ए आई आर १९५७ उडीसा २२२

२ ए आर. एम चौधरी बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५६ कलकत्ता ६६२

३ मुहैन्द्र चन्द्र दास बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई आर १९६२ त्रिपुरा १५

४ दयामनारायण शर्मा बनाम भारतीय सघ १९६४ आर. एल डब्ल्यू ६१३

५ अभिय प्रसाद दास गुप्ता बनाम डाइरेक्टर प्रबयोरमट ए आई आर. १९५६ कलकत्ता ११४

६ एस ठाकुरजी बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९५५ आंध्र प्रदेश १६८ उत्तर प्रान्त सरकार बनाम सी एस गर्मा ए आई आर १९६३ इलाहाबाद ६४ जिनका पुष्टिकरण हुआ उत्तर प्रान्त सरकार बनाम सी एस गर्मा ए आई आर. १९६८ सर्वोच्च न्यायलय १५६





को दोषी अधिकारी की उपस्थिति में नहीं ली गई हो। शब्द 'सहायन' का तदर्थ केवल जिरह करने मात्र से नहीं है। इसमें गवाह की समस्त सहायत सम्मिलित है और यदि सहायत दोषी कमचारी की उपस्थिति में ली जाती है तो ऐसी कोई सहायन का जो उसकी उपस्थिति में नहीं ली गई उपयोग नहीं लिया जा सकता।<sup>१</sup> अतः जिरह करने से अस्वीकृति इस कारण से नहीं दी जा सकती कि उनमें कोई उपयोगी प्रयाजन प्राप्त नहीं होगा।<sup>२</sup> जिरह करने का अद्वय प्रारम्भिक प्रवस्था में ही दिया जाना चाहिये और इसकी प्रवस्था सविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा निर्दिष्ट प्रवसर देने से इनकार करना है।<sup>३</sup>

दोषी कमचारी गवाहों से पुनः जिरह करने<sup>४</sup> अथवा अपनी इच्छानुसार सब गवाहों के बयान खत्म होने के बाद जिरह करने का आग्रह नहीं कर सकता।<sup>५</sup> इसी प्रकार यदि दोषी कमचारी न गवाहों के बयान हो चुकने पर जिरह करने की इच्छा प्रकट नहीं की तो वह यह तब नहीं कर सकता कि फायदाहीन सामान्य जाच के किसी नियम का अनुक्रमण हुआ है।<sup>६</sup> जब कि जाच समाप्त हो जान पर किसी दस्तावेज को साबित करने के लिये जाच अधिकारी ने एक और गवाह के बयान लिये तो यदि दोषी अधिकारी को उस गवाह से जिरह करने का अद्वय दे दिया था तो उसे कोई विन्याय नहीं हो सकती।<sup>७</sup> जब कि एक विभागीय जाच में प्रार्थी को अपने विभागाध्यक्ष से जो केवल कुछ पत्र प्रेषित करने के लिये उपस्थित हुआ था जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह व्यक्त किया गया कि अज्ञात होना यदि प्रार्थी को अनुमति दी जाती, परन्तु साथ ही यह निष्पत्ति हुई कि मामले की परिस्थितियों में प्रार्थी को कोई पक्षपात नहीं भुगतना पड़ा और तदनुसार जाच प्रबंध नहीं हुई।<sup>८</sup>

जब कि जाच में एक अनोखी प्रणाली अपनाई गई कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने का प्रयास लिये बिना जाच-समिति के सम्मत्या ने प्रश्न पर प्रश्न पूछता आरम्भ कर लिया। तत्पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी ने प्रार्थी का मेवा से पथक करने की आज्ञा जारी करी। यह निष्पत्ति हुई कि सामान्य प्रणाली अपनाई गवाहों और दोगर सहायत से मामला साबित करने की व्यवहार में नहीं लाई गई। अतः वेवा से पथकीकरण का आदेश स्थित नहीं रह सका।<sup>९</sup>

- १ मध्य प्रदेश सरकार बनाम चित्तमन सदाशिव ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १६२३, इयामलाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ पंजाब ४९६ बेनीमाधव बनाम सरकार ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ११८
- २ साधुराम बनाम इ.जी.नियर, ग्लोबफ, ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ५२
- ३ रामचन्द्र वर्मा बनाम आर डी वर्मा ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५३२
- ४ मोहम्मद उमर बनाम आई जी प्रिंस ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ७६७
- ५ जगदीश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३६
- ६ एन० बामुदेवन नाथ्यर बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६२ केरल ४३
- ७ गयाप्रसाद मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ६१८
- ८ ए० के० व्याम बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान १४१९
- ९ पणुपति बनर्जी बनाम इण्टी सीव इ.जी.नियर, ए आई आर १९६० प्रथम ५१

गवाहों का बुलाने में हथकड़ी करने का जांच प्राधिकारी का अधिकार—जबकि सामान्य म जांच प्राधिकारी का अधिकार है कि जब कि वह गवाह प्रतिरक्षा के लिए सुमात्र अथवा मध्यमय तथा या अथवा जब कि उद्देश्य अथवा वास्तव में ही का सम्बन्ध करने या निगा विषय गवाह का परमाणु करना हो ता एव गवाह या गवाहों का सम्बन्ध भयानक म हथकड़ी करना । परन्तु एसा अधिकार स्पष्टतया अथवा स्वल्प है और एववा उपयोग करना यथा टािम कारणों म ही होता चाहिये जा निगमन म एव विषय जावें जगा कि नियम स्वयं निर्दिष्ट करता है । अतः यह सम्भव है कि जब जांच प्राधिकारी एव अधिकार का प्रयोग करना वांता एव प्रयत्न कारणों म हो जाता चाहिये जा अन्वयान सह सर्वे और जा जांच प्राधिकारी का अथवा मनमानी बात न हो । जब भा एसा प्रयत्न उठे तो स्वविवेक को राज्य प्रशासन के विरुद्ध प्रयोग करने के कारण, प्रयत्न उठे हा उता समय व्यक्त कर एव चाहिये । कारणों का वां म एव करना एव नियम के प्रयत्न का हा नाए करना है । जब कि उचित समय पर जांच प्राधिकारी न कारण नर्त निगम परन्तु एमन अथवा अन्वयान अधिकार निगी म एव करना उचित समझा ता निगम द्वारा कि एसा वायव हो म नियम का प्रयत्न नष्ट हुआ है ।<sup>१</sup>

जब कि प्राचीन ने जांच प्राधिकारी का १०५ प्रतिरक्षा क गवाहों का सूचा दा विमल एमन से ८ का उता और प्राणिया विना कि प्राचीन अथवा और अथवा विमल एमन से उता प्रस्तुत कर । यह निगम द्वारा कि यदि उता प्रस्तुतिकरण का अधिकार प्राचीन बना एता है ता जांच प्राधिकारी का अथवा प्रतिरक्षा के गवाहों का भा सम्बन्ध द्वारा बुलाने के प्रयत्न का सुत्र निगम से पुन विचार करना चाहिये क्या कि यह एक प्राथमिक निदान है कि विमल व्यक्ति के विरुद्ध वायववाही का जा रजा है वह यह अनुभव कर कि उक्त प्रति न्यायपूर्ण बताव किया जा रहा है ।<sup>२</sup>

अधूरे सुने गये मामले में गवाहों को दुबारा बुलाने की जांच प्राधिकारी की शक्ति—जब नियम ६ (ख) के अन्वयान उपयुक्त सामान्य म, किसी अधूरे की गइ जांच म गवाहों का बयाना के निव पुन बुलाने का शक्ति जांच प्राधिकारी का प्रयत्न का एता है । एसी वायववाही के लिए कारण जांच प्राधिकारी का अन्वयान म विमल चाहिये । कारणों का वां में अन्वयानित करता इव नियम के प्रयत्न का हा विचार कर सकता है । यदि निगा जांच प्राधिकारी का स्थानान्तरण हुआ हा और बाद अन्य व्यक्ति जांच प्राधिकारी नियुक्त हुआ हो ता वह अन्वयान का निव एता एव के गवाहों का अथवा किसी भी एव के किसी एका का परम्पत्रितकार पुन बुला सकता है । एम मामला म एम गवाहों म पुन जिन्हें करने का अथवा विषय का एता आवश्यक एता ।

(७) उपनियम (७)—जांच प्राधिकारी के निष्पक्ष एव एव निगम प्रायव न करना है कि जांच पुन करने के पश्चात् जांच प्राधिकारी निगम बनाएगा और प्रत्येक अधूरे पर कारणों सामन अथवा निष्पक्ष विन्या । निगम मध्यम करने समय, जांच प्राधिकारी का निमित्त उत्तर, मौखिक एव एतावना एतावना और अथवा बाद प्राणिया जा जांच के लीगन अनुशासन

१ सामान्य अन्वयान हा एव दुजानियर ए अथवा धार १९६० राजस्थान २०५ म भा दणिय—उत्तरप्रण सरकार बनाम मी एम गमा ए अथवा धार. १९६१ एतावना २८ एव ए अथवा धार १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५८  
 २ निगम बनाम एतावना सरकार ए अथवा धार. १९६० एतावना २५५ यह भी दणिय-गाम्वाभा बनाम जनरल मन्वर ए अथवा धार. १९६५ एतावना ६५७

प्राधिकारी अथवा जाच प्राधिकारी ने जारी किये हा, उन पर विचार करना चाहिये। दोनों पक्षा द्वारा प्रस्तुत बहस पर भी जाच प्राधिकारी को विचार करना चाहिये। जाच प्राधिकारी को बाहरी सामग्री का जो दोषी कमबारी को अलग नही कराई गई और जो रिकॉर्ड पर कमी नहीं आई उसका आश्रय नहीं लेना चाहिये। यदि जाच प्राधिकारी बाहरी सामग्री पर विचार करना चाहता है तो दोषी कमबारी को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देना चाहिये। जब बाहरी सामग्री पर निष्पक्ष आधारित थे और जब समुचित अवसर नही लिया गया तो यह निष्पक्ष हुआ कि यदि ऐसे बाहरी सामग्री पर आधारित निष्पक्ष आरोपों में सम्बन्धित सामग्री के निष्कर्षों में अधिक गभीर हो तो यह मानना प्रायोजित एवं उचित होगा कि सविधान एवं सेवा नियम द्वारा गारंटी किया हुआ यथोचित अवसर नही दिया गया।<sup>१</sup>

जाच प्राधिकारी द्वारा दोषी कमबारी को बिना समुचित अवसर दिये इन चीजों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये जैसे पिछला रिकॉर्ड<sup>२</sup> अथवा पिछली गाम्नि<sup>३</sup>, या पहले के बुरे काम<sup>४</sup> या पहले के खराब प्रतिबन्ध<sup>५</sup> (रिपोर्ट) या व्यक्तिगत जान<sup>६</sup> या ऐम तथ्य जिन पर उसने जाच नहीं की हो<sup>७</sup>।

ऐसे अन्य आरोपों पर विचार करना जो उा आरोपों में सम्मिलित नहीं थे जिनका पुनरावलोकन के लिये राज्य कमबारी को आग्रह हुआ या बहुत अनुचित है। यदि जाच प्राधिकारी का यह राय हो कि कोई अन्य आरोप बनते हैं तो ऐसे आरोप पर वह अपने निष्पक्ष तमो निरूपित कर सकता है जब कि (1) राज्य कमबारी को उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जा चुका है अथवा (2) उमने उन आरोपों का तथ्य स्वीकार कर लिये हैं। इस प्रकार के अवसर अथवा स्वीकारोक्ति के अभाव में सब निष्पक्ष अवध होंगे।

१ मन्मलाल चावना बनाम प्रिंसोपल, एच बी टी इस्टीमेट ए आई धार १९६२ इलाहाबाद १६६, हरबससिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई धार १९६२ पंजाब २८९ रामराव लक्ष्मीवान बनाम एकाउंटेंट जनरल ए आई धार १९६३ बम्बई १२१ ए आई धार १९६२ पंजाब २८९ नरेशनारायण सिंह बनाम आई जी पुलिस ए आई धार १९५४ विध्यप्रदेश ५०

२ बरकनराम बनाम आई जी पुलिस ए आई धार १९५५ विध्यप्रदेश ५७ ए बी एल थोबास्तव बनाम आई जी पुलिस ए आई धार १९५७ नागपुर १८ गोपालराव दामोदरजी बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई धार १९५४ नागपुर ६० गिरजागवर बनाम डाक्टरगाना अधीक्षक ए आई धार १९५६ इलाहाबाद ६२४

३ मसूर सरकार बनाम के मये गोडा ए आई धार १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ५०६ सुवन्द चन्द्र दाम बनाम भारतीय क्षत्र ए आई धार १९६२ त्रिपुरा १४

४ सागीर एहमद मोनवी बनाम उत्तर प्रान्त सरकार ए आई धार १९६० इलाहाबाद २७०

५ पंजाब सरकार बनाम दिवानचण ए आई धार १९६३ पंजाब २६६

६ आशुतापनाम बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई धार १९५६ बलरुता २७८

७ डा० के० मुन्बाराव बनाम आंध्रप्रदेश सरकार, ए आई धार १९५७ आंध्रप्रदेश ४१४ दयाम मुन्डर बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई धार १९५७ उड़ीसा २२२

नाच प्राधिकारी का यह कृत व्य होगा कि कोई विशेष आरोप साबित हुआ है अथवा नहीं इसका अनुमान करे। उसको स्वयं नियंत्रण भां व्यवस्था करने चाहिये। परन्तु अपन निष्कर्षों में साबित आरोपों का आधार पर उम बाद साबित सबत करने की आवश्यकता नहीं है।<sup>१</sup>

(८) उपनियम (६)—अनुशासन प्राधिकारी के निष्कर्ष—यह उप नियम सभी प्रमाणों को होगा जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है। ऐसा दस्ता में अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी द्वारा जिये गये निष्कर्षों का पढ़ेगा और प्रत्येक आरोप पर अपन पुनः क निष्कर्ष दियेगा। इन प्रमाणों के नियंत्रण नियंत्रण उत्तर मौखिक अथवा लिखित में सहायक अपने अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच जिये गये जांच से सम्बंधित प्रमाण अथवा बाद अथ मुमकिन सामग्री देन सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि वह जांच प्राधिकारी क निष्कर्षों से सहमत हो। अनुशासन प्राधिकारी का अमान निर्णयों का पुष्टि में कारण व्यवस्था करने चाहिये। जब कि जांच प्राधिकारी जिया निर्णय निष्कर्ष पर नहीं पढ़ेगा और अनुशासन प्राधिकारी न बिना जांच समझ एक औपचारिक नोटेन दस्त कमचारों का बन्नास्त कर लिया, तो यह नियम हुआ कि वह पाना कानूनन गलत था।<sup>२</sup>

अनुशासन प्राधिकारी मामले को जाने जांच क लिए वापिस नत्र सक्ता है। वह जांच प्राधिकारी को राजा (नवान) जांच करने के जिये भी मामला नत्र सक्ता है। परन्तु वह ऐसा सभी कर सक्ता है जब कि पदन की जांच में कोई कमा रह गई हो और ऐसा विश्वास करने क जिये पर्याप्त कारण हों। ऐसे कारण भी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त में लिख जने चाहिये।

(९) उपनियम (१०)—प्रस्तावित कठोर साबित प्रस्तावित साबित के विशेष में कारण बताने का अवसर सभी जिया जा सक्ता है जबकि प्रस्तावित कठोर हो अथवा दो रूप से तय करला गई हो। यह नियम करने की आवश्यकता सभी अती है जब कि प्राधिकारी ने आरोपित प्राधिकारी के विरुद्ध आरोपों की सहायता पर विचार कर लिया है। और उस अथवा दो स्तरों पर पढ़ेगा है कि आरोप साबित हुआ हुआ है और कोई विशेष बताने साबित साधु करना किन्हाल तय कर लिया हो।<sup>३</sup> जेरी राज कमचारों का सुविधान के अनुच्छेद ३११ (२) क अन्तर्गत नोटेन देवन ऐसा स्थिति पत्रेक जान पर हा लिया जा सक्ता है कि उसको निम्नलिखित साबितियों में से किसी द्वारा क्यों नहीं दखिन किया जावे—

- १ अहुन रहीम बनाम मुख्य प्राधिकारी अथवा ए आई आर १९६४ आर प्रदस ८०७
- २ नापुनाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान ५६६
- ३ सरकार बनाम गजानन महादेव ए आई आर १९५४ अर्बई ३५१ आर डाम बनाम उदीसा सरकार ए आई आर १९५८ उदीसा ६६ कृष्ण गोपाल मुखर्जी बनाम सरकार ए आई आर १९६० उदीसा २७ लम हो तिकारी बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६१ उदाहावाद १२२ उदासा सरकार बनाम विष्णुदूपन ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ७७६।

(क) पवित्र मे घबनलि-निम्नतर प्रणाली की सेवा प्रेड या पत्र पर, या निम्नतर टाँस स्केन या उनी टाइम स्केन म निम्नतर स्थिति मे घोर यदि मामला पेंगन का हाँता नियमानुसार देय पेंगन दर को घटा कर कम राशि कर देना

(ख) अनुमानित पेंशन पर अनिवायन सेवा निवृत्ति,

(ग) सेवा म पृषकाकरण अथवा

(घ) सेवा से बर्खास्तगी ।

अतः यह आवश्यक है कि अनुशासन प्राधिकारों की कर्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों का गनोरता अथवा अयत्ना पर अयत्ना निमाग लगाना चाहिये और प्रस्तावित शास्त्रि के नियमों की सम्मति मिलनी चाहिये और कर्मचारी को सूचित करना चाहिये । यदि अनुशासन प्राधिकारों की राय है कि जाच म कोई आरोप साबित नहऱा हाँता तो इस उपनियम के अन्तगत भल ही कायवाहा न करे । परन्तु यदि वह जाच प्राधिकारों की राय से सहमत है कि आरोप साबित हाँता है तो वह इन उा नियम के अन्तगत कायवाहा आरम्भ कर सकता है ।

रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्षों की प्रतिलिपि देना — उपनियम १० (१) (क) प्रावधान बला है कि अनुशासन प्राधिकारों राज्य कर्मचारी को जाच प्राधिकारों के रिपोर्ट का प्रतिलिपि उसके निष्कर्षों का विवरण एवं असहमति के कारणों सहित (यदि ऐसा हो) देगा । इन दस्तावेजों का लिया जाना अनिवाय है ।<sup>१</sup> जब कि प्रार्थी को न उप-खंड दण्डनायक क रिपोर्ट की प्रतिलिपि न जिनगीयोग के अस्थायी निष्कर्षों की प्रतिलिपि ही दी गई तो यह निर्णय हुआ कि जिन आरोपों पर नसक विरुद्ध कायवाहा की जाना प्रस्तावित थी उनके विरोध म उन कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान नहऱा किया गया ।<sup>२</sup> पुनः जब कि प्रार्थी ने रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र दिया परन्तु वह अस्वीकार कर लिया गया । उन रिपोर्ट का निरोक्षण करन एवं अपन वाद पर पूरी बहम करन का अनुमति नही दी गई ता यह फमला हुआ कि उस समुचित अवसर नदी दिया गया ।<sup>३</sup> प्रार्थी को अनियोगा एवं जाच के निष्कर्षों की प्रतिलिपि नही देना केवल प्राविधिक (टेक्नीकल) त्रुटि नही है ।<sup>४</sup> जब तक कि राज्य कर्मचारी को यह विदिन नही हो कि उनके विरुद्ध क्या और कितना अन्विगानी मामला बनाया गया है तब तक वह प्रभावशाली कारण व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करन की स्थिति म नही होगा कि जाच प्राधिकारों की सिफारिश पर कायवाही नही की जावे अथवा उन पर किसी प्रकार से कठोर शास्त्रि आरोपित करना न्यायपूर्ण नही होगा ।<sup>५</sup>

१ विमल चंद्र मिश्रा बनाम उडीसा सरकार, ए आई आर १९५७ उडीसा १८४

२ नाथलाल बनाम सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १५३, देव दमन बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९५४ राजस्थान ४९१ वामन करपे बनाम सरकार ए आई आर १९५९ मध्य प्रदेश ३२२ जतींद्र मोहन बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९६२ असम ३४, आदुल हसन बनाम वकस मनजर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३८, शिशिर कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५५ बलकत्ता १८ के जी पिलाई बनाम कम्प्लेयर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ए आई आर १९६३ पंजाब ३९०

३ एम बी विद्याराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५२ नागपुर २२८

४ हीरो सीताराम छबलानी बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर १९५५ हैदराबाद ४८

५ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शालिग्राम शर्मा ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५४३

जाच प्राधिकारा का यह बत व्य होगा कि कोई विरोध आरोप माहित हुआ है अथवा नहीं इसका अनुसंधान करे। उसका इससे नियंत्रण भी व्यवस्था करने चाहिये। परन्तु अपन निष्कर्षों में साबित आरोपों के आधार पर उस काइ साहित सबेत् करने की प्राव्यता नही है।<sup>१</sup>

(८) उपनियम (६)-अनुसामन प्राधिकारी के निष्कर्ष -यह उप नियम तभी प्रभावशाली होगा जब अनुसामन प्राधिकारी स्वयं जाच प्राधिकारी नही है। ऐसी दशा में अनुसामन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी द्वारा नियंत्रण निष्कर्षों का पत्रिका और प्रत्येक आरोप पर अपन छुट्ट ब निष्कर्ष लिखेगा। इन प्रसंगों के लिये वह निम्न उक्त मौखिक अथवा दस्तावेजी साहाय्य उस अथवा जाच प्राधिकारी द्वारा जारी लिये गये जाच से सम्बन्धित प्रमाण अथवा काई अन्य सुव्यक्त सामग्री देख सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि वह जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो। अनुसामन प्राधिकारी का ध्यान निष्कर्षों की पुष्टि में कारण व्यवस्था करने चाहिये। जब कि जाच प्राधिकारी निम्नो निश्चित निष्कर्ष पर नही पहुँचा, और अनुसामन प्राधिकारी ने बिना साबित समझ एक अधिवारिण नास्ति दत्त वमचारा का बयान्त कर लिया तो यह नियम हुआ कि वह प्राण बानून् गलत थी।<sup>२</sup>

अनुसामन प्राधिकारी मामल को छोड़ जाच के लिए वापिस भेज सकता है। वह जाच प्राधिकारी को ताजा (नवीन) जाच करने के लिये भी मामला भेज सकता है। परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब कि पहले की जाच में कोई बसा रह गया हो और ऐसा विवक्षित करने के लिये पर्याप्त कारण हों। ऐसे कारण भी अनुसामन प्राधिकारी द्वारा समिलित में लिख जने चाहिये।

(९) उपनियम (१०)-प्रस्तावित कठोर शारित प्रस्तावित साहित व विरोध में कारण बताने का अवसर तभी दिया जा सकता है जबकि प्रस्तावित व व्यवहारी अस्थायी रूप से तय करतो गई हो। यह नियम करने की अवस्था तभी अती है जब कि प्राधिकारी ने आरोपित अधिकाारी के विरुद्ध आरोपों की दधानता पर विचार कर लिया है और उस अस्थायी नताजे पर पहुँचा है कि आरोप साबित हो चुके हैं और काई विरोध कठोर शास्त्रिक करना फिनहाल तय कर लिया हो।<sup>३</sup> दोस्रो राज्य वमचारी का सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तगत नोटिस वेबल ऐसा स्थिति पत्र जान पर हा लिया जा सकता है कि उसको निम्नलिखित साहित्यों में से किसी द्वारा क्यों नही गठित किया जावे -

- १ घणुल रहीम बनाम मुख्य अधिकाारी अधिकाारी ए आई आर १९६४ आर प्रप्य ५०७
- २ नाथूनाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर, १९५८ राजस्थान ५६४
- ३ सरकार बनाम गजानन महात्त्व ए आई आर १९५४ बम्बई ३५१ धीरज दास बनाम उदोसा सरकार ए आई आर १९५८ उदासा ६६ हुण्ड गापाल मुखर्जी बनाम सरकार ए आई आर १९६० उदोसा ३ एम डी तिवारी बनाम दरिद्र पुत्रिम पर्याक्षर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद १२२ उदासा सरकार बनाम विध्यानूपन ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ७७६।

(क) पवित्र म ध्वजन-निम्नतर श्रेणी की सेवा घंटे या पद पर, या निम्नतर टाँम स्केन या उमा टाइम स्केल म निम्नतर स्थिति म और यदि मामला पेंशन का हो ता नियमानुसार देर पेंशन दर को घटा कर कम राशि कर देना

(ख) आनुपातिक पेंशन पर अनिवायत सेवा नियुक्ति

(ग) सेवा में पूर्णकीकरण अथवा

(घ) सेवा से बर्खास्तगी ।

अन यह आवश्यक है कि अनुशासन प्राधिकारी को कर्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों का गंभीरता अथवा अथता पर अपने निम्नतर लक्षणों का विवेक और प्रस्तावित शास्ति के लिये अपनी सम्मति लिखनी चाहिये और कर्मचारी को सूचित करना चाहिये । यदि अनुशासन प्राधिकारी को राय है कि जाच म कोई आरोप साबित नहीं होता तो इस उपनियम के अन्तगत भले ही काय कायवाही न करें । परन्तु यदि वह जाच प्राधिकारी की राय से सहमत है कि आरोप साबित होना है तो वह इस उपाय नियम के अन्तगत कायवाही प्रारम्भ कर सकता है ।

**रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्षों की प्रतिलिपि देना** — उपनियम १० (१) (क) प्रावधान करता है कि अनुशासन प्राधिकारी राज्य कर्मचारी को जाच प्राधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसके निष्कर्षों का विवरण एवं अग्रहमति के कारणों सहित (यदि ऐसा हो) देगा । इन दस्तावेजों का दिया जाना अनिवार्य है ।<sup>१</sup> जब कि प्राथी को न उप-खंड दण्डनायक व रिपोर्ट की प्रतिलिपि न जिलाधीश के अस्थायी निष्कर्षों की प्रतिलिपि ही दी गई तो यह निर्णय हुआ कि जिन अधिकारियों पर उस विरुद्ध कायवाही की जाना प्रस्तावित थी उनके विरोध म उस कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया ।<sup>२</sup> पुन जब कि प्राथी ने रिपोर्ट का प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र दिया परन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया । उस रिपोर्ट का निरोक्षण करने एवं अपने वाद पर पूरी बहस करने का अनुमति नहीं दी गई तो यह फगला हुआ कि उस समुचित अवसर नहीं दिया गया ।<sup>३</sup> प्राथी को अभियोगों एवं जाच के निष्कर्षों की प्रतिलिपि नहीं देना केवल प्राविधिक (टेक्नीकल) त्रुटि नहीं है ।<sup>४</sup> जब तक कि राज्य कर्मचारी को यह विदित नहीं हो कि उसके विरुद्ध क्या और किन्तना दण्डितवाली मामला बनाया गया है तब तक वह प्रभावशाली कारण व्यक्त करते हुए यह प्राथना करने की स्थिति में नहीं होगा कि जाच अधिकारी की मिकारिशा पर कायवाही नहीं की जावे अथवा उन पर किसी प्रकार से घठोर शास्ति आरोपित करना न्यायपूर्ण नहीं होगा ।<sup>५</sup>

१ विमल चंद्र मित्रा बनाम उडोसा सरकार, ए आई आर १९५७ उडोसा १८४

२ माधूलाल बनाम सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १५३ देव दमन बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९५४ राजस्थान ४९१ दामन करपे बनाम सरकार ए आई आर १९५९ मध्य प्रदेश ३२२, जतींद्र मोहन बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९६२ असम ३४, अब्दुल हसन बनाम वक्स मनेजर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३८, शिशिर कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५५ कलकत्ता १८ के जी पिलाई बनाम कप्तान एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ए आई आर १९६३ पंजाब ३६०

३ एम बी विचारय बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर २२८

४ होरो सीलाराम छबलानी बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर १९५५ हैदराबाद ४८

५ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम दालिगराम शर्मा, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५४३



नोटिस-कारण बताने का—उपनियम १० (१) (ख) प्रावधान करता है कि अनुगमन प्राधिकारी दाया अधिनारी को नाग्निस दगा जिनम प्रस्तावित शास्ति वा उत्तरण करेगा। एन नोटिस म शोषी अधिकारी को वहा ज दगा कि प्रस्तावित शास्ति व विरुद्ध यानि वह काइ अत्रान अनुगमन करना चाह तो कर सकता है। अ वन एमी जाच व दौरान दी गई शहासन पर आधारित होगा। यह उदयत मन्त्रालय व अनुच्छेद ३११ (२) पर आधारित है।<sup>१</sup> यह अनुच्छेद मन्त्रालय (पत्रहवा मगाधन) अधिनियम १९६३ द्वारा मगाधित हुआ था। ऐसे मगाधन व आधार पर राज्य सरकार न भी एम उदयत म मगाधन किया। इस मगाधन न मुक्ति पुक्त अवसर का मूचि को विम्वन दिया है, और इस व अन्तित्वन यह स्पष्ट किया है कि युक्तपुक्त अवसर न अवयथा म किया जाना चाहिए अथात् (१) जाच व समय और (२) जब जाच मगाधन हो जाच और जब अनुगमन प्राधिकारी ने फिनहाल शास्ति तय करती है।

एन शर्तों व वादवनी की प्रथम अवस्था म उन अपनी प्रनिरस्ता करने के अवसर का अधिकार है। जब जाच व हा जाच और जाच अधिकाग अपनी रिपाट प्र पित करे तो अनुगमन प्राधिकारी को उमयो रिपाट पर विचार करना है एव यह निष्पय करना है कि वह रिपाट व निष्पय म सहमत है अथवा नहीं। यदि रिपाट व निष्पय दोयो अधिनारी के विरुद्ध है एव कमित निष्पयों से अनुगमन प्राधिकारी महमत हाता है तो वह अवस्था प्राजती है जब दायी अधिनारी का अत्र अवसर यह कारण बनाने के निय दिया जाता है कि उसो विरुद्ध अनुगमनात्मक कायदाही क्यों नहीं का जाच। यह द्वितीय नोटिस देने व निय स्वाभाविकतया दाया अधिनारी के अत्राय के विषय म और साथ ही मन्त्र व अनुगमन नियमों का शिष्ट व बारे म भा उन अवस्थायो या फिनहाल निष्पय निजालन व पदधान ही अनुगमन प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी करता है। निम्न एम नाग्निस व उत्तर म दाया अधिकायी न केवल उमके विरुद्ध प्रस्तावित अनुगमनात्मक कायदाही व विषय म बन्वि जाच अधिकायी के उन निष्पयों की करता एव सरतया जिनम अनुगमन प्राधिकारी न फिनहाल स्वाकार किया है व विरुद्ध भी कारण बत न का अधिनारी रखता है।<sup>२</sup> दूसरे गण म दाया अधिनारी का यह दूसरा अवसर

१ अनुच्छेद ३११ (२) एम प्रकार है —

‘उपयुक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पञ्चुत नहीं किया जायगा अथवा पं से नहा हट या जायगा अथवा पञ्चुत नहीं किया जायगा जब तक एना जाच जिसम उक्त अत्रन अत्रन दायारातो स अवगत करा लिया गया है और उन दायारातो व सम्बन्ध म मुनबाई का युक्तपुक्त अवसर दिया गया है नहीं करती जाती और जहा एना जाच व पञ्चन उत्र पर काइ शास्ति प्रारोपित करना प्रस्तावित है वहा जब तक उक्त प्रस्तावित शास्ति वा बावत अनिवदन रिन्नु एमी जाच के दौरान त्वि गये सास्य के हा आधार पर, करन का युक्तपुक्त अवसर नहीं द लिया जाता

- २ अत्रम सरकार बनाम बिमल कुमार ए आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १९१२ गुजरात सरकार बनाम रंजनीमाई मातामाई पन्त ए आई आर. १९६१ गुजरात १३०। विरुद्ध राज्य व त्वि दन्विये—ए एम अन्त मुबमयम बनाम करन सरकार, आई एन आर. १९६३ करन १५१ अन्त पादुग बनाम सरकार, ६५ बम्बई एन आर. ५५४ वई सरकार बनाम गजानन ५६ बम्बई एन आर. १७२

मिलता है जिसमें वह सब बातें कह सक्ता है और अभियुक्त कर सक्ता है कि उमने विरुद्ध अनुशासन कायवाही करने लायक कोई शरीर नहीं बनता और तदपुरान यह प्राथना भी करसकता है कि यदि वह अपनी निर्दोषता प्रमाणित नहीं कर सकता हो तो उसके विरुद्ध प्रस्तावित शास्ति प्रस्तुत बठोर है अथवा अनावश्यक है ।

यह वाद्वि है कि द्वितीय नोटिस में उक्ते जारी करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी को प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी सहमति प्रकट कर दें । विमल कुमार के दाव में एव प्रश्न उठा कि यदि अनुशासन प्राधिकारी न स्पष्ट रूप में यह व्यक्त नहीं किया है कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध लिए जाव-प्राधिकारी के निर्णय को उमने स्वीकार कर लिया है, तो क्या कायवाही में एसी निबलता प्राजायगी जिससे अंतिम आज्ञा अव्यव हो जावे ? सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का पुष्टिकारक उत्तर देना अस्वीकार किया । उनमें कहा गया है कि दोषी अधिकारी को यह साफ विनिर्दिष्ट हो गया कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा प्रस्थापी निष्पक्ष का नोटिस जारी होना जिसमें उसका विरुद्ध दी जान वाली शास्ति के विषय में सचेत है स्पष्टतया एव साफ साफ बताना है कि जाच द्वारा निवृत्त निष्पक्षों को अनुशासन प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है अथवा इस उप नियम अथवा अनुच्छेद ३११ (२) के अंतगत नोटिस जारी करने का कोई अर्थ या प्रयोजन नहीं है । अतः अनुशासन प्राधिकारी न दोषी अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट में लिखे निष्पक्ष स्वीकार कर लिये हैं, यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करने के कारण यह अर्थ निकलन उचित नहीं होगा कि उक्त नोटिस में दोषी अधिकारी को अनुच्छेद ३११ (२) के अंतगत मुख्य अवसर प्रदत्त नहीं हुआ ।<sup>२</sup>

यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय जाच रिपोर्ट में लिखे निष्पक्षों से भिन्न है तो यह आवश्यक है कि वह इस विषय में अपनी प्रस्थापी निष्पक्ष द्वितीय नोटिस में व्यक्त कर दें । यह संभव है कि रिपोर्ट में निष्पक्ष दोषी अधिकारी के पक्ष में लिखे हो सेवाच्युति प्राधिकारी कथित निष्पक्षों से असहमत हो और अनुच्छेद ३११ (२) के अंतगत नोटिस देन की कायवाही करे । ऐसे मामले में, स्पष्टतया आवश्यक है कि सेवाच्युति प्राधिकारी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दे कि जाच की रिपोर्ट में लिखे निष्पक्षों से वह असहमत है एव तत्पश्चात् दोषी अधिकारी के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कायवाही की प्रकार बतावे । नोटिस में इस प्रकार से स्पष्टतया व्यक्त किए बिना, नोटिस जारी करना ही संव्या असंभव हो जायगा ।<sup>३</sup>

एने मामले भी हो सकते हैं जिनमें कुछ तनवियात पर रिपोर्ट में लिखे निष्पक्ष दोषी अधिकारी के पक्ष में ही और कुछ तनवियात पर विपक्ष में हो । यदि अनुशासन प्राधिकारी ऐसे समस्त निष्पक्ष स्वीकार करले तो दूसरी बात है परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी दोषी अधिकारी के विपक्ष में दिये गये निष्पक्ष तो स्वीकार करले और उसके पक्ष में दिये गये कुछ अथवा सब निष्पक्षों से असहमत हो और अपने स्वयं के परिणामों पर प्रस्तावित कायवाही की विरुद्ध व्यक्त करे तो यह आवश्यक होगा कि कथित परिणामों का सक्षम में उल्लेख नोटिस में कर दिया जावे । इस ढंग के मामलों में प्रस्तावित की गई कायवाही न केवल दोषी प्राधिकारी के विपक्ष में लिखित जाच रिपोर्ट पर आधारित होगी परन्तु अनुशासन प्राधिकारी की राय पर भी आश्रित होगी कि अन्य अभियोग जा

१ असम सरकार बनाम विमल कुमार ए आई धार १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १९१२ जिसमें विमल कुमार बनाम असम सरकार, ए आई धार १९६२ असम ८८ का खंडन किया ।

२ उपरोक्त नोट १ देखिये ।

प्राधिकारों द्वारा प्रस्तावित बगैर निचे गदे य वह अनुगामन प्राधिकारी की राय म प्रमाणित है । इस उगनियम अथवा मविधान क अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तगत दागे अधिकारी का बतान क निय मनुचन अथवर प्रान बनन हनु म् प्रावण्य है कि एम मामला म अनुगामन प्राधिकारा द्वारा निरन गदे अस्थाया निष्पत्ती का उल्लंघन नास्ति म कर लिया जाव । परन्तु जब क प्राव रिपोट का पूणत स्वाकार करन क पदवात् अनुगामन प्राधिकारी का इच्छा दागे अधिकारी का नास्ति दन का है ता यह अण्यय न्दा कि अनुगामन प्राधिकारी को यह अण्य कर रेना क हिय कि उमर एम प्रसार म रिपोट स्वाकार करना है, परन्तु यह बाधनाय है कि एम मामला म इस प्राणय का अकार्य द लिया ज व ।<sup>१</sup>

अनच्छेद ११ का तराजा है कि दिया राज्य कमकारी के विरुद्ध पुन्युति पुपनीररए अथवा पविनच्युति का प्राण तय तय जारी नहा दिया जा सतता जब तय वह प्रस्तावित कायधाही म निमित्त रूप म अथगत न्ना करा लिया गया है । जब कि प्राची का कारण बतान का ऐसा नास्ति न्ना लिया गया तो यह निगय हूया कि प्राणा स्पष्टनया मविधान क अनुच्छेद ३११ (२) का उतपन था ।<sup>२</sup> जब कि बिना कारण बतान का नास्ति न्नि बठार द्द इमरिये लागू कर लिया गया कि दागे अधिकारी न ठामा याचना की थी<sup>३</sup> अथवा वह प्राणय था,<sup>४</sup> अथवा पदु च सहित गजिस्ती म नत्र गदे निरफर पर गत् 'अनाम्मित अजिन था,<sup>५</sup> ता निगय हूया कि अनुच्छेद ३११ (२) क प्रावधानता का पानन नहा किया गया एव प्राणा अधिकारी का मेवा म पुपनीररए अथवापानि था । अथ द्विरीत जब कि कारण बतान क निय नास्ति तो लिया गया परन्तु का उतत प्रान नहा हूया<sup>६</sup> किन्तु वात् म दावा किया कि नास्ति पुनिपूण था<sup>७</sup> ता निगय हूया कि अनुच्छेद ३११ क अन्तगत पुविनयुवन अथसर लवन रूप म लिया गया था ।

एन प्रान यह उठ मरता है कि क्या कारण बतान के नास्ति म सही एव वास्तविक अन्ति जा अनुगामन प्राधिकारी न लागू करना तय किया है ता अण्यक करना प्रावण्य है ? हुकमचद क वात् म सर्वोच्च न्यायालय न इस प्रान का उत्तर नकारा मर लिया । इस मामले म

- १ उपरावन नाट १ पृष्ठ १०७ पर दवे
- २ मन्दात निवारा बनाम बरिष्ठ पुत्रिम प्राणयक ए आई आर १८६१ एनागवा १०२ राम बराज मि बनाम विहार सरकार ए आई आर १८१० पटना २६ डा पी रघुनाथ बनाम कुग सरकार ए आई आर १९५० मसूर ८, पुनातनाल गाहा बनाम विहार सरकार, ए आई आर १९५७ पटना २५७ ।
- ३ अरण सिंह बनाम आयुक्त याता-यात, ए आई आर १९६५ जम्मू कांभार ५३
- ४ जा अण्यारक बनाम उप मन्दिरीयक पुत्रिम, ए आई आर १९५८ अत्र प्रेग २६६
- ५ उडामा सरकार बनाम कृष्णस्वामी मुर्ती, ए आई आर १९६४ उड़ीसा २६
- ६ टी एम रामचन्द्र राव बनाम भारत सरकार, ए आई आर. १८५३ हैलावा २०१
- ७ बसन्तराव गजराव बनाम अण्डी सरकार, ए आई आर १८५६ बम्बई ४८३
- ८ हुकमचद मन्दातरा बनाम भारतीय मध ए आई आर. १९५६ सर्वोच्च न्यायालय ५३६ जतीन्द्रनाथनाम विस्वाम बनाम आर म्णा, ए आई आर १८५४ बनवना ३८<sup>२</sup> दयानिधि रथ बनाम बा एम महना ए आई आर १८५५ उड़ीसा ३<sup>२</sup> लामोनारायण गुला बनाम ए पुरी ए आई आर १८५४ बनवना ३५ एमठ बनाम त्रिपुरा अत्र ए आई आर १९४८ त्रिपुरा ५१, के गजा गौगनगव बनाम उणामा सरकार ए आई आर. १९५८ उडामा ७४ दामानर माड्ली बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५७ उड़ीसा ७४

अनुच्छेद ३११ (२) में उल्लिखित तीना शास्त्रिया कारण बताने के नोटिस में व्यक्त की गई थी, और सामान्यिक अथवा सही शास्त्रि का विनाश नाम नहीं बताया गया था। यह निराय हुआ कि उक्त वाग्य बताने के लिए दिए गए नोटिस में संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का अनिर्णय नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निम्न कारण व्यक्त किए —

(१) यह स्पष्ट है और अनुच्छेद ३११ (२) भी साफ साफ कहता है कि 'द्वितीय अवस्था में कारण बताने का नोटिस जारी करने का प्रयोजन राज्य कमचारी को प्रस्तावित शास्त्रि क्या नहीं हो जावे इसका कारण बताने के लिये समुचित परस्पर प्रदान करना है उदाहरणार्थ यदि प्रस्तावित शास्त्रि पदच्युति है तो संबंधित राज्य कमचारी अपने उत्तर में कह सकता है कि 'यद्यपि उमके विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो गये है परन्तु उने हल्की शास्त्रि जैसे पृथकीकरण अथवा पंक्तिच्युति से दंडित करना न्याय समत होगा। यदि दंड प्राधिकारी के लिये द्वितीय अवस्था में कारण बताने के लिये दूसरे नोटिस में सही एक विशेष शास्त्रि का नाम व्यक्त करना अनिवार्य है तो यदि वह संबंधित राज्य कमचारी का उत्तर स्वीकार करने का एक तृतीय नोटिस देने की आवश्यकता हो जायगी। यह कारण बताने के द्वितीय नोटिस के प्रयोजन के विरुद्ध होगा।

(२) यदि कारण बताने के नोटिस में केवल पदच्युति की शास्त्रि व्यक्त है और अन्य दो शास्त्रियों का उल्लेख नहीं है फिर भी अनुशासन प्राधिकारी हल्की शास्त्रियें—पृथकीकरण एवं पंक्तिच्युति में से कोई शास्त्रि चुन करन में स्वतंत्र है और कारण बताने के नोटिस के सम्बन्ध में अथवा आरोपित वास्तविक शास्त्रि के विषय में कोई शिक्कत नहीं हो सकती। क्या यह कहा जा सकता है कि कारण बताने के नोटिस में अन्य दो शास्त्रियें 'हो गिनाने के कारण नोटिस अवध हा गया? कारण बताने के नोटिस में तीनों शास्त्रियों का उल्लेख करने से दोषी अधिकारी को तीना में से कोई भी शास्त्रि नहीं हो जान का कारण व्यक्त करने के लिये श्रेष्ठतर एवं पूर्णतः अवसर दिया जाता है। एक से अधिक शास्त्रियों का वास्तविक उल्लेख करना प्रस्तावित वायवाही को आवश्यक रूप से कम निश्चित नहीं बनाता। इसके विपरीत ऐसा करना राज्य कमचारी को इनमें से प्रत्येक शास्त्रि लागू की जाने के विरोध में कारण बताने के लिए श्रेष्ठतर अवसर प्रदान करता है, जो उसे नहीं मिलता यदि नोटिस में केवल सबसे बठौर शास्त्रि का ही उल्लेख होता और निम्नतर शास्त्रियें व्यक्त नहीं की जाती।

यदि अभियोग अधिक हो तो अनुशासन प्राधिकारी प्रत्येक अभियोग के लिये पथक पृथक शास्त्रि बता सकता है, अथवा अनग अनग नहीं बतावे। जब कि नोटिस में प्रत्येक अभियोग के लिये प्रार्थी पर प्रस्तावित पृथक पथक शास्त्रि नहीं दर्शाई गई तो निराय हुआ कि भिन्न भिन्न अभियोगों के लिये अनग अनग शास्त्रि व्यक्त नहीं करने के कारण में नोटिस अवध नहीं होता है।<sup>१</sup> पुन जब कि प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अतिरिक्त अभियोगों के संबंध में प्रार्थी को द्वितीय नोटिस नहीं दिया गया तो निराय हुआ कि अतिरिक्त अभियोगों का तुलना में अतिरिक्त अभियोग तुच्छ मात्र थे, इन अतिरिक्त अभियोगों के विषय में प्रस्तावित वायवाही का नोटिस नहीं दिये जान से पदच्युति को प्राप्त अवध नहीं हो सकती।<sup>२</sup> अनुशासन प्राधिकारी पहले इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिये कि दोषी

१ गोविंद शंकर बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९६३ मध्य प्रदेश ११५

२ करमदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना २२१, उडीसा सरकार बनाम सलहारी चटर्जी ए आई आर १९३३ उडीसा ७३



लोक सेवा आयोग से परामर्श — उन्नियम १० (11) प्रावधान करता है कि जब कि परामर्श लेना आवश्यक हो तब अनुपासक प्राधिकारी लोक सेवा आयोग से परामर्श लेगा। नियम १५ (०) के अन्तर्गत राज्य सेवा आयोग के समक्ष, जिनकी नियुक्ति के अधिकांश किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सुपुर्द नहीं किये गये हैं निम्न एव वतन वृद्धि पर रोक के प्रतिरिक्त और कोई भी शास्त्रि लागू करने में पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।<sup>१</sup> ऐसे मामला में अनुपासक प्राधिकारी लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित अभिनेत्र भेजेगा —

(१) जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट,

(२) अनुपासक प्राधिकारी द्वारा नियम १० (१) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की प्रति लिपि, एव

(३) ऐसे नोटिस के उत्तर में दीयी अधिकांश या उत्तर।

यह उन्नियम तथा सविधान का अनुच्छेद ३२० (३) (ग) राज्य कर्मचारी को कोई सत्व प्रदान नहीं करते। परामर्श का अभाव अथवा परामर्श में अनियमितता, अनिश्चित कर्मचारी को किसी न्यायालय में विनायदावा या समाधान पाने का अधिकार प्रदान नहीं करते। अनुच्छेद ३२० (३) (ग) के अन्तर्गत आन्तःगत नहीं हैं।<sup>२</sup> जब कि पथकीकरण अथवा पदच्युति की आज्ञा जारी करने से पहले अयोग से परामर्श नहीं लिया गया तो नियम द्वारा निश्चित उक्त अन्तःगत राज्य सरकार के प्रतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी ने जारी की थी इसलिये परामर्श में बदलक नहीं था।<sup>३</sup>

लोक सेवा आयोग को शास्त्रि की आज्ञा जारी करने अथवा किसी असैनिक कर्मचारी को आगामी नियुक्ति से वंचित रखने का अधिकार नहीं है।<sup>४</sup> आयोग एक स्वयंनिर्णय संस्था है जिसको कुछ स्वयंनिर्णय अधिकार वक्तव्य एव आभार दिये गये हैं। निर्देश का परिधि में, जो सविधान लोक सेवा आयोग के लिये निर्धारित करता है आयोग को काय करना पड़ता है। न तो वह स्वयंनिर्णय आभार को अस्वीकार कर सकता है न प्रतिरिक्त स्वयंनिर्णय आभार स्वीकार कर सकता है और न वह प्रतिरिक्त स्वयंनिर्णय लक्ष्य ही हासिल कर सकता है।<sup>५</sup>

अधीनस्थ लेखक वर्गीय अथवा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को किसी भी शास्त्रि से दखित करने की दशा में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।<sup>६</sup> इस प्रकार, यदि राज्य सेवा का कोई व्यक्ति राज्य सरकार के प्रतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त हुआ है तो आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।<sup>७</sup>

१ विस्तृत टिप्पणी नियम १५ (२) के नीचे देखिये।

२ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मनबोधनलाल, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ९१२

३ बामन बन म सरकार ए आई आर १९५३ नागपुर ५९ कालिका चन्द्र बनाम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुप्रेन्टेंडेंट ए आई आर १९५७ पटना ६७६

४ के आई एटोनी बनाम लोक सेवा आयोग ए आई आर १९५८ केरल ३५२

५ मारा चटर्जी बनाम लोक सेवा आयोग ए आई आर. १९५८ कलकत्ता ३४५

६ मानूप्रसाद बनाम सरकार ए आई आर १९५६ सौराष्ट्र १५ मनोपुर राज्य बनाम सारंग धम एन सिंह ए आई आर १९५७ मनोपुर ७

७ करमचेंद्र सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर. १९५६ पटना-२२८, बामन बनाम सरकार, ए आई आर १९५३ नागपुर ६९

आयोग का मतगणना प्राप्त हो जाने पर अनुगामन प्राधिकारी प्रमनिक और आयोग का मतगणना पर विचार करेगा और जमा उचित मन्त्रा जावगा वमा आगत जाय करगा । मतगणना प्राप्त हो जाने क पन्नात तयो अधिकाारी का पुन नाटिम त्ना आवापन नहा ।

जब कि नियम १५ (२) के अनुसार आयोग म परामना मना आवापन नही हा, ता अनुगामन प्राधिकारा तयो अधिकाारी क प्रमनिक पर विचार करगा और मामन म उचित आना जारी करेगा । पन्नाति या मवा म पयकारणा का आना कवन नियुक्ति प्राधिकारा जाय कर मवता है भाई प्रमनिक प्राधिकारी नहा कर सतना ।

(१०) उपनियम (११)-लघु शास्त्रिये लागू करना -यह उव नियम प्रावधान करता है कि निम्नलिखित पर विचार करन के पन्नात यदि अनुगामन प्राधिकारा तन मन्मनि वा है कि कवल लघु शास्त्रिये लागू का जावे ता आयोग म परामना तन क पन्नात यदि आवापन हा ता वट एसा आना जारी कर मवता है । राज्य मेकाआ के व्यक्तिया पर निम्न अधवा वनन कृष्टिया म राक तगान का शास्त्रि आरोपित करन के निय आयोग मे मलाह मना आवापन नहा है । परन्तु राज्य मवाभा क मन्मना पर पन्नाति रोजन तथा ममावधाना आति क वारणा मन्कार त हाति वतन स बमूना करके पुनि करन का शास्त्रि को दगा म आयोग म परामना तना आवापन है । परामना प्राप्त करन क पन्नात आयोग की सतह पर विचार करन क वा अनुगामन प्राधिकारा आना जारी कर मवता है ।

ऐसे मामला म नियम १६ (१०) अधवा मविधान क अनुच्छेद ११ (२) द्वारा निष्पत्ति कारण वतान क निचे दिनाय नातिम दना आवापन नहा है । परन्तु यदि कायवाहा नियम १६ क अन्तगत आरम हुई हा ता अनुगामन प्राधिकारा अधवा कायवाहा का परितनन नियम १७ क अनुसार नही कर मवता जब तक कि तयो अधवा का सूचना नहा त गइ हा । नियम १ के अन्तगत की गई कायवाहा म दोषी अधिकाारी का अतिगत मन्वाई या विसा गहात को जाच करन का अधमर दना चाहिये जा नियम १७ के अन्तगत आवापन नही आता ।

(११) उप नियम (१२)-राज्य कर्मचारी को आना को सूचना देना -यह उव नियम प्रावधान करता है कि जब कि राज्य कर्मचारी का आना सूचित का जाव ता उव निम्न लिखित दस्तावेज भा तिय जान आवापन हैं

(क) जाच प्राधिकारी क प्रतिवन्त की प्रतिनिधि

(ख) निम्नलिखित का विवरण, जाच प्राधिकारी क निम्नलिखित क समिष्ट कारणों सहित (यदि कोई हा) (यदि उव नियम १० क अन्तगत क पद स नही द तिय हा),

(ग) लात मवा आयोग का सम्मति की प्रतिनिधि

(घ) निम्नलिखित का विवरण आयोग का सनाह म अमहमन हान के समिष्ट कारणों सहित ।

जब कि नियम १४ के खंड (१) म (२) तक म निम्नलिखित काई शास्त्रि दना हा ता राज्य कर्मचारी का जाच अधिकाारी क रिपार्ट का प्रतिनिधि दना आवापन नहा हागा ।

अनुशासन प्राधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह राज्य कमचारी को उपरोक्त दस्तावेज दवे ताकि वह निकटतम के उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष प्रपील प्रस्तुत कर सके। यदि राज्य सरकार ही अनुशासन प्राधिकारी है तो उसकी किसी आज्ञा की प्रपील नहीं होती।

(१२) पुन जांच - उप नियम (१) प्रावधान करता है (१) कि जांच प्राधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए यदि अनुशासन प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि भ्रम तक की गई जांच में किसी प्रकार से कोई कमी रह गई है, तो वह सहो एव पर्याप्त कारणों से जिनको प्रतिवेदन में लिखा गया, प्रागे प्रथवा नई जांच करने के लिये मामले को वापिस भज सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी पुन जांच के लिये प्र देना तभी दिये जा सकते हैं जब कि वह जांच प्राधिकारी को निष्कर्षों में सहमत न हो, और उसने दोषी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई शास्ति प्रन्तिम रूप से नहीं दी हो। उप-नियम (६) में अनुशासन प्राधिकारी को ताजा जांच के लिये मामले को फिर से खोलने का प्राधिकार जम दिया म नहीं दिया है जब कि उसने एक बार मामले को तय कर दिया हो और शास्ति लागू कर दी हो प्रथवा राज्य कमचारी को दोगमुन्न कर दिया हो।

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या उहाँ तथ्यों पर राज्य सरकार प्रथवा अनुशासन प्राधिकारी पुन जांच करने का प्रादेग दे सकते हैं? इस विषय पर बहुत विवाद रहा है। कुछ उच्च न्यायालय जैसे राजस्थान और इलाहाबाद इस सम्मति के थे कि एन ही तथ्य पर दुबारा जांच करना अनुमति योग्य नहीं है।<sup>१</sup> इससे विपरीत असम, केरल और मणिपुर उच्च न्यायालयों की राय थी कि अनुशासन प्राधिकारी नि सदेह त्रुटि का सुधार करने और जन्ही आरापा के विषय में ताजा जांच करने में सक्षम है।<sup>२</sup> यह विवाद अभी तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवेन्द्र प्रताप के बाद द्वारा शांत नहीं हुआ है।<sup>३</sup> इस बाद में उच्च न्यायालय का निर्णय था कि प्राचीन सविधान के अनुच्छेद ११ के सरक्षण से वंचित रहा। प्राचीन सवाम पुन स्थापित किया गया और बाद में फिर से निलंबित कर दिया गया। यह निर्णय दिया गया कि किसी फंसले का वाध्यकारी प्रभाव उसके टक्नीकल विचारों को प्रारूप पर आधारित नहीं होता बल्कि उसके तथ्य पर प्र प्ररित होता है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर फसला किया कि शास्ति लागू करने की कार्यप्रणाली अनियमित थी, और इसलिये सर्वाच्च न्यायालय ने कहा कि यह फसला सरकार को अन्य जांच गुरू करने से नहीं रोक सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यह प्रश्न खुला छोड़ दिया है कि यदि निर्णय में कोई बधानिक (टक्नीकल) भ्रम नहीं हो तो क्या ऐसे मामलों में पुन जांच की जा सकती है प्रथवा नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर

- १ शारकाबद बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १९५८ राजस्थान ३८, हरबस लाल बनाम शिवीजनल सुप्रिटेण्डेंट, सेन्ट्रल रेलवे, ए आई आर १९६० इलाहाबाद १६४
- २ श्रीकेशबचन्द्र शर्मा बनाम असम सरकार ए आई आर १९६२ असम १७, लसाराम तोम्बो सिंह बनाम लसाराम गोगल सिंह, ए आई आर १९६३ मणिपुर २८, एन नीलमणि सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १९६४ मणिपुर ८, बोग्ली भूपा बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल २६४
- ३ देवेन्द्र प्रताप नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १३३४



द्वारकाअदे क मामन म विस्तून विवचन किया है । ' इम मामन म तह्योलनार की रिरोट पर नि गन विरुद्ध रिखन लेन ना प्राराय है, पुनिम के उर प्रारायक (अष्टाचार विगोपी गाय्या) द्वारा क गिरफ्तार कर दिया गया यद्यपि वाट म जमानन पर उध छाड दिया गया था । यह गिरफ्तार प्राण हान पर प्रार्थी जिनायाग द्वारा निरजित कर लिया गया । जिनायाग न विभागीय जाच की और इस निष्पत्ति पर पहुँचा कि प्रार्थी क विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता । तत्पश्चात् अष्टाचार विगोपी पन्नाधिकार के निवृत्तन पर, जिनायागी न जाच पुन प्रारम्भ कर दा, नया प्राराय ( चात्र ) कायम किया गया और प्रार्थी का कारण स्पष्ट करन का प्रार्थ्य दिया । प्रार्थी न इस नई विभागीय जाच का खुनौता न और प्राथना की कि जिनायाग को ताजा विभागीय जाच करन स रोना जाव । यह निणय हुआ कि एन हा बाधियात पर द्वितीय जाच करन का प्रार्थ्य नहीं हो सकता । मुख्य जायाधास वाचू न व्यक्त किया कि, ' जब कि एक बार विभागीय जाच समाप्त हो जाती है और किसी मात्रजनिक कमकार को शोषमुक्त कर दिया जाता है तो जब तक सवा नियमा अथवा और किसी काल म दाप मुक्ति का प्रार्थना के पुनरावतानन (नररमाना) करन का विषय प्रावधान नहीं हो तब तक उही नथ्यो पर विभागीय जाच दुबारा करन का कोई प्रार्थ्य नहीं दिया जा सकता । सवा नियमा का यह मकसद नहीं था कि विभागीय जाच पर मात्रजनिक कमकार का दापमुक्ति उमो प्रकार स पुनरावतानन के निचे खुता हा जिन प्रकार जाना फौजदारी क अन्तगत अभिमुक्त क उरो शोजाने पर प्रयोग का रास्ता खुता है । न्याय, निष्पत्तता एव सद्भावना के सिद्धान्त पर, सवा निरमो म प्रावधान क प्रभाव म ऐसा दुबारा विभागीय जाच की अनुमति देना गत है ।

यह वाद कि एत दृष्टिकाए स सरकार क विरुद्ध बहुत पक्षपात हागा, क्योंकि पहन क जाच प्राधिनारी न जाव बहुत समावष भी म प्रपता बर्दमानो तक स की हागा और सरकार निःसहाय रहगा, माननाय नहीं है । यदि कोई बरिष्ठ पन्नाधिकारा विभागाय जाच उन प्रकार स करता है ता सरकार निःसह उम बरिष्ठ पन्नाधिकारी क विरुद्ध कायवाही कर सकता है । दूसरे गण म विभागीय जाच म शोषमुक्त हो जाने के बावजूद अथवा जैसा भी विभागाय पन्नाधिकारी न तय किया हा-उही अथवा गत उमक बावजूद सरकार के निचे उस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी मुकामा दापर करने का रास्ता खुता है । उमक विपरान, यदि द्वितीय विभागीय जाच का प्रार्थना दा जा सकता है तो उसस मात्रजनिक कमकार का परखानो का खतरा बहुत ज्यादा हागा । इसके बाद के एक फवल म मद्रास उच्च न्यायालय न <sup>१</sup> इम मामने का जाच का और व्यक्त किया कि 'हम उस निणय के निष्पत्ति म असहमति नहीं है । खनि विद्वान जायाधागा क प्रति बहुत धार रखन हुए हम कह सकते हैं कि इन हो प्रबन कारण इम विपरीत गय के निचे लिय जा सकते हैं अर्थात् यह कि प्रशासन की पवित्रता क हित म विगपनया प्रजातांत्रिक प्रणाली के हित म अनिवाय नहीं ता कम म कम वादित अर्थ है कि एो मामला म जिनम शोपी अधिकारी के विरुद्ध मवधित प्राधिकारी द्वारा अभियोग समाप्त कर लिये गये हा और जब कि सरकार सन्तुष्ट है कि उक्त निणय न कवन अन्वययुग बन्धि अनुचित अथवा अशुद्ध है ता एम मामला का पुनरावतानन सरकार के सरनिगत अन्तर्गत अधिनार क अन्तगत हो जाव । यद्यपि एमी अकिन मवधा ठाकी जाच करन का सीमा तक जिसम किनी व्यक्ति क अधिकारा पर कोई अवाचित परिणाम होना हा नहीं भा दी जाव

१ दारका चर वनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५८ राजस्थान २८

२ मद्रास सरकार वनाम गापाता ध्यर, ए आई आर. १९६३ मद्रास १४

तो भी उचित कारण पर पुनरावकाश का अधिकार आरोपों को समाप्त करने अथवा स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में भ्रष्ट निष्कर्षों के सबध में प्रयोग में लाना तक्युक्त प्रतीत होता है ।

एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि फौजदारी यायालय द्वारा राज्य कर्मचारी के बरी हो जाने के पश्चात् उन्ही तथ्यों पर विभागीय जाच उचित होगी ? इस विषय पर भी विभिन्न उच्च यायालयों में मतभेद है । उड़ीसा और पटना उच्च यायालयों की राय है कि राज कर्मचारी का फौजदारी यायालय द्वारा बरी (दोषमुक्त) कर दिये जाने के पश्चात् उन्ही तथ्यों पर राज्य सरकार विभागीय जाच मिला सकती है ।<sup>१</sup> इसके विपरित मैसूर और मध्य प्रदेश यायालयों की सम्मति है कि उक्त अभियोग पर पुन जाच करना और जा शहादन फौजदारी अदालत में पेश हुई थी और वह दोषमुक्त हो गया था उसी शहादत पर उसे अपराधी करार देना अनुशासन प्राधिकारियों के लिये बहद गरबाजिब होगा ।<sup>२</sup> यह सामान्य याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा । प्रतीत होता है कि यह वाद वाली राय सही है । एक विभागीय प्राधिकारियों को कानूनी अदालत पर निर्णय के लिये बठन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जसे कि वह कोई अतीत प्राधिकारी हो ।

एक तृतीय प्रश्न यह उठ सकता है कि किसी दीवानों अदालत द्वारा पदव्युत्ति अथवा सेवा से पदावनरण की आना खारिज कर दिये जाने के पश्चात् उसी विषय पर विभागीय जाच दुबारा करना उचित होगा ? ऐसे मामले में, अदालत द्वारा विपरित आदेश नहीं लिये जाने के अभाव में, अनुशासन प्राधिकारियों आगे विधिवत कायवाही करने में स्वतंत्र है ।<sup>३</sup>

इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न उठ सकता है कि क्या विभागीय जाच में राज्य कर्मचारी के दोषमुक्त हो जाने के पश्चात्, राज्य सरकार उसके विरुद्ध फौजदारी अदालत में मुकदमा चला सकती है ? प्रतीत होता है कि विभागीय जाच में, विभागीय पदाधिकारियों चाहे जसा भी निर्णय दे फिर भी कानूनी अदालत में उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने में राज्य सरकार स्वतंत्र है ।<sup>४</sup> जब कि एक बार कोई मामला फौजदारी अदालत में सामने लाया जा चुका है तो यह उचित होगा कि विभागीय जाच स्थगित कर दो जावे । यदि वह स्थगित नहीं की गई है तो विभागीय जाच और अदालत में फौजदारी मुकदमा साथ साथ भी चल सकते हैं ।<sup>५</sup>

- १, राधाकान्त पटनायक बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९६२ उड़ीसा १२५, कमन्वेल्थ मिह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना २२८
- २ वा एकाम्बरम पोन्नुरायम बनाम जारल मनजर ए आई आर १९६२ मैसूर ८४, रामस्व रूप शर्मा बनाम डिबोजनल कमिश्नल सुप्रेटेंडेंट, ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश १५५ कानर अली वहीद अली बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५९ मध्य प्रदेश ४६
- ३ राम चन्द्र वर्मा बनाम आर डी वर्मा ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५३२
- ४ दारका चंद बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान ३८, घनजी चन् बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६५ पंजाब १५३, खम चन् बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च यायालय ३००
- ५ भगन सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च यायालय १२१०, मध्य प्रदेश सरकार बनाम तारन सिंह ए आई आर १९५८ मध्य प्रदेश ३२५, कारपू उदायर बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९५६ मद्रास ४६०

१७ लघु शास्त्रिया देने का तरीका — (१) नियम १८ के खंड (१) से (३) में निर्दिष्ट कोई भी शास्त्रि की प्राप्ति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि—

- (क) राज्य कर्मचारी को उसका विस्तृत प्रस्तावित कायवाही और जिन आरोपों पर वह प्रस्तावित है उनकी सूचना नहीं दी गई हो और उसे उसकी इच्छा नुसार अभिवेदन करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो,
- (ख) यदि कोई ऐसा अभिवेदन हा, तो उस पर अनुशासन प्राधिकारी ने विचार नहीं कर लिया हा,
- (ग) जिन मामला में ऐसा करना अनिवाय हा, उनमें आयोग स परामर्श नहीं कर लिया हो ।

(२) ऐसे मामलो में कायवाही के अभिलेख में सम्मिलित हाणी —

- (i) राज्य कर्मचारी की दी गई प्रस्तावित कायवाही की सूचना की प्रतिलिपि
- (ii) अभिकथनों के विवरण की प्रतिलिपि जो उसे सूचित की गई,
- (iii) उसका अभिवेदन, यदि कोई हो,
- (iv) आयाग की सलाह यदि कोई हो, और
- (v) मामलों में दी गई प्राप्ति, कारणों सहित ।

### टिप्पणी

यह नियम प्रावधान करता है कि जब अनुशासन प्राधिकारी निम्नलिखित शास्त्रियों में स कोई शास्त्रि प्रयोग करना चाहता है तो वह इस नियम क अनुगत कायवाही प्रारंभ कर सकता है —

- (१) निदा,
- (२) बतन बृद्ध पर रोव
- ( ) पञ्चमि रावता
- (४) राज्य कर्मचारी को असावधानता आदि क फलस्वरूप राक्षीय क्षति की पूर्ति पूरा नया भयवा आर्थिक रूप से राज्य कर्मचारी के वेतन में करना ।

जब तक अनुशासन प्राधिकार निम्नलिखित कायवाही नहीं कर लेता तब तक राज्य कर्मचारी के विरुद्ध वह अनराक्ष लघु-शास्त्रिया लागू नहीं कर सकता —

- (१) यह कि उसके विरुद्ध की जाने वाला प्रस्तावित कायवाही की सूचना उसे लिखित रूप में दी गई है,
- (२) यह कि अभिकथनों के आधार पर कायवाही प्रस्तावित है उनका विवरण की प्रतिलिपि उस दी जा चुकी है
- (३) यह कि उस एस प्रस्तावों एवं आरोपों के विवरण पर अभिवेदन प्रेषित करने का मौका दिया जा चुका है,
- (४) यह कि उसके अभिवेदन पर अनुशासन प्राधिकारी ने विचार कर लिया है,

(५) यह कि पदोन्नति पर रोक भ्रयवा राज्य कर्मचारी की असावधानता आदि के फलस्वरूप राजकीय हानि दोषी अधिकारी के बतन से वसूल करने की शास्तियों लगू करने की दशा में प्रायोग से परामश प्राप्त कर लिदा गया है। ऐसा परामश केवल राज्य सभाभा के व्यक्तियों के मामला में ही आवश्यक है।

नियम १६ के अन्तगत अनुशासन प्राधिकारी की अभियोगी की प्रतिलिपि आरोपों के विवरण सहित देनी होती है और उससे पश्चात् एक नियमित जाच की जाती है जिसमें जाच प्राधिकारी ऐसी दस्तावेजों का हादत एवं मौखिक साक्ष्य ग्रहण करता है जो सारभूत हो। तत्पश्चात् दोषी राज्य कर्मचारी गवाहा से जिरह कर सकता है और उससे गवाहा से भी अभियोगी जिरह कर सकता है। परन्तु नियम १७ के अन्तगत ऐसी कोई कायप्रणाली नहीं होती। यदि कायवाही नियम १६ के अन्तगत प्रारंभ की गई हो तो वह दोषी अधिकारी को बिना सूचना दिये नियम १७ में परिवर्तित नहीं हो सकती। जब कि प्रार्थी के विरुद्ध अभियोग यह थे कि उसने (१) सर्विस स्टाम्पो का उपयोग त्रिजी कार्य के लिये किया (२) बीमार नहीं होते हुए भी बीमारी की छुट्टी ली और (३) उच्चतर प्राधिकारियों तक पहुँचने में अनुशासन भंग किया एक आरोप के सबध में प्रार्थी को नोटिस ५ वर्ष पश्चात् दिया और भ्रय आरोप के सबध में अढ़ाई वर्ष बाद दिया। जब अनुशासन प्राधिकारी ने नोटिस दिया तो प्रार्थी को पूछा कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी भ्रयवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। किन्तु उसने अनुसमात कायवाही का तरीका बल् दिया और नियम १६ के अन्तगत कार्यवाही करने के बजाय नियम १७ के अन्तगत कायवाही करने लगा। इस परिवर्तन का कोई कारण नहीं बताया गया और बिना व्यक्तिगत सुनवाई किये और उसकी उपस्थिति में उसके पक्ष में या विपक्ष में बिना किसी की गवाही लिये प्रार्थी को शास्ति देनी गई। यह निष्पक्ष रूप कि यह एक ऐसा ज्वलत म मला था जिसमें सामान्य न्याय के विलकुल प्रथम सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। मुख्य न्यायाधीश दब ने व्यक्त किया 'यह सच है कि लघु शास्तियों लागू करने हेतु अनुशासन प्राधिकारी बजाय नियम १६ के नियम १७ के अन्तगत कायवाही कर सकता है परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी नियम १७ में कायवाही करना चाहता हो, तो उस नियम की मांग है कि राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कायवाही की लिखित में सूचना दी जावे और उन आरोपों से भी अवगत कराया जावे जिनके आधार पर कायवाही की जाना प्रस्तावित है। उसकी जो अभिवेदन वह करना चाहे उसे प्रेषित करने का अवसर दिया जावे। हमको विदिन हुआ है कि प्रार्थी की कोई सूचना नहीं दी गई कि उनके विरुद्ध अनुशासन प्राधिकारी क्या कायवाही करना चाहता है और क्या वह नियम १७ के अन्तगत अपसर होने का इच्छुन है। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लघु शास्तियों अ रोपित करने के लिये अनुशासन प्राधिकारी को नियम १७ के अन्तगत कायवाही करने की अनुमति केवल इसी कारण से नहीं है कि आरम्भिक कायवाही नियम १६ के अन्तगत की गई, परन्तु यह निश्चयत आवश्यक है कि यदि वह कार्यवाही का नियम १६ से नियम १७ में परिवर्तन करना चाहता है तो नियम १७ के अन्तगत कायवाही शुरू करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को इस आशय की स्पष्ट सूचना देनी चाहिये। प्रस्तुत मामले की तरह के एक वाद में जब कि प्रतिवादी पांच वर्ष पूर्व भ्रयवा ढाई वर्ष पूर्व की तथ्यावधि त्रुटि के सबध में वादी के विरुद्ध कायवाही करना चाहता था तो यह और भी

अधिक आवश्यक हो गया कि उन व्यक्तियों मुदना खातिर या और त्रिस गृहान क आधार पर नम नष्ट किया जा रहा था वह उसका अभ्यक्ति में तो जाता खातिर था ।<sup>१</sup>

निम्न धनवा बतन वृद्धिया पर राक नगान का गाम्नि क मामन म वाक नवा प्रदाय न परामन करना प्र वश्यक नहीं है । जब कि प्रायो न नम प्राणय क सर्विस बुक म लिय ग्य रिमाक मन्वृत्तक इमानगय नाना प्रावरमाय<sup>२</sup> का हटवान क निय परमाण्य का रिट याचिका का, ना निम्न दूधा कि बट रिमाक कवन एक सम्मति थी और निम्न नहीं था ।<sup>३</sup> वाइ सा ना तबु गाम्नि का ग्या म, प्रस्तावित गाम्नि का उल्लस करन हुए अतिवृक्त कमचारी का नाग्नि जाग करना आवश्यक है । जब कि प्रायो का बतन वृद्धिया पर राक का गाम्नि निम्न कारण बतान का अवसर नि, प्रान्त काल ग<sup>४</sup> ना निम्न दूधा कि अतिवृक्त कमचारी का प्रस्तावित गाम्नि प्रागत्ति करने क विरुद्ध कारण बतान के नाग्नि देने म यह वाक आवश्यक रूप म गमित है कि कमचारी का केवन न्नु प्र पित करन क विवे नती कहा जाय किन्तु कारण बतान क उनके सब म यह ना एक भाग है कि उन वह मामनो न जाव त्रिसक आधार पर नम नष्टिन किया जाना प्रस्तावित है, का कि निम्न गया मामन के वह उस प्रभावगत टग म अतिवृक्त करने का अवस्था म नहीं हागा ।<sup>५</sup> हाति का निर वसूनी क मामन में राय कमचारी का अवसर मितन का अधिकार है । जब कि देवाया क न्याक म बुद्ध विनिप्रताण थी - स्टार रजिस्टर और वन्विक गप में एक था ता सरकार ने कामन वसूत करन का प्रान्त जाय कर लिया । निम्न दूधा कि उसका प्रभावधाना क राग्ना सरकार हाति की पूर्व-पृथ प्रसवा प्रागित-उसके बतन म वसूत करन के प्रस्ताव क विरुद्ध राय कमचारी का अतिवृक्त करन क निय पदान्त अवसर मितन का हक था ।<sup>६</sup>

बतन बटि म राय और बतन राकन म प्रान्त है । किमा व्यक्ति का काम करन क विवे कहना और फिर पुकारा नहीं करन का नियम अधिकारन के अनुच्छेद २२ में है । जब कि विधानाय क निराकरण न एक निराक का बतन दन म उन आधार पर मना कर लिया कि उसका काय प्रस्तावजनक था, तो निम्न दूधा कि बतन राकना और टिप्पण म काम बना केवन नियम विरुद्ध हा नया बकि अधिकारन क विद्वान का अतिवृक्त था ।<sup>७</sup> जब कि एक राय कमचारी का बतन

- १ सा ए डा मौद्रा बनाम मध्य प्रान्त सरकार, ए आई आर १९-१ मध्य प्रान्त २०१
- २ अमृत्य नवन नायक बनाम पश्चिम बंग न सरकार, ए आई आर १८ १ बनकता १०६ बनारसाय नष्ट बनाम द्वितीयन मुद्रा<sup>२०००</sup> ए आई आर १९६१ प्लायावा २०१
- ४ सा० रामचरण प्रसाद बनाम विध्य प्रान्त सरकार, ए आई आर १९५१ सिन्ध प्रान्त २१ वाद्वान बनाम प्रिन्सिपल एवनेमेट एजिनियरिंग जयन, ए आई आर १९६० मध्य प्रान्त २९६
- ५ मृज्जनारायण बनाम मध्य प्रान्त सरकार, ए आई आर १९५५ बनकता ४१

१८ मास तक रोका गया क्यों कि उसने अपने वेतन में कमीती स्वीकार नहीं की और अतत उसका सवा मुक्ति (डिस्टाचज) का विवरण प्रदान किया तो निर्णय हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को उसका उचित देय वेतन नहीं दिया जाता है तो वेतन राशन का मुआवजा, याज के स्वरूप में अथवा और कोई उचित क्षतिपूर्ति के रूप में वह अवश्य पान का अधिकारी है जो ऐसे वेतन को गवाने के तथ्य का सीधा नतीजा है।<sup>१</sup>

कोई प्रसन्निक कमचारी का निम्नतर पक्ति से उच्चतर पक्ति में पदाव्रति पान का अधिकार स्वयं रूप से नहीं है। किसी व्यक्ति का पदाव्रति के लिये उपयुक्त होना वास्तविक किसी पदाधिकारी का नियम प्रशासन द्वारा नजरसानी किया जा सकता है। परन्तु वह न्यायिक (जुडिसियल) नजरसानी के लिये उपयुक्त विषय नहीं हो सकता।<sup>२</sup> मविधान का अनुच्छेद २३३ स्पष्ट करता है कि पदाव्रति के लिये कोई हक नहीं होता। प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे राजकीय कमचारी का विरिष्टता एवं योग्यता के आधार पर पदाव्रति का हक उतना ही है जितना उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने की अवस्था में होता।<sup>३</sup> जिस विभाग में उसका पदाधिकार है उस विभाग को उसकी उचित पदाव्रति कायम रखनी चाहिये।<sup>४</sup> अनुसूचित जातियों के लिए चुनाव पदा पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के लिये सरक्षण अवधानिक नहीं है। जब कि प्रार्थी का मुख्य वाद यह था कि अनुसूचित जातियाँ एवं अल्पसंख्यकों के समर्थकों के पक्ष में पदाव्रति का सरक्षण अवधानिक नहीं था तो यह निर्णय हुआ कि चुनाव पदा को पदाव्रति द्वारा भरने में पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिये सरक्षण अवधानिक है और अनुच्छेद १६ (२) द्वारा गारंटी किये गये मौलिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं है और इसका अभाव मविधान के अनुच्छेद १६ (४) द्वारा होता है।<sup>५</sup>

जब कि व्यवस्था में राज्य कमचारी को विभाग में एक स्थान पर से अन्तर्गत कर दिया, यद्यपि उसके वेतन मान वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके पेंशन एवं पदाव्रति के अवसरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो निर्णय हुआ कि प्रार्थी कोई सहायता पान का अधिकारी नहीं था। प्रार्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनीय कार्यवाही नहीं की गई थी और अनुच्छेद २१ का प्रयोग संभव नहीं था।<sup>६</sup> जब कि सहायक अभियन्ताओं की प्रतिबन्धित अन्तिम सूची बनाई गई और उसके

- १ बमिनी बान्तादास बनाम भारतीय सभ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५
- २ नाथम तोम्बोसिंह बनाम मणिपुर राज्य ए आई आर १९५८ मणिपुर ३५ बी मा तिवारी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २१६, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमलकुमार राम, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४
- ३ मंगूर राज्य बनाम एल आर बेनारी, ए आई आर १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ८६८
- ४ सुधीरकुमार घोस बनाम पदविम बगान सरकार, ए आई आर १९५२ कलकत्ता ५८७ परमात्मा सरण बनाम मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय १९६३ आर एल डबल्यू २४६
- ५ जनरल मनजर बनाम रंगाचारी ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ३६,
- ६ रंगाचारी बनाम जनरल मनजर, ए आई आर १९६१ मद्रास ३५ का खंडन
- ७ पी सी माधवन बनाम ट्रेडनकोर कोचीन सरकार ए आई आर १९५७ ट्रेडनकोर कोचीन २३६

विहद अभिवेदन करन का हक नामज़ूर कर लिया ता निर्णय हुधा कि सरकार के लिये यह लाजिमी था कि पदोन्नति की सप्रतिबंध सूचि बनाती और उसे प्रवासित करता, ताकि जिन व्यक्तिया पर उमका प्रभाव पडा उन्हें उसके विहद अभिवेदन करने का प्रभावशाली अवसर मिलता ।<sup>१</sup>

१८ सयुक्त जाच—(१) जब किसी मामले मे एक से अधिक राज्य कमचारी सम्बन्धित हो, तो सरकार अथवा ऐसा पय प्राधिकारी जो उन समस्त राज्य कमचारियों को पदच्युति की शास्ति से ढण्डित करने मे सशक्त हो, यह आदेश देते हुए आज्ञा जारी कर सकता ह कि उन सब के विहद अनुशासनीय कायवाही सयुक्त रूप से की जावे ।

(२) ऐसी किसी भी आज्ञा मे यह निर्दिष्ट किया जायगा —

- (i) वह प्राधिकारी जा प्रत्येक सयुक्त कायवाही के प्रयोजनाथ अनुशासन प्राधिकारी का कृत्य करेगा,
- (ii) नियम १४ मे निर्दिष्ट शास्तियें जो ऐसा अनुशासन प्राधिकारी आरोपित करने मे समय होगा, और
- (iii) आया नियम १६ से १७ मे निर्धारित प्रक्रिया प्रयोग मे लाई जाय ।

### टिप्पणी

यह नियम सम्मिलित कायवाही का सिद्धान्त निर्धारित करता है । यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी जो मामले मे सम्मिलित रूप से सबधित समस्त कमचारियों को बलास्तगा की सजा देने मे समय हो, वह सयुक्त जाच क लिये आज्ञा दे सकता है । यदि ऐसे राज्य कमचारियों को पदच्युति की शास्ति लागू करने मे सशक्त प्राधिकारीगण भिन्न भिन्न हैं, तो ऐसे प्राधिकारियों मे से उच्चतम प्राधिकारी अन्य की महमति से सयुक्त कायवाही करने के लिये आज्ञा जारी कर सकता है । अत यदि दो अथवा दो विभिन्न विभागो मे काम करने वाल एव मामले मे सयुक्त रूप से सबधित है तो सम्मिलित अनुशासन कायवाही का जान का आना राज्य सरकार जारी करेगा क्वाकि उनमे से कोई भी एक विभागाध्यक्ष अन्य विभागाध्यक्ष के अतगत काय करन वाल राज्य कमचारों का बलास्त नही कर सकता । एम मामले मे राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को सयुक्त कायवाही के प्रयोजनाथ अनुशासन प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है । एसा आज्ञा मे इस नियम के उप नियम (२) के उप-खण्ड (i) से (iii) मे निर्धारित आवश्यकतायें निर्दिष्ट होना चाहिये ।

पदापान के अभाव मे सयुक्त जाच अवन नही होगी । जब कि यह तर्क किया गया कि अमानात को जाच दूसरा के साथ सम्मिलित होन मे अर्थ हो गई, तो निगम्य हुधा कि केवल एक तथ्य जाच सम्मिलित होन का जाच को दूषित नही करता जब तक कि कोई पदापान न हो ।<sup>२</sup>

१ धार धार राव बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई धार १९६४ मध्य प्रदेश ३०७

२ एम वा जोगाराव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई धार १९५७ आंध्र प्रदेश १९७

जब कि प्राधिकारों पर सम्मिलित मुकदमा चला, तो नियम द्वारा कि मुलजिम पदाधिकारियों पर समुक्त मुकदमा नहीं होना चाहिये। जाल्ना फौजदारी के प्रावधान मुलजिमों की समुक्त जाच के विषय में, विभागीय जाचों के सबध में ध्यात नहीं किये जा सकते।<sup>१</sup>

१६ कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया — नियम १६, १७ एवं १८ में कुछ भी होते हुए भी —

(i) जब कि किसी राज्य कमचारी पर किसी ऐसे आचरण के आधार पर शास्ति दी गई हो जिसके फलस्वरूप फौजदारी अभियोग में वह अपराधी करार दिया गया हो, अथवा

(ii) जब कि अनुशासन प्राधिकारी को यह तसल्ली हो जावे, जिसके कारण वह लेख बद्ध करेगा, कि कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना पृक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, अथवा

(iii) जब कि राज्यपाल को यह तसल्ली हो जावे कि ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है,

तो अनुशासन प्राधिकारी मामले की परस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसी प्राज्ञा जारी करेगा जो वह उपयुक्त समझे,

वशत कि ऐसी प्राज्ञा जारी करने से पूर्व, जब कि प्रायोग से परामश लेना आवश्यक हो, तो उससे सलाह लेली जावेगी।

नोट — यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या किसी व्यक्ति को सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत कारण बताने के लिये नोटिस देना बाजिव तौर से व्यवहार्य है, तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत, पृथकीकरण अथवा उसे पृक्तियुक्त करने में सशक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रश्न पर दिये गये निर्णय की केवल एक अपील निकटतम उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष हो सकेगी।

## टिप्पणी

यह नियम स्वभावतः नियम १६, १७ एवं १८ के अपवाद स्वरूप है, और मामलों को ऐसा तीन श्रेणियों में व्यवस्त करता है, जिनमें नियम १६, १७ और १८ की आवश्यकताय-प्रणाला लागू नहीं होगी। यह नियम सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड (क) से (ग) द्वारा निर्धारित सिद्धान्त पर आधारित है।

खण्ड (i) — फौजदारी अभियोग में अपराधी करार दिया जाना — यह खड प्रावधान करता है कि नियम १६, १७ और १८ द्वारा प्रदत्त सुरक्षण राज्य कमचारी को उस दगा में देना आवश्यक नहीं है जब कि शास्ति आचरण के आधार पर दी गई हो जिसके कारण फौजदारी अभियोग में वह अपराधी ठहराया गया हो। नतित्व पतन रखन वाले अपराध एवं अन्य अपराधा में

<sup>१</sup> एच ठाकरजी बनाम मंग्र प्रदेश सरकार, ए सीई आर. १६५५ मंग्र प्रदेश १६८



कोई विधिप्रतिष्ठा नहीं की गई है। जब कि एन पुनिस के विवाही को सावजनित स्थान पर नया का शालत म पाये जाने के कारण पुलिस अधिनियम, १८६१ की धारा ३४ के अन्तगत धराराधी करार लिया गया तो वह अनुच्छेद ३११ (२) की श्रौचकारिता का पालन किये बिना बन्धन कर लिया गया। प्राची का तब यह था कि प्रतिबन्धार्थक वाक्य गड म उल्लिखित फौजदारी मुकदमा और धराराधी करार दिया जाना नविक पतन म मरविध होना चाहिये। 'यायालय ने अनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिबन्ध र्थक वाक्य सख (क) म उक्त धर्म धारान करन मे इन्कार कर लिया और प्राये निर्णय लिया कि पुनिस अधिनियम की धारा ३४ म किया व्यक्ति का धराराधी करार लिया जाना नविक पतन बन गया है।<sup>१</sup>

इस सख में 'धर्म' अधिनियम में कुछ दायारोग्य होना साधा गया है जो जाणा फौजदारी म लिया गया अनोक्त धर्म मात्र नहीं है। धर्म 'यायालय का धरमान करने का शधी होना तिममें किमा 'यायालय के अध्याप के प्रति धरमान जनक शायरोग्य होना है, इस सख का मीमा में धराराधी करार लिया जाना है यद्यपि इस प्रकार का धरमान भारतीय दंड संहिता के अन्तगत कोई जुम न भी हो।<sup>२</sup> यदि अपाल में धरवा धरया उतना मुनजिम करार देने का फमला बा म शारिज कर लिया जाता है, तो पञ्चुति का धाना प्रभाव हीन हो जाती है, और जब ननु अनुच्छेद ३११ (२) का पालन करत हुए वह बर्वास्त नयी किया जाता तब तब वह कर्म बारी सुरल पुन स्थापित हान एव पदच्युति की शरीस मे चढ़ा हुआ बेतन पाने का हकदार होता है।<sup>३</sup>

सख (ii)—प्रक्रिया का अनुसरण करना मृत्ति युक्त रूप से व्यवहाय नहीं हो — इस सख के अन्तगत यदि अनुसरण प्राधिकारी सेसबद्ध करदे कि ऐमे व्यक्ति को कारण बतान के धरसर देना उचित नर म व्यवहाय नहा है ता कारण बनान का धरसर देना धररमन नहा है। पञ्चुति की धाना धादि का यह मरदल लागू करल के विवि निम्नारित गते पूरी होता मरुती है -

(क) तमन्नी शास्त्रि देने क निय सगक्त प्राधिकारी का हानी चाहिये, और यदि शास्त्रि पञ्चुति धरवा सेवा मे पृथकीकरण करन की है तो वह नियुक्त प्राधिकारी या कोई उच्चतर प्राधिकारी हाना चाहिये। जब कि वह बेवत उच्चतर प्राधिकारी की धाना क्रियाविन करता है और शाय कर्मचारी को सुरल बर्वास्त कर देना है ता एम धाधार पर धाना कायम नहा रखा जा सकता कि इस सख द्वारा प्रस्त धाक्ति का प्रयोग किया गया था।<sup>४</sup> किन्तु इस नियम के नीचे लिया हुआ नोट कहता है कि पञ्चुति धादि करने म सगक्त प्राधिकारी क ऐम विगुय की रवन एव धनीन निरन्तर उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष हो मरेगी।

(ख) पञ्चुति धादि करन म सगक्त प्राधिकारी, ऐमी धाना दन म पूर्व नियम १ १७ और १८ क अन्तगत धरसर देने म इन्कार करन क कारण सेसबद्ध करेगा। नियम

- १ दुर्गासिंह बनाम पत्राव सरकार, ए धाई धार १९५७ पत्राव ९७
- २ वैकटारामा बनाम मद्राम प्रान्त, ए धाई धार १९४६ मद्राम ३७५
- ३ भारतीय मध बनाम धरवर, ए धाई धार १९६१ मद्राम ४८६ तिन बाग बनाम दिवि जनल मुयर्टेडेट, ए धाई धार १९५९ पत्राव ४०१, दाम बनाम दिविजनन मुयर्टेडेट, ए धाई धार १९६० इनाहवाड ५३८
- ४ धुगाराम बनाम पुनिस अध्यापक, ए धाई धार १९५४ धरम १८

१६, १७ या १८ प्रथवा अनुच्छेद ३११ (२) के अन्वयन में छात्रा जारी करने के पश्चात् और छात्रा को चुनौती न्ये जाने के बाद, यह तर्क नहीं किया जा सकता कि इस खंड की वजह से उक्त छात्रा बंध है।<sup>१</sup>

(ग) पदच्युति आदि करने में सशक्त प्राधिकारी को लिखित रूप में व्यक्त करना चाहिये कि नियम १६ १७ या १८ में निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण करना उचित रूप से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यदि "व्यक्तिपुक्त रूप से व्यवहार्य" ऐसी समाप्ति को दृष्टिगोचर करते हैं जिसमें दोषी कमचारी उपलब्ध नहीं हो प्रथवा जब उसको नोटिस देना सम्भव या साध्य नहीं हो।<sup>२</sup> खंड ( i ) से खंड ( ii ) की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि खंड ( ii ) के अन्तर्गत दिये गये कारणों को कम से कम बदनीमती के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

खंड (iii)—राज्य की सुरक्षा के हित में—ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें केवल आरोप को प्रकट कर देने मात्र से राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। ऐसे मामलों में, राज्यपाल आच संचालन करना प्रथवा कारण बताने के लिये नोटिस देना भुक्त कर सकता है। इस खंड में उल्लिखित तत्सली पर कोई प्रतिबंध आरूढ नहीं है। इसका नतीजा यह है कि राज्यपाल के लिये कोई आच करना आवश्यक नहीं है,<sup>३</sup> और इस खंड के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के लिय कारण व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। परन्तु राज्य सेवाओं के व्यक्तियों के विरुद्ध निंदा प्रथवा वेतन कटियों पर रोक लगाने के प्रतिरिक्त किसी अन्य शास्ति देने के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

किन्तु जब कि राज्यपाल ने अनुच्छेद ३०६ के अन्तर्गत कोई नियम बनाये हो और नियमों के अन्तर्गत अग्रसर हुआ हो, असलतः राजस्थान असनिक सेवाएँ (राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव) नियम १६५४, तो उन नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिये, और यदि उन नियमों की आवश्यकताएँ पालन नहीं की गई हैं तो राज्यपाल वापिस इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का आश्रय नहीं ले सकता।<sup>४</sup>

किन्तु तत्सली राज्यपाल की व्यक्तिगत तत्सली हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि अनुच्छेद १६६ की अनुपालना में इसका उपयोग किया गया हो तो पर्याप्त होगा, क्यों कि किसी राज्य कमचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना राज्य सरकार की अधिशासी शक्ति है।<sup>५</sup> तत्सली का आधार राज्य कमचारी का पूर्व अरिप, राज्यपाल द्वारा जारी किये गये आदेश से पहले के आचरण सहित

१ उपरोक्त नोट ४ पृष्ठ १२२

२ करण सिंह बनाम मातायात आयुक्त ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५३

३ मरेंद्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९६२ कलकत्ता ४८१; सत्येन्द्र बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६२ पंजाब ४००

४ बालकोटिहा बनाम भारतीय सघ (१९५८) एस सी आर १०५३, मीनन बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ११६०

५ सत्येन्द्र बनाम भारतीय सघ ए आई आर. १९६२ पंजाब ४०० कपूर सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४६३

हो सकता है,<sup>१</sup> अथवा राज्य कमचारी की विध्वंसक कार्यवाहियाँ हो सकती हैं।<sup>२</sup> परन्तु माम्बानी के ही राजनैतिक कार्यवाहियों में भाग लेना, विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेना नहीं समझा जावेगा जब तक कि माम्बानी के मायता प्राप्त राजनैतिक संघटन हाना जाय रहता है।<sup>३</sup> जब कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति का आदेश द्वारा, प्रायों का तुल्य सेवा से बर्खास्त कर लिया गया, तो नियमों द्वारा कि पूरे राष्ट्रपति ने घोषित आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण अनुच्छेद ३१० व अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत ( २ ) के प्रतिबन्धनात्मक संघटन द्वारा प्रस्तुत कि कि के अन्तर्गत दा या अन्तर्गत कथित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।<sup>४</sup>

२० सरकार के अलावा अन्य अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आदेश अर्थात् न्याय सेवाओं और लखक वर्गीय सेवाओं के मामलों में सरकार को सूचित की जायेगी और चतुर्थ श्रेणी की सेवा के मामलों में अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आदेश अन्तर्गत उच्चतर प्राधिकारी को सूचित की जावेगी।

### टिप्पणी

यह नियम निर्धारित करता है कि अनुशासन सुव्यवस्था प्रत्येक मामले में अनुशासन प्राधिकारी (राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व) अपनी आदेशों का प्रतिनिधि (i) अर्थात् सेवा अथवा (ii) लखक वर्गीय सेवा की दृष्टि में राज्य सरकार का और चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों के विषय में निम्नलिखित उच्चतर प्राधिकारी को प्रेषित कर सकता है। यह नियम निष्ठात्मक है, आदेशात्मक नहीं। आदेशों का आदेश सूचित नहीं करने से कार्यवाही अथवा नहीं होती, न इससे राज्य कमचारी के किसी अधिकार का हनन होता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि अर्थात् न्याय प्राधिकारियों द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों का पुनरावलोकन राज्य सरकार समय समय पर कर सके।

सरकार के प्रतिनिधित्व निम्न अनुशासन प्राधिकारों द्वारा राज्य सेवा के व्यक्तियों के मामलों के विषय में यह नियम कुछ नहीं कहता आदेश एसी आदेशों सरकार को सूचित की जावे अथवा नहीं। अन्य सेवाओं की समानता को देखते हुए यह उच्चतर आदेश यदि एसी आदेशों राज्य सरकार को सूचित की जावे ताकि दोषी अधिकारी द्वारा अर्थात् न्याय करने की आदेशों में सरकार आदेशों का पुनरावलोकन कर सके।

१ बाला क्रांति नाम भारतीय संघ ० आई आर. १९५० सर्वोच्च न्यायालय २३२

२ मनन बनाम भारतीय संघ ए. आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ११६०

३ टाररोकर नाम २

४ बगलाच दाजीबा बनाम महालेखापाल, बम्बई, ए. आई आर. १९५० बम्बई ३०३

## भाग ६

### अपीलें

२१ सरकार द्वारा दी जाने वाली आज्ञाओं को अपील नहीं — इस भाग में कुछ भी समावेश होने के बावजूद, सरकार द्वारा नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू करने की किसी भी आज्ञा को अपील नहीं होंगी।

### टिप्पणी

राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ में राज्य सरकार उच्चतम एवं अंतिम अपील न्यायालय है। परन्तु यह नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई आना मौखिक अथवा अपील क्षेत्र में राज्य सरकार जारी करती है और नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाती है, तो ऐसी आज्ञा को अपील नहीं की जा सकेगी। किन्तु ऐसी आज्ञा का पुनरावलोकन सरकार स्वयं कर सकती है। जब कि सरकार द्वारा जाच की जाने का प्रभाव अपील के हक को हटाने के लिए होता है, तो नियम द्वारा सरकार ने स्वयं ने जाच की और यद्यपि इसका प्रभाव अपील को अपील से वंचित करना होता तो भी इससे कायवाही दूषित नहीं हुई।<sup>१</sup> उच्च न्यायालय का यह काम नहीं है कि सरकार अथवा उसके पदाधिकारियों द्वारा की गई जाच के विरुद्ध अपील में बटे। उच्च न्यायालय कोई अपील की अदायगी नहीं है परन्तु वह यह नियम देने से संबंध रखती है कि आया जाच करने वाला प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये सक्षम था और आया जाच निर्धारित काय प्रणाली के अनुसार की गई और आया सामान्य न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।<sup>२</sup>

**उपचार (रेमेडीज) —** एक सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अंतर्गत निम्न उपचार उपलब्ध हैं—

(क) अपील (नियम २१ से २१)

(ख) पुनरावलोकन, (नियम २२ व २३) एवं

(ग) राज्यपाल द्वारा पुनरावलोकन (नियम ३४)

उपरोक्त उपचारों के अलावा एक सरकारी कर्मचारी को निम्न दो प्रकार के उपचार न्यायालयों द्वारा मिल सकते हैं —

(क) दावा, एवं

(ख) रिट याचिका

१ श्री जीन बनयान बनाम प्रा.प्र. प्रदेश सरकार, ए. आई. नं. १२६३ इलाहाबाद १५४

२ प्रा.प्र. प्रदेश सरकार बनाम ए.आई. श्री रामाराव ए. आई. नं. १२६३ सर्वोच्च न्यायालय १७२३, प्यारा सिंह मुलेता बनाम पंजाब सरकार, ए. आई. नं. १२६३ पंजाब ३।

1) अगर किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी का पेंशन बढ़ कर दी गई है या दी नहीं गई है या कम कर दी गई है तो वह अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए दीवानी याचन में दावा कर सकता है।<sup>१</sup>

(५) अगर किसी कर्मचारी को नियुक्ति नियमित रूप में हुई है तथा उसे सेवा से पदवी किसी अन्य व्यक्ति का पुनः स्थापन करने के कारण दिया जा रहा है तो एम कर्मचारी द्वारा घोषणा करने के लिए दावा किया जा सकता है।<sup>२</sup>

परन्तु अगर किसी कर्मचारी को प्रभोल के समय में सेवा से निवृत्त कर दिया गया हो तो वह सेवा में बन रहने के लिए दावा नहीं कर सकता।<sup>३</sup> इसी प्रकार अगर किसी कर्मचारी को ऊपर के पद पर प्नापन नहीं किया गया है तो प्नापन प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर सकता।<sup>४</sup>

**रिट याचिकाएँ** — किसी दिवानी याचन में दावा करने के अलावा राज्य कर्मचारी अपने अधिकार अनुच्छेद ३२ या २२६ के अन्तर्गत सर्वोच्च याचन या उच्च याचन मंत्रि याचिका दायर कर प्राप्त कर सकता है। किसी कर्मचारी को अगर पदच्युत या सेवाच्युत कर दिया गया है तो वह नियमा के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। अगर सरकारी कर्मचारी प्रभोल में न जाकर रिट याचिका द्वारा अपील पर लागू शान्ति हटवाना चाहता है तो उच्च याचन ऐसी याचिका सुनने से मना कर सकता है।<sup>५</sup> जब किसी नियमा या अधिनियम में अशान्ति के प्रावधान हो तो पहले उनसे अन्तर्गत प्रभोल करने चाहिए। परन्तु नियमों में लिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अन्तर्गत अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत रिट याचिका दायर की जाती है तो उसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी को पहले दीवानी याचन में दावा प्रस्तुत करना चाहिए था।<sup>६</sup> सिफ़ उससे मूलभूत अधिकार या अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों का उल्लंघन होना ही उच्च याचन से याचिका द्वारा अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।<sup>७</sup> सिफ़ नियमों के उल्लंघन मात्र से उच्च याचन को अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए,<sup>८</sup> बल्कि उच्च याचन को एम मामलों में हस्तान्तरण मन्त्र गति से करना चाहिए।<sup>९</sup> परन्तु

- १ गुरूपरमिह बनाम मधु सरकार, ए आई आर. १९६२ पृष्ठ ८, एक विपरीत रूप में लिए सज्जनम् बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर. १९६३ मद्रास ४९६ एवं १।
- २ मक्केना मन्माया बनाम मक्केना तिरुवतया ए आई आर. १९५२ मद्रास ८६५।
- ३ रामनाथ बनाम मधु सरकार, ए आई आर. १९६३ राजस्थान ५७।
- ४ हाई कोर्ट कर्तव्यता बनाम प्रमल कुमार, ए आई आर. १९६२ सर्वोच्च याचन १७०४।
- ५ मुवाई बनाम मधु सरकार, आई एल आर. १९५३ राजस्थान १२३ जिद्वरण माल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५१ राजस्थान १३४।
- ६ सौभाग्यम बनाम सरकार, आई एन आर. १९५४ राजस्थान ७३३ वा एम येने बनाम पपमू सरकार ए आई आर. १९५३ पपमू १९६, एम महेन्द्रसिंह बनाम पपमू सरकार, ए आई आर. १९५५ पपमू १०६।
- ७ जगन्नाथ सिंह बनाम अमिन्स्टेन एक्साइज कमीशन, ए आई आर. १९५६ इलाहाबाद ७०१।  
 घानन् स्वयं भटनागर बनाम राज्य सरकार १९६५ आई एन आर २७२।
- ८ एम एन केसवन् नायर बनाम टाउनशोर देवस्थान बोर्ड, ए आई आर. १९५६ केरल २१।
- ९ भिर्गाराम भानिया बनाम मधु सरकार, ए आई आर. १९५६ पृष्ठ ६४।

भगर सरकारी कमचारी का इस कारण पदच्युत किया गया कि उसका चरित्र ठीक नहीं है और सार्व्य के अभाव में ऐसा नियम किया गया है तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद २२६ के अंतगत यह जांच कर सकता है कि क्या राज्य सरकार का नियम जिस पर नि पदच्युति का अदेश निभर है निमी भा गहादत द्वारा अनुमोन्नित नहीं है।<sup>१</sup> परंतु गहादत के हाने पर अनुच्छेद २२६ के अंतगत याचिका प्रस्तुत होने पर उच्च न्यायालय गहादत का पुनरावलोकन कर किसी स्वतंत्र नियम पर नहीं पहुँच सकता।<sup>२</sup> रिट याचिका दायर करने के लिए कोई निमत अवधि नहीं है।<sup>३</sup> भगर रिट याचिका देरी से प्रस्तुत करने का कारण सतोपजनक है तो उच्च न्यायालय उस पर विचार करना स्वीकार कर सकता है।<sup>४</sup> परंतु भगर प्राचीं सतोपजनक कारण प्रस्तुत नही कर सकता तो अधिक देरी हो जाने पर उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने से मना कर सकता है।<sup>५</sup> कुछ मामला में जब डेढ़ साल से ज्यादा समय की देरी हो चुकी थी तो उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद २२६ के अंतगत रिट याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया।<sup>६</sup>

२२ निलम्बन की घाजा के विरुद्ध अपीलें — राज्य कमचारी निलम्बन की घाजा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समझ कर सकता है जिसका निलम्बन की घाजा जारी करने वाला प्रयत्न ऐसा समझा जाने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ हो।

### टिप्पणी

जब कि नियम १३ के अंतगत निमी सभ प्राधिकारी द्वारा कोई राज्य कमचारी निलम्बन किया जाता है तो ऐसे राज्य कमचारी की निलम्बन की घाजा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार लिया गया है। यद्यपि निलम्बित कमचारी को अपील करने का अधिकार प्रदान किया है फिर भी निलम्बन कोई शास्ति नहीं है।<sup>७</sup> जो राज्य कमचारी विभागीय जांच अथवा याचिक कायवाही के

- १ सभ सरकार बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३६४
- २ आ.प्र प्रदेश सरकार बनाम एस सी रामाराव, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १७२३
- ३ एस महेद्रसिंह बनाम पेपसू राज्य, ए आई आर १९५५ पेपसू १०६
- ४ रूपसिंह देवीसिंह बनाम सवानक पचायत एवं समाज सेवा ए आई आर १९६२ मध्यप्रदेश ५०  
 ५० बानूराम उनाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५० इलाहाबाद ५०४  
 रामचंद्र महेद्वरी बनाम भोपाल राज्य ए आई आर १९५४ भोपाल १२५ पी ए  
 अहमद खा बनाम गवर्नर कोकोन राज्य ए आई आर १९५६ टी सी ३५ पूनमाराम  
 बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५९ राजस्थान ६५४
- ५ गयाराम भाटिया बनाम सभ सरकार ए आई आर १९५९ पजाब ५४३
- ६ गजराज सिंह भेर्बसिंह बनाम, मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २९९  
 भगवानदास बनाम सोनियर सुप्रि ट्रेडेंट, ए आई आर १९५६ पटना २३ योगम गोरसिंह  
 बनाम सभ सरकार, ए आई आर १९६२ मणिपुर ५२ अलताफुर रहमान बनाम क्लेक्टर  
 सेंट्रल एक्साईज, ए आई आर. १९६० इलाहाबाद ५५१ सुरेद्रनाथ बनाम चीफ क्लर्क  
 आफ फरिस्ट ए आई आर १९५० पजाब १९ अमरेन्द्रचंद्र देव वर्मा बनाम सपीय क्षेत्र  
 ए आई आर १९६१ त्रिपुरा २९
- ७ नियम १३ के नीचे दी गई टिप्पणी भी देखिये -

श्रेयस निश्चित किया गया हो उनका पत्र धारण करना समाप्त नहीं हो जाना, वह केवल फिलहाल अन्न पत्र की गतिविधि प्रयोग करना एवं कार्यालय का काम करना पत्र करना है। वह उम्मीद अनुमानन एवं उम्मीद प्राधिकारियों के अधीन रहना जारी रहता है। नियम २० (१) के अन्वयन अर्पोल प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा अर्थात् नियम १३ के प्रावधानों के अनुसार और मामलों का परस्मिन्तया का ध्यान में रखा है। नियम २० (१) के अन्वयन अर्पोल प्राधिकारी का ध्यान में रखा है। जहाँ निश्चित राज्य कर्मचारी नियुक्ति किया जायगा ता उन नियम २३ के प्रावधानों के अनुसार पुनः अर्पोल करने का अधिनियम होगा।

२३ शास्त्रियों देने की आज्ञाओं को विरुद्ध अर्पोल — (१) पुलिस विभाग, आर ए सी महिन, की अधीनस्थ सेवा का सदस्य या लेख वर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई भी सदस्य, नियम १८ में निर्दिष्ट कोई भी शास्त्र लागू किय जाने पर, उस प्राधिकारी के समक्ष उक्त आज्ञा के विरुद्ध अर्पोल कर सकेगा जिसका शास्त्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी निवृत्ततम अधीनस्थ है, जब तक कि सरकार किमा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई अन्य प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं करे।

परन्तु साथ ही, लेख वर्गीय सेवा अथवा चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध, गवर्न की जाच के मामले के सम्प्रभ में विभागीय जाच के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैमियत से, नियम १८ में निर्दिष्ट कोई शास्त्र लागू किय जाने की आज्ञा जारी हुई हो तो वह सम्प्रभित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अर्पोल कर सकता है।

परन्तु साथ ही यह भी कि, लेख वर्गीय सेवा अथवा चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध गवर्न की जाच के मामले के सम्प्रभ में, गवर्न के मामलों की जाच के लिये विभागाध्यक्ष/सहायक आयुक्त विभागीय जाच द्वारा कार्यालयीय जाच की हैमियत से, नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्त्र लागू किय जाने की आज्ञा जारी हुई हो तो वह विभागीय जाच के आयुक्त के समक्ष अर्पोल कर सकता है।

(२) पुलिस विभाग जिसमें आर ए सी सम्मिलित है के अतिरिक्त अधीनस्थ सेवा का सदस्य - निम्न लिखित के समक्ष अर्पोल कर सकता है —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष जिनके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध,

(ख) सरकार के समक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध, जिनमें नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्त्र उस पर लागू की गई हो।

परन्तु साथ ही अधीनस्थ सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध गवर्न की जाच के मामले के सम्प्रभ में विभागीय जाच के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैमियत

१ अधिसूचना संख्या एफ २(१) नियुक्ति ए/६० अथ ३ दि० १६-६-६० एच ८-१-६१

२ अधिसूचना संख्या एफ ३(३) नियुक्ति (ए) ए अथ ३ दिनांक २६ अथ ३ १९६० द्वारा जारी गया तथा ६-७-६१ में संशोधन म होगा

३ अधिसूचना सं० एफ २(१) नियुक्ति(ए २)/६३ दि० १६-६-६० द्वारा जारी गया

४ अधिसूचना सं० एफ ३(१) नियुक्ति(ए ३)/६० दि० १६-६-६० एवं ६-१-६१ द्वारा जारी गया

से नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाने की कोई आज्ञा हुई हो, तो वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अपील कर सकता है ।

(३) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति की आज्ञा सरकार के प्रतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी ने जारी की हो तो वह ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील सरकार के समक्ष कर सकता है ।

परन्तु साथ ही राजस्थान 'यायिक' सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध पृथकीकरण अथवा पदच्युति के प्रतिरिक्त नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति की आज्ञा किसी प्राधिकारी ने जारी की हो तो वह अपील केवल ऐसी समिति<sup>२</sup> के समक्ष कर सकता है जिसमें मुख्य 'यायाधीश' एवं उसके द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के दो 'यायाधीश'<sup>३</sup> होंगे ।

परन्तु साथ ही यह भी कि राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध ग़मन की जाच के मामले के सम्बन्ध में विभागीय जाचों के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैसियत से प्रत्यायुक्त प्राधिकार के अन्तर्गत नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाने की आज्ञा जारी हुई हो, तो वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अपील कर सकता है ।

(४) चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामलों के प्रतिरिक्त, नियम १४ के खंड (४) से (७) में निर्दिष्ट कोई शास्ति, अपील प्राधिकारी द्वारा जारी दी जाने की आज्ञा के विरुद्ध अंतिम अपील सरकार के समक्ष की जासकेगी, और सरकार उस पर आज्ञा प्रदान करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श करेगी ।

परन्तु साथ ही यह कि सिविल प्रौर सत्र न्यायालयों के लेखक वर्गीय सेवाओं के मामलों में अंतिम अपील उच्च न्यायालय में होगी ।

(५) उपनियम (१) से (३) में कुछ भी होने के उपरान्त नियम १८ के अन्तर्गत सम्युक्त कायवाही में दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष होगी जिसका उक्त कायवाही के प्रयोजनाय काम करने वाला अनुशासन प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ हो ।

(६) जब कि इस नियम के अन्तर्गत अपील सरकार के समक्ष होती हो तो उस पर नियम लोक सेवा आयोग से परामर्श जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो,<sup>२</sup> करने के पश्चात् लिया जायगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम में अभिव्यक्त, "प्रसैनिक सेवा का सदस्य" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसकी सेवा की सदस्यता समाप्त हो चुकी हो ।

१ अधिसूचना सख्या एक ३(३) नियुक्ति (ए ३)/६० दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया तथा दिनांक ६-७-५६ से प्रभाव में होगा ।

२ अधिसूचना सख्या एफ ३(१) नियुक्ति ए/६३ दिनांक ६/१२ मई १९६४ द्वारा जोड़ा गया ।

३ अधिसूचना सख्या एक ३(१) नियुक्ति (ए) ६० प्रूप (III) दिनांक २७ अक्टूबर १९६० द्वारा जोड़ा गया एवं इसी क्रमान की अधिसूचना दि० ६ जनवरी १९६१ द्वारा संशोधित किया गया ।



### टिप्पणी

नियम १४ में उल्लिखित गतिविधियों का प्रान्तिको व विभिन्न प्रान्तों में प्रान्तिकारियों व मजदूरों का मत है उसका निर्धारण इस नियम में किया गया है। इस नियम का नियम २१ व साथ पढ़ना चाहिए जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा जारी का गई विज्ञापन प्रान्तिको का प्रयोग नही होगा। इस नियम व प्रावधानों व अनुसार प्रान्तों में इस प्रकार या जा सकता है —

क्षेत्र	मौलिक प्रान्त	प्रथम प्रान्तिक विभाग के काम होगा (नियम १४ में किसी भी शक्ति व विवरण)	द्वितीय प्रान्तिक विभाग के काम होगा (नियम १४ के खंड (४) व (७) तक का शक्ति व विवरण)
१	२	३	४
राज्य सेवा का मन्त्र	सरकार के प्रतिरिक्त वार्ड अधिकारी	राजस्थान न्यायिक सेवा के मामले में प्रान्त मुख्य 'जायादात' एव समक द्वारा मनानीत राजस्थान उच्च न्यायालय के 'जायादात' को सम्मानित होगा यदि शक्ति सेवा में पुनरावरण प्रदान पञ्चुति के प्रलावा कोइ प्रय है।	सरकार
प्रधानीय सेवा का मन्त्र (पुलिस विभाग एव प्रान्तिको की के प्रतिरिक्त)	नियुक्ति अधिकारी का निवृत्तम प्रान्तिको	नियुक्ति अधिकारी	सरकार
प्रधान विभाग मन्त्र ए सी की अधीनस्थ सेवा का मन्त्र	अनुशासन अधिकारी	अधिकारी जिसका शक्ति देने वाला अधिकारी निवृत्तम प्रदानम्प है।	सरकार
नेशनल वर्गीय सेवा का मन्त्र	, , , ,	, , , ,	सरकार [ सिविल एव सैन्य न्यायालय के व्यक्ति होने की दशा में उच्च स्थापना ]

१	२	३	४
धनुष ध री सेवा का सदस्य	धनुषासन प्राधिकाश	प्राधिकाश जिनका घास्त्रि देने काला प्राधिकाश निवृत्ततम धधोनस्य है	—
समस्त मेघार् (जब घाज्ञा नियम १८ के धनगत की गई हो)	.	"	सरकार
गवन की जाच सम्बन्धी मामलों के धिषय में —			
राज्य सेवा का सदस्य	धायुक्त विभागीय जाच	प्रशासन विभाग में सरकार	—
धधोनस्य सेवा का सदस्य	"	"	—
समस्त वर्गीय सेवा का सदस्य	"	"	—
समस्त वर्गीय सेवा का सदस्य	विभाधिकाशरी, गवन की जाच के मामलों के धधवा सहायक धायुक्त विभागीय जाच	धायुक्त, विभागीय जाच	प्रशासन विभाग में सरकार
धनुष्य ध री सेवा का सदस्य	धायुक्त, विभागीय जाच	प्रशासन विभाग में सरकार	—
"	विभाधिकाशरी, गवन की जाच के मामलों के धधवा सहायक धायुक्त, विभागीय जाच	धायुक्त विभागीय जाच	—

प्रथम धपील राज्य सरकार की होने की दशा में यह धावश्यक होगा कि इन नियमों के नियम १५ (२) के धनुसार यदि लोक सेवा धायोग से परामथा करना जरूरी हो तो ऐसा परामथा ले लिया जावे ।<sup>१</sup> राज्य सरकार के समस्त ध धिम धपील होने की दशा में, जस पर घाज्ञा जारी करने के पूव समस्त मामला में, सरकार की लोक सेवा धायोग से सलाह लेनी चाहिये । परन्तु जब धपील उच्च न्यायालय की गई हो तो उच्च न्यायालय द्वारा धायोग से परामथा लेना धावश्यक नहीं

१ नियम १५ (२) के नीचे टिप्पणी देखिये ।



२५ अपीलों के लिए मयाद—इस भाग के अन्तगत कोई अपील विचार हनु स्वीकृत नहीं की जायगी जब तक कि वह अपीलान्ट द्वारा जिस आना के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन महीना की अवधि में प्रेषित नहीं कर दी गई हो ।

परन्तु साथ ही यह कि यदि अपीलेट अधिकारी को तसल्ली हो कि अवधि के भीतर अपील प्रेषित नहीं करने का अपीलान्ट के पाम पर्याप्त कारण था, तो वह कथित मयाद समाप्त होने के पश्चात् भी अपील विचार हनु स्वीकृत कर सकता है ।

### टिप्पणी

यह नियम प्रावधान करता है कि जब तक नियम २४ के अन्तगत की गई आना की प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने की तारीख से तीन महीना की मयाद में अपील प्रेषित नहीं की गई हो तब तक दोषी अधिकारी की अपील विचार के लिए स्वीकार नहीं की जायगी । यह समय की अवधि प्रथम एवं द्वितीय दोना अपीला की दगा में लागू होगी । इस नियम में सख्त प्रतिशय प्रावधान करता है की उक्त अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अपीलेट प्राधिकारी कोई अपील स्वीकृत कर सकता है यदि उस यह भरोसा हो जावे कि अपील क्ता उचित कारण से मयाद के भीतर अपील पैग नहीं कर सका था । शान्त 'पयाप्त कारण' का अर्थ उदारता में नगाना चाहिये, ताकि जब प्रार्थी की ओर से कोई अभावधानी या अज्ञमभ्यता न हो और न उसकी मद्भावना में अभाव ही बताया जा सकता हो, तो उस वास्तविक न्याय दिया जायके ।<sup>१</sup> मयाद समाप्त होने की तारीख के बाद अपील प्रस्तुत करने में जो विनम्व हुआ उसका स्पष्टीकरण अपील क्ता को करना होता है परन्तु यदि यह पाया जावे कि वह पूर्वकालीन मफलत या अज्ञमभ्यता का दापी था अथवा उसमें सन्भावना का अभाव था तो अपील प्राधिकारी उसके पक्ष में अपना भविवेक उपयोग में लाने से इन्कार कर सकता है चाहे वह मयाद समाप्त होने की तारीख से विलम्ब का स्पष्टीकरण करने में मफल भी हो जावे ।<sup>२</sup> दोषी अधिकारी द्वारा अपीलेट प्राधिकारी का भ्रमाना लिनाया जाना चाहिये कि निघारित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं कर सकने का पयाप्त कारण था, और यह सदैव माना गया है कि स्पष्टीकरण विनम्व के पूरे कान का हाना चाण्पि अर्थात् उसे अथेक दिन की देर का कारण समझना है ।

यह विचारणीय है कि कानून मयाद १९६३ के अनुच्छेद ११३ के अन्तगत, अवय पदच्युतिया के सब बाद चाहे घोपणा के रूप में ही प्रेषवा च्छे हुए बतन के लिये हो, तीन वर्षों की मयाद के भीतर पैग किये जा सकते हैं ।

**रिट याचिकाएँ तथा विभागीय अपीलें**—यह तथ्य कि विभागीय अपील का कान्पिक न्यायार उपलब्ध होते हुए उसका उपयोग नहीं किया गया, उपरुक्त मामलों में रिट प्राप्त करन क

- १ कृष्णा बनाम चपमान १३ मद्रास २ ९ (फुन बच) जिसका अनुमोदन हुआ शान वधु बनाम जदुमनी ए आई आर (१९५४) सर्वोच्च न्यायालय ४११
- २ भगवत स्वर्ण बनाम राम गोपाल, ए आई आर (१९६८) दवाहावाद ३७८, यह भा दलिय धीताराम रामचरण बनाम एम् एन नगरगिष, ए आई आर (१९६०) सर्वोच्च न्यायालय २६०

निये कोई राश नहीं माना गया ।<sup>१</sup> विभागाय जावा म मवद्ध नियमों के पारन नहीं करने के फलस्वरूप प्रायों का पत्रपत्र हूषा यह कारण मन्त्रिमन्त्र के अनुच्छेद २२६ के अन्तगत "याचालम का अधिपार क्षत्र प्राप्न करने के लिये पत्रपत्र माना गया ।<sup>२</sup> ऐसी याचिका प्रस्तुत करने व लिये कोई समय की अवधि निर्धारित नहीं है फिर भी सामान्यतया याचिका आवदन म मागी गई सहायता क लिये विनाय लारा लानन हान के प्राप्न जहा तत्र "प्रवहाय हो गोत्र ही पत्र कर लेना चाहिये ।<sup>३</sup> यह तथ्य कि याचिका बहुत विनम्र स की गई प्रार्थी का, उच्च "याचालम म अध्याधारण अधिनियम क्षत्र का उपयोग करने हुए महायता मागन म अनधिकृत नहीं बनाता ।<sup>४</sup> एन मामले में डेट मान का विनम्र घातक नहीं माना गया ।

२६ अपील का प्रारूप तथा विषय वस्तु —(१) प्रत्येक अपील करने वाला व्यक्ति अलग अलग और अपने नाम से अपील प्रेषित करेगा ।

(२) अपील उम प्राधिकारी का सम्बोधित हागी जिनके ममक्ष अपील हा सकती हो, उसमें वे सब सारभूत विवरण एव तत्र हागे जिनका आश्रय अपीलकर्ता लेता है उनमें कोई अमानपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह अपने आप में पूरा होगी ।

### टिप्पणी

यह नियम निर्धारित करता है कि अपील किस रूप में प्रस्तुत की जायगी । उपनियम (१) क अनुसार प्रत्येक राय कमचारी अपने खुद के नाम म अपील पत्र करेगा वह अपनी अपील विना काल अथवा इन नियमों क नियम १६ (ख) म उल्लिखित विना अथ राज्य कमचारों क सारभूत प्रेषित नहा करेगा । यदि नियम १८ के अन्तगत विना अनुज्ञत जाव म अनुज्ञामन प्राधिकारी न ल अथवा अधिन राज्य कमचारिया क विरुद्ध शास्त्रिय तत्राज की हा ता प्रत्येक राज्य कमचारा अपनी पुष्क अर्थात् अपने निजी नाम स अपने अपील प्राधिकारी का पत्र करेगा ।

उप नियम (२) प्रावधान करता है कि इन नियमों के नियम २३ म निर्धारित निम्नतम लच्च अपील प्राधिकारी को अपील देण की जायगी । ऐसी अपील म व समस्त सारभूत विवरण एव तत्र हागे जिन पर अपीलकर्ता आश्रय लता है । अर्थात् का कोई विाप अथवा टर्जोवन पात्र इन नियमों द्वारा निर्धारित किया हुआ नहीं है । केवल यह प्रावश्यक है कि उसमें सब प्रावधानों का

१ शास्त्रिय बनाम जा एम एम रतने ए आई आर. १९५३ मद्रास ५४ ए आर एम चौधरी बनाम भारतीय सभ ६० सी इन्डू एन ६३३ डा० श्रुतान्त नाम बनाम गिमला नगर पारिका, ए आर आर. १९५३ पंजाब ८८

२ ए बी एन अन्वन्व बनाम पुनिश महाविद्यालय, ए आई आर. १९५७ नागपुर ८८

३ माहिन्द्र सिंह बनाम पट्टियाका सरकार ए आई आर. १९५५ पेश्व १०६, सुरेन्द्र नाथ बनाम मुन्ड सरकार, वन विभाग ए आई आर. १९५८ पंजाब १६

४ सामन्य मन एव अय बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५८ राजस्थान १६२

वेंकटरु बनाम मद्रास सरकार, ए आर आर. १९५४ मद्रास ५८७

५ वंदिता गोसाताय बनाम जम्बू कदमोर सरकार, ए आई आर. १९५८ जम्बू कदमोर ११

वास्तविक पूर्ति हो जानी चाहिये, अर्थात् विवरण जिन पर अपील आधारित है सारभूत होने चाहिए, और दूसरो बात यह है कि सारे आवदन तर्कों का उसमें उन्नत कर दिया जावे। अपील में कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिये। नियम २७ के अन्तगत अपील उचित प्रणाली के माध्यम प्रेषित की जावे। इसीलिये यह आवश्यक है, कि अपीलकर्ता को ऐसे पदाभिप्रायों के प्रति अपमानभरी भाषा नहीं लिखनी चाहिये, जो उसको अपील, अपील प्राधिकारी को अप्रमत्त करें। अपील की भाषा शिष्ट एवं नम्र निवेदन के रूप में होनी चाहिये। मन्त्रीय सचिवार के ही अग्र हैं। इस लिये मन्त्रीय सचिवार के प्रति राज्य कर्मचारी द्वारा कसब लगाना अपने स्वामी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला होता है और ऐसे कारणों पर स्वामी को अधिकार होगा कि वह कर्मचारी को बर्खास्त कर दे।<sup>१</sup>

२७ अपीलें प्रेषित करना—प्रत्येक अपील उचित माध्यम (प्रणाली) द्वारा उस अधिकारी को प्रेषित की जायगी जिसने वह आज्ञा प्रदान की थी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

परन्तु यह कि यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय का अध्यक्ष नहीं है जिसमें अपीलकर्ता काम कर रहा हो या यदि वह सेवा में नहीं हो तो अपील उस कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित की जायगी जिसमें वह अन्तिम बार काम कर रहा था, या जिसके अधीनस्थ अब वह नहीं है तो अपील ऐसे कार्यालय/अध्यक्ष के पास प्रेषित कर दी जायगी जो उस तुरन्त ही ऐसे कथित प्राधिकारी को अग्रसर कर देगा।

परन्तु यह भी कि अपील की एक प्रतिलिपी अपील अधिकारी को सीधी भेजी जा सकती है।

## टिप्पणी

यह नियम यह मित्रात स्थापित करता है कि सब अपीलों चाहे प्रथम हो अथवा अन्तिम अपील अधिकारी की उचित प्रणाली के माध्यम से भेजी जायेंगी। सबधित प्राधिकारी को नियम २८ के अन्तगत जो विशेष अधिकार दिये हैं उनको दृष्टिगोचर करत हुए विभागीय जाच में यह प्रावधान आवश्यक है। प्रथम प्रतिबन्धन उपखंड के अनुसार, यदि आज्ञा तहसीलदार द्वारा जारी की गई हो और अपील जिलाधीन को दायर करनी हो, तो राज्य कर्मचारी अपील तहसीलदार के सामने प्रस्तुत करेगा, जो अपनी टिप्पणी सहित जिलाधीन को अग्रसर कर देगा। यदि किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण अन्य तहसील में हो गया हो तो ऐसा अब तहसीलदार उसको अपील जिलाधीन को भेजेगा। किसी व्यक्ति के सेवा निवृत्त हो जाने की दशा में, वह भी अपनी अपील ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से भेजेगा जिसमें वह अन्तिम बार नौकरी करता था। द्वितीय प्रतिबन्धन में व्यक्त किया गया है कि अपीलकर्ता अपील की एक प्रतिलिपी अपील, प्राधिकारी को सीधी भी भेज सकता है। यह आवश्यक है कि यदि उचित प्रणाली का उपयोग नहीं हो अन्य प्राधिकारी द्वारा

१ नगमोहनदास जगजीवनदास मोठी बनाम गुजरात सरकार, ए आई धार १९६२ गुजरात १९८, रामेश्वर राव बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई धार १९५६ उड़ीसा ९९, प्रतापसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई धार. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२

अपील रोक ली जाय, तो अपील अधिकारी अपने आप अपील पर कायवाही प्रारम्भ कर सकता है ।

२८ अपीलें रोक लेना — (१) जिस आज्ञा की अपील की गई है उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अपील को रोक सकता है यदि—

- (i) अपील ऐसी आज्ञा के विरुद्ध है जिसकी कोई अपील नहीं होती या
- (ii) उसमें नियम २६ के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, या
- (iii) उसे नियम २५ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रेषित नहीं किया है और विलम्ब के लिये कोई कारण व्यक्त नहीं किया गया है, या
- (iv) वह पहले से तयशुदा अपील की पुनरावृत्ति है और उसमें कोई नये तथ्य या परस्थितियाँ नहीं बताई गई हैं ।

परन्तु यह कि जा अपील केवल इस आधार पर रोकली गई हो कि उसमें नियम २६ के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, ता वह अपीलकर्ता का लौटा दी जायगी, और यदि वह एक महीने के भीतर उन प्रावधानों का पालन करने के परचात पुन प्रेषित करदे, तो वह रोकनी नहीं जायगी ।

(२) जब कोई अपील रोकनी गई हो, तो अपीलकर्ता को इस तथ्य से मय इसके कारणों के सूचित किया जायगा ।

(३) प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में, किसी प्राधिकारी द्वारा पिछली तिमाही में रोकनी गई अपीलों की एक सूची मय उक्त रोकने के कारणों के उस प्राधिकारी द्वारा अपील प्राधिकारी को भेजी जायगी ।

## टिप्पणी

राज्य कर्मचारी को नियम २७ के अन्तगत अपनी अपील उचित प्रणाली के माध्यम से प्रेषित करनी पता है । इसका तात्पर्य यह है कि अपील सब प्रथम उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी जिसके ऐसी आज्ञा प्रदान की थी । ऐसा प्राधिकारी अपील का रोक सकता है यदि वह अपील नियम २३, २५ या २६ में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है अथवा वह तथ्य से ही तयशुदा अपील की पुनरावृत्ति मात्र हो और कोई नये तथ्य या परस्थितियाँ नहीं बताई गई हों । जमा अपील प्रदान कारणों से ही रोकनी जाना चाहिए और उस कारणों से दावे अपील को सूचित करना चाहिए । रोकने वाले प्राधिकारी का अन्तगतम नहीं होना चाहिए और अपील का धुर दिमाग से जाचना चाहिए ।

२९ अपीलें भेजना — (१) वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है और जो नियम २८ के अन्तगत रोकनी नहीं गई है, ऐसी प्रत्येक अपील को, बिना परिहाय (टालने योग्य) विलम्ब के, उस पर अपनी टिप्पणी एवं सारमूल रेकड सहित अपील प्राधिकारी को भेज देगा ।

(२) वह प्राधिकारी जिसको अपील होती हो आदेश दे सकता है कि नियम २८ के अंतर्गत कोई रोक दी हुई अपील उसके पास भेज दी जावे, जिस पर उक्त अपील रोकने वाला प्राधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी एवं सारभूत रेकॉर्ड सहित उस को भेज देगा।

### टिप्पणी

इस नियम में स्थापित किया गया है कि अपीलों तथा समब शीघ्र अपील अधिकारी को भेज दी जावे। उस प्राधिकारी को जिनकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है, दापी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों के विषय में अपनी आज्ञाचना एवं ऐसे मामले में संबंधित अभिलेख भी अपील के साथ भेजने चाहिये। यदि अपील वापिस ले ली गई हो तो ऐसी दशा में उसे अपील प्राधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उप नियम (२) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी को यह शक्ति दी गई है कि वह अपील भेजने के लिए आदेश दे सकता है। यह प्रावधान स्पष्ट एवं पक्षपातहीन याव हेतु आवश्यक है। यदि नीचे के प्राधिकारी ने लम्बे समय से अपील रोक रखी हो, तो दापी अधिकारी अनाल प्राधिकारी को रेकॉर्ड प्रेषित करने का आदेश देने हेतु प्रार्थना कर सकता है। ऐसा वायवाही होने पर भी अपील को रोक रखने वाला प्राधिकारी अपील करने वाले राज्य कमिश्नर द्वारा व्यक्त अपील के आधारों पर अपनी टिप्पणी लेखबद्ध करने के लिए स्वतंत्र होगा।

३० अपीलों पर विचार—(१) निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील होने की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि प्राया नियम १२ के प्रावधानों के प्रकाश में तथा मामले की परस्थितियों को ध्यान में रखने हुए, निलम्बन की आज्ञा न्यायोचित है अथवा नहीं एवं तदनुसार उक्त आज्ञा को पुष्ट अथवा निरस्त करेगा।

(२) नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील होने की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि—

- (क) प्राया इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, और यदि नहीं तो प्राया ऐसे अपालन के फलस्वरूप सविधान के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय की विफलता हुई है,
- (ख) प्राया जिन तथ्यों के आधार पर आज्ञा जारी की गई वह स्थापित (सिद्ध) हो चुके हैं,
- (ग) प्राया स्थापित तथ्य जारी की गई आज्ञा को न्यायोचित ठहराते हैं और
- (घ) प्राया दी गई शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है तथा यदि प्रायोग से उस मामले में परामर्श करना आवश्यक हो तो ऐसे परामर्श क पश्चात् आज्ञा जारी करेगा—

- (1) शास्ति को निरस्त करने, कम करने, पुष्ट करने अथवा बढ़ाने की अथवा
- (ii) मामले का उस प्राधिकारी के पास जिसने शास्ति दी थी या किसी अन्य



प्राधिकारी के पास वापिस भेजने की और माय ही मामले की परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जसा उचित समझे वसा आदेश देगा

परन्तु यह कि —

- (i) अपील प्राधिकारी ऐसी कोई बर्धित शास्ति नहीं लगायेगा जिसे न तो वह स्वयं न वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई थी, लागू करने में समक्ष है
- (ii) शास्ति बढान की कोई आज्ञा तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसी बर्धित शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर नहीं द दिया गया हो
- (iii) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित शास्ति नियम १४ के खड (६) स (७) में निर्दिष्ट कोई शास्तिया में से एक है, और मामले में नियम १६ के अंतगत कोई जाच पहल स की हुई नहीं हो ता नियम के प्रावधानों के अधीन रहते, वह स्वयं ऐसी जाच करेगा अथवा ऐसी जाच परवान का आदेश देगा, और तत्पश्चात् ऐसी जाच की वायदाही पर विचार करन पर और ऐसी शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन दान का अनुसर अपीलकर्ता को दान के बाद वह जमी उचित समझे वसी आज्ञा जारी करेगा ।

• राजस्थान सरकार का निणय — इस विभाग के इसी क्रमांक के परिपत्र न्नांक ६ दिम्बर १९६२ पर, जिसमें मृतक राज्य कर्मचारी के पीछे उसके वध प्रतिनिधिया का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का पाछा करन का अधिनार निर्धारित हुआ है प्रागे जाच की गई है । दस जाच के फलस्वरूप यह निणय लिया गया है कि राजस्थान अमनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अंतगत अपील के मामले में समाप्ति तथा प्रतिस्थापना के अधिनार का प्रश्न नहीं उठता, राज्य कर्मचारी की मृत्यु के वायजू, अपील प्राधिकारी को मृतक राज्य कर्मचारी के उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों को बिना फरीक बनाये इन नियमों में निर्दिष्ट तरीके से अपील का निपटारा करना चाहिये ।

२ अत उपरोक्त विभागीय परिपत्र का निरस्त करत हुए यह निणय किया गया है कि ऐसी परस्थितियों में अपील प्राधिकारी का सनाह दी जायगी कि राज्य कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत एव अभिलेख में उनके उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, परन्तु मामले में मृतक के उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों का फरीक बनाये बिना, राजस्थान अमनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमों, १९५८ के नियम ३० द्वारा निर्धारित तरीके से अपील का निपटारा करना चाहिये

नि मदेह वस्तुस्थित को प्रकृति से ही, ऐसे मामलों में रिमांड (वापसी) अथवा शास्ति को बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी।

### टिप्पणी

यह नियम उन मिद्वानों का गठन करता है जिन पर अपील प्राधिकारी उसके समक्ष विचारणीय अपील पर फरमा करने में पहले गौर करेगा। अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियम १३ के अंतर्गत निलम्बन की आज्ञा जारी की गई हो तो उस दशा में अपील नियम २२ में उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष होगी। ऐसा अपील प्राधिकारी विचार करेगा आया (१) नियम १३ के प्रावधानों के प्रकाश में, अथवा (२) मामले को परीक्षितिया का ध्यान रखते हुए निलम्बन की आज्ञा उचित है या नहीं। अपील प्राधिकारी आज्ञा को पुष्टि कर सकता है अथवा उसे निरस्त कर सकता है, परन्तु नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति यह नहीं दे सकता। अपील प्राधिकारी का वक्तव्य यह देखने का है आया मामले की परीक्षितिया में निलम्बन आवश्यक है अथवा नहीं। अपील प्राधिकारी यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि प्रत्येक अनुशासनत्मक प्रक्रिया से पूर्व या किसी फौजदारी मुद्दमा विचाराधीन रहते, निलम्बन आवश्यक नहीं है। यदि निलम्बन दण्ड स्वरूप हुआ है, तो अपील प्राधिकारी निलम्बन आज्ञा निरस्त कर सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में नियम १६ या १७ (जना भी मामला ही) का अनुसरण करना आवश्यक होता है।

नियम १४ में निर्दिष्ट किसी भी शास्ति की आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने की दशा में, प्रथम अथवा अंतिम अपील प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा आया उक्त आज्ञा उन नियम (२) के खण्ड (क) से (घ) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है अथवा नहीं। अपील प्राधिकारी को देखना है कि नियम १६ या १७ में निर्धारित प्रक्रिया का पालन पूरातया हुआ है अथवा नहीं या प्रक्रिया का पालन नहीं करने से सविधान के अनुच्छेद ३११ के कोई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। आया तथ्य स्थापित (मिड) हुए थे या नहीं और यदि तथ्य स्थापित हो चुके थे तो आया अपील करने वाले राज्य कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी शास्ति लागू करने के लिये वे पर्याप्त थे। आया दी गई शास्ति ऐसी है जो नियम १४ में निर्धारित है, और आया उक्त शास्ति प्रत्यधिक है पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है। प्रथम अथवा अंतिम अपील राज्य सरकार की होनकी दशा में, कोई आज्ञा जारी करने से पूर्व सरकार आयोगसे परामर्श लेगी। ऐसा परामर्श लेना नियम १५(२), २३(६) या २ (४) में उल्लिखित मामलों के लिये आवश्यक होता है। प्रत्येक मामले में सरकार का आयोग की सम्मति से सहमत होना आवश्यक नहीं है। अपील प्राधिकारी राज्य कर्मचारी को दी गई शास्ति निरस्त कर सकता है या हल्की कर सकता है या बढ़ा भी सकता है। दंड देने वाले प्राधिकारी को वह मामला वापिस भी भेज सकता है। वह दंड देने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी को भी ऐसे आदेशों सहित मामला भेज सकता है जो मामले की परीक्षितिया को देखते हुए वह उपयुक्त समझे। जिस प्राधिकारी के पास मामला रिमांड होकर आया है वह उसका निरूपण अपील प्राधिकारी के आदेशों को दृष्टिगोचर करते हुए करेगा।

शास्ति में वृद्धि — अपील प्राधिकारी को शास्ति बढ़ाने की शक्ति एक अतिव्यक्ति, शक्ति है। यदि अपील प्राधिकारी स्वयं को कोई विरूप शास्ति देने का अधिकार नहीं हो तो वह अपील प्राधिकारी की हैसियत से अपील में शास्ति वृद्धि के अधिकारों के अंतर्गत, ऐसी शास्ति नहीं दे



वह अपील का निबटारा करने में 'न्यायिक पाथ' पर रहा है। किसी भी दशा में उनके दत्त व्य. अर्थ न्यायिक कामवाही का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इसमें अपील अन्तिम रूप से खारिज किये जाने से पूर्व अपील की पुष्टि में अपील कर्ता को सुनवाई का महत्वपूर्ण स्वत्व एवं विभागाधिकार सम्मिलित हैं। इस सत्य से यह भी अर्थ निकलता है कि अपील खारिज करने से अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई शान्ति की कायवाही का पुष्टिकरण हो जाता है और इस विषय में उसके अधिकार का अन्तिम निपटारा हो जाता है। जब कि 'प्रार्थी' पुस्तक अधोसूचक द्वारा दखित किया गया और उसने अपील में उप महानिरीक्षक, पुलिस के समस्त व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार का दावा किया, ता यह नियाय हुआ कि अपनी अपील की पुष्टि में उसे सुनवाई का अधिकार था।<sup>१</sup> यह सत्य है कि नियम में यह प्रावधान है कि जिन तर्कों पर अपीलकर्ता अपनी अपील की पुष्टि हेतु निर्भर है वह तब वह अपील के आवेदन पत्र में ही व्यक्त करदे परन्तु इससे अपील के समय में सुनवाई का अपीलकर्ता के सामान्य अधिकार का अन्त नहीं होता है।

**अपीलकर्ता की मध्य** — अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाने के बावजूद अपील प्राधिकारी को चाहिए कि स्वर्गीय व्यक्ति के वारिस अथवा कानूनी प्रतिनिधियों को फरीष बनाए बिना अपील का निर्णय करदे। ऐसी दशा में रिमांड (वापिस भजने) अथवा शास्ति को बढ़ाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।<sup>२</sup>

**३१ अपील में दी गई आज्ञा का अनुपालन**—जिस प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई थी, वह प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं को प्रभावशाली करेगा।

### टिप्पणी

समस्त विवादा की द्वितीय अवस्था आज्ञा का अनुपालन होती है जब कि प्रथम अवस्था अन्तिम निर्णय अथवा आज्ञा तक होती है। आज्ञा का अनुपालन, डिग्री की तामील की तरह अनुशासन प्राधिकारी की सहायता से आज्ञा का क्रियावित करना होता है ताकि राज्य कर्मचारी को उनके कर्मों की सजा मिले। स्वभावतया, अनुपालन का तरीका शास्ति की प्रकृति एवं अनुपालन प्राधिकारी से क्या सहायता मांगी गई है, इस पर निर्भर है। यदि राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य विभाग में हो चुका हो तो जिस अधिकारी को आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई हो वह ऐसे अन्य विभाग के प्राधिकारी को निवेदन कर सकता है कि अपील प्राधिकारी का आज्ञा को क्रियावित करे। जब कि एक बार विभागीय जांच समाप्त हो जाती है, और सांख्यिक कर्मचारी के विरुद्ध आज्ञा का अनुपालन हा चुका हो तो उन्हीं तथ्या पर द्वितीय विभागीय जांच करने का आदेश नहीं हो सकता, जब तक कि सवा नियमों में कोई विशेष प्रावधान न हो।<sup>३</sup>

१ धरणी मोहन बनाम असम सरकार, ए आई अर. १९६३ असम १८३ इसके विपरीत राय के लिये दखिये—जोगेन्द्र चन्द्र बनाम उप आयुक्त, ए आई अर. १९६२ असम २८, रवीन्द्र मोहन सरकार बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई अर. १९६१ त्रिपुरा १

२ नियुक्ति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक ३ (५) नियुक्ति (ए) १६२ ग्रुप (iii) दिनांक १८ ४ ६३

३ दारुणा शर्मा बनाम राजस्थान सरकार, ए आई अर. १९५८ राजस्थान ३८

## भाग ७

### पुनर्गन्तव्य

३२ वह प्राधिकारी जिसने ममन नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्त्रि प्रदान करने के लिए प्रतीक की जा सकती है। यदि उसकी कोई प्रतीक नहीं की गई है तो वह करने का प्रयत्न प्रयत्न करने के प्रयत्न के बिना प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासन कायदा की प्रतिबन्धन प्रयत्न करने का प्रयत्न कर सकता है और यदि आवश्यकता है तो प्रागे तत्पश्चात् करने के पश्चात् और जो प्रयाग से परामश आवश्यक है। तो एसा परामश करने के पश्चात्, ऐस मामले में दी गई प्राणा का पुनर्निर्माण कर सकता है तथा

- (क) प्राणा का पुष्टिकरण, परिवर्तन प्रयत्न निरस्तकरण कर सकता है,
- (ख) कोई शास्त्रि दे सकता है या उक्त प्राणा द्वारा दी गई शास्त्रि का कम कर सकता है, पुष्ट कर सकता है प्रयत्न बढ़ा सकता है,
- (ग) प्राणा जारी करने वाले प्राधिकारी का या किसी अन्य प्राधिकारी के पास मामला वापिस भेजकर जमा उचित ममन इस प्रकार से प्रागे कायदा करने या जाच करने का आदेश दे सकता है, प्रयत्न
- (घ) ऐसी प्राणा जारी कर सकता है जसी वह उपयुक्त समझे,

परन्तु यह कि—

- (1) कोई शास्त्रि लागू करने या किसी शास्त्रि का बदलने की प्राणा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति का ऐसी अधिक शास्त्रि के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार प्रतिबन्धन करने का प्रयत्न नहीं दे दिया गया है,
- (ii) यदि प्रतीक प्राधिकारी किसी मामले में नियम १४ के खंड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्त्रि देना प्रस्तावित करता हो जिसमें कि नियम १६ के अन्तर्गत जाच नहीं हुई हो तो वह नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते, ऐसी जाच करने का आदेश देगा, एवं तत्पश्चात् ऐसी जाच को कायदा पर विचार करने पर तथा सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्त्रि के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार प्रतिबन्धन करने का प्रयत्न प्रदान करने के पश्चात् जैसा उपयुक्त समझे वजा प्राणा प्रदान करेगा,
- (iii) इन नियम के अन्तर्गत परिवर्तित की जान वाता प्राणा का तात्पर्य स ६ महीनों से अधिक समय के पश्चात् कायदा प्रारम्भ नहीं की जायगी।

## टिप्पणी

इस परिच्छेद का शीपक पहले निगरानी था जिसका १९६१ में समाधान करके शीपक 'पुनरावलोकन (नज़रसानी) रख दिया गया। वास्तव में इस नियम की भाषा अथवा अपील प्राधिकारी की निगरानी करने का शक्ति के विषय में कहती है। इन नियम का अन्तगत नियम २३ में निर्दिष्ट निवृत्त अपील प्राधिकारी के समक्ष यदि कोई अपील नहीं की गई हो तो एका अपील प्राधिकारी, या तो अपनी स्वेच्छा से अथवा सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का प्रथम पर निम्न लिखित प्रयोजना के लिये अभिलेख (रेकॉर्ड) मगवानर जाच कर सकता है —

(1) प्राप्ति तफ़्तीस करने के लिये, अथवा

(11) अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की गई आना को बंधना या श्रौचित्य अथवा वायवाही नियमित होने के विषय में सल्लो करने के लिये।

अपील अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तगत, शास्ति को पुष्ट करन, समाधान करन निरस्त करने, कम करने या बढाने के लिये समाकन हांगा, या मानने को वह वापिस भेज सकता है अथवा ऐसी कोई आना जारी कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

**प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड—अभिवेदन करने का अवसर देना—**इस नियम के अन्तगत कोई आना जारी करने में पूर्व, अपील प्राधिकारी को चाहिये कि वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन करने का अवसर प्रदान करे। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये, परन्तु गवाहा के बयान लेने अथवा जाच करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि नियम १६ में निष्पारित तरीके से जाच की हुई नहीं हो और प्राधिकारी कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहता हो। अपील प्राधिकारी को चाहिये कि वह राज्य कर्मचारी को अपनी राय सूचित करे और यह बताने करे कि वह शास्ति क्या देना चाहता है या क्या बढाना चाहता है और यह अभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करने का नोटिस देगा। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारों का अपील प्राधिकारी के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये अवसर मिलना चाहिये। सामान्य तौर के सिद्धांत का तर्का है कि बिना सुनवाई लिये कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जा सकता। यह 'Audi alteram Partem' का मूल पर आधारित है (अर्थात् दूसरे पक्ष का भी बात सुनो)।

जब कि एक बार विभागीय जाच समाप्त हो गई हो और सावजनिक कर्मचारी दापमुक्त कर दिया गया हो, तो जब तक कि सेवा नियमों में या किसी अन्य कानून में दापमुक्ति की आना का पुनरावलोकन (रिव्यू) करने का कोई विनियम प्रावधान न हो तब तक उन्ही तर्कों पर द्वारा विभागीय जाच करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।<sup>१</sup>

**अपील नहीं की गई—बया पुनरावलोकन हो सकता है—**यह निःसंदेह सत्य है कि सामान्यतया, कर्मचारी को नियम ३२ के अन्तगत अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सकने से पहले उसे अपने अपील करने का अधिकार पूरा कर लेना चाहिये। परन्तु कानून का यह नियम दृढ़ नहीं

१ दारुबान्धु बन्धु राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५० राजस्थान ३०



निरस्त कर सकती है कम कर सकती है या बढा सकती है भ्रष्टाचार उचित समझ वसी घाना जारी कर सकती है। कोई घाना जारी करने से पूर्व उन मामलो मे लाज मवा अ योग म परामश लगी जिनमे इन नियमो के नियम १५ (२) के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो।<sup>१</sup> राज्य कमचारी का सूचित करन से पहले घाना का पुनरावलोकन किया जा सकता है। जब कि पेम्पू के राजस्व मंत्री न यह सम्मति प्रकट की कि अक्षय प्रपील कता एक धारगार्थी था और एक बडे परिवार का पालन पोषण करता है इसलिये उसको पदच्युत करना अत्यधिक कठोर होगा और यह कि उम सवया धर्खास्त करन के बजाय उसे कानूनी के पद पर प्रत्यावतन कर देना चाहिये। पेम्पू का पञ्जाब राज्य मे विलीनी करण होन के पश्चात पञ्जाबली पञ्जाब के राजस्व मंत्री के सामने पेग की गई। पञ्जाब के मुख्य मंत्री ने घाना प्रदान की कि सवा म पदच्युति सही शास्ति थी तथा दोपी अम्पिारी क प्रति कोई उदारता नही दिखाई जावे। यह नियम हुआ कि जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को अज्ञा सूचित नही की गई तब तक मंत्री मण्डल इस विषय पर बारम्बार पुनर्विचार कर सकता था। मुख्य मंत्री द्वारा जारी की गई अज्ञा, यद्यपि वह राजस्व मंत्री के विभाग से संबंधित मामला था मंत्री मण्डल की घाना होनी सम्भवी जावेगी।<sup>२</sup>

**प्रतिघातक वाक्य खट-अभिवेदन करने के लिये अवसर प्रदान करना** —अज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी) करने की शक्ति के अतगत यदि सरकार शास्ति बताना चाह ता उसे सम्बंधित राज्य कमचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये। निखिल उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कमचारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार का चाहिये कि शास्ति लागू करने अथवा बढाने की राय कारण सहित राज्य कमचारी का सूचित करे और उसे अभिवेदन प्रेषित करने का अवसर प्रदान करते हुए नाटिस दिया जावे। उद्देश्य यह है कि राज्य कमचारी को अपना दृष्टिकोण समझाने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय के सिद्धांत का तर्काज है कि बिना सुनवाई किये कोई दण्डित नही किया जावे।

इस नियम का द्वितीय प्रतिघातक वाक्य खट सरकार द्वारा नजरसानी करन की मयाद तीन महीना की अवधि निर्धारित करता है। सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत करन की मयाद भा तीन महीने की ही है। यह नि सदेह सत्य है कि सामान्यतया, किसी कमचारी को सरकार के समक्ष नजरसानी न जा सकने मे पूण अपील करने का अधिकार पूर्व कर लेना चाहिये। परन्तु यह कानून का कोई दृढ नियम नही है। एसी भी परस्थितिया हो सकती है जिनमें नियम २३ के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत नही का हो फिर भी, सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना न्यायाचित हो। अत अपील करने के लिये नियत अवधि के भीतर भी सरकार अमिलख का पुनरावलोकन कर सकती है।

**३४ राज्यपाल की पुनरावलोकन की शक्ति** —इन नियमो मे कुछ भी समावेश होने के बावजूद, राज्यपाल अपने आप अथवा अयथा, मामले का अभिलेख मगवाने के पश्चात ऐसी अज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी) कर सकता है जो इन नियमो के अतगत अथवा नियम ३५ द्वारा निरस्त नियमो के अन्तगत जारी हुई हो या अपील योग्य हो, और जिसमें आयोग से परामश करना आवश्यक हो, इसमे ऐसा परामश करने के पश्चात—

१ नियम १५ (२) के अतगत टिप्पणी भी देखिये।

२ बचितार सिंह बनाम पञ्जाब सरकार ए आई धार १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ३९५



- (४) धाना को पुष्ट, सहायित अथवा निरस्त कर मरना है,
- (५) काठ शास्ति लागू कर सकता है, अथवा धाना द्वारा दी गई शास्ति का निरस्त कर मरना <sup>१</sup> कम कर सकता है, पुष्ट कर सकता है अथवा नष्ट कर सकता है,
- (६) मामल को परिस्थितिशा म जा वह वाजिब समझे उसी धाने कायवाही या जाच करने के लिए आदेश देन हुए राज्यपाल मामल का वाजिब उस प्राधिकारी के पास नियत उक्त धाना दायी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के पास भेज सकता है अथवा
- (७) ऐसी अन्य धाना प्रदान कर सकता है जा वह उपर्युक्त समझ।

परन्तु यह नि—

- (i) काठ शास्ति लागू करने या रद्द कराने की काठ धाना जारी नहीं की जायेगी जब तक कि इस प्रकार रद्द की गई शास्ति के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो।
- (ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामल में नियम १८ के खंड (४) में (७) तक में निर्दिष्ट काठ शास्ति लागू करना प्रस्तावित कर जिसमें नियम १६ के अन्तर्गत जाच नहीं हुआ है तो नियम १८ के प्रावधानों के अधीन रहते आदेश देगा कि इस प्रकार की जाच की जावे एवं तत्परवाना उस जाच की कार्यवाही पर विचार करने पर और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार प्रतिवेदन करने का अवसर देन के लिए जमा किया गया उसी धाना प्रदान करेगा।

नाट - यह नियम राजस्थान प्रायिक सेवा (आर जे एम) के किता सुदम्य के मामल में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट, सेवा के पंचकीकरण के परिणामित के अनिश्चित कोई शास्ति की धाना प्राथमिक यायाधीन या उच्च यायाधीन के मुख्य न्यायाधीन द्वारा मनोनित किसी यायाधीन द्वारा जारी की गई है अथवा जब कि काठ धाना इस यायालय की समिति द्वारा अधील में जारी की गई है।

### टिप्पणी

एक नियम समा समाया के समया के विरुद्ध यदि नये अनुमानिक नियमों के मामल में, पुनर्बलासन (निरस्ताना) के अर्थ में राज्यपाल का आदेश करता है। यह प्रस्ताव करता है कि राज्यपाल निम्न इच्छा में अथवा अथवा प्रतिवेदन मन्वानर जाच कर सकता है। राज्यपाल को पुनर्बलासन करने का अधिकार निम्न विहित मामलों में प्रयोग में लाने का मरती है - (i) जब कि

<sup>१</sup> प्रतिबन्धना सन् १९८० (१) नियुक्त १/६० यू.ए. २ दिनांक १९-८-६० एवं ६/६१ द्वारा करा गया।

इन नियमों के अन्तर्गत अनुशासन प्राधिकारी ने आज्ञा जारी की हो, या (ii) जब कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी आज्ञा जारी हुई हो जिम्की अपील की जा सकती हो या (iii) वह आज्ञा जो भतपूर्व राजस्थान असनिक नेवाए (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम, १९५० के अन्तर्गत जारी हुई हो या अपील योग्य थी। अपने वायदाय म राज्यपाल शास्ति का पुष्टिकरण करने, मशोधन करने निरस्त करने, कम करने या बढान अथवा मामले को वापिस भेजने अथवा जसो उचित समझे वसी आज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है।

**प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड—**प्रभिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवसर — इस नियम के अन्तर्गत कोई भी आज्ञा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य कमचारी को प्रभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कमचारी को वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहा के बयान लिये जायेंगे न जाच की जायगी जब तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तराके से जाच नहीं की जा चुकी हो और प्राधिकारी कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहता हो। राज्यपाल, राज्य कमचारी को अपनी सम्मति सूचित करेगा कि वह शास्ति क्या लागू करना अथवा बताना चाहते हैं और प्रभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करते हुए नोटिस देंगे। उद्देश्य यह है कि राज्य कमचारी को अपनी दृष्टिकोण राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय की भी मांग है कि बिना सुनवाई लिये कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई मामला नियम १६ के प्रावधानों में नहीं आता है तो बिना इस नियम के प्रावधानों का पालन किये, राज्यपाल किसी राज्य कमचारी को पदच्युत अथवा सेवा से पृथक नहीं कर सकता। जब कि यह तक किया गया कि अथ सावजनिक कमचारियों की तरह राज्यपाल के प्रसन्न रहते प्रार्थी पद धारण कर सकता था और जब कि राज्यपाल न उस पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस आदि का अधिकारी नहीं था। यायालय ने इस वाद को ठुकरा दिया और निराय दिया कि यद्यपि राज्यपाल न स्वयं न बर्खास्त किया था फिर भी सविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की अवहेलना करते हुए वह ऐसा कर नहीं सकता था।<sup>१</sup> समय समय पर यायालय ने निराय दिये हैं कि शास्ति की किसी आज्ञा का मशोधन करने के लिये राज्यपाल को अनुच्छेद ११ (२) के अनुसार वायदाही करनी चाहिये।<sup>२</sup> यायालय ने इस बात को भी मान्यता दी कि अनुच्छेद ३१० में उल्लिखित राज्यपाल की प्रसन्नता अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा प्रतिबन्धित है।<sup>३</sup> वास्तव में धींगरा के वाद में<sup>४</sup> सर्वोच्च यायालय ने भी बखत किया है कि सविधान का अनुच्छेद ३११, अनुच्छेद ३१० का प्रतिबन्धात्मक खड है। अब कि पुतिश के सहायक थानेदार को पुलिस अधीक्षक न दंडित किया और राज्यपाल ने आज्ञा का मशोधन करत हुए शास्ति बढा दी और प्रार्थी का सेवा से बर्खास्त कर दिया, ता निराय हुआ कि नियमों के अन्तर्गत, प्रार्थी की शास्ति बढाने एव उसे बर्खास्त करन के लिये राज्यपाल सक्षम था।<sup>५</sup>

१ वेंपट्टर राव बनाम मद्रास राज्य ए आई आर १९५४ मद्रास १०४३

२ मुगीराम बनाम पुजित अधीक्षक ए आई आर १९५४ असम १८

३ एम ए वहीद बनाम सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२६

४ पुष्टोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय नव, ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

५ कनरूचंद्र बनाम पुनिस अधीक्षक, ए आई आर. १९५५ असम २४०

- (क) आजा की पुष्ट, सहायित अथवा निरस्त कर सकता है,
- (ख) कोई शास्ति लागू कर सकता है, अथवा आजा द्वारा दी गई शास्ति का निरस्त कर सकता है कम कर सकता है पुष्ट कर सकता है अथवा उद्घाटन कर सकता है,
- (ग) मामल की परिस्थितियाँ मजा वह वाजिब समझे वसी आगे कायवाही या जाच करन क लिये आदेश दते हुए राज्यपाल मामने की वापिस उस प्राधिकारी क पास जिनके उक्त आजा दी थी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के पास भेज सकता है, अथवा
- (घ) ऐसी अन्य आजा प्रदान कर सकता है जा वह उपयुक्त समझे।

परंतु यह कि—

- (i) कोई शास्ति लागू करन या वर्धित करन की कोई आजा जारी नहीं की जायगी जब तक कि इस प्रकार बढाई गई शास्ति के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति की उसकी इच्छानुसार अभिवेदन प्रस्तुत करन का अवसर नहीं दिया गया हो।
- (ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामले में नियम १८ के खंड (ख) से (घ) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित करे जिनमें नियम १६ के अन्तर्गत जाच नहीं हुई हो तो नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते आदेश देगा कि इस प्रकार की जाच की जावे, एवं तत्पश्चात् उस जाच की कायवाही पर विचार करने पर और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर देन का जमा उचित समझे वसी आजा प्रदान करेगा।

नोट—यह नियम राजस्थान यायिक सेवा (आर जे एम) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिनके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट, सेवा में पथकीकरण या पदच्युति के अतिरिक्त कोई शास्ति की आजा प्रशासनिक यायाधीश या उच्च यायालय के मुख्य यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी यायाधीश द्वारा जारी की गई हो अथवा जब कि कोई आजा इस यायालय की ममिति द्वारा अपील में जारी की गई हो।

### टिप्पणी

यह नियम सभा सवाभा के सन्ध्या के विरुद्ध किये गये अनुमानात्मक विषयों के मामलों में, पुनरावलोकन (नज़राना) की शक्ति राज्यपाल की प्रदान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल निजा इच्छा से अथवा अथवा अभिलेख मगवान्तर जाच कर सकता है। राज्यपाल की पुनरावलोकन करन की शक्ति निम्न लिखित मामलों में प्रयोग में लाई जा सकता है— (i) जब कि

इन नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित प्राधिकाारी ने आना जारी की हो, या (ii) जब कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसी आज्ञा जारी हुई हो जिसकी प्रतीति की जा सकती हो या (iii) वह आज्ञा जो मत्पूर्व राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं प्रतीति) नियम, १९५० के अन्तर्गत जारी हुई हो या प्रतीति योग्य हो। अपने कार्यक्षेत्र में राज्यपाल शास्ति या पुष्टिकरण करने, संपीठन करने निरस्त करने, कम करने या बढाने अथवा मामले को वापिस भेजने अथवा जसो उचित समझे वसी आज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है।

**प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड—अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवसर—**इस नियम के अन्तर्गत कोई भी आज्ञा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहा के दयान लिये जायेंगे न जान की आयगी जब तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तराके से जाच नहीं की जा चुकी हो और प्राधिकाारी कोई बन्धन शास्ति लागू करना चाहता हो। राज्यपाल, राज्य कर्मचारी को अपनी सम्मति सूचित करेंगे कि वह शास्ति क्या लागू करना अथवा बढाना चाहते हैं और अभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करते हुए नोटिस देंगे। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को अपनी दृष्टिकोण राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय की भी माग है कि बिना सुनवाई किच कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई मामला नियम १६ के प्रावधानों में नहीं आता हो तो बिना इस नियम के प्रावधानों का पालन किये, राज्यपाल किसी राज्य कर्मचारी को पदच्युत अथवा सेवा में पृथक् नहीं कर सकता। जब कि यह तर्क किया गया कि 'सर्वसाधारण' कर्मचारियों को तरह राज्यपाल के प्रमत्त रहते प्रार्थी पद धारण कर सकता था और जब कि राज्यपाल ने उसे पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस आदि का अधिकारी नहीं था। न्यायालय ने इस बात को ठुकरा दिया और निराय दिया कि यद्यपि राज्यपाल ने स्वयं ने बर्खास्त दिया था फिर भी सविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की अवहेलना करते हुए वह ऐसा कर नहीं सकता था।<sup>१</sup> समय समय पर न्यायालयों ने निराय दिये हैं कि शास्ति की किसी आज्ञा का सजायन करने के लिये राज्यपाल को अनुच्छेद ३११ (२) के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।<sup>२</sup> न्यायालय ने इस बात को भी मान्यता दी कि अनुच्छेद ३१० में उल्लिखित राज्यपाल की प्रसन्नता अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा प्रतिबन्धित है।<sup>३</sup> वास्तव में धर्मगिरा के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ध्यान किया है कि सविधान का अनुच्छेद ३११, अनुच्छेद ३१० का प्रतिबन्धात्मक खण्ड है। अब कि पुलिस के सहायक धानेदार को पुलिस अधीक्षक न दंडित किया और राज्यपाल ने आज्ञा का संपीठन करत हुए शास्ति बढा दी और प्रार्थी का सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो निराय हुआ कि नियमों के अन्तर्गत, प्रार्थी की शास्ति बढाने एवं उसे बर्खास्त करने के लिये राज्यपाल सक्षम था।<sup>४</sup>

१ वेंटरद्वर राज बनाम मद्रास राज्य ए आई आर १९५४ मद्रास १०४३

२ मुभीराम बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५४ असम १८

३ एम ए वहीद बनाम सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२६

४ पुरयोत्तम लाल धर्मगिरा बनाम भारतीय सभ ए आई आर. १९६८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

५ बनकचन्द्र बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर. १९५५ असम २४०

क्या राज्यपाल नियम ३४ के अन्तर्गत पुनरावलीकन की शक्ति सरकार को प्रत्यापत्त कर सकता है — राज्य कर्मचारी का नौ गई गाम्नि का नवरमाना ( पुनरावलीकन ) क विषय म प्रावधान इन नियमों के नियम ३२ ३२ एव ३४ म उपलब्ध है । मात् तोर न नियम २० म अधीन प्राधिकारी स सम्बन्धित है जिसका राज्य कर्मचारी का नौ गई गाम्नि पर पुनरावलीकन क अधिकार है । नियम २२ राज्य सभाओं क मन्त्रियों क विरुद्ध अनुगामनात्मक मामला में नौ गई गाम्नि का सरकार द्वारा पुनरावलीकन करने म सम्बन्धित है । नियम २४ मन्त्र सभाओं के मन्त्रियों क विरुद्ध जाग का गम्भीरताओं पर राज्यपाल द्वारा पुनरावलीकन करने के विषय में है । नियम ६ द्वारा प्रदान गाम्नि राज्यपाल अपन स्वविचार से प्रयोग में ला सकता है । नियम स्वयं ही सरकार का गाम्नि एव राज्यपाल का गाम्नि म विभिन्नता स्पष्ट करते हैं । कात् भा काय जा राज्यपाल को सविधान द्वारा अथवा उभय अन्तर्गत निजी स्वविचार म करने हैं क केवल वह स्वयं कर सकता है । इस प्रकार इन नियमों के नियम ३४ द्वारा प्रदान गाम्नि केवल राज्यपाल प्रयोग म ला सकता है । वह अति सरदार राज्यपाल क प्रत्यापत्त (टिपगट) क स्वरूप म प्रयोग नहीं कर सकती । जब कि राज्यपाल न प्रार्थी को काइ अवसर प्रदान नहीं किया और वास्तव म नियम २४ के अन्तर्गत अवसर सरकार न दिया था ता यह निगय हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा ज रा का गई गाम्नि सम्बन्धित विना अधिकार क था ।<sup>१</sup> अत अन्तर्गत ने गाम्नि खारिज करते हुए व्यक्त किया कि नियम ३४ के अन्तर्गत पुनरावलीकन के अधिकार केवल राज्यपाल का है ।

## भाग =

### नियम एव अन्वयायी

३५ निरसन एव व्यावृत्ति,—(१) राजस्थान असाैनिक सेवाए ( वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील ) नियम, १९५० और उसके अन्तगत जारी की गई अधिसूचनाएँ और आनाए, जिस सीमा तक वे उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जहाँ तक कि वे अनुसूची में निदिष्ट असाैनिक सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित हैं, अथवा नियुक्तिया करने, शास्तिया लागू करने और अपील सुनने की शक्तिया प्रदान करते हैं, इन नियमों द्वारा निरस्त किये जाते हैं

परन्तु यह कि—

- (क) ऐसा निरसन, उन नियमों, अधिसूचनाओं एव आनाओं और उनके अन्तगत की गई गतकालिक कायवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं रखेगा ,
- (ख) कथित नियमों, अधिसूचनाओं अथवा आज्ञाओं के अन्तगत कोई कार्य-वाहिया, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय चालू हों, वे जारी रखी जायेंगी और यथा सम्भव, इन नियमों के अनुसार निपटाई जायेंगी ।

(२) इन नियमों की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जिन पर ये नियम लागू होते हैं अपील करने के किसी अधिकार से वंचित करने का प्रभाव नहीं रखेगी जा उसको इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले उप-नियम (१) द्वारा निरस्त किये गये नियमों अधिसूचनाओं या आज्ञाओं के अन्तगत प्राप्त हो चुके थे ।

(३) इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील ऐसे प्रारम्भ होने के समय पर या उसके पश्चात प्रेषित की गई हो तो उस पर इन नियमों के अनुसार विचार होगा एव आज्ञा प्रदान की जावेगी ।

### टिप्पणी

इस नियम व उप-नियम (१) के अन्तगत निम्नलिखित का निरसन (अमूलन) किया गया है —

- (१) राजस्थान असाैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५०,
- (२) राजस्थान असाैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५० के अन्तगत जारी की गई अधिसूचनाएँ









- २३ रिक्वी विधिबोधक (लोगल रिमन्डोर)
- २४ सन्ध्य प्रायोगिक मायाधिक ग।
- २५ रजिस्ट्रार (पञ्जीयक) सहकारी ममिनिया।
- २६ बन्दोवस्त (सेटनमेन्ट) प्रायुक्त।
- २७ मन्त्रालय मातायात।
- २८ सचालक मूद्रण एव लेखन सामग्री (घार ए एम अधिकारी द्वारा पद व रग करत की तारीख से)।
- २९ अतिरिक्त सचालक, शिक्षा।
- ३० सचालक तकनीकी शिक्षा।
- ३१ सचालक, बीमा।
- ३२ देवस्थान प्रायुक्त।
- ३३ सचालक भूखड एकीकरण (चक्रवर्ती) विभाग।
- ३४ प्रधानाचार्य अधिकांश प्रशिक्षण विद्यालय।
- ३५ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना।
- ३६ सचालक पशु-चिकित्सा एव पशु-पानन।
- ३७ अध्यापक तकनीकी शिक्षा महल।
- ३८ अध्यक्ष पाठय-पुस्तक निर्धारण महल।
- ३९ अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अष्टाचार विरोधी विभाग।
- ४० मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना।
- ४१ द्वितीय मुख्य अभियन्ता सिंचाई।
- ४२ सचालक नियोजन (सेवा योजना)।
- ४३ सहायता प्रायुक्त (रिलीफ कमीशनर)।
- ४४ सचालक अल्प वचत।
- ४५ सचालक उपनिवेगन हनुमानगढ।
- ४६ विभाग कार्यधिकारी गृह (मातायात) विभाग भूतपूर्व राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के राज्य कर्मचारियों द्वारा अथवा राजस्थान राज्य परिवहन निगम म प्रति नियुक्ति पर काय करते समय किये गये कर्मों अथवा भूल चूक के विषय म अन्यायन कायवाहिया के सम्बन्ध म-जो चानू हा अथवा अत्र चानू की जावें।
- ४७ प्रायुक्त विभागीय जांच।
- ४८ अतिरिक्त प्रायुक्त वर एव पन्नेन प्रधानाचार्य वाणिज्यकर प्रशिक्षण विद्यालय।
- ४९ सचालक भड व ऊन।

- १ अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप 111, दिनांक २०-१-६० द्वारा जोडा गया।
- २ "विभाग महानिरीक्षक पुलिस" के स्थान पर लिखा गया, अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २०-३-६२ द्वारा।
- ३ अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक २०-८-६२ द्वारा जोडा गया।
- ४ क्रमांक ४६ 'जनरल मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन' के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए 111)/६७ दिनांक ४-४-६७ (७-११-६६ से प्रभावशाल हुआ)।
- ५ अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ६३ ग्रुप 111 दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोडा गया और जो दिनांक ४-१-६० से प्रभावशाल हुआ।

## अनुसूची (क)

(१) विनागाध्यक्षों की सूची (प्रथम खेती)

- १ मन्नापिक्का (एम्ब्राकट जलरत) ।
- २ घघ्छ, रात्रम्ब महन ।
- ३ मुन्न सरदक वन विभाग ।
- ४ नाम काट लिया गया ।
- ५ मुन्न अन्नियन्ता भवन एव पय ।
- ६ मुन्न अन्नियन्ता विचार ।
- ७<sup>२</sup> पादकत वाणिज्य वर रात्रम्बान ।
- ८<sup>३</sup> मन्नावन उदाग एव पूर्ति ।
- ९ मुन्न तुनाव पधिकारि (गन्नापो) ।
- १० मुख्य गामन सचिव रात्रम्बान सरकार ।
- ११<sup>६</sup> धातुकुत धावकारी विना रात्रम्बान ।
- १२ मन्नावन गिना विभाग ।
- १३ मन्नावन विनिन्ता एव स्वास्थ्य सुवाग ।
- १४ मन्नावन सचिव एव नू-गन विना ।
- १५ कृषि मन्नावन एवं खाद्य धातुकुत रात्रम्बान ।
- १६<sup>२</sup> मन्नावन विकास धातुकुत ।
- १७ विकास धातुकुत तथा अतिरिक्त मुख्य गामन सचिव । ।
- १८ धातुकुत (पूर्ति) मन्नावन निरदक ।
- १९ मन्नावन निरीक्षण कारागार (वन विना) ।
- ० मन्नावन निरीक्षण पत्रोदन एव मन्नावन ।
- १ जागीर धातुकुत ।
- २ धम धातुकुत ।

- 
- १ मुख्य अन्नियन्ता विभाग के अतिरिक्त विभाग का नाम काट लिया गया अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- (१) निरुचित (ए १११) के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- २ धातुकुत धावकारी एव कर के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ३ उदाग एव वाणिज्य धातुकुत के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ४ अतिरिक्त धातुकुत वाणिज्य के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ५ अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ६ उक्त विभाग धातुकुत (वरिष्ठ) के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ७ निरुचित (ए) ६१ दिनांक २०-४-०३ द्वारा ।
- ८ अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- ९ उक्त विभाग धातुकुत (वरिष्ठ) के अन्वितना क्रमांक एफ १०-४-०३ द्वारा ।
- १० निरुचित (ए) ६१ दिनांक २०-४-०३ द्वारा ।

- २३ रिक्की विधिबोधक (लीगल रिमेम्ब्रेंसर)
- २४ सन्ध्या प्राद्योगिक यायाधिक ए।
- २५ रजिस्ट्रार (पजोयक्) सहकारी समितिया।
- २६ बन्दोबस्त (सेटनमन्ट) प्रायुक्त।
- २७ सचालक यातायात।
- २८ सचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री (भार ए एम अधिकारी द्वारा पत्र धरण करन की तारीख से)।
- २९ प्रतिरिक्त सचालक शिक्षा।
- ३० सचालक तकनीकी शिक्षा।
- ३१ सचालक, बीमा।
- ३२ देवस्थान प्रायुक्त।
- ३३ सचालक भूखण्ड एकीकरण (चकवधी) विभाग।
- ३४ प्रधानाचार्य<sup>१</sup> अधिकारीकरण प्रशिक्षण विद्यालय।
- ३५ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना।
- ३६ सचालक पशु-चिकित्सा एव पशु-पालन।
- ३७ अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंडल।
- ३८ अध्यक्ष पाठ्य-पुस्तक निर्धारण मंडल।
- ३९<sup>२</sup> प्रतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग।
- ४० मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना।
- ४१ द्वितीय मुख्य अभियन्ता सिंचाई।
- ४२ सचालक नियोजन (सेवा योजना)।
- ४३<sup>३</sup> सहायता प्रायुक्त (रिलीफ कमिश्नर)।
- ४४ सचालक ग्रन्थ वचत।
- ४५ सचालक उपनिवेशन हनुमानगढ।
- ४६<sup>४</sup> विनाय कार्यधिकारी गृह (यातायात) विभाग, भूतपूर्व राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के राज्य कमचारियों द्वारा अथवा राजस्थान राज्य परिवहन निगम में प्रति नियुक्ति पर काय करते समय बिये गये कर्मों अथवा भूल चूक के विषय में धनुष्यामन कायवाहिया के सम्बन्ध में-जो चालू है अथवा भव चालू की जावें।
- ४७<sup>५</sup> प्रायुक्त विभागीय जांच।
- ४८ प्रतिरिक्त प्रायुक्त कर एव पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्यकर प्रशिक्षण विद्यालय।
- ४९ सचालक भंड व ऊल।

- १ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप 111, दिनांक २०-३-६२ द्वारा जोडा गया।
- २ "विद्यय महानिरीक्षक पुलिस" के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २०-३-६२ द्वारा।
- ३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक २०-८-६२ द्वारा जाना गया।
- ४ क्रमांक ४६ 'जनरल मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन के स्थान पर लिखा गया, दक्षिण अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए 111)/६७ दिनांक ५-४-६७ (७-११-६८ से प्रभावशाल हूआ)।
- ५ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ६३ ग्रुप 111 दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोड गया और जो दिनांक ४-१-६० से प्रभावशाल हूआ।

(२) विभागाध्यक्षों की सूची। प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त)

- १ अतिरिक्त जागर आडुफ ।
- २<sup>१</sup> मचातक आधिक एव सांख्यिक विभाग ।
- ३<sup>१</sup> मचालक पुरानख्य एव म अज्ञानय ।
- ४<sup>३</sup> नाम काटा गया ।
- ५ अज्ञान आडुवेन्डि एव यूनाना विधिया का पनीयन ।
- ६ महाम पशुधिकारा (निष्ठात सम्पत्ति) (इवत्तुई प्रापटी) धनवर ।
- ७<sup>४</sup> नाम काटा गया ।
- ८ त्रिनों व जितनाधायगग ।
- ९<sup>४</sup> पशुधिकारी कमाजिग, एन सी मा दुधियें ।
- १० मचातक आडुवेद ।
- ११ मचातक स्थानीय मस्यायें ।
- १२ मचातक, जन सम्पर्क ।
- १ मचातक ममात्र कयागु विभाग ।
- १४<sup>६</sup> नाम काटा गया ।
- १५ जिला एव गत्र चायाधोधगग ।
- १६ पराशर स्थानाय काय लया परोक्षा विभाग ।
- १७ पुरानख्य मन्दि का अख्यय ।
- १८ व्यवस्थापक आडुवेन्डि फार्मेमा ।
- १९ प्रधानाचार्यगग डिगरी एव पास्ट ग्राजुएट महाविद्यालय ।
- २० प्रधानाचार्य फोट फाउण्डेशन प्रशिक्षण केंद्र, छतरपुरा (कांग्र) ।
- २१ प्रधानाचार्य मगताराम बागड ममारियन, इ जीनिपरिय कातक, जाधपुर ।
- २२ रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय ।
- २३ सचिव नगर मुधार कायालय ।
- ४ विभागाधिकारा नगर मुधार एव राज्य शासन सचिव ।
- २५ सचिव, लोक सेवा आयाग ।

- ४ 'मुख्य सांख्यिक अधिकारी के स्थान पर लिखा गया अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ यूप III दिनांक २०-६-६२ द्वारा ।
- मुक्त अधाधर के स्थान पर लिखा गया " " " "
- २ मुख्य अधीश्वर, मुक्त एव लखन सामग्रा काटा गया " " "
- ८ मुख्य पचायत अधिकारा काटा गया , " " "
- ५ कमाजिग एन सी मा के स्थान पर लिखा गया दमिये अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति ए III/६२ दिनांक १०-६-६२
- ६ 'मचातक, उपनिवाहन, हनुमानगड काटा गया दमिये अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति, (ए) III/६२, दिनांक १-६-६२

- २६<sup>१</sup> उप सचालक भेड एव ऊन । ।
- २७<sup>२</sup> नाम काटा गया
- २८ अधीक्षक, प्रायुर्वेद अध्ययन ।
- २९ प्रधानाचार्य, पशु चिकित्सा महा विद्यालय बीकानेर ।
- ३० प्रधानाचार्य, एस के एन कृषि महाविद्यालय, जाबनेर ।
- ३१<sup>३</sup> राजकीय विद्युत् निरीक्षक वित्त विभागीय आदेश क्रमांक भाई डी ७२१६/५८/एफ (५) एफ डी (ए) आर/५८ दिनांक २२ १ ५६ म उल्लिखित मदा के लिये ।
- ३२<sup>४</sup> नाम काटा गया ।
- ३३ राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर का विशय कार्याधिकारी प्रधानाचार्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर के अनुसार, जब तक कि महाविद्यालय म कोई प्रधा नाचार्य काय ग्रहण न करले ।
- ३४ विशय शिक्षा नियोजन अधिकारी निम्नलिखित योजनाआ के सम्बन्ध म —
- (क) वट्टउद्देगीय एव उच्चतर माध्यमिक शालाए
- (ख) केन्द्रीय लड एव जिला पुस्तकालय
- (ग) सामाजिक शिक्षा ।
- ३५ राजस्थान के महाविद्यालयो के लिये विनोय कार्याधिकारी ।
- ३६<sup>५</sup> उप उपनिवगन आयुक्त राजस्थान नहर योजना बीकानेर ।
- ३७ उपनिवेशन आयुक्त चम्बल परियोजना कोटा ।
- ३८<sup>६</sup> काटा गया ।
- ३९ उप सासन सचिव, नियुक्ति ईकाई अभिलेख अधिकारी के सम्बन्ध में ।
- ४० बक्फ आयुक्त ।
- ४१ सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण म डल ।

- १ भड एव ऊन विकास अधिकारी के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) /६१ दिनांक २० ३ ६२
- २ अधीक्षक गजेटियर का नाम काटा गया देखिये, अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) /६१ दि० २० ३ ६२ ।
- ३ इन्द्राज न० ६१ के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति ए ॥॥/६७ दि० १२ ४ ६७ ।
- ४ सचालक सहायता विभाग काटा गया देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ॥॥/६१ दि० २० ३-६२ ।
- ५ उपनिवगन अधिकारी 'राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर' के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना एफ ३ (१८) नियुक्ति एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ॥॥/६१ दिनांक २० ३ ६२ ।
- ६ 'उपनिवगन अधिकारी, चम्बल परियोजना कोटा' के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ॥॥/६१ दिनांक २०-३-६२ ।
- ७ 'उप सचिव राजस्व म डल (भू अभिलेख) काट गये केवल पशु गणना कार्यवाहियों के लिये, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ॥॥/६१ दि० २० ३ ६२ ।

- ४२ प्रधानाचार्य, बहुतकनीकी, (पालाकनीक) ।  
४ प्रधानाचार्य अनिरिक्त प्रमारण प्रणिकण केद्र सुमेरपुर ।  
४४ सचालक, सहायता एव पुन मम्पापन ।  
४५ सचालक सस्कृत शिक्षा ि० २० ३-५८ स ।  
४६ सचालक आधिक एव औद्योगिक सर्वेक्षण ।  
४७<sup>१</sup> सचालक, मुद्रण एव ललन सामग्रा विभाग ।  
४८<sup>२</sup> आतरिक्त आगुक्त, वाणिज्य कर एव पनेन प्रधानाचार्य वाणिज्य कर प्रणिकण विद्यालय ।  
४९<sup>३</sup> प्रभार अन्वियन्ता एव सचिव नूमिगत धन मठल ।

---

१ अधिमूचना क्रमांक एफ - (१४) नियुक्ति (ए) / ६२ िनांक १०-८-६२ द्वारा मम्मिनित ।

२ अधिमूचना क्रमांक एफ - (१६) नियुक्ति (ए) III/६४ िनांक २२-८-६२ द्वारा जाग गया ।

अधिमूचना क्रमांक एफ - (१) नियुक्ति (ए) III/६७ िनांक ५-८-६७ द्वारा जाग गया ।  
३ िनांक ६-१-६० म प्रमावण ल दृषा ।

सहायक वर्गीय नेच बो एच चतुर्थ श्रेणी सेवाओं से संबंध कार्यालयीयता जो प्रसन्निक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं प्रयोजन) नियमों के भाग तहत तथा नियम १५ (१) में निर्दिष्ट गतिविधियों का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं।

विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं	सहायक वर्गीय सेवाएं
१	२	५	६
१ कृषि	मुख्यालय कार्यालय	उप संचालक	उप संचालक
(क) नर्स्य पालन (प्रोप हजबेडरो)	जिला कृषि अधिकारी	(नर्स्य पालन) (प्रोप हजबेडरो)	नर्स्य पालन
(ख) पशु धन	काम	जिला कृषि अधिकारी (नर्स्य पालन)	जिला कृषि अधिकारी (नर्स्य पालन)
	कृषि विद्यालय	काम मजदूर	संबंधित उप संचालक
	उप संचालक का कार्यालय	प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य
	पशुपालन अधिकारी का कार्यालय	उप संचालक (पशुधन)	उप संचालक (पशु धन)
	शेयरी विकास गावा	पशुपालन अधिकारी	" "
	पशु प्रजनन काम	शेयरी विकास अधिकारी	" "
	पशु पालन (काम गोन्डी)	प्रभारी प्रयोधक	" "
	गोपाला विकास शाखा	प्रभारी अधिकारी	" "
		गोपाला विकास अधिकारी	" "





४	पुरासत्त्व एवं सभ्दालय	क्षीरगात्रय बो एवं सी अंशुली यूनानी देवालयानी बो एवं सी अंशुली केन्द्रीय कार्यालय	निरीक्षक मुख्य प्रधीक्षक	उप सचिव, प्रायुर्वेदिक विभाग राज्य का शासन सचिव	निरीक्षक मुख्य प्रधीक्षक	स चालक राज्य का शासन सचिव
		सकल कार्यालय प्रबन्धकर्ता के शरीर सभ्दालय	प्रधीक्षक प्रबन्धकर्ता (कंप्यूटर)	मुख्य प्रधीक्षक सम्बन्धित सकल या प्रधीक्षक	प्रधीक्षक प्रबन्धकर्ता (कंप्यूटर)	मुख्य प्रधीक्षक सम्बन्धित सकल या प्रधीक्षक
		सरदाक (कस्टोडियन) के प्रयोग सभ्दालय बनोस्विक वेधशाला (अतर मन्तर), जयपुर	सरदाक (कस्टोडियन) पर्यवेक्षक	सम्बन्धित सकल का प्रधीक्षक मुख्य प्रधीक्षक	सम्बन्धित सकल का प्रधीक्षक मुख्य प्रधीक्षक	मुख्य प्रधीक्षक राज्य का शासन सचिव
५	जनगणना विभाग	केन्द्रीय कार्यालय	प्रधीक्षक	राज्य का शासन सचिव प्रधीक्षक	प्रधीक्षक उप प्रधीक्षक	प्रधीक्षक उप प्रधीक्षक
६	गर्भित हाउजेज (विधायकगण)	उप प्रधीक्षक का कार्यालय राजस्थान स्टेट होस्पिटल, जयपुर	उप प्रधीक्षक प्रधीक्षक	जो ए डी म राज्य का शासन सचिव	प्रधीक्षक प्रधीक्षक	जो ए डी म राज्य का शासन सचिव
		सर्किट हाउस उज्जपुर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, झुजमेर सर्किट हाउस, पानवर, भूमनी, माउंट आबू	प्रबन्धकर्ता	सम्बन्धित जिलाधीश	व्यवस्थापक	सम्बन्धित जिलाधीश

१ अधिसूचना संख्या एफ १६ (५) नियुक्ति ०/५६ दिनांक २८-७-५६ दे रा सिवा भर्मा ।  
 २ ००-७/५५ गठन व स्थान पर सिखा गया, देगिरे अधिसूचना क्रमांक एफ ० (१६) नियुक्ति (ए III)/६१ दिनांक ७-६-६२ ।

दिल्ली	४	५	६
उपस्थापक	जी ए डी में राज्य का शासन सचिव	न्यस्त्यापक	जी ए सी में राज्य का शासन सचिव
प्रतिनिधित धायुक्त	गाय मायसन	प्रतिरिक्त धायुक्त	गाय धायुक्त
प्रियापतिग	" ,	जिलाधीन	" ,
	पजीयक जो	उप-पजायक जो	पजीयक (रजिस्ट्रार)
	म म प्रगासन	मुख्य कार्यालय में प्रगासन	
	गु हो।	का प्रभार रक्ता हो।	
भोयक	पजीयक	सहायक पजीयक	सम्बन्धित उप-पजीयक
	"	गिशा प्रयिकारी	" "
	"	प्रचार प्रयिकारी	" "
	"	सहायक पजायक	" "

। धायुक्त काट गये, अखिये प्रयिसूचना क्रमांक एक १० (५) नियुक्ति

I 11/६५ दिनांक ४-२-६६ द्वारा 'नागरिक रसद विभाग के स्थान पर लिखा गया।  
 र म म म . २००० नोट क्रमांक एक ३ (४) नियुक्ति (ए-III)/दिनांक ५-४-६६।

६ (क) वाणिज्य कर	मुख्य कार्यालय उप-भायुक्त (प्रशासन) का कार्यालय	प्रशासन अधिकारी उप-भायुक्त (प्रशासन)	प्रतिरिक्त भायुक्त " "	प्रशासन अधिकारी उप-भायुक्त (प्रशासन)	प्रतिरिक्त भायुक्त " "
१०	उपायुक्त (शरीर) का कार्यालय	उपायुक्त (शरीर)	प्रतिरिक्त भायुक्त	उपायुक्त (शरीर)	" "
	वाणिज्य कर अधिकारीगण एवं सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण के कार्यालय	वाणिज्य कर अधिकारीगण / सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण जिनके कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी के मुख्यालय पर न हों। उप प्रधानाचार्य	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारीगण	उपायुक्त (प्रशासन)
	वाणिज्य कर प्रतिक्षण स्कूल	उप प्रधानाचार्य	प्रतिरिक्त भायुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)	उप-प्रधानाचार्य	प्रतिरिक्त भायुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)
	जाब चौकियें (बैक पोस्ट) उठान दस्ते (पलाइंग स्क्वेडस)	वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एक)	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एक)	उपायुक्त (प्रशासन)

१ प्रविष्टि क्रमांक ६ के स्थान पर सिले गये जरिये प्राथे सूचना क्रमांक एक ३ (१५) नियुक्ति (ए) III/६४ दि: २४-९-६४

"भायकारी वर"

मुख्यालय कार्यालय  
डिबीजनल कार्यालय  
त्रिना कार्यालय  
सकल कार्यालय  
थान एवं चौकियें  
कृषि आयकर आयकारी का  
कार्यालय

सहायक भायुक्त (प्रशासन)  
डिबीजन कार्यालय  
का सहायक भायुक्त  
जिले का सहायक भायुक्त  
" "  
" "  
कृषि आयकर अधिकारी

उपायुक्त (प्रशासन)  
डिबीजन या उपायुक्त  
भायुक्त  
जिले या सहायक भायुक्त  
" "  
" "  
कृषि आयकर अधिकारी

उपायुक्त (प्रशासन)  
डिबीजन या उपायुक्त  
भायुक्त  
जिले या सहायक भायुक्त  
" "  
" "  
कृषि आयकर अधिकारी

२ नियुक्ति III-क्रमांक एक ३ (१५) नियुक्ति A/III/ ६४ दिनांक २४-७-६४ द्वारा लिला गया।



६ (क) वाणिज्य कर	मुख्य कार्यालय उप-प्रायुक्त (प्रशासन) का कार्यालय	प्रशासन अधिकारी उप-प्रायुक्त (प्रशासन)	प्रतिरिक्त प्रायुक्त " "	प्रशासन अधिकारी उप-प्रायुक्त (प्रशासन)	प्रतिरिक्त प्रायुक्त " "
१० )	उपप्रायुक्त (भयोल) का कार्यालय	उपप्रायुक्त (भयोल)	प्रतिरिक्त प्रायुक्त	उपप्रायुक्त (भयोल)	" "
	वाणिज्य कर अधिकारीगण एवं सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण के कार्यालय	वाणिज्य कर अधिकारीगण / सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण जिनके कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी के मुख्यालय पर न हों। उप-प्रधानाचार्य	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारीगण	उपायुक्त (प्रशासन)
	वाणिज्य कर प्रशिक्षण स्कूल		प्रतिरिक्त प्रायुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)	उप-प्रधानाचार्य	प्रतिरिक्त प्रायुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)
	जाब चौकिये (चक्र पोस्ट) उठान दस्ते (फ्लाईंग स्क्वैड्स)	वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एक)	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एक)	उपायुक्त (प्रशासन)
१	अविधि क्रमांक ६ के स्थान पर लिले गये जरिये प्राये सूचना क्रमांक एक ३ (१४) नियुक्ति (ए) III/६४			दि: २४-३-६४	
"	आबकारी कर	मुख्यालय कार्यालय डिवीजनल कार्यालय जिला कार्यालय सर्कल कार्यालय थान एवं चौकिये दृष्टि आयकर अधिकारी का कार्यालय	उपायुक्त (प्रशासन) डिवीजनल कार्यालय "	उपायुक्त (प्रशासन) डिवीजनल कार्यालय "	प्रायुक्त डिवीजनल या उपायुक्त प्रायुक्त "

२ नियुक्ति III-गमाफ एक-३ (१४) नियुक्ति A/III/६४ दिनांक २४-७-६४ द्वारा लिला गया।







१	२	३	४	५	६
६ (ख) माबकारी मुख्य कार्यलय विभाग	उपायुक्त (माबकारी) का कार्यालय उपायुक्त (प्रिवेटिव) का कार्यालय जिला माबकारी अधिकारी का कार्यालय	प्रासन अधिकारी उपायुक्त माबकारी उपायुक्त (प्रिवेटिव) जिला माबकारी अधिकारी	मायुक्त , ,, उपायुक्त (मायबाप)	प्रधान अधिकारी उपायुक्त (माबकारी) उपायुक्त (प्रिवेटिव) जिला माबकारी अधिकारी	मायुक्त ,, ,, उपायुक्त (माबकारी)
	सहायक माबकारी अधिकारी का कार्यालय	सहायक माबकारी अधिकारी (जितने मुख्यालय जिला माबकारी अधिकारी के मुख्यालय पर न हों)	, , ,	, , ,	, , ,
	सहायक माबकारी अधिकारीगण (पी एक) जिला माबकारी अधिकारी पी एक के कार्यालय	सहायक माबकारी अधिकारीगण (पी एक) जिला माबकारी अधिकारी पी एक	उपायुक्त (प्रिवेटिव कोर्स)	सहायक माबकारी अधिकारीगण (पी एक) जिला माबकारी अधिकारी (पी एक)	उपायुक्त (पी एक)
० धर्म	मुख्यालय कार्यालय सहायक प्रवीण एव उसने जोन (अथवा) न निरीक्षक कमचारीगण	सहायक प्रवीण	प्रवीण	सहायक प्रवीण , , ,	प्रवीण , , ,
शिक्षा	सहायक का कार्यालय उप सहायक निरीक्षक एव निरीक्षका का कार्यालय	सहायक सहायक उप निरीक्षक निरीक्षक भयवा निरीक्षिका	उप-सहायक रेज ,, ,,	सहायक सहायक उप सहायक रेज निरीक्षक भयवा निरीक्षिका	सहायक शिक्षा उप सहायक रेज उप सहायक रेज निरीक्षिका

नोट:— इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निर्म्मित किये गये अधिकांश निरीक्षणों की श्रेणी में सम्मिलित है —

- (१) सरल पाठ्यात्मकों के निरीक्षण ।
  - (२) शोध गिद्या अधिकांश ।
  - (३) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएँ ।
- |                   |                |                   |                |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| उप निरीक्षण प्रथम | निरीक्षण प्रथम | उप निरीक्षण प्रथम | निरीक्षण प्रथम |
| उप निरीक्षण       | निरीक्षण       | उप निरीक्षण       | निरीक्षण       |

नोट — इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निर्म्मित किये गये अधिकांश निरीक्षणों की श्रेणी में सम्मिलित है —

- (१) संगठन सचिव, वास्तव शय (बोय साउथ एसोसियेशन)
  - (२) अधीक्षण दारोदिक गिद्या ।
  - (३) परीक्षा अनुयायी गिद्या ।
- |                              |                               |                 |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| उप प्रतिनिरीक्षक का कार्यालय | उप प्रतिनिरीक्षक (एस डी फाई ) | उप निरीक्षण     | निरीक्षण        |
| प्रथम श्रेणी महाविद्यालय,    | सस्था का मुख्या               | राज्य सरकार का  | राज्य सरकार का  |
| कानून का महाविद्यालय, सरल    |                               | शिक्षा सचिव     | शिक्षा सचिव     |
| महाविद्यालय                  |                               |                 |                 |
| सरकारी इन्टरमीडिएट महा       |                               | उप निरीक्षण     | उप निरीक्षण     |
| विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण   |                               | सस्था का मुख्या | सस्था का मुख्या |
| महाविद्यालय, बोयानेर एवं     |                               |                 |                 |
| सादुस पब्लिक स्कूल, बीकानेर  |                               |                 |                 |
| नोमल एव ट्रेनिंग स्कूलें     |                               |                 |                 |
| हाई स्कूलें                  |                               |                 |                 |
| अन्य गिद्या सस्थाएँ इती      |                               |                 |                 |
| प्रथम निर्मातर स्तर की       |                               |                 |                 |

१	२	३	४	५	६
	मुख्यालय, कार्यलय, आयुर्वेदिक शिक्षा	प्रभोदश	सरकार का शासन मन्चिव	प्रभोदश	सरकार का शासन सचिव
	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	प्रधानाचार्य	प्रभोदश, आयुर्वेदिक शिक्षा	प्रधानाचार्य	प्रभोदश, आयुर्वेदिक शिक्षा
	ए थली के पुस्तकालय	पुस्तकालय का प्रभारी अधिकारी	सहायक, शिक्षा विभाग	पुस्तकालय का प्रभारी अधिकारी	सहायक, शिक्षा विभाग
	अप्य पुस्तकालय	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	उप सहायक (रैंज) शिक्षा सचिव	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी सचिव पाठ्य पुस्तकें	उप-सहायक (रैंज) शिक्षा सचिव
	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण मंडल	राष्ट्रीयकरण मंडल	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	राष्ट्रीयकरण मंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी	
	१२२ निर्वाचन (पुनाच) मुख्यालय कार्यलय	विभागीय	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	निर्वाचन विभाग	जिला कार्यलय	विभागीय	जिलाधीन	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	'पुनाच पजीयक अधिकारी का कार्यलय	पुनाच प जीयक अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	१ मोड्डदा प्रविस्टि क्रमांक १२ के स्थान पर	जिला गया (समिपुवना क्रमांक ३ (१६) नियुक्ति ए / ६१ श्रुप 111 दि० ७-१-६२) ।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	'निर्वाचन विभाग' जिला कार्यलय	जिला निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	पुनाच प जीयक अधिकारी का कार्यलय	पुनाच प जीयक अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी

११

१३ विद्युत निरीक्षणालय	सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय), सहायक विद्युत निरीक्षक	राज्य का विद्युत निरीक्षक	राज्य का विद्युत निरीक्षक
अल प्रदाय विभाग	सहायक विद्युत निरीक्षक	सुपरिन्टेंडिंग अभियन्ता जो जयपुर व बीकानेर का इंचार्ज हो तथा सहायक अभियन्ता जो कोटा का इंचार्ज हो।	सुपरिन्टेंडिंग अभियन्ता जो जयपुर व बीकानेर का इंचार्ज हो तथा सहायक अभियन्ता जो कोटा का इंचार्ज हो।
१४ निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति प्रशासन (इवेन्चूरी प्रोपर्टी)	सहायक संरक्षक प्रशासन का प्रभारी	सहायक संरक्षक (स्टोडियन्ट) का प्रभारी	सहायक संरक्षक प्रशासन का प्रभारी
१५ खाद्य आयुक्त का विभाग	उप संरक्षक का कार्यालय सहायक संरक्षक का कार्यालय मुख्य तप कार्यालय डिबीजनल खाद्य सहायक पोष संरक्षण शाखा	उप संरक्षक (डिट्टी स्टोडियन्ट) सहायक संरक्षक विभाग अधिकारी खाद्य सहायक पोष संरक्षण अधिकारी	उप संरक्षक जिला का उप संरक्षक सहायक संरक्षक विशेष अधिकारी खाद्य विशेषाधिकारी खाद्य पोष संरक्षण अधिकारी

१ 'विद्युत एवं यंत्रिकरण विभाग' की मौजूदा प्रविष्टी के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए-III)/६७ दिनांक १२-४-६७।

१	२	३	४	५	६
(१) वन विभाग	मुख्यालय कार्यालय	१ मुख्य वन संरक्षण का तकनीकी सहायक (T A)	मुख्य वन संरक्षण	२ मुख्य वन संरक्षण का तकनीकी सहायक	मुख्य वन संरक्षण
	सर्वेस कार्यालय	संरक्षण (कम्प्यूटर)	वन संरक्षण	संरक्षण	"
	डिवीजनल कार्यालय	डिवीजनल अधिकारी	डिविजनल वन अधिकारी	डिविजनल अधिकारी	वन संरक्षण
	उप खंड कार्यालय	उप खंड वन अधिकारी	उप खंड वन अधिकारी	उप खंड वन अधिकारी	डिविजनल वन अधिकारी
	रेज प्रभवा अथवा कार्यालय	रेजर		"	"
	रेजरो या उप रेजरो के कार्यालय			"	"
	वन सूत्र, कोटा	संचालक	मुख्य संरक्षण, वन विभाग	संचालक	मुख्य संरक्षण वन विभाग
	वर्गली प्राणी संरक्षण	अधिकारी जितके सीधे	सम्बन्धित सफल का संरक्षण	सम्बन्धित सर्वेस का संरक्षण	"
	घाटा	अधीनस्थ हो, अर्थात् शिवार बाडन, सहायक शिवार वाईनगण, वरिष्ठ शिवार पर्यवेक्षणगण वरिष्ठ शिवार पर्यवेक्षणगण			"
(२) वन भू प्रबंध	मुख्यालय कार्यालय	वन भू प्रबंध अधिकारी	मुख्य संरक्षण, वन विभाग	वन भू प्रबंध अधिकारी	मुख्य संरक्षण वन विभाग
	डिविजनल कार्यालय	डिविजनल वन भू प्रबंध अधिकारी	वन भू प्रबंध अधिकारी	डिविजनल वन भू प्रबंध अधिकारी	"

शब्द 'वन अधिकारी, उपयोग (सहायक/अधीन) के स्थान पर लिखा गया, — देखिये सूचना क्रमांक एक ३ (१२) नियुक्ति (प) ६३, दिनांक २७ ६ ६३।

१७	नेरेज विभाग	(1) केन्द्रीय नेरेज कारखाना	मुख्य प्रयोधक	सचालक, यात-यात	मुख्य प्रयोधक केवन कनिष्ठ लेखना एवं बरिष्ठ लेखको के विषय में	सचालक, य तायात
१८	राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(11) राजकीय नेरेज, उदयपुर मुख्यालय कार्यालय, वेन्द्रीय लेखन सामग्री स्टार सरकारी मुद्रणालय	प्रयोधक, मोटर नेरेज, उदयपुर। सचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रधिकारी जिसके सीधे आज में हो। उप सचालक सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक	मुख्य प्रयोधक राजकीय शासन सचिव सचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	सचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री सचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री सीधे आज में हो। उप सचालक सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक	राजकीय शासन सचिव सचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री सचालक
१९	उद्योग एवं वाणिज्य	मुख्यालय क्षत्रीय उप सचालक उद्योग प्रयोधको के कार्यालय	सचालक सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक	सचालक सचालक जयपुर क्षेत्र के सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक	सचालक, जयपुर क्षेत्र के सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक	सचालक, जयपुर क्षेत्र के सम्बन्धित उप सचालक प्रमारी प्रयोधक
		कुर्नर उद्योग के ड्र मॉड एवं डन सुधार शाखा, मारकेटिंग शाखा, नमब शाखा एवं लाड गुड शाखा गणना-उत्पादन उद्योगों की शाखा।	प्रमारी प्रधिकारी	सहायक सचालक	सहायक सचालक	सहायक सचालक
१	प्रबिण्डि क्रमांक १० दिनांक ७ ३ ६२	नेरेज विभाग के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमांक ३ (१४) दिनांक १३-८-६२ द्वारा— केन्द्रीय नेरेज एवं कारखाना जिलों के नेरेज मरम्मत के वेन्द्र	मुख्य प्रयोधक प्रमारी प्रयोधक नेरेज का प्रमारी प्रयोधक जिसके मरम्मत वेन्द्र सलग है	राजकीय शासन सचिव मुख्य प्रयोधक प्रमारी प्रयोधक गरेज का प्रमारी प्रयोधक जिसके मरम्मत वेन्द्र सलग है	मुख्य प्रयोधक प्रमारी प्रयोधक गरेज का प्रमारी प्रयोधक जिसके मरम्मत वेन्द्र सलग है	राजकीय शासन सचिव मुख्य प्रयोधक " " "
२	दाव 'मुख्य प्रयोधक' के स्थान पर लिखे गये, अधिसूचना क्रमांक ३ (१४) दिनांक १३-८-६२ द्वारा					

१ प्रबिण्डि क्रमांक १० दिनांक ७ ३ ६२ द्वारा—  
केन्द्रीय नेरेज विभाग के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमांक ३ (१४) दिनांक १३-८-६२ द्वारा

२ दाव 'मुख्य प्रयोधक' के स्थान पर लिखे गये, अधिसूचना क्रमांक ३ (१४) दिनांक १३-८-६२ द्वारा

१	२	३	४	५	६
२० सावजनिक नियमिण विभाग (सिवाई)	मुखालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तपनीरी सहाया	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तपनीरी सहाया	मुख्य अभियन्ता
	सॉल कार्यालय	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता
	डिबिजनन कार्यालय	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता
	उप शनीय कार्यालय	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
नोट—मुख्य विभास अभियन्ता काटा के अर्धोन परियोजनाओ ते सञ्चयित कामचारी गणो ते विषय म अर्धोकेन प्रत्युक्ति योचित प्रापरस्य परिकल्पना सहित त मू हेगी ।					
२१ सावजनिक नियमिण विभाग (अवन एव पथ)	राजस्थान नहर बोड	सहायक सचिव राजस्थान नहर बोड	सचिव, राजस्थान नहर बोड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोड	सचिव राजस्थान नहर बोड
	मुख्य तय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तपनीरी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तपनीरी सहाया	मुख्य अभियन्ता
	सफल कार्यालय	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता
	स्वस्थ सफल	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता	अपीशाक अभियन्ता
	डिबिजनल (शनीय) कार्यालय	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता	अधिगासी अभियन्ता
	उप-स्टड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
	तटसीलदार का कार्यालय,	तटसीलदार	तटसीलदार	तटसीलदार	तटसीलदार
	विभागाधिकारी ग्राम जल	विभागाधिकारी	विभागाधिकारी	विभागाधिकारी	विभागाधिकारी
	प्रदाय बोकावेर				
	उद्यान पारसन का कार्यालय	उद्यान पारसन	उद्यान पारसन	उद्यान पारसन	उद्यान पारसन
नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक डी १४१७६/४६ एक १८ (२२) नियुक्ति/ए/४६ दिनांक १२-११-१९४६					

२२	जेल विभाग	उद्यान प्रयोक्षक का कार्यालय मुख्यालय पर कार्यालय केन्द्रीय जेलें अन्य जेलें एवं बंदीगृह (लोक भ्रम) जेल उद्यान के संचालक का कार्यालय	अधीक्षक महानिरीक्षक कारागार के निजी सहायक प्रभारी प्रयोक्षक प्रभारी अधिकारी सचालक	उद्यान शासन अधीक्षक उप महानिरीक्षक, कारागार कारागारों के महानिरीक्षक कारागारों के उप महानिरीक्षक कारागारों के महानिरीक्षक उच्च न्यायालय	उद्यान शासन महानिरीक्षक कारागार कारागारों के उप महानिरीक्षक कारागारों के महानिरीक्षक उच्च न्यायालय
२३	न्यायिक (सिविल एवं सत्र न्यायालय)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश का कार्यालय	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में हो।	जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में हो।
२४	अभ्युक्त	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का कार्यालय सिविल न्यायाधीश का कार्यालय मुन्सिफ का कार्यालय विशेष जज का कार्यालय मुख्यालय पर कार्यालय निम्नलिखित के कार्यालय -	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिविल जज मुन्सिफ विशेष जज उप अभ्युक्त (प्रशासन)	सिविल जज मुन्सिफ विशेष जज उप अभ्युक्त (प्रशासन)	सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में हो। , , , उप अभ्युक्त (प्रशासन)



१	२	३	४	५
२०	सावजनिक निर्माण विभाग (मिचार्ड)	मुख्यालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तबनीकी सहायक प्रयीशक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तबनीकी सहायक प्रयीशक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता उपरोक्त प्रत्यामुक्ति यथावित्त यावत्पर्य परिकल्पना
		संलग्न कार्यालय डिप्टी कमिश्नर कार्यालय उप शारीय कार्यालय	मुख्य अभियन्ता प्रयीशक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता प्रयीशक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
		नोट—मुख्य विभाग अभियन्ता का फोटा के अधीन परियोजनाओं से सम्बन्धित कामकारी गणों ने विषय म उपरोक्त प्रत्यामुक्ति यथावित्त यावत्पर्य परिकल्पना	सहायक सचिव राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड
२१	सावजनिक निर्माण विभाग (अवन एच पथ)	मुख्य लय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तबनीकी सहायक प्रयीशक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तबनीकी सहायक प्रयीशक अभियन्ता
		सयल कार्यालय स्थायक सयल डिप्टी कमिश्नर (शारीय) कार्यालय उप-सयल कार्यालय तहसीलदार का कार्यालय विद्यापिठारी ग्राम जल प्रदाय बीकानेर	मुख्य अभियन्ता प्रयीशक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता तहसीलदार विद्यापिठारी	मुख्य अभियन्ता नहर बोर्ड मुख्य अभियन्ता
		उद्यान शास्त्रज्ञ का कार्यालय	उद्यान शास्त्रज्ञ	उद्यान शास्त्रज्ञ
१	नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक डी १४१७६/४६ एक १८ (२२) नियुक्ति/ए/४६ दिनांक १२-११-१९५६		मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता

२२	जेल विभाग	उद्यान श्रमीशक का कार्यालय मुख्यालय पर कार्यालय	श्रमीशक महानिरीक्षक कारागार के निजी सहायक	उद्यान शासन उप महानिरीक्षक, कारागार	उद्यान शासन महानिरीक्षक, कारागार
२३	न्यायिक (सिविल एवं सत्र न्यायाधीश)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रथवा प्रतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश का कार्यालय	प्रभारी श्रमीशक प्रभारी अधिकारी सचालक	कारागार के महानिरीक्षक कारागार के उप महानिरीक्षक महानिरीक्षक कारागार के सचालक	कारागारों के उप महानिरीक्षक कारागारों के महानिरीक्षक
२४	श्रम	न्यायिक एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का कार्यालय	जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रथवा प्रतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय न्यायाधीश ग्रथवा प्रतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार म हो।
		सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का कार्यालय	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार म हो।
		सिविल न्यायाधीश का कार्यालय	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सिविल एवं प्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार म हो।
		मुख्यालय पर कार्यालय	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त
		निम्नलिखित के कार्यालय -			

२ ३ ४ ५ ६

१५	सेवा नियोजन	१. मुख्यतः कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र
१६	स्थानीय स्थायक पदासन (स्थानीय संस्थाएँ)	शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र	उप शैलीय सेवा नियोजन कार्यक्षेत्र

१. प्रत्येक एक १६ (१२) नियुक्ति (ए/५६ दि १८-१२-६०) के नियुक्ति विभाग के घोषणा द्वारा बदला गया।





	सचायक			
	अतिरिक्त सचायक (वेबन कनिष्ठ सेक्टर से उपर के लिये)			
	अतिरिक्त संचालक			
(ii) अधीनस्थ कार्यालय	जन सपक अधिकारी एवं सूचना केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी	अतिरिक्त संचालक		
		(i) जन सपक अधिकारी (वेबन कनिष्ठ सेक्टर के लिये)		
		(ii) सूचना केन्द्र का प्रभारी अधिकारी		
		(वेबन कनिष्ठ सेक्टर के लिये),		
		(iii) अतिरिक्त सचायक (कनिष्ठ सेक्टरों से उपर के लिये)	सचायक	
३० पुलिस	मुख्यालय कार्यालय	अतिरिक्त महानिरीक्षक सहायक महानिरीक्षक (कोस) रेन्ज का उप महानिरीक्षक	सहायक महानिरीक्षक (कोस) रेन्ज का उप महा- निरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षा पुलिस (कोस) महानिरीक्षक, पुलिस
	रेन्ज			
	जिला एवं अधीक्षक के प्रभार में आने	अधीक्षक उप महानिरीक्षक, पुलिस		रेन्ज का उप महा नरी- क्षक, पुलिस,

१ अधिसूचना क्रमांक ८७४२४/६० एक १६ (२) नियुक्ति/ए एस/६० दि० २-६-६० द्वारा बदला गया।

२ अधिसूचना क्रमांक एक ३ (७) नियुक्ति (ए IIII)/६७ दिनांक २६-६-६७ द्वारा राद पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) के स्थान पर लिया गया  
एव दिनांक ३०-४-६६ से प्रभावशील हुआ।

१	२	३	४	५	६
सकल-उप प्रयोधक वा निरीधको के प्रभार मे पाने एवं चोक्रिये	प्रभारी सचिवकारी	जिले का प्रयोधक भारतीय	जिल का प्रयोधक भारतीय	रेञ्ज वा उप महा निरीधका पुलित	
सी भाई डो एवं भाई बी	" "	सकल का प्रभारी सचिवकारी	" "	" "	
(ग) मुख्यालय	समते का प्रभारी प्रयोधक भारतीय	सकल का प्रभारी सचिवकारी			
(घ) बोन पुलिस प्रतियक्षण महा विद्यालय	प्रभारी सचिवकारी	सकल का प्रभारी प्रयोधक पुलित वा उप महा निरीधक, सी भाई डो	समते का प्रभारी प्रयोधक पुलित वा उप महा निरीधक	प्रयोधक सी भाई डो	
रेञ्ज प्रतियक्षण केन्द्र	" "	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक (कोस)	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक (कोस)	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक (कोस)	
वेतार वा तार (बायलस)	" "	रेञ्ज का उप महा निरीधक, पुलित	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक (कोस)	रेञ्ज का उप महा निरीधक, पुलित	
मोटर यातायात	" "	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक	" प्रतिक्रित महा निरीधक	" प्रतिक्रित पुलित महा निरीधक	
रेञ्जिस्ट्रेशन एवं स्टान्य	मुख्यालय—(रेञ्जिस्ट्रेशन एवं स्टान्य का प्रतिक्रित महा निरीधक)	सहायक पुलित महा निरीधक (कोस)	सहायक पुलित महा निरीधक (कोस)	सहायक पुलित महा निरीधक (कोस)	
रेञ्जिस्ट्रेशन	सकले निरीधक का कार्यालय	महा निरीधक	महा निरीधक	प्रतिक्रित महा निरीधक	

१ प्रतियूचना क्रमांक एक ३ (७) लिखित (ए IIII)/६७ दिनांक २६ ६ ६७ द्वारा गदर पुलित उप महा निरीधक (मुख्यालय) के स्थान पर लिखा गया एव दिनांक ३० ५ ६६ से प्रभावशील हुआ ।

उप रजिस्ट्रार का कार्यालय उप रजिस्ट्रार  
कोषागार अधिकाारी  
स्टाम्प कोषागार अधिकाारी  
राजस्व मंडल का कार्यालय रजिस्ट्रार  
(१) राजस्व विभाग स्काट दिया गया  
जिला (१) जिलाधीन

कोषागार अधिकाारी  
रजिस्ट्रार  
प्रथम श्रेणी प्रभोक्षकों  
एवं द्वितीय श्रेणी प्रांतु  
लिपिकों के विषय में जो  
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,  
कोटा भ्रमभर एव बीकानर  
में नियुक्त हैं प्रत्यक्ष द्वारा  
मनोनीत राजस्व मन्त्र का  
सदस्य ।  
अन्य कमचारिवा के विषय  
में, प्रथम कनिष्ठ लेखक,  
वरिष्ठ लेखक इत्यादि जिनाधीन सदस्य  
जिलाधीन-जिला रेवेन्सु  
एकाउंटेंटों पर क्यु शास्त्रि  
साहू करते न के लिये

राज्य सरकार

प्रत्यक्ष द्वारा मनोनीत  
राजस्व मंडल का सदस्य

प्रत्यक्ष द्वारा मनोनीत  
राजस्व मंडल का  
सदस्य  
राजस्व मंडल

(ii) — — —

नियुक्ति (ए III)/६१

- १ सत्ताधीन प्रविष्टि जिला-जिलाधीन-जिलाधीन-प्रायुक्त के स्थान पर अधिसूचना क्रमांक एक ३ (१६) नियुक्ति (ए III)/६१ द्वारा लिया गया ।
- २ निम्नलिखित प्रविष्टि काटी गई डिबिजनल अधिकाारी—प्रायुक्त का निजी सहायक प्रायुक्त—प्रायुक्त—प्रत्यक्ष राजस्वमंडल देखिये दिनांक ७-६-६२ द्वारा लिया गया ।
- ३ अधिसूचना (ए) III विभाग क्रमांक एक ३ (१६) नियुक्ति/ए एस ६१ दिनांक ७-६-६२ ।
- ३ अधिसूचना क्रमांक एक ३ (ii) नियुक्ति/ए III/६१ दिनांक २७-११-६१ द्वारा बदला गया ।
- ४ सादर सरकार” के स्थान पर लिखा गया—अधिसूचना क्रमांक एक ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक २१-३-६७ द्वारा । यह संशोधन मई १९६२ से प्रभावशील हुआ ।





२	उप आयुक्त उप निवेशन	प्रतिष्ठित सहायक आयुक्त उपनिवेशन	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	उप आयुक्त उपनिवेशन
३	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	उप आयुक्त उपनिवेशन	"
४	उपनिवेशन तहसीलदारगण	उपनिवेशन तहसीलदारगण	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	आयुक्त, उपनिवेशन
५	नगर एवं ग्राम योजना सेल, राजस्थान नहर परियोजना जयपुर	सहायक नगर आयोजक जयपुर	उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर	उपनिवेशन आयुक्त, उपनिवेशन
	मुख्यालय पर कार्यालय	सहायक सचालक (कार्यालय)	प्रधान राजस्व मंडल	सहायक सचालक (कार्यालय) प्रधान राजस्व मंडल
	भू अभिलेखों के सहायक सचालक (रीज) में कार्यालय	समर्थित सहायक सचालक, भू अभिलेख	सहायक सचालक	सहायक सहायक सचालक
	जिला कार्यालय	भू अभिलेख शाखा का प्रभारी उर यड अधिवारी	जिनाधीन	जिलाधीन
	तहसील वमचारीगण	तहसीलदार	समर्थित उप खड अधिवारी	समर्थित उप खड अधिवारी

(२) भू अभिलेख

नोट—सदर कानूनो, महक सदर कानूनो एवं भू अभिलेख विभाग के निरीक्षणों के पत्रों को पारण करने वाले के विषय में सम्बंधित जिले में जिनाधीन कार्यालयों में भू अभिलेखों का प्रभारी राजस्व मंडल या सदस्य निम्नलिखित उच्चतर अधिवारी होगा।

१ 'समर्थित डिभिजन का आयुक्त' के स्थान पर लिखा गया—अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१६), निम्नलिखित (ए) ६१, दिनांक ७-२-६२ द्वारा।

१	२	३	४	५	६
(१) भू प्रवच्य (सेटनमट)	मुख्य कार्यालय सतल	भू प्रवच्य आयुक्त का निजी सहायक भू प्रवच्य अधिकारी	भू प्रवच्य आयुक्त , भू प्रवच्य अधिकारी	भू प्रवच्य आयुक्त का निजी सहायक भू प्रवच्य अधिकारी	भू प्रवच्य आयुक्त "
	सहस्रीलक्ष्यवा क्षेत्र सहायक भू प्रवच्य अधिकारी या भू प्रवच्य अधिकारी का सहायक अभिलेख कारी का क्षेत्र	सहायक भू प्रवच्य अधिकारी भू प्रवच्य अधिकारी या कारी सहायक अभिलेख कारी अधिकारी	भू प्रवच्य अधिकारी , भू प्रवच्य अधिकारी	सहायक भू प्रवच्य अधिकारी सहायक अभिलेख कारी अधिकारी	भू प्रवच्य अधिकारी "
नोट—सदर कार्यालय सहायक सदर कार्यालय, कार्यालय कार्यालय, एव भू अभिलेख विभाग के निरीक्षकों के पद को धारण करने वाला के विषय में संवर्धित जिले का जिलाधीश कार्यालयमाध्यक्ष होगा एव निदेशक, भू अभिलेख निवृत्तम उच्चतर प्राधिकारी होगा।					
१३३ सहायता एव पुन सस्थापन	मुख्य कार्यालय	सहायक सेवाधिकारी (पुनः स ) जयपुर	उप सचिव (सहायता पुन सस्थापन) पदेन सचालक, (पुन स ) जयपुर सहायता एव पुन सस्थापन विभाग	सहायक सेवाधिकारी (सहायता पुन सस्थापन) पदेन सचालक, सहायता एव पुन सस्थापन विभाग	राज्य का उप सचिव (सहायता पुन सस्थापन) पदेन सचालक, सहायता एव पुन सस्थापन विभाग
	जिला कमचारी प्रलवर मे	सहायक सेवाधिकारी (पुनः स ) प्रलवर	"	सहायक सेवाधिकारी (पुन स ) प्रलवर	"
	जिला कमचारी प्रलवर के प्रतिरिक्त	जिलाधीश (सहायता)	"	जिलाधीश (सहायता)	"



१	२	३	४	५
३५	स निग सडन (शेजवस बोर्ड)		निर्मुक्ति (वी) विभाग म राज्य का उप सचिव राजकीय सचिव, मन्त्रीमण्डल एवं उप मन्त्रीमण्डल म संज्ञान कमकारिया के विभाग म	राज्य के निर्मुक्ति विभाग म विभाग सचिव
३६	राज्य बीमा		प्रथम सब मामला के विषय निर्मुक्ति (वी) विभाग म म राज्य सचिवालय का रजिस्ट्रार	राज्य का मुख्य सचिव
३७	एवं एवं सचिविनि (१) मुद्रासय संचालनालय	प्रभारी सचिवकारी	राज्य का सचिव	राज्य का सचिव
		उप संचालक	स संचालक	राज्य का सचिव
		उप संचालक (प्रशासना)	स संचालक	स संचालक
		स स्या सारश्री (स्टडीसियल)	उप संचालक (प्रशासना)	स संचालक
		(१) जिला कार्यलय	उप संचालक (प्रशासना)	स संचालक

१ इत्ये स्थापन सचिवालय ममान एक ३ (१८) निर्मुक्ति (ए) ६१ दिनांक २ ३ ६२ द्वारा बना गया  
'सांख्यिक मूरो मुख्य सचिविनि सचिवकारी-राजकीय सचिव मुख्य सचिविनि सचिवकारी-राजकीय सचिव ।

३८	यातायात	मुख्य कार्यालय	उप-यातायात प्रायुक्त	यातायात प्रामुख	उप यातायात प्रायुक्त	यातायात प्रायुक्त	यातायात प्रायुक्त
		क्षेत्रीय यातायात कार्यालय	क्षेत्रीय यातायात	क्षेत्रीय यातायात	उप यातायात प्रायुक्त	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी	उप यातायात प्रायुक्त
			अधिनारी				
		जिना यातायात अधिकारी	निरीक्षक	त्रितापीथ	त्रितापीथ	जिलापीथ	"
नोट	—(१) जहाँ पर इस प्रयुक्ति में राजकीय सचिव को ' निगटतम उच्चतर अधिनारी होना दर्शाया गया है वहाँ उसको जो गई कमील सरकार को की गई कमील नहीं समझी जावगी । उसी भाषा के विरुद्ध जो गई कमील राज्य सरकार के समक्ष की गई कमील मानो जावेगी और उगाए						
	निगटारा तदनुसार किया जायगा ।						
	(२) नियम १४ (३) के प्राक्धानानुसार, इस प्रयुक्ति में निगिट शक्तियों को प्रत्यायुक्ति को नियमित करन हेतु कथीतस्य अधिनारियों के पथ						
३९	बोपागार	बोपागार	नोपाधिकारी	जिलापीथ	बोपाधिकारी	जिलापीथ	
		उप बोपागार	तहसीलदार	नोपाधिकारी			
		राज्यपाल का सचिव	राज्यपाल का सचिव	राज्यपीथ सचिव	राज्यपाल का सचिव	राजकीय मुख्य सचिव	
४०	राज्यपाल का सचिवालय	राज्यपाल का सचिवालय	एडवोकेट जनरल	विधि विभाग का राज्य सचिव	एडवोकेट जनरल	विधि विभाग का राज्य सचिव	
			(i) एडवोकेट जनरल का कार्यालय		सखारी एडवोकेट	सखारी एडवोकेट	
			(ii) सरकारी एडवोकेट का कार्यालय		सखारी एडवोकेट	सखारी एडवोकेट	
४२	विनाय एवं वंचायत विभाग	मुख्यालय	उप विनाय प्रायुक्त	सखुवत विकास प्रायुक्त (प चायते)	उप विकास प्रायुक्त (प चायते)	उप विकास प्रायुक्त (प चायते)	सखुवत विनाय प्रायुक्त (प चायते)

१ नोट क्रमांक एक ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक २१ ६२ द्वारा जोडा गया ।  
 २ नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक एक १६ (१) नियुक्ति (रा) १६ दि० ४-४-६० द्वारा प्रतर्पयित किया गया ।

१	२	३	४	५	६
(पचायत विंग)	जिलाधीन कार्यलय	उप जिला विकास अधिकारी	जिलाधीन	कनिष्ठ तलको के विषय में राजस्व मंडल द्वारा मनीनीत जिलाधीन राजस्व मंडल का सदस्य बरिस्ट लेखन के विषय में उप विकास आयुक्त (पचायत)	"
४३	सर्कल कमांडिंग एन सी सी राजस्थान	एन सी सी इकाइयो का कमांडिंग अधिकारी	सर्वत कमांडिंग, एन सी सी राजस्थान	एन सी सी इकाइयो का कमांडिंग अधिकारी	सर्वत कमांडिंग एन सी सी राजस्थान
४४	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	मुख्य कार्यलय	परीक्षक	परीक्षक	वित्त विभाग में राज्य का सचिव
४५	पुरालेख संचालनालय	रेन्ज कार्यलय	सहायक सचालक	सहायक परीक्षक	परीक्षक
४६	संविद्यालय एवं सामायिक शिल्प किये गये अभिलेख	जिला मुरराजय	जिलाधीन	जिलाधीन	विभाग में राज्य का सचिव
		उप-सद मुस्तालय	उप सद अधिकारी	उप सद अधिकारी	नियुक्ति (बी) विभाग का सचिव

१. क्रमशः विकास एवं पर्याप्तो के लिये जिलाधीन का सहायक एवं सयुक्त विकास आयुक्त के स्थान पर क्रमाव एक ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६१ दि० ७-६-६२ द्वारा लिये गये।

२. लख इकाई कमांडेंट के स्थान पर अधिकृतना एक ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक १०-६-६२ द्वारा लिया गया।

३. कांस्थान कमांडेंट एक ३ (१६) नियुक्ति (ए III) ६५ दिनांक ६-६-६६ द्वारा स्थानापन लिया गया।

४७	जागीर विभाग	मुख्य कार्यालय	उत्तरिक्त जागीर प्रायुक्त	जागीर प्रायुक्त	उत्तरिक्त जागीर प्रायुक्त राजस्थान
		जिला जागीर कार्यालय	प्रायुक्त	जागीर प्रायुक्त	जयपुर
		मुख्य कार्यालय	उप जिलाधीन जागीर, जिलाधीन	उप जिलाधीन जागीर, जिलाधीन	जिलाधीन
		(क) मुख्य लेखाधिकारी का कार्यालय	(जमींदारी एवं विस्वेदारी) मुख्य लेखाधिकारी	सहायक जिलाधीन जागीर (जमींदारी एवं विस्वेदारी)	
४८	मुख्य लवायिकारी का सगठन लेखापाली के पदों सहित	(क) मुख्य लेखाधिकारी का कार्यालय	—	मुख्य लेखाधिकारी	(1) मुख्य सेवाधिकारी
		(ख) प्राय विभाग/कार्यालय	—	—	(11) मुख्य लेखाधिकारी, वित्त विभाग में गामन सचिव (ए एण्ड ए)
					(1) विभागाध्यक्ष/कार्यालयिका उनके विभागा/कार्यालयों से सलाह लेना प्राप्तों पर लघु प्रास्तियों लागू करने के विषय में।
					(11) मुख्य सेवाधिकारी, कठोर प्रास्तियों द्वारा पत्रित करने के विषय में।
४९	समाज कल्याण	मुख्य कार्यालय	उप संचालक	संचालक	संचालक
		क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय का सहायक संचालक	उप संचालक	उप संचालक
					(मुख्यालय)

जोड़ा गया अधिसूचना क्रमांक एक ३ (१) नियुक्ति एक (६१) ग्रुप III दिनांक ८ २ ६१ द्वारा बदला गया, हटाया गया एवं जोड़ा गया अधिसूचना क्रमांक एक ३ (८) नियुक्ति ए III ६२ दिनांक १६ ३ ६२ अधिसूचना क्रमांक एक ३ (८) नियुक्ति ए (III) ६२ दिनांक १६-३-६२ द्वारा जोड़ा गया। अधिसूचना क्रमांक एक १६ (८) नियुक्ति ए एल III/६० दिनांक १० ६ ६० अधिसूचना क्रमांक एक ३ (१०) नियुक्ति (ए) III/६१ दिनांक ५ ६-६१ द्वारा प्रत्यास्थित किया गया।





१२३	अर्धनिष्प प्रतिरक्षा संगठन	असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार	असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार	असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार
२५४	पनाधिकारिणा का प्रशिक्षण स्कूल	उप प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य
३५५	जिला गैजेटियस स चालनालय	सहायक स चालक	राजकाय शासन सचिव	सहायक स चालक
४५६	राजस्थान भूमिगत मुल्त कार्यालय जल बोर्ड	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	प्रभारी अभियंता एवं सचिव
	अधिशासी अभियंता (ड्रिलिंग) का कार्यालय	अधिशासी अभियंता (ड्रिलिंग)	अधिशासी अभियंता (ड्रिलिंग)	अधिशासी अभियंता (ड्रिलिंग)
	अधिशासी अभियंता (ब्लास्टिंग) का कार्यालय	अधिशासी अभियंता (ब्लास्टिंग)	अधिशासी अभियंता (ब्लास्टिंग)	अधिशासी अभियंता (ब्लास्टिंग)
	सहायक अभियंता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	सहायक अभियंता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	सहायक अभियंता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	सहायक अभियंता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग
	सहायक अभियंता (स्टोर)	सहायक अभियंता (स्टोर)	सहायक अभियंता (स्टोर)	सहायक अभियंता (स्टोर)
	एवं कारखाना			

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए) ६५ दिनांक २५-६-६५ द्वारा अन्तर्वासित किया गया ।  
 २ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (८) नियुक्ति (ए)/६५ दिनांक २५ ६ ६५ द्वारा जाड़ा गया ।  
 ३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (९) नियुक्ति (ए)/III/६५ दिनांक २३ ७ ६५ द्वारा जोड़ा गया ।  
 ४ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए)/III दिनांक १५ ९ ६५ द्वारा जाड़ा गया ।

- ७ कच्चा पाठशालापत्रा की निरीक्षा।
- ८ पाठशालापत्रा के उप निरीक्षक मन्वातक व निजी महायन्त्र, मन्त्रन पाठ शालापत्रा व उप निरीक्षका महित।
- ९ कच्चा पाठशालापत्रा की उप निरीक्षण।
- १० हटा दिया गया।
- ११ नाम काट दिया गया।
- १२ राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालय के प्रवक्तागण।
- १३ राजकीय उच्च शालाओं तथा इमी प्रशासन की शिक्षा मन्त्रालय के प्रशासक व्यापकगण।
- १४ नाम काट दिया गया।
- १५ प्रधानाचार्य तथा एवं शिक्षक पाठशाला जयपुर तथा रत्ना मन्थान, जयपुर।
- १६ उप प्रशासक तथा एवं शिक्षक पाठशाला जयपुर।
- १७ शिक्षक शिक्षाधिकारी (याजना)
- १८ प्रधानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोठानेर।
- १९ प्रधानाचार्य माटुन पब्लिक स्कुल, कोठानेर।
- २० माटुगरी स्कुलो की प्रधानाध्यापिकाएँ।
- २१ प्रधानाध्यापिका गंगा ज्ञान विद्यालय कोठानेर।
- २२ प्रधानाध्यापिका जाल विद्यालय काटा।
- २३ प्रधानाध्यापिका, जाल विद्यालय उदयपुर।
- २४ प्रधानाध्यापिका जाल विद्यालय भरतपुर।
- २५ प्रधानाध्यापिका जाल विद्यालय जाधपुर।
- २६ शारीरिक तान शिक्षक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर।
- २७ पुस्तकालयाध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय।

नोट—प्रविष्टि क्रमांक ८,९ तथा १५ व पदाधिकारियों के विषय में नाम तनीय एवं नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियों द्वारा शासकाना व प्रशासनिक शिक्षा मन्वातक का होंगी।

#### पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसंधान संस्था)

- १ सुवातक।
- २ उप-सुवातक।
- ३ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

१ राजस्थान इन्टरमीडिएट बोर्ड के प्रधानाचार्य और उच्च शिक्षा मन्त्रालय के प्रधानाचार्य अनुसंधान क्रमांक एफ (१२) निर्दिष्ट (ग) III/८ दि ६-८-६२ द्वारा हटा दिया गया। प्रविष्टि क्रमांक ११ एवं १४ हटा जा गए। प्रविष्टि १० एवं १२ में राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रवक्तागण अनुसंधान क्रमांक एच २ (८८) आ एच एम ९० क्रमांक १८ १ ६८ द्वारा हटा गया।

विद्युत् निरीक्षणालय

- १ विद्युत् निरीक्षकगण ।
- २ सहायक विद्युत् निरीक्षकगण ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग

- १ लेखाधिकारी ।

वन विभाग

- १ मुख्य वन मरक्षक ।
- २ वन सरक्षकगण ।
- ३ क्षेत्रीय वन अधिकारीगण ।
- ४ वन उपयोग अधिकारी ।
- ५ उप-खड वन अधिकारीगण ।
- ६ वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण ।
- ७ सहायक वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण ।
- ८ मुख्य वन सरक्षक वा निजी सहायक क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर वा ।
- ९ काययोजना अधिकारीगण ।
- १० वन वधनिक अधिकारीगण (सिलविकल्चरिस्ट अधिकारीगण) ।

गेरेज विभाग

- १ गेरेजो का मुख्य अधीक्षक ।
- २ मोटर अभियन्ता ।
- ३ गेरेजो का अधीक्षक ।

राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग

- १ संचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री ।
- २ राजकीय मुद्रणालयों के अधीक्षकगण ।
- ३ राजकीय मुद्रणालयों के सहायक अधीक्षकगण ।
- ४ लेखाधिकारी ।

उद्योग एव वाणिज्य

- १ संचालक उद्योग एव वाणिज्य ।
- २ उप-संचालकगण ।
- ३ प्रथम विक्रय अधिकारी (मार्केटिंग आफिसर) ।

- १ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) III ६७ दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।
- २ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१४) नियुक्ति (ए) III/६२ दिनांक १३ ८ ६२ द्वारा गव्ड "मुख्य अधीक्षक राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग के स्थान पर स्थानापन्न किया गया ।

- ७ कन्या पाठशालाओं की निरीक्षणिका ।
- ८ पाठशालाओं के उप-निरीक्षक मन्त्रालय के निजी सहायक, सम्बन्धित पाठशालाओं के उप-निरीक्षणिका मण्डित ।
- ९ कन्या पाठशालाओं की उप-निरीक्षणिकाएँ ।
- १० हटा दिया गया ।
- ११ नाम काट दिया गया ।
- १२ राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रवक्तागण ।
- १३ राजकीय उच्च शालाओं तथा इसी प्रकार की शिक्षा मन्त्रालयों के प्रधानाध्यापकगण ।
- १४ नाम काट दिया गया ।
- १५ प्रधानाचार्य कला एवं शिक्षण पाठशाला जयपुर तथा कला मन्त्रालय जयपुर ।
- १६ उप-प्रधानाचार्य कला एवं क्लिप पाठशाला जयपुर ।
- १७ विज्ञाप शिक्षाधिकारी (मोजना)
- १८ प्रधानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर ।
- १९ प्रधानाचार्य, साटुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर ।
- २० साटुसरी स्कूलों की प्रधानाध्यापिकाएँ ।
- २१ प्रधानाध्यापिका गंगा बाल विद्यालय बीकानेर ।
- २२ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय कोटा ।
- २३ प्रधानाध्यापिका, बाल विद्यालय उदयपुर ।
- २४ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय भरतपुर ।
- २५ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय, जोधपुर ।
- २६ शारीरिक ज्ञान शिक्षक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर ।
- २७ पुस्तकालयाध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय ।

नाटि — प्रविष्टि क्रमांक ८, ९ तथा १५ के प्राधिकारियों के विषय में भाग तृतीय एवं नियम १५ (१) में निर्दिष्ट गवर्नमेंटों जहाँ प्रावधानों के अधीनस्थ शिक्षा मन्त्रालय का हागी ।

### पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसंधान संस्था)

- १ संचालक ।
- २ उप-संचालक ।
- वैरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

१ राजकीय इन्फोर्मिण्ट कानेजों के प्रधानाचार्य और राजकीय इन्फोर्मिण्ट कानेज के अध्यापकगण अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१२) नियुक्ति (ए) III/६ दि ६-८-६२ द्वारा हटा दिया गया । प्रविष्टिका क्रमांक ११ एवं १४ हटा दी गई । प्रविष्टि १० एवं १२ में राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रवक्तागण अधिसूचना क्रमांक एफ २ (८६) भा एड एन १० दिनांक १८-१-६८ द्वारा हटाया गया ।

**विद्युत् निरीक्षणालय**

- १ विद्युत् निरीक्षकगण ।
- २ सहायक विद्युत् निरीक्षकगण ।

**निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबंध विभाग**

- १ लेखाधिकारी ।

**वन विभाग**

- १ मुख्य वन मरक्षक ।
- २ वन सरक्षकगण ।
- ३ क्षेत्रीय वन अधिकारीगण ।
- ४ वन उपयोग अधिकारी ।
- ५ उप-वड वन अधिकारीगण ।
- ६ वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण ।
- ७ सहायक वन भू प्रबंध अधिकारीगण ।
- ८ मुख्य वन सरक्षक का निजी सहायक, क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर का ।
- ९ कायमोजना अधिकारीगण ।
- १० वन वर्धनिक अधिकारीगण (सिलविकल्चरिस्ट अधिकारीगण) ।

**गेरेज विभाग**

- १ गेरेजो का मुख्य अधीक्षक ।
- २ मोटर अभियंता ।
- ३ गेरेजो का अधीक्षक ।

**राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग**

- १ संचालक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ।
- २ राजकीय मुद्रणालयों के अधीक्षकगण ।
- ३ राजकीय मुद्रणालयों के सहायक अधीक्षकगण ।
- ४ लेखाधिकारी ।

**उद्योग एवं वाणिज्य**

- १ संचालक उद्योग एवं वाणिज्य ।
- २ उप-संचालकगण ।
- ३ श्रम विश्रय अधिकारी (भारवेटिंग आफिसर) ।

- १ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) III/६७ दिनांक १२४ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।
- २ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१४) नियुक्ति (ए) III/६२ दिनांक १३ ८ ६२ द्वारा शब्द "मुख्य अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग" के स्थान पर स्थानापन्न किया गया ।

- ४ ऊन प्रयोगशाला अधीकारी ।
- ५ अभियन्ता ।
- ६ तकनीकी सहायकगण ।
- ७ भेट अनुमघान अधीकारी ।
- ८ ऊन वर्गीकरण अधीक्षकगण ।
- ९ समुक्त मचालक ।
- १० सहायक मचालक, उद्योग एव प्रागिन्य ।
- ११ अधीक्षक, हस्तकला मठन ।
- १२ धातुमाधक (मिटलजिस्ट) ।
- १३ जिला अधीक्षकगण ।
- १४ लेखाधिकारी ।
- १५ प्रध धक कुटीर उद्योग मस्या ।
- १६ ताड गुड संगठक ।
- १७ व्यवस्थापक, ऊन-मवारक एव पूराक केन्द्र (यून कार्मिग एण्ड किनिगिग सटर)
- १८ अधीक्षक अश्रीय अनुमघान मटमान ।
- १९ तकनीकी सहायक, मर एव ऊन विभाग ।
- २० ऊन-वर्गीकरण अधीक्षक ।
- २१ महाअधीक्षक
- २२ उप अधीक्षक
- २३ जिप्ट प्रमियन्तागण
- २४ प्रधानाचार्य, शिप प्रमियन्ता मस्या जयपुर ।
- २५ प्रयागशाला अधीकारी ।

} माटियम  
सकल प्लाट  
डीडवाना के लिए

साधजनिक निर्माण विभाग सिंचाई

- १ मुख्य अभियन्ता ।
- २ मुख्य विकास अभियन्ता ।
- ३ अधीक्षक अभियन्तागण ।
- ४ अधीक्षक अभियन्तागण ।
- ५ मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक ।
- ६ सहायक अभियन्तागण ।
- ७ यांत्रिक अभियन्ता ।
- ८ नृगम शास्त्री ।
- ९ उप अभियन्ता

१ अधीक्षक मचालक एफ = (१) नियुक्ति (ए)/६० दि ५ २ ६० द्वारा जोडा गया ।  
 २ , , एफ = (११) नियुक्ति (ए)/६३ ग्रुप III दि ८ ३ ६ द्वारा प्रतयचित  
 ३ , , एफ = (२०) नियुक्ति (ए)/६० दि १२ १२ ६३ द्वारा प्रतयचित ।

- १० सहायक लेखाधिकारी ।
- ११ जलविद्या सहायक (हाटड्रोलोजी एसिसटेट)
- १२ श्रम कल्याण अधिकारी ।
- १३ सहायक अनुसंधान अधिकारी ।

सावजनिक निर्माण विभाग-मधुन एव पथ

- १ मुख्य अभियन्ता ।
- २ अधीक्षक अभियन्तागण ।
- ३ अधिशासी अभियन्तागण ।
- ४ सहायक अभियन्तागण ।
- ५ विशेषाधिकारी जल प्रदाय ।
- ६ वरिष्ठ वास्तुविद् (भारकीटेक्ट) ।
- ७ कनिष्ठ वास्तुविद् ( " ) ।
- ८ राजकीय रसायनज्ञ (केमिस्ट) ।
- ९ लेखाधिकारी ।
- १० उद्यान विशेषज्ञ ।
- ११ उद्यान अधीक्षक ।
- १२ रसायनज्ञ (जल विभाग) ।
- १३ विशेषाधिकारी ग्राम्य जल प्रदाय (जल विभाग) ।

जेल विभाग

- १ कारागृहों के महानिरीक्षक ।
- २ कारागृहों के उप-महा निरीक्षक ।
- ३ केन्द्रीय जेलों के अधीक्षकगण ।
- ४ जिला जेलों के अधीक्षकगण ।
- ५ केन्द्रीय तथा जिला जेलों के उप-अधीक्षकगण ।
- ६ जेल-उद्योगों के सवालक ।
- ७ चिकित्साधिकारीगण (सी ए एस श्रेणी प्रथम एव द्वितीय) ।

नोट—प्रविष्टि क्रमांक ५ के पदधारियों के विषय में, भाग तृतीय एव नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां, इही प्रावधानों के अधीनस्थ कारागृहों के महानिरीक्षक को होगी ।

श्रम विभाग

- १ सहायक श्रम आयुक्त ।
- २ कारखाना एव बोयलरो के मुख्य निरीक्षक ।
- ३ श्रम सांख्यिकी अधिकारी ।





- २५ महिला अधीक्षक, स्वास्थ्य स्कूल ।
- २६ फार्मा स्युटिकल केमिस्ट (ओपधि रमायनज्ञ) ।
- २७ वेक्टीरिओलोजिस्ट (कीटाण शास्त्रज्ञ) ।
- २८ मुख्य सावजनिक विश्लेषक (चीफ पब्लिक केमिस्ट) ।
- २९ रासायनिक जाचकर्ता ।
- ३० व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सा स्टोर ।
- ३१ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी प्रथम (चुनाव ग्रेड) ।
- ३२ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी प्रथम ,
- ३३ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी द्वितीय (वरिष्ठ स्केल) ।
- ३४ " " " " " " " " (कनिष्ठ स्केल) ।
- ३५ सहायक स्वास्थ्य अधिकारीगण ।
- ३६ सचिव, स्टोर त्रम सगठन ।
- ३७ प्रशासनिक अधिकारी ।
- ३८ प्रदशक (डेमास्ट्रटर) ।
- ३९ आहार शास्त्री ।
- ४० सावजनिक विश्लेषक

(ख) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय

- १ प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय ।
- २ प्राध्यापक निम्नांकित विषयो के—
  - (क) शरीर विज्ञान (फिजियोलॉजी) ।
  - (ख) शरीर रचना शास्त्र (चीर फाड)-(एनेटोमी) ।
  - (ग) ओपधि विज्ञान (फार्माकोलॉजी) ।
  - (घ) राग निदान (पथोलॉजी) ।
- ३ रीडर, निम्नांकित विषयो के—
  - (क) रोग निदान ।
  - (ख) ओपधियें (शिक्षा) ।
  - (ग) वायो-केमिस्ट्री ।
- ४ सहायक प्राध्यापक निम्न विषयो-में—
  - (क) शरीर विज्ञान ।
  - (ख) शरीर रचना (चीर फाड) शास्त्र ।
- ५ वरिष्ठ प्रदशनकर्ता इन विषयो में—
  - (क) शरीर विज्ञान ।
  - (ख) शरीर रचना (चीर फाड) शास्त्र ।
  - (ग) ओपधि विज्ञान ।
  - (घ) रोग-निदान ।
- ६ व्याख्यातागण ।

## खनिज एव भूगर्भ विभाग

- १ मंचायन ।
- २ उच्च मंचालक (प्रशासन) ।
- ३ खनिज अभियन्तागण
- ४ सहायक खनिज अभियन्ता ।
- ५ रसायन शास्त्री एव कुम्हारो विद्या प्रविण (केमिस्ट-कम-निरामिक टक्नोलॉजिस्ट) ।
- ६ खनिज व्यवस्थापक ।
- ७ सहायक खनिज व्यवस्थापक ।
- ८ उप-ट्रेडिंग (खेदन) अभियन्ता ।
- ९ रसायन शास्त्रीगण ।
- १० कुम्हारो विद्या सहायक ।
- ११ सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) ।
- १२ व्यवस्थापक पाठन परियाजना ।
- १३ थम कल्याण अधिकारी ।
- १४ वरिष्ठ भू-गर्भ शास्त्री ।
- १५ कनिष्ठ भू-गर्भ शास्त्री ।
- १६ रसायनिक एव कुम्हारो अभियन्ता ।

## घारसी (पुलिस) विभाग

- १ पुलिस माटर अधिकारीगण ।
- २ संचालक, अदानतो प्रयोगशाला ।
- ३ सहायक संचालक ,
- ४, पुलिस अधीक्षक, रडिया सगठन ।
- ५ उप-पुलिस ,, , ।

३नोट — प्रविष्टियों १, २, ४ एव ५ के पदाधिकारियों के विषय में 'निष्ठा तथा 'वचन बुद्धियों म राक की गतिवदा लागू करन की गतिवदा भूदानिरीमक पुलिस का है और प्रविष्टि क्रमांक ३ का पद घारग कले चाल के विषय म ये गतिवर्त संचालक, अदानतो प्रयोगशाला का प्राप्य है ।

१ अधिनूचना क्रमांक एक ३ (२८) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक १५-२-६५ द्वारा ग-  
"खनिज एव भूगर्भ विभाग क स्थान पर निष्ठा गया ।

२ अधिनूचना क्रमांक एक (२०) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक २०-३-६६ द्वारा  
जादा गया ।

३ अधिनूचना क्रमांक एक १२ ( ) नियुक्ति (ग) ६० प्रप III दिनांक २८-१-६१ द्वारा  
स्थानान्त किया गया एवं जाया गया ।

जन सपक निदेशालय

- १ संचालक ।
- २ उप संचालकगण ।
- ३ सहायक संचालकगण ।
- ४ सुपरीक्षा अधिकारी ( स्त्रूटिनि ऑफिसर )
- ५ वरिष्ठ फोटोग्राफर ।
- ६ सहायक सपादक ।
- ७ सपक अधिकारी ।
- ८ जन सपक अधिकारी ।
- ९ जांच अधिकारी ।

सहायता एव पुन सस्थापन विभाग

- १ आर्थिक सलाहकार ।
- २ ऋण अधिकारीगण ।

समाज कल्याण विभाग

- १ संचालक ।
- २ सहायक संचालक ।
- ३ कल्याणअधिकारीगण ( वेलफेयर ऑफिसर्स ) ।
- ४ अनुमधानाधिकारीगण ।
- ५ प्रचाराधिकारी ।
- ६ विशेषाधिकारी ( पुन सस्थापन )
- ७ विक्रिता अधिकारी ।
- ८ आवासगृहो का अधीक्षक ।
- ९ मुख्य परीक्षण अधिकारी ।
- १० प्रधानाचार्य ।
- ११ व्याख्याता ।
- १२ जन जाति कल्याण एव सुधार प्रशासन का व्याख्याता ।

निर्वाचन विभाग

- १ मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक ।

पयटक सुविधायें विभाग

- १ सगठक पयटक सुविधायें ।

पञ्जीकरण एव स्टाम्प विभाग

- १ निरीक्षकगण ।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २४ ३ ६४ द्वारा प्रविष्टि  
' महिला कल्याण अधिकारी एव सामाजिक शिक्षा अधिकारी को हटाया गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २४ ३ ६४ द्वारा जोडा गया ।

१ राजस्व एव नू अभिवेल विभाग  
( काट दिया गया )

नाविक सनिक एव वायु सनिकों का चोर्ड

१ सचिवगण ।

### सचिवालय

- १ सहायक प्रामन सचिवगण ।
- २ भगठन एव प्रणाली अधिकारीगण ( ओ एण्ड एम आफिसस ) ।
- ३ निजी सचिवगण ।
- ४ ( काट दिया गया ) ।

### राजकीय बीमा

- ४ सचालक ।
- ७ उप सचालक ।
- ३ सहायक सचालक ।

### आर्थिक एव सांख्यिकी निदेशालय

- १ आर्थिक एव सांख्यिकी सचालक ।
- २ सांख्यिकी ।
- ३ उप-सचालक ।
- ४ सहायक सचालक ।

### स्थानीय स्वायत्त शासन ( स्थानीय सहाय्य )

- १ क्षेत्रीय निरीक्षकगण ।
- २ डिविजनल पचायत अधिकारीगण ।

### यातायात विभाग

- १ सहायक क्षेत्राय यातायात अधिकारीगण ।
- २ व्यवस्थापक राजस्थान राज्य परिवहन सेवा ।

### विकास विभाग

- १ सख विकास अधिकारी ।
- २ पशुपालन अधिकारी ।

१ अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (४) नियुक्ति (ए)/६१ प्रूप III दिनांक १०-७-६२ द्वारा हटाया गया ।

२ हटाया गया ' राज्य सचिवालय में अधीक्षक , अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (२४) नियुक्ति (३) ६१ प्रूप III दिनांक १३-२-६२ द्वारा हटाया गया ।

३ नियुक्ति (ए) III विभाग की अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति ए/(६१) दिनांक २०-२-६२ द्वारा जोटा गया ।

- ३ वृषि प्रमार अधिकारी ।
- १४ लेखा परीक्षक राजस्थान विकास ।
- २५ प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र ।

### उ-निवेशन विभाग

- १ उपनिवेशन के सहायक सचालक ।
- २ उपनिवेशन के तहसीलदार ।

### राजस्थान उच्च न्यायालय

- १ उप-रजिस्ट्रार ( प्रशासन )
- २ सहायक रजिस्ट्रार एवं मुख्य-यायाधीश का सचिव ।

### विधि एवं न्याय विभाग

- १ पत्रिक प्रोसीक्यूटम ( पूरे समय काम करने वाले ) ।
- ३२ सरकारी अधिवक्ता ( गवर्नमेन्ट एडवोकेट ) ।

### पचायत विभाग

- १ सहायक सचालक गण ।
- २ वरिष्ठ प्रशिक्षकगण एवं अन्य प्रशिक्षकगण ।
- ३ जिला पचायत अधिकारीगण ।

### अल्प वचत योजना

- १ विशेषाधिकारी अल्प-वचत योजना ।
- २ क्षेत्रीय अधिकारी , ,

### सेवा-नियोजन निदेशालय

- १ सेवा नियोजन का सचालक ।
- २ सेवा-नियोजन का उप-सचालक ।
- ३ सेवा-नियोजन का सहायक सचालक ।
- ४ उप-क्षेत्रीय सेवा-नियोजन अधिकारी ।
- ५ जिला सेवा-नियोजन अधिकारी ।

### चकबंदी विभाग

- २ चकबंदी अधिकारी ।

- १ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिमूचना क्रमांक एफ २ (७) नियुक्ति (ए)/६३ दिनांक २५ ३ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।
- २ अधिमूचना एफ २ (३) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया ।
- ३ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिमूचना क्रमांक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक २-११-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

१ राजस्व एवं नू प्रमिषेण विभाग  
( काट दिया गया )

साथिक सनिब एव याम् मन्त्रिकों का घोट

१ सचिवगण ।

सचिवालय

१ महायक भामन सचिवगण ।

२ मगठन एव प्रगानी अधिकागण ( भा एव एम आरिमग ) ।

३ निब्री सचिवगण ।

४ ( काट दिया गया ) ।

राजकीय यामा

५ मचावर ।

७ उर मचावर ।

३ महायक मचावर ।

आयिक एव सान्धिकी निदेशालय

१ आयिक एव सान्धिकी मचावर ।

७ सान्धिकी ।

३ उर-मचावर ।

७ महायक मचावर ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ( स्थानीय महदाय )

१ क्षत्रीय निरीगकगण ।

७ दिरिजनन पचायत आरिचारीगण ।

यातायात विभाग

१ महायक क्षत्राय यातायात अधिकारीगण ।

७ व्यवस्थापन राजस्थान राज्य परिवहन सेवा ।

विज्ञान विभाग

१ मठ विज्ञान अधिकारी ।

२ पशुपालन अधिकारी ।

१ अधिसूचना क्रमांक एन २ (४) निवृत्ति (७)/६१ घूप III तिनाके १० ७-६० द्वारा हटाया गया ।

७ हटाया गया "राज्य सचिवालय में अध्यापक, अधिसूचना क्रमांक एन ३ (२४) निवृत्ति (३) ६१ घूप III तिनाके १३-२ ६२ द्वारा हटाया गया ।

३ निवृत्ति (ए) III विभाग की अधिसूचना क्रमांक एन २ (१८) निवृत्ति ए/(६१) तिनाके २०-२-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

- ३ कृषि प्रमार अधिकारी ।
- १४ लेखा परीक्षक राजस्थान विकास ।
- १५ प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र ।

### उपनिवेशन विभाग

- १ उपनिवेशन के सहायक सचालक ।
- २ उपनिवेशन के तहसीलदार ।

### राजस्थान उच्च न्यायालय

- १ उप-रजिस्ट्रार ( प्रशासन )
- २ सहायक रजिस्ट्रार एवं मुख्य न्यायाधीश का सचिव ।

### विधि एवं न्याय विभाग

- १ पब्लिक प्रोमीक्यूटम ( पूरे समय काम करने वाले ) ।
- २ सरकारी अधिवक्ता ( गवर्नमेन्ट एडवोकेट ) ।

### पचायत विभाग

- १ सहायक सचालक गण ।
- २ वरिष्ठ प्रशिक्षकगण एवं अन्य प्रशिक्षकगण ।
- ३ जिला पचायत अधिकारीगण ।

### अल्प वचत योजना

- १ विशेषाधिकारी अल्प-वचत योजना ।
- २ क्षेत्रीय अधिकारी, , ,

### सेवा-नियोजन निदेशालय

- १ सेवा नियोजन का सचालक ।
- २ सेवा-नियोजन का उप-सचालक ।
- ३ सेवा-नियोजन का सहायक सचालक ।
- ४ उप-क्षेत्रीय सेवा-नियोजन अधिकारी ।
- ५ जिला सेवा-नियोजन अधिकारी ।

### चकवदी विभाग

- २ चकवदी अधिकारी ।

- १ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए)/६३ दिनांक २५ ३ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।
- २ अधिसूचना एक २ (३) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया ।
- ३ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक २-११-६२ द्वारा जोड़ा गया ।



१ राजस्थान लोक सेवा आयोग

( विनापित किया गया )

पदाधिकारियों का प्रशिक्षण स्कूल, जयपुर

१ प्रशासन अधिकारी ।

२ मूल्यांकन समूह

१ धार्मिक मूल्यांकन अधिकारीगण ।

२ अनुसूचित अधिकारीगण ।

३ राजस्थान नहर परियोजना

१ सहायक नगर नियोजक ।

‘राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग

१ महा व्यवस्थापक ( जनरल मैनेजर ) ।

२ उप महा व्यवस्थापक ।

३ महायंत्र महा व्यवस्थापक ( प्रशासन )

४ सहायक महा व्यवस्थापक ( यातायात ) ।

५ महायंत्र धार्मिक व्यवस्थापक ।

६ मुख्य यांत्रिक अभियंता ।

७ धार्मिक , ।

८ वायु व्यवस्थापक ।

९ स्टार का नियंत्रक ।

१० सहायक यांत्रिक अभियंता ।

११ सहायक वायु व्यवस्थापक ।

१२ जननीकी सहायक ।

१३ सहायक अभियंता ( सिविल ) ।

१४ कोट्याधिकारी ( स्टोम आफिसर ) ।

१५ श्रम अधिकारी ।

१६ वरिष्ठ लेखाधिकारी ।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२८) नियुक्ति (ए) ६१ प्रूप III दिनांक १२ २ ६२ द्वारा ' नाग सेवा आयोग का अधीकार हटा दिया गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति (ए)/६१ दिनांक ४ १० ६१ द्वारा अन्तर्भावित किया गया ।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२१) नियुक्ति एफ ३ (२१) नियुक्ति (ए) ६२ प्रूप III दिनांक २२ १० ६२ द्वारा जाड़ा गया ।

अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) ६४ दिनांक ७ १ ६४ द्वारा जाड़ा गया ।

<sup>१</sup>राजस्थान भूमिगत जल मंडल

- १ प्रभारी अभियंता एवं सचिव ।
- २ अधिशासी अभियन्ता ( ड्रिलिंग ) ।
- ३ " " ( ब्लॉस्टिंग ) ।
- ४ भूगमजल विशेषज्ञ ( जीओहाइड्रोलोजिस्ट ) ।
- ५ सहायक अभियंता ।
- ६ कनिष्ठ भूगम विशेषज्ञ ।
- ७ रसायन शास्त्री ( केमिस्ट ) ।
- ८ ड्रिलिंग फोरमेन ।

<sup>२</sup>जिला गजेटियर का निदेशालय

- १ अनुसंधान अधिकारी ।

<sup>३</sup>प्राचीन अभिलेख निदेशालय

- १ प्राचीन अभिलेखों के सचालक ।
- २ प्राचीन अभिलेखों के सहायक सचालक ।

<sup>४</sup>विद्युत निरीक्षणालय

- १ सहायक विद्युत निरीक्षक ।

।।

- 
- १ अधिसूचना नं. एफ २ (६) नियुक्ति (ए) III/२५ दिनांक १५-६-६७ द्वारा जोड़ा गया ।
  - २ " " (६) " (ए) /६५ दि० २३ ७ ६५ द्वारा जोड़ा गया ।
  - ३ " " (१६) " (ए) - III ६५ दिनांक ८-११-६५ द्वारा
  - ४ " " (१५) " " " " ८ ११-६५ " "

अन्तर्न्यामित हुआ ।

# अनुसूची द्वितीय

## प्रधानमन्त्री के कार्यालय

विद्यमान विधायक पद एवं दली प्रकार के पदधारियों —  
११ वरिष्ठ मन्त्री मन्त्री ।

## कृषि विभाग

### क-कृषि शाखा

- १ प्रधान विभागाध्यक्ष ( वार्षिक सुदृष्ट्याङ्कन ) ।
- २ प्रधान कर्मचारी ( वार्षिक ) ।
- ३ मन्त्री कर्मचारी ( वार्षिक ) ।
- ४ प्रधानमन्त्री कर्मचारी ।
- ५ कर्मचारी ।
- ६ कर्मचारी ।
- ७ कर्मचारी ( टैक्स विभाग ) ।
- ८ मिन्ट्री ।
- ९ ट्रेनिंग कर्मचारी ।
- १० प्रधानमन्त्री कर्मचारी ।
- ११ कृषि मन्त्री कर्मचारी ।
- १२ कर्मचारी ( पार्लियामेन्ट ) ।
- १३ मन्त्री कर्मचारी ( विभागाध्यक्ष ) ।
- १४ कर्मचारी मिन्ट्री कर्मचारी ।
- १५ कृषि विभागाध्यक्ष ।
- १६ उद्यानाध्यक्ष कर्मचारी ।
- १७ विभागाध्यक्ष ( इन्फ्रस्ट्रक्चर ) ।
- १८ विभागाध्यक्ष ( मकान ) ।
- १९ कर्मचारी निरीक्षण कर्मचारी ।
- २० पौध मन्त्री कर्मचारी ।
- २१ मन्त्री कर्मचारी कृषि विभागाध्यक्ष ।
- २२ ट्रेडर कर्मचारी ।
- २३ कर्मचारी विभागाध्यक्ष ।
- २४ अनुसंधान कर्मचारी ।
- २५ कृषि प्रसार कर्मचारी ।
- २६ कृषि विभागाध्यक्ष का निदेशक ।

१ कृषि विभाग के कार्यालय (१६) निदेशक/ (१)/ ६० दिनांक १२ १० ६२ द्वारा कर्मचारी विन दृष्टा ।

ख—पशुधन शाखा

- १ सल्हात्री ।
- २ टीका लगाने वाल ।
- ३ मुख्य स्टोकमैन एव स्टोक मन ।
- ४ पशुधन निरीक्षकगण ।
- ५ मत्स्य प्रयवेक्षकगण ।
- ६ पशुचिकित्सालयो के लिये कम्पाउ डर गण ।
- ७ पक्षी निरीक्षकगण, उप-निरीक्षकगण एव सहायक ।
- ८ प्रयोगशाला सहायकगण ।
- ९ पशु प्रजनन फार्मों के सहायक अधीक्षकगण ।
- १० पशुपालन प्रसार अधिकारीगण एव भेड तथा ऊन प्रसार अधिकारीगण ।

नोट—जिला एव 'वतन वृद्धिमे रोके' जो दा से अधिक नही हागी और उनका जुडवा प्रभाव नही हागा ऐसी शास्तियें लागू करने की शक्तिया, राजपत्रित पशुपालन प्रसार अधिकारी के पदधारी के सम्बन्ध म (i) सम्बन्धित पशुपालन उप सचालक के पास हागी और (ii) मराजपत्रित कमचारिया के विषय मे सम्बन्धित जिला पशुपालन अधिकारी के पास हाँगी तथा कृषि प्रसार अधिकारिया एव भेड तथा ऊन प्रसार अधिकारियो के विषय म ये शक्तिया क्रमश सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारियो एव जिला पशुपालन अधिकारियो के पास हागी ।

पुरातत्व विभाग एव संग्रहालय विभाग

- १ सरक्षकगण ( कस्टोडियन्स ) ।
- २ सुरक्षा सहायक ( कजरवेशन एसिस्टेन्ट ) ।
- ३ पयवेक्षक, खगोलिक वेधशाला जयपुर ।
- ४ फोटोग्राफम ।
- ५ ड्राफ्ट्स मैन ।
- ६ कलाकार ( आर्टिस्ट ) ।
- ७ पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ८ पयवेक्षक ( दुग एव प्रासाद ) ।
- ९ प्रयोगशाला सहायक ।
- १० निशानेबाज ।
- ११ मुख्य फोटोग्राफर ।
- १२ बहई ।

१ अधिमूचना क्रमांक एफ ३(२६)नियुक्ति (ए)/६२ दि ३० १० ६३ द्वारा अत र्थासित हुआ ।  
 २ पद हत्या ८ से १२ के स्थार पर अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति ( ए III ) दि० १२ ४-६७ द्वारा लिखा गया ।



- २ प्रवक्त क (एनफोसमेट) अधिकारीगण ।
- ३ गादाम अधिकारीगण ।
- ४ सहायक जिला पूति अधिकारीगण ।
- ५ प्रवक्त क (एफोसमेट) निरीक्षकगण ।

### सहकारी विभाग

- १ निरीक्षकगण ।
- २ सहायक निरीक्षकगण ।
- ३ फील्ड प्रचार सहायक ।
- ४ आपरेटस (चालक) ।
- ५ ग्राम सेवक ।
- ६ ग्राम पुन निर्माण विभाग क शिक्षक ।
- ७ वैद्य ।
- ८ व्यवस्थापक, नाटय इकाई ( ड्रामेटिक यूनिट ) ।
- ९ कलाकार , , ।
- १० अभिनेता, , ।
- ११ सगीतज्ञ , , " ।
- १२ सहकारी प्रसार अधिकारी ।

२ नोट— निदा एव वेतन वृद्धिया मे रीफ, जो दो से अधिक नही हागी और जिनका जुडवा प्रभाव नही होगा, एसा शास्तिये लागू करन की शक्तिया सहकारी प्रसार अधिकारिया और सहायक निरीक्षका के पद धारण करन वालो के विषय म सम्बन्धित सहायक रजिस्टार को हागी ।

### ३ वाणीज्य कर विभाग

- १ विधि सहायक ।
- २ निरीक्षक प्रथम ग्रेट के ।

- १ क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रूप III, दिनांक ८ २ ६१ द्वारा जोडा गया ।
- २ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२६) सहायता (ए) ६२ ग्रूप III दिनांक ३० १० ३३ द्वारा जोडा गया ।
- ३ 'आवकारी एव कर विभाग' के स्थान पर लिखा गया ।
- १ निरीक्षक - २ जमादार
- ३ महसूलचोरा विरोधकदन के - ४ गश्त लगाने वाले अधीक्षक ।
- निपाही तथा सवार ' ' - ५ गश्त लगाने वाले अधिकारी ।

नाट— निदा एव वेतन वृद्धिया म राक जो दो से अधिक नही हागी और जिसका जुडवा प्रभाव नही हागा, एसी शास्तिये लागू करन की शक्तिया निरीक्षको के पद धारण करने वाला के विषय म सम्बन्धित सहायक आयुक्त बित्री कर अधिकारा को हागी जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक १६ ८ ६४ ।

- ३ निरीक्षक द्वितीय ग्रेड के ।
  - ४ निरीक्षक तृतीय ग्रेड के ।
  - ५ गहनतमान वात अधिकारी ( पट्टाविंग अधिषम ) ।
  - ६ जमादार ।
  - ७ सिपाही ।
  - ८ मोटर चालक ।
- १ नोट— १ निम्न पत्र बतल वृद्धिया म गत जा न म अधिन नर्त होंगे और त्रिनता उदका प्रभाव नही होगा ऐसा शक्तिमें तालू करने की शक्तिया पुन प्रभावित मन्सा २ म ४ अधिन निगानतमण ग्रेड १ म ३ तत क विषय में वाणिज्य कर अधिनकारी का श्रागा ।
- २ निम्न की शक्ति तालू करने की शक्ति पर क्रमांक ७ एवं ८ अधिन सिपाही और मोटर चालक क विषय म सहायक वाणिज्य कर अधिनकारी ( निगारहन् ) का होगी ।
- ३ राजस्थान अधिनियम संख्या ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं प्रसार ) नियम १९५८ क नियम १४ (i) (ii) तथा (iii) म निराधिन समस्त तनु शक्तिमें पर क्रमांक २ म ८ क विषय में तालू करने का शक्तिया उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग ( प्रामल ) का श्रागी ।

### २ आचकारा विभाग

- १ निरीक्षक ग्रेड प्रथम ।
- २ " " द्वितीय ।
- ३ " " तृतीय ।
- ४ कोट ट्रामपक्टर ।
- ५ गहन लगाने वात अधिषक ( निराधक श्न ) ।
- ६ गहन लगाने वाते अधिकारी ग्रेड प्रथम ( निरीधक दल ) ।
- ७ " " " " द्वितीय ( " " ) ।
- ८ जमादार ( निराधक दल ) ।
- ९ सिपाही तथा सवार ( निराधक दल ) ।

३ नोट—१ निम्न तथा ग्रेड में वृद्धिया पर रात जा न म अधिन नर्त होंगा और त्रिनता उदका प्रभाव नही होगा ऐसी शक्तिया तालू करने की शक्तिया पर क्रमांक १ से ४ तक के विषय म सहायक आचकारा अधिषक/त्रिना आचकारा अधिषकिया का श्रागा ।

१ अधिनूचना क्रमांक एन ३ (१) निरुचित (ए) III/८४ दि० २२-१-५१ द्वारा जाडा गया ।

२ अधिनूचना क्रमांक ३ (१६) निरुचित (ग)/६४ दिनांक १६-६ ५४ द्वारा जाडा गया ।

३ अधिनूचना क्रमांक एन ३ (१) निरुचित (ए) III/६८ दिनांक २२ ४ ६५ द्वारा अन्त का श्रित किया गया ।

- २ निन्दा की शास्ति लागू करने की शक्ति पद क्रमांक ८ तथा ९ के विषय में महायुक्त प्रावकारी अधिकारी ( निरोधक दल )/जिला प्रावकारी अधिकारी ( निरोधक दल ) को होगी ।
- ३ वर्यित नियमा के नियम १८ (i) (ii) तथा (iii) में निर्धारित समस्त लघुशान्तिदा प्रदान करने की शक्तिया पद क्रमांक १ से ४ के विषय में उपायुक्त, प्रावकारी की एव पद क्रमांक ५ में ९ के विषय में उपायुक्त ( निरोधक दल ) को होगा ।

### धर्माथ विभाग

- १ निरीक्षक ।
- २ सहायक निरीक्षक ।

### शिक्षा विभाग

- १ सहायक उप निरीक्षक ।
- २ उच्च विद्यालयों तथा इसी प्रकार की अन्य शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त स्कूलों के प्रधानाध्यापक गण ।
- २ महाराजा सात्रजनिक पुस्तकालय जयपुर पंचम जॉज रजत जुदिली पुस्तकालय बीकानेर एव सुमेर सावजनिक पुस्तकालय जोधपुर, के पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ४ समस्त राजकीय संस्थाओं के शिक्षक ।
- ५ अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा ।
- ६ चिकित्साधिकारी ।
- ७ सामाजिक शिक्षा सगठक ।
- ८ ओवरसीयर ।
- ९ उप प्रधानाचार्य, कला संस्थान, जयपुर ।
- १० शारीरिक शिक्षक ।
- ११ प्रयोगशाला सहायक ।
- १२ प्रदर्शनकर्ता ।
- १३ आशु-लिपिक शिक्षक ।
- १४ पशुओं की खाल में मसाला भरने वाला ।
- १५ कलाकार ।
- १६ उद्यान पयवेक्षक ।
- १७ संग्रहालय रखने वाले ( म्यूजियम कौपस ) ।
- १८ मसवाले ।
- १९ सेक्शन काटने वाला ।
- २० संस्कृत महाविद्यालय के व्याख्याता ।

- 
- १ अधिनूचना क्रमांक एफ २ (२२) नियुक्ति (ए) ग्रूप III/६१ दिनांक २४-१-६२ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया ।
  - २ अधिनूचना क्रमांक एफ ३ (१२) नियुक्ति (ए) ग्रूप III ६२ दिनांक ६-८-६२ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया ।



- २१ विभागाधीन अधिकाारी ।
- २२ मन्त्रालय प्रशासनिक अधिकारी ।
- मन्त्रालय तथा नगर अधिकारी ।
- २३ मन्त्रालय प्रशासन अधिकारी ।
- २४ नगर अधिकारी ।
- २५ अग्रणी अधिकारी ।
- २६ मन्त्रालय प्रशासनिक अधिकारी (नगर मन्त्रालय)
- २७ अग्रणी तथा मिश्री ।
- २८ स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- २९ मन्त्रालय मामुली ।
- ३० अग्रणी अधिकारी ।
- ३१ मन्त्रालय प्रशासनिक अधिकारी ।
- ३२ अग्रणी अधिकारी ।
- ३३ अग्रणी पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ३४ अग्रणी अधिकारी (मन्त्रालय)

नाट - (१) भाग तृतीय नियम ११ (१) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण, अधिकाारी स्नातक, प्रशिक्षण स्नातक ग्रेड व अधिकारी की उम्र की मा. तुलना सूची के सहायक

- १ अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (२९) नियुक्ति (ग) अनु. III ६२ तिनांक २० १० ६२ द्वारा अन्तर्-निर्दिष्ट किया गया ।
- अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (३१) नियुक्ति (ए) III ६३ तिनांक १२ १२ ६२ द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट किया गया ।
- २ अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (३२) नियुक्ति (ग) ६४ ति १७ ६ ६४ द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट किया गया ।
- ४ अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (३४) नियुक्ति (ए) ६४ ति २६ २ ६४ द्वारा जारी किया गया ।
- ५ अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (३८) नियुक्ति (ग) ६४ ति २० १० ६४ द्वारा जारी किया गया ।
- ६ अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं (३६) नियुक्ति (ग) III ६३ तिनांक २० १० ६२ द्वारा निम्न नाट १ ग ४ तक नाट १ ग ८ के स्थान पर किया गया ।

- नाट १ भाग तृतीय में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहने प्रशिक्षण स्नातक अग्रणी अधिकारी स्नातक एवं अधिकाारी स्नातक अध्यापिका के पदधारियों के विषय में उपरि लिखित सहायक का होगा ।
- २ भाग तृतीय में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहने, मिट्टन, प्रशिक्षण मिट्टन मन्त्रालय प्रशिक्षण मन्त्रालय एव अग्रणी अधिकारी स्नातक अध्यापिका के पदधारियों के विषय में सूचना के निराकरण का (जिम्मेदारि जिन के प्रमोटी सूत्र उप निर्दिष्ट गण भा सम्मिलित हैं) होगा ।
- भाग तृतीय में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहने, क्या पाठ्यालोका की प्रशिक्षण मन्त्रालय, एव स्नातक ग्रेड का अध्यापिका के पदधारियों के विषय में सहायक शिक्षा सहायक (मन्त्रालय) का होगा ।
- ६ भाग तृतीय में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहने क्या पाठ्यालोका की मिट्टन एवं प्रशिक्षण मिट्टन ग्रेड अध्यापिका के पदधारियों के विषय में सूचना का उप निर्दिष्ट का होगा ।

शिक्षणको सहित पदों के धारण करने वालों के विषय में इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीन, शिक्षा के उप संचालकों को होगी।

- (२) भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियाँ, मैट्रिक प्रशिक्षित, मैट्रिक अप्रशिक्षित, इटर, एव प्रशिक्षित इटर, शिक्षक पदधारियों के विषय में इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीन, विद्यालय निरीक्षकों को (जिले के प्रभारी उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं) होगी।
- (३) भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियाँ, अप्रशिक्षित एव प्रशिक्षित इटर ग्रेड के कन्यापाठशालाओं के अध्यापिकाओं व पदधारियों के विषय में, इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीन, सहायक/उप संचालक शिक्षा (महिला) को होगी।
- (४) भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियाँ, कन्यापाठशालाओं की मैट्रिक एव प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड की अध्यापिकाओं के पदधारियों के विषय में स्कूलों की उप निरीक्षकों को इन नियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।
- (५) 'निंदा' एव 'वैतन में दो त्रुटियों तक रोकने, जिनका जुड़वा प्रभाव नहीं होगा' ऐसी शास्तियाँ प्रदान करने की शक्तियाँ, शिक्षा प्रसार अधिकारियों का पद धारण करने वालों के विषय में सम्बंधित स्कूलों के निरीक्षकों को होगी।

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसंधान संस्था)

- १ कनिष्ठ अनुसंधान सहायक।
- २ पर्यवेक्षक।

गणवाचन विभाग (काट दिया गया)

घन विभाग

- १ रेजरगण जिनमें चिह्न अंकित करने वाले रेन्जर एव घास फार्मों के उप रेजर भी सम्मिलित हैं।
- २ उप रेन्जरगण।
- ३ काटा वन स्कूल के शिक्षकगण।
- ४ मुख्य पहरेदार।
- ५ हवलदार।
- ६ फोरेस्टर।
- ७ नाकेदार।
- ८ चमड़े वाले (स्किनम)
- ९ पर्यवेक्षकगण।
- १० ट्रापट्समन।
- ११ अमीन।
- १२ ओवरसीयर।

१ मीरुदा निबंधन विभाग की प्रविष्टियाँ, अधिसूचना क्रमांक एच ३ (४) नियुक्ति (ग)-६० दिनांक २२ १० ६२ द्वारा काट दी गई।



- १६ उप कलेक्टर ।
- १७ यांत्रिक एवं विद्युत् ओवरसीयर ।
- १८ अनुसंधान सहायक ।
- १९ मुख्य प्रयोगशाला सहायक ।
- २० प्रयोगशाला सहायक ।
- २१ ओवरसीयर ।
- २२ नहर तहसीलदार ।
- १२३ फाट्ट सहायक ।
- १२४ मिट्टी विष्णुपक ।
- १२५ ओवजवम (प्रेक्षक)
- १२६ मिस्त्री ।
- २२७ श्रम कल्याण निरीक्षक ।

नोट-<sup>३</sup> निदा एवं बिना जुडवा प्रभाव किये दो वेतन बढि तक रोकने की शास्तिया लागू करन की शकिनया ओवरसीयर का पद धारण करन वालों के विषय मे संबंधित अधिगासी अभियन्ता सिचाई को होगी ।

### सहायक एवं पुन सस्थापन विभाग

- १ तहसीलदार ।
- २ सहायक ग्राम पुन सस्थापन अधिकारी ।
- ३ ऋण निरीक्षक ।
- ४ परिभरण निरीक्षक ।
- ५ नायब तहसीलदार ।
- ५६ विषय निरीक्षक ।

### समाज कल्याण विभाग

- १ सहायक अनुसंधानाधिकारी ।
- २ सहायक प्रचाराधिकारी ।
- ३ सहायक मारियकी अधिकारी ।
- ४ फोटोग्राफर एवं कलाकार ।
- ५ कल्याण एवं पुन सस्थापन ।
- ६ लेखा निरीक्षक ।
- ७ प्रचार सहायक ।

१ अधिमूचा क्रमांक एक १८(१६) नियुक्ति (ए)५६ नि ११ ४ ५६ द्वारा अन्तर्वासित किया गया ।  
 २ , , एक ३ (१) नियुक्ति (ए-III) ६७ , १०-४ ६७ " , "  
 ३ , , एक ३ (२६) , (ए) II ६२ , ३० १० ६३ " , "  
 ४ , , एक ५ (१०) (ए) II ६५ .. १६ ८ ६५ द्वारा जोडा गया ।

- ८ कल्याण कमचारी ।
- ९ महिला कल्याण कमचारी ।
- १० श्रोवरमीयर तथा ड्राफ्ट्समैन ।
- ११ प्रचारक ।
- १२ चालक (ग्रापरेटस)
- १३ मुख्य निरोक्षक ।
- १४ वरिष्ठ आवास निरोक्षक ।
- १५ श्रौद्यागिक निरोक्षक ।
- १६ स्कूलो के पयवेशन ।
- १७ आवास निरोक्षक ।
- १८ वृत्त निरोक्षक ।
- १९ वेंच ।
- २० कम्पाउ डर ।
- २१ छात्रावाग अधीक्षक ।
- २२ महिला छात्रावाग अधीक्षक ।
- २३ मिलार्ई प्रशिक्षक ।
- २४ बडई प्रशिक्षक ।
- २५ जूता काय निरोक्षक ।
- २६ वास एव वेत काय प्रशिक्षक ।
- २७ कृषि प्रशिक्षक ।
- २८ लुहारी प्रशिक्षक ।
- २९ प्रशिक्षक (बुनियादी पाठशालाए)
- ३० 'नापट अध्यापक (बुनियादी पाठशाला)
- ३१ शिक्षकगण ।
- ३२ सहायक अधीक्षक ।
- ३३ महिला कल्याण अधिकारी ।
- ३४ जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
- ३५ अनुसधानकर्त्ता (फील्ड सर्वेक्षण)
- ३६ परीक्षण अधिकारी ।
- ३७ सहायक महिला कल्याण अधिकारी ।
- ३८ अधीक्षक, उत्तर-परिचर्या गृह/रक्षा गृह/मिशुक गृह/एव वडा तथा निबलो के गृह ।
- ३९ प्रमाणित स्कूल के मुख्याध्यापक ।
- ४० सहायक अधीक्षक, उत्तर परिचर्या गृह/रक्षा गृह/मिशुक गृह एव वडों तथा निबलो के गृह ।
- ४१ सहायक परीक्षण अधिकारी ।

- ४२ कल्याण अधिकारी (कारावास)  
४३ अवेपणकर्ता (गृहो के)

सांघजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ

- १ अधीनस्थ अभियन्ता कर्मचारीगण, वरिष्ठ एण्ड कनिष्ठ ।  
२ आगणनकर्ता (ऐस्टीमेट्स) ।  
३ गणनाकार (कम्प्यूटर्स) ।  
४ मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन), जिसमें मुख्य मान चित्रकार वरिष्ठ मानचित्रकार कनिष्ठ मानचित्रकार एव सहायक मानचित्रकार सम्मिलित हैं ।  
५ फेरों कर्मचारीगण ।  
६ कारखान के पयबक्षक ।  
७ कारखाने के क्लोरफैन ।  
८ जल निरीक्षक ।  
९ मीटर निरीक्षक ।  
१० मीटर पढने वाले ।  
११ प्रयोगशाला सहायक ।  
१२ फिल्टर परिचारक ।  
१३ पम्प परिचारक ।  
१४ ट्रेस करने वाले ।  
१५ उद्यानो के निरीक्षक ।  
१६ उद्यानो के सहायक निरीक्षक ।  
१७ कानूनी सहायक ।  
१८ सहायक वास्तुविद् (एसिसटे ट आरकिटेक्ट) ।  
१९ सहायक साख्यिकि ।  
२० मिस्त्री ।  
२१ पम्प चालक ।

२नोट — 'निष्ठा एव वेतन वृद्धि' रोक्ना जो दो स अधिक नहीं हा श्रीर जिनका बुढका प्रभाव नहीं हो, ऐसी शास्तिया ओवरसीयरों के पद धारण करने वाला को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सावजनिक निर्माण विभाग, (भवन एव पथ) देने के लिये सशक्त होंगे ।

अस विभाग

- १ निरीक्षक ।  
२ अनुसंधानकर्ता ।  
३ साख्यिकी सहायक ।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२५) नियुक्ति (ए 111)/६५ दि ५-४ ६६ द्वारा जोडा गया ।  
२ " " एफ ३ (२६) , (ए)/६३ प्रूप 111 दि ३०-१० ६३ " , ।

- ८ कम्पाउंडर ।
- ९ गणनाकार (कम्प्यूटर)
- ९ फिनिश डार्क ।
- ७ परिचारिका (नर्स) ।
- ८ मानचित्रकार (नक्शा-निर्माता) ।
- ९ मिनेमा बालक ।
- \*१० व्यवस्थापक व-द्वितीय चित्रित्वा स्टार कर्मचारी राजकीय बीमा योजना ।
- \*११ पत्र-व्यवस्था प्रशिक्षक ।
- \*१२ चित्रकार एवम् हस्त-कला प्रशिक्षक ।
- \*१३ अ-तन्त्रीकी प्रशिक्षक ।
- \*१४ फारमन प्रशिक्षक ।

### जेल विभाग

- १ जेलर ।
- २ उप-जेलर ।
- ३ नायब जेलर ।
- ४ मुख्य हेड वाइजर ।
- ५ परिचारिका (मेडिक) ।
- ६ हेड वाइजर ।
- ७ कारावासी व्यवस्थापक ।
- ८ सहायक फवटरी व्यवस्थापक ।
- ९ श्रम-व्यवस्थापक ।
- १० मुख्य मुद्रयांत्रक (कम्पोजीटर) ।
- ११ मुद्रयांत्रक ।
- १२ मुद्रक (प्रिंटर) ।
- १३ जन्मा एवं मृत्यु-पत्रों के निरीक्षक ।
- १४ कम्पाउंडर ।
- १५ नर्स द-इया ।

### राजस्व उपनिवेशन तथा भू-धर्मिलेख विभाग

- १ नायब तहसीलदार ।

नोट — इन पदों का धारण करने वालों के विषय कायानव्याप्तता सम्बन्धित <sup>३</sup> जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्णयित है ।

- १ अधिसूचना क्रमांक एफ १६( ) क्रमांक ए/६१ प्र.प. III दि. — ११-६१ द्वारा जारी किया गया ।
- २ , एफ २ (१०) ए. II/६२ दि. ७-६-६२ द्वारा जारी किया गया ।
- ३ गण-संख्या 'अ' (द्वितीय) तथा 'अधिसूचना' के अन्तर्गत पर अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१३) नियुक्ति (ए. III) ६१ क्रमांक ७-६-६२ द्वारा जारी किया गया ।

२ सहायक भू अभिलेख अधिकारी ।

नोट—इन पदा को धारण करने वाला के लिये कार्यक्षमता का संचालन होगा ।

३ भू व्यवस्था विभाग के चैकरो के निरीक्षक ।

४ निरीक्षक, भू अभिलेख विभाग ।

५ मुख्य नकशागोष्ठी तथा नकशानवीस ।

६ सीमा निरीक्षक ।

७ सदर कानूगी, सहायक सदर कानूगी एवं कार्यालय कानूगी ।

८ सहायक कार्यालय कानूगी ।

९ वरिष्ठ सीमा निरीक्षक ।

१० राजस्व लेखों के निरीक्षक ।

११ ट्रेसर्स ।

१२ फोरमैन ।

१३ तहमीलदार ।

रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) एवं स्टाम्प विभाग

१ उप रजिस्ट्रार ।

२ स्यानीय, सत्याग्रहों का निदेशालय

३ सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक ।

चिकित्सा एवं सावजनिक स्वास्थ्य विभाग

(क)-चिकित्सा एवं सावजनिक स्वास्थ्य विभाग

१ अस्पतालों के सहायक अधीक्षक ।

२ सहायक प्रोपियर रसायनज्ञ (सहायक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट) ।

३ सहायक परिचारिकाएँ (मेट्र स) ।

४ महोपचारिकाएँ (मिस्टर्स) तथा कनिष्ठ महोपचारिकाएँ ।

५ नर्स तथा नर्स दाइया, दाइया नर्स नर्सों सहित ।

६ कम्पाउण्डर ।

७ फार्मासिस्ट्स (प्रोपियरियर तैयार करने वाले) ।

८ तकनीकज्ञ (टेकनीशियंस) ।

९ क्षरश्मि सहायक (एक्सरे ऐसिस्टेंट) ।

१० प्रचार सहायक ।

११ कलाकार ।

१२ महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (लेडी हेल्थ विज़ीटर) ।

१३ प्रयागशाला सहायक ।

१४ मीडिया मैन (साधन कमचारी) ।

१५ स्वास्थ्य निरीक्षक ।





- ८ कम्प्रेसर ओपरेटर ।
- ९ खान खोजने वाला पयवक्षक ।
- १० पम्प चालक ।
- ११ जनरेटर चालक ।
- १२ चट्टान छेदने वाला चालक ।
- १३ छेदने वाला सहायक ।
- १४ रस्सा वाला (रिंगमैन) ।
- १५ सेक्शन काटने वाला ।
- १६ ट्रेस करने वाला ।
- १७ कम्प्रेसर ड्राइवर ।
- १८ छेदने वाला ग्रेड प्रथम ।
- १९ " " ग्रेड द्वितीय ।
- २० सहायक देदक (ऐसिस्टेंट डिलर) ।
- २१ खनिज सवेक्षण वर्त्तिग।
- २२ साख्यिकी सहायक ।
- २३ कम्प्यूटस ।
- २४ खनिज फोरमैन ग्रेड प्रथम ।
- २५ " " ग्रेड द्वितीय ।
- २६ नक्शा नवीस ग्रेड प्रथम ।
- २७ " " ग्रेड द्वितीय ।
- २८ फोल्ड सहायक ग्रेड प्रथम ।
- २९ " " ग्रेड द्वितीय ।
- ३० ओवरमन वरिष्ठ ।
- ३१ ओवरमन कनिष्ठ ।
- ३२ प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ ।
- ३३ " " कनिष्ठ ।
- ३४ कारखाने का यांत्रिक ।
- ३५ छेदन यांत्रिक ।
- ३६ फिल्टर, ग्रेड द्वितीय ।
- ३७ जीप ट्रक एव ट्रैक्टर ड्राइवर ।

पुस्तिस विभाग

- ३ निरोक्षक ।
- २ धानेदार ।
- ३ प्लटून कमाण्डर ।

नोट — १ भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां, इन नियमों के अधीनस्थ रहते, पानपारा तथा प्लान व मापट्रा के पन्थारियों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार के उप महानिरीक्षक आरक्षी का हाथी।

- ४ हैड कामेटवल।
- ५ कामेटरल (सिपाही)।
- ६ सहायक पानदार।
- ७ फाटोग्राफर।
- ८ कम्पनी कमांडर।
- ९ शस्त्र फेंकनवाला विशेषज्ञ।
- १० वनानिक सहायक।
- ११ पुलिस फाटोग्राफर एवं विशेषज्ञ।

नोट — २ भाग तृतीय तथा नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां इन नियमों के अधीनस्थ रहते प्रविष्टियों ८ और ५ के पन्थारण करने वाला के विषय में, सम्बन्धित जिले के पानपारा आरक्षी तथा अतिरिक्त अधीक्षक आरक्षी का हाथी।

नोट — 'निका' एवं वनन में वृद्धियों राकन का गिनतियां तालू करल का गिनतियां, एम पन्थारिया के विषय में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी पुत्रिम मन्थानिरीक्षक एवं पुत्रिम के उप महानिरीक्षक के क्रम में पुत्रिम के उप महानिरीक्षक एवं अधीक्षक आरक्षी तथा आर ए मा के कमांडरों का हाथी।

#### सांख्यिक सहायक निदेशालय

- १ फाटोग्राफर।
- २ तमामयकोट सहायक (डाक रूम ऐमिस्ट्रट्स)।
- ३ क्लर्क।
- ४ सहायक तथा अपरेटर।
- ५ अपरेटर।
- ६ मिस्त्री।

#### 'सांख्यिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

- १ सांख्यिकी अनुसंधान सहायक।
- २ फील्ड सांख्यिकी निरीक्षक।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ १६ (२) नियुक्ति (ए)/६०/प्र.प III त्तिनांक २६ ६० तथा ८० ०१ द्वारा अन्त गये एवं जान गये।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए III)/६० त्तिनांक ६ ० ६० द्वारा जान गया। (अन्त प्रभाव त्तिनांक १३ ४ ६१ में होगा)।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२१) नियुक्ति (ए) III/६३ त्तिनांक १० १० ६० द्वारा जान गया।

४ पन्थार का प्रविष्टि सांख्यिक एवं सांख्यिकी विभाग का सचिव, १ सहायक सांख्यिकी अधि-  
क्षार २ सहायक सचिव व प्रमुख ८ सांख्यिकी अधिकारियों के स्थान पर नियुक्ति गये अधि-  
सूचना क्रमांक एफ (१६) नियुक्ति (ए) ६१ १५ III त्तिनांक २० ० ६० द्वारा।

- ३ वरिष्ठ कलाकार ।
- ४ कनिष्ठ कलाकार ।
- ५ नक्शा नवीस ।
- ६ गणनाकार ( कम्प्यूटर ) ।
- ७ प्रगति प्रसार अधिकारी ।
- ८ पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ९ पर्यवेक्षक ( आर्थिक एवं सांख्यिकी ) ।

नोट — निम्ना एक वेतन वृद्धियों में रोक, जो दो से अधिक नहीं होगी और जिनका जुड़वा प्रभाव नही होगा ऐसी शास्तिया लागू करने की शक्तिया, प्रगति प्रसार अधिकारिया के पद-धारियों के विषय में सम्बन्धित जिला सांख्यिकी की होगी ।

### यातायात विभाग

- १ यातायात निरीक्षक ।
- २ यातायात उप निरीक्षक ।
- ३ सर्वेक्षण निरीक्षक ।
- ४ फोरमन ।
- ५ ड्राइवर ।
- ६ यानिक निरीक्षक ।

### विकास विभाग

- १ सहकारी एवं पंचायत अधिकारी ।
- २ समाज शिक्षा अधिकारी ।
- ३ ओवरसियर ।
- ४ ड्राइवर ।

### पंचायत विभाग

- १ पंचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम ।
- २ , , , ग्रेड द्वितीय । -

### पर्यटक सुविधायें विभाग

- १ पर्यटक सहायक ।

### चक्रवर्दी विभाग

- १ सहायक चक्रवर्दी अधिकारी ।
- २ मुसरिम ।
- ३ निरीक्षक ।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए. 111)/६४ दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा जोड़ा गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) 111/६६ दिनांक ३० ११ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

नोट — १ भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तिया, उन नियमों के अधीनस्थ रहत, यानत्रा तथा प्लटन कमांडरा के पत्रारियों के विषय में सम्बन्धित त्र के उन महानिय धक आरपी का हूंगा ।

- ८ हैट वासटवन ।
- ५ वासटवन (सिपाही) ।
- ६ सहायक यानदार ।
- ७ फाटोग्राफर ।
- ८ कम्पना कमांडर ।
- ९ गमर फेंकनवाता विज्ञापक ।
- १० बतानिक सहायक ।
- ११ पुनिस फाटोग्राफर एव विज्ञेपक ।

नोट — २ भाग तृतीय तथा नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तिया इन नियमों के अधीनस्थ रहत प्रविष्टिये ८ और ५ के पत्र धारण करन वारों के विषय में, सम्बन्धित जिन के अधीनस्थ आरपी तथा अतिरिक्त अनाउर आरक्षा का लेंगे ।

नोट — ३ 'नियम एव बतन में वृद्धिये गवने को गम्भिया त्राण करन का गन्तुया, एम पदधारियों के विषय में जिनके नियुक्ति प्राधिकार पुनिस मन्त्रिरीयक एव पुनिस क उन महानियमक के तमग पुनिस क उन महानियमक एव अधीनस्थ आरपी तथा आर ए सा के कमांडरों का हूंगा ।

#### सावजनिक सम्पर्क निदेशालय

- १ फोटोग्राफर ।
- २ तमामयकोष्ट सहायक (टाक नम एमिस्ट्रूस) ।
- ३ बतार ।
- ४ यात्रिक तथा आपरेटर ।
- ५ आपरेटर ।
- ६ मिन्त्री ।

#### आर्थिक एव सांख्यिकी निदेशानय

- १ सांख्यिकी अनुमयान सहायक ।
- २ फीन्ट सांख्यिकी निरीयक ।

१ अन्वितना प्रमाक एफ १६ (२) नियुक्ति (ए)/६०/१५ १११ त्नाक २६६० तथा ८२ १ द्वारा बन्ने गये एव जान गये ।

२ अन्वितना प्रमाक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए) १११/६३ त्नाक १२६३ द्वारा जान गया । (अनरा प्रमाक त्नाक १ ४६१ न जान) ।

३ अन्वितना प्रमाक एफ २ (२१) नियुक्ति (ए) १११/६३ त्नाक १२१२६० द्वारा जान गया ।

४ पत्र की प्रविष्टि 'आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग का मन्त्रिक १ सहायक सांख्यिकी अति धारा २ नवना नवम २ कम्पुन ८ मन्त्रिक अतिधारी के स्थान पर निये गये अर्थ मूचना प्रमान एफ २ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ १५ १११ त्नाक ३०५२० द्वारा ।

- ३ वरिष्ठ कलाकार ।
- ४ कनिष्ठ कलाकार ।
- ५ नकशा नवीस ।
- ६ गणनाकार ( कम्प्यूटर्म )
- ७ 'प्रगति प्रसार अधिकारी ।
- ८ पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ९ पयवक्षक ( आर्थिक एवं सांख्यिकी ) ।

नोट — निम्न एक वेतन वृद्धियों में रोक, जो दो से अधिक नहीं होगी और जिनका जुड़वा प्रभाव नहीं होगा ऐसा शास्तिया लागू करने की शक्तिया, प्रगति प्रसार अधिकारिया के पद-धारियों के विषय में सम्बन्धित जिला सांख्यिकी की होगी ।

### यातायात विभाग

- १ यातायात निरीक्षक ।
- २ यातायात उप निरीक्षक ।
- ३ सर्वेक्षण निरीक्षक ।
- ४ फोरमैन ।
- ५ ड्राइवर ।
- ६ यांत्रिक निरीक्षक ।

### विकास विभाग

- १ सहकारी एवं पचायत अधिकारी ।
- २ समाज शिक्षा अधिकारी ।
- ३ आधरसिंघर ।
- ४ ड्राइवर ।

### पचायत विभाग

- १ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम ।
- २ , , ग्रेड द्वितीय ।

### पयटक सुविधायें विभाग

- १ पयटक सहायक ।

### चक्रवदी विभाग

- १ सहायक चक्रवदी अधिकारी ।
- २ मुम्सिम ।
- ३ निरीक्षक ।

१ अधिनूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए १११)/६४ दिनांक ११.४.६४

२ अधिनूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए १११)/६६ दिनांक ११.४.६६

### उद्योग विभाग

- १ मजदूर अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक ।
  - २ तबन्नीकी (विशेषज्ञ) ग्रैड प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय } सांख्यिक सल्लाह  
डिपार्ट्मेन्ट क नियम ।
  - ३ रत्ने बनाने क यन्त्र का यान्त्रिक
  - ४ ललित शिल्प प्रशिक्षण मस्था जयपुर ।
  - ५ लघु उद्योगों मे उत्तमता को चिन्हांकित करने वाता अधीक्षक ।
  - ६ उद्योग प्रसार अधिकारी ।
  - ७ अधीक्षक, लवण ( विशेषज्ञ ) ।
  - ८ अधीक्षक तथा डिजाइन कलाकार डिजाइन प्रसार केन्द्र जयपुर ।
- \*नोट — 'निष्ठा एव वनन वृद्धियों म गव' जो तो म अधिस नहा हागी और त्रिमका छुट्टवा प्रभाव नही हागा ऐसी यकिनया लागू करने की गारन्टिया उद्योग प्रसार अधिकारियों क पर धारण करने वातों क विषय म सम्बन्धित बिना उद्योग प्राधिकारियों का हागा ।

### मूल्यांकन सगठन

- १ अनुसंधान सहायक ।
- २ अनुसंधान कर्ता ।
- ३ गणनाकार ( कम्प्यूटर ) ।

### पदाधिकारी प्रशिक्षक स्कूल

- १ शारिरिक प्रशिक्षण तथा ग्रेन-बूद प्रशिक्षक ।

### राजस्थान नहर मरल

- १ स्टार अधीक्षक ।

### राजस्थान राज्य सडक परिवहन विभाग

- १ डीपा व्यवस्थापक ।
- २ महायक डीपो व्यवस्थापक ।
- ३ यातागमन निरीक्षक ।

१	अधिसूचना क्रमांक एफ २(२) नियुक्ति ए III/६३	दि २० ६३	द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
२	अधिसूचना क्र एफ ३(२) नियुक्ति ए III/६३	दि ८ ७ ६	द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
३	, , एफ ३ (२६) ,, ,, /६०	२० १० ६	, , , ।
४	, , एफ ३ (४) ,, ,, /६४	, २६ ४ ६४	, , , ।
५	, , एफ ३ (१८) ,, ,, /६३	दि ३० २-६४	एव ५ ६ ६३ , , , ।
६	, , एफ ३ (३६) ,, ,, /६२	दि २०-१० ६०	, , , ।
७	, , एफ ३ (१५) ,, ,, /६१	, ४ १० ६१	, , , ।
८	, , एफ ३ (१०) ,, ,, /६०	, ०७-६ ६०	, , , ।
९	, , एफ ३ (१) ,, ,, /६२	, २० २ ६२	, , , ।

- ४ सहायक आवागमन निरीक्षक ।
- ५ सहायक सार्विकी ।
- ६ श्रम कल्याण निरीक्षक ।
- ७ स्टोर अधीक्षक ।
- ८ स्टोर निरीक्षक ।
- ९ स्टोर सहायक निरीक्षक ।
- १० सहायक स्टार नायब निरीक्षक ।
- ११ वरिष्ठ फोरमैन, ग्रुप प्रथम ।
- १२ " " " ग्रेड द्वितीय ।
- १३ कनिष्ठ " " ( यान्त्रिक )
- १४ " " " ( विद्युत् )
- १५ ओवरसीयर ।
- १६ ड्राइवर ।
- १७ कन्वक्टर ।
- १८ यान्त्रिकी ।
- १९ विद्युत् कर्मचारी ग्रेड प्रथम ।
- २० खरादी ग्रेड प्रथम ।
- २१ रबड का काम करने वाला ग्रेड प्रथम ।
- २२ लुहार ग्रेड प्रथम ।
- २३ टिन का काम करने वाला ग्रेड प्रथम ।
- २४ मोची ग्रेड प्रथम ।
- २५ घातु के जोड या टाका लगाने वाला ( वेल्डर ) ग्रेड प्रथम ।
- २६ रगसाज ग्रेड प्रथम ।
- २७ बढई, ग्रेड प्रथम ।
- २८ सहायक यान्त्रिक ।
- २९ पर्दे इत्यादि बनाने वाले ( अपहोल्सटस ) ग्रेड द्वितीय ।
- ३० टायर फिट करने वाले, ग्रेड द्वितीय ।
- ३१ बढई ग्रेड द्वितीय ।
- ३२ सहायक विद्युत् कर्मचारी ग्रेड द्वितीय ।
- ३३ रगसाज ग्रेड द्वितीय ।
- ३४ टिन/मोची-कर्मचारी ग्रेड द्वितीय ।
- ३५ घातु के जोड या टाका लगाने वाला ( वेल्डर ) ग्रेड द्वितीय ।
- ३६ रबड कर्मचारी, ग्रेड द्वितीय ।
- ३७ खरादी ग्रेड द्वितीय ।
- ३८ लुहार ग्रेड द्वितीय ।
- ३९ प्रशीतक ( रफ्रीजेशन ) तथा वातानुकूलन विशेषज्ञ ।
- ४० अतिथि तथा पयटक के पथ प्रदर्शक ( वातानुकूलित गाडियो मे ) ।





- ४ सांख्यिकी सहायक ।
- ५ गणनाकर (कम्प्यूटर) ।
- ६ विद्युत् सहायक ।

नोट—भाग तृतीय एवं नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां प्रविष्टियां ३ स ६ क पद धारण करने वालों के विषय में नियुक्ति बी विभाग के उप सचिव सचिव को होगी ।

### विद्युत् निरीक्षणालय

- १ निरीक्षक सहायक ।
- २ प्रयोगशाला सहायक ।
- ३ ड्राईवर ।

## अनुसूची तृतीय

### सेवक वर्गीय सेवाएँ

गमस्त विभागा में निम्नलिखित श्रेणियाँ (कटगरीज) के पद धारण करने वाले  
जम —

- १ नैषाकार, जिसमें वरिष्ठ नैषाकार नायब नैषाकार, उप नैषाकार कनिष्ठ नैषाकार, महायक नैषाकार, स्टोर नैषाकार महायक स्टोर नैषाकार, जिना राजस्व नैषाकार एव तहसील राजस्व नैषाकार सम्मिलित हैं।
- २ एहलमद वरिष्ठ कनिष्ठ धयवा सहायक एहनम ।
- ३ लम्बा नैषक एव कनिष्ठ नैषा नैषक ।
- ४ नैषा मकानकर्ता ।
- ५ महायकगण जिसमें राजस्व महायक, यायिक महायक कमचारीवग (धमना) सहायक, विविध महायक सम्मिलित हैं ।
- ६ नैषा परीक्षा कियेयात नैषक ।  
नैषा परीक्षा नैषक ।
- ७ नैषा परीषक, जिसमें क्षत्राय नैषा परीषक सम्मिलित हैं ।
- ८ बिल नैषक ।
- ९ विन्टियात नैषक ।
- १० जिन्माज ।
- ११ खजाची एव महायक खजाची ।
- १२ नैषकगण जिसमें दीवानी नैषक फौजदारी नैषक, विविध (मुनफ्फात) नैषक, अपीन नैषक निगरानी नैषक अग्रेजी नैषक सम्मिलित हैं ।
- १४ हिम्माब लगान वाली मगान खलान वान ।
- १५ कम्प (यात्रा में) नैषक ।
- १६ मूचीपत्र नैषक ।
- १७ मकलनकर्ता जिसमें 'जिना गजटियर का मुख्य मकलनकर्ता भा सम्मिलित है।
- १८ गापनीय नैषक ।
- १९ नकल नवीम ।
- २० कोर लीगिंग नैषक ।
- २१ त्रेननेन की मेत्र पर बैठनवाला नैषक (वाउटर कनक)
- २२ टाक नैषक ।
- २३ टाक भेजन वाला नैषक ।

- २४ रोजनामचा लेखक ।
- २५ क्षेत्रीय लेखक ।
- २६ अमला लेखक ।
- २७ आवकारी लेखक ।
- २८ फाम लेखक ।
- २९ फीटडमनकम स्टोर कीपस तथा कनिष्ठ फील्डमैनकम स्टोर कीपस ।
- ३० फील्ड सहायक ।
- ३१ फोस (दल) लेखक ।
- ३२ फर्नीचर लेखक ।
- ३३ गजघर ।
- ३४ गजट लेखक ।
- ३५ मुख्य लेखक ।
- ३६ जनगणना विभाग में निरीक्षक ।
- ३७ सायर एव आवकारी विभाग के गुप्त नमाचारो के लिये निरीक्षक सब इन्स पेक्टर एव सहायक निरीक्षक ।
- ३८ यत्र (इंस्ट्रुमेंट) लेखक ।
- ३९ कनिष्ठ अथवा लोअर दिवोजन लेखक ।
- ४० खाता जमाय शी लेखक ।
- ४१ नौग लेखक (दिनचर्या) ।
- ४२ माल लादने एव भेजने वाले लेखक ।
- ४३ पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा कार्यालयो के पुस्तकालय के लेखक ।
- ४४ अनुसूची प्रथम अथवा द्वितीय में उल्लिखित पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षो के अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष रेफरेस पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ४५ अवकाश पर जाने वाला के स्थान पर कार्य करने वाले लेखक ।
- ४६ मुन्सरिम ।
- ४७ मुंशी एव हैड मुंशी ।
- ४८ मोह्ररि ।
- ४९ मुक्दम ।
- ५० नाकेदार ।
- ५१ नाजिर ।
- ५२ महकारी विभाग का कागज विशेषज्ञ
- ५३ पासल क्लक ।
- ५४ पटवारी ।
- ५५ वेतन लेखक ।
- ५६ पेंशन लेखक ।

- ११११ करिदा।  
 ११० मन्त्रिवालय क शाखा अधिकारी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग क शाखा अधिकारी ।  
 ११० लम्बा निरीक्षक ।  
 ११४ अभिनव महायक ।  
 ११५ नौजकता (इनवर्स्टिगटम) ।  
 ११६ अभिनव परिचारक (रकड एट्टट) ।  
 ११७ बीटम (फालनू वागजा का छोट कर नष्ट करन वाल) ।  
 ११८ सहायण महायक ।  
 ११९ प्रयागशाला सहायक ।  
 १२० मन्त्रिवालय का मुख्य अनुवाद कता ।  
 १२१ प्रशासनिक सहायक, भवन व पय विभाग ।  
 १२२ मास्टर शीरम, भेट व उन विभाग ।

---

१	अधिसूचना क्रमांक एफ - (१ ) नियुक्ति (ए)/६१ ग्र प III दिनांक ८ १० ६१ द्वारा जारी गय ।
२	" " एफ (२४) , " १३ १२ ६२ , " १
	" एफ (१६) , " /६० " , १३ ८-६२ , १
४	" एफ (१ ) , " III/८ ५ " " ८ ११-८ ५ १
५	" एफ ० (१८) , " " , ८ ६ ६६ , " १

## अनुसूची चतुर्थ -

### चतुर्थ श्रेणी सेवा

समस्त विभागों में निम्न श्रेणी के पद धारण करने वाले, जैसे —

- १ कारीगर ( लुहार, बढई घातु के जाड अथवा टाका लगाने वाले वेल्डर, खरादी रगसाज इत्यादि ) ।
- २ परिचारक—जिसमें दीर्घा परिचारक, वाड परिचारक, अस्पताल परिचारक, रिपीटर' परिचालक, 'सब-स्टेशन' परिचालक सम्मिलित हैं ।
- ३ नाई ।
- ४ भारक-दाज ।
- ५ मिशती ।
- ६ जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज ।
- ७ बुहारिया ।
- ८ लडके ( वीएज ) जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें लाने वाले टेलीफोन वाएज, वाड वाएज और पेट्रोल वीएज सम्मिलित हैं ।
- ९ बडल उठाने वाले ।
- १० पोलिश करने वाले ।
- ११ गाडीवान ।
- १२ गाडीचलाने वाले ।
- १३ चाबलिया ।
- १४ चौकीदार ।
- १५ चैनमेन ( जजीर खीचने वाले ) ।
- १६ सिनेमा के सेवकगण ।
- १७ सफाई कराने वाले ।
- १८ भोजन बनाने वाले ।
- १९ कुली ।
- २० दफेदार ।
- २१ दफ्तरी ।
- २२ दाइया अथवा प्रशिक्षित दाइया ।
- २३ डाक पहुँचाने वाले ।
- २४ पट्टिया बाधन वाले ।
- २५ फराश ।
- २६ फिल्टर प्रापरेटस ।
- २७ वागवान ( हेली, माली चौधरी इत्यादि ) ।
- २८ गैंग मैट एव गैंग-मैन ।

- २९ गट पाम ( प्रवण तत्र ) तत्र करन यान ।
- ३० द्वारपाल एव गट गारजट ।
- ३१ पहूरदार जिममे मजान व पहूरदार यना व पहूरदार घाटेट पहूरदार तथा रिजय पहूरदार सम्मिनित है ।
- ३२ हूरकार
- ३३ हूरम ( मन्दगार ) ।
- ३४ हागनाक ।
- ३५ जमादार ।
- ३६ वगुवारिया ।
- ३७ गल्लामो ।
- ३८ श्रमिक जिममे म्याया श्रमिक ( मजदूर ) एव वृणन श्रमिक सम्मिनित है ।
- ३९ लिप्टमन ।
- ४० नाइन बनदार ।
- ४१ मट एव मुख्य मट ।
- ४२ हटा दिया गया<sup>१</sup> ।
- ४३ मापिया ।
- ४४ निगरान धोर निगरानागार महायक निगरान तथा निगरानीगार ।
- ४५ धदलो ।
- ४६ पक करन यान ।
- ४७ पदल ।
- ४८ फट्टोम ( गणन लगाने यान ) ।
- ४९ चपडासी ।
- ५० श्रमितेग उठान यान ।
- ५१ मटक के जमादार ।
- ५२ गणा ।
- ५३ शिकारी ।
- ५४ मजार, जसे गाईबल-मवार-ऊट मवार शुनर-मवार, घुट सवार, राव सवार ।
- ५५ महतर ( जाडू नगान यान ) ।
- ५६ सईम ।
- ५७ र्जी ।
- ५८ उन्नीगूह की तालिये रखने वाला तथा महायक तालिये रखने वाला ।
- ५९ वाडर ( पहूरदार ) ।
- ६० वाड मेट ।

१ श्रमिभूषणा क्रमात् एफ १८ ( १६ ) नियुक्ति ए/५६ दिनांक ११ व ५८ द्वारा गब्द "४२ यात्रिक बननिष विमान विभाग एव कृषि विभाग व यात्रिका (सैकनिका) के घर्तारिस्त" हटा दिव गये ।

- ६१ धात्री ।
- ६२ जलधारी ।
- ६३ कृपक ।
- ६४ गडरिया ।
- ६५ डोल ।
- ६६ मूर्ता ।
- ६७ भडारी ।
- ६८ बेटर ।
- ६९ भशालची ।
- ७० पट्टीमेन ( भडारगृह मे काम करन वाल ) ।
- ७१ स्टोवाड अथवा बटलर ।
- ७२ आबदार ।
- ७३ हलवाई ।
- ७४ वेकर ( रोटी बनाने वाला ) ।
- ७५ बेयरर ( नौकर ) ।
- ७६ बेलदार ।
- ७७ वायलर परिचारक ।
- ७८ काट दिया गया<sup>१</sup> ।
- ७९ खाना क पहरेदार ।
- ८० पापाशा ।
- ८१ मिस्त्री ।
- ८२ पहरायती ।
- ८ सखन ।
- ८४ टिन का काम करने वाला ।
- ८५ हुटा दिया गया<sup>२</sup> ।
- ८६ स्टोरमन ।
- ८७ पर्दे इत्यादि बनाने वाला ।
- ८८ चमडे का काम करन वाला ।
- ८९ रगरेज ।
- ९० लश्कर ।
- ९१ स्वच्छता पयवेक्षक ( सेनोटेरी सुपरवाइजर ) ।
- ९२ सिनेमा आपरेटर ।
- ९३ नादर ड्योढी ।
- ९४ नादर खिटकी ।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ० ३ ( १६ ) नियुक्ति ( ए ) /६२ दिनांक २१ न ६२ द्वारा काट दिया गया ।

२ शब्द 'फिटर' अधिसूचना क्रमांक एफ० १८(१६) नियुक्ति(ए)/३६ दिनांक ११-४ ५६ द्वारा हुटा दिया गया ।



- ६५ श्रमिका ।  
 ६६ हाथी ।  
 ६७ योगी ।  
 ६८ माघ भठार का चपडामी ( भठार ) ।  
 ६९ बाल बालन याना ।  
 १०० डाका याना ।  
 १०१ खट का काम करने याना ।  
 १०२ इनकटाक्टर (विजता हाग सोडा, चागा इत्यादि याना ) ।  
 १०३ बटरी याना ।  
 १०४ भागी ।  
 १०५ रगगात्र या विवहार ।  
 १०६ काठारी दयस्थान विभाग ।  
 १०७ भठारा ।  
 १०८ राजस्थानिया ।  
 १०९ नागानानो " ।  
 ११० घमिणामी " " ।  
 १११ बालभागी, " " ।  
 ११२ शुभचिन्क , ।  
 ११३ ग्माइया , ।  
 ११४ तहलया , ।  
 ११५ भण्टिया " ।  
 ११६ बालनिया , ।  
 ११७ चाउदार , , ।  
 ११८ हरवारा , " ।  
 ११९ पाजाका, , ।  
 १२० जखारिया , , ।  
 १२१ बैयस्टवर ( रगवाना ) ।  
 १२२ कर बमून करन याना ।  
 १२३ सहायक भठारी ।  
 १२४ मशीन पर काम करने वाला ।  
 १२५ धेत पर काम करने वाला ( फामयाण ) ।  
 १२६ मुख्य हनवाहक ( मुख्य हाली ) ।  
 १२७ हाती ।  
 १२८ मछुआ ।  
 १२९ हूट मेट ( देवामा ) ।  
 १३० घोड़ी ।  
 १३१ तामील कुनन्दा ।

- १३२ कुशल बनकर, ग्रेड प्रथम ।  
 १३३ , , , ग्रेड द्वितीय (टिक्स्टर मास्टर) ।  
 १३४ सहायक बनकर मास्टर मिलर, फिनीशर, सूत बनकर, सहायक बॉयलर  
 मैन ।  
 १३५ चम कमचारा ।  
 १३६ तौलन वाला ।  
 १३७ सिनेमा की मशीन चलाने वाला ।  
 १३८ गॉज ( यंत्र ) पढनेवाला ।  
 १३९ प्रयोगशाला का वेयर ( शिक्षा विभाग ) ।  
 १४० प्रयोगशाला का नौकर ( शिक्षा विभाग ) ।  
 १४१ लुहार ।  
 १४२ बढई ।  
 १४३ खरादी ।  
 १४४ बाजावाला ( शैवस्थान विभाग ) ।  
 १४५ सारगिया, , , ।  
 १४६ पम्बावजिया, , , ।  
 १४७ बडार, " , ।  
 १४८ मुखिया , , ।  
 १४९ पुजारी, " " ।  
 १५० भित्तरिया " " ।  
 १५१ भूपटिया, , " ।  
 १५२ देश का पोसवान, , " ।  
 १५३ नगारची " , ।  
 १५४ प्रचारक, , " ।  
 १५५ शहनायची, , " ।  
 १५६ साड परिचारक ।  
 १५७ ग्वात्रा तथा हाली ।  
 १५८ सहायक गंसवाला ।  
 १५९ सहायक श्रमिक ।

- ११६० नया रगन वाला ।
- ११६१ फेरों वाला ।
- ११६२ हाजल बाणज ।
- ११६३ पाटर (मजदूर, कुला) ।
- ११६४ तस्कर ।
- ११६५ प्रयागशाना व बाणज (मवा) ।
- ११६६ मरम्मत करन वाला (महर) ।
- ११६७ नाव रगन वाला ।

क्रमांक	विवरण	नियुक्ति (ए)/६०	नवाब	क्रमांक	विवरण
१	अधिसूचना क्रमांक एक	(१७)	नियुक्ति (ए)/६०	१८६७	डांग जाटा गया ।
२	"	(१)	" (ए) III/६४	८१६८	" ।
४	"	(२०)	/६	१५६९	" ।
५	"	१०(१०)	(ए) /६४	४८६४	" ।
	"	९(१६)	III/६५	८१६५	" ।

**परिशिष्ट—क**  
**विभागीय जाचो के लिये आदश प्रपत्र**

[ नियम १३ (१) (क) के अन्तर्गत निलम्बन आजा ]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक

दिनांक

चू कि थी

[ राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद ]

के विरुद्ध एक अनुशासन कामवाही की जाती है/चल रही है

२ अतः अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान प्रशासनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं प्रभाल) नियम १९५८ के नियम १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए श्री को तत्कालीन प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है —

१ समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को।

२ महासलाहकार राजस्थान जयपुर को, श्री

को निलम्बन की

अवधि में उसके वेतन का चौथाई भाग निर्वाह भत्ते स्वरूप एवं उस पर देय महंगाई भत्ता उठाये दिया जावे।

[ नियम १३ [ १ ] [ ख ] के अन्तर्गत निलम्बन आजा ]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक

दिनांक

चू कि थी ( राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद )

के विरुद्ध फौजदारी दोषागोपण के विषय में मामला तफतीश/जाच किया जा रहा है।

२ अतः अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान प्रशासनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं प्रभाल) नियम १९५८ के नियम १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए श्री को तत्कालीन प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद।

पृष्ठांकन ऊपर लिखे अनुसार

[ नियम १६ ( २ ) के अन्तर्गत नाटिक ]

राजस्थान सरकार

विभाग

स्मृति पत्र

प्रमाण

जयपुर दिनांक

श्री " एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरुद्ध राजस्थान अमनिका सेवाए ( धर्मीकरण, नियन्त्रण एवं अधीन ) नियम १९५८ के नियम १६ के अन्तर्गत जाच वा जाना प्रस्तावित है । अभिव्यक्त जन पर जाच को जाना प्रस्तावित है संलग्न अभिव्यक्तना व विवरण म उल्लिखित है । एव त्रयिध अभिव्यक्तना पर आधारित आरोप संलग्न अभिव्यक्तनों व विवरण म निम्नलिखित है ।

० श्री " " वा एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह इन म, ग, घ, प्राप्ति के पत्र, त्रिध को अधि व मानर अपनी प्रतिरक्षा का निश्चित उत्तर निम्न हस्ताक्षरकर्ता का प्रेषित करें और यह भी —

( क ) इन वें कि क्या वह संवितगत मुनेवाई चाहत है

( म ) यदि वह अपनी प्रतिरक्षा की पूर्णता में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो उनके नाम तथा पता दें

( ग ) यदि वह अपनी प्रतिरक्षा का पूर्ण म काट प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो प्रश्नों की सूची दें ।

१ श्री " " को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिरक्षा का तयारी करने के प्रयाजन म यदि वह कोई मर्यादी अभिव्यक्त का निरीक्षण करना तथा उनमें म उद्धारण लेना चाहें तो वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता का एक अभिव्यक्त का सूची दें, ताकि इस प्रयाजन के त्रिध उचित माविधा देने की शक्यता की जा सक. किन्तु उनकी यन् ध्यान रहे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्ता का सम्मति म ऐस अभिव्यक्त संलग्न प्रयाजन के त्रिधे मारभूत नहीं हागे अथवा एव अभिव्यक्तों को उपनय करना यदि सावजनिक हित म नहीं हुआ तो एव अभिव्यक्तों का निरीक्षण करने तथा उनमें म उद्धारण उन की अनुमति नहा ले जायगा ।

४ श्री " " वा यह भा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी प्रतिरक्षा का निश्चित उत्तर उपरोक्त दिनांक की या उससे पूर्व प्राप्त नहीं हुआ तो जाच इततरफ की जा सकेगा ।

५ एम स्मृतिपत्र की प्राप्ति सूचित करें ।

अनुमान प्रार्थिकारी का हस्ताक्षर तथा पद

[ आरोप पत्र ]  
राजस्थान सरकार

विभाग

श्री के विरुद्ध बनाये गये आरोपों का विवरण ।

( राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद )

आरोप-प्रथम

यह कि श्री

ने

का कृत्य

करते हुए अवधि

में

जसा कि अभिकथनों के विवरण में पेटा

में बताया गया है ।

आरोप-द्वितीय

यह कि श्री

ने,

का कृत्य करते

हुए, अवधि

में

जसा कि अभिकथनों के विवरण में पेटा

में बताया गया है ।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद ।

## [ अभिकथनों का विवरण ]

राजस्थान सरकार

विभाग

अभिकथना का विवरण जिनके आधार पर श्री

( राज्यकर्मचारी का नाम तथा पद )

के विरुद्ध आरोप ( चार्ज ) बनाये गये हैं ।

आरोप प्रथम के विषय में अभिकथन —

आरोप द्वितीय के विषय में अभिकथन —

आरोप तृतीय के विषय में अभिकथन —

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

टिप्पणी — अभिकथना में स्पष्टतया यह व्यक्त किया जाव कि सम्बंधित राज्य कर्मचारी ठीक सही  
 किस लिये दण्डनीय है अर्थात् उस विषय में मंत्र म उसका क्या उत्तरदायित्व था  
 जिसको पूरा करने में वह विफल रहा ।

[ नियम १६ ( ४ ) के अन्तर्गत जाच प्राधिकारी की नियुक्ति ]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक

दिनांक

चूंकि राजस्थान अस्तित्व मवाए ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अधीन ) नियम ११५८ के  
 नियम १६ के अन्तर्गत जाच श्री के विरुद्ध की जा रही है ।

( राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद )

२६२ राजस्थान अधिनियम संवत् (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अधिनियम) नियम १८५८

२ और चूंकि राजस्थान/निम्न हस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उनका विरुद्ध धारापित आरोपों का जांच करने के लिये एक जांच अधिकारी/जांच मण्डल नियुक्त किया जाना चाहिए।

३ अतः, अब, राजस्थान/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा था  
 " " " " /सब था " "  
 " " " " " " " " " " " "

( जांच अधिकारी/जांच मण्डल का सम्पूर्ण नाम तथा पद ) का जांच अधिकारी/जांच मण्डल नियुक्त था " " क विरुद्ध आरोपों का जांच करने के लिये नियुक्त करने है/कम्ता है।

अनुगत मन् प्राधिकार क हस्ताक्षर एवं पद

स्थान

दिनांक

प्रतिनिधि निम्न लिखित का प्रेषित का जाती है ३

- १ या " " " " " " " " " " " "  
 ( जांच अधिकारी का नाम तथा पद )  
 २ श्री " " " " " " " " " " " "  
 ( राज्यसंस्था का नाम तथा पद )  
 ३ अन्य सम्बन्धित यदि कोई हो।

[ नियम १८ क अन्तर्गत जांच अधिकारी को नियुक्ति ]

राजस्थान सरकार

"

दिनांक

आज्ञा

स्थान

दिनांक " "

चूंकि मन् श्री " " " " ( सम्बन्धित का नाम एवं पद ) क विरुद्ध राजस्थान अधिनियम संवत् ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अधिनियम ) नियम १८५८ क अन्तर्गत जांच की जा रहा है।

२ और चूंकि राजस्थान/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार में उनका विरुद्ध धारापित आरोपों की जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

३ अतः, अब राजस्थान/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान अधिनियम संवत् ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अधिनियम ) नियम १८५८ के नियम १८ क अन्तर्गत श्री " "

" ( जांच अधिकारी का नाम तथा पद ) का उनका विरुद्ध धारापित आरोपों का मण्डल जांच करने के लिये नियुक्त करने है/कम्ता है। काश्किहा म कथित नियमों के नियम १६ द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

अनुगत मन् प्राधिकारी क हस्ताक्षर एवं पद।

क्रमांक	दिनांक	
प्रतिलिपि प्रेषित है —		
१ श्री	-- -- --	को
	( जाच अधिकारी का नाम तथा पद )	
२ श्री		का
	( राज्य कर्मचारियों के नाम तथा पद )	
३ अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को, यदि कोई हो ।		

(पिछले जाच अधिकारी के स्थान पर नए जाच अधिकारी की नियुक्ति)

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक	दिनांक	आज्ञा
आज्ञा/आज्ञायें क्रमांक		दिनांक
के मिलसिल में राज्यपाल प्रमन हाकर/निम्न हस्ताक्षर वर्ता श्री		
(नाम एवं पद)	को	से सम्बन्धित
भामले/मामलो की जाच करत के लिये जाच प्राधिकारी नियुक्ति करते हैं/करता है, जो गलतकारिक		
जाच प्राधिकारी श्री	द्वारा अधूर्ण छोड़ दिया गया था ।	

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
एवं पद ।

क्रमांक	दिनांक
प्रतिलिपि प्रेषित है—	
(समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को) ।	

[नियम १६ (१०) (ख) के अन्तर्गत कारण बताआ नोटिस जब कि जाच अधिकारी की रिपोर्ट  
ब्योक्त नहीं हो] ।

राजस्थान सरकार

विभाग

क्रमांक	दिनांक
श्रीर से	
	(अनुशासन प्राधिकारी)
वाम्ते	
	(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)
विषय — अनुशासनात्मक कायदाही ।	
सदर्थ—	



(युक्त यह कहने का अर्थ हुआ कि) धारण विच्छेद पराधिकृत हुए धारण के विषय में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच अधिकारी न अपना प्रतिबन्ध प्रकृत कर सिया है। इन प्रतिबन्ध का प्रतिनिधि मतलब है।

२ प्रतिबन्ध पर भावधाना पूर्वक जांच करने पर, जांच अधिकारी के निष्पत्ति अन्वयित निष्पत्ति में लिये गये कारणों में स्वाकार नहीं किये गये हैं और सट्ट निर्णय किया है कि

का धारण धारण विच्छेद मान्य हुआ है/होना है। (राजस्थान न सिद्धांत यह निगम किया है) सिद्धांत यह निगम किया गया है कि (यहां धारण नियम)। एसी बाधकारी करने में पूर्व प्रस्तावित बाधकारी के विच्छेद कारण बताने का अवसर धारणको दिया जाता है। इस सिद्धांत में यदि धारण बाध प्रतिबन्ध करें तो तब, प्रस्तावित बाधकारी करने में पूर्व, उनका द्वारा विचार किया जायगा। एसा प्रतिबन्ध यदि कोई है तो, विभिन्न रूप में करना चाहिये एवं धारण द्वारा इस पत्र का प्रालिप्त पत्र लिख मु पूर्व निम्न प्रस्ताविकता का मित्त जाना चाहिये।

३ इस पत्र का पूर्व भर्त्से।

धनुषासन धारणारी के हस्तगत एवं ११

[नियम १६ (१०) (ग) के अन्वयित कारण बताना नामिक तब कि धनुषासन धारणारी जांच अधिकारी के निष्पत्ति में सट्टमत्त हा]

राजस्थान सरकार  
" " विभाग

क्रमिक		दिनांक
धोर म	" " "	
	(धनुषासन धारणारी)	
बान्ध	" " "	
	(सम्बन्धित राजन बन्धारी)	

विषय—धनुषासन बाधकारी।  
सन्दर्भ—

ऐसा अभिवेदन यदि कोई हो तो, त्रिखित रूप में करना चाहिये एवं प्राय द्वारा इस पत्र का प्राप्ति से पन्द्रह दिन से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता को मिल जाना चाहिये।

३ इस पत्र का पहुँच भेजें।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

[भारतीय दण्ड विधान एवं भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी पर कांज दारो मुक्तमा चलान की स्वीकृति]

राजस्थान सरकार

विभाग

श्री

क्रमांक

दिनांक

श्री राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के यह ध्यान में लाया गया है कि श्री

का कृत्य करते हुए श्री

की माजिन से रोकड़

( नाम तथा पद )

बढ़िया (केशवकुमार) में गलत तथा फर्जी प्रविष्टियों द्वारा विभिन्न धनराशियाँ को विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम वितरण करना दर्शाया जो वास्तव में वितरित नहीं की गई थीं एवं कुल धनराशि रु० " जो इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं का फर्जी वितरित की जाना बताई गई वह कथित अधिकारी द्वारा अपराधिक अपहरण (दुरुपयोग) की गई और कुछ के तय श्री ने भी गलत प्रमाणित किये हैं और

२ चूँकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के यह भी ध्यान में लाया गया है कि रूपये का श्री स्टॉक बैंक आफ इंडिया से दिनांक " को प्राप्त किये वे न तो रोकड़ बही में जमा हैं न उनका सही व्यक्ति का अथवा पत्र मुक्त करने वाले अधिकारी को भुगतान ही किया गया है और इस राशि का भी कथित अधिकारियों न अपहरण किया है और

३ चूँकि अभिलेख के प्रवक्ताओं से तथा मामले के सब तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह तसल्ली हो गई कि कथित श्री और श्री " न भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा के साथ पठित भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत अपराध किये हैं और।

४ इसलिये, अब आपका फौजदारी का धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा का अनुसर्ण करने हुए, राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं कि श्री के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा में, भारतीय दण्ड विधान की धारा " का पठन करते हुए एवं सक्षम श्रेणाधिकार रखने वाली न्यायालय में कोई अन्य अपराध न हों तो उसके अन्तर्गत फौजदारी मुक्तमा चलाया जाव।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

मुहर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धितों को सिवाय उन राजकीय कर्मचारियों के जो इस मामले में सम्मिलित हों।

## परिशिष्ट-ग

### राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहा का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६०<sup>१</sup>

राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहा का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम १९५९ की धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए राज्य सरकार एतत् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं यथा —

#### नियम

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—(१) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहा का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६० कहलायेंगे।

(२) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

२. सम्मन एवं आदेश-पत्र—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कायवाही में जाच प्राधिकारी किसी पक्ष को आह्वान दे सकता है कि वह सम्मन के छप हुए प्रथम दो प्रतियां म देव नागरी लिपि में शिवाय, उपस्थिति पत्रों का दिनांक/तथा सम्मन/नाटिस (सूचना पत्र) के जारी होने के त्ति, के विषयों को पूरी तरह भंग कर उन गवाहा पर तामोच कराने के लिये प्रस्तुत कर जिनका वह पक्ष ध्यान साम्य में पत्र करना चाहता हो।

(२) सम्मनो एवं सूचनापत्रों में उपस्थिति/पत्रों का दिनांक एवं जारी हान का तिनांक जाच प्राधिकारी के कार्यालय में भरे जायेंगे तथा जाच प्राधिकारी अथवा उसका कार्यालय अध्याक्षक अथवा निजी सहायक अथवा कर्मचारी बग का कोई अन्य मन्थ्य जिसको ऐसा प्राधिकार प्रत्याभुक्त किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर कर्ता का तिनांक भी अंकित करेगा।

(३) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेंगे जब तक कि वे बने स्पष्ट एवं पत्र जान योग्य प्रक्षार में नहीं भरे गये हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर नोट के बाएँ हाथ के कोन पर प्रपत्र हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित वृत्तांत को मत्थता का उल्लेख होगा।

(४) जाच प्राधिकारी द्वारा जारी किया या त्ति प्रत्येक आह्वान-पत्र या आह्वान में जारी करत बाल या त्त बाने अधिकारों का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट प्रक्षार में लिखा जायेगा।

सब दशाओं में जाच प्राधिकारी या उसका कार्यालय अध्याक्षक या निजी सहायक या उपराज्य नियम ० (२) में निर्दिष्ट कर्मचारी बग का अन्य मन्थ्य प्रपत्र नाम के हस्ताक्षर साफ साफ एवं पन्ने योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टैम्प) द्वारा नहीं किया जायेगा।

(५) प्रपत्र अथवा आदेश-पत्र आवश्यक परिवर्तन तथा मनायना सहित बहो होगा जा राजस्थान के दावानी न्यायालयों के लिये सामान्य नियम (सिबिचर) १९५२ के अन्तर्गत निर्धारित है।

१. प्रथमवार राजस्थान राजपत्र, प्रकाशकाल नाम ८-क दिनांक ८-१२-१९६० की अग्रणी में प्रकाशित हुआ।

२. जाच अधिकारों के स्थान पर लिखा गया।

(६) आदेश-पत्र जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि जिस व्यक्ति को आदेश पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में वह जारी किया जा रहा है उसी वरान की प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें तामील कुनन्दा का एक व्यक्ति अथवा सम्पत्ति का पहिचानने में गलती करने का खतरा नहीं रहे। आदेश पत्र में नाम, पिता का नाम, व्यवसाय जिला, माहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जायेंगे। जब कि जाच प्राधिकारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के आवदन पत्र में इस प्रकार का वरान किया हुआ नहीं हो तो, जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त जाच प्राधिकारी की धाजा प्राप्त करनी चाहिये।

(७) जब कोई सम्मन किसी सैनिक नाविक, वायु सैनिक अथवा सावजनिक कर्मचारी को जारी किया जाना हो तो यथा सम्भव गवाहा के आह्वान तथा प्रलेखा हेतु सामान्य नियम (सिविल) १९५२ के अध्याय ३ में दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा।

(८) साधारण तथा समस्त आदेश पत्र तामील हेतु उस जिला एवं सत्र यायाधीश के न्यायालय में भेजे जावेंगे जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है जिसमें उक्त गवाह निवास करता है अथवा जिसके सरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो।

( एफ २३ (६३) ए०/५८/ग्रूप तृतीय, निनाक २१ १० १९६० )

१ "प्रथम थोरेली दण्डे नायक" के स्थान पर, नियुक्ति (ए तृतीय) विभाग के क्रमांक एफ २३ (६३) ए/५८ ग्रूप तृतीय निनाक १५ जून १९६१ द्वारा लिखा गया।

## परिशिष्ट-ग

### राजस्थान अनुशासनात्मक कायदाहिया (गवाहों का आह्वान एवं प्रवेष्टों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६०<sup>१</sup>

राजस्थान अनुशासनात्मक कायदाहिया (गवाहों का आह्वान एवं प्रवेष्टों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, १९५९ की धारा ५ द्वारा प्रस्तुत किये गये का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतत् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा -

#### नियम

१ सक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—(१) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कायदाहिया (गवाहों का आह्वान एवं प्रवेष्टों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६० कहलायेंगे।

(२) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

२ सम्मन एवं आदेश-पत्र—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कायदाहिया में जाच प्राधिकारी किसी पक्ष का आह्वान द कर सकता है कि वह सम्मन के छपे हुए प्रपत्र दो प्रतिपत्रों में देव नागरी लिपि में सिवाय, उपस्थिति पत्रों का लिताव/तथा सम्मन/नाटिम (सूचना पत्र) के जाच हान के लिये, क विषयों का पूरी तरह भंग कर उन गवाहों पर तामील करान के लिये प्रस्तुत कर जिनका वह पक्ष अपने साक्ष्य में पत्र करना चाहता है।

(२) सम्मनो एवं सूचनापत्रों में उपस्थिति/पत्रों का लिताव एवं जारी होने का लिताव जाच प्राधिकारी के कार्यालय में भंग जायेंगे तथा जाच प्राधिकारी अथवा उनका कार्यालय अधीनस्थ अथवा निजी सहायक अथवा कर्मचारी बग का कोई अन्य सम्मन जिसका ऐसा प्राधिकार प्रमाणित किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने का दिनांक भी अंकित करेगा।

(३) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेंगे जब तक कि वे, कटे स्पष्ट एवं पठ जाने योग्य अक्षरों में नहीं भरे गये हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर साच के बाएँ हाथ के कोन पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित हुए गवाहों का सम्मन का उत्तर देना होगा।

(४) जाच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रत्येक आह्वान-पत्र या आह्वान में जारी करने का नाम या दान का नाम अधिनियम का नाम सबसे उपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायगा।

सब दण्डों में जाच प्राधिकारी या उनका कार्यालय अधीनस्थ अथवा निजी सहायक या उपरोक्त नियम ० ( ) में निर्दिष्ट कर्मचारी बग का अन्य सम्मन अथवा नाम के हस्ताक्षर साच साच एवं पत्र योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नहीं किया जायगा।

(५) प्रपत्र अथवा आह्वान पत्र, आवश्यक परिचयना तथा समाह्वान सहित बही हाया जा राजस्थान के नौबाना न्यायालय के लिये सामान्य नियम (सिविल) १९५० के अन्तर्गत निर्धारित है।

१ प्रथमवार राजस्थान राजपत्र, समाधारण भाग ८-क दिनांक ८-१२-१९६० को अग्रजी में प्रकाशित हुआ।

२ जाच प्राधिकारी के स्थान पर लिखा गया।

(६) आदेश-पत्र जारी करने में पूरा जारी करने वाला प्राधिकारी इस बात की तमत्की करेगा कि जिस व्यक्ति को आदेश पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में वह जारी किया जा रहा है उसके वर्णन की प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें तापील कुल्ला को एक व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को पहिचानने में गलती करने का खतरा नहीं रहे। आदेश पत्र में नाम, पिता का नाम, व्यवसाय जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जायें। जब कि जांच प्राधिकारी को निषेध करने वाले व्यक्ति के आवदन पत्र में इस प्रकार का वर्णन दिया हुआ नहीं हो तो, जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरन्त जांच प्राधिकारी की आना प्राप्त करनी चाहिये।

(७) जब कोई सम्मन किसी सनिक् नाविक वायु सैनिक अथवा सावजनिक कर्मचारी को जारी किया जाना ही तो यथा संभव गवाहा के आवाहन तथा प्रलखो हेतु सामान्य नियम (सिद्धिल) १९५२ के अध्याय ३ में किये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा।

(८) साधारण तथा समस्त आदेश पत्र तापील हेतु उस जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में भेजे जायेंगे जिसका उक्त क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है जिसमें उक्त गवाह निवास करता है अथवा जिसके मरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो।

( एक २३ (६३) ए०/५८/ग्रूप तृतीय, दिनांक २१ १० १९६० )

१ "प्रथम थ री दठे नावक" के स्थान पर, नियुक्ति (ए तृतीय) विभाग के क्रमांक एक २२ (६३) ए ए/५८ ग्रूप तृतीय दिनांक १५ जून १९६१ द्वारा लिखा गया।

## परिशिष्ट-घ

### राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम १९५१ के कुछ अंश

अध्याय २० (१) नियुक्ति(०)/५० - भारतीय मंत्रिधान के अनुच्छेद २० (२) के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राजप्रमुख प्रमत्त होकर निम्नलिखित विनियम बनाते हैं -

#### भाग प्रथम-जनरल (सामान्य)

१ इन विनियमों का हवाला 'राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम, १९५१' के नाम से दिया जावेगा।

२ इन विनियमों में-

(१) 'आयोग' से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग में है।

(२) 'सरकार' से अभिप्राय राजस्थान सरकार में है।

(३) सेवा अथवा पद में अभिप्राय राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित किसी असैनिक सेवा अथवा पद में है।

(४) नियुक्ति प्राधिकारों से अभिप्राय उक्त प्राधिकारों में है जो राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करता हो।

(५) अनुसूचा से अभिप्राय इन विनियमों में मन्स अनुसूचा में है।

(६) सर्वोच्च राज्या का सेवाशास्त्र से अभिप्राय वन सेवाशास्त्र में है।

(७) 'जो राजस्थान राज्य का स्थापना में वन सर्वोच्च के अनुच्छेद १ (क) में उल्लिखित कोई राज्य की है।

(ख) जो उक्त अनुच्छेद के उप लघ (ख) में परिभाषित मूलपूर्व राजस्थान राज्य का है, अथवा

(ग) जो राजस्थान के राजप्रमुख एवं अन्वर भरतपुर धौलपुर तथा करोली के मराठाशासकों के मध्य हुए तिनाव १० मई १८४८ के इकरारनाम के उप लघ (१) (क) में परिभाषित मूलपूर्व मन्स राज्य की है।

x x x x x x

#### भाग चतुर्थ अनुशासनात्मक मामलों

११ आयोग से परामर्श करना निम्न लिखित मामलों में आवश्यक नहीं होगा -

(१) उक्त अनुशासनात्मक मामलों में, जिनमें एक मामला में सम्बन्धित अन्वेषण तथा जांचिकाएँ भी सम्मिलित हैं, जिसमें आयोग सरकार के प्रतिनिक्त किसी अन्य नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा जारी होना है।

(२) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का दृष्टि से किसी राज्य कर्मचारों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रारूप बनाने तथा प्रारूप बनाने का आदेश देने से पूर्व,

( ० ) अनुशासनात्मक कार्यवाही की किमी भी स्टेज पर ( स्थिति म ) जब तक कि मामला प्रथम निगम के लिये तय्यार नहीं हो जावे,

( ४ ) जब कि कोई आज्ञा सरकार द्वारा जारी की गई हो और वह—

( क ) जाच करने हेतु निम्नबन की आज्ञा हो

( ख ) किमी अधिकारी को सेवा से डिमिचार्ज अथवा प्रत्यावर्तित ( स्विगन ) करने का आज्ञा हो जो शास्ति स्वरूप नहीं हो

( ग ) शास्ति लागू करने की कोई आज्ञा हो जो पदच्युति, या सेवा से पृथकीकरण, या बतनमान म निम्नतर स्टेज पर पतावनति, या असावधानी अथवा किमी कानून, नियम या आदेशों को भंग करने के फल स्वरूप हुई सरकारी हानि को पूर्ति पूरा स्पेण अथवा आशिक रूप से वेतन से वमूल करने के अतिरिक्त कोई फल हो ।

स्पष्टीकरण १—सेवा से डिमिचार्ज करना—

( क ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया था परीक्षण काल में या परीक्षण काल समाप्त होने पर परीक्षण का किसी विगिण्ट शत पर आधारित कारण से,

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी सविदा से अथवा अस्थायी पद धारण करने के लिये रखा गया था, नियुक्त की अथवा समाप्त होने पर,

( ग ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी सविदा के अन्तगत नौकरी पर लिया गया था, उसको सविदा की शर्तों के अनुसार, और

( घ ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी सविदा बद्ध राज्य की सेवाओं का हो, जो एकीकरण नियमानुसार, अतिरिक्त अथवा राजस्थान राज्य में नियुक्त हनु के अनुपयुक्त पाया गया हो—

इस नियमों के प्रयोजनाथ पृथकीकरण अथवा पदच्युत करना नहीं समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण २ —राजस्थान राज्य की सेवाओं के लिये अतिरिक्त अथवा अनुपयुक्त पाये जान के अलावा किसी अन्य कारण से, राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर एतदथ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का डिमिचार्ज करना, स्थितिनुसार पथकीकरण अथवा पदच्युति करना माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ३ —एतदथ अथवा स मयिक आधार पर राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सविदा बद्ध राज्यों की सेवाओं का राजस्थान राज्य की सेवाओं में एकीकरण करने की योजना कार्यान्वित करने के फल स्वरूप निम्नतर पद पर पदावनति करना, इन विनियमों के अतिरिक्त के अन्तगत शास्ति स्वरूप होना नहीं माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ४ —परीक्षण की विगिण्ट शर्तानुसार परीक्षण काल का बढ़ना इन विनियमों के अतिरिक्त के अन्तगत शास्ति नहीं माना जावेगा ।

१२ जब कि किसी पूर्वकालीन स्थिति में आयोग ने किसी मामले में आज्ञा जारी करने के विषय में सलाह देदी हो और उसके पश्चात निगम हेतु कोई नया प्रस्त नहीं उठा हा तो, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

X X X X X X

### भाग छठवाँ—विधिव

१४ इन विनियमों में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद किसी विशेष मामले में, आयोग से परामर्श करने का आदेश सरकार दे सकेगी ।



## परिशिष्ट-घ

राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा)

विनियम १९५१ क कुछ अग

प्रकार एफ २० (१) नियुक्ति(ग)/५० - भारतीय विधान क अनुच्छेद २० (२) क पम्नुर द्वारा प्रस्त गिनिया का प्रयोग करन हुए राजप्रमुग प्रमप्र होनर निम्नलिखित विनियम बनान है -

### भाग प्रथम-जनरल (सामान्य)

१ इन विनियम का हवाला 'राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम, १९५१ क नाम स दिया जावगा ।

२ इन विनियम म-

(१) 'आयोग से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग स है ।

(२) सरकार स अभिप्राय राजस्थान सरकार से है ।

(३) सेवा शयवा 'पद मे अभिप्राय राजस्थान राज्य क कार्यो म सम्बन्धित विमा पसनिक् सेवा शयवा प स है ।

(४) नियुक्ति प्राधिकारी म अभिप्राय उन प्राधिकारी म है जा राजस्थान राज्य क कार्यो स सम्बन्ध विमा सेवा म या प पर नियुक्ति करता हो ।

(५) अनुसूचा स अभिप्राय इन विनियम म मन्म अनुसूचा मे है ।

(६) 'सविदाबद्ध राज्या का सेवाश्रा म अभिप्राय उन सेवाश्रा म है -

(क) 'जा राजस्थान राज्य का स्थापना म वन मविना क अनुच्छेद १ (क) म उल्लिखित कोइ राज्य का हा

(ग) जो उक्त अनुच्छेद क उप लड (ग) म परिभाषित मूलपूर्व राजस्थान राज्य का हा, शयवा

(ग) जो राजस्थान क राजप्रमुग एव शलवर भरतपुर धौनपुर तथा करोना क महाराष्ट्रा का क मय्य हुए त्तिना १० मई १९५६ के इक्तरनाम क उप लड (१) (क क) म परिभाषित मूलपूर्व मल्प्य राज्य की हा ।

X X X X X X

### भाग चतुथ अनुशासनात्मक मामल

११ आयोग स परामग करना निम्न लिखित मामला म श्रावस्य नहा हागा -

(१) उन अनुशासनात्मक मामला म, जिनम एम मामला स सम्बन्धित शम्पावन् तथा वाचिकाए ना सम्मिलित हैं, जिसम आगा सरकार के शनिरिक विमा अत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जाय होना हा,

(२) अनुशासनात्मक वायवाही करन का दृष्टि म किसी राज्य क मवाठी क विषड वाय वाही का प्रारूप बनान तथा प्रारूप बनान का आगा दन स पूव,

( २ ) अनुसामनात्मक कायदाही की विधा भी स्टेज पर ( स्थिति में ) जब तक कि मामला अन्तिम निष्पत्ति के लिये तय्यार नहीं हो जावे,

( ४ ) जब कि कोई प्राजा सरकार द्वारा जारी की गई है और वह—

( क ) जाच करने हेतु निम्नबन्ध की प्राजा है

( ख ) जिसे अधिकारी की सेवा में डिमिशन अथवा प्रत्यावर्तित ( स्विगन ) करने का प्राजा हो जो शास्ति स्वरूप नहीं हो

( ग ) शास्ति लागू करने का कोई प्राजा है जो पदच्युति या सेवा से पृथकीकरण, या बन्धनमान में निम्नतर स्टेज पर पदावनति, या समावधानी अथवा किसी कानून, नियम या आदेशों को भंग करने के फल स्वरूप हुई सरकारी हानि की पूर्ति पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में बतन से बचाने के अतिरिक्त कोई अन्य हो ।

स्पष्टीकरण १—सेवा से डिमिशन करना—

( क ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया था परीक्षण काल में या परीक्षण काल समाप्त होने पर परीक्षण की किसी विधिगत धारा पर आधारित कारण से,

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी मन्त्रालय से अथवा प्रस्थापी पद धारण करने के लिये रखा गया था, नियुक्ति की अथवा समाप्त होने पर,

( ग ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी सचिवाय के अन्तर्गत नौकरी पर लिया गया था, उसको सचिवाय की शर्तों के अनुसार, और

( घ ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी सचिवाय के अन्तर्गत नौकरी पर लिया गया था, जो एकीकरण नियमानुसार, अतिरिक्त अथवा राजस्थान राज्य में नियुक्ति हेतु के अनुपयुक्त पाया गया हो—

इस नियम के प्रयोजनाय पृथकीकरण अथवा पदच्युत करना नहीं सम्भवा जायगा ।

स्पष्टीकरण २—राजस्थान राज्य की सेवाओं के लिये अतिरिक्त अथवा अनुपयुक्त पाये जाने के अन्तर्गत किसी अन्य कारण से, राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का डिमिशन करना, स्थितिनुसार पृथकीकरण अथवा पदच्युति करना माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ३—एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की, सचिवाय अथवा अथवा की सेवाओं का राजस्थान राज्य की सेवाओं में एकीकरण करने की योजना कार्यान्वित करने के फल स्वरूप निम्नतर पद पर पदावनति करना, इन विनियमों के अन्तर्गत शास्ति स्वरूप होना नहीं माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ४—परीक्षण की विधिगत शर्तानुसार परीक्षण काल का बतना, इन विनियमों के अन्तर्गत शास्ति नहीं माना जावेगा ।

१२ जब कि किसी पूर्वकालीन स्थिति में आयोग ने किसी मामले में प्राजा जारी करने के विषय में मलाह ददी हो और उसके पत्रावलि निम्न हेतु कोई नया प्रश्न नहीं उठा है तो, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

X X X X X X

भाग छठवा—विधि

१४ इन विनियमों में कुछ भी समाविष्ट हान के बावजूद किसी विधिगत मामलों में, आयोग से परामर्श करने का आदेश सरकार दे मकेगी ।

## परिशिष्ट-८

राजस्थान अर्थात् सेवाएँ (राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचाय) नियम, १९५८

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०६ के अन्तर्गत द्वारा प्रदान किये गये का प्रयोग करने से, विज्ञापन, राजस्थान के राजप्रमुख निम्न विधि नियम बनाते हैं, यथा/—

(१) यह नियम राजस्थान अर्थात् सेवाएँ (राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचाय) नियम, १९५८ के अन्तर्गत ।

(२) ये राजस्थान राज्य के कार्यों में सम्बन्धित सेवा में कार्य करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू हों ।

(क) 'राज्य कर्मचारी' से अभिप्राय ऐसे विभागाधीन व्यक्ति से है जिन पर ये नियम लागू हों,

(ख) "सभ्य प्राधिकारी" से अभिप्राय है—

(१) विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा नियुक्त राज्य कर्मचारी के विषय में विभागाध्यक्ष, और

(२) किसी अन्य राज्यकर्मचारी के विषय में राजप्रमुख ।

जब कि राजप्रमुख को सम्मति का हवा कि राज्यकर्मचारी विज्ञापन कायदाहिया में लगे हुए है अथवा उसका ऐसा कायदाहिया में लगे हुए का उचित पर है अथवा वह विज्ञापन कायदाहिया में दूरियों का सत्यापन है तथा इस कारण में उसका सावधानता सेवा में लगे जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिबन्ध है, तो राजप्रमुख ऐसे राज्यकर्मचारी का सेवा में प्रतिबन्धित नियुक्त करने का आदेश कर सकता है ।

४ नियम ३ के अन्तर्गत आदेश जारी करने में पूर्व—

(क) सभ्य प्राधिकारी विहित सूचना द्वारा उसका विषय में प्रस्तावित कायदाहिया में राज्यकर्मचारी का सूचित करेगा तथा उसका यह अवसर प्रदान करेगा कि वह उस कायदाहिया के विरुद्ध अपना अभिप्राय सूचना में लिखित अथवा कि भीतर राजप्रमुख का प्रेषित कर, एवं

(ख) यदि कोई ऐसे प्रकार का अभिप्राय दिया गया हो तो राजप्रमुख को यह विचार करेगा ।

५ जबकि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अन्तर्गत कायदाहिया का आदेश प्रस्तावित हो जाय तो सभ्य प्राधिकारी को उस राज्य कर्मचारी का निवृत्त कर देना,

परन्तु यदि सरकार चाहें तो उसे निवृत्त करने से पूर्व, सभ्य प्राधिकारी उसका एक अवकाश पर जान की अनुमति देना जो उस चाहें है ।

६ इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित कायदाहिया पर या उसके विषय में, राजस्थान अर्थात् सेवाएँ (राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचाय) नियमों में समाविष्ट बाह्य बातें लागू नहीं होंगी ।



## परिशिष्ट-च

### भारतीय सर्विषान के मविधन धनुच्छेद

विधि के समस्त समता —

धनुच्छेद १८ — भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का विधि के समस्त समता में अथवा विधिया के समान व्यवहार में राज्य द्वारा बचिन नही किया जायेगा।

राज्याधीन नौकरों के विषय में अथवा समता —

धनुच्छेद १९ — (१) राज्याधीन नौकरिया या पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के नियम प्रवर्तन का समता होगा।

(२) केवल धर्म भ्रंशकान् जानि विना, उद्भव जन्म स्थान, निवास अथवा जन्म में किसी के आधार पर किसी नागरिक के नियम राज्याधीन किसी नौकरों या पद के विषय में न अथवा न होना शक्य न किन्तु किया जायेगा।

(३) इस धनुच्छेद की किसी बात में समता का कोई ऐसा विधि बनाने में बाधा न होगा जो प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा समस्त राज्य में किसी स्थानाय या पद प्राधिकार के अधिन किसी प्रकार का नौकरों में या पद पर नियुक्ति के विषय में सब नौकरों या नियुक्ति के पूर्व सम राज्य के अन्तर्गत निवास विषयक कोई अथवा विहित करना न।

(४) इस धनुच्छेद की किसी बात में राज्य का पिछले हुए किसी नागरिक वर्ग के पद में अथवा प्रतिनिधित्व राज्य की राज्य में राज्याधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है नियुक्ति या पदों के अन्तर्गत के नियम व्यवहार करने में कोई बाधा न होगा।

(५) इस धनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसा विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपरोक्त बरती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य में सम्बद्ध कोई पद धारण अथवा समस्त गामा निवास या कोई सम्बन्ध किसी विधि के अधिन इस धनुच्छेद अथवा किसी विधि के सम्बन्ध का हो।

बुद्धि नेत्रों के निकालने के लिये उच्च न्यायालयों की शक्ति —

धनुच्छेद २०६ — (१) धनुच्छेद ३२ में किसी बात के अन्तर्गत हुए भा प्रत्येक उच्च न्यायालय का, उन क्षेत्रों में सबत्र जिनके सम्बन्ध में वही अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस मविधान के भाग (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में म किसी का प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी कार्य प्रवर्तन के लिये उन राज्य क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति या समुचित मामलों में निम्न सरकारी नो एम्प्लोय या प्रादा या लक्ष जिनके अन्तर्गत बन्ना प्रत्यक्षीकरण, परमाणु, प्रतिपक्ष, अधिकार वृच्छा और उल्लेख के प्रकार के अन्य भी हैं अथवा उनमें से किसी का निकालने का शक्ति होगी।

(२) यह (१) द्वारा उच्च न्यायालय की प्रदत्त शक्ति में इस मविधान के धनुच्छेद ३२ के यह (२) द्वारा उच्चतम न्यायालय का प्रदत्त शक्ति का अन्वयित्व न होगा।

उच्च न्यायालयो के पदाधिकारी और सेवक और व्यय —

अनुच्छेद २२६ -(१) उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्याय लय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अथवा यायाधीश या पदाधिकारी करेगा।

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है नियम द्वारा यह अर्थवा कर सकेगा कि एसी किन्हीं अवस्थाओं में जमी कि नियम में उल्लिखित है किमी ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किमी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा।

(२) राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धा के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसा हांगी जसी कि उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अथवा यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति न उस प्रयोजन के लिये नियम बनान का प्राधिकृत किया है नियमों द्वारा विहित करे

परन्तु इस कंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक व बतानो भती छुट्टी या निवृत्ति बतानो से सम्बद्ध हैं उस राज्यपाल के जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है, अनुमोदन की अर्थवा होगी।

(३) उच्च न्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों का या के बारे में, दिये जाने वाल सब बतान भती और निवृत्ति बतान भी हैं राज्य की सचिव निधि पर भारित हांगें तथा उस न्यायालय द्वारा लो गई फीस और अथवा धन उस निधि का भाग होगी।

सभ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भती तथा सेवा का शर्तें —

अनुच्छेद ०६ -इस अधिधान के उपबन्धा के अधीन रहन हुए समुचित विधान मंडल के अधिनियम सभ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदा के लिये भती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधिधान समुचित विधान मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधिधान उस लिये उपलब्ध नहा बनाये जात तक तक यथास्थिति सभ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को अथवा एने व्यक्ति की, जिसे वह निर्दिष्ट कर तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदा के बारे में राज्य के राज्यपाल का अथवा एने व्यक्ति को जिसे वह निर्दिष्ट करे ऐसी सेवाओं और पदा के लिये भती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाल नियमों का अन्तर्गत हांगी तथा किन्ना ऐसे अधिनियम के उपबन्धा के अधीन रहत हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी हांगे।

सभ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाधि —

अनुच्छेद ३१० -(१) इस अधिधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धन अवस्था का छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति जो सभ की प्रतिरक्षा सभा या अमनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा सभ के अधीन प्रतिरक्षा में सम्बन्धित किसी पद का अथवा किसी अमनिक पद का धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र में पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य का अमनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी अमनिक पद को धारण करता है यथास्थिति राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पत्र में पद धारण करता है,

( २ ) यह पक्ष है कि यदि या राज्य के अधीन अधिनियम पक्ष का धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राजपति द्वारा राज्य के राजस्व या राजस्वों के प्रयोग के लिए पक्ष का धारण करना है कोई व्यक्ति विशेष के अधीन कोई व्यक्ति या प्रतिस्था—जवा या अन्य मांगत गरा करता यह या राज्य या अधिनियम संख्या का मुख्य नती है कि जहां पक्ष का धारण करने के लिये इस संघन के नियुक्त होता है यह उदाहरण कर मुहमा कि यदि यथास्थिति राजपति या राज्यपाल विचार प्रकृतियों का किमी व्यक्ति का मरा या प्राप्त करने का लक्ष्य है प्रत्येक सम्मति है कि यदि राज्य का कोई कालावधि की समानि म पक्ष यह पक्ष का धन कर दिया जाता है अधिनियम द्वारा नियम किमी अधिनियम म अधिनियम कारणों के लिये उक्त पक्ष रिक्त करने की प्रकृतियों की जाता है कि उक्त प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

यदि या राज्य के अधीन अधिनियम हैमियत म नौकरों के लिये पक्ष अधिनियमों का पक्षधर पक्ष म हटाया जाना या पक्षधर विचार करना —

धनुष १११ —(१) कि व्यक्ति यह या अधिनियम संख्या का या अधिनियम मांगत संख्या का या राज्य का अधिनियम संख्या का मुख्य है प्रत्येक यह या राज्य के अधिनियम अधिनियम पक्ष का धारण करना है यह अधिनियम नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों म नियम किमी प्राधिकारियों द्वारा पक्षधर नहीं किया जायेगा प्रत्येक पक्ष म हटाया नहीं जायेगा ।

( २ ) उक्त प्रकर का कोई व्यक्ति तब तक पक्षधर नहीं किया जायेगा प्रत्येक पक्ष म नहीं हटाया जाएगा अधिनियम पक्षधर नहीं किया जायेगा जब तक कि एसा जाच किमम उक्त अधिनियम द्वारा अधिनियम म प्रकृतियों का किया गया है और उक्त अधिनियम के मुख्य म सुनवाई का युक्ति कुल प्रवर्तन किया गया है नहीं करता जानी और कि एसा जाच के पक्षधर उक्त पर एसी का पक्षधर अधिनियम करता प्रत्येक पक्ष है कि जब तक उक्त अधिनियम पक्षधर का वास्तव अधिनियम, किनु एसी जाच के अधिनियम म मांगत के ही आधार पर करने का युक्ति कुल प्रवर्तन नपा द किया जाता

परन्तु यह सब कहा साधु न होगा—

( क ) जहां कोई व्यक्ति एसा आधार के आधार पर पक्षधर किया गया या हटाया गया या पक्षधर किया गया है किमम नियम २८-अधिनियम पर वह सिद्ध-पक्ष है

( ख ) जहां किमी व्यक्ति का पक्षधर करने या पक्ष म हटाने या पक्षधर करने का पक्षधर एसा या अधिनियम प्राधिकार का समाधान हा जाता है कि किमी कारण म जो उक्त अधिनियम द्वारा लक्ष्य किया जायेगा यह युक्ति कुल रूप म व्यवहाय नहीं है कि उक्त अधिनियम का कारण किमाने का प्रवर्तन किया जाय, प्रत्येक

( ग ) जहां यथास्थिति राजपति या राज्यपाल का समाधान हा जाता है कि राज्य का सुरक्षा के हित म यह पक्ष कर नती है कि उक्त अधिनियम का एसा प्रवर्तन किया जाव ।

( २ ) यदि कोई पक्ष पक्ष होता है कि क्या पक्ष ( २ ) के अधिनियम किमी व्यक्ति का कारण किमाने का प्रवर्तन एसा युक्ति कुल रूप म व्यवहाय है या नहीं कि एसा व्यक्ति का यथास्थिति पक्षधर करने या पक्ष म हटाने प्रत्येक उक्त अधिनियम करने का पक्षधर प्राधिकार का उक्त पर विनिश्चय अधिनियम हापा ।

प्रायाग के सदस्यो तथा कमचारी बन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति —

अनुच्छेद ३१८ — मध्य-प्रायोग या सयुक्त प्रायोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-प्रायोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा —

( ६ ) प्रायोग के सदस्यों, सभ्यों तथा उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेंगा, तथा

( ७ ) प्रायोग के कमचारी-बुन्द के सदस्यों की सभ्यता के तथा उसकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबंध कर सकेगा

परन्तु लोकसेवा-प्रायोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पदचात उसकी प्रतामकारी परिवर्तन न किया जायेगा ।

लोकसेवा प्रायोगों के कृत्य—

अनुच्छेद ३२० — ( १ ) मध्य तथा राज्य के लोक सेवा-प्रायोगों का कृत्य व्यवहारा वि प्रमाण मध्य की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें ।

( २ ) यदि मध्य लोक सेवा-प्रायोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना कर तो उनका यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी विन्ही सेवाओं के लिये जिनके लिये विशेष प्रवृत्तता वाले अभ्यर्थियों अर्पित हैं मन्त्रि लुली भर्तों की योजनाओं के बनाने तथा प्रवृत्तन में लाने के लिए उन राज्यों की सहायता करें ।

( ३ ) यथास्थिति मध्य-लोकसेवा-प्रायोग या राज्य-लोक सेवा-प्रायोग से—

( ६ ) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदा के लिये भर्तों की शर्तियों से सम्बद्ध सम्स्त विषयों पर,

( ७ ) अर्थात् लोकसेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा में दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने के तथा अभ्यर्थियों की एमी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर,

( ८ ) ऐम व्यक्ति पर जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य का सरकार का असैनिक हैमियत से सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं उनके सहित सम्स्त ऐसे अनुशासन-विषयों पर

( ९ ) ऐम व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सम्राट के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैमियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है अथवा अमे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत जो कोई दावा है कि अपने कृत्य पालन के लिये भये या अनुमतिपत्र, कार्यों के सम्बन्ध में उसने विरुद्ध बनाई गई किन्ही विभिन्न कायवाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पडा है वह यथास्थिति भारत की सचिव निधि में से या राज्यों की सचिव निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर

( १० ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैमियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति का हुई क्षति के बारे में निवृत्ति-वेतन दिये जाने के लिये किसी दाव पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो इस प्रश्न पर,



परामर्श किया जायगा तथा इस प्रकार उनमें वृद्धि किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल उक्त पच्छा कर, परामर्श करने का लाभ्यता आयोग का बन्धन्य होगा,

परन्तु अन्तिम भारत में मन्त्रालयों के बारे में तथा सप-कार्यों में सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयों और अन्य के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों में सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयों और अन्य के बारे में यथास्थिति राज्यपाल, उक्त विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकता, जिनमें साधारणतया अथवा किसी विषय के मामलों में, अथवा किन्हीं विषय पर स्थितियों में लीक-मन्त्रालयों से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

( ४ ) धारा ( ३ ) का बान न यह अर्थ न होगा कि याक मन्त्रालयों में उक्त धारा के बारे में परामर्श किया जाये जिसमें कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (४) में निर्दिष्ट बातें उपलब्ध बनाया जाना \* अथवा जिसमें कि अनुच्छेद २२५ के उपलब्धता का प्रभाव किया जाता है।

( ५ ) धारा ( ४ ) के परन्तु के अन्तर्गत राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गये सब विनियम उनके बन्धन जन के पक्षान बनासम्भव गीत यथास्थिति सभ \* प्रत्येक मन्त्र अथवा राज्य के विधान मन्त्र के मन्त्र या प्रदेश मन्त्र के समस्त चौकट्टि में अन्तर्गत मन्त्र के विषय रखे जायेंगे तथा निरसन या मन्त्रों द्वारा विषय एवं एम \* मन्त्र के अधिन ही जय कि सभ \* के दलों मन्त्र अथवा उस राज्य के विधान मन्त्र का मन्त्र या मन्त्रों मन्त्र उस मन्त्र में \* जिसमें कि वे इस प्रकार रख गये हों।

## परिशिष्ट छ

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की रूप रखा

विषय

क्रमांक एवं दिनांक

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | निलम्बन तब तक किया जा सकेगा जब कि निम्नलिखित में से कोई आधार मौजूद हो—<br>(क) प्रथमावलोकन से कोई ऐसा मजबूत मामला बनता है जिसका सम्भावित फल सेवा से पृथक्करण या वध्वास्तिगी हो।<br>(ख) जानबूझ कर भ्रान्ता पानन से इन्कार करना।<br>(ग) ऐसे घाटोप जिनमें नतिक पतन सम्मिलित हैं।<br>(घ) फौजदारी मुकद्दमा चल रहा हो।<br>(ङ) अणु वसूली के कारण गिरफ्तारी। | नियुक्ति (ए) विभाग की सं० डी० २६००/एफ० २३ (१८) नियुक्ति (ए)/५८ दिनांक २५ ३-१९५८    |
|   | (च) प्रिवेशन आफ डिटेशन अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी।   | वित्त विभाग का सं० २४६७/५६ एफ ७ (क) (१) एक डॉ/ए/ब्लस/५८ १ दिनांक १८-८-१९५६         |
| 2 | निलम्बन की भ्रान्ता तभी पारित की जा सकेगी जब कि कठोर वास्तित की कोई संभावना हो।   | नियुक्ति- (ए) विभाग की, सं० डी/६६३३/५६ एफ १६ (२७) नियुक्ति (ए) ६० दिनांक १७ ३ १९६० |
| 3 | निलम्बन को भ्रवधि में निर्वाह भत्ता वेतन के ३ (आधे) दर से दिया जावे/जब निलम्बन भ्रवधि १२ मास से अधिक हो जावे, तो निर्वाह भत्ता वेतन के ३ (तीन) दर से दिया जावे।   | नियम ५३ राजम्बान सेवा नियम तथा स एफ १ (४४) एफ डा (ई ब्लस)/६३ दिनांक २२ १ ६४        |
| 4 | निलम्बन की भ्रवधि में विभागीय जाच पर उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा के लिये यात्रा भत्ता की अनुमति दी जावे।   | वित्त विभाग आदेश न (६) एफ ११/५५ दिनांक ३ ५ १९५५                                    |
| 5 | निलम्बन की भ्रवधि में कोई भ्रवकाश प्रदान नहीं किया जावे। मुख्यालय छोड़ने के लिये आवेदन किया जावे।   | वित्त विभाग का आदेश सं ६ (१) (१) आर/५५ दिनांक ८ २ १९५५                             |
| 6 | निलम्बन की भ्रवधि में भवान विरामा भत्ता पाने का पात्र होगा।   | नियम ६-भवान विरामा भत्ता प्रदान करने के नियम                                       |

परामर्श किया जायेगा तथा इस प्रकार उनमें वृद्धि किये हुए विमी विषय पर तथा विमी अथ विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल उनमें पच्छा कर, परामर्श देने का लोचनवा आयोग का कस्त व्य होगा,

परन्तु प्रखिल भारतिय मवाध्या के बारे में तथा सध-वार्यों में मसबउ अथ मवाध्यों और पत्तों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के वार्यों से ससक्त अथ मवाध्या और पत्तों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल, उन विषयों का उल्लेख करके वान विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया अथवा विमी विषय वग के मामल में, अथवा कि-हीं विषय परिस्थितिया में, लोचनवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

( ४ ) मण्ड ( ३ ) की वान में यत् अपसा न होगा कि-का मवा आयोग में उस रीति के बारे में परामर्श किया जाय जिसमें कि अनुच्छेद १६ के मण्ड (४) में निर्दिष्ट वार्दे उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रानि में कि अनुच्छेद २५ के उपबन्धों का प्रभाव किया जाना है।

( ५ ) मण्ड ( २ ) के परन्तु के अधिन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गये सब विनियम उनके बनाय जन के पञ्चान यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति ससत् के प्रयत्न मन्त, अथवा राज्य के विधान मन्तन के सन्त या प्रयत्न सन्त के समझ चौन्ट् निन में अपून समय के निय रत्ने जायेंगे तथा निरसन या सगापन द्वारा किये गये एम रूप भर्तों के अधीन हाने जय कि ससत् के पत्तों मदन अथवा उस राज्य के विधान मण्डल का सन्त या शोना सन्त उस मत्र में कर जिसमें कि वे इस प्रकार रत्न गये न्।

## परिशिष्ट छ

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की रूप रेखा

विषय	क्रमांक एवं दिनांक
1. निलम्बन तब तक किया जा सकेगा जब कि निम्नलिखित में से कोई आधार मौजूद हो— (क) प्रथमावलोकन में कोई ऐसा मजबूत मामला बनता है जिसका समाहित फल सेवा से पृथक्करण या बह्वस्तिगी हो। (ख) जाबूक कर धाना पालन में क्लर करना। (ग) ऐसे धारों जिनमें नलिष पतन सम्मिलित हो। (घ) कीबदारी मुषद्मा चल रहा हो। (ङ) ऋण बसूली के कारण गिरफ्तारी। (च) प्रिवेशन झाक डिप्लान अधिनियम में प्रयोग गिरफ्तारी।	नियुक्ति (ए) विभाग की सं० डा० २६००/एफ० २३ (१८) नियुक्ति (ए)/५८ दिनांक २५ ३-१६५८  वित्त विभाग का सं० २४६७/५६ एफ ७ (क) (१) एफ हॉ ए/क्लस/५८ १ दिनांक १८-८-१६५६
2. निलम्बन की धाना तभी पारित की जा सकेगी जब कि कठार दास्ति को कोई समाधान हो।	नियुक्ति- (ए) विभाग की, सं० डी/६६३३/५६ एफ १६ (२७) नियुक्ति (ए) ६० दिनांक १७ ३ १६६०
3. निलम्बन का अधिष में निर्वाह भत्ता वेतन के ३ (आध) दर से दिया जावे/जध निलम्बन अधिष १२ मास से अधिष हो जावे, तो निर्वाह भत्ता वेतन के ३ (पीन) दर से दिया जावे।	नियम ५३ राजस्थान सेवा नियम तथा एम एफ १ (४४) एफ डा (ई क्लस)/६३ दिनांक २२ १ ६४
4. निलम्बन की अधिष में विभागीय जाच पर उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा के लिये यात्रा भत्ता का अनुमति दी जावे।	वित्त विभाग आदेश सं (६) एफ ११/५५ दिनांक ३ ५ १६५५
5. निलम्बन की अधिष में कोई अधिकांश प्रदान नहीं किया जावे। मुख्यालय छोड़ने के लिये आवेदन किया जावे।	वित्त विभाग का आदेश सं ६ (१) (१) पार/५५ दिनांक ८ २ १६५५
6. निलम्बन की अधिष में अनान विराया भत्ता पान का पात्र होगा।	नियम ६-अवान विराया भत्ता प्रदान करने के नियम

- ७ नियम्बन की अवधि में नियाम स्थान रिक्त नहीं किया जायगा। नियम १२ १० तथा १८ गवर्नर अध्याय गृह आक्ट के नियम
- ८ नियमित कर्मकारों विविधता सुविधा प्राप्त का प्रचार होगा। राज्यस्थान गवर्नर सर्वेक्षण (महानगर एक्ट) अध्याय (राज राज पत्र नाम ४-म तिनांक १ २ १६५६)
- ९ नियमित राज्य कर्मकारों के विभिन्न विभागों के बीच का समय मासिका (अवधि) नियुक्त (ग [III] विभाग का अध्याय विद्या १ एक्ट ५ (४२) नियुक्ति (ए) ६२ तिनांक ८ ८ ६३
- (क) प्राथमिक जाच समाप्त करना ३ मास
- (ख) प्राथमिक जाच प्रतिबन्धन पर १ मास विचार तथा आरोप पत्र जारी करना।
- (ग) आरोपित व्यक्ति द्वारा उत्तर कम से कम प्रेषित करना। कम ३ सप्ताह अपिवाधिक २ मास
- (घ) उत्तर पर विचार तथा जाच अधिकाय का नियुक्ति। २ सप्ताह
- (ङ) विनयाय जाच समाप्त करना ३ मास
- (च) जाच प्रतिबन्धन पर विचार ३ सप्ताह
- (छ) कारण बताने के लिए नान्ति २ सप्ताह जारी करना।
- (ज) आरोपित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नान्ति का उत्तर प्रेषित करना। ३ सप्ताह
- (झ) कारण बताने के नान्ति के उत्तर पर विचार तथा अन्तिम आदेश जारी करना। १ सप्ताह
- १० गैर वय समाप्त होने के तुरन्त परचाय सक्षम प्राधिकार नियमित अध्याय का धृतराज्य बन करेगा। नियुक्ति (ए [III] विभाग का अध्याय स एच ५ (६२) नियुक्ति (ग) ६२/ तिनांक २२ ११ १६६२
- ११ जाच प्राप्त गति में नियमित अवधि के अनुसार की जावे। परन्तु पुनर्दया चलाने की प्रवृत्ति नियमित प्रथम में दो वर्ष। नियुक्ति (ए) विभाग स एच ५ (४३) नियुक्ति (ग)/६२/तिनांक ८ २ १६६३

- १२ (क) दस्तावेजों की मूनी जहाँ तक मभव हो यात्रागिट के साथ दी जावे ।  
 (ग) अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप में प्रम्भीकृत की जावे ।  
 (ग) यदि आवश्यक हो तो सरकार स्वयं फाट्ट की प्रतियें लेवे ।  
 (घ) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जावे ।
- १३ प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे ।
- १४ विभागीय जाच की कार्यवाही में शपथ नहीं दिलाई जावे ।
- १५ नोपारोपित व्यक्ति को उसको प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवान का हक है ।
- १६ तमाम सम्मन प्रादि (प्रासज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र यापाधीश के द्वारा भजे जावे ।
- १७ गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जावे ।
- १८ भ्रष्टाचार के आरोप प्रतिरिक्त महानिरीक्षक भारती भ्रष्टाचार निराकरण विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशन किया जावे ।
- १९ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के भीतर किया जावे ।
- २० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरीक्षक तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का आभरण निरीक्षण कर सकेगा तथा अभिलेखों (रेकॉर्ड्स) पर कब्जा कर सकेगा ।
- नियुक्ति (ए) विभाग की स ए ३ (२५) नियुक्ति (ए)/९१ प्रूप III दिनांक १४ २ १९६२
- विम विभाग स एक ३ (२) एक डी ( ऐक्य पी रुल्स )/९३ दिनांक १०-२-६४
- नियुक्ति (ए) विभाग का स एक २ (३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनांक १७ १० १९५८
- नियुक्ति (ए) विभाग स १५९७४/१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनांक ९ १२-५७
- नियम २ (VIII) राजस्थान डिसी प्लोनेरी प्रोसीडिग्स (सम्मनिज प्राफ विटनेसेत्र एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉ क्यू मेन्टस) रुल्स, १९६०
- नियम २ (V) ,
- नियुक्ति (ए) विभाग की स एक २३ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनांक २२ ८ १९५७
- नियुक्ति (ए) विभाग का स एक १९ (३८) नियुक्ति (ए)/६० दिनांक १३ ५ १९६०
- नियुक्ति (ए) विभाग की स २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनांक ८ २ १९५८ ।

१०० राजस्थान प्रशासनिक सेवाएँ (बर्गीकरण नियंत्रण एवं अधीन) नियम १९५८

- ७ नियन्त्रण की शर्तों में निवास स्थान रिक्त नहीं किया जायगा। नियम १२ १७ तथा १८ राजकीय धावाग घृष्ट अधिनियम के नियम
- ८ नियन्त्रित वर्गकारी विविधता श्रुतिधारा पान का स्वकार होगा। राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेक्षण (महाकाण्ड एन्ड अन्य) अधिनियम (राज राज पत्र भाग ४-ग त्रिमासिक १ २ १९५६)
- ९ नियन्त्रित राज्य कमचारा के विभिन्न विभागीय जान का समय सारिका (शर्तों पर)
- निर्णयित (ग 111) विभाग का अधिनियम ४ (४२) नियुक्ति (ए) ६२ त्रिमासिक ८ ८ ६३
- (क) प्रारम्भिक जाच समाप्त करना ३ मास
- (ख) प्रारम्भिक जाच प्रतिवर्ष पर १ मास विचार तथा धाराप पत्र तामील करना।
- (ग) शोषारहित व्यक्ति द्वारा उत्तर कम म प्रेषित करना। कम ३ सप्ताह अधिकाधिक २ मास
- (घ) उत्तर पर विचार तथा जाच २ सप्ताह अधिकाधिक का नियुक्ति।
- (ङ) विभागीय जाच समाप्त करना ३ मास
- (च) जाच प्रतिवर्ष पर विचार २ सप्ताह
- (छ) कारण बताने के नियम नोटिस २ सप्ताह जारी करना।
- (ज) शोषारहित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नोटिस का उत्तर प्रेषित करना। ३ सप्ताह
- (झ) कारण बताने के नोटिस के उत्तर पर विचार तथा अधिनियम जारी करना। १ सप्ताह
- १० गैर कर्म समाप्त होने के तुरन्त पदचाल सहाय प्राधिकार निरन्तर अधिनियम का पुनरावगान करना। नियुक्ति (ए 111) विभाग का अधिनियम ४ (६१) नियुक्ति (ग) ६२/ त्रिमासिक २२ ११ १९६२
- ११ जाच शक्ति में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाय। फाजिलारी मुकदमा चलाने का अधिकार निरन्तर प्रपत्र में देा जाय। नियुक्ति (ए) विभाग म, एफ ४ (४३) नियुक्ति (ए) ६२/त्रिमासिक ८ ३ १९६३

- १२ (क) दस्तावेजों की सूची जहाँ तक मभव हो चात्रसोट के साथ दी जावे । नियुक्ति (ए) विभाग की सं ए ३ (२५) नियुक्ति (ए)/६१ प्रूप III दिनांक १४-२ १९६२
- (ख) अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप में प्रस्तुत की जावे ।
- (ग) यदि आवश्यक हो तो सरकार स्वयं फाइल की प्रतियाँ लेवे ।
- (घ) अभिलेखा का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा दी जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जावे ।
- १३ प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे । वित्त विभाग सं एक ३ (२) एक डी (एफ् पी स्लस )/६३ दिनांक १० २ ६४
- १४ विभागीय जाच की कार्यवाही में शपथ नहीं दिलाई जावे । नियुक्ति (ए) विभाग का सं एक २ (३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनांक १७ १० १९५८
- १५ दोषारोपित व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवाने का हक है । नियुक्ति (ए) विभाग सं १५९७४/१-२ नियुक्ति (ए) ५७ दिनांक ६ १२-५७
- १६ तमाम सम्मन प्रादि (प्रोज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीश के द्वारा भजे जावे । नियम २ (VIII) राजस्थान डिपो प्लानेरी प्रोसीडिन्ज (सम्मनिज प्राफ विटनेस प्र एण्ड प्रोडकशन ऑफ डॉ क्यू-मेन्स) स्लस १९६०
- १७ गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जावे । नियम २ (V) ,
- १८ भ्रष्टाचार के आरोप प्रतिरिक्त महानिरीक्षक भारक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशन दिया जावे । नियुक्ति (ए) विभाग की सं एक २३ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनांक २२ ८ १९५७
- १९ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के भीतर किया जावे । नियुक्ति (ए) विभाग का सं एक १९ (३८) नियुक्ति (ए)/६० दिनांक १३ ५ १९६०
- २० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरीक्षण तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का प्रामुख्य निरीक्षण कर सकेगा तथा अभिलेखा (स्कड्स) पर कब्जा कर सकेगा । नियुक्ति (ए) विभाग की सं २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनांक ८ २ १९५८ ।



- ७ निलम्बन का अवधि म निवास स्थान रित नही किया जायगा । नियम १० १७ तथा १८ गत्रकीय धारास गृह धावटन के नियम
- ८ निलम्बित वर्मकारा विविधता मुविधा पान का हकदार होगा । राजस्थान गवनमन् सर्वेय्य (महाकर एन्टन्स) मन्त्र (राज राज पत्र माग ५-ग त्तिाक १ २ १६५६)
- ९ निलम्बित राज्य कमकारा व विरुद्ध विभागीय जाच का समय मारिका (अवधि) नियुक्ति (ए III) विभाग का गन्ता चिट्ठा न एफ ५ (४) नियुक्ति (ए) ६२ त्तिाक ८ ८-६०
- (क) प्रार्थमिक जाच समाप्त करना ३ मास
- (ख) प्रार्थमिक जाच प्रतिवदन पर १ मास विचार तथा आरोप पत्र तामील करना ।
- (ग) शपथपित व्यक्ति द्वारा उत्तर कम म प्र पित करना । कम १ सप्ताह अधिक २ मास
- (घ) उत्तर पर विचार तथा जाच अपिचार का नियुक्ति । ० सप्ताह
- (ङ) विभागीय जाच समाप्त करना ३ मास
- (च) जाच प्रतिवदन पर विचार २ सप्ताह
- (छ) कारण बतान के निय नाटिस जारी करना । ० सप्ताह
- (ज) शपथपित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नोटिस का उत्तर प्र पित करना । ३ सप्ताह
- (झ) कारण बतान के नाटिस के उत्तर पर विचार तथा अन्तिम धारण जारी करना । १ सप्ताह
- १० ग वध समाप्त हान क तुम्ह पदचान मक्षम प्रार्थिकार निलम्बित धारण का पुनरावधारन करगा । नियुक्ति (ए III) विभाग का धारण स एफ ५ (६१) नियुक्ति (ए) ६२/ त्तिाक २२ ११ १६६२
- ११ जाच ग्रीध गति न निर्धारित अवधि क अनुसार का जाच । फौजगरी मुखमा चलान का श्रोहति निवारित प्रपत्र में का जाच । नियुक्ति (ए) विभाग स एफ ६ (६१) नियुक्ति (ए)/६०/त्तिाक ८ ० १६६०

- १२ (क) दस्तावेजों की सूची जहां तक मभव हो चात्रशोट के साथ दी जाव ।  
 (ख) अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप म प्रस्वीकृत की जावे ।  
 (ग) यदि आवश्यक हो तो मग्कार स्वय फाट्ट की प्रतिये लेवे ।  
 (घ) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जाव ।
- १३ प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत ब्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे ।
- १४ विभागीय जाच की कायबाही म शपथ नही लिनाई जावे ।
- १५ नोपारोपित ब्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवाने का हक है ।
- १६ तमाम सम्मन आदि (प्रासज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीन के द्वारा भजे जावे ।
- १७ गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जावे ।
- १८ भ्रष्टाचार के आरोप प्रतिरिक्त महानिरीक्षक भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करज के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशन किया जाव ।
- १९ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के मोतर किया जावे ।
- २० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरोधक तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का मानलख निरीक्षण कर सवेगा तथा अभिलेखा (रकड स) पर कब्जा कर सवेगा ।
- नियुक्ति (ए) विभाग की स ए ३ (२५) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रूप III दिनाक १४-२ १९६०
- वित्त विभाग स एक ३ (२) एफ डी ( ऐम्स पी क्ल्स )/६३ दिनाक १०-२ ६४
- नियुक्ति (ए) विभाग का स एक २ (३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनाक १७ १० १९५८
- नियुक्ति (ए) विभाग स १५६७४/१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ६ १२ ५७
- नियम २ (Viii) राजस्थान डिप्टी प्लेनिरो प्रोसाडिज (सम्मनिज प्रॉफ विटनेमत्र एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डों क्यू-मेन्ट्स) क्ल्स १९६०
- नियम २ (V) ,
- नियुक्ति (ए) विभाग की स एक २३ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनाक २२ ८ १९५७
- नियुक्ति (ए) विभाग का स एक १९ (३८) नियुक्ति (ए)/६० दिनाक १३ ५ १९६०
- नियुक्ति (ए) विभाग की स २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ८ २ १९५८ )

२१. प्राथमिक व्यक्तिगत या अधिनियम (अधिनियम) में  
 म प्रतिनिधिगत प्रदान करने तथा निर्देशों को  
 अनुमति देने के सम्बन्ध में निर्देशों। अनुमति  
 प्राधिकारी सरकार अधिनियमों तक पहुँच के  
 नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत राय में —

नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ  
 (२४) नियुक्ति (ए)/१९३६  
 १४-६२ तथा एम एम का  
 निकाय = ११ १९३६।

(क) एम अधिनियम मामलों के लिए मारचुन  
 नहीं है।

(ख) एम अधिनियम के लिए अनुमति प्राप्त मात्र  
 अधिनियमों में वास्तविक नहीं है।

२२. धर्म यात्रा सेवा विन संज्ञान पर प्राप्ति —  
 (क) धर्मों का वर्गीकरण के चार मामलों के  
 विवेक-वृद्ध बतलाने के बतलाने बुद्धियों पर राय

नियुक्ति ए III विभाग की मध्या एफ  
 २० ( २) नियुक्ति (ए) ६० प्रूप III  
 निकाय १० = १२६०

(ख) प्रविष्टि में एम मामलों के लिए पर सेवा में  
 पथर्ष करवा अधिनियमों में।

२. यदि प्राथमिक व्यक्तिगत द्वारा द्वारा प्रथमता वन  
 तथा सेवा का तथा एम प्राथमता अधिनियमों  
 करने में सुख के लिए लायक सेवा प्राप्ति में  
 परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

नियुक्ति विभाग का स एफ १६ (७)  
 नियुक्ति (ए)/६०/प्रूप III निकाय  
 १७-१२६१

४. विन मामलों में विभागों तथा कानून के अधिनियमों  
 दोनों सम्मिलित हैं प्रारम्भ में विभागीय जांच  
 का अनिवार्य बाध्य। एम योच पुर्विल द्वारा तद-  
 तास धारा रह सकती है परन्तु न्यायालय में  
 जानान विभागों जांच पुरा हो जान और प्राप्ति  
 को नष्ट निधि जान के परन्तु अनुमति करना  
 बाध्य। परन्तु एम मामलों में प्रारम्भ में ही  
 प्रीतिगामी मुद्दोंमा निवृत्त सेवा का संकल्प है।

नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ १  
 (२) नियुक्ति (ए)/६१ प्रूप III  
 निकाय = २ १९६२ तथा स एफ  
 (६१) ए ए/६२ प्रूप III निकाय  
 २१ ११ १९६२

२५. एम मामलों में निम्न अधिनियमों का अनुमति नष्ट  
 कर छान लिया है अधिनियमों में राय  
 मुक्त कर दिया गया है प्राथमिक विभागों द्वारा  
 के विच्छेद प्रदान करने अधिनियमों के अनुमति  
 पर्याप्त वृद्धि के द्वारा एम मामलों पर  
 पुनर्विचार करने का बाध्यता पर विचार कर

नियुक्ति (७) विभाग का स एफ १  
 (३) नियुक्ति (७)/६२ प्रूप III  
 निकाय = २ १९६२ तथा स एफ  
 (६१) ए ए/६२ प्रूप III निकाय  
 २१ ११ १९६२

- २० उस मामले में जिसमें कोई दोषी व्यक्ति गलत जाच के कारण, न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया हो, जाच अधिकारी तथा अनुशासन प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही की जा सकेगी।
- २१ जिस राज्य कमिश्नर के विरुद्ध किसी फौजदारी न्यायालय के फसने के अन्तर्गत जेल सजा पारित की गई है, उस बिना कारण बनाने का नाटिस दिये मवा से पूषक या बक्षान्त किया जा सकेगा।
- २२ जब किसी फौजदारी मुद्दे में अपील दायर की गई है, अन्तिम नियुक्त हान तक मवा में बर्गान्ना अपवा प्रयत्नकरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।
- २३ जब किसी मामले में जाच अधिकारी जिसे गवाह के विरुद्ध या अथवा किसी नतीज पर पहुँच, ता वह एनी टिप्पणी एक गायनीय प्रतिबन्धन में कर सकेगा।
- नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ ५ (६१) नियुक्ति सी २ ग्रूप III दिनांक २१ १०-६२।
- नियुक्ति (ए) विभाग में डी १६८ डा एफ २४ (५७) नियुक्ति/ए/५८ दिनांक १८ ४ १९५८।
- नियुक्ति (ए) विभाग स एफ ५ (४६) नियुक्ति (ए) ६३/ग्रूप III दिनांक ११ ११ १९६३।
- नियुक्ति (ए) विभाग की स ६६६ / एफ २३ (८५) नियुक्ति/(ए) ५७ दिनांक २१ ८ १९५७।

## परिशिष्ट-३

### राजस्थान राज्य-कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आचरण नियम

१ (क्रमिक—एफ० १ (८४) सा० प्र०/८८ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९८६)

राजस्थान प्रशासन अध्यादेश १८८८ (म० १/१९८६) मंगान्त की धारा १० में प्रस्तुत अधिनियमों का प्रयोग करने द्वारा मधुवत राजस्थान राज्य के महामहिम राजप्रमुख महोदय ने प्रस्तुत धारा राजस्थान कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासन का नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए —

#### १—व्याख्या

(क) राज्य कर्मचारी—अभिप्राय प्रत्येक उस व्यक्ति में है जो राजस्थान राज्य का अधिनियम या म नियोजित है चाहे वह कुछ समय के लिए विराम से काम में हो या नहीं। ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित है जो कि राज्य सेवा में कौनो अन्य सेवा निवृत्त हुआ हो और राजस्थान सेवा में पुन नियोजित किया गया हो अथवा जो किसी अनुशासन के द्वारा सेवा में था। किन्तु ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो भारत सरकार का अथवा किसी अन्य प्रान्त या राज्य की सेवा में हो तथा राजस्थान राज्य में प्रति नियुक्ति पर हो एक व्यक्ति अपने सम्बंधित नियमों में प्रशासित होना रहेगा।

(ख) सेवानिवृत्त—(पलायन) से अभिप्राय एक व्यक्ति में है जो कि राजस्थान राज्य सेवा किमा अकांठन राज्य (जगा रियासत) का सेवा में रहा हो और राजस्थान सरकार में नियुक्ति बतन (पलायन) प्राप्त कर रहा हो।

२१ (क) सामान्य—प्रत्येक राज्य कर्मचारी सदा पूर्ण सत्वनिष्ठा ईमानदारी अथवा कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा अपने पद का सम्मान बनाये रखेगा।

२—उपहार (१) इन नियमों में श्रेष्ठ प्राप्त होने वाले प्रावधानों का छोड़कर तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी—

(अ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वयं की धार में अथवा किसी अन्य व्यक्ति की धार में कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा—या

(ब) अपने परिवार के बिना मन्स्य का ऐसा स्वीकृति नहीं देगा कि वह किसी व्यक्ति से कोई उपहार अनुशासन अथवा पुरस्कार या एक उपहार अनुशासन या इनाम के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करे।

(२) सरकार के किसी विद्यमान या सामान्य अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए कोई राज्य कर्मचारी किसी व्यक्ति से पुरस्कार, पता अथवा इसी प्रकार के नगण्य मूल्य का साधारण

१ विधि स० एफ १ (२३) ६-क/५० दिनांक ८ नवम्बर, १९८० द्वारा मंगान्त।

२ सा० प्र० धारा स० एफ० ४(७३) सा० प्र०/क/५४ दिनांक २७-१२ ५४ द्वारा जोड़ा गया।

कस्तुरी की कोई गुभकामनापूर्ण भेंट स्वीकार कर मकेगा, किन्तु समस्त राज्य कर्मचारी ऐसे उपहारों का देना ही प्रवृत्ति को निरस्तार्हित करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे।

(३) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्तिगत अथवा धार्मिक उत्सव जैसे—विवाह, अर्पणोत्सव अथवा यज्ञोपवीत संस्कार आदि अवसरों पर अथवा इनके सम्बन्ध में अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से एक-एक ऐसे मूल्य की भेंट जो कि सभा परिस्थितियों में समुचित हो, स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।

१०. अ भ्रमण (दौर) के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण करना—प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने भ्रमण के समय अपने पड़ाव के स्थानों पर निवास एवं भोजन का प्रबंध स्वयं करना चाहिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने उच्चाधिकारियों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करना चाहिए।

३ राज्य कर्मचारियों के सम्मान में सावजनिक प्रदर्शन—(१) इस नियम में दिये गए प्रावधानों के अलावा कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूब अनुमति के बिना—

(क) स्वयं अपने सम्मान में आयोजित, कोई सावजनिक गुभकामनापूर्ण अभिनय नहीं लेगा, कोई प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा या न ही ऐसी कोई सावजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित हो होगा।

(ख) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवा से निवृत्त अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये जाने वाले किसी सावजनिक गुभकामनापूर्ण अभिनय अथवा प्रशस्तिपत्र में सम्मिलित नहीं होगा, न ही तत्सम्बन्धित किसी सावजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित हो होगा।

(ग) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या किसी अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवाओं के सम्मान में स्थापित किसी छात्रवृत्ति अथवा आयोजित किसी अन्य सावजनिक या दायित्व उद्देश्य या किसी चित्र, प्रतिमा या मूर्ति जो कि ऐसे अन्य राज्य कर्मचारी या व्यक्ति को भेंट किये जाने वाले हैं पर खर्च की जाने वाली किसी निधि को एकत्र करने में भाग नहीं लगेगा।

(२) नियम (१) में कही हुई किसी भी बात से प्रभावित हुये बिना—

(क) ५० या उसमें कम वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों में अपने कर्ष के बाबत कोई प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) कोई राज्य-कर्मचारी किसी सावजनिक सभा के अनुरोध पर किसी चित्र, मूर्ति आदि की तैयारी के लिये बैठ सकता है, बशर्त कि वह चित्र आदि उन भेंट करने के उद्देश्य से नहीं बनाये जा रहे हों।

(ग) सरकार के किसी विशेष अथवा साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, राज्य-कर्मचारी अत्यन्त व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक ढंग में किसी विदाह समारोह में भाग ले सकता है जो कि उनके स्वयं के अथवा किसी अन्य कर्मचारी के अथवा हीन ही में जिसन

मेका छान दो हा, एस व्यक्ति क सम्मान म, मुवा निवृत्ति प्रयवा एक स्थान म स्थित  
प्रय स्थान क लिए प्रस्थान ( स्थानान्तर ) करन क प्रवसर पर प्राधिकृत किया  
गया है ।

४ समारोह में करनी इत्यादि का भेंट करना —बाद भी राज्य कमचार सरकार का  
पूव स्वीकृति क बिना, किसी समारोह, त्यज-बाई शिवायास प्रयवा सावजनिक भवन का उद्घाटन,  
क प्रवसर पर उसको भेंट की गई बाई करन प्रयवा स्त्री प्रकार का बाद प्रय वस्तु प्राप्त की  
करा ।

५ नियम (२) और (३) का विकिसा या शिक्षा-प्रधिकारियों पर लागू होना—  
एन प्रान पर बन हुए विभागीय नियमों क श्रमीत, बाई विकिसा प्रयवा शिक्षा प्रधिकार न्यून  
व्यावसायिक प्रयवा गणगिन सवाप्रों क सम्मान म किसी व्यक्ति समूह द्वारा उद्घाटन म स्थित  
गया कोद उद्घाटन, अनुनीय प्रयवा इनाम, स्थापन कर सकता है ।

६ छाना इकठठा करना —सरकार का पूव स्वीकृति हान का स्थित का छारकर का  
भी राज्य कमचार किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र निय जाने वान किसी वस्तु प्रयवा प्रय प्राधिकृत  
सहायता के लिए न तो किसी स बहता, न उन स्वीकार हा करन और न उस धनराशि क सहाय  
म किसी भी प्रकार भाग हो सगा ।

१ ध्वज दिवन क मनान का प्रययि म नूनपूव सतियों क साम क निय स्वय की उगत म धन  
रमा करने में बाई भी राज्य कमचारी भाग ले सकता है ।

७ त्याग-पत्र की खरीद —सरकार के प्रधीन किसी पत्र के त्याग पत्र के सम्बन्ध म किसी  
धन्य को नाम पत्र वान की शक्ति से कोई भा राज्य कमचारी किसी प्राधिकृत व्यक्थ्या म भाग नहीं  
लेना । यदि इस नियम का प्रवहनना का र्क ठा एम, प्रधाभ्यति त्यागपत्र दन क बाई किया गया  
बाई मनानयन या निवृत्ति रद्द कर दी जाया और उस व्यक्थ्या स सम्बन्धित एन लागों का जो कि  
यदि तब भी सवा म हागे सरकार का प्राणा मितने तक निवृत्तित कर दिया जायगा ।

८ हपमा उधार देना और लेना —(१) बाई भी राजपत्रित प्रधिकार प्रयवा एसा  
प्रधिकार प्रयवा कि वतन २००) १० प्रतिमाह प्रयवा प्रधिक हा, प्रयन प्रधिकार क्षत्र का स्थानाय  
सामाप्रों के अन्तर रहन वान प्रवल सम्पति क स्वामा प्रिया व्यक्ति का रपदा उधार नहीं द सकता  
और न ही वह किसी जवाइन्ट स्टाक बैंक प्रयवा प्रिया प्रसिद्ध फन क साथ किए जान वाल साधा  
रत व्यावसायिक काम का छान कर, प्रयन प्रधिकार क्षत्र क अन्तगत धान वाल किसी व्यक्ति  
प्रयवा उसके प्रधिकार क्षेत्र की स्थानीय सामाप्रों म रहन वाल प्रयन सम्पति रखन वान प्रयवा  
प्रयना व्यवसाय चलाने वाल किसी व्यक्ति स रपदा उधार ले सकता और न ही किसी प्रय प्रकार  
क प्राधिकृत शक्ति म प्रयन प्राप्तो बाध सकता ।

(२) जब बाई राजपत्रित प्रधिकार प्रयवा २००) मासिक प्रयवा न्यून प्रययि वतन  
पान वाला प्रधिकारी किसी एन पत्र पर निवृत्त किया जाता है प्रयवा स्थानान्तरित किया जाता  
है, जहा पर कि बाई एसा व्यक्ति, जिसको उक्त रपदा उधार द रमा हा प्रयवा जिसक साथ उक्त  
स्वय न प्रिया प्राधिकृत शक्ति मे धरने का बाध रखा हा और जा उसका सरकार प्रधिकार सीमा  
क अन्तगत हागा प्रयवा रहुता हागा, प्रवल सम्पति रखता हागा प्रयवा उक्त प्रधिकार क्षेत्र क

स्थानीय सोमा में बाय करता होगा, तो उसे उचित भाग द्वारा उन परिस्थितियों से सरकार को सूचित कर देना चाहिए।

(३) इस खण्ड के प्रादेश, २००) प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी लागू हात है किन्तु उनके सम्बन्ध में उनके कार्यावधिध्यक्ष के विवेक पर विशेष मामला में छूट दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को उपरोक्त उप खण्ड (२) में बर्णित प्रतिवेदन अपने कार्यालयध्यक्ष को दे देना चाहिये।

६ मरुतान एव अथ मूल्यवान सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय-<sup>१</sup>(१) किसी नियमित विक्रता के साथ सज्दृश्य स किसी सौदे के मामले को छोड़ कर, २००) प्रतिमाह अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला कोई राज्य कमचारी जो कि एक हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तर करना चाहता है अपनी ऐसी इच्छा निर्धारित अधिकारी का घोषित करेगा। ऐसी घोषणा में परिस्थितियों एवं प्रस्तावित मूल्य का पूरा विवरण होगा और विक्रय के अलावा निस्तर की कोई अन्य विधि अपना देने की स्थिति में, निस्तर की विधि भी उसमें उल्लिखित होगी। इसके पश्चात् वह राज्य कमचारी ऐसे प्रादेशों के अनुसार कार्य करेगा, जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए हों।

(२) उप नियम (१) में दी गई किसी भी बात को ध्यान में न लाते हुए, कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाला कोई अधिकारी, जो कि अपने नियुक्ति के स्थान जिला अथवा अन्य स्थानीय सोमा को छोड़न वाला हो बिना किसी अधिकारी को सूचित किए अगना चल सम्पत्ति को, समाप्त या साधारण या उसको एक सूची धुमाकर अथवा सावजनिक नीलाम के द्वारा विक्रय कर के निपटारा कर सकता है।

१० राज्य कमचारियों द्वारा धारित या प्राप्त अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण-(१) इन नियमों के प्रभावशाल होने के तीन माह के भीतर मना में सलमन प्रत्येक राज्य कमचारी उचित मार्ग द्वारा, उसके स्वयं के उसकी पत्नी या उससे साथ रहने वाले अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में रहने वाली अचल सम्पत्ति की एक घोषणा करेगा। ऐसी सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिले, प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है, उसका भी उस घोषणा में उल्लेख होगा और उसमें ऐसी अन्य सूचना भी दी होगी जैसी कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आजा द्वारा चाहे।

(२) उप नियम १० (१) में बर्णित प्रथम घोषणा के बाद यदि राज्य कमचारी उसकी पत्नी, उसके साथ रहने वाला अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त करता है अथवा उत्तराधिकार में पाता है तो वह उचित भाग द्वारा ऐसी सम्पत्ति का एक घोषणा पत्र सरकार को प्रेषित करेगा।

( ) निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी नियमित विक्रता के द्वारा क्रय विक्रय या उपहार द्वारा कोई अचल सम्पत्ति राज्य कमचारी प्राप्त नहीं करेगा या उसका निस्तर नहीं करेगा।

किन्तु यह है कि एक नियमित व प्रसिद्ध विक्रता के द्वारा किए जाने के प्रतिरिक्त ऐसी किसी भी मोद के लिये निर्धारित प्राधिकारी को पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।





स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की जा सके अथवा जो अन्य प्रकार से आवश्यक समझा गया हो, तो यह मामला सरकार को भेजा जायेगा और ऐसा नियोजन सरकार को स्वीकृति के अधीन अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

११४ ख-शिक्षा सस्थाओं में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने पर प्रतिबंध—कोई राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा में रहते हुए (सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना) किसी मायता प्राप्त मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अपने आपको तैयार करने की दृष्टि से न तो किसी शिक्षा सस्था में प्रवेश लेगा अथवा उपस्थित होगा और न उस परीक्षा में बैठेगा। किन्तु यह है कि—

(१) इस नियम में उल्लिखित कोई बात ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो कि विद्यालय अथवा महा विद्यालय के उस सत्र जिसमें कि वह ऐसा तैयारी करना चाहता है, की पूरी अवधि के लिए राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत मिलने वाले किसी अवकाश के लिए प्राथता-पत्र देता है और जिसे एका अवकाश स्वीकार किया जाता है।

(२) किसी भी राज्य कर्मचारी को, जिसने सन् १९५५ में अथवा उसके पूर्व के वर्षों में किसी परीक्षा का पूर्व खण्ड उत्तीर्ण कर लिया हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी पूर्व खण्ड परीक्षा में भाग वाली अंतिम परीक्षा में बैठने अथवा अपने आप को तैयारी करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा के समय के बाहर के समय में किसी शिक्षा सस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की स्वीकृति दी जा सकती है।

(३) प्रत्येक राज्य कर्मचारी को किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षा, जो के ऐसी मट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिये तैयारी करने अथवा उनमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा सस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए उसने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

(४) प्रत्येक अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय का मट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षा, जो कि ऐसी मट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिए तैयारी करने अथवा उनमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा सस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिये उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है और

(५) किसी विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी अधिकारी को भी उच्च तकनीकी अध्ययन करने अथवा किसी तकनीकी परीक्षा में बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी तकनीकी सस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण [क] पूर्व खण्ड परीक्षा" से अभिप्राय अंतिम इंटरमीडियेट अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा से तुरन्त पूर्व वाला वार्षिक परीक्षा से है और

१ विज्ञप्ति सं० एफ० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० ११-१० ५८ द्वारा निविष्ट।

२ विज्ञप्ति सं० एफ० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ अंश ३ दि० २१ ८-११ द्वारा निविष्ट।

(ख) "तकनीकी अधिकारी" में अधिप्राय राज्य के विनित्ता एवं स्वास्थ्य, कृषि, विनित्ता, वन, सांख्यिक निर्माण और खान एवं भूगर्भ विभाग अथवा राज्य द्वारा संचालित फ़ैक्ट्री अथवा राज्य के उद्योग विभाग के अधीन उत्पादन केन्द्रों में किये तकनीकी कार्य वाले कर्मियों पर प्रामाण्य अधिकारियाँ हैं।

१५ दिवालियापन एवं अभ्यस्त श्रृंखला प्रस्तुता (कर्मचारी)-(१) प्रत्येक राज्य कर्मचारी अभ्यस्त कर्मचारी बनने की स्थिति को राजगण।

(२) जब कर्मचारी राज्य कर्मचारी का स्थिति घाटित कर लिया जाता है अथवा "यापन" के माँ पसना द दती है और जब एम राज्य कर्मचारी के बतन का एम मयष्ट भाग लगातार दो वष में अधिक की अवधि तक कुछ रहता है अथवा जब उमका बतन एक एमी रकम के नित्ये कुछ किया जाता है जो कि सामान्य परिस्थितियाँ में दो वष की अवधि में नहीं चुनाया जा सक्त, तो उमको बतनासन करन के माँय माना जायेगा।

(३) जब एमा राज्य कर्मचारी सरकार का स्वाहृता में अथवा उमक द्वारा ही बर्खास्त किया जान याग्य है और अय प्रकार में नहीं, यति वह स्थितियाँ घाटित कर लिया गया है, तो वह सामान्य सरकार का भजा जाना चाहिए और याद केवल उमक बतन का भाग ही कुछ किया गया है ता उम माँय पर सरकार का प्रतिबन्धन लिया जा सक्तता है।

(४) किसी अय प्रकार के मन्तारी कर्मचारी के सम्बन्ध में एमा मामला उमक कार्यालय अथवा विभाग जिसमें कि वह नियोजित है, के अधीन को भेजा जाना चाहिए।

(५) जब किसी अधिकारी के बतन का कुछ भाग कुछ कर लिया गया है, तो प्रतिबन्धन में यह बर्खास्त होना चाहिए कि कन का बतन में क्या अनुपात है, उममें राज्य कर्मचारी की कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पतना है क्या कर्मचारी की स्थिति अभाव है और क्या उस मामला की परिस्थितियाँ में उस उमके स्वयं के अथवा किसी अय पर रहना वादनीय है, जब कि यह मामला प्रकाश में आ गया है।

(६) इम नियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामला में यह बात सिद्ध करन का भार कि दिवालियापन अथवा कर्मचारी एमी परिस्थितियाँ का परिणाम है, जो कि सामान्य अनुसूता दिमान के बाद भी कर्मचारी पहन में रह नहा अथवा सक्ता अथवा जिन पर कि उमका का नियमण नहीं रहा और वह कर्मचारी उमका कितून खर्चों अथवा अय धान्ता के कारण नहीं हुई कर्मचारी पर हागा।

१५ क—द्वि विवाह—कोई भी राज्य कर्मचारी जिसको कि एम पत्नी जावित है, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे दूसरा विवाह करन की उस पर लागू उमके अन्तर्गत कानून के अन्तर्गत उस स्वाहृति मिल सक्तो हो।

१५ ख—कोई भी महिला कर्मचारी सरकार को पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी एम व्यक्ति में विवाह नहीं कर सक्तगी जिनके कि पहन वाली पत्नी जावित हा।

१५ ग—कोई भी राजकाय कर्मचारी सांख्यिक स्थाना में नगा नियमण नहीं जायेगा।

१ विनित्ति म एफ ५ (७) स। प्र (क) ५६ सि० २२ १२-५६ द्वारा निविष्ट।

२ नियुक्ति विभाग का विनित्ति सि० ६ १ ५० स निविष्ट।

नियुक्ति विभाग की विनित्ति सि० ३ ७ ५० म निविष्ट।

१६ शासकीय प्रलेखों अथवा सूचना का सम्प्रेषण—कोई भी राजकीय कर्मचारी, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जब तक सामान्य अथवा विशेषतया अधिवार नहीं दिया गया हो, किसी भी अन्य विभाग से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा समाचारपत्रों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कागज अथवा ऐसी सूचना जो कि उसके अधिकार में उसके सावजनिक कर्तव्य के दौरान आई हो अथवा जो कि उसके द्वारा ऐसे कर्तव्यों के दौरान संप्रति अथवा तैयार की गई हो, चाहे सरकारी सूत्रों के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से, नहीं देगा। इससे ऐसे अधिकारी प्रतिवर्धित नहीं होंगे, जिनका कि कर्तव्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अनुसार समाचार-पत्रों को सरकारी कार्य की प्रचार सामग्री देना है।

१७ समाचार पत्रों से सम्बन्ध—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूव स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र अथवा अन्य सामयिक प्रकाशन की व्यवस्था अथवा सम्पादन में न तो भाग ले सकेगा और न उसका संचालन कर सकेगा और न ही वह उसका सम्पूर्ण अथवा आंशिक मालिक बन सकेगा।

ऐसी स्वीकृति केवल उसी समाचार पत्र अथवा प्रकाशन में दी जावेगी, जो कि केवल विभागाध्यक्ष अथवा राजनीति रहित विषयों के लिए कार्य करता हो और एसी स्वीकृति सरकार की इच्छानुसार कभी भी वापिस ली जा सकती है।

१८ नियम (१०) के प्रावधानों के अधीन कोई भी राज्य कर्मचारी समाचार पत्रों में अपना नाम व्यक्त विधि बिना रचना भ्रम सकता है लेकिन उसे स्वस्थ एवं उचित चाद विवाद तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये और यदि उसका समाचार पत्रों से सम्बन्ध सावजनिक हित के विपरीत है, तो सरकार उसकी रचनाओं भेजन की स्वतन्त्रता को वापिस ले सकती है। जब कोई दावा हो जाय कि किसी राज्य कर्मचारी का समाचार पत्रों के साथ सम्बन्ध सावजनिक हित के विपरीत है या नहीं, तो वह मामला सरकार को आना क लिए भेज दिया जायगा।

१९ सरकार की आलोचना तथा विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर सूचना एवं अभिमत प्रकट करना—(१) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से प्रकाशित किसी पत्र में अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी सावजनिक वक्तव्य में कोई ऐसा तथ्य एवं मत प्रकट नहीं करेगा, जिससे कि निम्न बातों में अंतर आ सके।

(अ) राजस्थान राज्य के लोगों अथवा उनके किसी वर्ग एवं सरकार के बीच सम्बन्धों में, अथवा

(ब) भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के आपसी सम्बन्धों अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा रियासती सभा की सरकारों के बीच।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि अपने स्वयं के नाम से कोई कागजात प्रकाशित करना चाहता है अथवा कोई ऐसा सावजनिक भाषण देना चाहता है, जिसके कि वक्तव्य में सम्बन्ध में कोई ऐसी गलत उल्लेख हो कि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध उस पर लागू होते हैं कि नहीं तो वह ऐसा प्रस्तावित प्रस्ताव अथवा वक्तव्य की एक प्रति सरकार को प्रेषित करेगा और उस प्रस्ताव तथा वक्तव्य को, सरकार की स्वीकृति को छोड़कर तथा सरकार द्वारा सुभाषित गये परिवर्तनों के बिना जब तक प्रकाशित नहीं करेगा अथवा वक्तव्य नहीं देगा।

(३) १(१) बार्ड भा राज्य कमचारि निम्न त्त स्य स मगद अथवा राज्य विधान सभा क निम्नो सम्म्य स सम्पत स्थापित नगे करगा-

(क) उगरी सभा बी शनों प्रथवा उपने विहद की गत् रिता अनुगामनित बायसाहा क सम्बन्धित प्रान पर बार्ड प्रान पुद्गवाना अथवा प्रस्ताव रगवाना अथवा

(ग) बाट ऐसा बात बतना दना, जा कि मगदर का स्थिति भा मकट म डाव दन ।

२(२) बाट भा राज्य कमचारि अगन स्वय ने अथवा निम्नो अथ अथित के रिता को अा बगने क निय अगन निम्नो उक्ताधिकार पर न तो बार्ड बार्डर का प्रभाव लायगा और न एसा अगन वा प्रयत्न हो सग्या ।

२० समितिया के समक्ष साम्य-बाट राज्य कमचारि सरकार का पुव स्वाहृति क बिना रिता सावजनिक-मिति क अगन बार्ड मागा नगे द करगा ।

यह नियम एसी साम्य पर लागू नही हागा जा रि तमा मजथानिक समितिया जा रि शीगों का अतिबाध रूप स उपस्थित करान एव उतर प्राल करन का अधिकार रखतो हा अथवा जा रि स्थापित जाव या सरकार द्वारा या उगका अनुमति स नियुक्त समितिया क मगन ग मद हा ।

३०१ राजनीति एव चुनाव मे भाग नना-(१) बाट भी राज्य कमचारि रिता राजनिति त्त अथवा राजनीति म भाग लेन बाव मगदर का न ता सम्म्य हागा और न रिता अथ प्रकार से उगन सम्बन्ध हागा । वह रिता रज्जतिव अन्तानन अथवा गतिविधि म न ता बाट भाग सगा न उगना सहायता क निय चला सगा अथवा न उगना रिता अथ तराव स सहायता करगा ।

(२) प्रत्येक राज्य कमचारी का यत् बनव्य हागा रि वह त्त पर अतिरिक्त अगन परिवार क प्रदेक सम्म्य का रिता एा अन्तानन अथवा गतिविधि जा रि प्रयत्न अथवा अययन रूप स कानून स स्थापित मगदर का उगन क रिण बी जा रहा हा म भाग लेन अथवा उगवी सहायता क निय चला त्त या रिता अथ प्रकार से उगनी मगयता करन न उगना राव और जहा पर बाट राज्य कमचारी एसी गतिविधि अथवा अन्तानन म अथ परिवार क रिती सम्म्य क भाग लेन, उगनी सहायता के निय चला दन अथवा रिता अथ विधि स मदद करने स रोहन म प्रसमर्थ रहना है ता वह उगना उचता सरकार का दगा ।

(३) यदि बार्ड एसा प्रान उक्ता है कि अथ अन्तानन अथवा बीद गतिविधि रूप नियम क अतगत अती है या नही, ता उत पर रिता सगा मगदर का नियम ही अन्तिम हागा ।

(४) बाट भा राज्य कमचारि रिती भी विधान सभा अथवा स्थापित चुनाव म न तो प्रचार कर सकेगा और न रिता अथ प्रकार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उगन सम्बन्ध म अगन मुनाब का उपयोग कर सकेगा और न उगने भाग हो सगा ।

किन्तु अत यह है रि- (१) त्त चुनाव म मत त्त की यास्यता रखन बाता प्रान बर्माचारी अगन मत दन के अधिकार का उपयोग कर सकेगा है किन्तु जहा वह एसा करगा, वह एसा बाट सकेन न देगा कि वह किस मत दना चाहता है अथवा त्तन किस मज्जान दिया है ।

१ सामाय प्रगामन विभाग का विधि लि० १८१०/१० द्वारा निर्दिष्ट ।

२ विधि म एफ १२ (१७) नियुक्ति (क)/१७ लि० ०६१५ द्वारा निर्दिष्ट ।

विधि म एफ ५ (३२) मा० प्र० (क)/११ लि० ०२१-१८ द्वारा निर्दिष्ट ।

(२) बाई राज्य कर्मचारी द्वारा केवल इमी कारण से इसे नियम का उल्लंघन किया हुआ नहीं माना जायेगा कि वह उस समय में प्रचलित किसी कानून से भ्रष्टा इमके अधीन सोंपे गये उचित कर्तव्य के पालन में चुनाव के संचालन में मद्हायता करता है।

स्पष्टीकरण—राज्य कर्मचारी द्वारा अपने शरीर अपने वाहत भ्रष्टा धर पर किसी चुनाव चिह्न भ्रष्टा कोई अन्य चिह्न या किसी राजनैतिक सस्या में विषय प्रचार से सम्बन्धित किसी उपदान का प्रदर्शन जब तक कि भ्रष्टा प्रकार में सिद्ध नहीं कर दिया जावे, इस नियम के अन्तगत, किसी चुनाव में अपने प्रभाव का प्रयोग किया हुआ माना जावेगा।

२२ राज कर्मचारी के रूप में किये कार्यों व आचरण का प्रतिशोध—सरकार की पूव स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के अनुसार अपने मावजेतिक-जनव्या भ्रष्टा आचरण को स्पष्ट करन के लिये समाचार पत्रों तथा किसी 'यायालय' में मद्हायता नहीं लगा। प्रायतन कार्यवाही के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूव, सरकार प्रत्येक मामल में यह निर्णय करेगा कि क्या राज्य कर्मचारी 'यायालय' में मुद्दमा अपने सब से चलायेगा और यदि ऐसा है तो क्या 'यायालय' द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिये जाने की स्थिति में, उस मुद्दमे के खर्च का पूरा अंशभाग उस कर्मचारी को दे देगी।

इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि राज्य कर्मचारी के अपने निजी वाय भ्रष्टा आचरण को स्पष्ट करन के अधिकार को प्रभावित कर सके।

२२ क प्रदर्शन तथा हडताल—अपनी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई भी राज्य कर्मचारी न तो किसी प्रदर्शन में भाग ले सकेगा और न किसी भी प्रकार को हडताल में भाग लेगा।

२३ सेवा सघों की सदस्यता—काई भी राज्य कर्मचारी ऐसे मघ जो कि राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने हा भ्रष्टा करने के उद्देश्य वाले ही, का सदस्य प्रतिनिधि तथा अधिकारी तब तक नहीं हा सकेगा जब तक कि उस सघ को सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्रदान कर दी गई है।

२३ क-राज्य कर्मचारियों द्वारा सघों में प्रवेश—कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न प्रकार के राज्य कर्मचारियों के सघों का सदस्य नहीं बन सकेगा और न उनका गठन कर सकेगा -

(अ) ऐसा सघ, जिसको अपने गठन के ६ मास की अवधि के भीतर सरकार से तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहा कर ली हो।

(ब) ऐसा मघ, जिनको कि नियमों के अन्तगत मान्यता देने से मना कर दिया गया हो भ्रष्टा सरकार द्वारा जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो।

२४ सेवा निवृत्त कर्मचारी—(१) नियुक्ति बतन की प्रत्येक कर्मचारी को स्वीकृति के लिए भविष्य का अर्द्धा आचरण एक निश्चित मत है। यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति किसी भ्रष्टा

१ सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा दि० १६-४-५५ द्वारा निवृत्त।

२ विनियम सं० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५७ दि० २ १२ ५७ द्वारा प्रतिस्थापित, जो पहले दि० १० ३ ५४ को प्रतिस्थापित किया गया था।

अधिनियम में सजा प्राप्त कर अथवा गम्भार दुराचरण वा अपराधी पाया जाव, ता राज्य सरकार निवृत्ति-वतन अथवा उमरे सिनी अथवा वापिस लन वा अथवा अधिनियम मुर्दा लन रक्ता है ।

स्पष्टीकरण —राष्ट्रद्रोही राजनियम प्रवृत्तिया म भाग उन अथवा अधिनियम प्रवृत्तियों वा प्राप्ति-दन वा इन नियम के लिए गम्भार दुराचरण माना जा सक्ता है ।

(२) राज्य कर्मचारियों क आचरण के अथ नियम सवानितृत कर्मचारिया पर लागू न्ता न है ।

२५ व्यावृत्ति —राज्य कर्मचारिया क आचरण न सम्बन्धित वतमान समय म प्रचलित विधि वा सिनी सक्षम अधिनियम क वाई अधिनियम क लागू हान म, इन नियमों का वा नी बात प्रभावित नहीं करगी ।

२६ निरसन —राजस्थान क सिनी नी भाग म प्रचलित कर्मचारिया क आचरण नियम, उन सब कर्मचारिया क सम्बन्ध म जिन पर य नियम लागू हान है, एतद्वारा अतिक्रमित किये जात है ।

## परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति एवं जिलापरिषद् सेवाएं

(शांति एवं श्रम)।

नियम १९६१

[अध्यायक एफ २३ (ख) नियुक्ति (क) ६० श्रेणी ३ दिनांक २५ मई १९६१]  
राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १९५८ (अधिनियम संख्या २७ सन् १९५८) की धारा १९ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा ८८ की उप धारा (२) खण्ड (ख) एवं धारा ८९ के साथ पठित राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् —

(१) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(क) ये नियम राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाएं (शांति एवं श्रम) नियम १९६१ कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(२) व्याख्या —इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) अधिनियम —से तात्पर्य राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १९५८ (अधिनियम संख्या ३७ सन् १९५८) से है,

(ख) श्रमिक प्राधिकारी —से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जिसकी श्रमिक धारा ८९ का उप धारा (५) तथा (६) के अधीन की जा सकती है।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी —से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसका अधिनियम की धारा ३१ के अधिनियम पंचायत समिति तथा जिला परिषद के विभिन्न प्राधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने के अधिकार हैं।

(घ) समिति —से तात्पर्य अधिनियम की धारा ८८ (१) के अन्तर्गत बनाई गई "जिला कर्मचारी वेतन समिति" से है।

(ङ) आयोग —से तात्पर्य धारा ८६ की उपधारा (६) के अधिनियम पठित 'वेतन आयोग' से है।

(च) अनुशासन प्राधिकारी —से तात्पर्य अधिनियम की धारा ८९ के अधीन कोई शांति एवं श्रम विभाग प्राधिकारी से है।

(३) प्रभाव —ये नियम पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे, सिवाय उन अधिकारियों के, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा २६ तथा ५५ में है एवं वे व्यक्ति जो सामयिक नौकरी में हैं तथा वे व्यक्ति जिन्हें एक माह से कम अवधि की सूचना पर हटाया जा सकता है।

(४) संशोधन का निवारण —जहां इन नियमों में किसी प्रावधान की व्याख्या के लिये या उनके लागू किये जानने के सम्बन्ध में संशोधन उत्पन्न हो जाय, तो मामला राज्य सरकार का भेजा जाएगा जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।



कारा द्वारा निश्चित अवधि में एक लिखित प्रतिवचन जिसमें यह बताना होगा कि क्या वह सब प्रयत्न करने में सक्षम कारा को सहायता की स्वीकार करना है उसका स्पष्टीकरण या बचाव यदि कारा ही, प्रस्तुत करना है और क्या वह व्यक्तिगत रूप से मुक्तवादी चाहता है।

परन्तु अपन बचाव के दौरान में प्रारम्भित व्यक्ति द्वारा गि गए किसी बयान या बयान गण अधिनियम के सम्बन्ध में जब कारा कायदा प्रस्तावित की गई है तो कारा प्रतिरक्षित प्रारम्भ बनाना आवश्यक नहीं होगा।

( ) उस अधिकारी या कर्मचारी का अपन बचाव की तयारी करने के प्रयाजनान उसका द्वारा बलिष्ठ कायानयन व अधिनियम (रक्षा) का निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्देश्य बन की अनुमति ही जायगी, परन्तु यदि अनुपासन प्राधिकार की सम्मति में ऐसा अभिलक्ष्य उस प्रयाजन व लिए सुमत नहीं है प्रयत्न उस अधिनियम तक उनकी पढ़ने का अनुमति दना जोर पत्र में नहीं हो ना उन कारणों का निश्चित में अधिलिखित करके एसी अनुमति इन से प्रार्थना भा किया जा सकता है।

(४) बचाव में निश्चित प्रतिवचन प्राप्त होने पर या निश्चित अवधि में ऐसा प्रतिवचन प्राप्त नहीं हान पर अनुपासन प्राधिकारी स्वयं उन कारणों की जांच कर सकता, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है या आवश्यक समझे तो, कारा जांच मण्डल या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता।

(५) अनुपासन प्राधिनाग किसी व्यक्ति को जांच करने वाले प्राधिकारी के समय ( जिस यहाँ में जांच जांच प्राधिकारी कहा जाया ) कारणों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने के लिए मनावात कर सकता है। वह अधिकारी या कर्मचारी भी अनुपासन प्राधिकारी द्वारा अनुमानित किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता से अपना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु किसी बचान का उस प्रयाजनाथ नहीं रख सकता, जब तक कि अनुपासन प्राधिनाग द्वारा मनावात व्यक्ति कोर्ट वकील न हो या अनुपासन प्राधिनाग मामले का परिस्थितिया को ध्यान में रखने हूँ ऐसा अनुमति न ।

(६) जांच प्राधिकारी जांच के दौरान एसी दस्तावेजी (गहान्त) पर विचार करण और एसा शौचिक साधन तथा जांच कारणों के सम्बन्ध में सुमत व सारभूत हो। उस अधिकारी या कर्मचारी का कारणों की पुष्टि में बयान दन वाले साधितों से तब ( जिरफ ) करने का अनिवार्यता एवं वह स्वयं साधन दे सकता। कारणों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोधों में बयान देने वाले साधितों से तब कर सकता। यदि जांच प्राधिनाग निष्ठा साधन का बचन (बयान) लिखने से इस आधार पर मना करे कि उसका साधन सुसंगत या सारभूत नहीं है तो वह अपने लिखित रूप में अधिलिखित करेगा।

(७) जांच का समाप्ति पर जांच प्राधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तयार करेगा जिसमें प्रत्येक कारण पर उसका निष्कर्ष मय कारणों के अधिलिखित किया जाएगा। यदि एक प्राधिकारी का सम्मति में जांच का कारण ही मूल कारणों में निम्न कारणों प्रमाणित करे तो वह उन पर निष्कर्ष अधिलिखित कर सकता, परन्तु एक कारणों पर निष्कर्ष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि या तो उस अधिकारी या कर्मचारी न उन तथ्यों का स्वीकार नहीं कर लिया हो जिसमें कि

भारोप करनी हों या उसको उनके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा (बचाव) प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल चुका हो।

(८) जाच का अभिलेख (निम्न का) सम्मिलित करेगा—

- (१) उन अधिन री या कमच री के विरुद्ध बनाये गये आरोप व अभिव्यक्त का विवरण जो उमे उपनियम (२) के अधीन लिये गये थे।
- (२) उसके बचाव का लिखित प्रतिकथन, यदि कोई हो।
- (३) जाच के दौरान ली गई मौखिक—माध्य।
- (४) जाच के दौरान विचार किया गया दस्तावेजी—माध्य।
- (५) अनुशासन प्राधिकारी और जाच—प्राधिकारी द्वारा जाच के सम्बन्ध में की गई शान्तियों यदि कोई हो, और
- (६) रिपोर्ट, जिसमें प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्पत्ति दिये गये हो।

(९) यदि वह (स्वयं) जाच—प्राधिकारी नहीं है, तो अनुशासन प्राधिकारी जाच के अभिलेख पर विचार करेगा तथा प्रत्येक आरोप पर अपना निष्पत्ति देगा।

(१०) यदि प्राणियों के निष्पत्ति पर विचार करने के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी को यह सम्मति हो कि नियम ६ के खण्ड (४) स (७) में वर्णित कोई एक शास्ति दी जानी चाहिये, तो वह—

(क) उस अधिकारी या कमचारी को जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहीं है तो उस पर अपने निष्पत्ति का विवरण मय जाच प्राधिकारी के निष्पत्ति से असहमति के कारणों के यदि कोई हो तो, देगा।

(ख) उसे एक नोटिस (सूचना), जिसमें उसे लिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख करण हुए देगा कि वह प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध जसा वह चाहे वसा अभिवदन निर्दिष्ट समय में प्रस्तुत करेगा और

(ग) अनुशासन प्राधिकारी उस अधिकारी या कमचारी के ऊपर निर्दिष्ट अभिवदन यदि कोई हो पर विचार करके यह निश्चय करेगा कि सवा के सदस्य को क्या शास्ति यदि कोई देना हो दी जानी चाहिये और वह उस मामले में समुचित प्राण पारित करेगा।

(घ) यदि अनुशासन प्राधिकारी अपने निष्पत्ति को ध्यान में रखते हुए यह सम्मति देना कि नियम ६ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति दी जानी चाहिये तो वह उस मामले में समुचित प्राण पारित करेगा।

(११) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई शान्तियों उन अधिकारी या कमचारी को प्रयुक्त की जायेगी, जिसे जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दी जावेगी और जहाँ अनुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहीं हो तो उसके निष्पत्ति का एक विवरण मय असहमति के सम्बन्धित कारणों के, यदि कोई हो तो और यदि वे पहले ही नहीं दे लिये गये हो तो देगा।

(१२) नियम ६ के खण्ड (४) से (६) तक वर्णित कोई शास्ति देने से पहले इस नियम में पहले वर्णित एसी जाच की आवश्यकता नहीं होगी—



जमें कोई सम्मानजनक या अनुचित भाषा नहीं होनी चाहिये और वह अपने आप में-परिपूर्ण होनी चाहिये।

(१३) अपील की प्रस्तुतिकरण—प्रत्येक अपील मसूचित माध्यम से—उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिससे वह आना दे, तथा जिसे अपील करनी है।

परन्तु उम अपील की एक प्रति सीधा अपील प्राधिकारी के पास भेजी जा सकती है।

(१४) अपील की आगे भेजना—जिस प्राधिकारी ने ऐसी आना दे दी हो, जिस की अपील की गई है वह बिना किसी परिच्छेद बिन्दु के, अपील प्राधिकारी को प्रत्येक ऐसी अपील पर अपनी टिप्पणी व सम्बन्धित अभिलेख के आगे भेज देगा।

(१५) अपील की विचार—(१) निम्नलिखित की आना के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि—नियम ५ के प्रावधानों के प्रकाश में और उस विषय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित की आना न्यायचित है या नहीं और तदनुसार उस आना को पुष्ट या निरस्त करेगा।

(२) नियम ६ में बलिष्ठ कोई भी शक्ति देने की किसी आना के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि—

(क) इन नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और यदि नहीं, तो ऐसा नहीं किये जाने से सविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा याचक की विफलता हुई है या नहीं,

(ख) जिन तथ्यों के आधार पर आना दे गई थी, वे स्थापित हो चुके हैं या नहीं

(ग) इस प्रकार स्थापित हो चुके तथ्यों इस प्रकार की आना का न्यायोचित ठहराते हैं या नहीं, और

(घ) जो शक्ति दे गई है, वह अत्यधिक पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है और इसके पश्चात्—(१) शक्ति निरस्त, कम पुष्ट या बंधन करते हुए या

(२) मामले को दण्ड देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास वापिस प्रेषित करते हुए और मामले की परिस्थितियों में जहां उचित समझ निर्देश देते हुए आना पारित करेगा।

परन्तु—(१) अपील—प्राधिकारी ऐसी कोई बलिष्ठ शक्ति नहीं देगा जिसे न तो ऐसा प्राधिकारी (स्वयं) और न वह प्राधिकारी जिसकी आना की अपील की गई थी देने के लिये मजबूर हो,

(२) बलिष्ठ शक्ति की कोई आना तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता का बलिष्ठ शक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग, जो वह चार्ज करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(३) यदि बलिष्ठ शक्ति जो अपील—प्राधिकारी देना प्रस्तावित करता है ऐसी शक्ति है जो नियम ६ के खण्ड (४) से (७) में बलिष्ठ है और उस मामले में नियम ७ के अन्तर्गत कार्य जांच पढ़ने में नहीं करली गई हो तो नियम ७ के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए, अपील प्राधिकारी स्वयं ऐसी जांच कर लेगा अथवा ऐसी जांच का निर्देश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जांच

**उपचार**

का इतिहास १०६  
 दावा, १२५-१२८  
 प्रकार १२५  
 रिट भाषिक ए १२८ १०६

**कठोर शास्ति**

प्रानुपातिक पन्थान पर अनिवायत सवा  
 निवृत्ति, ५६ ६६  
 उचित पेशान राशि म कमी कर दन का  
 अवनति ५८ ५६  
 क प्रकार ४६

निम्नतर सवा पर अवनति, १६  
 निम्नतर ग्रेड पर अवनति ५६  
 निम्नतर पद पर अवनति, ५७ ५८  
 निम्नतर समय मान पर अवनति १८  
 परीक्षण अवधि के पन्चात प्रत्यावतन  
 ५५ १

पविन म अवनति, १२-५०  
 प्रस्तावित कठोर गाम्ति १०४ १०५  
 समय मान म निम्नतर स्तर पर अवनति,  
 १८  
 सवा म हटाया जाना ६६ ७४  
 सवा म पन्थानुति ७४ ७६  
 स्थानापन पन् मे प्रत्यावतन ४ १४  
 लभू करन की काम प्रणाली ( जाच के  
 अन्तगत देखें )

**कारण बताने का नोटिस**

प्रानुपासन प्राधिकारी दगा, १०६  
 कौन जारी कर सकता है १०६ ११०  
 द्वितीय नोटिस १०७  
 प्रस्तावित गाम्ति के विरुद्ध १०९, १०७  
 मन्त्री एवं कम्पनिन गाम्ति बताना, १०८,  
 १०६

**कारोगर**

राजकाय उदाग सगठन का, १६

**सवन की जाच**

म कार्यानिवाध्यद १०३  
 मे विभागाध्यक्ष, १३३, १३४  
 मवधो मामला क विषय में अपीन, १०  
 १३८

**गवाह**

अधूर मुन गए मामने म गवाहो की टुबारा  
 बुतान की जाच अधिकारी की शक्ति,  
 १०२  
 का प्राहान, ६६  
 का बुतान स टुबारा करने का जाच अधि  
 वारा का अधिकार १०२  
 नोपा कमचारी का अधिकार १०२  
 माध्य का प्रामलख ६८ ६६

**ग्रेड**

निम्नतर ग्रेड पर अवनति ५६

**जाच**

अधूर मुने गए मामने १००  
 अधूर मुन गए मामने म गवाहो की टुबारा  
 बुतान की जाच अधिकारी की पविन,  
 १००  
 प्रानुपासन प्राधिकारी का निष्प, १०८  
 आरोपा तथा प्रमिस्थना क विवरण का  
 निधारण गाय कमचारी का मुक्ति  
 करता ८७ ६१

**इतर्का जाच ८६**

का तगीना ८८ ८७  
 कारण बन्धा नागि, १०६-११०  
 के दौरान क्षमा याचना ८१  
 गवाहो की बुतान प स्तर करन का जाच  
 अधिकारी का अधिकार, १००  
 जाच अधिकारी का निष्प १० १०८  
 जाच कव आवश्यक नग ११० ११८  
 जाच किमी भा समय र्ण करन का अधि  
 कार ६०

जाच मडल व जाच अधिकारी को नियुक्ति,

६६ ६६

जाच संचालक की जाच प्रणाली ८५ ८७

जिरह, १०० १०१

शरको के लिए व्यक्तिगत की सहायता

६६ ६८

पुन जाच ११३ ११४

प्रारम्भ करना ६२ ६४

प्रस्तावित कठोर नास्ति १०४

प्रारम्भिक जाच, ८६

प्रारम्भिक जाच में तफतीश करने वाले

अधिकारी द्वारा जाच होना निषेध नहीं

६५ ६६

राज्य कर्मचारी की श्राप की सूचना,

११२ ११३

रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्षों की प्रतिनिधि

देना, १०५

रकड का निरीक्षण एवं उद्घरण करना,

६१ ६२

लघु शास्त्रिया लागू करना, ११७ ११६

१२०

लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नाटिस,

८६ ८७

लोक मेवक जाच अधिनियम के पन्तगत,

८४-८५

लोक सेवा आयोग में परामर्श १११ ११२

संक्षेप का अभिलेख एवं जिरह, ६८

मयुक्त जाच, १२० १२१

जाच अधिकारी

की नियुक्ति ८६ ६५

की योग्यता, ६४

के निष्पत्ति, १०२ १०४

को नियुक्त करने का अधिकार सुद्ध करना,

६५

गवाहा को बुतान में इत्वार करने का

अधिकार, १०२

द्वारा अधूरे मुते गए मामला में गवाहा को

द्वारा बुताना १०२

द्वारा इतरफा वाययाही, ६६

जाच मडल

( जाच अधिकारी के नीचे देखें )

जिरह

अधूरे मुत गए मामले में गवाहा की द्वारा

बुतान की गति १०२

गवाहा का बुतान में इत्वार करने का जाच

अधिकारी का अधिकार १०२

दायी कर्मचारी का अवमर देना १०० १०१

दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

अवमर देना ६६, १००

दक्षता अवरोध

पर राक श्राप नास्ति है ४८ ४६

पार करने में श्रापक ४८ ४६

दावा

कब दिया जा सकता है, १२८-१२८

कब नहीं दिया जा सकता, १२८

करने का अधिकार १२७ १२८

घारा ८० व्यवहार प्रकिया महिमा १८०८,

१२७

निंदा

का नास्ति ४७ ४८

लागू करने का तरीका ११६ ११८

लागू सेवा आयोग की राय ४७ ११८

निष्कर्ष

अनुगामन प्रधिकारी का, १०४

जाच प्राधिकारी का १०२ १०४

नाटिस जब जाच अधिकारी में अमट्टमन हा

१०६ १०७

पर नोटिस १०६ १०७

प्रतिवेदन तथा उम पर निष्कर्षों का प्रति-

निधि देना १०५

नियम

वायव्य अननित मेवाए (प नि एव अ०)

नियम, २४

मौजिद नियम २

पुनियम अधिनियम में पूरा है, ८७

राजस्थान अधिनियम संख्या (बि. नि. एच. एच.)

नियम १६/१०, ५

**नियमों का इतिहास**

पूरा का पान, २५

**नियुक्त प्राधिकारी**

एकीकरण कानून में ७, ७६

एक अधिनियम प्राधिकार कायदाओं का  
बदला ६

एक अनुसूचित प्राधिकारी १२

एक उच्चतर प्राधिकारी, कायदा का  
बदला ११

कमजोरी का पुन्यकरण प्राधिकारी, ०

कायदा बनाने का नोटिस देन बाता १००

११०

बोन है, ८

बनुध धर्मों का गवाह का २८

प्रतिनिधित्व पर काय कानून बाता अधिनियमों  
का १२

गामिन् संका के सम्पत्तियों का ७८

राज्य संका के सम्पत्तियों का २८

तत्पर वर्गीय सम्पत्तियों का, २८

स्योली मय में नियुक्त करने बाता १५

संबंध विचारणीय योग, १२

**निरसन**

पूरा नियमों का १११ १२०

**निलम्बन**

आज का निर्माणकरण, ६० ६०

का अधिप्राय, २-३०

का अधिनियम कानून प्रभाव के अधिनियमों का  
है, ६ ६

का अधिनियम कानून प्रभाव के अधिनियमों का

१-४०

का अधिनियम अधिनियम ४०

का अधिनियम कानून प्रभाव के अधिनियमों का १३

का अधिनियम अधिनियम ६० ६०

का अधिनियम अधिनियम अधिनियम, १०८ १२०

का अधिनियम २६

का अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम  
का अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम  
का अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

**नाटिस**

कारण बनाने का, १०० ११०

निर्दिष्ट उतर अधिनियम करने के लिए,  
८८ ८०

व अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम  
नाटिस अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम  
१-० १०

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

**पद**

(अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम)

का अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

**पदाधिनियम**

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

**पदाधिनियम अधिनियम**

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम  
अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

का अधिनियम, ४८ ५०

का अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

१-८०

**परीक्षण**

अधिनियम ५५

४ पदचात प्रत्यावर्तन, ११

परीक्षार्थी का सेवा समान्ति, ६६ ७०

पुन जाच

उहाँ तय्यो पर ११० ११५

का घाना कब दा जा सकती हैं,

११ ११५

दावाना प्रमाणन द्वारा पद या सेवा मे

पथकारण को घाना रद्द किये जान पर,

११५

पौजदागी यायानय द्वारा बरी हो जाने

पर ११५

विभागय जाच म दोषमुक्त होने के पश्चात

११५

पुनरावलोकन

अपील नती की गइ कया पुनरावलोकन हा

सकता है, १४५, १४६

अपाल प्राधिकारी की शक्ति १४५

कया राज्यपाल नियम ८ व अनगत

पुनरावलोकन की शक्ति सरकार को

प्रत्यायुक्त कर सकता है १५०

राज्यपाल की शक्ति १४८-१५०

पेशान

आनुपातिक पेन्शन पर अनिवायत सेवा

निवृत्ति ५६ ६०

आनुपातिक पेन्शन पर सेवा निवृत्ति ६२

उचित पेन्शन राशि म कमी कर देने की

अवनति ५८-५९

कनिष्ठ अधिकारी से कम हितों वाले

स्थिति म ५८

पर अधिकार ५९

पक्ति मे अवनति

उचित पन्शन राशि मे कमी कर देने की

अवनति ५८ ५९

का आधार ५२ ५३

निम्नतर सेवा पर अवनति, ५६

निम्नतर पद पर अवनति, ५६, ५७ ५८

निम्नतर ग्रेड पर अवनति ५६

निम्नतर समय मान पर अवनति, ५८

परीक्षण अवधि व पदचात प्रत्यावर्तन,

५५-५६

काच सेवा आयोग मे परामर्श ७८ ८०

समय मान म निम्नतर स्टज पर अवनति ५८

स्थानापन्न पद स प्रत्यावर्तन ५३ ५४

प्रतिनियुक्ति

पर व्यक्तिगो का नियुक्ति प्राधिकारी १०

पर व्यक्ति अपने नियमो से गणित हान है,

१८ १९

प्रत्यावर्तन

एव अवनति ५३

के कारण, ५३

परीक्षण अवधि के पश्चात ५५-५८

लोक सेवा आयोग से परामर्श, ८८-९०

स्थानापन्न पद स, ५३ ५४

प्रमाणित प्रतिनिधि

अपील के मामल म देना १३४

प्रस्तावना

तथा शीपक १

प्रमत्तता का निदान २

प्रारम्भिक शर्त १

प्रारम्भिक जाच

अ तदतास करने बाल अधिकारी द्वारा

जाच होना निषेध नहीं, ६५ ६६

प्रावधाना का प्रभाव

आवस्मिक नौकरी के कर्मचारी पर २०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकारालय

एव कर्मचारी पर १९

उस व्यक्ति पर जो एक मास मे कम अवधि

के नोटिस द्वारा हिसबाज किया जा

सकता है, २० २१

प्रतिनियुक्ति पर प्राए व्यक्ति पर, १८ १९



- खान मन्त्रालय के अधिकांश एवं मन्त्रालय पर १८ २०
- विभाग प्रावधानों के अन्तर्गत रंगे गण व्यक्तियों पर ०
- राजराज्य उद्योग मन्त्रालय व कारागार पर १८
- राजस्थान पुलिस व अधीनस्थ स्तर व सहायता पर २०
- फौजदारी अभियोग में अपराधी**  
की जाच प्रायः वही १२१ १२२
- फौजदारी मुफ्तदा**  
विभागाध्यक्ष जांच में योग्यता को व पत्राचार ११५
- वसति**  
( मवाच्यता व नाच )
- मवाच्य**  
अपीला व लिए १२४  
कानून मन्त्रालय व अन्तर्गत १२५  
रिट व लिए १ ५ १२६
- मूलभूत अधिकार**  
तथा सेवा नियम, ५  
मविधान व अनुच्छेद ११, १६ व १७ के अन्तर्गत ५
- व्यवहार नियम**  
वर्गीकरण या सेवा नियुक्ति का प्रस्ताव २०
- व्यवहार**  
जाच प्रक्रिया का अनुसरण करना व व्यवहार नही १२० १२३
- व्यावृत्ति**  
सड का प्रभाव, १५२
- राज्यपाल**  
का अभिवदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर १५८

व्याज राज्यपाल नियम २६ के अन्तर्गत पुनरावर्तन का अधिकार मन्त्रालय का प्रत्यागुक्त वर सक्ता है, ११०  
पुनरावर्तन का अधिकार, ११०

### राज्यपाल की प्रसन्नता

अनुच्छेद २१० २

घमनित्र व मन्त्रालय प्रसन्नता पत्रिका व करता है ६६

प्रसन्नता पत्रिका मित्रान्त का अन्तिम २५

### राज्य की सुरक्षा

राज्यपाल जांच मन्त्रालय अन्तर्गत वता जाता है १२ १ ६

राष्ट्रीय सुरक्षा नियम व अनुसार १२३ १२६

मवाच्यता मन्त्रालय न मिनता १० -१२६

### राज्य सेवाएं

लोक सेवा आयोग स परामर्श ८८ ८०

### राज्या का एकीकरण

म नियुक्ति प्राधिकार कोन है, ८

मवाच्यता का समाप्ति, ७४

### रिट याचिका

अनुच्छेद २२-६ व अन्तर्गत, ५८ १२६ १२८, १२६

अपील व वार म १२८

विन कारणा स को जा सक्ती है १२८ १२६

दरा स प्रस्तुत होने पर, १२८

### रेकड का निरीक्षण

का अधिकार ८१ ६२

### सधु शांति

असावधानी प्राप्ति द्वारा हुई सरकार को प्राधिकार हानि की पूर्ति वेतन स वसूत करना ५१ ५२

दन का तरीका, ११७

के प्रकार, ४६ ८७

नियम १६ एवं १७ की प्रक्रिया में अन्तर  
११६ ११७

नियम १६ के अन्तर्गत, ११२

निष्ठा, ४७ ४८

प्राप्तति रोकना ४६ ५१

वेतन वृद्धि पर रोक ४८, ११६

लिखित उत्तर

प्रस्तुत करना, ६२ ६४

प्रस्तुत करने का नोटिस, ८६ ९०

लोक सेवा आयोग

प्रथम अध्याय, अध्याय से परामर्श १२५

के अध्यक्ष एवं सदस्य पर नियमों का लागू  
न होना, १६-२०

प्रथम अधीन अध्याय से परामर्श, १२५

रेकॉर्ड भेजना, १११-११२

से परामर्श ४६ ५१ ६५ ६६ ७८ ८०

१११-११२

वकील

अनुपासन प्राधिकारी एवं विवेक द्वारा

निष्ठा का अनुमति दे, ६६ ६८

की सहायता कब ली जा सकती है

६६ ६८

वरिष्ठता

एवं पदोन्नति ५० ५१

गुण एवं योग्यता का सिद्धान्त, ५० ५१

विभागीय जाच

( जाच के अन्तर्गत भी देखें )

का उद्देश्य, ८६

की प्रक्रिया ८६ ८७

का लिए प्रारम्भिक जाच ८६

को बन्द करने का अधिकार, ९०

विभागीय परीक्षा

अनुसूचित जाति का पत्र, ४८ ५८

किसी एक व्यक्ति पर लागू करना ४८

विशेष प्रावधान

इन्तार द्वारा २१ २२

के अन्तर्गत व्यक्ति २०

बुद्धि अधिकाधिक के लिए १५३

वेतन में से वसूली

प्रभावधानों द्वारा हुई सरकार की प्राप्ति

हानि का क्षतिपूर्ति, ५१ ५२

लाभ सेवा आयोग से परामर्श, ७८ ८०

वेतन वृद्धि पर रोक

का क्षति, ८८

की क्षति दान की प्रक्रिया, ११६ ११६

तथा दक्षता अवरोध, ४८

लाभ सेवा आयोग से परामर्श ४८

विभागाध्यक्ष परीक्षा पास न करने पर

४८ ४६

शब्द

असन्निवृत्त पद १४ १६

अभियोग १२२

आरोप ८७

जब तक कि सक्षम से किसी अन्य श्रेणी की

आवश्यकता न हो, ७

निलम्ब ३२

पत्रिका में अन्वयति ५२

बन्धनानुसार, २०, ६७

सवा विहीन, २०, ६७

सविदा, १६

हटाना, २०, ६७

शास्त्रिया

अनुपातिक पेशन पर अनिवार्यतः सेवा

निवृत्ति ४६, ५६ ६० ६६ ७४

अस्थाई सरकारी कर्मचारियों की सेवा

समाप्ति ७० ७३

इन्तार के अन्तर्गत सेवा समाप्ति ७३

उचित पेशन शांति में समाप्ति करने की

अवधि ५८



मवा निवृत्ति एव, ५६

**सेवा निवृत्ति**

मानुषात्मिक वेगन पर ६६

मानुषात्मिक वेगन पर अनियत, ५६ ६०

नियत मवा अवधि अनु प्राप्त करन पर अनिवायत, ६२ ६

पञ्चम वर्षों की मवा के बाद ६० ६२

पञ्चम वर्षों की मवा म पूव ६२

व्यक्ति द्वारा अपील १३७

लाभ मवा आधाय से परामग, ७८ ८०

सरकार की नीति के अनुमाग सेवा निवृत्ति सविधान के विपरीत नहीं ६५-६६

सेवा निवृत्ति की प्राप्ति प्राप्त करन से पहल अनिवायत ६३ ६५

म पूव अवकाश के समय निगमन ८१

**सेवा समाप्ति**

अस्थाई सरकारी कमचारिया की, ७० ७४

इतरार व अतगत, ७३ ७४

उमकी इच्छा के विरुद्ध ६८ ६९

एकीकरण के ढांचे म ७४

परीक्षणार्थी की ६६ ७०

गाम्ति स्वरुप कब नहीं होगी, ६६-६७

**सेवा से हटाया ज ना**

के आधार ६६-६९

चाक सेवा आधाय म परामग, ७८ ८०

**सयुक्त जाच**

वा प्रक्रिया, १२०

**सरक्षण का परित्याग**

सविधान द्वारा गार लीड, २५

**सत्रिदा**

इतरार के अनगत सेवा समाप्ति ७३ ७४

की गतें सविधान म अतगत न हा, ७०

नई नियुक्ति के समय २१

व्यक्ति जा सविधान पर सरकारी सेवा म है १६ १७

राज्य कमचारी व सरकार के मध्य २१ २२

समाप्ति के पश्चात पुन नियुक्ति, २२ २३

**सविधान**

अनुच्छेद १४	५१ ६३
, १५,	५ ५१
, १६	५ ५०, ५१, ६३, ११९
, १६,	५, १७, ८, ३६
, २३,	११८
, ३१,	५८
, ३२,	१२८
, १०२	५
, १२४,	१६
, १४२,	३८
, १४४,	३८
, १६६,	१०३
, १८१,	५
, २१७	१९
, २१८,	१९
, २२६,	५८ १२८ १२९ १२६
, २२७	११०
, २२९,	१९
, २३३	१७, ७८
, २३४	१२ ७८
, २३५,	१२ १३ ५० ७८, ११०
, २६९	१६
, ३०६,	१, २ ५ १६, ६५, १२०
, ३१०,	२ १० २३, ८५, ७६
	७८ १२४ १४९
, ४११	७ ८ १३, १६, १७, ७० ७५ ३० ३४ ३५ ६० ४७ ४८, ५५, ५८, ६१ ७२ ७५ ७९ ८५ ८८ ९० ९१ ९२ ९३ ९४, १०४, १०६ ११३ ११९, १०१ १२४ १२८, १४१, १८२ १४८
	३१८ १८, २०
	३२०, ६५ ७८, ७९ १११

**स्थानापन्न पद**

के प्रत्यावतन, ५४ ५६

**स्वाधी नियुक्ति**

करन आता नियुक्ति प्राधिकारी है १२



# राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम, 1971

विधि विभाग

अधिमूचना

जयपुर जून 5 1971

सख्या प 7 (21) विधि 169—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 30 मई 1971 ई की प्राप्त हुई एतद् द्वारा सवनाधारण की मूचनाथ प्रकाशित किया जाता है —

राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम 1969

( अधिनियम सख्या 11 सन् 1971 )

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 30 मई, 1971 को प्राप्त हुई]

सरकारी सेवका के भ्रष्टाचार पर कायवाही करने क लिए बेहतर उपब ध करने हेतु अधिनियम ।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के वाईसवें वष म यह निम्न लिखित रूप म अधिनियमित हो —

1 सभित्त नाम—यह अधिनियम राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम 1971 कहा जा सकेगा ।

परिभाषा—इम अधिनियम म जब तक मदम से अयथा अपेक्षित न हो 'सरकारी सेवक' से अभिप्रेत है राजस्थान राज्य के कार्यों स सशक्त किमी लोक सेव या पन् पर नियुक्त यन्त्र जिसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने क लिए राज्य विधान मण्डल मक्षम है ।

3 अचचार की उपधारणा—यदि किसी सरकारी सेवक के विशद भ्रष्टाचार सबधी किसी जांच म यह साबित हो जाता है कि उस सरकारी सेवक या उसकी ओर स किसी व्यक्ति के बन्ध म ऐसे धनीय साधन या सपत्ति है या उस सेवक के पदारूढ रहने की कालावधि क दौरान किसी भी समय बन्धे म रही है जो उसकी आय के पात स्रोतो मे अननुपाती हैं जिनके लिए वह समाधानप्रद वृत्तात नहीं द सक्ता ता ऐसे सबूत पर जांच आफिमर और कोई भी अय सपृन्त प्राधिकारी जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो जाय यह उपधारित करेगा कि वह सेवक अचचार का दोषी है ।

सूरज प्रसाद मेहरा,  
गासन सचिव ।

Amendments to C C A Rules Published in Rajasthan Gazette  
Part IV ( II) dated 30.3.72

राजस्थान गविस सेवा (दर्जीकरण नियत एण् और अधील)  
नियम 1958 के अन्तर्गत

अनुसूची क -- (1) अनुसूची "क" क नीच (1) विभागाध्यक्षा (प्रथम श्रेणी) का सूची म प्रविष्टि मन्था 53 क पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोड़ी जावगी --

' 54 मुख्यनगर आयोजक'

(2) अनुसूची ख" म प्रविष्टि मन्था 56 क पश्चात निम्न प्रविष्टि जोड़ी जावगी --

1	2	3	4	5	6
उपनगर आयोजक	मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर
विभाग	मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर
क्षेत्रीय कार्यालय	उपनगर आयोजक	मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर	उप नगर
		मुख्य नगर	उप नगर	मुख्य नगर	उप नगर

(3) अनुसूची 1 'राज्य सवासे क अन्त म नया शीप तथा उपरक अन्तगत निम्नो कित प्रविष्टिया जोड़ी जावेगी --

नगर आयोजन विभाग

- 1 मुख्य नगर आयोजक एव वस्तु िल्प सनाहकार
- 2 वरिष्ठ नगर आयोजक
- 3 उप नगर आयोजक
- 4 उप नगर आयोजक (सिक्कि सवेंशण)
- 5 सहायक नगर आयोजक (तकनीका सहायक सहित)
- 6 सहायक अधिनयन्ता (सवेंशण)
- 7, साम्यिक
- 8 अनुसन्धान अधिकारी

(4) अनुसूची 2 'अधिनयन सवाए" क अन्त में नया शीप तथा उपरक अन्तगत निम्नांकित प्रविष्टिया जोड़ी जावगी --

नगर आयोजन विभाग

- 1 नगर आयोजक सहायक
- 2 विधि सहायक
- 3 नकशा नवीस इसमें मुख्य नकशा नवीस वरिष्ठ नकशा नवीस, कमिष्ट नकशा नवीस और अनुसन्धान शामिल हैं ।

- 4 सर्वोच्च दसमे कनिष्ठ अभिय 3। प्रौढ़ भोवरसियर शामिल हैं  
 5 घ वषक  
 6 सर्वोच्च सहायक  
 7 ड्राइवर  
 8 फेरोसेन

(5) अनुसूची 3 'लिपिक वर्गीय सेवाएं में प्रविष्टि सख्या 122 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोड़ी जावेगी —

'प्रशासनिक सहायक -

(जयपुर 9 मार्च 1971)

(सख्या प 3(12) नियुक्ति (क 3) 69)

सशोधन

अनुसूची 2 — उक्त नियमों से सलग्न अधिनस्थ सेवाओं से सम्बंधित अनुसूची 2 में 'वित्त विभाग (लेखा परीक्षण और निरीक्षण) शार्पा तगत मौजूदा नोट के स्थान पर निम्न लिखित नोट प्रतिस्थापित किया जावेगा अर्थात् —

नोट — विभाग में सम्बद्ध लेखाकारों के सम्बन्ध में छोटी शास्तिया अधिरोपित करने की शक्तिया विभागाध्यक्ष में ही निहित होगा।

(जयपुर 15 3 71)

(स० प 3(5) नियुक्ति (क 3)/66)

सशोधन

अनुसूची क — उक्त नियमों में सलग्न अनुसूची 'क' में शीर्ष "(1) विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी की सूची" के अंतगत क्रम सख्या 24 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

'यायाचीश औद्योगिक यायाधिकरण।'

(जयपुर 9 मार्च, 1970)

(3 (32) नियुक्ति (क-3) 69

सशोधन

अनुसूची ख' — उक्त नियमों की अनुसूची 'ख' में 'ब'दोवस्त' से सम्बंधित प्रविष्टि सख्या 32 (3) के सामने स्तम्भ सख्या 3 और 5 में शब्द 'ब'दोवस्त प्रायुक्त के वैयक्तिक सहायक के स्थान पर शब्द 'अपर प्रायुक्त ब'दोवस्त प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(जयपुर 27 अप्रैल 1970)

(स प 3 (2) नियुक्ति (क-3)/70

नियम 23 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(ख) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अधिनस्थ न हों और जिनको इन नियमों के अंतगत शास्तिया आरोपित करने की शक्तिया प्रत्यायोजित की गई हों, के प्रदेश के विरुद्ध सरकार को'

जयपुर 27 अप्रैल, 1970)

(स प 3 (30) नियुक्ति (क-3)/69



## संगोपन

अनुसूची 2 तथा 3—1 अनुसूची 2 'अधिनियम संशोधन मंत्रालय कृषि विभाग-कृषि अनुभाग के अधीन वर्तमान प्रवृत्ति सं 26 के पश्चान् निम्नलिखित नई प्रवृत्ति जारी होगी, अर्थात्—

'27 कृषि कोस्टल सन'

2 उक्त नियमों में मूलान अनुसूची 3 'त्रिपिक वर्षीय मका' की प्रवृत्ति सं 29 विनोपिन की जायगी।

(9 जुलाई 1970)

(स प 3 (10) नियुक्ति (क-3) 70

## संगोपन

अनुसूची 'स'—मंत्रालय कृषि विभाग मंत्रालय प्रवृत्ति सं 32 के भाग में स्तम्भ नं 5 और 6 में वर्तमान प्रवृत्ति कृषि विभाग पर निम्नलिखित प्रवृत्ति प्रविस्थापित की जायगी, अर्थात्—

स्तम्भ 5 "कृषि विभाग अथवा अन्य कृषि विभागों में प्रथम ग्रेड के कृषि विभाग अथवा अग्रणी और द्वितीय ग्रेड के प्रागुत्पत्तिका के पश्चात्तों पर छात्रों को प्रविस्थापित करने के सम्बन्ध में।

स्तम्भ 6 जो अध्यापन द्वारा नाम निर्दिष्ट है। गणित मंडल का कोई सम्बन्ध

(9 जुलाई, 1970)

(स प 3 (31) नियुक्ति (क-3) 69

अनुसूची के एवम् अनुसूची संगोपन

उपरोक्त नियमों में मूलान अनुसूची के (1) विभागाध्यक्षा (प्रथम श्रेणी) की सूची में वर्तमान प्रवृत्ति सं 55 के पश्चान् निम्नलिखित नवी प्रवृत्ति जारी जायगी अर्थात्—

56 निदेशक भाषा विभाग

(2) उपरोक्त नियमों में मूलान अनुसूची 'ख' में प्रवृत्ति सं 58 के पश्चान् निम्नलिखित प्रवृत्ति जारी जायगी—

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

19 भाषा विभाग निदेशक सहायक निदेशक निदेशक सहायक निदेशक निदेशक  
3 उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 1 राज्य सहायक मंत्रालय में निम्नलिखित नवीन और प्रवृत्तियां जारी जायगी, अर्थात्—

## "भाषा विभाग

1 निदेशक

2 सहायक निदेशक

3 जिला भाषा अधिकारी

4 उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अनुसूची-3 'त्रिपिक वर्षीय मका' में वर्तमान प्रवृत्ति सं 123 के पश्चान् निम्नलिखित नवीन प्रवृत्तियां जारी जायगी, अर्थात्—

'124—मुख्य अनुवाक

125—सहायक अनुवाक'

(जुलै 5 दिसम्बर 1970)

(स प 3 (4) नियुक्ति (क-3) 70)

## संगोपन

अनुसूची 1— 'राज्य सेवाओं' शीपक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन निम्नलिखित नवीन शीपक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

ए-आपूर्तिमान महाविद्यालय

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष (375-850 के वेतन मान में)

(2) व्यायाम शिक्षक (375-850 के वेतन में)

(2 नवम्बर 1970)

(स प 3 (27) नियुक्ति (क-3), 70

## संगोपन

अनुसूची क—उपयुक्त अनुसूची म —

(1) शीपक (1) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) की सूची के अधीन क्रमांक 30 र की गयी प्रविष्टि लोपित की जाएगी और

(2) शीपक (2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) के प्रतिरिक्त की सूची के अधीन वर्तमान में सन्ख्या 51 के पश्चान् निम्नलिखित नया मद जोड़ा जाएगा अर्थात् —

उपमहानिरीक्षक पुत्रिम भ्रष्टाचार विरोध विभाग

(28 नवम्बर 1970)

(स प 3 (7) नियुक्ति (क-3)/66

## संगोपन

अनुसूची 3—उपयुक्त अनुसूची म वर्तमान प्रविष्टि स 125 के पश्चान् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

'126 साक्षर एटे-डेट'

(जयपुर 5 दिसम्बर, 1970)

(स प 3 (28) नियुक्ति (क-3)/70

## संगोपन

अनुसूची ख व क्रम 1 अनुसूची ख म म 19 'उद्योग एवं वाणिज्य विभाग' में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् —

विभाग	कार्यालय	कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कार्यालयाध्यक्ष	निम्न वर्गीय सेवाएं अगला उच्च प्राधिकारी	वायालय ध्यक्ष	अगला उच्च प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
उद्योग एवं मिबिल सप्लाइ	1 मुख्यालय (घाट एवं माप में अर्थ)	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
	2 नियंत्रक (घाट एवं माप) का कार्यालय	नियंत्रक घाट एवं माप	निदेशक	नियंत्रक घाट एवं माप	निदेशक

3	प्राग्निहिक महायक, निदेशक का कार्यालय	सम्बन्धित प्राग्निहिक निदेशक	सहायक निदेशक	प्राग्निहिक सहायक निदेशक	निदेशक
4	रसायनिक प्रयोगशाला का कार्यालय	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक
5	परियोजना अधिकारी का कार्यालय	परियोजना अधिकारी	निदेशक	परियोजना अधिकारी	निदेशक
6	प्रधानाध्याय, ऊन कुटीर उद्योग प्रणिधान सन्धान का कार्यालय	प्रधानाध्याय	निदेशक	प्रधानाध्याय	निदेशक
7	सहायक निदेशक का कार्यालय (बम) (बम प्रणिधान सन्धान)	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
8	जयपुर में भ्रम त्रिनी का त्रिनी उद्योग अधिकारी का कार्यालय	सम्बन्धित त्रिनी उद्योग अधिकारी	प्राग्निहिक सहायक निदेशक	त्रिनी उद्योग अधिकारी	प्राग्निहिक सहायक निदेशक
9	अधिसक एव डिजाइनर आर्टिस्ट हस्त लिपि का विकास का जयपुर का कार्यालय	अधिसक एव डिजाइनर	निदेशक	अधिसक एव डिजाइनर	निदेशक

धनुसूची 1—राय सहायों में शाय उद्योग एक वाणिज्यिक व एक अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों का स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जानगी अपना—

- 1 अनुसूक्त निदेशक
- 2 निदेशक वा एव भाव
- 3 उप निदेशक
- 4 प्रयोगशाला अधिकारी
- 5 प्रधानाध्याय, ऊन कुटीर उद्योग प्रणिधान सन्धान
- 6 सहायक रसायनिक
- 7 सहायक निदेशक त्रिममें प्राग्निहिक सहायक निदेशक शामिल है
- 8 परियोजना अधिकारी
- 9 योजना एव सर्वेक्षण अधिकारी
- 10 सहायक निदेशक (बम)

अनुसूची 2—'अधिनस्थ सदाण' में भीष "उद्योग विभाग" से अधीन मौजूदा प्रविष्टिया के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जावगी, अर्थात् —

- 1 जिला उद्योग अधिकारी
- 2 सूचना अधिकारी (जो जिला उद्योग अधिकारी के पद का होगा)
- 3 अधीनक एव डिजाइनर आर्टिस्ट
- 4 तकनीकी अधिकारी
- 5 तकनीकी व्यवस्थापक (मैनजर)
- 6 प्राध्यापक चम विज्ञान
- 7 विश्लेषक, रसायनिक प्रयागशाला
- 8 व्यवस्थापक औद्योगिक सपना जयपुर
- 9 प्रशिक्षक बढईगीरी
- 10 अधिक अधपक
- 11 साध्यिक महायक
- 12 सर्वेक्षण अधिकारी
- 13 डिजाइनर हस्त शिल्प कला
- 14 अधीक्षक लवण
- 15 उद्योग निरीक्षक
- 16 व्यवस्थापक औद्योगिक सपदा, जयपुर के अनावा
- 17 निरीक्षक, लवण
- 18 पयवक्षक, कोटिभकन
- 19 पयवक्षक चम
- 20 निरीक्षक हस्त शिल्प कला
- 21 यत्र करघा प्रशिक्षक
- 22 होजरी मास्टर
- 23 ऊन बुनाई मास्टर
- 24 रगाई मास्टर
- 25 डिजाइनर, हस्त शिल्प कला विकास केन्द्र
- 26 परिरूपण (फिनिशिंग) मास्टर
- 27 रसायनिक शोरा
- 28 उद्योग प्रसार अधिकारी
- 29 निरीक्षक बाट एव माप
- 30 नकशा नवीस शोरा
- 31 निरीक्षक कोटि भकन
- 32 मरम्मतकार बाट एव माप
- 33 प्रशिक्षक, चम जूता
- 34 सहायक निरीक्षक बाट एव माप

- 35 प्रयोगशाला सहायक
- 36 मिस्त्री चयन सस्थान
- 37 निम्नी यांत्रिक रगरेज एव मुद्रक
- 38 बुनाई प्रगिस्तक, कुटीर उद्योग सस्थान
- 39 सहायक बुनाई प्रगिस्तक कुटीर उद्योग सस्थान
- 40 दस जुनाहा
- 41 यांत्रिक
- 42 रगरेज
- 43 मिलर
- 44 प्रगिस्तक मुद्रक घोर बाण
- 54 प्रगिस्तक, मृत्त बन्त, निर्माण
- 46 मिस्त्री
- 47 ड्राईवर
- 48 बर्दई

IV अनुसूची— चतुर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय 81, 89 132 133 134 और 142 की प्रविष्टियाँ लोचित की जायेंगी ।

(जयपुर 17 फरवरी, 1971)

(स प 3 (13) नि क 1 68)

उप सन्ध (11)

नियुक्ति (क-3) विभाग

अधिमूचना

जयपुर फरवरी 9, 1970

एस धा 158 --राजस्थान निवृत्त सेवा (बर्गीकरण नियतण एव अर्पील) नियम, 1958 क नियम 11 के साथ पठित भारत के सविधान क अनुच्छेद 309 क परतुन द्वारा प्रस्त शक्तियाँ का प्रयोग करत हुए राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा सपथुक्त नियमा म मलग्न अनु सूचिया म निम्नांकित सशानन करते हैं —

संगोषन

1 अनुसूची क क शीप (2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी क अतिरिक्त) का सूची की मद सख्या 46 की प्रविष्टि निवेशक, अथ विज्ञान एव औद्योगिक सर्वेक्षण को विरो पित किया समझा जावेगा ।

2 अनुसूची "ग" की वर्तमान प्रविष्टि सख्या 37 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि दिनांक 5-5-1961 से जोड़ी हुई मममी जावेगी—

1	2	3	4	5	6
37 अथ विधान एवं सांख्यिकी निदेशालय	मुख्यालय जिला कार्यालय	सहायक निदेशक (प्रभारी प्रशासन) सांख्यिक	निदेशक	सहायक निदेशक (प्रभारी प्रशासन) सांख्यिक	निदेशक

3 अनुसूची 2 'अधीनस्थ सेवाएँ' में शीपक अथ विधान एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधीन —

(1) मद सख्या 7 की प्रविष्टि तथा प्रगति प्रसार अधिकारी से सम्बन्धित' टिप्पणी लोपित की जाएगी ।

(2) प्रविष्टि सख्या 9 के पश्चान् निम्न नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी —

10 मुख्य सचालक

11 फोटो निशे प्रचारक

12 टेबुलेटर प्रचालक

13 पंच काड प्रचालक/द्वारापापर प्रचालक

14 साटर प्रचालक

15 यात्रिकी

(स एफ 3 (6) नियुक्ति (क-3) 69)

राज्यपाल के आदेशानुसार,  
एस एन वाववाभी,  
उप शासन सचिव ।

कार्मिक विभाग (गुप क-3)  
अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 12 1972

जी एस आर 436 (37) — राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम और अपील) नियम 1958 के नियम 11 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग कर त हुए राजस्थान के राज्यपाल, उक्त नियमों में सन्तुष्ट अनुसूचिका में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करने हैं, अर्थात् —

संशोधन

1 उक्त नियमों से सन्तुष्ट अनुसूची 1 'राज्य सेवाएँ' के अनुसूची नवम प्रापक के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात् —

## भेद तथा ऊन विभाग"

- 1 उप निदेशक (विपणन)
- 2 उप निदेशक (प्रसार)
- 3 प्रदानाचार्य, भेद तथा ऊन प्रशिक्षण सत्यान
- 4 सहायक निदेशक (विपणन)
- 5 सहायक निदेशक (प्रसार)
- 6 जिता भेद तथा ऊन अधिकारी
- 7 ऊन श्रेणीकरण अधिकारी
- 8 वृत्तिम गर्भाधान अधिकारी
- 9 प्रयोगशाला अधिकारी ऊन विवरण प्रयोगशाला
- 10 अधीक्षक, भेद प्रजनन प्रयोग (पाम)
- 11 मुख्य कर्तन अधिकारी
- 12 प्राध्यापक भेद तथा ऊन प्रशिक्षण सम्पान
- 13 सहायक वृत्तिम गर्भाधान अधिकारी
- 14 भेद तथा ऊन प्रचार अधिकारी

उक्त नियमों से सम्बन्ध अनुसूची 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित नवान् प्रविष्टि बोधी  
जाएगी, अर्थात् —

## "भेद तथा ऊन विभाग"

- 1 सहायक जिता भेद तथा ऊन अधिकारी
- 2 प्रगति सहायक
- 3 वृत्ति सहायक
- 4 अनुसंधान सहायक
- 5 विन निरीक्षक
- 6 सहायक (कर्तन श्रेणीकरण)
- 7 पत्रकार
- 8 आंतरसिपर
- 9 नकशा नवीन
- 10 प्रयोग (पाम) सहायक
- 11 श्रेणीकर्ता
- 12 पशुपाल सहायक
- 13 पशुपाल
- 14 यात्रिक
- 15 बालक
- 16 द्वाइवर
- 17 मास्टर कर्तक

उक्त नियमों से संतान धनुसूची 'ख' के अंत में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टी जोड़ी जायगी, यथा—

धनुसूची (ख)

विभाग	कार्यालय		धनुष्य श्रेणी सेवाएँ		निरिक कर्मीय सेवाएँ	
	कार्यालय प्रध्यक्ष	भागा उत्तर	कार्यालय प्रध्यक्ष	भागा उत्तर	कार्यालय प्रध्यक्ष	भागा उत्तर
1	2	3	4	5	6	
भेड़ तथा ऊँ	1	2	3	4	5	6
ऊँ	1	2	3	4	5	6
जिला कार्यालय	जिला भेड़ तथा ऊँ प्राधिकारी	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक	निदेशक
ऊँ श्रेणीकरण वेद	ऊँ श्रेणीकरण वेद	ऊँ श्रेणीकरण अधिकारी	निदेशक	जिला भेड़ तथा ऊँ प्राधिकारी	निदेशक	निदेशक
भेड़ तथा ऊँ प्रशिक्षण स्कूल	भेड़ तथा ऊँ प्रशिक्षण स्कूल	प्रशासक	निदेशक	ऊँ श्रेणीकरण अधिकारी	निदेशक	निदेशक
भेड़ प्रजनन प्रपेन (ग्राम)	भेड़ प्रजनन प्रपेन (ग्राम)	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	प्रशानाचार्य	निदेशक	निदेशक
प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	निदेशक
पत तथा योजना	पत तथा योजना	मुख्य कठन प्राधिकारी	निदेशक	मुख्य कठन प्राधिकारी	निदेशक	निदेशक
द्वितीय गर्भाधान प्राधिकारी	द्वितीय गर्भाधान प्राधिकारी	द्वितीय गर्भाधान प्राधिकारी	निदेशक	द्वितीय गर्भाधान प्राधिकारी	निदेशक	निदेशक
सहायक द्वितीय गर्भाधान	सहायक द्वितीय गर्भाधान	सहायक द्वितीय गर्भाधान	निदेशक	द्वितीय गर्भाधान प्राधिकारी	निदेशक	निदेशक

[संख्या एक 3 (10) एपाइड (क-3)172]

राज्यपाल के आदेश से,  
राजे ब्रजपाल सिंह  
आसन उप सचिव ।





# Amendments to Rajasthan C C A Rules

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of the Rajasthan makes the following amendments in the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1958, namely —

## AMENDMENTS

- (1) The existing sub-rule 4 of the Rule 16 of the said Rules shall be substituted by the following namely —  
16(4)—On receipt of the written statement of defence, or if no such statement is received within the time specified, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the charges as are not admitted or if it considers it necessary so to do appoint a Board of Inquiry or an Inquiring Authority for the purpose and where all the articles of charges have been admitted by the Government servant in his written statement of defence the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge”
- (2) The following sub rule 4A shall be added below sub-rule (4) of Rule 16 of the said Rules namely —  
' 16(4A)—If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge in the written statement of defence or has not submitted any written statement of defence appears before the Inquiring Authority such Authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he Pleads Guilty to any of the articles of charge the Inquiring Authority shall record the plea, sign he record and obtain the signature of the Government servant thereon  
The Inquiring Authority shall return a finding of guilty in respect of those articles of charge which the Government servant pleads guilty
- (3) The existing sub-rule 6 (a) of Rule 16 of the said Rules shall be substituted by the following namely —  
16 (6) (a)—Where the Government servant has pleaded not guilty to the charges at the commencement of the enquiry, the Inquiring Authority shall ask the Presenting Officer appearing on behalf of the Disciplinary Authority to submit the list of witnesses and documents within 10 days, who shall also simultaneously send a copy to the Government servant. The Inquiring Authority on receipt of such list shall summon the relevant evidence as per the list and record the evidence giving opportunity to the Presenting Officer for Examination-in-Chief,

**Note** New evidence shall not be permitted of called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally

(6) The following new sub-rule (6B) shall be added after the afore said Rules namely —

"16 (6B)—(a) where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of Rule 14, (but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it is of the opinion that the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 should be imposed on the Government servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice recall the witness and examine cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Government servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules

(7) The following new Rule 19A shall be added after Rule 19 of the said Rules namely —

' 19 A—Provisions regarding officers lent to the Central Government or to a company in the Public Sector or an autonomous body created by an Act of State or Central Legislature —

(1) Where the services of a Government servant are lent to—

- (i) The Central Government
- (ii) Any Public Sector Company registered under the Companies Act 1956 (Act I of 1956) or
- (iii) Any Autonomous Body created by an Act of State or Central Legislature under the Control of the Government (Hereinafter in this rule referred to as 'the Borrowing Authority') the Borrowing Authority for the purpose of placing him under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him

Provided that the Borrowing Authority shall forthwith inform the authority which lent his services (Hereinafter in this rule referred to as the Lending Authority) of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceedings as the case may be

(2) If the light of the findings in the Disciplinary proceedings taken against the Government servant—

- (i) In the Borrowing Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 14 should be imposed on him it may, in consultation with the lending authority pass such orders on the case as it deems necessary

Provided that in the event of a difference of opinion between the Borrowing Authority and the Lending Authority the services of the Government servant shall be placed at the disposal of the Lending Authority

- (ii) If the Borrowing Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 should be imposed on him it shall replace his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the Lending Authority may if it is the Disciplinary Authority, pass such orders as it deems necessary or if it is not the Disciplinary Authority submit the case to the Disciplinary Authority which shall pass such orders on the case as it deems necessary

Provided that in passing any such order the Disciplinary Authority shall comply with the provision of sub-rules (10) and (11) of Rule 16,

Explanation The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by the Borrowing Authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary

- (8) The existing Rule 20 of the said Rules shall be substituted by the following namely—

20—Orders passed by the Disciplinary Authority other than the Government in cases of the Subordinate Service and the Ministerial Service will be communicated to the Appellate Authority and the Government and those passed by the disciplinary authority in cases of Class IV Service to the next higher authority

- (9) The existing sub-Rule 4 of Rule 23 of the said Rules and the provision existing thereunder shall be deleted Consequently the existing sub Rules (5) and (6) of the Rule 23 of the said Rules shall be renumbered as Sub-Rules (4) and (6) respectively
- (10) In Part VII the heading—'Review' occurring above Rule 32 of the said Rules shall be substituted by the heading "Revision and Review"
- (11) The existing Rule 33 of the said Rules shall be substituted by the following, namely—

33 Review of orders in disciplinary cases against members of the State Services —The Government may, of its own motion or otherwise, call for the records of the case in which an order imposing any of the penalties specified in Rule 14 has been made against a member of the State Services review any order passed in such a case and after consultation with the Commission where such consultation is necessary

- (a) confirm modify or set aside the orders
- (b) impose any penalty set aside reduce or enhance any penalty imposed by it

Provided that an order enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty

Provided further that no action under this rule shall be initiated more than three months after the date of the order to be reviewed

Note This rule shall not apply in the case of a member of the Rajasthan Judicial Service against whom an order imposing any of the penalties specified in Rule 14, except the penalty of removal or dismissal from service is made by the Administrative Judge or a Judge nominated by the Chief Justice of the High Court or when an order is made by the Committee of the Court in appeal

No F 3(17)Appts(AIII)/67

Dt Jaipur the 9th October 1974

